

राजनीतिक विचारों का इतिहास

भाग १

प्राचीन तथा मध्यकालीन

लेखक :

श्री० ज्योति प्रसाद सूद, एम. ए.,
भूतपूर्व अध्यक्ष, राज्य विज्ञान विभाग,
मेरठ कॉलिज, मेरठ।

लेखक की अन्य रचनायें :

History of Political Thought, Vol. I, Ancient and Medieval, Vol. II, From Machiavelli to Burke, Vol. III, From Bentham to Marx and Vol. IV, Recent Times (all in English and Hindi); Elements of Political Science (English and Hindi); Government of Great Britain (English and Hindi); Governments of U. S. A., U. S. S. R., and Switzerland (English and Hindi); Government of France (English and Hindi); The Development of Indian Constitutional and National Movement (English and Hindi); India: Her Civic Life and Administration (English and Hindi) : etc.

अनुवादक :

प्रो० गगा प्रसाद गर्ग, एम. ए.,
अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग,
वैश्य डिग्री कॉलिज, शामली।

जय मकाश नाथ शुराड कम्पनी,
पुस्तक प्रकाशक, मेरठ।

प्रकाशक :
कान्ती नाथ गुप्ता
अध्ययन,
जय प्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी,
मेरठ ।

चतुर्थ हिन्दी संस्करण
१६६४
(सर्वाधिकार लेखक के पास सुरक्षित)
मूल्य ७.५० रुपये

मुद्रक :
गुप्ता प्रिंटिंग प्रेस, मेरठ ।

चतुर्थ संस्करण की भूमिका

मुझे हर्ष है कि प्रस्तुत पुस्तक का तृतीय संस्करण विद्यार्थियों को बहुत प्रभाव आया और पुस्तक की अत्यधिक मांग होने के कारण हमें चतुर्थ संस्करण निकालना पड़ रहा है। इस संस्करण में कही-कही परिवर्तन भी किया गया है। यह संस्करण मुख्यतः तृतीय संस्करण का ही पुनर्मुद्रण है।

पुस्तक में मुधार के लिये श्रावे सुभावों पर लेखक कृतज्ञ होगा।

विजय मन्दिर
सिविल लाइन्स, मेरठ। }

—ज्योतिप्रसाद सूद

द्वितीय संस्करण की भूमिका

पुस्तक को द्वितीय संस्करण के लिये तैयार करते मम प्रेमने उसे पूरी तरह दुहरा दिया है कही-कही नई पाठ्य-मामग्री भी जोड़ी है। कुल मिला कर लगभग २० पृष्ठ बढ़ाये गये हैं। मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं—

अफलातून के आदर्श राज्य में शासन के सिद्धान्त में सम्बन्धित प्रकरण दुवारा जिखा गया है, जिसमें कि राज्य के जीवन में दार्शनिक राजाओं में मूर्त बुद्धि का कार्य अधिक स्पष्ट हो जाय। अफलातून के विचारों की आलोचना के रूप में न्याय की प्रकृति बतलाने वाले प्रकरण में कुछ दब्द बदल बढ़ा दिये गये हैं। वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्त को विस्तृत व्याख्या की गई है। क्योंकि नैसर्गिक कानून की धारणा मध्ययुग में बहुत महत्व रखती थी, इम कारण पुस्तक के अन्त में उस पर एक नया प्रकरण जोड़ दिया गया है। मुझे आशा है कि परिवर्द्धित पुस्तक विद्यार्थियों के लिये अधिक मिल होगी।

मैं उन समस्त महानुभावों, राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थियों तथा प्रोफेसरों, के प्रति जिन्होंने मुझे पुस्तक पर सम्मानसूचक प्रश्न लिखे, आभार प्रदर्शित करता हूँ। जिनके लिये यह पुस्तक लिखी गई थी, उनके द्वारा इसके हादिक स्वांगत पर मुझे महज मन्तोप है। इस सम्मान-प्रदर्शन से ही मुझे इस विषय की दूसरी पुस्तक, वेन्यम से लेकर आज तक की राजनीतिक विचारधारा पर लिखने की प्रेरणा मिली है।

विजय मन्दिर
सिविल लाइन, मेरठ। } }

--ज्योतिप्रसाद चौहान

अनुवादक की ओर से दो शब्द

प्रस्तुत पुस्तक प्रोफेसर भूद की 'A History of Political Thought Vol. 1' का अनुवाद है। उक्त पुस्तक का जो हादिक स्वागत विभिन्न विद्विद्यालयों के राजनीतिक विचार के विद्यार्थियों ने किया है, उसे तथा विद्यार्थियों के उत्तरोत्तर बढ़ते हुये हिन्दी प्रेम को देखते हुये पुस्तक के लेखक ने उसका अनुवाद करने का मुझे आदेश दिया। मौलिक पुस्तक के विचारों और भावों को यथातथ्य अभिव्यक्त करने का मैंने यथासाध्य प्रयास किया है। भाषा के शब्दविन्यास तथा वाचिकादग्धता के प्रलोभन में कही भी मूल विचार हताहत न हो जाय इस बात का मैंने पूर्ण प्रयास किया है। निःप्रित विषय की गहनता के कारण भाषा को अधिक सरल न बनाया जा सका; किन्तु जिन विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक लिखी गई है, वे कदाचित् उसे भिलप्ट नहीं पायेंगे। पुस्तक के प्रस्तुत खण्ड में राजनीतिक विचार के इतिहास के प्राचीन काल तथा भव्य काल का विवरण दिया गया है; आधुनिक काल अगले खण्ड के लिये मुरक्कित है। विद्यार्थियों को बहती हुई माँग को देखते हुये लेखक द्वितीय खण्ड को लिखने में बड़ी तत्परता से संगलन हैं। आशा है कि शीघ्र ही उमे पाठकों के सामने पेश किया जा सकेगा। प्रस्तुत हिन्दी संस्करण का पूर्ण स्पष्ट से पुनर्विलोकन करने का लेखक को अवसर नहीं मिला। इसलिये अनुवाद सम्बन्धी जो भी श्रुटियाँ रह गई हों उनके लिये मैं ही पूर्ण स्पष्ट से उत्तरदायी हूँ। यदि सहृदय और विज्ञ पाठक मुझे अथवा लेखक को उन श्रुटियों से अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो मैं उनका हृदय से छुतज़ हूँगा।

—गंगाप्रसाद गंग

विषय सूची

क्रमांक

पृष्ठ संख्या

अध्याय १. राजनीतिक विचार का स्वरूप :

१-१०

परिचयात्मक : १. राजनीतिक नितन का विषय : १. राजनीतिक चितन की कुछ समस्यायें : ३. राजनीतिक चितन तथा परिवेश : ६. यूरोपीय तथा अयूरोपीय राजनीतिक विचार : ७. विषय विभाग : ६.

अध्याय २. नगर राज्य का सिद्धान्त :

११-२३

परिचयात्मक : ११. यूनानी राजनीतिक विचार का क्षेत्र : १३. नगर राज्य : १५. यूनानी राजनीतिक विचार की विशेषतायें : १६. नगर राज्य तथा दास प्रथा : २१. ऐथन्स तथा स्पार्टा के राज्य : २२.

अध्याय ३. अफलातून के पूर्व का राजनीतिक विचार :

२४-३७

परिचयात्मक : २४. सोफिस्ट्स : २६. प्रकृति तथा अभिसमय : ३०. सुकरात : ३२. सुकरात का जीवन ध्येय : ३४. सुकरात का सिद्धान्त : ३५.

अध्याय ४. अफलातून—रिपब्लिक :

३८-८४

परिचयात्मक : ३८. अफलातून का जीवन : ३८. अफलातून के विचार का व्यवहारिक स्वरूप : ४१. अफलातून की पढ़ति : ४२. अफलातून के सम्बाद : ४३. रिपब्लिक का स्वरूप तथा उद्देश्य : ४३. न्याय तथा रिपब्लिक का अर्थ : ४७. सोफिस्ट्स का न्याय सिद्धान्त : ४८. म्लैकन के विचार : ५१. आदर्श राज्य की रचना : ५३. आदर्श राज्य में न्याय : ५६ अफलातून के न्याय सिद्धान्त की आलोचना : ५६. रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धान्त—परिचयात्मक : ६१. शिक्षा का स्वरूप तथा उद्देश्य : ६१. अफलातून की शिक्षा पढ़ति : ६२. शिक्षा का पाठ्य-क्रम : ६३. प्रारम्भिक शिक्षा : ६४. उच्च शिक्षा : ६५. आदर्श राज्य में शासन के सिद्धान्त : ६६. दार्शनिक राजाओं का शासन : ६७. दार्शनिक राजाओं की धारणा में मौलिक सत्य : ६६. रिपब्लिक में साम्यवाद का सिद्धान्त—परिचयात्मक : ७२. सम्पत्ति का साम्यवाद : ७२ अफलातूनी साम्यवाद तथा आधुनिक साम्यवाद : ७४. पत्तियों का साम्यवाद : ७६.

रिपब्लिक एक आदर्श के रूप में : ८१. राज्य का अधिकार तथा इसके भूषण रूप : ८२.	
अध्याय ५. अफलातून (कमश्वास) — स्टेट्समैन तथा लाज़ :	८५—८६
परिचयात्मक : ८५. रिपब्लिक से स्टेट्समैन पर : ८५. लॉज़ : ८७. लॉज़ में राज्य का सिद्धान्त ८७. कानून की आवश्यकता तथा उसका स्वभाव : ८८. लॉज़ तथा मिथित संविधान की धारणा : ९०. सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थायें : ९१. रिपब्लिक तथा लॉज़ की तुलना : ९३. अफलातून का प्रभाव . ९४	
अध्याय ६. अरस्तु—राजनीतिक आदर्श :	९७—१३७
परिचयात्मक : ९७. अरस्तु का जीवन : ९७ अरस्तु तथा अफलातून का सम्बन्ध : ९८. अरस्तु की पढ़ति : १०३. पॉलिटिक्स एक अपूर्ण कृति : १०४. राजनीति का नया विज्ञान : १०६ राज्य, उसका स्वरूप, जन्म तथा लक्ष्य १०७. राज्य भवोच्च समुदाय के रूप में : ११०. राज्य विभिन्न अगो वाला समूह ११०. राज्य का जैविक स्वरूप : १११. राज्य के कार्य १११. गार्हस्थ्य का स्वरूप : ११२. दास प्रथा का स्वरूप तथा उसका औचित्य ११३ मम्पत्ति का स्वरूप तथा प्रयोग . ११६. पलियो के साम्प्रदाद की अरस्तु द्वारा आलोचना : ११६. साविधानिक वासन बनाम निरकुश वासन : १२१. नागरिकता : १२३. संविधान का अर्थ : १२७. संविधानों का वर्गीकरण : १२८. शक्ति के लिए परस्पर विरोधी दावे : १२८. राजतन्त्र . १३३. सारांश : १३४. आदर्श जीवन : १३४. राज्य के आदर्श : १३५.	
अध्याय ७. अरस्तु (पिछला शेष) — राजनीतिक वास्तविकतायें :	१३८—१५३
परिचयात्मक : १३८. अरस्तु में नवीन प्रवृत्ति १३८. जनतन्त्री सिद्धान्त . १४०. जनतन्त्री सिद्धान्त १४०. मध्यवर्ग तन्त्र १४१. आतातायी तन्त्र : १४३. सरकार के अंग : १४३. क्रान्तियाँ : १४३. क्रान्तियों के कारण . १४५. क्रान्तियों के विरुद्ध अहतियात : १४६. अरस्तु में] यूनानी तथा विश्व-ध्यापक तत्व : १४८. अरस्तु का प्रभाव : १५८.	
अध्याय ८. राजनीतिक विचार—अरस्तु के बाद :	१५४—१६२
परिचयात्मक : १५४. नवीन प्रवृत्ति का आविभाव : १५५. नवीन प्रणालियो का सामान्य स्वरूप : १५७. ऐपीक्यूरियनिज्म : १५८. स्टोइसिज्म : १५८.	

अध्याय ६. रोमन राजनीतिक विचार :

१६३-१८०

परिचयात्मक : १६३. रोम का राजनीतिक जीवन १६४. यूनान का रोम पर प्रभाव : १६४. रोमन कानून का विकास : १६४. साम्राज्य की द्विग्रन्थाया में कानून का विकास १६७. रोम की कानून विषयक धारणा : १६८. राजनीतिक विचार को रोम की देन : १६९. पोलिवियस : १७२. सिसरो : १७४. सैनेका : १७५.

अध्याय १०. प्रारम्भिक ईसाइयत का प्रभाव :

१८१-२०७

परिचयात्मक : १८०. यूनान तथा रोम की देन १८०. ईसाइयत की देन : १८३. ईसाई चर्च का विकास : १८६. ईसाई धर्म की विजय के परिणाम : १८७. प्रारम्भिक ईसाई धर्म के राजनीतिक विचार : १८०. एक नई समस्या वा उत्पन्न होना : १८४. सत एम्ब्रोज़ : १८५. सन्त आँगस्टाइन उनका जीवन तथा समय : १८६. इतिहास का दर्शन : १८८. ईश्वरीय राज्य तथा सासारिक राज्य : १८९. न्याय तथा पान्ति के विषय में आँगस्टाइन के विचार : २०१. राज्य तथा सरकार के विषय में आँगस्टाइन के विचार : २०२. राज्य तथा चर्च : २०३. सन्त आँगस्टाइन का प्रभाव : २०४. प्रेगरी महान् : २०५. दों तलवारों का सिद्धान्त २०५.

अध्याय ११. मध्यकालीन राजनीतिक विचार की सामान्य पृष्ठभूमि :

२०८-२२८

परिचयात्मक : २०८. मध्य काल का आरम्भ : २०८. मध्य काल की मुख्य विशेषताये : २०९. पोप की शक्ति का विकास : २११. ट्यूटनो के राजनीतिक विचार : २१६. सामन्तवाद : २१७ पवित्र रोमन साम्राज्य : २२६.

अध्याय १२. मध्यकालीन राजनीतिक विचार—चर्च तथा राज्य के मध्य विवाद :

२२६-२५४

परिचयात्मक . २२६. सार्वभौमिकवाद . २३०. मध्यकालीन विचार की महत्वपूर्ण विशेषता : २३०. चर्च तथा राज्य में संघर्ष का युग : २३२. राज्य तथा चर्च का सम्बन्ध : राज्य की प्रभुता : २३६. चर्च की प्रभुता : २३६. राज्य की स्वाधीनता : २४५. १४वीं शताब्दी के विवाद : २४८.

अध्याय १३. कुछ मध्यकालीन विचारक :

२५५-२६६

परिचयात्मक : २५७. प्रेगरी मप्तम : २५५. जॉन आँफ सेलिस्वरी : २५८. सन्त टॉमस एक्वीनास : २५६. कानून के विषय

में टॉमस के विचार : २६४. शाश्वत कानून : २६६. प्राकृतिक कानून : २६६. दैविक कानून : २६७. मानवीय कानून : २६८. एजीडियस रोमेनस . २७१. दान्ते : २७५. जॉन आँफ ऐरिस : २८८. मार्सीलियो आँफ पेडुआ : २८५. विलियम आँफ ओकम : २८४.

अध्याय १४. मध्यकाल का अन्त कन्सीलियर आन्दोलन

२६८-३२१

परिचयात्मक : २६८. कन्सीलियर आन्दोलन : २६६. फूट : ३००. कन्सीलियर आन्दोलन के उद्देश्य : ३०२. कॉन्स्टेन्स की परिपद : ३०२. वेसल की परिपद तथा आन्दोलन की विफलता : ३०५. कन्सीलियर आन्दोलन का महत्व : ३०६. जॉन गर्सन : ३०७. निकोलस आँफ कूसा : ३०८. राजतन्त्र की मध्यकालीन धारणा : ३१५. कानून विषयक मध्यकालीन धारणा : ३१८. प्रतिनिधित्व की मध्यकालीन धारणा : ३१८. नैसिंगक नियम : ३१६.

विवितियोग्राफी

३२२

परिचयात्मक—समस्त जीवधारियों में केवल मानव को ही परमात्मा ने विचार शब्दित प्रदान की है जो उसे अपने उस बातावरण को जानने तथा समझने को अनु-प्रेरित करती है जिसमें वह जन्म लेता है, पलता है और जिसके द्वारा एक निश्चित सीमा तक उसके जीवन की रूपरेखा निर्धारित होती है। दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास सरीखे सामाजिक शास्त्र तथा जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र सरीखे प्राकृतिक विज्ञान मानव की उमी जिज्ञासा भावना की उपज तथा परिणाम हैं। जिस जगत में हम जन्मते हैं, रहते हैं, अपनी जीवन लीला रखते हैं, वह एक इकाई होते हुए भी वैषम्यपूर्ण है। उनमें एकरसता नहीं है, विविधता तथा विभिन्नता है। उनके अनेक स्वरूप हैं जिनमें भौतिक, जैविक तथा सामाजिक प्रमुख हैं। इनमें से प्रत्येक स्वरूप का हमें अध्ययन करना चाहिये; उसको समझना चाहिये; और ये आदि काल से ही न्यूनाधिक मात्रा में मानव चिन्तन का विषय रहे हैं। इस ब्रह्माण्ड के भौतिक पक्ष के विषय में जैसे ही हमारा ज्ञान विकसित हुआ और उसमें एक तारतम्यपूर्ण रूप धारण किया, भौतिक-शास्त्र तथा रसायन-शास्त्र जैसे प्राकृतिक शास्त्रों का जन्म हुआ। वनस्पति तथा जीव जगत की ओर मानव के आकृष्ट होने के फलस्वरूप वनस्पति तथा जीव विज्ञान का उदय हुआ। अपने सामाजिक बातावरण को समझने का प्रयत्न करने के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा आचार शास्त्र सरीखे सामाजिक शास्त्रों का अभ्युदय हुआ। अपने रचयिता को जानने, उससे अपने सम्बन्ध को समझने, अपने जीवन के अन्तिम लक्ष्य को पहचानने तथा परमानन्द को प्राप्त करने की मनुष्य की लालसा का परिणाम है धर्म और इसी प्रकार समस्त विश्व की एक सङ्ग्रिलाष्ट व्याख्या करने तथा उसमें मनुष्य का स्थान निर्धारित करने की इच्छा का फल है दर्शन शास्त्र।

राजनीतिक चिन्तन का विषय—राज्य तथा उसके समस्त संस्थान हमारे सामाजिक जगत का एक नितान्त महत्वपूर्ण अंग है। वे हमारे जीवन को भौतिक तथा जैविक दक्षिणयों की अपेक्षा कही अधिक प्रभावित करते हैं। इसीलिए मानव चिन्तन के दौराव काल में ही वे हमारे विचार का विषय रहे हैं। प्रत्येक ऐसी जाति ने जिसे सम्भव कहा जा सकता हो अपने एक स्वतन्त्र राजनीतिक-दर्शन का निर्माण किया है। प्रत्येक जाति ने प्रत्येक युग में राज्य, उसके लक्ष्य, कार्य, संघटन, संस्थान इत्यादि के विषय में

चिन्तन किया है तथा राज्य को अधिक कुशल और थेष्टर बनाने का प्रयास किया है। इसी कल्प-विकल्प को हम राजनीतिक चिन्तन कहते हैं। यह इतना ही पुराना है जितना कि स्वयं राज्य और राज्य उतना ही पुराना है जितना कि सेरबद्ध इतिहास। इस प्रकार राजनीतिक चिन्तन की प्राचीनता अमदिग्ध है।

जैसा कि हम इगत कर चुके हैं राजनीतिक चिन्तन का प्रधान विषय है राज्य, उसका स्वभाव, लक्ष्य, कार्य इत्यादि; किन्तु उसके क्षेत्र को राज्य तथा सरकार की समस्याओं के घेरे में ही सीमित करना भूल होगी। यह इन भव विषयों का अतिक्रमण करके कुछ आगे बढ़ता है। राज्य तथा मनुष्यों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में हम किसी भी बात को तब तक पूर्ण रूप से नहीं समझ सकने जब तक कि स्वयं मानव स्वभाव तथा मनुष्य और विश्व के सम्बन्ध का ज्ञान हमें प्राप्त न हो। इसीलिये यह सब कुछ भी राजनीतिक चिन्तन की परिधि में अप्रत्यक्ष किन्तु आवश्यक रूप से आ जाता है। आखिर मनुष्य ही तो समस्त सामाजिक शास्त्रों का केन्द्र-बिन्दु है। उसी के कल्पणा, उसी के जीवन को थेष्टर बनाने के लिए तो उन सब की अभ्युत्पत्ति हुई है; अतः मानव प्रकृति को जानना तथा विश्व में उसके उचित स्थान की मीमांसा करना राज्य सम्बन्धी चिन्तन की पहिली शर्त है। फिलिस डॉयल (Phyllis Doyle) की इस धारणा से हम पूर्णरूप से नहमत हैं कि राजनीतिक चिन्तन के मूलभूत तीन विषय हैं: “मनुष्य की प्रकृति तथा उसके कार्य; शेष विश्व से उसका सम्बन्ध जिसमें सम्पूर्ण जीवन का विवेचन स्वतः निहित है; उक्त दोनों बातों की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली मनुष्य की अपने सहजातियों से सम्बन्ध की समस्या। यह अन्तिम समस्या ही राजनीतिक दर्शन का, उसके परिमित रूप में, मुख्य विषय है और इसके अन्तर्गत राज्य की प्रकृति, उसका लक्ष्य तथा उसके कार्य समाविष्ट है।”

राजनीतिक चिन्तन का विस्तार कितना अधिक है इसका आभास हमें अफलानून, अरस्तु, सन्त टाँमस ऐक्वीनास, हीगल, ग्रीन तथा कार्त मार्क्स सारीजे विचारकों की कृतियों में मिल सकता है। राजनीतिक विचार को जीवन की विविध समस्याओं, जीवन के विविध पक्षों की माला में गूँहने वाले महात्मा गांधी तो हमारे ही देश में और हसारी आंखों के समक्ष ही एक ज्वलन्त उदाहरण रख गये हैं। राज्य की प्रकृति तथा मानव समाज में उसके स्थान के सम्बन्ध में गांधी जी के विचारों को हम पूर्ण रूप में तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम मानव की आध्यात्मिक प्रकृति, परमात्मा तथा विश्व से उसके सम्बन्ध तथा उसके अन्तिम लक्ष्य के विषय में उनकी धारणाओं को न समझ सकते हैं। मनुष्य, उसके जीवन लक्ष्य तथा उसके सामाजिक कार्य-कलाप में इतना गहरा और अदृष्ट सम्बन्ध है कि पहिले को जाने बिना दूसरे को हम नहीं समझ सकते हैं; ऐसा प्रयास करना ही निरर्थक होगा। प्रत्येक विचारक की राजनीतिक मान्यतायें उसकी दार्यनिक धारणाओं से प्रभावित होती हैं।

उपरोक्त कथन में हमें इस भ्रम में न पड़ना चाहिए कि दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र और आदि सभी कुछ राजनीतिक विचार के अक में लिपटा हुआ है। उसका केन्द्र-बिन्दु

तो राज्य ही है ; उसका प्रथम और अन्तिम ध्येय राज्य का चरित्र, उसके कार्य, उसका लक्ष्य, उसके विभिन्न रूपों की विवेचना करना है । हाँ, प्रासंगिक रूप से अन्य प्रश्न भी उठते हैं और एक राजनीतिक विचारक को उनका उत्तर देना होता है । राजनीतिक विचार की प्रकृति के विषय में अधिक विस्तृत रूप से विचार करने से पूर्व राज्य सम्बन्धी कुछ मुख्य समस्याओं का उल्लेख कर देना आवश्यक दिखाई देना है । किन्तु नीचे दी हुई समस्याओं के बाल उदाहरण रूप है, उनकी कोई पूर्ण तातिका देना प्रायः असम्भव है ।

राजनीतिक चिन्तन की कुछ समस्यायें—पादचात्य राजनीतिक विचार के आदि काल से ही जिस समस्या ने प्रधान रूप धारणा किया वह ही राज्य के स्वरूप । विभिन्न युगों में और एक ही युग में विभिन्न विचारकों ने इसके सम्बन्ध में विभिन्न तथा परस्पर विरोधी भत्त प्रकट किये हैं । अफलातून के पूर्वगामी सोफिक्ट्स (Sophists) के भत्तानुसार राज्य एक कृतिम व्यवस्था है जिसे मनुष्य ने एक ऐसे लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाया है जो स्वाभाविक व्यवस्था के विपरीत है । इनकी ऐसी विद्वांसक प्रवृत्तियों से कुपित होकर ही अफलातून ने उनके मिद्दान्तों पर करारा प्रहार किया । कुछ अधिक कांतिकारी सोफिक्ट्स तो यहाँ तक कहते थे कि अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों को अधीन बनाना तथा उनके ऊपर शासन प्रकृति का धर्म है । राज्य सबल का निर्बल पर शासन असम्भव बना देता है क्योंकि राज्य का लक्ष्य होता है वहृतमत की सेवा तथा रक्षा करना और वहृतमत होता है सदा निर्बल व्यक्तियों का । इसलिए राज्य प्रकृति के ही विरुद्ध है । (स्पष्ट है कि इस तर्क के अनुसार सोफिक्ट्स का कोपभाजन केवल एक आदर्श जनतानी राज्य है, शायद शक्ति और पशुबल उपासक आततायी राज्यों से उन्हें उत्तनी बिड न होती ।) उनका कहना है कि एक व्यक्ति को राजाज्ञा का पालन केवल उसी स्थिति में करना चाहिए जबकि वह ऐमा करने के लिए विकल्प हो, यदि हो सके तो उसकी अवहेलना ही करनी चाहिए । राज्य के सम्बन्ध में ये उद्गार अफलातून तथा अरस्तु की इस धारणा से विलकुल विपरीत है कि राज्य एक स्वाभाविक सघटन है क्योंकि मनुष्य की अन्तस्तम सामाजिक भावना से उद्भूत राज्य का स्वाभाविक विकास हुआ और राज्य में रह कर ही हम अपना सर्वोच्च विकास कर सकते हैं । राज्य की प्रकृति को अरस्तु ने अत्यन्त संक्षिप्त और सारागमित शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है—“राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ और जीवन को शुभ और मुख्य बनाने के लिए वह जीवित है ।” राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में अन्य कई धारणाएँ हैं । कुछ उसे दैविक मृष्टि समझ कर उसकी स्तुति करते हैं तो कुछ उसे आर्थिक रूप से सबलतर-वर्ग के हाथ में एक शोपण यन्त्र कह कर उसकी निन्दा करते हैं । प्रत्येक युग में और प्रत्येक देश में कुछ इने-गिने विचारक ऐसे भी हुए हैं और आज भी हैं जो राज्य को विलकुल अनावश्यक पाप समझते हैं, मानव जीवन के लिए उनका अपरिहाय होना तो दूर रहा । इन विचारकों, जिन्हें अराजकतावादी (Anarchists) कहा जाता है, के अनुमार तो भानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट विकास एक

राज्यहीन समाज में ही सम्भव है। इन परस्पर विरोधी और वैषम्यपूर्ण धारणाओं में किस में कितना सत्य है यह निर्णय करना सखल नहीं है। एक राजनीतिक चिन्तन का इतिहासकार तो इस प्रश्न के विभिन्न उत्तरों का दिग्दर्शन ही करा सकता है। ऐसा ही करने का प्रयास हम आगे चल कर करेंगे।

राज्य भनुप्यों का समूह मात्र नहीं है, यह उनकी तारम्यपूर्ण इकाई है? इस इकाई की एकता का मूल खोता कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है? राजनीतिक विचारकों के सामने यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। इमके भी विभिन्न उत्तर दिये गये हैं। कुछ के अनुसार यह एकता केवल यान्त्रिक है और कुछ के अनुसार वह जैविक (Organic) है। कुछ का विचार है कि इस ऐव्य का आधार स्वार्थ है और कुछ की धारणा है कि उसका खोत जनसमाज की सामान्य चेतना (General Will) है। इसी प्रकार अन्य बहुत मेर मन्तब्य हैं। राज्य का मूलभूत तत्व राजनीतिक संघटन है जिसकी विजेपता है शासक तथा शासित का विभेद। आदि कात मेर जब कि मनुष्य की तरफ़ा शवित अधिक समृद्धत नहीं थी और समाज अधिक जटिल नहीं था राजशक्ति के प्रति अन्तर्निहित श्रद्धा उसका सहज स्वभाव था। मनुष्य समाज स्वभावलया एक शाश्वक के सामने न तमस्तक हो जाता था। किन्तु जैसे-जैसे मनुष्य की विचार शवित बढ़ी और समाज का स्पष्ट जटिलतर होता गया, विश्वास का स्थान सन्देह ने और श्रद्धा का स्थान चुनौती ने ले लिया। वह पूछते लगा, “किसी व्यक्ति को और किस लिए अपने सहः जातियों पर शासन करने का अधिकार है? हम राजाज्ञा का पालन क्यों करे? शासन शक्ति का आधार क्या है? क्या एक सर्ववृद्धिमान अधिकार को शासन का अधिकार है, या कि एक अभिजात्य कुल के सम्मानित घटक का, या किसी धनपति कुवेर को अथवा अन्य, किसी प्रकार की विशिष्टता प्राप्त मानव को राजदण्ड ग्रहण करना चाहिये?” इत्यादि-इत्यादि प्रश्न तर्क-प्रधान मनुष्य के मस्तिष्क को उद्देलित करने लगे। इसी के साथ-साथ यह प्रश्न भी उठते हैं कि हम राजाज्ञा का पालन क्यों करे? क्या हमें राज्य की अवहेजना करने का भी अधिकार है? यदि है, तो किन परिस्थितियों में? इस प्रकार के प्रश्न विभिन्न युगों में उठते रहे हैं और उनके जो उत्तर मनीषियों ने दिये हैं राजनीतिक चिन्तन का वे एक महत्वपूर्ण भाग हैं।

इनमें भी अधिक मौलिक प्रश्न जो राज्य के बारे में सदैव उठता रहा है वह है:—राज्य का लक्ष्य क्या है? राज्य का जन्म क्यों हुआ और वह आज क्यों कायम है? उसका कार्यधेन क्या है? कुछ लोग राज्य को सर्वोत्कृष्ट मानव सम्भवते हैं जिसके द्वारा ही मानव समाज का सर्वोच्च कल्याण सम्भव है। उनकी भावना राज्य के सामने पूर्ण ममरण की है। इमके ठीक विपरीत अराजकतावादी राज्य को मानव मस्तिष्क पर एक घोर कलंक और मानव वक्ष-स्थल पर एक भारी भार ममभलते हैं जिसे जितनी जल्दी भी दिया जाय, हटा दिया जाये, उनना ही श्रेयस्कर है। इन विरोधी धुंओं के बीच में भी कुछ लोग खड़े हैं जो राज्य को बुरा मानते हुए भी उसे आवश्यक समझते हैं और इसके कार्यधेन को निनाल परिमित कर देना चाहते हैं। ये

सोग राज्य के तोकपालक रूप की तो अवहेलना करते हैं किन्तु तोकरक्षक के रूप में उसे अपरिहार्य समझते हैं।

राज्य के कार्यों की पूर्ति का यन्त्र है सरकार। सरकार का संगठन किस प्रकार का होना चाहिए? सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्याय-पालिका में परस्पर एक दूसरे से क्या सम्बन्ध होना चाहिए? सरकार की दक्षित केन्द्री-भूत होनी चाहिए या उसे विकेन्द्रित कर देना चाहिए? इत्यादि-इत्यादि प्रश्न सरकार के ढाँचे के विषय में उठते हैं। आज ये प्रश्न पहिने की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो उठे हैं।

राज्य की ध्येय पूर्ति तथा उसके कार्यपालन के लिए एक अन्य अनिवार्य स्थान है कानून (Law)। इसके विषय में भी विभिन्न प्रश्न उठते हैं। कानून का स्वभाव क्या है? क्या यह विशुद्ध और निरैप वुद्धि की अभिव्यञ्जना है या शासक की इच्छा की उद्घोषणा या जनता की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति? कानून, बनाने का अधिकार किसे है? राजसत्ता क्या है और उमका स्रोत कहा है? कानून, स्वतन्त्रता तथा व्यवित में क्या सम्बन्ध है? इस प्रकार कानून, राज्य तथा नागरिकों के अधिकार से उसके सम्बन्ध की विवेचना करने जब हम बैठते हैं तो बहुत सी सारपूर्ण धारणाएँ उत्पन्न होती हैं।

कानून के निकट और उससे सम्बद्ध विषय है नागरिकता के अधिकार एवं वर्तन्य। नागरिकता के अधिकार क्या हैं? उन्हें सुरक्षित रखने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, नागरिकता, सार्व-भौमिकता तथा कानून प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में राजनीतिक चिंतन का विषय रहे हैं।

राज्य की आन्तरिक समस्याओं के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में परस्पर सम्बन्ध की समस्याएँ भी खड़ी होती हैं क्योंकि संसार में अनेक राज्य हैं और वे न्यूनाधीक एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। इसी से ये प्रश्न उठते हैं कि उनमें उचित सम्बन्ध क्या होना चाहिए? उचित सम्बन्ध का आधार क्या है? राजनीतिक विचार के इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को विनियन्त्रित करने वाला अन्तर्राष्ट्रीय कानून कभी-कभी तो अत्यन्त महत्वपूर्ण हो उठता है। आज के युग में उसका महत्व राजनीतिक धारणाओं में सबसे अधिक है। आज तो मानवता का अस्तित्व ही एक शान्त, स्वस्थ और सहयोग-पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण पर निर्भर करता है।

यह कुछ उत्पन्नों और समस्याओं के नमूने हैं जो समय-समय पर एक राजनीतिक विचारक के सामने उठते रहे हैं। राजनीतिक चिन्तन के स्वरूप और स्वभाव की एक भाकी हमें केने के लिए ये पर्याप्त हैं। इस सूची को और लम्बा बनाना व्यर्थ है। इस प्रसंग मे हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। वह यह कि यद्यपि ये समस्त प्रश्न राजनीतिक दर्शन की प्रधान समस्याएँ हैं, किन्तु प्रत्येक विचारक ने इन सब पर विचार नहीं किया है। सब ने अपनी-अपनी व्यवितागत रुचि तथा परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट प्रश्नों पर विशिष्ट वल दिया है। कभी-कभी तो न केवल व्यक्ति विशेष

बल्कि युग विशेष तक एक विशिष्ट समस्या के समाधान में लगा रहा है और अन्य समस्याओं की ओर से वह पूर्ण रूप से उदासीन रहा है। फिलिस डॉयल के शब्दों में “कभी मानव स्वभाव जैसे कि पुनर्रथान युग (Renaissance) में; कभी धर्मशास्त्र, जैसे कि मध्यकाल में; या कभी राज्य की प्रकृति जैसे कि अफ़लातून के समय में यूनान में मानव विचार का सर्वोपरि केन्द्र विन्दु रहा है।” विभिन्न विचारकों की इस एकाग्री शृंचि तथा विभिन्न युगों के इस एकाग्री बल के कई कारण हैं।

राजनीतिक चितन तथा परिवेश (Environment)—सर्वप्रधान कारण यह है कि राजनीतिक चितन पर एक व्यक्ति और उम जाति के, जिसका कि वह एक घटक है, सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक अनुभूति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इनसे न केवल समस्याओं का रूप निर्धारित होता है बल्कि उनके समाधान भी उनमें निहित रहते हैं। राजनीतिक चितन शून्य में नहीं होता। वह ठोस सामाजिक, राजनीतिक, आधिक स्थितियों के रूप में रहा होता है। कालं मावर्स की विचारधारा स्पष्ट रूप से उसके उम कदु अनुभव का परिणाम है जो कि उसने औद्योगिक युग में पूजी-पतियों द्वारा निर्धन और निराश्रय यमिकों के शोषण के रूप में किया। यदि कुछ शताब्दी पूर्व या किसी औद्योगिक रूप से पिछड़े देश में मावर्स का जन्म हुआ तो निश्चित रूप से ही राज्य के सम्बन्ध में उसके विचार भिन्न होते। निरन्तर वर्ग-संघर्ष के भयानक परिणाम पर वह शायद न पहुंचता। इसी प्रकार भारतीय जीवन की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में ही गाधी जी का आविर्भाव सम्भव हो सका। यदि वह अमेरिका, जर्मनी, हम इत्यादि देश में उत्पन्न होते तो राजनीति में सत्य और अहिंसा का समावेश के भी न कर पाते। प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति और प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा है, उसका एक मन-स्थल होता है जिसका प्रतिविम्ब ही उसके प्रतिनिधि विचारकों और मनीषियों के विचारों में दिखाई पड़ता है। यहीं तो कारण है कि हम कभी विटिश रसायन-शास्त्र, विटिश जीव-शास्त्र, जर्मनी बनस्पतिशास्त्र की बात नहीं करते; किन्तु हम विटिश राजनीतिक दर्शन, जर्मन राजनीतिक दर्शन, यूनानी राजनीतिक दर्शन का उल्लेख अवश्य करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों ने, विभिन्न युगों में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की रचना की है क्योंकि उनकी सामाजिक और राजनीतिक अनुभूतियों में गहरा वैभिन्न रहा है। इसलिए किसी व्यक्ति अथवा युग विशेष की राजनीतिक धारा को उसके सामाजिक और राजनीतिक प्रसंग से स्वतन्त्र रख कर समझने का प्रयास निष्कर्ष होगा। एक विचारक के विचारों को भली प्रकार समझने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए यह जानना एकदम अपरिहार्य है कि उसका आविर्भाव कौन-सी परिस्थितियों में हुआ। इस वैभिन्न का दूसरा कारण भावात्मक है। विभिन्न विचारकों का बौद्धिक स्तर, अपने परिवेश को समझने तथा उसमें से सही परिणाम निकालने की शक्ति तथा व्यक्तिगत रूचि और दैशवावस्था में ग्रहण किए हुए संस्कार अलग-अलग होते हैं। एक निर्दक तथा एक गोवले अथवा एक गाधी और एक बोम में अन्तर

राजनीतिक विचार का स्वरूप

भावात्मक है, वस्तु-आत्मक नहीं। एक ही वस्तुस्थिति विभिन्न व्यक्तियों में वि..
तथा विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है।

सारांश यह है कि एक राजनीतिक विचारक जिन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है, जिन प्रश्नों के उत्तर खोजता है, वे उसके समकालीन परिवेश, वातावरण, परिस्थितियों और इतिहास की उपज होते हैं, स्वयं उसकी कल्पना नहीं। राजनीतिक चितन की रूपरेखा बहुत बड़ी हद तक वाह्य जगत की वस्तुस्थिति द्वारा निर्धारित होती है। किन्तु यह सिक्के का केवल एक पहलू है। हमें यह न भूलना चाहिए कि एक मानव के लिए उसकी जाति, धर्म, सम्प्रदाय इत्यादि से भी बढ़कर मानवता है। मनुष्य के रूप में समस्त मनुष्यों में बहुत बड़ी सामान्यता है और उसके हितों एवं आवश्यकताओं में एक ऐसा सम्मय है जो देश, काल का अतिक्रमण करता है। यही कारण है कि कभी-कभी बहुत से विचारकों की धारसंगाओं में उनके देश, काल और परिस्थितियों में अन्तर होते हुए भी, एक सार्वभौमिक एवं स्थिरीय तत्व होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक विचारक जहाँ अपने सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश में अच्छादित होने के कारण उसकी विचारधारा उसके द्वारा सीमित और निर्धारित होती है वहाँ उसमें उन सीमाओं को लांघ कर नित्य सत्य को देखने की भी शक्ति है। अफनातून की 'रिपब्लिक' (Republic) और अस्तु की 'पॉलिटिक्स' (Politics) में बहुत कुछ ऐसा है जो निरा यूनानी और हैलिनिक (Hellenic) है, अर्थात् जिसका महत्व केवल देशीय है; किन्तु इसके साथ ही साथ उनमें कुछ ऐसे महान् और अमर सिद्धान्तों की उद्भावना हुई जिनका महत्व सार्वकालिक और सार्वदेशीय है। २३०० वर्ष पहले उनका जो मूल्य या वह आर्जनी है। इसीलिए तो हम आज उनका अध्ययन करते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं। इसी प्रेक्षण महात्मा गांधी मानवता को एक अमर सन्देश दे गए हैं यद्यपि उनके विचारों की उद्भावना स्वतन्त्रता संग्राम के प्रसंग में हुई और भारतीय विचार तथा प्रवृत्ति का उन पर गहरा प्रभाव है। राजनीतिक विचार के प्रत्येक विद्यार्थी को राजनीतिक विचारकों के विचारों में शाश्वत को क्षणभंगुर से अलग करने का प्रयास करना चाहिए तभी वे उनका उचित मूल्यांकन कर सकेंगे।

पूरोपीय तथा अपूरोपीय राजनीतिक विचार- यदि प्रत्येक देश में समय-समय पर अपने निजी अलग-अलग राजनीतिक विचारों की उद्भावना की है, तो हम इस विषय के अध्ययन का आरम्भ प्राचीन यूनानी विचार से ही क्यों करते हैं और प्राचीन भारत, मिथ्र, चीन, वेदीलोन, ईरान, सीरिया इत्यादि की चिन्तन परम्परा में अधिक रुचि क्यों नहीं लेते? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आखिर दह सब महान् और प्राचीन जातियां राजनीतिक रूप से दीवालिया तो नहीं थी और राजनीतिक विचार का श्रीगणेश यूनान में तो नहीं हुआ। इन जातियों की सम्यताओं का अन्वेषण करने से पता चला है कि सिद्धान्त और घटवहार में उन्होंने ऐसे विचारों की उद्भावना की जो आगे चलकर यूरोप वालों के मस्तिष्क में भी आए। दूर न जाकर यदि हम अपने

देश का ही उदाहरण लें तो हम निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं कि रामायण, महाभारत, शुक्रनीति में ऐसे राजनीतिक विचार पाए जाते हैं जो श्रेष्ठतम् यूरोपीय राजनीतिक चितन से किसी भी दशा में पीछे नहीं। विनय कुमार सरकार के कथन के अनुसार “भारत में भी ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं जिनकी पेरोक्लीज, सीजर, जस्टीनियन, दार्लिमिन तथा फेर्डिनेंट वैरवैरोमां के साथ आसानी से तुलना की जा सकती है और जो अपने गुणों के बल पर अपने यूरोपीय समकक्षों को चुनौती दे सकते हैं।”* कुछ लेखकों की यह धारणा कि ये प्राचीन सम्यतायें अराजनीतिक थीं एकदम निराधार हैं और अज्ञान की सूचक हैं।

इन प्राचीन जातियों के राजनीतिक चिन्तन की यूरोपीय लेखकों द्वारा अवहेलना करने के दो कारण हो सकते हैं। प्रथम, इनके विचार यूरोपीय सम्यता के इस प्रकार अग कभी नहीं बने जैसा कि यूनान के। यदि हम पश्चिम की राजनीतिक चितना का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होंगा कि उसमें भारत, मिश्र, चीन, ईरान, बेबीलोन की देन नगण्य है। इसके विपरीत इस विषय में यूरोप यूनान का बहुत अधिक अहरणी है; यूरोपीय राजनीतिक विचार पर प्राचीन यूनान की गहरी और स्पष्ट छाप है। दूसरे, इन देशों द्वी, विशेषकर भारत की, राजनीतिक विचार साधना को स्वतन्त्र रूप से लेखबद्ध नहीं किया गया, जैसा कि यूनानवालों ने किया। उनकी राजनीतिक धारणायें उनके मध्यूरों माहित्य का ही एक अविच्छेद अंग है जो मुख्यतया धार्मिक और नैतिक है। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति राजनीतिक ग्रन्थ नहीं, बल्कि धर्मजास्त्र हैं। भारत में राजनीतिक विचारों का ऐसा पृथक्करण नहीं हुआ जैसा कि प्राचीन यूनान में किया गया। किन्तु कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा उसमें कनिष्ठ विचार प्रणालियों का जो उल्लेख है उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चितन धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचार से स्वतन्त्र भी अध्ययन का विभिन्न विषय रहा है। किन्तु बहुत मा प्राचीन साहित्य नष्ट हो गया है। यह बात बहुत बड़ी हृद तक सत्य है कि प्राचीन भारतीयों की सरकार तथा शासन कला सम्बन्धी धारणाओं को जानने के लिए हमें एक बृहदाकार माहित्य को छानना पड़ेगा जिसका राजनीति से कोई मम्बन्ध नहीं है। भारतीय राजनीतिक चितन की यह विशेषता गाधी जी को विवार-धारा में भी स्पष्ट है। महात्मा गाधी ने राजनीतिक विचारों को कभी एक क्रमबद्ध ग्रन्थ के रूप में समझी नहीं किया, वे उनके विभिन्न भापणों तथा लेखों में यथा-तथा विभिन्न रूप से मिलते हैं। उनमें ममार की बढ़ती रुचि इसलिये है क्योंकि भारत के आधुनिक घटनाचक्र पर उनकी गहरी छाप पड़ी और उन्होंने राजनीति में एक नई प्रक्रिया और कार्यपद्धति का आविष्कार किया और उसे निर्देश पूर्णता प्रदान की।

प्रस्तुते पुस्तक केवल यूरोपीय राजनीतिक विचार तक ही सीमित है। इसमें प्रारम्भिक यूनानियों के राजनीतिक वल्प-विकल्प में लेकर मध्यकाल, जिसे एक हृष्टि से

* “The Hindu Pericleses, Caesars, Justinians, Charlemagnes and Frederic Barbarossas could easily challenge comparison with their Western peers on their own terms.”

अराजनीतिक कहा जा सकता है, तथा आज तक के राजनीतिक विचारों का दिग्दर्शन कराया जायगा। प्रत्येक विचारक का स्वतन्त्र रूप से अध्ययन करना अथवा विभिन्न सिद्धान्तों पर तकसील के साथ विचार करना तो पुस्तक के आकार वो हटि में रखते हुये असम्भव है। हम केवल कुछ प्रमुख विचारकों और राजनीतिक चितन को उनमें से प्रत्येक की देन का अध्ययन करने का यहाँ प्रयास करेंगे।

राजनीतिक चितन के विकास से हमारा तात्पर्य है? इस प्रसंग में विकास का अर्थ सरल से जटिल में बदल जाना नहीं है जो कि स्पेन्सर के अनुमार जीव जगत की एक प्रमुख विशेषता है। और न ही इसका अर्थ उस प्रकार की प्रगति से है जो गणित रसायन, भौतिक इत्यादि शास्त्रों में होती रही है। यद्यपि राजनीतिक विचार से सम्बन्धित सभी समस्याये प्रत्येक युग में नहीं उठी हैं और न प्रत्येक विचारक ने उन सबका अध्ययन किया है; विभिन्न रूप में, विभिन्न परिस्थितियों में उठती रही हैं और उनके सम्बन्ध में विभिन्न मान्यतायें स्थापित हुई हैं, तथापि तात्त्विक रूप से वे एक ही रहती हैं और उनके उत्तरों में सामान्य तत्व रहता है, तकसील की वाती में भले ही कुछ अन्तर रहता हो। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि एक विचार विशेष एक युग विशेष में प्रधान रहता है, फिर कुछ शाताव्यियों के लिए बिल्कुल गायब हो जाता है, किन्तु अनुकूल वातावरण पाकर वह फिर से प्रस्फुटित हो उठता है। उसके पुनर्जीवित होने पर उस पर अधिक गहराई से और विस्तारपूर्वक विचार होता है। राजनीतिक विचार के विकास का अभिप्राय यह है।

विषय विभाग पाइचात्य अथवा यूरोपीय राजनीतिक चितन को प्राय तीन युगों—प्राचीन, मध्य, तथा अवधीन—में विभाजित करने की परम्परा है। इनमें से प्रत्येक युग की अपनी-अपनी विशेषतायें हैं। प्राचीन राजनीतिक चितन का केन्द्रांचिन्दु था नगर राज्य। नगर राज्य के आदर्श ही उस समय प्रतिष्ठित थे। उस युग के सबसे महान् विचारक अफनातून तथा उसका शिष्य अरस्तु नगर राज्य को सामाजिक और राजनीतिक संघटन का सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण रूप समझते थे। इस युग में राजनीतिक चितन का चरित्र आचार प्रधान था क्योंकि नगर राज्य प्रधान रूप से एक नैतिक समाज होता था। नगर राज्यों के लोप हो जाते ही इस युग का भी अन्त हो गया और यह स्वाभाविक ही था। रोमन साम्राज्य के उत्थान एवं आगे चलकर ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। मध्य युग की प्रधान तान थी सार्वभौमिकवाद (Universalism)। समस्त मानव प्रारुदी एक विश्वव्यापी समाज के घटक थे और उस समाज के दो प्रधान थे—एक रोमन सभासाट, दूसरा पोप। मध्य युग की मुख्य समस्या थी राज्य तथा चर्च में निश्चित सम्बन्ध निर्धारित करना। इस प्रकार मध्यकालीन राजनीतिक चितन का चरित्र प्राचीन काल के राजनीतिक विचार से बहुत भिन्न था; इसका केन्द्र-विन्दु आचार शास्त्र न होकर धर्म था।

पुनर्जीवन (Renaissance) तथा सुधार (Reformation) ने मध्यकालीन यूरोप को अवधीन रूप दिया। मध्य काल का लाडला विश्वव्यापी समाज समाप्त हो

गया ; उसका स्थान राष्ट्र राज्य ने ले लिया जिसका उस समय शानैः शानैः प्रादुर्भाव हो रहा था । राष्ट्र राज्य का चरित्र ही आज राजनीतिक विचार के चरित्र और इंप्रेसन को निर्धारित करता है । आधुनिक युग में हॉब्स, लॉक, हसों तथा मावर्सं सरीखे लेखकों के सामने जो समस्यायें आई हैं वे उनसे कहीं भिन्न हैं जो प्राचीन काल में अफनातून और अरस्तु तथा मध्यकाल में सन्त टोमस ऐक्वीनास (St. Thomas Aquinas) तथा दांते (Dante) सरीखे विचारकों के सामने थी । वैज्ञानिक उन्नति तथा तद्विज्ञित उद्योगवाद ने नई शक्तियों को जन्म दिया है, नई समस्याओं को उत्पन्न किया है । मानव जीवन तथा समाज का आर्थिक पहलू जिसकी प्राचीन तथा मध्य काल में अवहेलना की गई वह आज कितना महत्वपूर्ण तथा प्रधान हो उठा है । जब से आद्योगिक क्रांति हुई है और यांत्रिक विकास हुआ है राजनीतिक चितन पर आर्थिक धारणाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है । आने वाले पृष्ठों में हम प्रथम दो युगों अवधि प्राचीन और मध्य काल के प्रमुख विचारकों के विचारों और चितन का विवरण देने तथा विश्लेषण करने का प्रयास करेगे । आधुनिक युग एक अलग पुस्तक के लिए

नगर राज्य का सिद्धान्त

परिचयात्मक—बार्कर (Barker) के 'ग्रीक पोलिटिकल थोरी' नामक ग्रंथ का आदि वाक्य यह है :—“राजनीतिक चित्तन के जन्मदाता यूनानी है। इसका मूल स्रोत यूनानी मस्तिष्क का शांति एव स्पष्ट बुद्धिवाद है।”* एक हृष्टिकोण से यह कथन सत्य है ; किन्तु दूसरे हृष्टिकोण से यह निराधार है। यदि इसका अर्थ यह है कि यूनानियों से पहले जितनी भी सम्भालाये हुई है वे सब राजनीतिक हृष्टिकोण से बजर थी और प्राचीन भारत, मिश्र, ईरान, चीन, वेबीलोन इत्यादि के निवासियों में कोई राजनीतिक चेतना न थी, सरकार और राज्य के सम्बन्ध में उनकी कोई धारणाये न थी, तो उबल कथन हमें अस्वीकार है ; उसमें कोई सार नहीं है। यदि यह सत्य है कि राज्य एक सर्वव्यापी, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सामाजिक संस्था है और जहाँ भी मानव जीवन है वहाँ किसी न किसी प्रकार शासन यन्त्र विकसित हो जाता तो फिर हम कैसे विश्वास करें कि कोई जाति, विशेषकर एक सभ्य और सुसङ्घृत जाति, बहुत दिन बिना ही किसी राजनीतिक विचार को प्रस्फुटित किये हुए, जीवित रह सकी है ; इतिहासकारों तथा प्राचीन भारत, चीन, मिश्र, ईरान तथा वेबीलोन के निवासियों ने न केवल राजनीतिक संस्थाओं की सृष्टि की थी बल्कि उन्होंने राजनीतिक समस्याओं के ऊपर भी विचार भी किया, कुछ परिणाम निकाले, कुछ धारणाये निर्दिष्ट की। मैंकों के सुन्दर तथा मार्गभित शब्दों में, “हजारों वर्ष पुरानी सम्भालाओं का हमारा ज्ञान हमें यह बताता है कि इन लुप्त युगों की जातियों का राजनीतिक चित्तन कितना सम्पन्न है। विचार और व्यवहार, दोनों ही बातों में उन्होंने यूरोपीय विचारों की पूर्व धोपणा की, उनके ममकक्ष विचारों की सृष्टि की और एक भीमा तक तो कुछ में से विचारों का शिलान्यास किया जो आगे चलकर यूरोपीय राजनीतिक चेतना में छुल मिल गये।”†

* “Political thought begins with the Greeks. Its origin is connected with the calm and clear rationalism of the Greek mind.”

† “The closer and fuller acquaintance with the civilization of remote millenniums which we now enjoy reveals an astonishing abundance of *polis* and ideas among the peoples of those vanished eras, and shows that both in thought and practice they anticipated, paralleled, and to some extent laid foundations for ideas which subsequently appeared in European political consciousness. It was in those ancient political systems that the human mind first came to

परन्तु यदि वाकंर के उक्त व्ययन का अर्थ यह निया जाये कि यूनानियों की पूर्वगामी भभ्य जानियो ने राजनीतिक विचार की कोई निपमवद्ध प्रीर वैज्ञानिक उद्भावना नहीं की तो उम्मी सत्यता में कोई मन्देह नहीं किया जा सकता। नि.मन्देह अफलातून और अरस्तु द्वारा किये हुए क्रमवद्ध तथा व्यवरित राजनीतिक चितन का जोड़ उनमें प्राचीन जातियों में आगामी में नहीं पाया जा सकता। और यदि उन्होंने ऐसे ग्रंथों को जन्म दिया भी हो जिनकी तुलना अफलातून की 'पिटिलक' और अरस्तु की 'पॉलिटिक्स' से की जा सके तो वे ग्रंथों जा चुके हैं और हमारे निए प्रप्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन यूरोपीय जातियों की राजनीतिक साधना उम्मी पूरोपीय परम्परा का अंग कभी नहीं बनी जिसे आज के समार ने अपनाया हुआ है। वर्तमान राजनीतिक विचारधारा को समझने के लिए प्राचीन भारत, मिश्र, चीन दत्यादि देशों के विचारों को जानना अधिक आवश्यक नहीं। एक क्रमवद्ध राजनीतिक दर्शन का सूत्रपात करने वाले यूनानी हो या न हो यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं, किन्तु इसमें कोई मन्देह नहीं कि हमारे आज के चितन के मूल में प्राचीन यूनानी विचार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हजारों वर्ष प्राचीन यूनानियों की धारणायें और मान्यतायें आज भी कितनी नवीन और प्रभावशाली हैं। यूनानी राज्य दर्शन का बुद्ध ज्ञान प्राप्त किये विना राजनीतिक चितन के क्षेत्र में हम अधिक नहीं बढ़ सकते। मेयर (Mayer) के जोरदार शब्दों में, "जीवन के प्रति यूरोप का जो टप्टिकोए है, उसे समझने का जो प्रयास है उम्मी समस्त भूमिकायें आदि काल से ही यूनानियों द्वारा स्थायी रूप से निर्मित हुई हैं। जब तक भी यूरोप ऐतिहासिक जगत को जानने का प्रयत्न करता रहेगा तब तक यूनानी विचार और धारणायें उसके लिए अपरिहार्य रहेंगे उनके विना वह ज्ञान संभव ही नहीं है।"

आखिर आदि काल की अन्य जातियाँ, जिन्होंने एक उच्च स्तर की सम्यता और संस्कृति प्राप्त की, एक क्रमवद्ध राजनीतिक विचार की उद्भावना करने में क्यों विफल रही और प्राचीन यूनान एक स्वतंत्र राजनीति दर्शन और विज्ञान को जन्म देने में कैसे सफल हुआ? यह एक मनोरंजक प्रश्न है। इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि हमारे प्रस्तुत प्रसंग से बाहर है। केवल इतना कहा जा सकता है कि प्राचीन यूनान तथा अन्य प्राचीन देशों के राष्ट्रीय चरित्र तथा राजव्यवस्था का अन्तर ही इस घटना के लिए प्रधान रूप से उत्तरदायी है। प्राचीन यूनान की जीवन-

grips with the problems of government and first attempted to formulate ideas to account for the phenomena of politics and to systematise the exercise of political authority" — Maxey *Political Philosophies*, page 8.

* "The categories of European thought and approach to the understanding of life have been permanently moulded by the Greeks from the very to know the makes this

के प्रति हृष्टि धर्म-निरपेक्ष और लौकिक रही, उसको बुद्धि तर्कप्रधान रही और वहाँ छोटे-छोटे नगर राज्य उत्पन्न हुए जिनमें राजनीतिक जीवन की तीव्रता थी। ये सब बातें यूनान वालों के राजनीतिक चित्तग को एक कम तथा वैज्ञानिक रूप देने में सहायक हुईं। इसके विपरीत प्राचीन भारत, चीन इत्यादि देशों के निवासी पारतौकिक प्रनिधियों को मुन्नभाने में इतने निमग्न रहे कि राजनीति जैसा सासारिक विषय उनकी बुद्धि को पूर्ण रूप से न रामा सका। इसके अतिरिक्त इनमें बड़े-बड़े और विस्तृत राज्यों की स्थापना हुई जिनमें माधारण जनता का राजनीतिक जीवन से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहा और न विभिन्न शासन प्रणालियों का अनुभव ही उन्हें हो सका। परन्तु प्राचीन यूनान में छोटे-छोटे और अगणित नगर राज्य और उनमें विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के स्थापित होने तथा उनमें द्रुतगति में परिवर्तन होने से राजनीतिक चित्तन को सम्बल मिला और राजनीतिक चिन्तन को मिली अतुल विचार सामग्री। इस घटना में योग देने वाले विविध साधनों को प्रोफेसर बॉले (Bowle) ने इन शब्दों में व्यक्त किया है :—“राजनीतिक चिन्तन के विकास में यूनानी नगर राज्य का प्रादुर्भाव एक आधारभूत महत्व रखता है। निकट पूर्वी साम्राज्य की भारी दिनचर्या, मिथ्र और मेसोपोटामिया की नौकरशाही, ‘ओल्ड टेस्टामेंट’ के लौह युग के आतताइयों का बुद्धिहीन अनुत्तरदायित्व नष्ट हुआ और एक नई वस्तु का उद्भाव हुआ। कल्पनापूर्ण बुद्धि की स्वतन्त्र क्रीड़ा, सूक्ष्मतम भावों को व्यजित करने वाले विचारों तथा शब्दों का निर्माण, यूनानी आदर्शों का एक उद्देश्य तारतम्य—ये सब वाले राजनीतिक चित्तन के जगत में एक महान तम प्रगति की सूचना देती है।”*

यूनानी राजनीतिक विचार का क्षेत्र—यूनानी विचारकों का प्रधान आकर्षण-विन्दु राज्य की प्रकृति तथा मनुष्य रहा जो तत्वतः एक सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणी है। राज्य और चर्च का परस्पर सम्बन्ध क्या है? औद्योगिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? इत्यादि-इत्यादि प्रश्नों पर, जो कि आगे वाले विचारकों का अध्ययन केन्द्र बने, उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। अन्य विषयों की भाँति इस विषय की भी उन्होंने वैज्ञानिक गवेषणा की। वैज्ञानिक हृष्टिकोण का अर्थ है खुली और निलिप्त बुद्धि से काम लेना तथा तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए सामान्यताओं का निर्माण करना।

* “For the development of political thought the emergence of the Greek City State is of cardinal importance. The heavy routine of Near Eastern Empire, the bureaucracy of Egypt and Mesopotamia, the reckless irresponsibility of the iron-age tyrants of the Old Testament, give place to something new. The free play of speculative intelligence, the brilliant formulation of vocabulary of thoughts in a language expressive of the subtlest shades of meaning, the purposive coherence of Greek ideals—all these things mark the greatest step forward that political speculation has ever made.”

—John Bowle : *Western Political Thought*, page 42.

मनुष्य की मौलिक सामाजिक प्रकृति को सबसे पहिले यूनानियों ने अनुभूति की और उसके ऊपर समुचित बल दिया। सुविष्वात् मूत्र कि 'मनुष्य राजनीतिक प्राणी है' यूनानियों द्वारा ही रखा गया था। इसी भूत्य को यह कह कर भी अभिव्यक्त किया जाता है कि 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' अर्थात् सामाजिक रांघटन से अलग और स्वतन्त्र मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मनुष्य अपनी मानवता का विकास केवल समाज में रहकर ही कर सकता है। समाज का सदस्य रहकर ही वह जीवित रह सकता है, कार्य कर सकता है तथा अपना विकास कर सकता है। समाज में ही वह जून्म लेता है, समाज ही उसका पालन-पोषण करता है, समाज ही वह मामग्री तथा परिस्थितिया जुटाना है जो उसके विकास के लिए परमावश्यक हैं। 'मनुष्य राजनीतिक प्राणी है' यह यूनानी विचारकों की खोज है, चित्तन धारा और राजनीतिक विचार के लिए उनकी प्रमुख देन है।

क्योंकि राज्य के दिना मनुष्य का पूर्ण विकास नहीं हो सकता इसलिए यूनानी विचारकों ने राज्य को अपने अध्ययन तथा विचार का केन्द्र बनाया। उन्होंने राज्य के मूल, लक्ष्य तथा उद्देश्य के ऊपर गहरा विचार किया है। अपने विकास, परिवर्तन और परिवर्धन की प्रक्रिया में राज्य ने जो विविध रूप धारणा किए यूनानियों ने उनमें एक दूसरे में विभेद स्पष्ट किया और उनका नामकरण किया। एकतन्त्र (Monarchy) कुलीनतन्त्र (Aristocracy), भ्रष्टतन्त्र (Oligarchy), जनतन्त्र (Democracy) तथा आततायीतन्त्र (Tyranny) सज्जाये हमें यूनानियों ने ही प्रदान की हैं। वे इस तथ्य से भली-भांति परिचित थे और इसे एक महत्वपूर्ण बात समझते थे कि सरकार का रूप परिवर्तन होता रहता है। उन्होंने इस परिवर्तन क्रम तथा उसे नियमित करने वाले कानूनों को जानने का प्रयत्न किया। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की समस्या में भी उन्हे काफी अनुराग था और उन्होंने यह देखने का प्रयत्न किया कि राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतन्त्रता में व्या सम्बन्ध है और पूर्वोक्त उत्तरोक्त को कहा तक सीमित करनी और उसके ऊपर प्रतिवन्ध लगाती है। शिक्षा को वे अत्यन्त महत्व देते थे; राज्य तथा शिक्षा के परस्पर सम्बन्ध की उन्होंने विवेचना की। राजसत्ता का आधार क्या है और हमें राजाज्ञा का पालन करो करना चाहिए? इस आधारभूत प्रश्न पर उन्होंने गहरा विचार किया और उन समस्त आधारों का विश्लेषण किया जिनके ऊपर विभिन्न सामाजिक-वर्ग राजसत्ता पर अपना दावा जताते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ प्रकार की सरकार अधिक टिकाऊ होती है और कुछ कम। उन्होंने सरकार की अस्थिरता के कारणों को जानने का प्रयास किया तथा उन्हे दूर करने के मुझाव देश किए। इनमें से अधिकतर समस्याये नित्य और शाश्वत हैं तभी तो यूनानियों का राज्य दर्शन हमें आज भी आकृष्ट करता है और हमारे अध्ययन तथा सम्मान का पात्र बना हुआ है।

इन तथा अन्य कठिन प्रश्नों का जो समाधान यूनानी विचारकों ने किया है उग पर नगर-राज्य के स्वरूप का बहुत प्रभाव 'पड़ा योकि नगर-राज्य ही उनके

चिन्तन की पृष्ठभूमि थी और उसी से उन्हें अपनी अध्ययन सामग्री प्राप्त हुई थी। यूनानी राजनीतिक विचार को समुचित रूप से समझने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए नगर-राज्य तथा उसके निवासियों की जीवन पद्धति का कुछ ज्ञान अपरिहार्य है। अतः इसके विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक न होगा।

नगर-राज्य—उपरोक्त तथा ऐसे ही बहुत से अन्य प्रश्नों का जो समाधान यूनानियों ने किया है उसका पृष्ठभूमि प्राचीन यूनान के नगर-राज्य है। नगर-राज्य के परिवेदा की गहरी द्याप यूनानियों के चिन्तन पर पड़ी है। इसनिए नगर-राज्य के चरित्र और स्वरूप को समझे विना हम प्राचीन यूनानी विचार को पूरण हैण नहीं समझ पायेंगे। नगर-राज्य का अर्थ और महत्व समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम नगर और राज्य शब्दों को आधुनिक अर्थ में न ले। आज की शब्दावली में हो प्राचीन नगर-राज्य को न हम नगर ही कह सकते हैं और न राज्य ही।

बम्बई, कलकत्ता या दिल्ली सरीखा आधुनिक नगर एक बृहद नरसमूह है जो मुख्यतया आधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघटित हुआ है। इसके निवासियों का कोई सामान्य (Corporate) जीवन नहीं है, न उनका कोई सामान्य उद्देश्य है; हम उन्हें एक जाति नहीं कह सकते। एक ग्राम के सहश एक नगर की अपनी एक विशिष्ट आत्मा नहीं होती। नगर एक भौगोलिक इकाई है, सामाजिक इकाई नहीं। एक नगर निवासी की अपने नगर के अन्य सभी निवासियों को जानने की बात तो दूर रही, ऐसा तो आजकल प्रत्यक्ष रूप से असम्भव है, एक मौहल्ले और गली के लोग भी एक दूसरे से भली प्रकार परिचित नहीं होते। आधुनिक नगर में कभी तो एक व्यक्ति अपने घर से तीसरे घर में रहने वाले को भी नहीं जानता। इसमें विपरीत यूनानी नगर राज्य एक सामाजिक इकाई (Community of men) था, उसका एक सामान्य लक्ष्य और जीवन था। वहा के निवासी एक दूसरे के सामाजिक जीवन में भागीदार थे; उनमें एक प्रकार का सौहार्द था। उसे यदि हम एक सामाजिक बलव कहे तो अनुचित न होगा। आज की सामाजिक बलबों में तो वर्ग-भेद भी देखने में प्राप्ता है, किन्तु यूनानी नगर-राज्य में सभी सामाजिक वर्ग पूर्ण भाग लेते थे। वार्कर के शब्दों में “यह एक सामान्य जीवन का स्थान था। यह विभिन्न वर्गों का संघ था। इसकी चारदीवारी के अन्तर्गत मनुष्य एक सामान्य तथा स्वाभाविक जीवन में गुणे हुए थे। धन, कुल तथा संसृति के विशेष मम्मान चाहे इसने समाप्त न किया हो; किन्तु समस्त वर्गों में परस्पर एक सरल व्यवहार की इसने अवश्य स्थापना की।”^०

प्राचीन यूनान के नगर-राज्य की यदि हम एक विद्यालय से तुलना करे तो उसके वास्तविक चरित्र पर कुछ प्रकाश पड़ सकेगा। जिस प्रकार कि एक शिधरण

* “It was the place of a common life and the home of a union of classes. Life within common walls drew men together in a natural intimacy. If it did not abolish the prestige of wealth and birth and culture, it established a tradition of easy intercourse between all classes.”

जीवन निहित था ; राज्य के बाहर तो वहां नागरिक की कल्पना नहीं की जा सकती थी । प्राचीन यूनानियों के लिए जीवन की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक तथा आधिक पहलू न केवल अन्योन्याधित थे, बरन् एक दूसरे के अनुरूप थे । इसलिए सरकार का कार्यक्षेत्र असीम और अपरिमित था ; समस्त सामाजिक जीवन उसकी परिधि के अन्तर्गत आता था । इस घटना के कारण है । एक तो यह कि प्राचीन यूनान में व्यक्तिगत गृह-जीवन वा वह महत्व नहीं था जो आज है । दूसरा यह कि वहां धर्म एक नार्वंजनिक कर्तव्य था, धार्मिक उत्तम नागरिक स्तर पर मनाये जाते थे ; धर्म राज्य से अलग ऊपर कोई शक्ति न थी । धर्म व्यक्ति को आत्मा का ही विषय न था वह राज्य का एक अभिन्न अंग था । जीवन और राजनीति में जो धनिष्ठता वहां थी उसका अनुभव हम आज नहीं कर सकते । राज्य का महाकाय आकार और मानव जीवन की बढ़ती हुई जटिलता और विविधता तथा यन्त्र के विकास से उत्पन्न हुई समस्यायें ऐसा होना असम्भव बनाती हैं । सेबाइन (Sabine) के शब्दों में, आधुनिक राज्य अपेक्षाकृत इतने बड़े, इतने अव्यक्तिगत हैं कि आधुनिक जीवन में वे वह स्थान कदाचि प्रहरण नहीं कर सकते जो प्राचीन यूनान के जीवन में एक नगर-राज्य को प्राप्त था ।

मारांश यह कि प्राचीन नगर-राज्य और समाज एक दूसरे के सर्वथा अनुरूप थे । अरस्तु के इस कथन का कि 'मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है' यह भी अभिप्राय था कि 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' । राज्य और चर्च, राज्य और समाज, राज्य और सरकार तथा समाज और सरकार में जो भेद आज बत्तमान है और जिसे हम दूर नहीं कर सकते वह प्राचीन यूनान में था ही नहीं । उनके लिए जीवन राजनीतिक और सामाजिक कोष्ठों में विभक्त नहीं था । आज तो राज्य हमारे सम्पूर्ण जीवन के कार्य-कलाप के इतने थोड़े से भाग पर आच्छादित है कि हमें यह बड़ा विलक्षण दिखाई पड़ता है कि एक युग ऐसा भी रहा है कि जिसमें सामाजिक और राजनीतिक शब्दों को ही पर्यायवाची समझा जाता था ।

अरस्तु के कई प्रसिद्ध कथन नगर-राज्य के उपरोक्त चरित्र की ही तर्कपूर्ण उद्भावना है । एक ऐसे ही समाज के लिए तो अरस्तु यह कहता है कि किसी भी जाति में पदवितरण योग्यता के अनुसारे होना चाहिये ; अथवा "समुचित न्याय करने के लिए तथा योग्यतानुसार पद प्रदान करने के लिए नागरिकों को एक दूसरे के चरित्र से परिचित होना नितान्त आवश्यक है ।" ऐसे ही समाज को हिप्टि में रखते हुए उसने यह कहा था कि जन-माधारणे को राजनीति में भाग इसलिये मिलना चाहिये कि कुछ व्यक्तियों की अपेक्षा जन-समाज की निर्णयशक्ति अधिक प्रखर होती है "क्योंकि कुछ व्यक्ति एक पहलू को देखते हैं और कुछ दूसरे पहलू को किन्तु एक साथ मिलकर वे प्रत्येक पहलू को देख पाते हैं ।"*

* "It is of such a society that Aristotle is speaking when he advocates the allocation of offices in any community according to worth; or 'mutual acquaintance with one another's character is necessary to the citizens, both

सामूहिक चरित्र के अतिरिक्त नगर-राज्य की एक दूसरी मुख्य विशेषता है उसका आत्मनिर्भर होता। अफलातून तथा अरस्तु दोनों ही नगर-राज्य को आत्मनिर्भर मानते हैं। अरस्तु के अनुमार राज्यों, कुटुम्बों तथा ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका लक्ष्य एक मुखी एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। 'आत्मनिर्भर' शब्द का अर्थ विकृत स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है। इसका अर्थ आधिक स्वावलम्बन हो सकता है किन्तु यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि विभिन्न नगर-राज्यों को विभिन्न मात्रा में बाहर से सामाज मगाना पड़ता था। आधिक हृष्टिकोण से नगर-राज्यों को आज के राष्ट्र-राज्यों की अपेक्षा अधिक आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता। इसका यह अर्थ अधिक संगतिपूरण होगा कि नगर-राज्य एक मुखी तथा अच्छे जीवन की आवश्यक सुविधायें प्रदान करता था।

नगर-राज्यों की एक और मुख्य विशेषता यी जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं। उनमें से अधिकतर का आकार तो उत्तर-प्रदेश के कुछ जिलों से भी छोटा था। नगर-राज्य क्षेत्र के हृष्टिकोण से बड़े सकीर्ण थे। कुछ लोगों का विचार है कि यूनानी नगर-राज्य एक भौगोलिक तथ्य था; यह यूनान की भौगोलिक स्थिति का स्वाभाविक परिणाम था। परंतों, नदियों तथा घाटियों ने देश को प्राकृतिक रूप से ही बहुत से राज्यों में विभक्त कर दिया था। किन्तु यह सर्वथा सत्य नहीं है। यदि ऐसी बात होती और यूनान का भूगोल ही वहाँ के नगर-राज्यों के नागरिक चरित्र का एकमात्र कारण होता तो आज सारा यूनान एक सघटित राष्ट्र के रूप में हमारे भाग्यने न होता क्योंकि यूनान की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति तो तब से नहीं बदल गई है। प्राचीन काल में भी यूनानियों में एकता की भावना थी। विभिन्न राज्यों में रहते हुये भी वे अपने रक्त, भाषा, रहन-सहन तथा धर्म की एकता से परिचित थे। वे अपने आपको सम्य तथा अयूनानियों को बाहर समझते थे। इस एकता की चेतना के बावजूद यदि यूनानी लोग अपने लिए एक सरकार की स्थापना न कर सके तो इसका कारण हमें उनके अज्ञान अथवा उनकी भौगोलिक स्थितियों में नहीं खोजना चाहिये। वास्तव में यह वस्तु-स्थिति एक आदर्श का परिणाम है। प्राचीन यूनान निवासी नगर-राज्य को सामाजिक सघटन का सर्वथेष्ठ एवं सर्वोच्च रूप समझते थे। छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में रहने पर उहे गर्व था क्योंकि ऐसे राज्य को वे शासन का सर्वोत्तम रूप मानते थे। अफलातून तथा अरस्तु की रचनायें इसी आदर्श की महिमा से ओत-प्रोत हैं। मक्डूनिया (Macedonia) तथा रोम के साम्राज्य में विलीन हो जाने पर भी नगरों की जीवन शक्ति बनी रही। हाँ, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने वाली बहुत सी शक्तियों का उस युग में अभाव था।

for decisions on points of justice and for the proper award of office according to worth.' It is of such a society, again, that he is thinking when he justifies the right of the masses to a share in political power by the consideration 'that the masses have a better faculty of judging; for some see one aspect, some another, but all together see every side.' —Barker : *Ibid.*, page 19.

यूनानी नगर-राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध में एक और बात स्मरणीय है। वह यह कि उसमें राज्य और व्यवित एक दूसरे के जीवन में इतने घुले-मिले थे कि उनमें परस्पर विरोध का प्रदन ही नहीं उठता था; व्यवित तथा राज्य के परस्पर सम्बन्ध के विषय में कोई समस्या वहाँ न थी। जिस प्रकार कॉलिज तथा उसके विद्यार्थियों में और एक यज्ञ तथा उसके धटकों में किमी विरोध की कल्पना हम नहीं कर सकते, इसी प्रकार यूनानी नगर-राज्य तथा उसके नागरिकों के हितों में सधर्ण की कोई आरामका नहीं हो सकती थी। वे तो एक दूसरे के पूरक थे, विरोधी नहीं। व्यक्तिवादी धारणाओं को यूनानियों ने कोई प्रथय नहीं दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने व्यक्ति को राज्य में पूर्ण रूप से विलीन कर दिया, उसके व्यक्तित्व को ही नष्ट कर दिया, जैसा कि सर्व-भक्षक (Totalitarian) राज्यों में होता है। प्राचीन यूनानियों ने व्यक्ति के महत्व को पूर्ण रूप से गमना था; व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वीकार किये बिना राजनीतिक चित्तन ही अधिक भम्भव नहीं है। बार्कर का कहना है कि “मैदानिक रूप से राजनीतिक विज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि राज्य से स्वतन्त्र रहकर भी व्यक्ति का अस्तित्व स्वीकार किया जाये; नगर-राज्य में व्यवहारिक रूप से इस आवश्यकता की पूर्ति की जाती थी। एक यूनानी नागरिक पूर्ण रूप में अपने नगर में तद्रूप होते हुये भी काफी स्वतंत्र था।”

यूनानी राजनीतिक विचार की विशेषतायें—नगर-राज्य के स्वरूप का दिग्दर्शन हम कर चुके हैं। आइये अब यूनानी राजनीतिक विचार का जिस पर कि नगर-राज्य की एक अमिट तथा गहरी छाप पड़नी स्वाभाविक थी, अध्ययन करें। यह तो बताया ही जा चुका है कि नगर-राज्य प्रधान रूप से एक भीगोतिक इकाई नहीं था, वह तो एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वालों का एक संघटन (Community) था। उसका लक्ष्य नागरिकों के लिए सुन्दर तथा सुखी जीवन को भम्भव बनाना था, अर्थात् उसका एक नैतिक लक्ष्य था। इसलिये वह एक नैतिक संघटन था। आज का राज्य अपने नैतिक पहलू की अपेक्षा कानूनी पक्ष पर अधिक महत्व देता है। उसका लक्ष्य नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना इतना नहीं है जितना कि अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाना। नगर-राज्य के सदस्य राजभवित अथवा राज्य दण्ड के भय के कारण एक सूत्र में नहीं गुण्ये थे बल्कि उसका आधार एक सामान्य आध्यात्मिक तत्व था जिसका प्रकाशन राज्य के कानून तथा जीवन विधि के रूप में होता था। नगर-राज्य एक नैतिक समुदाय था जिसका लक्ष्य धर्म की प्राप्ति था। इसलिये इसके द्वारा प्रभावित होने वाले राजनीतिक विचार का भी नीति-प्रधान होना स्वाभाविक ही था। अफनातून, अस्तु तथा अन्य विचारकों ने नैतिक दृष्टिकोण से ही इसकी गवेषणा की है। उन्होंने ऐसे समाज के साध्य तथा समुचित साधनों की मीमांसा की; उन्होंने उसके बाहु संघटन के विषय में अधिक नहीं सोचा। शवित के केन्द्रीकरण अथवा विकेन्द्रीकरण या धारा सभा के संघटन इत्यादि की समस्याओं को उन्होंने नहीं सुनभाया। उनके हाथ में पड़कर राजनीति विज्ञान ममस्त ममाज का एक आचारणास्त्र

बन गया जिसका उद्देश्य समाज की भवाई तथा उसे प्राप्त करने के लिए उचित साधनों की खोज करना था। तभी तो हम देखते हैं कि अफलातून की 'रिपब्लिक' (Republic) राजनीति का भी ऐसा ही ग्रथ है जैसा कि आचार-शास्त्र का। इसका उपनाम है 'न्याय विषयक' (Concerning Justice)। इसी प्रकार अरस्तु भी आचारशास्त्र को राजनीति की भूमिका मानता था; उसके मतानुसार ये दोनों विज्ञा मिलकर मम्पूर्ण ज्ञान का निर्माण करती हैं। अरस्तु के लिए आचार-शास्त्र कोई अलग और स्वतंत्र विज्ञान नहीं था। "राजनीति विज्ञान एक विष्वृति है। यह राज्य दर्शन है; परन्तु यह नीतिदर्शन तथा न्यायदर्शन भी है। इसमें ये दो विषय सम्मिलित हैं जिन्हे अब इस क्षेत्र से हटा लिया गया है और जिनका अब अलग से अध्ययन किया जाता है।"

राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है इन बात की खोज करना कि समाज की भलाई, उसका हित विस बात में है और किस व्यवस्था में उसकी सिद्धि हो सकती है। इसीलिए इस विज्ञान की प्रवृत्ति व्यवहारिक होना आवश्यक ही था। राजनीति विज्ञान के ऊपर लिखे गये ग्रन्थ को एक राजनीतिज्ञ के पथ-प्रदर्शन के लिए एक नियमावली समझा जाता था। अफलातून के विषय में तो यह कारण विशेष रूप से सही है, क्योंकि उसका विश्वास तो यह था कि सिद्धान्त का व्यवहार में तथा ज्ञान का कर्म में सदैव प्रयोग होना चाहिये। तभी तो उसने एक दार्शनिक राजा को दीक्षित करने का प्रयत्न किया था। उसकी अकाडेमी (Academy) व्यवस्थापकों की जन्मस्थल बन गई थी। इसी व्यवहारिक प्रवृत्ति के कारण यूनानी राजनीति के शास्त्र में व्यवस्थापक को प्रधान स्थान दिया गया। आखिर व्यवस्थापक ही तो उस राज्य की स्परेखा निर्धारित करता है जिसके द्वारा समाज अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करता है। हमें याद रखना चाहिये कि अफलातून का ग्रन्थ 'रिपब्लिक' कोरा सेंद्रान्तिक विद्वेषण नहीं है। उसकी रचना अफलातून ने राजनीतिज्ञों को सचेत करने तथा व्यवहारिक कार्य व्यापार में उनका पथ-प्रदर्शन करने के लिये की थी।

यूनानी राजनीतिक विचार की एक दूसरी विशेषता भी व्यान देने योग्य है; वह भी नगर राज्य में ग्राम्य चरित्र का ही परिणाम है। प्रत्येक नगर राज्य अपनी ही हित-माध्यना में मन रहता था; एक दूसरे के हितों की चिन्ता वे न करते थे। इससे भी खराब बात यह थी कि विभिन्न राज्यों के राजनीतिक आदर्श परस्पर विरोधी थे; उनमें परस्पर ताल मेल बैठाना बड़ा कठिन था। कहीं एक स्वार्यपूर्ण वर्गशाही (Oligarchy) थी तो कहीं जनतन्त्रवाद। राजनीतिक आदर्शों की इनी विभिन्नता और परस्पर विरोध के कारण ही तो वे बहुत दिन तक पूर्व से आने वाले एक सामान्य झग्ग के विरद्ध एक संगठित मोर्चा न लगा सके। ऐसमें तथा स्पार्टा के प्रभित्व राज्यों

* "Political science is a triology. It is a theory of State; but it is also a theory of morals and a theory of law. It contains two subjects which have since been removed from its scope and treated as separate spheres."

के अभ्युदय ने यह संकट कुछ दिनों के लिये अवश्य दूर किया ; परन्तु ज्योही सामान्य खतरा टला दोनों राज्यों की एकता और मिश्रता नष्ट हो गई । दोनों में एक युद्ध छिड़ा जिसका परिणाम हुआ ऐथन्स का पतन ।

प्राचीन यूनान में न केवल अन्तर्राज्य संघर्ष था, बरन् एक राज्य के भीतर ही जनतन्त्री तथा वर्गतन्त्री गुटों में भी मध्यर्प और वंपम्य था । दूसरे राज्य के मिश्रगुटों की सहायता से कभी एक गुट शक्ति प्राप्त कर लेता था तो कभी दूसरा । इस प्रकार से विभिन्न राज्यों के संविधान और राज्य व्यवस्था में हिसात्मक तथा आमूलचूल परिवर्तन होते रहते थे । इन गृहयुद्धों की एक विलक्षण तथा प्रधान विशेषता यह थी कि साधारणतया एक नगर का गठबन्धन दूसरे राज्य से नहीं होता था, बरन् एक राज्य के गुट दूसरे राज्य में अपने सहविचारगामी गुटों से गठजोड़ करते थे । फलस्वरूप समस्त यूनान में अमीर तथा गरीब के बीच में एक निरंतर संघर्ष छिड़ा रहता था जिसका स्थाभाविक परिणाम राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता का फैलना था । अफलातून और अरस्तु, दोनों की रचनाओं में इस आन्तरिक कलह तथा राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने का प्रयास स्पष्ट दिखाई पड़ता है ; उन्होंने राज्य रूपी शरीर की रचना का वर्णन मात्र नहीं किया बल्कि उसके रोग के निदान का प्रयास भी किया । वे विश्लेषण तथा व्याख्या भर से ही सन्तुष्ट नहीं हुये ; उन्होंने उपचार करने की भी चेष्टा की । उन्होंने परस्पर विरोधी आदर्शों में समन्वय करने, गुटबन्दी तथा उससे उत्पन्न होने वाले ह्वेप और कलह को समाप्त करने तथा विद्वंसक शक्तियों के नियन्त्रित करने के साधनों की खोज की । उनका उद्देश्य ही अस्थिरता को समाप्त करके एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना था । अफलातून का विचार था कि एक दार्शनिक शासक तथा भौतिक चिन्ताओं से मुक्त एक शासक तथा सैनिक वर्ग की सृष्टि से इस लक्ष्य की सिद्धि हो सकेगी । अरस्तु को रोग का इलाज 'कानून द्वारा शासन' में दिखलाई पड़ता था । इस प्रकार यूनानी राजनीतिक विचार केवल वौद्धिक न रहकर व्यवहारिक तथा उपचारात्मक हो उठा ।

नगर राज्य तथा दास प्रथा (Slavery)— कहा जाता है कि प्राचीन यूनान के राजनीतिक जीवन का आधार दास प्रथा था । कुछ लोगों की धारणा है कि नागरिकों को अपने नागरिक कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक अवकाश दासों के परिश्रम के कारण ही मिल पाना था । इसलिये दास प्रथा यूनानी सम्यता का एक अग्र थी और राजनीतिक जीवन का एक आधार थी । अरस्तु ने तो खुले आम दास प्रथा की बकालत की है और अफलातून ने भी उसकी कहीं भर्त्सना या निन्दा नहीं की । लगभग सभी यूनानी विचारक उम शारीरिक श्रम को तुच्छ तथा हेतु ममझते थे जो दासों को करना होता था । स्मरण रहे कि प्रत्येक नगर राज्य में काफी बड़ी संख्या में दो दास रहते थे । उन्हे कोई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे इसलिए वे नागरिकता की परिधि से बाहर थे । इस स्थिति के होते हुये हम इस पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते कि प्राचीन यूनान में ऐस्यम्न नगर का राज्य जिमें

अफलातून का जन्म तब हुआ जब कि ऐथन्स अपने स्वर्ण युग को पार कर चुका था और अवनति के मार्ग पर जा रहा था। महान् विचारक तथा राजनीतिज्ञ पेरीकोलीज (Perioles) मर चुका था और जनतन्त्र का स्थान बाह्योरता तथा आत्मायी-शाही ने ले लिया था। ऐथन्स के जनतन्त्रवाद ने ही तो अफलातून के परमप्रिय गुण महर्षि मुकरात की हत्या करके न केवल मानवता के अपितु स्वयं दर्जन और श्रेयस् के विरुद्ध एक घोर पाप किया था। अफलातून भला यह कैसे भूलता? स्पार्टा के साथ युद्ध में ऐथन्स की नीचा देखना पड़ा था। ऐथन्स के पन्नन एवं अपमानजनक कार्यों में अफलातून तथा उसके निष्प्र अरस्तु की आत्मायें खिन्न तथा चिन्तित हो उठी। उन्होंने ऐथन्स के अधःपतन के कारणों की खोज की और स्थिति सुधार के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किये। परन्तु ऐथन्स में सुधार न हो सका। वह पहले तो मकदूनिया के सामने परास्त हुआ और फिर उसने रोम की महान् शक्ति के सामने छुटने टेक दिये।

ऐथन्स तथा स्पार्टा में बहुत सी स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण विभिन्नतायें थीं। ऐथन्स का राजनीतिक अनुभव कहीं अधिक विस्तृत था क्योंकि उसने उन सभी विभिन्न अवस्थाओं को देखा था जिनमें से यूनान नगर राज्यों को साधारणतया गुजरना पड़ा था। अन्त में जाकर वह एक उत्तम जनतन्त्र बन गया। किन्तु स्पार्टा में इस प्रकार की विविधता नहीं थी; उसकी राजनीतिक और शासन पद्धति में एक समरसता रही। उसमें एक वर्ग-तन्त्र था और राजनीतिक शक्ति केवल उन मुद्दों भर लोगों के हाथों में केन्द्रित थी जिनकी रगों में शुद्ध स्पार्टान रखत प्रवाहित था। यह भासक-वर्ग ममाज का सबसे छोटा-वर्ग था; इसके अतिरिक्त पीरियोकी (Perioiki) तथा हैलोट्स (Helota) नाम के दो वर्ग और थे। ऐथन्स एक सुसङ्खृत राज्य था; वहा नागरिक स्वतन्त्र थे। स्पार्टा के लोग कभी भी ससङ्खृत नहीं रहे। उन्हें अपनी राजनीतिक प्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए कठोर कानून और कठोर अनुशासन के शिकंजे में जीवन को कसना पड़ा। उसकी सारी व्यवस्था का केवल एक ध्येय था, वह था ऐसे वज्रकाम पुरुषों और स्त्रियों को उत्पन्न करना जो बीर मिपाही तथा परिधमी मातायें बन सके। एक स्पार्टान का जीवन घर में नहीं सैनिक शिविरों में व्यतीत होता था। उसके जीवन में केवल एक उद्यम था, सार्वजनिक कर्तव्य की दीक्षा लेना तथा उनका पालन करना। उसकी आवश्यकतायें बहुत सीमित होती थीं और उसकी पूर्ति राज्य द्वारा होती थी। हैलोट्स द्वारा किये गये उत्पादन से चलने वाले सार्वजनिक भोजनालयों में वह भोजन करता था। इस विशेषीकरण और शरीर को बलिष्ठ बनाने वाली व्यायाम पद्धति ने अफलातून का ध्यान आकृष्ट किया। उसने इन दोनों बातों को अपने आदर्श राज्य की कल्पना में अपनाया और उन्हे प्रथम स्थान दिया। ऐथन्स तथा स्पार्टा के विषय में अधिक विवरण देना आवश्यक नहीं।

अफलातून के पूर्व का राजनीतिक विचार

अफलातून के पूर्व का राजनीतिक विचार—यद्यपि प्रारम्भिक यूनानी दर्शन का उद्भव तथा विकास ऐथन्स से बाहर हुआ और आदिकालीन बहुत से यूनानी कवि, इतिहासकार, नाटककार तथा कलाकार भी ऐथन्स के बाहर ही उत्पन्न हुए; परन्तु यूनानी राजनीतिक विचार को जन्म देने का श्रेय ऐथन्स के महान् नगर को ही है। एक विविवत् राजनीतिक कल्प-विकल्प तथा संसार के कुछ प्रगतिशील, स्वायी तथा सजीव राजनीतिक विचारों की उद्भावना का श्रेय ऐथन्स को ही मिलना चाहिये। इस घटना के कारण जानने योग्य है; यहा पर हम उन पर एक टृटिपात करेंगे।

प्रारम्भ में ऐथन्स कोई महान् और शक्तिशाली नगर नहीं था। बौद्धिक विचार तथा कार्य-कलाप का बैन्ड्र वह तब बना जब कि ४६० ई० पू० मैराथन (Marathon) के युद्ध में उगाने ईरानी आक्राताओं को पद्धाड़ा और उन्हें यूनान से खदेड़ा और यूनान के नेता के रूप में एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया। जिस कारण ऐथन्स को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई उसी कारण से थैमिस्टोक्लीज (Themistocles) के नेतृत्व में ऐथन्स का साम्राज्यवादी युग प्रारम्भ होता है। ईरानियों ने ४८० ई० पू० में यूनान पर फिर से आक्रमण किया, किन्तु ऐथन्स और स्पार्टा की सगठित शक्ति के सामने वे परास्त हुये। विधि की विडम्बना कि जिस थैमिस्टोक्लीज की नीति पर चल कर ऐथन्स ने शक्ति तथा अधिकार की उसे एक पह्यन्त्र का शिकार होकर राजनीतिक जीवन में अलग होना पड़ा। किन्तु ऐथन्स का सौभाग्य कि थैमिस्टोक्लीज के उपरान्त उसको पेरीश्लीज जैसा महान् नेता मिला जिसके नेतृत्व में ऐथन्स मास्राज्यवादी वैभव की चरम सीमा पर जा पहुँचा। उसके युग में ऐथन्स ने समृद्धि और सम्पन्नता प्राप्त की और व्यापार की जो उन्नति उसके युग में हुई वैमी पहले कभी नहीं हुई थी। इस प्रसार और साम्राज्य के युग में चहुंमुखी उन्नति हुई, भौतिक प्रगति तो उसकी मुख्य तान थी ही, किन्तु दर्शन, विद्या, शिल्पकला तथा भवनकला की उन्नति भी साथ-साथ हुई।

बढ़ती हुई भौतिक उन्नति तथा राजनीतिक महानता के फलस्वरूप जनता में व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्तर पर आत्मचेतना आई और बढ़ी। इससे विचार-स्वतन्त्रता तथा बौद्धिक कार्य-कलाप को भारी सुरक्षा मिला। ऐथन्स निदामियों का लक्ष्य सर्व-नोमुखी ज्ञान की प्राप्ति था। अरस्तु के शब्दों में 'लोग ईरानी युद्धों के पश्चात् अपनी

सफलता के गर्व और अभिमान से भरे हुये आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे थे। ऐथन्स उम्मति तथा संस्कृति का एक महान् केन्द्र बन गया जिसकी ओर दूर और नजदीक के विद्वान् तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति आकृष्ट हुये जिनमें सोफिस्ट्स प्रमुख हैं। जो विद्वान् लोग ऐथन्स में आये उन में प्रमुख थे सोफिस्ट्स। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, यूनानी चिन्तन को एक नवीन दिशा देने तथा मनुष्य और उनके सामाजिक आचरण को अध्ययन का प्रमुख विषय बनाने का मुख्य थ्रेय उन्होंने को है। जब तक कि मनुष्य का ध्यान प्रशृति जगत से हट कर मानव की ओर आकृष्ट न हो जाता तब तक कोई राजनीतिक चिन्तन सम्भव न था। सोफिस्ट्स ने ठीक ही कार्य किया। इस प्रकार यह कहता ठीक ही होगा कि सोफिस्ट्स ने किसी नई विचारधारा को जन्म नहीं दिया; यूनानी विचारधारा में उनका स्थान एक युग से दूसरे युग में आवर्त्तन करने का है।

पेरीक्लीज़ के युग में ऐथन्स न केवल साम्राज्यवादी वैभव के शिखर पर पहुंचा बल्कि उसमें जनतन्त्रवाद का विकास भी द्रुतगति से हुआ। सारे नगर राज्यों में ऐथन्स में ही जनतन्त्र अपने उच्चतम रूप में पाया जाता था। वहाँ विचार तथा भाषण स्वातन्त्र्य का वातावरण था जो कि राजनीतिक चिन्तन के अत्यन्त अनुकूल होता है। स्वाभाविक रूप से ही जिजासाशील यूनानियों को प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक प्रश्न के विषय में बात करना बहुत रुचिकर एवं स्फूर्तिदायक लगा। विशेषकर श्रवी शताब्दी ई० के पू० के अद्वारा में राजनीतिक समस्याओं के ऊपर बड़ा तीव्र वाद-विवाद और चिन्तन-मनन हुआ। इसे ऐथन्स के सार्वजनिक जीवन का एक महान् युग समझा जाता है।

परन्तु कालचक से कौन वच सकता है? ऐथन्स के भाष्य ने फिर पलटा खाया; यह फिर पतन की ओर जाने लगा। ऐथन्स तथा स्पार्टा में एक युद्ध छिड़ा, जिसमें ऐथन्स की करारी हार हुई। ऐथन्स में इस पतनकाल में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि पुराने अभिजात्य-वर्ग (Aristocracy) का ह्लास हो गया और उनके स्थान ऐसे स्वार्थी और क्रियानिष्ठ लोगों ने ले लिया जो जनतन्त्र को स्वार्थसिद्धि तथा शक्ति हार्याने का एक यन्त्र मात्र समझते थे। ऐथन्स का जनतन्त्र पतित बर्गतन्त्र हो उठा। शक्ति वाखीरों के हाथ में आ गई जो विशेषज्ञ होने का दावा करते थे। जाहिर है कि ऐसी हालत में वाखीरता, तकन्शक्ति, वाद-विवाद की निपुणता, निवाचन लड़ने तथा शासन प्रबन्ध करने की कुशलता जैसे गुणों का सम्मान बढ़ना स्वाभाविक ही था, इसलिये उनकी मांग बढ़ी। जो लोग कुछ राजनीतिक महत्वाकाक्षायें रखते थे, विशेषकर वे धनिक लोग जिन्हे जनता की अदालतों में जनतन्त्रवादियों द्वारा लगाये गये आरोपों की सफाई पेश करनी होती थी वे तो इन गुणों में दक्षता प्राप्त करने को बहुत उत्सुक थे। सोफिस्ट लोग समयानुकूल शिक्षा देने का दावा करते थे, इसलिये उन्होंने ऐथन्स में अपना डेरा आ जमाया।

इसलिये यह कहना गलत न होगा कि ऐयन्स में राजनीतिक विचार तथा वादविवाद का मूल्रपात सोफिस्ट्स ने किया। किन्तु उनके सोच-विचार के ढंग में कोई नियम और क्रम न था। एक क्रमबुद्ध और विधिवत् राजनीतिक चितन की उद्भावना तो अफलातून और अरस्तु ने ही की। उन्होंने नगर-राज्य सम्बन्धी धारणाओं का विश्लेषण तथा उसके आदर्शों का स्पष्टीकरण किया। नगर-राज्य की समस्याओं को सामोपाग समालोचना ऐयन्स के पतन के बाद हुई, पैरीक्लीज युग जब गुजर चुका था उसके साम्राज्य वैभव के समय में यह सब कुछ नहीं था। राजनीतिक पतन तथा दार्शनिक उत्थान का यह सधिकाल कितना रोचक और शिक्षाप्रद है। अफलातून और अरस्तु वे दो महान् दार्शनिक तथा विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहिले नगर-राज्य के राजनीतिक आदर्शों का सामोपाग विश्लेषण किया। किन्तु उनके विचार की पृष्ठभूमि सोफिस्ट्स ने तैयार की थी जिनके राजनीतिक तथा सामाजिक स्थानों से सम्बन्धित क्रांतिकारी तथा विद्वासक विचारों का खण्डन उन्होंने किया। इसलिये अफलातून तथा अरस्तु के विचार को ठीक प्रकार से समझने के लिए सोफिस्ट्स की शिक्षाओं की एक भाकी दिसाना आवश्यक है।

सोफिस्ट्स (Sophists)—सोफिस्ट्स ऐयन्स में क्यों आये और वहाँ के रहने वालों को उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा दी? इसका सबसे मुन्दर और सक्षिप्त सारांश हमें विल ड्यूरेट के इन शब्दों में मिलता है—‘सभाओं में होने वाले वादविवाद, जनन्यायालयों में चलने वाले मुकदमे, विचारों पर युक्ति का रंग चढ़ाने तथा एक स्पष्ट और विश्वासोत्पादक भाषा में बोलने की शक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकता, एक साम्राज्यवादी समाज की उत्सुकता तथा धन, इन सब वातों ने एक ऐसी वस्तु की मांग को जन्म दिया जो ऐयन्स ने पैरीक्लीज से पहिले कभी न देखी थी। वह मांग थी औपचारिक उच्च शिक्षा, न्यायालय शक्ति, विज्ञान, दर्शन तथा राजनीतिज्ञता के लिए।’^{1/2} सोफिस्ट्स वे लोग थे जो ऐयन्स में शिक्षकों के रूप में बाहर से आये, वहाँ कुछ समय के लिए ठहरे और जो लोग उनसे शिक्षा लेना चाहते थे उन्हें शिक्षित किया। प्रोटेगोरस (Protogoras) नामक एक सोफिस्ट तो अपने आपको Sophistai, अर्थात् ज्ञान (Wisdom) का शिक्षक कहता था। सोफिस्ट्स को तुलना आज के विश्वविद्यालयों के प्रोफेनरों से यदि हम करें तो गलत न होगा। जिस प्रकार आजकल ज्ञान के अभिलाषी लोग कौलिजों और विश्वविद्यालयों में जाते हैं, उसी युग में वे सोफिस्ट्स के पान जाया करते थे।

यह सही है कि सोफिस्ट्स का उद्यम ही शिक्षा देना था, और एक प्रोफेसर की भाँति वे संस्कृति तथा ज्ञान का प्रसार करते थे किन्तु एक सोफिस्ट और एक आधुनिक प्रोफेसर में तुलना एक सीमा तक ही की जा सकती है; वे एक दूसरे के बिल्कुल अनुरूप नहीं कहे जा सकते। आज के प्रोफेसर जो शिक्षा प्रदान करते हैं वह प्रधान रूप से सेंडाग्निक (Liberal) है; किन्तु सोफिस्ट्स द्वारा दी जाने वाली शिक्षा टेक्नीकन होती थी। सोफिस्ट्स का लक्ष्य निरपेक्ष ज्ञान तथा सत्य की खोज करना नहीं था; उनका ध्येय बौद्धिक की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक था। वे लोगों को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के व्यावहारिक साधन बतलाते थे। कोई उद्देश्य उचित है या अनुचित, जीवन के इस दार्शनिक पहलू से उसका कोई सरोकार न था। सोफिस्ट्स से शिक्षा केवल धनिक लोग ही प्राप्त कर सकते थे क्योंकि वे अपने कार्य का शुल्क लेते थे और कभी-कभी तो यह शुल्क बड़ा ऊंचा होता था। धनिक लोग एक ऐसी वाग्निपुणता तथा तर्क-कौशल प्राप्त करने को बड़े उत्सुक थे जिसके बल पर वे जनता के न्यायालयों के कोप से बच सकें। राजतन्त्र में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए और यदि हो सके तो उसे धनिक-वर्ग तंश में बदल देने के लिए वे स्वाभाविक रूप से इच्छुक थे। सोफिस्ट्स के शिष्यों में ही धनिक-वर्गशाही के नेता निकले। प्रो० बाकर का यह कथन ठीक ही है कि सोफिस्ट्स 'आशिक रूप से शिक्षक तथा विचारक थे और आशिक रूप से ऐसे विचारों के प्रचारक थे जो नवीन, विलक्षण, विरोधाभासी तथा कर्ण-मोहक थे उनमें कुछ उच्छृंखलता थी और कुछ दार्शनिक' ॥५८॥ विचारकों तथा शिक्षकों के रूप में कुछ सोफिस्ट्स ने राजनीतिक विचार को एक देन अवश्य दी है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि न केवल यूनान के राजनीतिक विचार के विकास परन्तु वहाँ के इतिहास में भी सोफिस्ट्स ने एक सजीव भाग लिया है। प्रचलित सामाजिक तथा नैतिक धारणाओं और मान्यताओं की उन्होंने कटु आलोचना की और ऐसी रुद्धियों तथा परम्पराओं की अवहेलना की जिन्हे युक्ति और तर्क द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। इन बातों ने अफलातून और अरस्तु जैसे दार्शनिकों को नगर-राज्य के आदर्शों तथा राज्य के स्वरूप और आधार का विवेचन और विश्लेषण करने के लिए विवश किया। उन्होंने (सोफिस्ट्स ने) 'यूरोप के लिए व्याकरण तथा न्याय-शास्त्र का आविष्कार किया; उन्होंने द्वन्द्वावाद (Dialectic) का विकास किया; वहस के बहुत से रूपों का विश्लेषण किया और लोगों को भ्रमात्मक बातों को पकड़ने और स्वयं उनका प्रयोग करने की कला सिखाई।' ॥५९॥

* * half teachers and thinkers, half disseminators of things new and strange, paradoxical and astonishing which could catch the ear with something of the charlatan they combined something of the philosopher.'

—Barker : *Ibid*, page 58.

† '....invented grammar and logic for Europe; they developed dialectic, analysed the forms of argument, and taught man how to detect and practise fallacies.'

—Will Durant : *op. cit.*, page 361.

यूनान के राजनीतिक विचार तथा इतिहास में सोफिस्ट्स का चाहे कुछ भी भाग क्यों न रहा हो ; किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी विविधत् विचारशास्त्र को जन्म दिया । ऐसे कोई मूल और मामान्य मिदान्त न थे जिनमें मभी सोफिस्ट्स का विश्वास हो । उनको कोई सामान्य भन न था । उनके अध्ययन विषयों, उनके मिदान्तों और उनकी अध्ययन विधि में बटा विभिन्न था । उनमें से अधिकतर विदेशी थे जो ऐत्यन्स में आकर वस गये थे । उन्हें ममाज में काफी हृद तक बराबरी का दर्जा प्राप्त था ; किन्तु राजनीतिक अधिकार उन्हे कोई नहीं दिये गये । वे विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाते थे । कोई व्याकरण पढ़ाता था तो कोई न्यायशास्त्र तथा द्वन्द्वशास्त्र (Dialectic) । वादशास्त्र (Rhetoric) तो वे लगभग मभी लोग सिखाते थे, क्योंकि उस युग में उसकी बड़ी भारी मांग थी । कुछ ने आचार-विचार तथा राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ देन दी है । पहिले के सोफिस्ट्स अधिकतर रुदिवादी होते थे और वाद के अधिकतर क्रातिकारी । प्रोटेगोरस (Protagoras) की राजनीति तथा भौतिक धारणाएं एकदम रुदिवादी हैं । उसे तो प्रकृति और रीति-रिवाज में ही कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता था । वह राज्य को एक आधात्मिक समाज समझता है जिसके संगठन तथा ऐक्य का आधार न्याय तथा अद्वा भावना है । कैलीक्लीज (Callicles) तथा थ्रेसीमेकम (Thrasymachus) सरीखे वाद के सोफिस्ट्स क्रातिकारी थे जो अपनी समकालीन व्यवस्था को विघ्वस कर देना चाहते थे । अफलातून ने उनका जो चित्र खीचा है उसके अनुसार उन्हे सत्य से कोई प्रेम न था ; वे या तो धनलोलुप थे या वाम्संग्राम में विजय के आकांक्षी ।

यद्यपि सोफिस्ट्स का कोई सम्प्रदाय न था ; तथापि उनमें कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ अवश्य थी । उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन है उनका मानवतावाद (Humanism) । सभी सोफिस्ट्स मानवतावादी थे । वे मनुष्य को ही मानव विचार और अध्ययन का केन्द्र मानते थे ; प्रारम्भिक यूनानी दार्शनिक वाद्य जगत की गुरुत्वयों को मुलभाने में ही लगे हुए थे , उनका ध्येय प्रकृति की विविधताओं में अन्तर्निहित एकता की खोज करना था । यह एकता किसी को जल में, किसी को अग्नि में, किसी को वायु में तथा किसी को अन्य किसी प्राकृतिक पदार्थ में दिखाई पड़ती थी । जड जगत की लीला में वे इतने तम्य रहे कि चैतन्य संसार की और उनका ध्यान न गया । आचारणशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भाषण तथा वाद कला जैसी मनुष्य सम्बन्धी विद्याओं को मानव अध्ययन का केन्द्र बनाने का ध्येय सबसे पहिले सोफिस्ट्स को ही प्राप्त है । यह मानव-प्रधान प्रवृत्ति सुकरात (जो सोफिस्ट्स नहीं था) की शिक्षाओं में तो चरम-सीमा को जा पहुँची । सुकरात के विषय में ही तो यह उन्हिं प्रसिद्ध है कि वह दर्शनशास्त्र को स्वर्ग से धरती पर लाया । उसके दर्शनशास्त्र का विषय भौतिक जगत की जगह मानव संसार को बनाया । यह एक बहुत बड़ी सेवा है जो सोफिस्ट्स ने मानवता की की है । मनुष्य की अध्ययन रुचि में जो परिवर्तन सोफिस्ट्स ने किया वह प्रोटेगोरस की इस शक्ति में कि 'मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदण्ड है' स्पष्ट भलकता है । कुछ

लोग इस कथन की व्यक्तिवादी व्याख्या करते हुए इसका यह लगा ढंग है कि प्रत्येक वस्तु का निरायिक अपने लिए स्वयं व्यक्ति है, यदि किसी वस्तु को वह अच्छी समझता है तो वह अच्छी है और जो वस्तु उसे बुरी लगती है वह बुरी है। प्रोटेगोरस की यह एक सही व्याख्या नहीं है। वह व्यक्तिवादी नहीं था। उसके कहने का अभिप्राय केवल यह था कि संमार के ममवन्ध में कोई वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे मनुष्य के साथ सम्बन्धित न किया जाय।

ममस्त सोफिस्ट्स की एक अन्य सामान्य विशेषता यह थी कि वे निरपेक्ष यह ज्ञान (Absolute knowledge) के आदर्श को मन्देह और सभय की दृष्टि से देखते थे। उनकी शिक्षाओं में यह बात स्पष्ट रूप से निहित है कि निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) जैसी कोई चीज ससार में नहीं है। ऐसा कोई सिद्धान्त, कोई धारणा, कोई विचार और कोई नियम यहाँ नहीं हो सकते जो प्रत्येक देश, काल और रिति में सर्वमान्य हों। न्याय का ऐसा कोई निरपेक्ष और निरापद सिद्धान्त इस जगत में नहीं हो सकता जो हर जगह और हर काल में लागू हो सके। सोफिस्ट्स के इस संशयवाद (Scepticism) का अर्थ है प्रकृति के उस बीद्रिक चरित्र से इन्कार करना जो कि प्रारम्भिक यूनानी विचार का आधार था। गोर्जिया (Gorgias) सरीखे कुछ नोफिस्ट्स ने तो ऐसे सांगोपाग मंशयवाद का विकास किया जिसकी भपट से कोई भी परम्परागत यूनानी विश्वास और धारणा न बच सकी। राज्य के स्वरूप, कानून के मूल तथा स्वरूप और उसकी मान्यता इत्यादि के बारे में जितनी भी प्राचीन परम्परागत धारणायें थीं उन सब में इमने एक उथल-पुथल सी भचा दी। साधारणतया उन सब का विश्वास था कि राज्य एक कृतिम वर्तु है जिसे मनुष्य ने प्राकृतिक नियम के विरुद्ध एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाया है और विभिन्न राज्यों के कानून विभिन्न होते हैं। एक राज्य एक काम का नियेध करता है, दूसरा उभी को करने का आदेश देता है। ऐसे कानूनों को न तो हम देवाज्ञा मान सकते हैं और न किसी निरपेक्ष न्याय सिद्धान्त की प्रभित्यंजना; वे तो केवल मनुष्यों द्वारा अपनी विश्वास्त्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाये गये रस्मों-रिंवाज हैं। वे सबल का दुर्बल के ऊपर शामन करना और अपनी शक्ति का पूर्ण प्रसार तथा विकास करना असम्भव बना देते हैं। विलोवी (Willoughby) के शब्दों में सोफिस्ट्स ने “नागरिक को राज्य के कानून और परम्परागत नैतिकता में प्राकृतिक और विश्वव्यापी सत्य की अभित्यंजना देखना नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्रत्यादेशों की खोज करना मिलाया जिनका मूल उन व्यक्तियों की स्वार्थप्रता थी जिन्होंने उन्हें लागू किया।”*

* “Instead of being instructed to see principles of natural or universal right embodied in the civil laws and customary morality of his country the citizen was taught to discover only particular decrees which were in the main the product of selfish desires of those who had originally issued or sanctioned them.” —Willoughby, quoted by Maxey.

सोफिस्ट्स की दो और विशेषताएँ भी ध्यान देने योग्य हैं, जाहे वे अधिक महत्वपूर्ण न हो। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। वे ऐतिहासिक रोमासकारी, अध्यात्मशास्त्री, सशयवादी तथा अपने समय के शरीर-शास्त्री भी थे। शायद ही कोई विषय उनसे अद्युता बचा हो। सोफिस्ट्स की सर्वांगीणता का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है। शायद ही कोई सोफिस्ट् अपने को केवल एक विषय तक भीमित रखता था; वह अनेक विषयों का जाता होने का दावा करता था। हिपियास (Hippias) में तो यह गुण चरम सीमा को जा पहुंचा था। वह एक ही साथ कवि और गणित-शास्त्री, पुराणवेत्ता तथा आचारशास्त्री, इतिहासवेत्ता तथा राजनीतिशास्त्री था और इसके अतिरिक्त सभी तथा अन्य कलायें भी वह जानता था। केवल इतना ही नहीं, अपने वस्त्र भी वह स्वयं सीता था। दूसरी बात यह थी कि साधारणतया वे अपनी शिक्षा देने का मुश्किल बाजा लेते थे। मुकरात की यह विशेषता थी कि वह कभी शिक्षा शुल्क ग्रहण न करता था; विद्यादान उसका कर्म था। यूनान के राजनीतिक विचार के इतिहास में सोफिस्ट्स ने जो भाग लिया है और जो उनको देन है, उसे समझने के लिए उपरोक्त दोनों बातों में से कोई भी अधिक आवश्यक नहीं है।

प्रकृति तथा अभिसमय (Nature and Convention)—यह बताया जा चुका है कि सोफिस्ट्स ने मानव चिन्तन धारा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, उन्होंने मनुष्यों को मानव ज्ञान तथा मानव विचार का केन्द्र बनाया। किन्तु एक दूसरे हृष्टिकोण से यदि हम उन पर विचार करें तो यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने प्राचीन परम्पराओं का एकदम परित्याग नहीं किया बल्कि उन्हे मपनाया और जारी रखा। हाँ, उन्होंने एक नया आवरण उन्हे अवश्य दिया। जैसा कि हम पहिले भी कह चुके हैं, आदिकालीन विचारकों का ध्येय बाह्य जगत् और प्रकृति के नाना रूपों में निहित एक मूल तत्व खोजना था जिसे आधार मानकर वे समस्त विश्व का विशेषण और व्याख्या करने की चेष्टा करते थे। इस आधारभूत तत्व को कोई जल में कोई विचार-शक्ति में तथा कोई परमाणु में देखता था। इस प्रकार उन्होंने अन्तनिहित और निरपेक्ष सत्य तथा क्षणिक, परिवर्तनशील और बाह्य रूपों में भेद किया, और पहिले को लेकर और उसे आधार बना कर दूसरे को समझने की चेष्टा की। उनकी हृष्टि में पहिली चौज एक वास्तविक तथ्य था, प्रकृति थी; किन्तु दूसरी बात का आधार केवल अभिसमय अर्थात् रीति-रिवाज था। यह क्षणिक और स्थायी, आन्तरिक और बाह्य तथा निरपेक्ष और अपेक्षिक का विभेद उन्होंने नीति तथा राजनीति में भी देखने की चेष्टा की। उन्होंने मानव स्वभाव के कुछ ऐसे आधारभूत तथ्यों को खोजने का प्रयास भी किया जिनके आधार पर विभिन्न राज्यों तथा जातियों में पाये जाने वाले कानूनों तथा रस्मो-रिवाज में एक व्यवस्था और तारतम्य स्थापित किया जा सके। उनके सामने प्रश्न यह था: क्या कोई ऐसा आधारभूत मिद्दान्त भी हो सकता है जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के कानूनों और रिवाजों में विविधता के होते हुए भी एक मौलिक एकता का अनुभव किया जा सके? यदि ऐसा 'कोई मिद्दान्त है तो उसका

स्वत्पर वया है ? मनुष्य के कानूनों और रिवाजों पर ऐसे मिद्दान्त का वया प्रभाव पड़ता है ? इस प्रकार प्रहृति नथा अभिममण का विभेद मानव सासार और मानव के परस्पर संबंधों में परिवर्तित किया गया। विभिन्न नगर-राज्यों में पाये जाने वाले वास्तविक कानूनों और रस्मो-रिवाज का अभिममणान्मक (Conventional) ममझा गया और न्याय के एक आदर्श मिद्दान्त का प्राकृतिक। इन दोनों में कभी-कभी संघर्ष देतने में आता था।

परन्तु इस आदर्श कानून की दो भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी व्याख्यायें की जा सकती हैं। इसको नैतिक भी कहा जा सकता है और नीतिविहीन (Amoral) भी। इसको ईश्वरीय कानून ममझे द्वारा इसके आधार पर सामाजिक अवगुणों की आलोचना की जा सकती है। जब अंटिगोन (Antigone) के ऊपर युद्ध में मारे गये अपने भाई का अन्तिम मंस्कार करने के कारण राज-कानून-भग का आरोप लगाया गया तो उसने ईश्वरीय कानून की दुहाई दी। हमारे अपने देश में भी राजा रामसोहन राय, ऋषि दयालन्द, महात्मा गांधी तथा अन्य बहुत ने समाज-मुद्धारकों ने बुद्धिविहित उच्चतर धर्म के नाम पर ग्रस्पृश्यता, वगात् वैधव्य, कन्या-हत्या जैसे अमानुषी रिवाजों और रुदियों का खण्डन किया। यिन्तु वाद के मोफिस्टोस ने आदर्श न्याय के कानून की एक नीतिविहीन व्याख्या की और इसका प्रयोग उन्होंने कुछ प्राचीन तथा परम्परागत विश्वामों को नष्ट करने के लिए किया। उनके अनुसार मनुष्य बाबजूद अपनी विशिष्टाओं के एक प्राणी है, पशु है और अन्य पशुओं के सहश आवश्यकता और समय ने मिनाकर उसे जन्म दिया है। जीवन रक्षा के लिए उसे एक घोर संघर्ष में से गुजरना पड़ता है। भय, अभिमान, दक्षिण प्राप्त करने की इच्छा, अधिकार, प्रेम जैसी जैविक प्रवृत्तियाँ उसे प्रकृति की ओर से मिली हैं। अपनी इच्छाओं को अधिक से अधिक बढ़ाना, उन्हें पूर्ण करने के साधन जुटाना तथा दूसरों के ऊपर शासन जमाने की कामना करना मनुष्य को परम धर्म है। यदि जीवन का सुख, वैभव तथा आराम प्राप्त करने के लिए दूसरों को कष्ट देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं वशतें कि ऐसा करने के लिए आप को कोई दण्ड भुगतना न पड़े। यदि समाज के कानून आपके मार्ग में वाधक हों तो आप उन्हे तोड़ सकते हैं यदि आपको उसके लिए कोई दण्ड मिलने की श्राद्धका न हो। सरकार के कानूनों को केवल विवश होकर ही मानना चाहिये, स्वेच्छापूर्वक नहीं। राजाज्ञा का पालन करना मनुष्य का कोई कर्तव्य नहीं है, वह केवल हमारी अपनी सुविधा और मसलहत की बात है। उसका पालन व्यक्ति को विशेषता में ही करना चाहिये, यदि वह उसका उल्लंघन कर सकता हो तो उसे करना चाहिये। सारांश यह कि इस मिद्दान्त के अनुसार अहकार और स्वार्थ ही प्रकृति है और उसी की पूर्ति करना प्राकृतिक धर्म है। जो लोग मीन न्याय में विश्वास करते हैं; और जिसकी लाठी उसी की भैस समझते हैं, उनके लिये स्वार्थमूलक अहंकार और प्रकृति को एक समझना स्वाभाविक ही है।

एल्सीडेमास (Alcidamas) मरीये मोफिस्ट प्रकृति और अभिसमय के विरोध द्वारा यह सिद्ध करते थे कि दास और कुलीन पुरुष में कोई विभेद नहीं है। एल्सीडेमास का कथन था प्रकृति ने मव मनुष्यों को बरावर बनाया है; उसने किसी को दास नहीं बनाया। इसी प्रकार ऐन्टीफोन (Antiphone) ने इसका आशय लेकर यूनानी और बर्बर (Barbarian) के विभेद से इन्कार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोफिस्ट्स ने प्रकृति की एक ऐसी व्याख्या की जिसका कोई नैतिक आधार न था; उन्होंने स्वार्थ और अहम् हर आधारित आचार शास्त्र का प्रचार किया जिसका आगे ज़लकर अफ़लातून ने घोर खण्डन किया।

सुकरात (Socrates)—सोफिस्ट्स, उनकी विचार पद्धति और राजनीति विचार को उनकी देन हम देख चुके। आइये अब हम उम महान् व्यक्ति का अध्ययन करें जो सुकरात के नाम से जगत् विख्यात हैं और जिसे कुछ लोग सोफिस्ट्स की थे ऐसी में रखना प्रभावी करते हैं। ऐसा निवासी उमे एक सोफिस्ट ही समझते थे। और मोफिस्ट शब्द का जो आधुनिक और शाइदिक अर्थ है उमके अनुसार सुकरात को सोफिस्ट कहा भी जा सकता है। उसमे शब्द चमत्कार उत्पन्न करने की शक्ति थी, उसमे वाक्-चातुर्य था; उसमे विलक्षण तर्कना शक्ति थी। वह बाद-विवाद करने में निपुण था। वह ऐसे दृष्टान्त देता जो युक्तियुक्त न होते हुये भी उसके विरोधियों का मुह बन्द कर देते थे। अन्य सोफिस्ट्स की तरह वह भी मानवता-प्रधान विषयों के अध्ययन में ही रुचि रखता था। मानवतावाद की यह नवीन धारा जिसका मूल्यात्मक सोफिस्ट्स ने किया था मुकरात में अपने उच्चतम रूप में मुख्यरित हो उठी। वह तो नैतिकता को ही समाज का तत्व समझता था और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए ही उसने अपने को समर्पित कर रखा था। किन्तु यह सब होते हुये भी सुकरात और सोफिस्ट्स में इतने आधारभूत भेद हैं, इतना गम्भीर मतवैभिन्न है, कि उसे सोफिस्ट कहना भूल होगी। उसके जीवन का तो उद्देश्य ही सोफिस्ट्स को विचार पद्धति का पर्दाफाश करना और उसका खोललापन दिखाना था। वह बड़ी तत्परता के साथ उनके सिद्धान्तों का खण्डन करता था और ऐसा करने में उसे आनन्द मिलता था।

अफ़लातून ने जो सुकरात का शिष्य था उमके विचारों और मान्यताओं को अपनाया और उन्हे प्रतिष्ठित किया। उसके जितने भी डायलॉग्स (Dialogues) हैं उन सब में सुकरात के रूप में अफ़लातून ही बोलता है। इसके विपरीत सोफिस्ट्स का उमने घोर खण्डन किया। इससे भी इन बात की पुष्टि होती है कि सुकरात एक सोफिस्ट न था। सुकरात और मोफिस्ट्स के प्रमुख अन्तर निम्नलिखित है—

(१) सोफिस्ट्स प्रकृति तथा अभिसमय के परस्पर विरोध से यह परिणाम निकालते थे कि सामाजिक कानून तथा रिवाज हमारे लिये नैतिक रूप से मान्य नहीं है; किन्तु सुकरात, रुढ़िवादी था और उनका पतन करना आवश्यक समझता था। अपने राजा तेश्वर वे जानन को तोड़ता वह अपते जीवन की रक्षा के लिये भी सहन नहीं

कर सकता था। वह चाहता तो जेल से भाग कर अपने प्राण बचा सकता था; ऐसा करने की मुविधा उसे मिली परन्तु उस सच्चे राजभक्त ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया।

(२) हमें यह भी पाद रखना चाहिये कि सुकृतात एक वस्तु-प्रधान मद् और विश्व-व्यापी न्याय में विश्वास करता था जिसकी मत्ता से मोफिस्ट्स इन्कार करते थे; उसने नैतिक नियमों को निश्चित रूप से बुद्धि सम्मत आधार पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। उसने उप्रवादी सोफिस्ट्स के शून्यवादी आचार-शास्त्र को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया। उसने सिखाया की सदाचार ज्ञान है और दुराचार अज्ञान (Virtue is knowledge and vice ignorance)। उसके द्वारा दी हुई शिक्षा प्राविधिक (Technical) न थी; उसने मनुष्यों की यह नहीं सिखाया कि वे अपनी नीतियों में सफलता किस प्रकार प्राप्त करें; वह गहराई में उत्तरा; उसका अभीष्ट वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति था। सुकृतात के लिए जो बात महत्वपूर्ण थी वह यह नहीं कि एक व्यक्ति जानता था, बल्कि यह कि उसका ज्ञान उसके जीवन का अग कहा तक है। उसने माधारण तथा वास्तविक ज्ञान में विभेद किया उसने उसे सोफिस्ट्स से सर्वथा अलग एक विशिष्ट कोटि में रख दिया। उस विभेद को हम आगे चलकर समझायेंगे।

(३) आयोनियन (Ionian) विचारकों का परित्याग बरने में सुकृतात मोफिस्ट्स से कही आगे चढ़ गया। अनेक्सीमेंडर (Anaximander) के युग के अन्त की ओर अफलातून तथा अरस्तु के युग के आविर्भाव की सूचना सुकृतात देता है, सोफिस्ट्स नहीं। आदिकालीन यूनानी विचारक जिन्हें आयोनियन कहा जाता है, जगत की एक यान्त्रिक (Mechanical) व्याख्या देते थे, लक्ष्यात्मक (Teleological) नहीं। वे केवल यह जानते की चेष्टा करते थे कि संसार की वस्तुएं किस प्रकार बनी हैं; इस बात से उन्हें कोई सरोकार न था कि वे क्यों बनी हैं। दर्शन के इतिहास में सुकृतात पहला व्यक्ति था जिसने वस्तुओं के अन्तिम उद्देश्य और कारण की खोज की सोफिस्ट्स नहीं। अफलातून और अरस्तु ने भी इस पढ़ति को अपनाया और उसको अधिक विकसित किया।

(४) सोफिस्ट्स की धारणा थी कि मानव व्यवहार एक कला है और वे उस कला में पारगत होने तथा उसे सिखाने का दावा करते थे। सुकृतात की तरह वे भी मानते थे कि शुभ (goodness) ही ज्ञान है, किन्तु इस विषय में दोनों में एक वृनियादी अन्तर है। सोफिस्ट्स का विश्वास था कि 'शुभ' एक विशेष कला है जिसे दूसरी कलाओं की भाँति ही विशेष ज्ञान द्वारा सीखा जा सकता है; किन्तु सुकृतात की धारणा थी कि 'शुभ' एक सामाजिक शक्ति है, विचिष्ट नहीं। यह अनुपम है, उसका कोई जोड़ नहीं। उसकी कोई ऐसी विशेष कला नहीं हो सकती जैसी कि जहाज़ चलाने की अथवा शारीरिक रोगों का इलाज करने की। शुभ की प्राप्ति के लिये विस्तीर्ण विशेष प्रकार के ज्ञान की मावश्यकता नहीं है; उसके लिये तो तत्त्व, अन्तिम सत्य का जानना आवश्यक है। ज्ञान के इस हैतबादी सिद्धान्त की व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे।

(५) सोफिस्ट्स आगामी सेवा के बदले में अर्थात् गिरावंश प्रदान करने के पुरस्कार-स्वरूप फीस लेते थे, उनके अधिकतर गिरावंश के लोग थे; किन्तु मुकरात का दरवाजा सब के लिये खुला था। चाहे अमोर हो या गृहीय, जो भी उमकी बात मुनने को इच्छुक होता था मुकरात उसी से मिलता और बात करता था और किसी से किसी प्रकार की कोई फीस न लेता था। यही कारण है कि उमकी गिरावंशों में वह स्वच्छ-न्दिता और स्वतन्त्रता भलकती है जो सोफिस्ट्स में देसने को नहीं मिलती।

मुकरात का जीवन ध्येय—मुकरात के दो प्रकार के ज्ञान तथा उनके ऊपर आवासित दो प्रकार की नीति अथवा शुभ के सिद्धान्त की व्याख्या करने से पूर्व उनके जीवन तथा मृत्यु के अरथन्त महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधारण व्यक्ति विना बात के जाने हुये कि उनका क्या महान् उद्देश्य है जन्मते और मरते हैं। किन्तु मुकरात साधारण मानवी से भिन्न था क्योंकि उसे इस बात की चेतना थी कि उसे एक ईश्वरीय उद्देश्य की सिद्धि करनी है। उस उद्देश्य की चेतना उसे तब हुई जब कि छेल्की के आरेकिल ने यह घोषणा कर दी कि वह यूनान का सबसे अधिक बुद्धिमान मनुष्य है। जब वह यह न समझ सका कि वह समस्त यूनानियों में सबसे अधिक बुद्धिमान किस प्रकार है तो उसने उस प्रतिघोषणा की सत्यता को परखने का प्रयास किया। वह एक ऐसे राजनीतिज्ञ के पास गया जो कि एक बुद्धिमान मनुष्य समझा जाता था और उससे सत्य, शुभ, सुन्दर सरीखे शब्दों का अर्थ पूछा। उसने पाया कि वह विस्तार बुद्धिमान् व्यक्ति विल्कुल भी बुद्धिमान न था; उसे सत्य का ज्ञान था। मुकरात एक अन्य और फिर उससे भी अन्य तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया; किन्तु उसने प्रत्येक को वास्तव में अज्ञानी पाया। वह स्वयं अपने आप को अज्ञानी कहता था, किन्तु क्योंकि वह अपनी अज्ञानता को जानता था इसलिये वह दूसरों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। इसलिये सत्य अथवा ज्ञान के तथाकथित ठेकेदारों के अज्ञान का पर्दा फ़ाश करना उसके जीवन का ध्येय बन गया, और उसने अपने जीवन के अन्तिम बीस वर्ष इस ध्येय की सिद्धि में लगाये। इस कार्य को उसने एक धार्मिक उत्साह के साथ किया। इस कार्य की पूर्ति करने के लिए उसने एक अनोखी पद्धति अपनाई। पूर्वकालीन दार्शनिकों की भावित उमने अपने विषय का गद्य या पद्य में विवेचन नहीं किया, और न हो सोफिस्ट्स की भाँति उसने अपने विषय की कोई क्रमबद्ध व्यवस्था की। उसकी पद्धति यह थी। वह किसी व्यक्ति से न्याय, सदाचार, भक्ति, साहस सरीखे शब्दों का अर्थ पूछता था और फिर प्रश्नोत्तर के द्वारा उसकी धारणा की अस्पष्टतायें और असंगतायें दिलाता था और अन्त में उसे विश्वास दिलाता था कि वह अज्ञानी था। इस प्रकार मेरे विजित और अपमानित सोगों को यह सब कुछ कटु और अरुचिकर था। अकलातुन ने अपनी कृतियों में इस पद्धति की भावना और रूप, दोनों को अपनाया है; उसने अपने ग्रंथों को सवाद का रूप दिया है जिनमें मुकरात सदैव प्रमुख अभिवक्ता और नवीन विचारों का अनुसंधान करने वाला है। हमें यह याद रखना चाहिए कि मुकरात अपने थोताओं को कोई नवीन बात

सिखलाने का दावा बिल्कुल न करता था ; इतना ही नहीं वह तो यहाँ तक कहता था कि मेरे पास कोई ज्ञान ही नहीं है । उसका उद्देश्य तो नकारात्मक रूप से दूसरों के अज्ञान का भण्डा-फोड़ करना और धनात्मक रूप से उनके स्वयं सत्य अनुसंधान करने में उनकी सहायता करना था । ज्ञानमेन के शब्दों में, “उसने अपने श्रोताओं को नवीन और दिलचस्प विचार प्रदान नहीं किये, बल्कि एक नसं की भौति उसने गम्भीर मस्तिष्क को नवीन सत्य का जन्म देने में सहायता दी ।” सुकरात ने जो कुछ कहा उसने उसे लेखवढ़ कभी नहीं किया ; उसने उसे अपने श्रोताओं के सामने केवल व्यवत किया । उसका जीवन अपने दर्शन के अनुकूल था और उसने दूसरों के समर्ग द्वारा उसे विकसित किया ।

सुकरात का सिद्धान्त—सुकरात की द्वन्द्ववाद की पद्धति का उसके सिद्धान्त से घनिष्ठ सम्बन्ध है । जैसा कि हम पहिले उल्लेख कर चुके हैं, उसके मतानुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो वह जो केवल हमारे विश्वास तक भीमित है और दूसरा है वास्तविक ज्ञान । पहिले प्रकार के ज्ञान का कोई ढृढ़ आधार नहीं है, उसमें परिवर्तन और अदल-बदल हो सकते हैं । वास्तव में यह ज्ञान का एक आवरण मात्र है, यथार्थ ज्ञान नहीं । परन्तु दूसरे का ज्ञान अचल, अङ्गिर और अटल है । उसमें कोई परिवर्तन, कोई संशोधन नहीं हो सकता । वह तो एक निरपेक्ष तथा अमर सत्य है । पहिले प्रकार का उदाहरण है अनुभवसिद्ध विश्वास और दूसरे का वैज्ञानिक सत्य ।

ज्ञान के इन दो रूपों के अनुरूप ही धर्म के और श्रेय (Goodness) के भी दो रूप हैं । एक सापेक्षिक है जिसका आधार व्यक्तिगत मत और विश्वास है । जिस प्रकार मनुष्य के मत और विश्वास में परिवर्तन होता रहता है, इसी प्रकार सापेक्षिक धर्म में भी संशोधन और परिवर्तन होता रहता है । बदली हुई परिस्थितियों में यह भी बदल जाता है । इसके विपरीत निरपेक्ष धर्म का आधार मानव की धाइवत बुद्धि है जो सदा एकरस रहती है, इसलिये वह अमर और नित्य है । वह प्रत्येक स्थिति में मात्र है और हमारा पथ-प्रदर्शक है । जिस ज्ञान के ऊपर यह आधारित है उसके साहज इसे दूरारों तक पहुँचाया भी जा सकता है । क्योंकि जो धर्म कुछ सिद्धान्तों के ऊपर आधारित है वह उन सिद्धान्तों की एक निदिच्चत परिभाषा भी चाहता है और जिस बात या वस्तु को परिभाषाबद्द किया जा सकता है उसे दूरारों को सिखाया भी जा सकता है । ज्ञान के इस स्वरूप और परिभाषा से ही सुकरात का यह सर्व महत्वपूर्ण तथा बेजोड़ सिद्धान्त निकला है कि धर्म ही ज्ञान है । अफलातून ने हृदत्तपूर्वक इस मिद्धान्त को अपनाया, राजनीति विचार के सम्बन्ध में इसके जो परिणाम निकले उन्हें स्पष्ट किया ।

यदि धर्म ज्ञान है तो अज्ञान पाप का मूल है । यदि एक मनुष्य जान-बूझ कर धर्म की अवहेलना नहीं कर सकता तो जान-बूझ कर वह पाप भी नहीं कर सकता । किन्तु यथार्थ जगत में ये दोनों बातें सत्य प्रतीत नहीं होती । हमारा अनुभव इस बात का साक्षी है कि कभी-कभी हम जान-बूझ कर भी पाप करते हैं और अपने धर्म को समझते हुए भी उसका पालन नहीं कर पाते । परन्तु इस प्रकार के उदाहरण सुकरात

के सिद्धान्त के मच्चे अपवाद नहीं गहे जा सकते यदोकि उमका यह उत्तर दिया जा सकता है कि ये अपवाद वास्तविक ज्ञान के नहीं, बरन् ऊपरी विद्याम के हैं। यदि कोई व्यक्ति कोष्ठ को बुरा भग्नभते हुए भी कोष्ठ पर बैठता है तो उसका अर्थ है कि उसकी आत्मा कोष्ठ को सचमुच बुरा नहीं भग्नभती। एक जितेन्द्रिय महात्मा जिसने कोष्ठ के वास्तविक स्वरूप को भग्नभत उमका परित्याग कर दिया है कभी उसका शिकार नहीं हो सकता। धर्म और ज्ञान की एकरूपता हमें इमनिए नहीं दिसाई पड़ती यदोकि ज्ञान शब्द का हम एक भिन्न अर्थ लगाने हैं। सुकरात के लिए ज्ञान एक बोढ़िक विद्याम न था, वह उसे समस्त हृदय और आत्मा की अनुभूति समझता था। वह आत्मा का आलोक था।

सुकरात द्वारा प्रतिशादित इस धर्म और ज्ञान की एकरूपता के बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम है जिनमें से कुछ की ओर स्वयं सुकरात ने ही सकेत किया था और कुछ पर उसके महानात्म शिष्य अफलातून ने बल दिया। इसी के कारण सुकरात ने शासकों के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। वैसे तो सोफिस्ट्स ने भी इसका आग्रह किया था और इस प्रकार का आवश्यक विशेष ज्ञान प्रदान करने का वे दावा भी करते थे; किन्तु सुकरात और उनमें बड़ा अन्तर है। सोफिस्ट्स के अनुसार सरकार अथवा शासन एक विशेष कला है जिसके लिए एक विशेष कौशल की आवश्यकता है। सुकरात ऐसा नहीं मानता था कि मानव व्यवहार की एक विशेष कला है जिसके लिए किसी विशेष धर्म की आवश्यकता है; इसके विपरीत वह तो इसे स्थापत्य (Architecture) कला समझता था जिसके लिए सामान्य धर्म अभीष्ट था। यह सम्पूर्ण आत्मा का धर्म है जो उसकी समस्त क्रियाओं में तागतम्य उत्पन्न करता है। इसी धारणा के फलस्वरूप सुकरात ने प्रजातन्त्रवाद पर प्रहोर किया जो प्रत्येक व्यक्ति को शासन पद के योग्य समझता है। उसने पांसा फेंककर या लाटरी डालकर अधिकारियों को ढाढ़ने की प्रथा का भी विरोध किया यदोकि ऐसा करने से ज्ञानी व मूर्ख सब बराबर हो जाते हैं और शासन के लिए जिस ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है उसका निर्वाचित होना कठिन होता है। बुद्धि द्वारा शासन का यह सिद्धान्त जिसका प्रतिपादन सुकरात ने किया अकलातून के हाथों में पड़कर और भी मुखरित हो उठा। अफलातून का दार्शनिक राजा जो अपनी स्वतन्त्र तथा सुशिक्षित बुद्धि द्वारा शासन करता है एक ऐसा ही शासक है जैसा कि सुकरात के अनुसार होना चाहिये स्वार्थ-रहित निरकुशवाद के सभी प्रशसक अपने विचारों के समर्थन में सुकरात को पेश करते हैं।

सुकरात के भिन्नान्त के उपरोक्त राजनीतिक परिणाम और कानून, न्याय तथा राज्य के सम्बन्ध में वे धारणायें जो अफलातून के अनुसार सुकरात की धी के अतिरिक्त उसकी शिक्षाओं का अधिक राजनीतिक महत्व नहीं है। किन्तु हमें याद रखना चाहिए कि न केवल उसका समस्त जीवन बल्कि उसकी मृत्यु भी उसकी राजभवित तथा कानून पालन का अकाद्य प्रमाण है। सुकरात अपने देश, ऐथन्स के हित के लिए

थ्रेस (Thrace) और डीलियम (Delium) के रणक्षेत्र में तखावार हाथ में लेकर लड़ा। एक बार वह परिपद और परिपद समिति का सदस्य बना और परिपद के अन्य सदस्यों के गैरकानूनी कार्यों का डटकर विरोध किया। आगे चलकर उसने 'तीस अत्याचारियों (Thirty Tyrants) के शासन काल में ऐसी आज्ञाओं को मानने से इन्कार कर दिया' जिन्हें वह गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण समझता था। जीवनपर्यन्त उसे हम एक कर्तव्य-प्ररापण, कर्मठ और देशभक्त नागरिक के रूप में पाते हैं किन्तु उसकी राजभक्ति और कामून-प्रियता उसकी मृत्यु के समय अपनी चरम सीमा को का पहुंची। उसे मृत्युदण्ड की प्राज्ञा दी जा चुकी है, काल-कोठरी में पड़ा हुआ है, विष का प्याला पिलाया जाने को है। उसके कुछ भक्त और मित्र उससे भाग निकालने का आग्रह करते हैं; किन्तु इस कानून के पुजारी ने प्राण बचाने के लिए भी कानून तोड़ने से इन्कार कर दिया। हाँ, ईश्वरीय कानून के सामने तो वह मनुष्यकृत कानून की अवहेलना करने को तैयार था। उसका समस्त जीवन इस शिक्षा का मूर्त्त है कि "अपनी आत्मा के लिए तो राज्य का विरोध करना भी उचित है; किन्तु दूसरी बातों में हमें अपने प्राण देकर भी राजाज्ञा का पालन करना चाहिये।"¹³

मुकरात की मृत्यु से अफलातून को इतना धक्का लगा कि उसने राजनीति में भाग लेने का विचार ही छोड़ दिया और अपने जीवन को विचार, मनन, साहित्य-रचना तथा भ्रमण में लगा दिया। भला वह ऐसे जनतन्त्र को कैसे पसंद करता जिसने एक ऐसे व्यक्ति को भौत के घाट उतार दिया जिसे वह संसार का सर्वथेठ, सबसे अधिक बुद्धिमान तथा मर्वाधिक न्यायशील मनुष्य भमझता था। शासन के विभिन्न रूपों में उसने जनतन्त्र को एक बहुत ही नीचा स्थान दिया। याद रहे कि मुकरात का जन्म ४६६ ईसा पूर्व (B. C.) मेरी वर्लीज के शासक बनने से ४ वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी मृत्यु ३६६ ईसा पूर्व मे हुई जबकि ऐथेन्स का पतन हुए ५ वर्ष हो चुके थे। इस प्रकार उसने ऐथेन्स को बैंधव के गिखर पर चढ़ते हुए भी देखा और पतन के गहरे गर्त मे गिरते हुए भी।

¹³.....for the sake of conscience a man may rise up against Caesar, but that in other matters, he must render unto Caesar the things that are Caesar's, even to the debt of his life." — Barker : *Ibid*, page 96.

अफलातून (Plato) रिपब्लिक (Republic)

परिचयात्मक — प्राचीन यूनान के राजनीतिक विचार के विकास और प्रगति में सुकरात तथा सोफिस्ट्स का हाथ तो अवश्य है ; निःसन्देह उन्होंने राजनीतिक समस्याओं को समझने और उन पर विचार करने की एक उत्सुकता जन-गाधारण में उत्पन्न की ; किन्तु किसी ने भी क्रमबद्ध रूप से और विधिपूर्वक राजनीतिक चित्तन नहीं किया। इसका सर्वप्रथम श्रेय अफलातून को ही दिया जाना चाहिये जिसने सबसे पहिले पहल राजनीतिक समस्याओं पर एक वैज्ञानिक हृष्टि से विचार किया और नगर-राज्य के सिद्धान्तों तथा आदर्शों का सांगोपाग विश्लेषण किया। अफलातून के महान् शिष्य अरस्तु ने अपने इस महान् गुरु की परम्परा को न केवल कायम रखना बल्कि उसको ऊंचा उठाया और आगे बढ़ाया। इन दोनों महान् विचारकों ने न केवल नगर-राज्य का राजनीतिक दर्शन हमें दिया बल्कि राजनीति के अनुसन्धान और अध्ययन के लिए महान् संस्थायें भी कायम की। अफलातून की एकाडेमी (Academy) और अरस्तु की लेसियम (Laceum) किसी भी दशा में आज के विश्वविद्यालयों से हीन न थी इन विद्याकेन्द्रों और कुछ अन्य छोटी-मोटी संस्थाओं के साथ जिन्हे अरिस्टी-पस (Aristippus) तथा एटिस्टिथनीज़ (Antisthenes) ने कायम की थी यूरोपीय दर्शन विशेषकर राजनीति दर्शन और अन्य समाज शास्त्रों का भूत्रपात होता है। इस क्षेत्र में सबसे पहिला स्थान नि सन्देह अफलातून और अरस्तु का है जिनमें यूरोप की चुदि का सबसे पहिला चमत्कार हमें मिलता है।

अफलातून का जीवन—अफलातून का जन्म ४२८ ई० पूर्व में ऐथेन्स में हुआ था। उस से दो वर्ष पूर्व ऐथेन्स के महान् राजविद् पेरीक्लीज (Pericles) की मृत्यु हो चुकी थी, और उस के लगभग २० वर्ष पहिले पेलोपोनीशियन युद्ध में ऐथेन्स की अपमानजनक हार हो चुकी थी। उसका ८० वर्ष से कुछ ऊपर की आयु में ३४८ ई० पूर्व में देहान्त हो गया, जबकि मकदूनिया के सैन्यवाद ने अपनी विजय के ढंके बजाने प्रारम्भ कर दिये थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक सब से अधिक मकट ग्रस्त युग देखा था। उसने स्पार्टा के सामने ऐथेन्स को छुटने टेकते हुए देखा; उसने प्रतिक्रियावादी अल्पतत्ववादियों का, जिनमें से कुछ उसके अपने ही सम्बन्धी थे, आतायी पूर्ण शासन देखा; उसने लोकतत्र का

अफलातून—रिपब्लिक

पुनरुत्थान देगा जिसने कि उसके परम प्रिय गुरु, सुकरात (Socrates) की हत्या कर डाली; और उसने नगर-राज्य (City State) तथा उसकी परम्परागत नैतिकता का हाल देता। इन घटनाओं ने उसके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला और उसके जीवन प्रवाह को बदल दिया।

अफलातून का जन्म एक अभिजात्य कुल में हुआ था। जिस प्रकार कि रघुवंशी सोग, जिनमें राम महान्‌तम् थे, अपना आदि पूर्वज सूर्य को मानते थे, उसी प्रकार अफलातून का पिता पोसीडोन नामक यूनानी देवता का वंशज होने का दावा करता था उसकी माता भी ऐथन्स के महान् न्यायविद्, सोलन से, जिसे कि ऐथन्स का मनु समझा जा सकता है, मन्दन्धित थी। आरम्भ में, अपने बहुत से निकट सम्बन्धियों की की भाँति अफलातून भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाये रखता था; उसकी एक रचना में इस बात का उल्लेख भी मिलता है। वास्तव में उम अल्पतंत्र (Oligarchy) के, जो कि ४०४ के आतंक के लिए उत्तरदायी था, प्रमुख सदस्यों ने उससे अपने साथ समिलित हो जाने का आग्रह भी किया था, परन्तु वह बुद्धिमत्ता पूर्ण उनसे अलग रहा। उनके हिन्सात्मक कार्यों ने, विदेश स्प से उनके अपने एक विरोधी की हत्या करने के अपने वैधानिक प्रयास में सुकरात को फंसाने के प्रयास ने उसे बड़ा मानसिक आघात पहुंचाया। जब लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, तो उसे आशा थी कि स्थिति में कुछ सुधार होगा, परन्तु लोकतंत्री शासन के द्वारा सुकरात वह सदसे अधिक बुद्धिमान् तथा सर्वोत्तम मनुष्य समझता था, हत्या से तो उसे इतना गहरा धक्का लगा कि वह राजनीतिक जीवन से ही धूमा करने लगा; और वह दर्शन की ओर प्रवृत्त हो गया। उसके जीवन का उद्देश्य ही यह बन गया कि सत्य तथा न्याय सुकरात के पक्ष में थे, और यद्यपि सुकरात सरीखा सन्त उन दिनों के ऐथन्स के अधिकार्य था, राजनीति के लिए ऐसे ही व्यक्तियों की सब से अधिक आवश्यकता थी। उसे हठ विश्वास हो गया कि यथार्थ स्थिति तथा आदर्श के बीच अन्तर को केवल तभी दूर किया जा सकता है जबकि प्रज्ञान (Wisdom) तथा शासन सत्ता का एक ही व्यक्ति में सम्मिश्रण हो, जबकि दार्शनिक राजा बन जाये अथवा राजाओं में दर्शन का भाव उत्पन्न हो जाये। उसके मतानुसार एक अच्छा राज्य एक न्यायपूर्ण राज्य होता है जिसमें प्रज्ञान शासन करता है। उसके रिपब्लिक (Republic) नामक ग्रन्थ का यही मुख्य विषय है।

कुछ लोगों की यह धारणा है कि ३६६-३६० पूर्व में सुकरात की हत्या होने पर अफलातून तथा सुकरात के कुछ अन्य भवतों ने ऐथन्स छोड़ दिया था और कुछ दिन के लिए मेगारा में शरण ली थी। यह बात तो निश्चित है कि सुकरात की मृत्यु के पश्चात् उसने कुछ वर्ष यूनान, मिश्र तथा इटली की यात्रा करने में व्यतीत किये थे। जेम्स अर्विक की धारणा है कि अफलातून भारत भी आया था और उसने यहा वेदान्त के उत्कृष्ट दर्शन को सीखने का प्रयास किया था जिस की भलक उस के सामान्य दर्शन में बहुत से स्थानों पर मिलती है। कहा जाता है कि वह फारम भी गया था। इस में कोई सदैह नहीं कि उसने अपने चारों ओर जो राजनीति

अस्थिरता देखी, उसने उस के हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ी और उमकी चितन धारा को प्रभावित किया। इसने उसे मानव आचरण के उन वास्तवा सिद्धांतों की खोज करने के लिए उत्तेक्ष्ण किया कि केवल जिनका पालन ही व्यक्ति आनन्द तथा राज्य को स्थिरता प्रदान कर सकता है।

हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अफलातून अपनी किसोरावस्था में ही सुकरात के प्रभाव में आ गया था। वह उमकी हत्या पर्यन्त उमके साथ रहा। सुकरात के साथ उसके सम्बन्ध के विषय में मत-वैभिन्न है। सर अनेस्ट वाकंर का कहना तो यह है कि अफलातून वास्तव में सुकरात का शिष्य नहीं था, परन्तु वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही सुकरात की गोष्ठी का एक सदस्य था। इसके विपरीत; जेम्स अविक के मतानुसार अफलातून सुकरात का एक शिष्य था। हमें अविक का मत ही अधिक मान्य प्रतीत होता है। अफलातून सुकरात के प्रति जो भक्ति-भाव रखता था और उसने अपनी रचनाओं में उसे अपना प्रतिनिधि बना कर उसे जो अद्वैजिलि अपित की है, वे इस बात का प्रमाण है। इसमें हमें यह बात समझने में भी महायता मिलती है कि अफलातून ने अपनी रचनाओं में तर्क-वित्तक (Dialectic) की पढ़ति को क्यों अपनाया और क्यों उसका समूर्ण राजनीतिक दर्शन सुकरात के इस मिद्दान्त पर आधारित है कि सदाचार ज्ञान है (Virtue is knowledge)। उसका दभ तथा मिद्याचारा की घोर निन्दा करना, और सच्चे न्याय तथा साहस और सयम का स्वरूप प्रगट करना, और फिर उनके माथ सगतिवद्ध एक सविधान की रचना करना भी इस बात का ढोतक है कि वह सुकरातवादी भावना से कितना ओत-प्रोत था।

अपनी विदेश यात्रा से लौटने पर अफलातून ने दर्शन-शास्त्र के क्रम बद्ध तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के हेतु 'अकादमी' (Academy) स्थापित की। इसने यूनान को न्यायविद् तथा राज वेत्ता प्रदान किये और इसे प्राचीन का ससार का प्रथम विश्वविद्यालय समझा जा सकता है।

अफलातून के जीवन के इस बहुत ही सक्षिप्त विवरण को समाप्त करने से पूर्व हम उस के जीवन की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख और करना चाहते हैं। वह घटना है उसकी साइरेक्यूज की यात्रा। ३८७ ई० पूर्व में अपनी सिसिली यात्रा के समय साइरेक्यूज में अफलातून की डॉन डॉयन से हुई जिसने कि उमकी विचार धारा को स्वीकार कर लिया। जब उसके सम्बन्धी डॉयनीसियस प्रथम की मृत्यु होने पर उसका पुत्र डॉयनीसियस द्वितीय राज सिहासन पर बैठा, तो डॉयन ने सोचा कि नया राजा भी अफलातून की शिक्षाओं से वैसे ही प्रभावित हो सकता है जैसा कि वह स्वयं हो गया था। उसके कहने से डॉयनीसियस ने अफलातून को अपने दरवार में आने के लिए आमंत्रित किया। डॉयन ने एक अपना सदेश भी अफलातून के पास भेजा जिस में यह कहा गया कि एक दार्शनिक राजा को प्रशिक्षित करने का यह समुचित अवसर है। अफलातून को सफलता की अधिक-

आशा नहीं थी, परन्तु फिर भी उसने वह निमत्रण स्वीकार कर लिया और वह साठ वर्ष की अवस्था में सिमिली गया।

अफलातून अपनी अकादमी में मनुष्यों को राजविद्या सिखाता रहा था। डॉयनीसियस स्वयं अकादमी में नहीं आ सकता था, इसलिए उसने स्वयं उसके पास जाना और एक वंशानुगत राजा को राज कला की दिक्षा देना उचित समझा। इसमें निश्चित रूप में ही बड़ी संभावनायें निहित थीं परन्तु वहाँ स्थिति विगड़ गई। डॉयनीसियस अधिक शीघ्रता के साथ अपना पाठ्य-क्रम समाप्त करना चाहता था और वह शीघ्र ही अफलातून की शिक्षा से थक गया। डॉयन को भी साइरेक्यूज से निर्वासित कर दिया गया। अफलातून वहाँ कुछ समय तक रहा परन्तु उसे कुछ विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। वह ३६६ ई० पूर्व में ऐथेन्स लौट आया परन्तु डॉयनी-सियस ने उसे कुछ समय पश्चात् (अपने अध्ययन में कुछ प्रगति कर लेने पर) फिर से आमंत्रित करने का बचन दिया। ३६१ ई० पूर्व में उसने अफलातून को फिर आमंत्रित किया, परन्तु डॉयन को निर्वासित से बापिस नहीं बुलाया। डॉयन के प्रदेश को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया और अफलातून ने अपने आप को एक प्रकार के 'सम्मानपूर्ण बन्दीकरण' की स्थिति में पाया। वह टैरन्टुम के शासक की, जिस के भाथ उसने पहिले मैत्री का सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, सहायता से किसी प्रकार बच कर ऐथेन्स बापिस पहुंचा।

अफलातून के विचार का ध्याहारिक स्वरूप—जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, अफलातून तीन बार सिसली गया और वहाँ के निरंकुश राजा का परिष्करण और परिमार्जन करके उसे एक न्यायी और घर्मात्मा राजा बनाने का उसने प्रयत्न किया और इस प्रकार उसने अपने सर्वोच्च राजनीतिक आदर्शों को सफल बनाने की, चाहे वह सफलता आंशिक ही बर्यों न हो, चैप्टा की। इस बात से स्पष्ट सिद्ध है कि अफलातून कोई कोरा स्वप्न-हटा न था; उसका उद्देश्य वास्तविक जीवन को प्रभावित करना था; ऐसा करने का वह प्रयत्न करता था और उसमें सफलता की आंगना भी उसे न थी। उसकी विकाशों का अन्तिम उद्देश्य नैतिक था। वार्कर के शब्दों में "वह ऐसे ज्ञान का प्रसार करता था जिसकी अनुभूति कर्म में होनी चाहिये; वह एक ऐसे दर्शन का प्रचार करता था जो जीवने को एक भाग बन कर उसे प्रेरणा दे। उसका दर्शन आंतमा का परिवर्तन है और मानवता की सेवा है।" यह है यूनानी विचार का वह व्यवहारिक स्वरूप जिसका उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं। अफलातून हमारे प्राचीन ऋणियों और मनीषियों के कितनों निकट है जिनका कहना था कि सच्चा ज्ञान सदा कर्म में प्रकट होना चाहिये और दर्शन जीवन का एक हंग और प्रेरणा है। निःसन्देह साइरेक्यूज़ (Syracuse) के निरंकुश राजाओं को दीक्षा देने के प्रयत्न में अफलातून विफल रहा। शायद उसने अनुभव कर लिया था कि 'रिपब्लिक' में चित्रित राजप्रणाली एक ऐसी शब्द रचना थी जिसे इस पृथ्वी पर साकार नहीं किया जा सकता, भले ही स्वर्ग में उसकी अनुभूति हो सके। परन्तु इससे निराश होकर उसने

आदर्श का परित्याग नहीं किया। हाँ, मानव स्वभाव की दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए उपादर्श (Sub-ideal) राज्य का चित्र अपने ग्रंथ 'लॉज' (Law^s) में यीना जिसे उसने सर्वोत्तम राज्य से दूसरी श्रेणी में रखा है।

अफलातून की पढ़ति—अफलातून की अध्ययन पढ़ति पर भी एक हृष्टियात कर सेना अनावश्यक न होगा। उसने नैतिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक भमस्याओं के विश्लेषण के लिए द्वन्द्ववादी पढ़ति अपनाई है। उसने अपनी समस्त कृतियों को सम्बाद रूप में रखा है जिनमें सुकरात प्रमुख वक्ता है और उसके विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार अन्य दार्शनिक विचारों और सिद्धान्तों को उसने तत्कालीन या पूर्वकालीन व्यक्तियों के सम्भाषणों द्वारा व्यवत किया है। उसने अपने सम्बादों के पात्रों का चुनाव सौच समझ कर किया है। पात्र विशेष द्वारा केवल उन्हीं विचारों की उद्धोषणा कराई है जो वास्तव में उसके थे। सम्बाद पढ़ति और वर्तमान निरूपण पढ़ति में अन्तर यह है कि पहली पढ़ति में हम भस्तिष्क को मचमुच कार्य करता हुआ देखते हैं और दूसरी में घडे घड़ाये विचार हमारे सामने आ जाते हैं। सम्बाद पढ़ति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्पर्श पाकर भावना अधिक सजीव और रोचक हो उठती है। उसमें किसी सत्य और तथ्य का कथन भाव नहीं होता; उसमें दार्शनिक भावना अपने सक्रिय और साकार रूप में भलकर्ती है। अपने सुविष्यात गुरु सुकरात का अनुसरण करते हुए अफलातून अपने पाठकों की विचारशीलता को जाग्रत करना चाहता था, उनमें ऊपर से ज्ञान भरना उसका ध्येय न था। एक सबाद सत्य का हृष्टपूरण दावा नहीं है, बल्कि उससे दार्शनिक भावना का पता चलता है। असत्य का पर्दाफाश करके, नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके और उनमें दोष निकाल कर यह बुद्धिग्राह्य सत्य की खोज में सदैव उच्चतर उठता जाता है। यह सिद्ध करने के लिए कि सत्य का सबसे अधिक अच्छा अनुसधान सहयोग से होता है सबाद की पढ़ति सबसे अधिक अनुकूल है।

अफलातून की एक विशेषता यह भी है कि अपनी वात की पुष्टि के लिए वह हृष्टान्तों का प्रायः प्रयोग करता है। सुकरात के सहज उसने ये हृष्टान्त कही तो कलाओं में से लिए हैं और कही प्रकृति में से। राज-काज के मामलों में ज्ञान और कौशल का महत्व बतलाते हुए वह डाक्टर और यान संचालक का उदाहरण देता है और पुरुषों के साथ स्त्रियों के भी संरक्षण के रूप में काम करने का समर्थन करते हुए वह रक्षक कुत्तों का हृष्टान्त पेश करता है। इस प्रकार से हृष्टान्तों का प्रयोग करना कठिन तो है ही, साथ ही साथ भ्रमोत्पादक भी है। शासन कला तथा औपचारिक कला और नाविक कला में मूल-भूत अन्तर हैं जिनके कारण एक का हृष्टान्त लेकर दूसरे के लिए किसी सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करना उचित नहीं। मनुष्य और पशु में तो और भी अधिक अन्तर है जिसके कारण पशु जगत में जो सत्य है उसका मानव संसार में सत्य होना अवश्यक नहीं है। किसी भी दशा में हृष्टान्त द्वारा तक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता, चाहे हृष्टान्त कितना भी उचित और पक्का क्यों न हो।

अफलातून की पढ़ति के बारे में अन्तिम बात यह है कि वह एक कल्पनावादी ('topian') है, पश्चिमी संसार के कल्पनावादियों में उसका स्थान सर्वप्रथम और सर्वोच्च है। इतिहाससिद्ध वास्तविक राज्य के बरंग से उसका कोई सम्बन्ध नहीं; उसका अभीष्ट एक आदर्श की खोज है। आदर्श-राज्य राज्य का एक पूर्ण और आदर्श चित्र है; तुलना और समालोचना द्वारा अफलातून उसकी खोज करना चाहता है। 'रिपब्लिक', 'स्टेट्समैन' (Statesman) तथा 'लॉज' के पात्रगण जो वातलाप आपस में करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है आदर्शराज्य की खोज। वह एक आदर्श और नगर राज्य की वास्तविक प्रकृति की खोज करना चाहता है, यथार्थ से उसका कोई सरोकार नहीं। वह एक ऐसे संसार का चित्र अंकित करता है जो मानव जीवन के सच्चे सिद्धांतों पर आधारित है; किन्तु है यह सब कुछ कल्पना, इस वसुन्धरा पर उसका कोई अस्तित्व नहीं।

अफलातून के सम्बाद (Dialogues)—अफलातून ने लगभग तीन दर्जन सम्बाद लिखे हैं। अपॉलॉजी (Apology), क्रीटो (Crito), मीनो (Meno), प्रोटेगोरस (Protagoras), तथा गोर्जिया (Gorgias) को उसने जीवन के प्रारम्भिक काल में ३४ वर्ष का होने से पहिले ही लिख लिया था। रिपब्लिक (Republic), फेड्रस (Phaedras) और फैडो (Phaedo) की रचना उसने अपने जीवन में ४० वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक की थी। पोलीटिक्स (Politicus) अथवा स्टेट्समैन (Statesman), फिलेबस (Philebus), क्रीटास (Critias) तथा लॉज (जो उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए) की रचना उसने अपने जीवन के अन्तिम चरण में ६० वर्ष का हो जाने के बाद की थी। उसके राजनीतिक विचारों को जानने के लिए हमें प्रधानतः रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज की ओर ही देखना चाहिये यद्यपि अपॉलॉजी और क्रीटो में भी राज्य और व्यवित के सम्बन्धों की चर्चा हुई है। प्रस्तुत अध्याय में हम रिपब्लिक लेंगे और स्टेट्समैन तथा लॉज को अगले अध्याय में।

रिपब्लिक का स्थान तथा उद्देश्य—सभी लोग रिपब्लिक को अफलातून की महानृतम तथा सर्वथेठ कृति मानते हैं। उसमें वह अपने पूर्णतम और मुन्द्ररत्म रूप में प्रकट हुआ है। हमें इसके दो शीर्षक मिलते हैं। पहिला है 'रिपब्लिक' जिससे जाहिर होता है कि मौलिक रूप से यह एक राजनीतिक ग्रन्थ है और इसका मुख्य विषय राज्य का स्वरूप तथा संघटन है। इसका दूसरा नाम है 'कन्सर्निंग जस्टिस' (Concerning Justice) जिससे यह व्यंजित होता है कि यह एक आचार शास्त्र का ग्रन्थ है जिसको मुख्य समस्या न्याय अथवा नीतिक धर्य के स्वरूप का विश्लेषण करना है। वास्तव में इसमें दोनों ही वातों का समावेश है। इतना ही नहीं यह उनसे भी कुछ अधिक है यद्योंकि इसमें समाजशास्त्र, सिक्षाशास्त्र तथा अध्यात्म सम्बन्धी समस्याओं का भी निरूपण किया गया है। इतिहास का दर्शनशास्त्र तो हमें सबसे पहिले ही इसी ग्रन्थ में मिलता है। इसकी विषय मामग्री की इस विविधता के कारण इसे किसी थोरी विद्या में रखना बड़ा कठिन है; इसकी तो एक अपनी ही थेणी है।

इस विविधता के कई कारण हैं। पहली बात तो यह कि उस युग में ज्ञान का अलग-अलग शास्त्रों और शाखाओं में कोई जटिल विभाजन नहीं किया जाता था, सम्पूर्ण ज्ञान को एक और अविभाज्य समझा जाता था। एक प्रश्न के ऊपर विचार करते-करते दूसरा प्रश्न अपने आप सामने आ खड़ा होता था। इसी प्रकार प्रश्न में से प्रश्न निकलते रहते थे। दूसरे, यह कि नगर राज्य में जीवन की विभिन्न क्रियाये एक दूसरे से इस प्रकार गुणी हुई थी कि उन्हें अलग-अलग करके देखना कठिन था; उनमें इस प्रकार का विभाजन न था जैसा कि आज हम अपने जीवन में पाते हैं। वहाँ राज्य, परिवार, चर्च तथा ट्रेड-यूनियन में कोई प्रतिद्वन्द्विता या प्रतिस्पर्धा न थी। व्यक्ति का धर्म राज्य का धर्म था, उसके धार्मिक कर्तव्य नागरिक कर्तव्य थे। ऐसी स्थिति में इस बात में आश्चर्य ही क्या है कि अफलातून की राजनीति में न केवल वह विषय शामिल था जिसे हम आज राजनीति कहते हैं, बरन् उसमें हमारा आज का आचारशास्त्र, धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र एक बड़ी हद तक समाविष्ट है। नगर राज्य का क्षेत्र तो अवश्य ही आज के राष्ट्र-राज्यों से कही छोटा था; किन्तु उसका कार्य व्यापार कही अधिक विस्तृत था और विविधतापूर्ण था। तीसरी बात यह कि सम्बाद पद्धति में, जो अफलातून ने अपनाई, निष्पण पद्धति की अपेक्षा व्यवस्था की और विविधता की अधिक स्वतन्त्रता रहती है।

अफलातून सबसे पहले यह नीतिक प्रश्न उठाता है—एक अच्छे मनुष्य के क्या लक्षण और गुण हैं और उसे किस प्रकार अच्छा बनाया जा सकता है? क्योंकि राज्य के बिना कोई व्यक्ति अच्छा बन ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रश्न में से स्वाभाविक हृप से प्रश्न उठता है—एक अच्छा राज्य कौन सा और कैसा होता है और उसे अच्छा किरा प्रकार बनाया जाता है? इस प्रकार आचार-दर्शन से आरम्भ करके वह राजनीति-दर्शन पर आ जाता है। किन्तु अफलातून ने अपने गुरु से यह सीख रखा था कि धर्म ज्ञान है और राज्य का धर्म-परायण होना इस बात पर निर्भर करता है कि शासकों को धर्म का पूर्ण ज्ञान हो। इसलिए तीसरा प्रश्न यह खड़ा होता है—वह निरपेक्ष ज्ञान कौन सा है जो शासकों को प्राप्त करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है दर्शनशास्त्र। इसी प्रश्न में एक ग्रन्थ प्रश्न और भी उठता है—राज्य किस ढंग से अपने नागरिकों को अन्तिम धर्म को प्राप्त करने में सहायता दे सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में शिक्षा सिद्धान्त निहित है। अब क्योंकि राज्य के अन्तिम लक्ष्य, उमकी शिक्षा पद्धति तथा उमके सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में तारतम्य और तालमेल होना चाहिए, इसलिए अन्तिम प्रश्न अफलातून के भास्त्र में यह आया कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इस प्रकार उसकी 'रिपब्लिक' एक ही माय आचारशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, शिक्षाशास्त्र तथा समाजशास्त्र का ग्रन्थ बन गई। अफलातून का कौशल और उस ग्रन्थ का सौदर्य इस बात में है कि इनमें ये विविध विषय इस प्रकार एक दूसरे में गुणे हुए हैं कि देखने वालों को उनमें एक ही मम्पूर्ण विषय दियाई पड़ता है। यह चमत्कार इसलिए उत्तम हो सका क्योंकि

अफलातून ने मानव जीवन का, उसके कर्म और विचार का, एक पूर्ण दर्शन देने का प्रयास किया।

हम एक पहिले अध्याय में बता चुके हैं कि यूनानी राजनीतिक विचार का एक हिट्टिकोण व्यवहारिक है। 'रिपब्लिक' के बारे में तो यह बात और भी अधिक सत्य है क्योंकि इस अफलातून ने एक निश्चित व्यवहारिक उद्देश्य मन में लेकर रखा है। उसका उद्देश्य था सोफिस्ट्स द्वारा प्रतिपादित आत्म-तृप्ति के सिद्धान्त को भ्रूटलाना और नष्ट करना जिसे भ्रष्टाचारी तथा जनतन्त्री दोनों प्रकार के राज्यों ने अपना लिया था। उनके अनुसार राज्य एक साधन मात्र है जिसका साध्य है अपने शासकों की आत्म-तृप्तणा को तृप्त करना। इसीलिए उनका विश्वास था कि सबल का हित ही न्याय है और एक शासक का स्वार्थ-सिद्धि के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना स्वाभाविक और न्यायपूर्ण है। इस प्रकार के उच्छृंखल व्यक्तिवाद का विरोध करते हुए अफलातून ने राज्य के जैविक स्वस्थ की प्रतिष्ठा की। उमने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि एक व्यक्ति के लिए न्याय अपने उम कर्तव्य का पालन करना है जिसके लिए उसके स्वभाव तथा उसके लालन-पालन ने उसे समर्थ बनाया है और जिससे समस्त समाज का हित होता है। इस प्रकार राज्य और व्यक्ति के हित में कोई सघर्ष नहीं है। एक बुद्धिमान् और न्यायशील शासक वह है जो जनहित के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर सकता है और उसी में आनन्द अनुभव करता है। सारांश यह कि उसने उस युग की उस हिंसात्मक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया जो तत्कालीन राजनीति पर दुरी तरह छाई हुई थी। धनतन्त्री में अमीर और जनतन्त्री में गरीब अन्य वर्ग का शोपण करने की चेष्टा करते थे; वाकंर के शब्दों में "अफलातून के राजनीतिक दर्शन का दृष्टिकोण एक ऐसे शासनाधिकार की स्थापना करना था जिसमें न तो अमीर गरीब पर और न गरीब अमीर पर शासन कर सके वल्कि जो दोनों के ऊपर हो या कम से कम जिसमें दोनों का भाग हो।"

राजनीतिक स्वार्थपरता के अतिरिक्त जो धनतन्त्र और जनतन्त्र दोनों ही के माथे पर एक कलंक था, एक अन्य दोष के विरुद्ध अफलातून ने अपने देशवासियों को चेतावनी दी। यह दोष केवल जनतन्त्र की ही विशेषता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक पद के योग्य समझा जाता था और लाटरी द्वारा नियुक्तिर्थी की जाती थी। यह प्रया क्षमता और कुशलता की धातक थी और इसके कारण शासन यन्त्र मूर्खों के हाथों में जा पड़ा। जनतन्त्र के ऊपर अज्ञान और अकुशलता का अपराध लगाना अफलातून पर सुकरात के इस सिद्धान्त की द्याप सिद्ध करता है कि शासन एक ऐसी कला है जिसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है (सोफिस्ट्स द्वारा प्रतिपादित)

*"It became the mission of political philosophy in the hands of Plato, to rehabilitate a strong and impartial authority, which should mean, not the rule of the rich over the poor, or of the poor over the rich, but of something either above or at any rate combining both." —Barker: *PLATO*, p. 22

विशिष्ट ज्ञान की नहीं)। उमका राजनीतिक उद्देश्य एक ऐसे शामन यन्त्र का निर्माण करना था जिसमें स्वार्थपरता के न्यान में भवोदय का भाव हो, परस्पर पूट की जगह एकता हो और अनुभवहीन शासकों की अकुशलता की जगह धमता और योग्यता का शामन हो। इस ध्येय की पूर्ति के लिए 'रिपब्लिक' में जिन दो साधनों था अनुमोदन किया गया है वे हैं विशेषीकरण (Specialisation) और एकीकरण (Unification)। अफलातून के इस व्यवहारिक उद्देश्य को ध्यान में रखे दिना हम रिपब्लिक की युक्तियों को पूर्णरूपेण नहीं समझ पायेंगे। अपने आदर्श राज्य में विशेषीकरण लाने के लिए अफलातून उसकी जनसरया को तीन वर्गों में विभक्त करता है जिनमें प्रत्येक अपने निर्धारित कार्य में तत्पर है। जिन मनुष्यों के स्वभाव में लोहा है उन्हें वह आर्थिक-वर्ग में रखता है जिनका कार्य धन उत्पादन है; जिन मनुष्यों की प्रकृति में चाँदी है उन्हें वह सैनिक-वर्ग में रखता है जिनका कर्तव्य देश की रक्षा करना है। जिन लोगों का स्वभाव स्वर्णमय है उन्हें वह शासक-वर्ग में स्थान देता है और उमे शासन भार सौप देता है। यदि प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्य को सेवा भाव से करे तो स्वार्थ का विनाश और एकता की स्थापना अपने आप ही हो जाय। राज्य में एकता स्थापित करने के लिए वह एक और अनोखा उपाय सोचता है, वह है सम्पत्ति तथा पत्तियों का साम्यवाद। इसके साथ-साथ वह एक विशेष प्रकार की शिक्षा, दीक्षा की व्यवस्था करता है।

पूर्व-ईसा पूर्वी शताब्दी में ऐस्थन्स ही नहीं बल्कि प्रायः समस्त यूनानी नगर-राज्यों में जो दोष पाये जाते थे उनके उपरोक्त विवरण में हमने उस हिसापूर्ण स्वार्थ-परता पर जोर दिया था जो कि जनतन्त्र और धनतन्त्र, दोनों के शासक-वर्गों पर समान रूप से आच्छादित थी। कॉस्मेन ने इसे वर्ग-संघर्ष कहकर पुकारा है। प्राय प्रत्येक नगर-राज्य में धनी और दरिद्र में संघर्ष था। एक राज्य के धनिक दरिद्र के विरुद्ध संघर्ष में दूसरे राज्यों के धनिकों की महायता लेते थे और इसी प्रकार एक राज्य के लोकतन्त्रवादी धनिकों के विरुद्ध लड़ाई में दूसरे राज्यों के लोकतन्त्रवादियों की महायता लेते थे। सोकतन्त्रवादी राजनीतिज्ञ ऐस्थन्स की ओर और धनिकतन्त्री स्पार्टा की ओर देखते थे। इस वर्ग-संघर्ष का आवश्यक परिणाम था कुशासन; हर कुही शासक-वर्ग शासन यन्त्र का प्रयोग अपने वर्ग के हितों की सिद्धि के लिए करता था। यूनानी राज्यों का तीसरा गम्भीर दोष था कुशासन। ऐस्थन्स तथा अन्यत्र राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबन्ध न था; माता-पिता को अपने पुत्रों की शिक्षा का प्रबन्ध अपने भाईनों तथा आपनी रुचियों के अनुसार स्वयं करना पड़ता था। अफलातून ने अपने महान् ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में इन तीनों रोगों का उपचार करने का प्रयास किया। उसे आशा थी कि राजनीतिक शक्ति को निस्वार्थ और जनहित की भावना से भरे हुए व्यविनयों के हाथों में सौंपने से वर्ग-संघर्ष तथा राजनीतिक स्वार्थपरता का रोग दूर हो जायगा। उमका यह विचार उसकी दार्शनिक-राजाओं द्वारा शासन की प्रसिद्ध धारणा में अभिव्यक्त हुआ। विशिष्ट आर्थिक स्वार्थों के प्रभाव का अन्त करने के

लिए उसने शासक-वर्ग के लिए पत्तियों तथा सम्पत्ति के साम्यवाद की प्रस्थापना की और दार्शनिक-राजाओं द्वारा शासित राज्य के लिए अभीष्ट व्यक्तियों का निर्माण करने तथा उन्हे प्रदीक्षित करने के लिए उसने राज्य द्वारा नियन्त्रित शिक्षा का प्रस्ताव किया। उसके सिद्धान्त की विस्तृत विवेचना करने के पूर्व हम 'रिपब्लिक' और 'जस्टिस' इन दो शब्दों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं; ये दो शब्द उसकी उस महान् कृति के शीर्षक में आते हैं जिसमें कि वह इन समस्याओं को समीक्षा करता है।

न्याय तथा रिपब्लिक का अर्थ—अपने इस लक्ष्य को अफलातून ने रिपब्लिक में किस प्रकार प्राप्त किया इसका विस्तृत विवरण देने से पूर्व 'रिपब्लिक' और 'न्याय' शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। ये दोनों शब्द रिपब्लिक के दो अलग-अलग शीर्षक हैं। भीक भाषा में रिपब्लिक का पर्यायवाची शब्द पोलीटीशिया (Politeitie) अर्थवा पोलीटी (Polity) है। इसका अर्थ है भविधान जिसमें एकतन्त्र, कुलीनतन्त्र और गणतन्त्र जो एकतन्त्र के विरोध में रखता जाता है, शामिल हैं। इससे जाहिर है कि अफलातून की रिपब्लिक का अर्थ इस शब्द के आधुनिक अर्थ में कही विस्तृत है। उसने इसका प्रयोग सामान्य संविधान के लिए किया है जबकि हम इसका प्रयोग संविधान के एक विशेष रूप के लिए करते हैं। रिपब्लिक की आधारभूत समस्या है, राज्य क्या है? इसी प्रकार न्याय शब्द को भी उसने एक व्यापक अर्थ में लिया है। उसके न्याय का अर्थ केवल उस गुण से नहीं जिसे राज्य के कानूनों में न्याय कहा जाता है और जिसकी व्याख्या न्यायालय करते हैं। उसका न्याय सामान्य नीतिकाता और धैर्य का पर्यायवाची है। परस्पर व्यवहार में जिस धर्म का पालन हम करते हैं या हमें करना चाहिए वही अफलातून के लिए न्याय है। न्याय की दृष्टि व्याख्या के अनुमार वह एक विद्यार्थी को जो गलत हृथकण्डे प्रयोग करके परीक्षा में उत्तीर्ण होने की देखा नहीं करता और एक ऐसे व्यापारी को जो पूर्ण तौल तोलता है और चोरवाजारी या वस्तुओं में मिलावट नहीं करता न्यायशील कहेगा। आज की शब्दावली में दृष्टि इन्हीं परीक्षार्थी और व्यापारी के गुणों को न्याय की संज्ञा नहीं दे सकते। अफलातून का अध्ययन करते समय हमें रिपब्लिक और न्याय शब्द की इसी व्यापक अमूल्य का सामने रखना चाहिए।

अफलातून राज्य की रचना तथा मानव अच्छाई के दो विषयों का विवरण एक ही पुस्तक में करता है वरोंकि वह इन दोनों के बीच एक गहरा विवरण देता है। जैसा कि 'रिपब्लिक' के प्रयम अध्याय में ही स्पष्ट है, अफलातून का दृष्टि इन्हीं न्याय के स्वरूप का विश्लेषण करना है; वह एक व्यक्ति के दृष्टि इन्हीं के दृष्टि की खोज करना चाहता है। वह अन्य यूनानियों की भावना दृष्टि इन्हीं के दृष्टि व्यक्ति एक आदर्श जीवन की मिथि राज्य में प्रौढ़ गहरा दृष्टि इन्हीं का सकता है, इसलिए उमे इस सम्बन्धित प्रश्न के दृष्टि इन्हीं के दृष्टि इन्हीं के दृष्टि राज्य का आदर्श स्वरूप क्या है। अफलातून की दृष्टि इन्हीं के दृष्टि इन्हीं के

का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध था। मानव जीवन के प्रति उसका हप्टिकोण हमारी अपेक्षा अधिक सरल परन्तु अधिक व्यापक था।

अब हम 'रिपब्लिक' में दिये हुए अफलातून के विचारों की ममीक्षा करेंगे; हम फिर से इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि अफलातून के गमक्ष मुख्य प्रदर्शन एक आदर्श राज्य का चित्र खीचना नहीं बल्कि मानव अच्छाई के मूल तत्वों की योजना करना था। रिपब्लिक मूल रूप से मानव आचार के उन शाश्वत गिरावन्तों की योजना है जिनका पालन करने से मनुष्य, समाज में रहते हुए, न्याय अर्थात् सर्वोपरि शुभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अरस्तु के शब्दों में न्याय, जिस के स्वरूप की विवेचना इस में की गई है, वह समूण्ड सदाचार है जो दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में अभिव्यक्त होता है।

द्वन्द्ववादी पढ़ति के अनुसार अफलातून सब से पहिले प्रचलित धारणाओं की विवेचना करता है जिनमें प्रथम स्थान परम्परावादी धारणा का है। सभी जानते हैं कि दूढ़े आदमी अधिक परम्पराभक्त और हृषिकादी होते हैं। इसलिए न्याय की परम्परा सिद्ध धारणा का समर्थन अफलातून ने सिफालस (Cephaulus) के द्वारा कराया है जिसके घर में यह वार्तालाप चला है। सिफालस के अनुसार न्याय का अर्थ है 'सत्य बोलना और अपनाँ छहण चुका देना'। थोड़ी ही देर में वह तो अपने धार्मिक सत्कारों को सम्पन्न करने के लिए चला जाता है और उसका पुत्र पोलीमार्कस (Polemarchus) उसकी जगह ले लेता है। वह अपने पिता द्वारा दी हुई न्याय की परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन करते हुए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना ही न्याय है। इस कथन का अर्थ लगया जाता है मित्रों के साथ भलाई करना और शत्रुओं को कट्टे देना। सुकरात इस परिभाषा का खण्डन करता है क्योंकि न्याय का अर्थ परपीडन तो कभी नहीं हो सकता। उसकी सारी युक्ति पोलीमार्कस की धारणा की मुख्ती सिद्ध करने का एक प्रयास है। इस वार्तालाप द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि परम्परागत धारणायें एक भीमा तक और आधिक रूप से तो उपयोगी हो सकती है, किन्तु यदि हम उनकी गहराई में जाये तो कठिनाइयाँ और परस्पर विरोधी तत्व हमारे सामने आयेंगे।

सोफिस्ट्स का न्याय सिद्धान्त—इस समय थे सीमेक्स (Thrasymachus) वादविवाद में पदार्पण करता है; वह एक क्रान्तिकारी सोफिस्ट है और न्याय के बारे में नदीन और आलोचनात्मक विचार रखता है। एक सच्ची सोफिस्टवादी भावना और दृष्टि में वह मुकरान पर केवल शास्त्रिक आडम्बर और वाक्लीला का अपराध लगाता है और उससे मुनिदिश्चित और स्पष्ट तर्क देने का आग्रह करता है। न्याय सम्बन्धी उमकी धारणा को व्यक्त करने के लिये हम उसी के शब्दों को उद्धरित करना उचित समझते हैं क्योंकि उसका निरूपण उससे सक्षिप्त और सुन्दर शब्दों में नहीं किया जा सकता—

“विभिन्न प्रकार को सरकार जनताओं, कूलीनताओं तथा माततायीतंत्री कानून बनाती हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य उनकी अपनी-अपनी स्वार्थसिद्धि होता है। उन्हीं कानूनों को, जिनका पालन वे अपनी प्रजा से करताएं हैं, वे न्याय की सज्जा देती हैं और जो उनकी अद्वेलता करता है उसे अन्यायी और कानून का शब्द वह कर इण्ड दिया जाता है। मेरे ऐसा वहने का कि सारे राज्यों में न्याय का एक ही सिद्धान्त है और वह सरकार का हित, यही अर्थ है। और क्योंकि सरकार के हाथ में शक्ति है इसलिये यह करना अनुचित न होगा कि हर कहीं न्याय का एक ही सिद्धान्त है और वह है मुख्ल का हित, शक्तिमान का स्वार्थ ।”

न्याय की इस परिभाषा के स्वाभाविक परिणाम महस्त्वपूर्ण है; हमें उन्हे भली भाँति समझ लेना चाहिये। पहली बात यह है कि इस सिद्धान्त के अनुसार सत्य और शक्ति एक ही चीज है। सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार कार्य करना ही न्याय है, जाहे वे कानून कैसे भी बयो न हो। और कानूनों को सरकार सदा स्वहित के हटिकोण से बनाती है और पशुबल से उन्हे लागू करती है; इसलिये न्याय वह है जो शक्तिमान अपने हित के लिये उचित समझता है। आगे चल कर हॉब्स (Hobbes) और स्पिनोजा (Spinoza) ने न्याय के सम्बन्ध में जो धारणा प्रकट की उससे उक्त धारणा बहुत कुछ मिलती-जुलती है। एक हद तक कार्ल मार्क्स भी ऐसा ही मानता है। दूसरे यह कि साधारण मनुष्य के हटिकोण से न्याय परहित में ही निहित है; कानून तोड़ कर स्वहित की माध्यना करना अन्याय है। परन्तु प्रकृति के नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी भलाई चाहता है। इसलिये थे सीमेकर के अनुसार समस्त विचारशील मनुष्यों के लिये जीवन का सच्चा सिद्धान्त अन्याय है न्याय नहीं। यदि हम न्याय और अन्याय का परम्परासिद्ध अर्थ ले, तो प्रत्येक व्यक्ति को राज्य का कानून के बल तभी मानना चाहिये जबकि वह ऐसा करने के लिये विवश हो, यदि ही सके तो अपने सुख के लिये उसे तोड़ना चाहिये। इस प्रकार उसकी हटि में अन्याय न्याय में थ्रेठ है और अन्यायी व्यक्ति न्यायशील व्यक्ति की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और मुस्ती है। यह है नीतिक यूनिवाद (Nihilism) का उत्तराम रूप। इससे न्याय और अन्याय शब्दों का अर्थ ही साक में मिल जाता है, इसके नजदीक प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं; अधिकार वह है जो राज्य की महत्तम शक्ति द्वारा प्रतिष्ठित किया जाये।

कुछ इसी से मिलते-जुलते सिद्धान्त का प्रतिपादन कैलीबलीज ने गोजिया में किया है। उसने न्याय को सबल का हित नहीं, बरन् नियंत्र की भावशक्ता बताया है। परन्तु वह थे सीमेकर की इसी धारणा को पूर्ण रूप में मानता है कि न्याय प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति का नियम यह है कि मनुष्य को अपनी एच्छाओं का दमन करने के बजाय उन्हे अधिक से अधिक बढ़ाना और उनको तृप्त करना चाहिये और जब ये अत्यधिक बढ़ जाय तो उसमे उनको तृप्त करने के लिये रामुचित बुद्धि और साहस होना चाहिये। किन्तु अधिकांश व्यक्ति नियंत्र होते हैं, वे

ऐसा नहीं कर पाते और उन्हें बनवानों के हाथों कष्ट उठाना पड़ता है। इम दुगद स्थिति से बचने के लिये वे संगठित हो जाने हैं और तृष्णापूर्णि को बुग बनाने लगते हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वे बनवान व्यक्तियों को कानून के शिक्षे में कम देते हैं ताकि वे उनसे आगे न बढ़ने पावें, ऊचे न उठने पावें। प्रकृति के धर्म के अनुसार तो शक्तिभूम्पद को शक्तिहीन पर शामन करना ही चाहिये और उमकी अपेक्षा अधिक सुखोपभोग करना चाहिये। निर्वलो द्वारा बनाये हुए कानून इम प्रावृत्तिक न्याय को अन्याय का रूप दे देते हैं। इसलिये अपने पड़ोसी की अपेक्षा अधिक गहराएँ कर लेना पाप और हेय समझा जाता है। इस प्रकार न्याय का यह स्टोटा मिकड़ा बाजार में चलता है; इसका आधार परम्परा है और यह प्रकृति के विरुद्ध है।

श्रेसीमेक्स और कैलीकैलीज दोनों ही स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक समाज के लिये न्याय अथवा राज्य द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि वह राज्य के विभिन्न सदस्यों को एक माला में गूथने वाला सूत्र है। यही तो वह गुण है जो मनुष्य को सामाजिक बनाता है। अफलातून की भी यही धारणा है, किन्तु उसके विलकुल भिन्न कारण है। सोफिस्ट्स और अफलातून में एक महत्वपूर्ण तथा अधिक मौलिक अन्तर और भी है। सोफिस्ट्स यह तो मानते थे कि न्याय एक राजनीतिक समाज के लिये नितान्त आवश्यक है; किन्तु मानवता का सौन्दर्य वे "उसमें न देखते थे; उनके अनुसार न्यायपालन मनुष्य को थ्रेप्ट नहीं निकृष्ट बनाता है। "एक हृष्टान्त से यह बात अधिक स्पष्ट हो सकेगी। एक ऐसे जगली और शानदार घोड़े की कल्पना कीजिये जिसका शरीर तगड़ा है और हृदय बलवान है। यदि आप उसे दूसरे घोड़ों की टीम में रखकर काम लेना चाहते हैं तो आपको उसको पालकर उसके हृदय को कुठित करना होंगा। परन्तु उसके पालतू बन जाने से वह एक थ्रेप्टर घोड़ा नहीं बन जायगा; वह निश्चित रूप से हीनतर होगा चाहे उसकी उपयोगिता क्यों न बढ़ गई हो। मनुष्य के ऊपर लगाये गये नेतृत्व बन्धन भी उनके प्रावृत्तिक सौन्दर्य और वैभव के लिये उतने ही घातक हैं जितना कि घोड़े को लगाम लगाया जाना उनके साहस के लिये। अन्य मनुष्यों के माथ रहकर जीवन व्यतीत करने के लिये कानून, नीति, न्याय, सब कुछ आवश्यक हैं; किन्तु यह दावा हमे भूलकर भी नहीं करना चाहिये कि उनसे मानव का सौन्दर्य और धर्म कुछ बढ़ता है।" १५ इसके विपरीत अफलातून की धारणा थी कि न्याय न केवल मनुष्य के सामाजिक जीवन का सघटन सूत्र है बल्कि वह मानवता का सौन्दर्य है। 'यह वह गुण है जो कि एक ही साथ मनुष्य को थ्रेप्ट तथा सामाजिक बनाता है।'

अफलातून श्रेसीमेक्स के विचारों को जड़ से उखाड़ना चाहता था। ऐसा करने के लिए यह मिदू करना आवश्यक था कि व्यक्ति समाज से अलग एक इकाई नहीं है; वह सम्पूर्ण समाज का एक अभिन्न ग्रंथ है जिसमें रहकर उसे अपने निर्धारित कर्तव्य का प्राप्तन करना है। मारी रिपब्लिक में यही धारणा अत्र प्रोत है। परन्तु शुहू-शुरू में अफलातून तक द्वारा श्रेसीमेक्स का निरुत्तर करने की चेष्टा करता है;

वह उसकी दो धारणाओं को अलग-अलग लेकर उनकी अमान्यता सिद्ध करता है। वह कहता है कि शासन प्रबन्ध एक कला है और शल्य तथा नाविक बला की तरह इनका भी उद्देश्य अपनी विषय सामग्री की भलाई है। एक डाक्टर का धर्म अपने मरीज का इलाज करना और उसके रोग का निवारण करना है, न कि धन इकट्ठा करना; एक गडरिये का कार्य अपने पशुओं की सेवा करना है, उनका मांग भक्षण करना नहीं। इसी प्रकार एक शासक का धर्म शासित की भलाई करना है, न कि स्वार्थसिद्धि करना। इसके अतिरिक्त अफलातून ने यह सिद्ध करने का भी प्रयास किया है कि एक न्यायशील व्यक्ति एक अन्यायी की अपेक्षा भदा मुखी रहता है क्योंकि वह सदा मर्यादा तथा अपने कर्तव्य का पालन करता है।

इस तर्क के सामने शायद श्रेसीमेक्स तो निरुत्तर हो गया, वह यहस से अलग हो गया। किन्तु मण्डली के अन्य घटक उससे सन्तुष्ट न हो सके। ग्लॉकन (Glacon) और ऐडीमेट्स दोनों ही असतोष प्रकट करते हैं। रिपब्लिक के आधुनिक पाठकों को भी यह मान्य नहीं प्रतीत होता, योकि यह कुछ धारणाओं के अमूर्त अर्थ में से किया गया तर्क है, जबकि श्रेसीमेक्स ने सदैव जीवन के ठोम तथ्यों का उल्लेख किया था। नेटलशिप के शब्दों में, 'श्रेसीमेक्स द्वारा जीवन के तथ्यों की यदि हम मान लें तो प्रभन यह उठता है कि क्या वे कुछ अमूर्त धारणाओं को सन्तुष्ट करते हैं, उदाहरण के लिए, यदि सरकार स्वार्थी है तो व्या उसे सरकार कहताने का कोई अधिकार है।' वे फिर से तर्क करते हैं और अपनी आशकाओं और जिज्ञासाओं का कोई नया उत्तर चाहते हैं। वे सौफिस्ट्स नहीं हैं; न्याय में उनका हार्दिक विश्वास है; वे इसे मानव जीवन का आवश्यक कर्म मानते हैं किन्तु सौफिस्ट्स और उनके अनुयाइयों की युवितयों के सामने वे निरुत्तर हो जाते हैं। नवीन धारा से वे बिन्न अवश्य हैं किन्तु रोग का कोई निदान उनके पास नहीं। इसलिए वे सुकरात की ओर देखते हैं और चाहते हैं कि वह न्याय तथा अन्याय शब्दों की मीमांसा करे और यह सिद्ध करे कि इन गुणों के वास्तविक परिणाम को छोड़ते हुए भी न्याय अन्याय में थ्रेष्टर है अर्थात् वह एक सापेक्षिक नहीं वल्कि निरपेक्ष सत्य है। इसी लक्ष्य को हृष्टि में रखते हुए ग्लॉकन श्रेसीमेक्स की भाँति यह तर्क करता है कि न्याय एक कृत्रिम चीज है, उसका मूल परम्परा है, वह शाश्वत नहीं है, मनुष्य और समाज का वह स्वाभाविक गुण नहीं है, तथापि वह इस बात को नहीं मानता कि सबल का हित ही न्याय है।

ग्लॉकन के विचार—ग्लॉकन के विचारों का आधार उसकी यह मान्यता है कि मनुष्य एक स्वार्थ-प्रधान प्राणी है और किसी भी प्रकार आत्म-तृप्ति करना उसका धर्म है। इसतिए एक व्यक्ति अन्याय कर सकता है, यदि उसमें कोई संगतिहीनता न हो। परन्तु प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) में निवंल जिनका कि बहुमत होता है अधिक कष्ट उठाते हैं; अन्याय से उन्हें इतना लाभ नहीं होता जितनी कि हानि हो जाती है। इसी प्रकार यह अवस्था उनके लिए असह्य हो उठती है। इसीलिये वे आपस में यह समझौता करते हैं कि वे न तो अन्याय स्वयं करेंगे और न किसी को

करने देंगे। उसका परिणाम होता है कानूनों का बनना जो मानव व्यवहार तथा न्याय का मानदण्ड निर्धारित करते हैं। यह है मानवशृत कानून तथा राज्य की उत्पत्ति का सुविस्तार सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त (Social Contract Theory)। गलॉक्टन के अनुसार न्याय का स्रोत भय है। सर्वोन्निम और आदर्श स्थिति नो यह है कि मनुष्य अन्याय करे किन्तु दण्ड से बच निकले और निकृष्टतम तथा सबसे अधिक अमर्य स्थिति है अन्याय सहना किन्तु ददला लेने की शक्ति का अभाव होना। न्याय मानो इन दोनों के बीच में एक समझौता है, एक माध्यम है। इसनिये न्याय कोई शाश्वत शुभ नहीं है; इसका तो केवल वे लोग सम्मान करते रहे हैं जो अन्याय करने की शक्ति ही नहीं रखते। जैसा कि हम कह चुके हैं श्रेष्ठमेकम के अनुसार न्याय सबल का हित है; उसका आधार शासन भावना है। गलॉक्टन के अनुसार यह निर्बंध वा सहारा है; उसका आधार भय की भावना है। परन्तु एक बात में वे दोनों महमत हैं और वह यह कि न्याय कृत्रिम है; परम्परागत है और समयानुसार आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए उसे बनाया गया है; यह कोई नित्य और वास्तव नीतिक मिद्दान्त नहीं है। गलॉक्टन के विचारों की समीक्षा सुकरात ने (चाहे अफलातून कह लीजिये) उस औपचारिक और तर्कसंगत ढंग में नहीं बी जिस तरह मे उसने श्रेष्ठमेकम की बी थी। उसने उसकी बाल की खाल नहीं निकाली। इसका कारण यह है कि गलॉक्टन उससे इस समस्या की समीक्षा कराना चाहता था कि न्याय और अन्याय का वास्तविक स्वरूप क्या है और व्यक्ति के आन्तरिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। उसे अपनी शक्ति पर यह भी सिद्ध करना था कि न्याय तत्वतः अन्याय से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और उसके शुभ फल को घोड़ते हुए भी हमें उसका पालन करना चाहिये। (उसका मीठा फल तो न्याय का केवल ढोग रखने वाला व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है।) सारांश यह कि सुकरात को यह सिद्ध करना था कि न्याय एक निरपेक्ष सत्य है; वह स्वयं अपने में ही थ्रेयस्कर है; वह स्वयं अपना पुरस्कार है।

सुकरात इस चुनौती को स्वीकार करता है; किन्तु वह यह सुझाव पेश करता है कि न्याय बी समीक्षा व्यक्तिगत धरातल की अपेक्षा राज्य के स्तर पर करनी अधिक सरल और लाभदायक होगी। उसकी धारणा है कि राज्य में पाया जाने वाला न्याय व्यक्ति की वृद्धि के न्याय का केवल वृहत्तर रूप है। इन दोनों में भेद आकार का है, स्वरूप का नहीं। किन्तु राज्यगत न्याय से कहीं बड़ा होने के कारण हम उसे अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस धारणा का आधार यह मान्यता है कि राज्य की चेतना उसके व्यक्तियों की चेतना है; उसका न्याय उसके सदस्यों का न्याय है और उसका साहस और ज्ञान उनका साहस और ज्ञान है। राज्य व्यक्ति का ही वृहत्तर रूप है (State is individual writ large)। मानव वृद्धि के आन्तरिक सिद्धान्त ही राज्य में अभिव्यक्त होते हैं; वे उसमें अधिक स्पष्ट और भाकार हो उठने हैं। इसीलिए उनका अर्द्धव्यवन करना अपेक्षाकृत मरल है। परन्तु किसी यथार्थ राज्य को लेकर यह उद्देश्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी राज्य अपूर्ण हैं; उनके कार्यकलाप

मे न्याय के वास्तविक स्वरूप की भाकी हमे नही मिल सकती। इसलिए न्याय की उत्पत्ति और उसका वास्तविक स्वरूप दिखलाने के लिए सुकरात ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की और उसके क्रमिक विकास का पर्यवेक्षण किया। कहने की आवश्यकता नही कि सुकरात का उद्देश्य किसी वास्तविक राज्य का बगूत करना और उसकी ऐतिहासिक समीक्षा करना नहीं, बरन् राज्य के आदर्श स्वरूप का विश्लेषण कर उसके नित्य और शाश्वत सिद्धान्तो की खोज करना है। उसके सामने जो समस्या पहिले नैतिक थी वही अब राजनैतिक हो उठी।

११ आदर्श राज्य की रचना—सुकरात की राज्य-रचना का मूल तत्व यह है कि मानव जाति की आवश्यकताये राज्य को जन्म देती है। प्रत्येक व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताये हैं जिनमें खाना, कपड़े और मकान की आवश्यकताये प्रमुख हैं, किन्तु कोई भी सनुप्य अपनी समस्त आवश्यकताओ की पूर्ति अकेला और बिना दूसरों की सहायता और सहयोग के नहीं कर सकता यथोकि कोई भी स्वयं अपने मे पूर्ण नहीं है। इसी के साथ-साथ जहां एक और एक व्यक्ति को अपनी इच्छाओ की दूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है वहाँ दूसरों की इच्छा पूर्ति की शक्ति भी उभमे है। यह परस्पर अन्योन्याश्रितता और आदान-प्रदान की आवश्यकता ही समाज का आधार है; इसी के ऊपर सारा सामाजिक जीवन टिका है और इसकी प्रक्रिया स्वयं शम्भिभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने लिए आवश्यक भोजन, कपड़ा तथा मकान तैयार करना अत्यन्त दुष्कर तो ही ही साथ ही साथ वह एकदम अवाच्छन्नीय भी है। इससे कही अधिक सुगम, सरल, उपयोगी तथा श्रेयस्कर यह है कि कुछ लोग समस्त समाज के लिए भोजन उत्पन्न करें, कुछ कपड़ा तैयार करें, कुछ मकान बनायें और कुछ लोग अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति करें। सुकरात द्वारा समाज की उत्पत्ति के इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि अफलातून के अनुमार राज्य का मौलिक आधार आर्थिक निर्भरता है, सामान्य जन्मभूमि, धर्म या रक्त नहीं। आगे चलकर ये बातें भी राज्य की एकता को दृढ़ बनाने में सहायक होती है जिन्तु उसके मूल में आर्थिक निर्भरता और परस्पर आदान-प्रदान का सिद्धान्त ही है।

अफलातून ने केवल भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकताओ पर ध्यान दिया है किन्तु तुरन्त ही उसने यह भी अनुभव कर लिया कि इन आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए केवल किसान, जुलाहे और मकान बनाने वाले से ही काम नहीं चल सकता। ऐती तथा अन्य कामो के लिए आवश्यक यंत्रो को बनाने और उनकी मरम्भत करने के लिए लुहार, बड़ई और अन्य शिल्पकारो की भी आवश्यकता पड़ती है। और जिस समाज मे विभिन्न वर्ग विभिन्न कार्यो में लगे हुए हों और सब की कुछ सामान्य आवश्यकताये हों तो वहाँ व्यापारियो, वर्णिकों तथा अन्य श्रमियों का उत्पन्न हो जाना तो स्वाभाविक ही है। प्रारम्भ में ये सब आवश्यकताये सरल होती है और इनका चरित्र प्रधानतः आर्थिक होता है। किन्तु भी लोग तो स्थूल मे सन्तुष्ट होने वाले नहीं होते; बहुत से लोग जीवन की ललित, सुरम्य और विलासपूर्ण वस्तुओं के लिए लातायित

रहते हैं। इस प्रकार आवश्यकताये धर्मिकागिक और जटिलगर होनी जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य आत्म-निभंग नहीं रह पाता, वह आनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने पहली राज्यों के भू-भाग की ओर तात्पर रागत है जिसले परम्पराम छोड़ा है युद्ध। इस प्रकार विष्णुगिता युद्ध का मूल है। युद्ध वी नव्यावता तथा उसमें रक्षणा की आवश्यकता के पलस्यस्प राज्य में मैनिर-यर्ग का धारित्वित होता है। अफलातून, जो एक सरल राज्य में भी अम-विभाजन और विभेदांशगत के गिरजान की मानता है, इस विलामधुर्ण राज्य में तो उसे और भी अधिक कठोरता के नाय नाश करना चाहता है। यदि यह बात गही है कि गेनी करने, मनान बनाने, जूता बनाने इत्यादि-इत्यादि कार्य गमाज के घलग-घलग वर्गों के हाथ में होने चाहिये तो यह बात और भी अधिक मही और उचित है कि राज्य की रक्षा का कार्य एक ऐसे विशेष वर्ग के हाथ में होना चाहिये जिसने उस कार्य के लिए विशेष निष्ठा-दीक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही माय एक शासक-यर्ग की आवश्यकता भी प्रत्यक्ष ही है जिसका कार्य विभिन्न वर्गों की क्रियाओं को नियन्त्रित करना तथा उनको एक दूसरे ने गम्भ्यत्व करना है। यह शासन कार्य उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिये जिनमें इस कार्य के लिए आवश्यक प्रकृतिदत्त गुण हैं और जिन्होंने इसके लिए विशेष निष्ठा प्राप्त की है। अफलातून ने शासक-यर्ग की शिक्षा-दीक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया है और 'रिपब्लिक' का दूसरा तथा तीसरा अनुच्छेद उसके विवरण में भरे हुए हैं। अफलातून का ऐसा करना स्वाभाविक ही था क्योंकि शासक-यर्ग की कर्तव्यपरायणता और शमता पर तो राज्य का जीवन मुख निभंग करता है, इसी के ऊपर तो राज्य की मारी सफलता का दारोमदार है।

जिम आदर्श राज्य का चित्र हमने ऊपर अकित लिया है उसका बड़ा गहरा मम्बन्ध मानव आत्मा की प्रकृति के विषय में उस धारणा से है जो अफलातून ने पाइथगोरस के अनुयाइयों (Pythagoreans) से अपनाई थी। उसकी धारणा थी कि मानव आत्मा में तीन तत्त्व या अंश वर्तमान हैं— सर्वप्रथम है इन्द्रिय तृष्णा (Appetite), जिसमें से भूख, प्यास, भोह तथा अन्य कामनायें उत्पन्न होती हैं। राज्य के प्रारम्भिक तथा सरलतम रूप में जहाँ कि लोगों का संघटन मूल केवल आर्थिक होता है, केवल यह तत्त्व वर्तमान रहता है, अन्य तत्त्व प्रकट नहीं होते। जाहिर है कि यह राज्य अधूरा है क्योंकि समस्त मानव बुद्धि की अभिव्यजना इसमें नहीं होती। जब राज्य अधिक विकसित होता है और उसका उद्भव वढ़ जाता है तो सैनिक-यर्ग का आविर्भाव होता है और शौर्य (Spirit) नामक गुण का उद्भव होता है। यह आर्थिक समाज जिसका आधार केवल इन्द्रिय तृष्णा यों एक सैनिक मष्टक में बदल जाता है जिसका आधार शौर्य है। किन्तु राज्य अब भी अपूरण ही है क्योंकि मानव आत्मा के बुद्धि तत्त्व आधार शौर्य है। किन्तु राज्य अब भी अपूरण ही है क्योंकि मानव आत्मा के बुद्धि तत्त्व आधार शौर्य है। किन्तु राज्य अब भी अपूरण ही है क्योंकि मानव आत्मा के बुद्धि तत्त्व को बहन करने वाला कोई वर्ग उसमें नहीं है। इस तत्त्व का उद्भव शासक-यर्ग के आविर्भाव के साथ होता है। जो चरित्र इस वर्ग का होता है वही समस्त राज्य का होता है। बाक़र के शब्दों में 'हो सकता है कि अपनी इन्द्रियपरक आवश्यकताओं की

पूर्ति के लिए भनुष्यों ने आर्थिक बन्धन में वध कर एक ममूह बनाया हो और शीर्ष ने उसे एक नवीन सैनिक बन्धन प्रदान किया हो परन्तु बुद्धि ही भनुष्यों को एक दूसरे को समझना और समझा कर एक दूसरे से प्रेम करना चाहिया कर उन्हें एकता के मूल में गूढ़ती है।^{१०} कहने का तात्पर्य यह है कि केवल उसी राज्य को पूर्ण कहा जा सकता है जिसमें मानव आत्मा के समस्त गुण वर्तमान हों। अन्ततोगत्वा, राज्य न तो केवल आर्थिक संगठन है जिसका कार्य जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ; और न ही यह केवल सैनिक संघटन है जो देश रक्षा के लिए बनाया गया है ; यह एक बुद्धिपरक संगठन है जो भनुष्यों के एक दूसरे को जानने और प्रेम करने, के लिए बनाया गया है। भनुष्यों का यह परस्पर ज्ञान और प्रेम ही राज्य की एकता का आधार है। राज्य की एकता का स्रोत न इन्द्रिय तृष्णा है और न शीर्ष, वह एक-भाव बुद्धि है। ध्यान रहे कि अफलातून के अनुसार बुद्धि हमें न केवल एक दूसरे को समझने का सामर्थ्य देती है बल्कि प्रेम करने के लिए भी प्रेरित करती है। इस प्रकार से प्रेम भी बुद्धि का ही एक पहलू है। वाकंर के इन चुने हुए शब्दों में 'शीर्ष से सम्बन्ध होकर बुद्धि एक भिपाही को अपने द्वारा रक्षित नागरिकों को जानने, चाहने और उनकी रक्षा करने को प्रेरित करती है ; किन्तु विशुद्ध बुद्धि शासक को तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती है और उसी तत्व ज्ञान से राज्य के प्रति प्रेम और सेवा का भाव उत्पन्न होता है।^{११}

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि अफलातूनी राज्य में तीन विभिन्न वर्ग हैं जिनमें न केवल जन्म और धन की विशिष्टतायें हैं बल्कि जिनके आन्तरिक गुण और कार्य भी विभिन्न हैं। ये वर्ग इस प्रकार हैं—(१) उत्पादक वर्ग, (२) सैनिक वर्ग, (३) शासक वर्ग। इन तीन वर्गों के अतिरिक्त दास भी ऐसे राज्य में होंगे, किन्तु अफलातून ने उनका कही उल्लेख नहीं किया है। यह वर्ग विभाजन वर्ण व्यवस्था के बिना निकट है। अफलातून का उत्पादक, सैनिक तथा शासक क्रममः भारत का वैश्य, धनिय और ब्राह्मण हो सकता है। किन्तु भारत के शूद्र वर्ण को हम अफलातूनी राज्य के दासों के समकक्ष नहीं रख सकते क्योंकि इन दोनों के चरित्र और सामाजिक प्रतिष्ठा में गहरा अन्तर है। अफलातूनी राज्य के वर्गों के विभिन्न मानसिक गुण भी भारतीय गुण विभाजन के अनुरूप ही हैं। जिन प्रवृत्तियों को अफलातून ने सोना, चाँदी, लोहा कह कर पुकारा है, वे क्रमशः भारतीय परिभाषा में

* 'Appetite may have drawn men together by an economic nexus; spirit may have added a new military bond; it is reason that holds men together by teaching them to understand, and through their understanding, to love one another.' — Barker : *Op. Cit.*, page 169.

† 'Reason in its alliance with spirit has caused the soldier to know and to like, and therefore to protect, the citizens whom he guards; but reason in its purity causes the ruler to comprehend and out of his comprehension to love and serve, the state which he governs.' — Barker : *Ibid*, page 169.

सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक गुण है। जिस प्रकार हमारे प्राचीन ऋषियों ने ब्राह्मणों को भौतिक सुख सामग्री तथा वैभव से अलग रह कर केवल ज्ञान प्राप्त करने और जनता की सेवा करने का आदेश दिया था, इसी प्रकार अफलातून के आदर्श शासकों का कार्य भी केवल विशुद्ध शुभ की खोज और जन-सेवा है। दोनों में कोई अन्तर नहीं हो, ऐसी बात नहीं; किन्तु यहाँ पर तो दमारा तात्पर्य दोनों में जो समान है उसे दिखाना है। हमारी धारणा है कि उपरोक्त वर्ग विभाजन मानव स्वभाव के विलक्षण अनुष्टुप् है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी व्यक्ति में सत्, किसी में रजस् तथा किसी में तमस् की प्रधानता होती है। इस गुण-भेद का स्वाभाविक परिणाम वर्ग-भेद है। जो लोग वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं उन्हें मोचना चाहिये कि क्या ऐसा समाज मानव प्रकृति के अनुष्टुप् होगा। हाँ, इसमें कोई मन्देह नहीं कि वर्ग का आधार जन्म या धन कदाचि नहीं होना चाहिये। वर्ग-भेद का स्वाभाविक तथा न्याय-संगत आधार प्रकृतिदत्त गुण है न कि मानवकृत विपर्याय।

(१) आदर्श राज्य में न्याय—अब हम उस मौलिक प्रश्न पर आते हैं जिसका उत्तर देने के लिए ही अफलातून ने ‘रिपब्लिक’ की रचना की। प्रश्न है : न्याय क्या है ? आदर्श राज्य में यह कहा पाया जाता है ?

प्राचीन यूनानियों के अनुसार एक अच्छे समाज में चार गुण होने चाहिये - ज्ञान, साहस, संयम तथा न्याय। एक आदर्श राज्य में ये समस्त गुण वर्तमान होने चाहिये, क्योंकि इन्हे आधारभूत धर्म भाना गया है। जिस राज्य में शासक-वर्ग शासन-प्रबन्ध में ज्ञान तथा विवेक का परिचय देता है वह बुद्धिमान है; जिस राज्य का सैनिक वर्ग शार्ति नया युद्ध में साहस से काम लेता है वह वीर है और जिस राज्य में उत्पादक वर्ग तथा सैनिक-वर्ग शासक-वर्ग के नियन्त्रण को सहर्ष स्वीकार करते हैं और शासक-वर्ग विवेकपूर्ण शासन प्रबन्ध करता है उसी में आत्म-संयम का गुण पाया जाता है। सारांश यह कि उसी राज्य में आत्म-भयम तथा आत्म-नियन्त्रण पाया जाता है जिसके विभिन्न वर्गों में एक ही सामान्य लक्ष्य में भक्ति रखने के कारण तालमेल है। और यह सिद्धात कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुमार ही कार्य करना चाहिये अर्थात् स्वधर्म का पालन करना चाहिये, न्याय है। आदर्श राज्य की रचना के प्रारम्भ में ही न्याय का उदय होता है। यदि प्रत्येक वर्ग अपने स्वधर्म का पालन करता है और दूसरों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता और शासक-वर्ग अन्य वर्गों में सतुलन रखता है, उन्हें नियन्त्रित रखता है, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से उन्हें रोकता है तथा ‘परम शुभ’ के ज्ञान के प्रकाश में शासन प्रबन्ध करता है तो समझ लीजिये कि उस राज्य में पूर्ण न्याय वर्तमान है। सैद्धान्त के दब्दों में ‘न्याय समाज का एकता सूत्र है ; यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति एवं शिक्षा-दीक्षा के अनुमार अपने कर्तव्य को चुन लिया है और उसका पालन करता है। यह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा

इसके घटकों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है।^{१०} प्रो० वाकर ने इसी विचार को अधिक विस्तार के साथ इस प्रकार व्यवत किया है : 'समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं (उत्पादक, सैनिक तथा शासक) जो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित हुए हैं और एक समाज में संगठित होकर तथा स्वधर्म का पालन करके उन्होने समाज को एक ऐसी इकाई बनाया है जो पूर्ण है, यद्यकि यह सम्पूर्ण मानव मानस की उपज एवं उसी का प्रतिविम्ब है। सामाजिक जीवन के इसी मूलभूत सिद्धांत का नाम न्याय है। ऐसे समाज का एक सिद्धांत होने के नाते न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का उस कर्तव्य का पालन करना जो उसके प्रकृतिस्थ गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यञ्जना ही राज्य का न्याय है।'^{११}

सारांश यह है कि जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है वह न्यायशील है और जिस राज्य या समाज में विभिन्न वर्ग हों और वे अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एकता के सूत्र में बंधे हुये हों तो समझ लीजिये कि उसने न्याय की पूर्ण अनुभूति कर ली है। एक न्यायपूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है; गीता के शब्दों में वह स्वधर्म का निर्वाह करता है और दूसरों के स्वधर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका अभिप्राय यह है कि न्याय एक ही साथ एक विशेषीकरण का सिद्धांत है, एक हस्तक्षेपहीनता का सिद्धांत है और एक समन्वय का सिद्धांत है। जहाँ तक कि यह इस बात की मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्य पर एकाग्रनिष्ठ रहना चाहिये यह विशेषीकरण है; जहाँ तक कि यह इस बात की मांग करता है कि समाज के किसी भी अंग को दूसरों के कार्यों को नहीं हथियाना चाहिये यह हस्तक्षेप-हीनता है। एक ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्काम कर्तव्य तक ही सीमित रखता है अवश्य ही आन्तरिक रूप से सतुरित और सामंजस्यमय होगा। इस धारणा में यह निहित है कि व्यक्ति और समाज के हितों में कोई विरोध नहीं है। इमीलिये प्रवृत्ति और कर्तव्य में भी कोई सघर्ष नहीं है। यदि इन दोनों में कोई विरोध दिखलाई पड़ता है तो उसका कारण दूषित शिक्षा और सामाजिक असंतुलन है; मुक्तिशाली और सामाजिक संतुलन से उसे दूर किया जा सकता है; न कि शक्ति और दमन द्वारा। एक समाज विरोधी व्यक्ति को आवश्यकता इस बात की है कि उसे अपनी प्रहृति का पूर्ण ज्ञान कराया जाये और उस ज्ञान के अनुसार उसकी अन्तर्निहित शक्तियों का विकास किया जाये। जो लोग वर्ग-संघर्ष और सर्वहारा तानाशाही (Dictatorship of the Proletariat) के द्वारा एक नवीन

* 'Justice is the bond which holds society together, a harmonious union of individuals each of whom has found his life work in accordance with his natural fitness and his training. It is both a public and private virtue because the highest good both of the state and its members is hereby conserved.'

—Sabine : op. cit., page 54

† Barker : op. cit., pages 176-77.

समाज की स्थापना करना चाहते हैं उन्हें अफलातून की पारगणाओं तथा परिलामों पर विचार करना चाहिये। हो गया है, ऐसा करने में उन्हें रथा गमन को कुछ साभ हो।

जिस न्याय का ऊपर बर्णन किया गया है यह सामाजिक न्याय है, अथवा वह न्याय है जो गजप में पाया जाता है। किन्तु गुकरान के गमने गमन्ना व्यक्तिगत न्याय की थी। अफलातून की धारगा है कि न्याय एक ही होना है, नाहे उनकी अभिव्यक्ति सामाजिक स्तर पर हो, चाहे व्यक्ति में। व्यक्ति में न्याय उम प्रवृत्ति का दोषक है 'जिसके कारण मनुष्य अपनी गृणा अथवा स्वार्थ में ऊपर उठता है।' इसका धर्म यह है कि एक न्यायशील भनुष्य को अपना जीवन इम प्रकार अनुशासित करना चाहिये कि तृणगा और ओज बुद्धि के अधीन रहे, और उमारी आज्ञा का पालन पर्ने। तृणगा और ओज को पूर्ण हृप में नष्ट नहीं करना है; उन्हें मनुष्य के गर्वोत्तम तत्त्व प्रथान् बुद्धि द्वारा नियंत्रित करना है। इम प्रकार से कर्म करते हुए एक मनुष्य के वेतन एक मनुष्य के स्वप्न में कार्य करेगा, बहुत के स्वप्न में नहीं। उमके जीवन में सामजिक और आन्तरिक मन्तुलन होगा; और वह मानव मामर्य के अनुगार मर्वोच्च शुभ को प्राप्त करेगा; वह आत्मभगत और शुभ वन जायेगा। एक न्यायशील मनुष्य अपने धारकों उमी कार्य विशेष में लगायेगा जिसके लिए वह स्वभाव में गर्वाधिक योग्य है, और आन्तरिक सामजिक प्राप्त करेगा।

न्याय के सामाजिक और व्यक्तिगत, इन दो पहलुओं को मिलाकर हम कह सकते हैं कि अफलातून के अनुमार न्याय वह मूल है जो कि मनुष्यों को राज्यों में संघटित करता है और उन्हें अच्छा बनाता है। यह एक और वही गुण है जो कि मनुष्यों को सामाजिक बनाता है और उन्हें अच्छा बनाता है।

इस बात में कि न्याय वह मूल है जो एक राज्य के घटकों को संघटित रखता है सोफिस्ट्स भी सहमत थे, यद्यपि ऐसा करने के उनके कारण दूसरे थे। किन्तु अफलातून न्याय को एक मानवी धर्म भी समझता था जिसका पालन करने से मनुष्य मनुष्य बन जाता है और शुभ की प्राप्ति करता है। सोफिस्ट्स ऐसा नहीं मानते थे। आइये देखें कि न्याय किस प्रकार मनुष्य को शुभ बना देता है।

एक व्यक्ति एक अच्छा विद्वान्, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा संगीतज्ञ, एक अच्छा शिल्पकार, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा लिलाई इत्यादि हो सकता है। एक विशेष प्रकार का गुण व्यक्ति को एक विशेष कार्य में सिद्धहस्त बना देता है। किन्तु एक या कई विशिष्ट कामों या कलाओं में कौशल प्राप्त करने से ही कोई व्यक्ति एक अच्छा मनुष्य नहीं कहा जा सकता। यह आवश्यक नहीं कि एक अच्छा वक्ता या एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा मनुष्य भी हो। जो गुण मनुष्य को अच्छा अथवा शुभ बनाता है वह है उसकी 'न्याय' भावना। किन्तु 'न्याय' का कार्यक्षेत्र कोई विशिष्ट नहीं है; वह जीवन के किसी विभाग विशेष से ही सम्बद्ध नहीं है; वह तो सम्पूर्ण जीवन का निर्माता है। जिस प्रकार एक Architect का कार्य अपने अधीनस्थ कार्य

करने वालों की देखभाल करना और यह देखना है कि सब लोग इस प्रकार कार्य करे जिससे आदर्श और सुन्दर भवन का निर्माण हो, इसी प्रकार न्याय का कार्य भी समस्त मानवी गुणों को प्रभावित और प्रेरित करके एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करना है।

दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अफलातून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कोई विशेष गुण होता है और उसकी कोई विशेष प्रवृत्ति होती है जिसके अनुसार वह सामाजिक जीवन में अपना विशिष्ट योग दे सकता है। न्याय की मांग यह है कि उसे अपने उस कार्य को यथावति सर्वोत्तम ढंग से तथा एकाग्रचित होकर करना चाहिये। इस प्रकार जीवन व्यतीत करना आध्यात्मिक स्वास्थ्य का लक्षण है; इसके विपरीत आचरण करना आध्यात्मिक रोग का दोतक है।

अन्त में, इस सम्बन्ध में याद रखने की बात यह है कि अफलातून ने 'न्याय' शब्द को उस कानूनी अर्थ में प्रयोग नहीं किया है जिसमें कि हम करते हैं। व्यक्ति के अधिकार और न्यायालय द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित करने से अफलातून के 'न्याय' का कोई सम्बन्ध नहीं है। शांति और व्यवस्था स्थापित रखने से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अफलातून के लिए तो न्याय एक सामाजिक धर्म है; यह वह सिद्धांत है जो समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्त्रित करता है। यह उन साधनों का प्रतिपादन करता है जिनके अपनाने से समाज एक सुखी, सुन्दर और सुभ जीवन की प्राप्ति कर सकता है। सोफिस्ट्स को जो कि सिद्धांत तथा व्यवहार में व्यक्तिवाद का प्रचार करते थे, अफलातून का यह अन्तिम उत्तर है। वह सिद्ध यह करना चाहता है कि व्यक्ति समाज से अलग रह कर कोई महत्व नहीं रखता; वह समाजस्थी सम्पूर्ण का एक अभिन्न अंग है; उससे हटकर वह अपना जीवन सुखी और सुन्दर नहीं बना सकता। उसका समस्त जीवन ही समाज के प्रति अपने वर्तव्य अर्थात् स्वधर्म का पालन करना है।

अफलातून के न्याय सिद्धांत की आलोचना—अफलातून के न्याय सिद्धांत की आलोचना विभिन्न हृष्टिकोणों से की गई है। कुछ आलोचकों ने तो उस उद्देश्य को समुचित महत्व नहीं दिया जो कि रिपब्लिक की रचना करते समय अफलातून के मन में था। और कुछ लोगों की आपत्तिया वास्तव में उसके राज्य के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, उसकी न्याय की धारणा के विरुद्ध नहीं। उदाहरण के लिए, अस्तु का यह कहना कि यह सिद्धांत राज्य का अत्यधिक एकीकरण करता है वास्तव में राज्य के सिद्धांत की ही आलोचना है। यहां पर हम केवल एक मुख्य आपत्ति पर विचार करेंगे जो कि उसकी न्याय की धारणा के विरुद्ध उठाई जाती है।

अफलातून की न्याय की धारणा के विरुद्ध एक आपत्ति आमतौर से यह उठाई जाती है कि इसके अनुसार व्यक्ति पूर्ण रूप से राज्य के अधीन हो गया है। तीसरे और सबसे बड़े वर्ग, अर्थात् उत्पादक वर्ग, के लोगों को कई राजनीतिक अधिकार नहीं दिये गये; वे अपने स्वभाव के केवल वासनामय पक्ष के आश्रय रहते हैं; उनके स्वरूप के ओज तथा बुद्धि तत्त्व पूर्ण रूप से अतृप्त रहते हैं। वे उच्च वर्गों के लिए केवल

टहलुए और सेवक है। इसी प्रकार उच्च दो वर्गों के घटकों को पारिवारिक जीवन का भोग करने का नियेध कर दिया गया है; वे किसी ऐन्द्रिक सुख का भोग नहीं कर सकते। जैसा कि वेपर ने इतने सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है, 'निम्नतम वर्ग विना किसी आपत्ति के शासकों की आज्ञा का पालन करते हैं ताकि निष्ठा मनुष्यों की इच्छाये थोड़े से सुस्थृत व्यक्तियों की इच्छाओं और बुद्धि द्वारा नियंत्रित हो जायें; और वह सुस्थृत व्यक्तियों से अपने समस्त व्यक्तिगत हृतों का राज्य के लिए परित्याग कराता है।' अफलातून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन केवल उस कार्य के कारण सार्थक और महत्वपूर्ण है जो कि वह राज्य की सेवा के लिए करता है। अफलातून इस आपत्ति को पहले से ही जानता है और उसने 'रिपिलुक' में उसका उत्तर देने की चेष्टा की है। वह एडीमेण्ट्स से यह कहलावाता है कि यह मारा प्रश्न ही कि क्या न्याय लाभप्रद है या न्याय अलाभप्रद है, हास्यास्पद है। आदर्श राज्य की रचना का उद्देश्य शासक-वर्ग का सुख नहीं है, बल्कि समाज का कल्याण है। अफलातून लिखता है: 'हमारा विरोधी उत्सवभग्न कृपकों के बारे में सोच रहा है जो कि जीवन की बहार ले रहे हैं, उसे उन नागरिकों का ध्यान नहीं है जो कि राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।' दूसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिये वह यह है कि सारी 'रिपिलुक' में अफलातून का सम्बन्ध आत्माओं से है और उसका उद्देश्य एक ऐसे राज्य का नित्र अकित करना है जिसमें कि व्यक्ति सच्चे अर्थों में अपने जीवन साध्य की मिलि कर सकता है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार कि ईश्वर का एक सच्चा भवत ईश्वर के माय एकाकार होकर अपना अस्तित्व नहीं खो देता बल्कि अपने सर्वोत्कृष्ट स्थ की प्राप्ति करता है, इसी प्रकार अफलातून का नागरिक भी राज्य की सेवा में लगकर अपने आपको खो नहीं देता बल्कि पा लेता है। आदर्श राज्य में व्यक्ति का नियेध नहीं है, बल्कि उसकी सिद्धि हो जाती है। यदि 'प्रत्येक से उसकी सामर्थ्य के अनुसार लो और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुमार दो', इस सिद्धान्त का अर्थ व्यक्ति को राज्य की देवी पर वलिदान करना है तो अफलातून पर अवश्य ही यह आरोप लगाया जा सकता है; परन्तु इस सिद्धान्त की इस प्रकार व्याख्या करना गलत है। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अफलातून के लिए एक अच्छा राज्य स्वयं में एक साधन नहीं है; इसका अस्तित्व व्यक्ति की पूर्णता के लिए है। सारांग यह कि व्यक्ति की आत्मा के इतना प्रसरण हो जाने का कि उसमें सम्पूर्ण समाज सम्मिलित हो जाये, यथं उसका नियेध अथवा वलिदान नहीं है, वरन् उसका अधिक भव्य होना, और उसकी सिद्धि है। अफलातून के अनुमार राज्य की महानता का निर्णय उसके नागरिकों के चरित्र की उत्कृष्टता से होना चाहिए, उनके धन, विलास, सुख इत्यादि से नहीं। इसलिए यह आपत्ति अनुचित है।

अफलातून के सिद्धान्त के विरुद्ध यह आपत्ति उठाना अधिक संगत होगा कि व्यक्ति की सिद्धि की स्थितियाँ वह केवल दार्शनिक राजाओं को ही प्रदान करता है जो कि बुद्धि द्वारा आचरण करते हैं; उत्पादक-वर्ग के घटकों को बुद्धि के अनुमार

आचरण करने की समस्त मुविधाओं का नियंथ कर दिया गया है। वे राज्य में हैं, किन्तु उसके नहीं हैं। यही बात सैनिक-वर्ग पर लागू होती है, यद्यपि अपेक्षाकृत कुछ कम। एक वास्तविक रूप से अच्छे राज्य में आत्म-विकास का अवसर प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए।

रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धान्त

परिचयात्मक—यह हम बता चुके हैं कि अफलातून के अनुसार मनुष्यों का समाज में नालमेल के साथ रहना और प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म का पालन करना ही न्याय है। इसी प्रसंग में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जाये। एक व्यक्ति को किस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अनुप्रेरित किया जाये? अफलातून इस घेय की पूर्ति के लिए दो महान् संस्थाओं, एक सामान्य शिक्षा तथा साम्यवाद के ऊपर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था, का सुभाव रखता है जिनमें से पहिली दूसरी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रति हृष्टिकोण में परिवर्तन करके शिक्षा हमारे जीवन की भूलों को सुधारती है; वह दोष की जड़ पर ही प्रहार करती है। वार्कर के सुन्दर दृष्टि में शिक्षा 'मानसिक रीग को मानसिक श्रीयथि द्वारा ठीक करने का प्रयास है'।^{*} साम्यवाद की व्यवस्था अफलातून यतीर अहतियात करता है। साम्यवाद उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए है जो स्वार्थपूर्ण व्यक्तिवाद को जन्म देती हैं। शासकों के सामने से जीवन सम्बन्धी मुख्य प्रलोभनों को दूर करना ही साम्यवाद का उद्देश्य है। शिक्षा और साम्यवाद का हम यहाँ पर बारी-बारी से वर्णन करेंगे।

शिक्षा का स्वरूप तथा उद्देश्य—उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अफलातून शिक्षा को 'एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है जिसके द्वारा समाज के घटक एक सामाजिक चेतना से भर कर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना सीखते हैं।'[†] शिक्षा वह अभिकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना उचित स्थान पाता है, अपने को उसके अनुसार ढालता है और तत्सम्बन्धी कर्तव्य का निष्पार्थ भाव से पालन करता है। शिक्षा के मामाजिक पहनू पर बल देना सोफिस्ट्स की धारणा के एकदम विपरीत है कि शिक्षा व्यक्तिगत सफलता का साधन है, न कि सामाजिक धर्म-शीलता का। आज भी हम शिक्षा को अपनी व्यक्तिगत सफलता की कुंजी ही समझते हैं, समाज सेवा और धर्मशीलता का साधन नहीं। शिक्षा विषयक अफलातून की समाज प्रधान धारणा को अज्ञ के सर्वभक्षी (Totalitarien) राज्यों ने अधिक अपनाया है जहाँ कि शिक्षा को व्यक्ति तथा समाज में सामजिक स्थापित करने का साधन समझा जाता है।

* '..... attempt to cure a mental malady by mental medicine'

† '... a social process by which the units of a society become infected with social consciousness and learn to fulfil all social demands.'

किन्तु अफलातून ने शिक्षा के व्यवित्रित पहलू को भी नहीं भुलाया है। उसके लिए शिक्षा न केवल समाज भेदा वा साधन है बल्कि वह व्यवित्रित के लिए सत्य अनुमधान का भी यत्र है। इमका उद्देश्य मनुष्य के ज्ञान चयु को आलोकित करना है ताकि वह इन्द्रिय जगत से परे वास्तविक सत्य को देख सके। इम प्रकार सामाजिक धर्म के एक साधन तथा मत्य प्राप्ति के एक अवयव के रूप में शिक्षा के दो स्वरूप अफलातून के सम्पूर्ण सिद्धात में बड़ी सुन्दरता के साथ भिले हुये हैं।

अफलातून की शिक्षा पद्धति—अफलातून की धारणा है कि मानव आत्मा एक अनुकरणशील पदार्थ है वर्योंकि वह अपने आपको अपने परिवेश के अनुसार स्वाभाविक रूप से ढान लेनी है, वह अपने विकाम की विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रूप से कार्य करती है। मानव आत्मा की यह धारणा ही अफलातून की शिक्षा पद्धति का आधार है। उसके लिए शिक्षा का अर्थ यह है कि आत्मा का जैसा स्वरूप हम बनाना चाहें वैसा ही परिवेश हमें उसके लिए तय्यार करना चाहिये। एक शिक्षाशास्त्री का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य एक समुचित वातावरण को निर्धारित करना है।

आत्मा को एक अनुकरणशील चीज कहने का तात्पर्य यह नहीं कि वह निप्किय है। नहीं, अफलातून उसे मूलतः क्रियाशील समझता है। शिक्षक का कार्य इसमें विचारों या ज्ञान को दू सना नहीं बल्कि उसी में अन्तर्हृत सर्वथेष्ठ तत्व को जाग्रत करना है, विकसित करना है। आत्मा पर अपने परिवेश का प्रभाव निरन्तर और प्रत्येक स्थिति में पढ़ता रहता है इसलिये शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिये, हाँ, उसके साधन, अधिकरण और माध्यम अवस्थानुसार बदलते रहते हैं। वाल्यावस्था में आत्मा पर कल्पना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, इसीलिये प्रारम्भिक शिक्षा कल्पना को परिमार्जित बनाना है, भावनाओं को परिष्कृत करना है। किशोरावस्था को प्राप्त होने पर तर्क का उदय होता है और आत्मा तर्क द्वारा ग्राह्य बन जाती है, इसलिये इस अवस्था में शिक्षा विज्ञान तथा दर्शन द्वारा तर्क शक्ति को प्रखर करके दी जानी चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा का स्वभाव तथा स्वरूप प्रधानतः सामाजिक है; उसका उद्देश्य व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को जानना तथा समुचित रूप से उनका पालन करने की दीक्षा देना है। आगे चलकर शिक्षा का यह सामाजिक चरित्र कुछ धूमिल पड़ जाता है; वह सत्य साधना तथा ब्रह्म दर्शन का एक साधन बन जाती है। प्रारम्भिक शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण अफलातून उस पर बहुत अधिक ध्यान देता है। 'रिप्लिक' के एक बड़े भाग में प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा की तक्फीलें भरी पड़ी हैं और उसमें नवीन प्रणालिया तथा सुधार सुझाये गये हैं। इसों का यह कथन भ्रष्टरदा: सत्य है कि 'रिप्लिक' शिक्षाशास्त्र का एक महानतम ग्रन्थ है।

अफलातून की शिक्षा पद्धति की एक अन्य विशेषता भी ध्यान देने योग्य है। वह इस बात का आग्रह करता है कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये और उसके ऊपर राज्य का अधिकार होना चाहिये। शिक्षा से जो कार्य वह लेना चाहता है उसे देखते हुये उसका यह आग्रह करना स्वाभाविक है। शिक्षा के द्वारा ही तो शासक व्यवित्रियों

के चरित्र का निर्माण कर सकता है और उन्हें निःस्वार्थ भाव से समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो फिर ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ को राज्य भला कैसे व्यक्तिगत हाथों में छोड़े। उसे तो स्वयं ही उसका निर्देशन तथा नियंत्रण करना चाहिये और इसी कारण से उसे समस्त नागरिकों के लिए अनिवार्य भी बनाना चाहिये। राज्याधित अनिवार्य शिक्षा अफलातून का एक नवीन आविष्कार थी, ऐथन्स में ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं पाई गई। इसलिये संवाइन के शब्दों में हम इसे 'उस जनतंत्री प्रथा की एक समालोचना' कह सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा खरीदने की स्वतन्त्रता देती है जो या तो उसे अच्छी लगती हो या जो बाजार में उपलब्ध हो।^{*} उसकी प्रणाली स्पार्टा का आदर्शकरण था जहाँ कि राज्य इस बात का प्रबन्ध करता था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शिक्षा मिले जिससे वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके।

ऐथन्स की तत्कालीन पढ़ति में अफलातून ने एक दूसरी नवीन उद्भावना यह की कि उसने स्त्री पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया। उसकी कल्पना के आदर्श राज्य में स्त्री पुरुषों के राज्य सम्बन्धी कामों में कोई भेद नहीं है; स्त्री पुरुष समान रूप से प्रत्येक पद के अधिकारी हैं। माद रहे कि उस जमाने के ऐथन्स में सार्वजनिक जीवन से स्त्रियों को बिल्कुल अलग रखा जाता था।

इस प्रसंग में अन्तिम बात यह है कि अफलातून ने अपनी शिक्षा योजना में उत्पादक वर्ग का कोई उल्लेख नहीं किया; उसने इस बात की कोई विवेचना नहीं की कि उसे किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिये। शासकों तथा मैनिकों के दो उच्च वर्गों में उसका मन इतना रमा हुआ था कि तीसरे वर्ग की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया यह कभी अत्यन्त महत्वपूर्ण है; इससे शिक्षा के उद्देश्य के विषय में अफलातून की धारणा और हमारी अपनी धारणा का अन्तर इतना स्पष्ट हो जाता है जितना कि अन्य किसी बात से नहीं। अपनी शिक्षा योजना अफलातून ने अभीष्ट प्रकार का शासक वर्ग उत्पाद करने के लिए बनाई थी; इस्तिये उसने धन के उत्पादकों के तीसरे बड़े वर्ग की अवहेलना की। हमारा, अर्थात् बीसवीं शताब्दी के लोकतंत्रवादीयों का, उद्देश्य शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार करना है ताकि समस्त व्यक्तियों की सस्कृति और ज्ञान की निहित सम्भावनाओं का विकास हो सके। इसीलिये हम इसे उदार कहते हैं।

शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum)—जैसा कि हम पहिले ही कह चुके हैं अफलातून नागरिकों की शिक्षा को दो भागों में विभक्त करता है; प्रारम्भिक तथा उच्च। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार आयु भेद है; किन्तु इसमें वर्ग भेद भी सम्मिलित है। प्रारम्भिक शिक्षा एक और तो किशोरावस्था के लिए है और दूसरी और सैनिक वर्ग के लिए। इसी प्रकार उच्च शिक्षा एक और तो प्रोडावस्था के लिए और

* a running criticism upon the democratic custom of leaving every man to purchase for his children such education as he fares or as the market affords.' —Sabine : op. cit., page 60

दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए। पहिली प्रकार की शिक्षा का घ्येय भावनाओं का परिमार्जन करके चरित्र का निर्माण करना है और दूसरी का उद्देश्य है विज्ञान तथा ज्ञान द्वारा बुद्धि का परिष्कार करना।

(१) प्रारम्भिक शिक्षा—प्रारम्भिक शिक्षा की जो योजना अफलातून ने हमारे सामने रखी है वह सर्वथा नवीन नहीं है, बल्कि उसने ऐथन्स तथा स्पार्टा की पढ़तियों में से कुछ बातों को लेकर एक नवीन सम्मिश्रण तैयार किया है। उसका तत्व तो ऐथन्स से ही लिया गया था; किन्तु स्पार्टा की भावना का अनुसरण करते हुये उसने उसे एक सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये साधन बनाया। परन्तु स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का घ्येय जबकि एक शवितशाली सैनिक-वर्ग को उत्पन्न करना या जो युद्ध में विजय प्राप्त कर सके, अफलातून का घ्येय उससे कही अधिक विस्तृत और सासान्य था। वह था व्यक्ति को राज्य में उसकी स्थिति के योग्य बनाना और उसमें वीद्धिक तथा नीतिक गुणों का विकास करना।

ऐथन्स की परम्परा के अनुसार ही अफलातून ने भी सोचा कि सर्वथेठ शिक्षा आत्मा के लिये संगीत और शरीर के लिये व्यायाम है। परन्तु संगीत और व्यायाम शब्दों का अफलातून ने उससे कही अधिक व्यापक अर्थ नगाया है जो इन शब्दों का ऐथन्सवासी लगाते थे या हम आज लगाते हैं। संगीत केवल गायन, वादन तक ही सीमित न था; उसमें साहित्य के थ्रेप्टलम ग्रन्थों का अध्ययन, काव्य, राग अलापना, इत्यादि भी सम्मिलित थे। यहाँ तक कि अन्य ललित कलाये भी उसके अन्तर्गत थी। इसी प्रकार व्यायाम शब्द में भी शारीरिक व्यायाम के अतिरिक्त भोजन-शास्त्र तथा औषधि-शास्त्र भी सम्मिलित थे। इन दोनों प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है; यह एक नीतिक उद्देश्य है। व्यायाम द्वारा एक ऐसे शरीर का निर्माण करना है जिसमें एक स्वस्थ और विशुद्ध मन का विकास हो सके; जिसमें साहस तथा खेंगे के गुण पनप सकें। इसका मूल घ्येय एक सैनिक जीवन की तैयारी करना है। सैनिक के शीर्घे गुण को संतुलित रखने के लिये ही काव्य तथा अन्य साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। ‘इमका उद्देश्य तरह आत्मा की उन समस्याओं के बारे में जिन्हे कि इसे हल करना है, सही अनुभूति करने को प्रेरणा तथा सामर्थ्य देना है और उस अनुभूति को इतना तीव्र तथा प्रबल बनाना है कि वह अपने बाह्यनीय कर्तव्यों का पालन बिना किमी शंका के करता रहे।’^{१५} संगीत तभी सार्थक हो सकता है जबकि शिक्षक अपरिपक्व मस्तिष्क के सामने ऐसी कोई चीज़ ही न आने दे जो आगे चलकर उसके लिए वांछनीय या हितकर न हो। इसी लिए संगीत और काव्य में अफलातून एक जबर्दस्त मुधार बरना चाहता है और उनके ऊपर राज्य का कड़ा नियन्त्रण लगाता है। वह मुधार समीत के अंतरण और बहिरंग अथवा भाव तथा कला दोनों पक्षों में होना चाहिये। तरह बुद्धि के सामने देवताओं के

* It is meant to habituate the young soul, which is still in the stage of childhood, so that it should feel also its share in the welfare of the State.

सम्बन्ध में मिथ्या धारणाएँ नहीं आनी चाहिये और कविता की शैली वर्णनात्मक तथा रूप महाकाव्य होना चाहिये। सारांश यह कि साहित्य तथा संगीत अपने विशुद्ध नैतिक उद्देश्य की पूर्ति तभी कर सकते हैं जबकि उनका रूप सरल हो और राज्य का उन पर पूर्ण नियन्त्रण हो।

अफलातून द्वारा कवि और कलाकार को राज्य के शिक्षे में जकड़ने के इस प्रयत्न की बहुत से लोग कठु आलोचना तथा घोर निन्दा करते हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार के नियन्त्रण में तो कला का स्वतंत्र विकास हो ही नहीं सकता। कला-कामिनी के सौदर्य के प्रस्फुटन के लिए स्वाधीनता-पहिली-शर्त है। 'नैतिक उपदेश के पास में जकड़ी हुई कला मानव हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती और जो कला विशुद्ध कला के रूप में मानव हृदय को नहीं गुदगुदा सकती वह उसके आचार को भी प्रभावित नहीं कर सकती।'*

(२) उच्च शिक्षा—जिस प्रारम्भिक शिक्षा की रूपरेखा हमने ऊपर दी है उसके उपरान्त दो वर्ष का एक पाठ्यक्रम सैनिक शिक्षा का होगा। इसके समाप्त होने पर उन व्यक्तियों को छांटा जायेगा जिनमें विज्ञान के लिये एक विशेष और स्पष्ट अभिरुचि होगी। पहिले प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य तस्रणावस्था में नागरिक गुणों का आरोपण तथा विकास करना था; उच्च शिक्षा प्रीढ़ावस्था की शिक्षा है, इसका लक्ष्य कुछ चुनीदा व्यक्तियों को राज्य का योग्य अभिभावक (Guardians) मा शासक बनाना है। यह २० वर्ष की आयु में आरम्भ होकर ३० वर्ष तक की आयु तक अर्थात् १० वर्षों तक चलेगी। जिस प्रकार कि एक सैनिक का विशेष गुण साहम अधवा शौर्य है, एक शासक का आवश्यक गुण ज्ञान अथवा बुद्धिमत्ता है। इसलिए उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में ज्ञान का सचार करके उन्हें बुद्धिमान बनाना है। इस घोषणा को प्राप्त करने के लिए गणित तथा तत्कालीन ज्योतिष शास्त्रों को आवश्यक और उपयुक्त समझा गया है। दस वर्ष तक इन विषयों का अध्ययन करने के उपरान्त द्वन्द्वावाद (Dualistic) का अध्ययन आरंभ होता है जो पाच वर्ष तक चलता है। द्वन्द्वावाद ही वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्त्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तत्त्व सम्बन्धी समस्त विचारों में सर्वोच्च विचार शुभ (Good) की समीक्षा है जो समस्त प्राण का कारण और ज्ञान का लक्ष्य है। अफलातूनवाद में शुभ सम्बन्धी विचार का वही स्थान है जो वेदान्त में ब्रह्म का है। जिस तत्त्ववेदों ने परम शुभ को ज्ञान लिया है, वह सच्चा ज्ञानी है और केवल वही शासन करने का अधिकारी है। सारांश यह कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य दार्शनिक-राजा तथा अभिभावकों को उत्पन्न करना है जिनका राज्य में सर्वोच्च स्थान होगा। संवाइन का यह कथन अक्षरदाः सत्य है कि 'रिपब्लिक की यह सबसे अविक्षिति तथा'

* 'Art cabin'd and confined by the state to a moral purpose, will lose its appeal to the emotions, and failing to touch the hearer or the reader as art it will fail to touch him as ethics.' —Barker; *Ibid.* page 195.

विशिष्ट योजना है।' उच्च शिक्षा की जो स्परेंसा हमने यहाँ दी है, उसके बहुत बड़े भाग पर अकादमी में अमल होता था जो ३८६ ई० प० में 'रिपब्लिक' की रक्ना समाप्त होने के पहिले सोली जा चुकी थी। हमें यह याद रखना चाहिये कि अकादमी की स्थापना प्रशासक और राजनीतिज उत्पन्न करने के लिए की गई थी, केवल विद्वान मही। हमारे आज के विश्वविद्यालय शासक उत्पन्न करने के लिये नहीं बनाये गये हैं।

आदर्श राज्य में शासन के सिद्धान्त—प्रारम्भिक तथा उच्च-शिक्षा की उपरोक्त विवेचना से यह तो स्पष्ट ही होगा कि दोनों प्रकार की शिक्षा का अन्तिम और प्रधान लक्ष्य ऐसे दो वर्गों की सृष्टि करना है जिनमें एक में शौर्य और साहस तथा दूसरे में ज्ञान तथा बुद्धि का प्रावल्य हो जिनके कारण वे राज्य की निष्काम भेवा कर सकें। इन वर्गों के घटक उत्पादक-वर्ग के घटकों से कहीं थेठ है क्योंकि उनमें धर्मचिरण की शक्ति अधिक है। इन दोनों वर्गों में भी शासक-वर्ग संनिक-वर्ग की अपेक्षा अधिक थेठ है; अधिक पुण्यशील होने के कारण ही वह राजनीतिक शक्ति बढ़न करने का पात्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अफलातून के अनुभाव 'शासन कार्य' के लिए आवश्यक योग्यता का आधार आचार (Virtue) की थेठता है। इसे हम शासन का सर्वप्रथम सिद्धान्त कह सकते हैं।

उपरोक्त सिद्धान्त में से ही अफलातून के विचार की एक अन्य विशेषता उत्पन्न होती है। सभी मनुष्य बराबर धर्मात्मा नहीं होते; इसलिए समता के आधार पर मनुष्यों को शासन प्रबन्ध में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मशील व्यक्तियों को धर्मविहीन प्राणियों पर शासन करना चाहिए। इसके विपरीत कोई भी व्यवस्था अन्यायपूर्ण तथा धातक है। न्याय की मांग यह है कि धर्मात्मा और ज्ञानी का धर्मविहीन और अज्ञानी पर प्रभुत्व होना चाहिये। जिम प्रकार एक आदर्श व्यक्ति वह है जो बुद्धि और साहसपूर्वक अपनी इन्द्रियों को बड़े में रखता है, इसी प्रकार आदर्श राज्य वह है जिसमें ज्ञानी और शूरवीर दूसरों के ऊपर शासन करते हैं। ज़ाहिर है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बोई बहुत बड़ी नहीं हो सकती इसलिए अफलातून का आदर्श राज्य स्वाभाविक रूप से कुलीनतम्बी होगा। आज की जनतन्त्री धारा से अफलातून की यह धारणा कितनी दूर है। आज का न्योक्तव्यवादी अफलातून की इस धारणा को स्वांकार नहीं करता कि शासन को एकाकी रूप से एक छोटे से वर्ग को सौंप दिया जाये जो कि आचार की थेठता में दूसरों से विशिष्ट हो; वह अफलातून की इस बात को मानने के लिए तम्भार नहीं कि शासन एक पूर्ण-काल का कार्य है और उसके लिए विशिष्ट प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है जो कि एक विशिष्ट सामाजिक-वर्ग में ही पाई जाती है। इसलिए वह दार्शनिक राजाओं के मारे सिद्धान्त को ढुकराता है।

अफलातून के आदर्श राज्य में शासन का दूसरा मुख्य सिद्धान्त यह है कि उसमें शासक-वर्ग के हित राज्य के हितों के बिल्कुल अनुरूप हो जाते हैं, या यो कहिये कि

राज्य के कल्याण से अलग शासकों का कोई निजी हित है ही नहीं। समष्टि के कल्याण में ही वे परमानन्द का अनुभव करते हैं। शासकों की शिक्षा-दीक्षा और उनकी चुनाव पद्धति का स्वाभाविक परिणाम ही इस प्रकार की निष्काम प्रवृत्ति का उदय होना है। यह कहा जा सकता है कि वे गीता की भाषा में कर्मयोगी, मुमुक्षु वन जाते हैं शिव भाव का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य न केवल बुद्धिमान हो जाता है बल्कि वह उसे प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो उठता है वयोऽकि ज्ञान की सदा कर्म में निष्पत्ति होती है। विन्तु हो सकता है कि इन्द्रियजनित प्रलोभन मनुष्य को ज्ञान मार्ग से विचलित कर दे। इसी दंका को दूर करने के लिए अफलातून ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की योजना की है। वह है सुविध्यात पत्नियों तथा सम्पत्ति का साम्यवाद। इसकी विवेचना हम आगे चलकर करेंगे।

दार्शनिक राजाओं का शासन—यह धारणा कि आदर्श राज्य में शासन-कार्य परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथ में रहना चाहिए उपरोक्त सिद्धान्तों का स्वाभाविक परिणाम है। विशेषज्ञों द्वारा शासन की इस धारणा का प्रतिपादन अफलातून इस विध्यात और प्रायः उद्धृत अवतरण में करता है।

“जब तक कि दार्शनिक राज्य नहीं होते, अथवा इस सासार के राजाओं और शासकों में दर्शन शास्त्र की भावना और धन्वित नहीं हो जाती, और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में नहीं मिल जाती, और वे साधारण मनुष्य जो कि इनमें से केवल किसी एक गुण को (दूसरे की पूर्ण स्वप्न से अवहेलना करते हुए) प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश नहीं कर दिये जाते, तब तक नगर-राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते—और न ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, सम्पूर्ण मानव जाति को शान्ति प्राप्त हो सकती है—और केवल तब ही हमारे इस राज्य को जीवन की सम्भावना प्राप्त होगी और यह दिन का प्रकाश देखेगा।”

दार्शनिक-राजाओं द्वारा शासन की यह धारणा अफलातून की समस्त धारणाओं में सबसे अधिक मौलिक और गहरी है, इसकी हमें कुछ विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए। यह हमारे लोकतंत्री विश्वास और व्यवहार के एकदम विपरीत है और स्वतंत्र नागरिकता के आदर्श वाले नगर-राज्य के राजनीतिक विश्वास का भी यह नियेध है, इसलिए यह हमारे विस्तृत अध्ययन का और भी अधिक पात्र है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह विचार कि शासन-कार्य आवश्यक रूप से ही कुछ विशिष्ट विशेषज्ञों के हाथ में रहना चाहिये उपरोक्त सिद्धान्तों का स्वाभाविक परिणाम है, अर्थात् यह कि शासन-कार्य के लिए आवश्यक और पर्याप्त योग्यता आचार का थेष्टता है, और इस कार्य के लिए विशिष्ट प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है जो कि केवल थोड़े से ही व्यक्तियों में पाई जाती है। इन सिद्धान्तों की सत्यता स्वीकार की जा सकती है परन्तु अफलातून कुछ ऐसी वार्ते भी कहता है जो कि आधुनिक जनतन्त्रवादी को मार्फत नहीं हैं और जो न इतना सत्य ही है। वह यह मानता है कि ऐसी दार्शनिक प्रवृत्तियां केवल कुलीनतन्त्री-वर्ग में ही पाई जा सकती हैं, कृपकों और शिल्पकारों में

इसीलिए वह धन के उत्पादकों के वर्ग को जो कि राज्य में सबसे बड़ा वर्ग होता है अपनी शिक्षा योजना से बाहर रखता है। नि संदेह वह यह तो मानता है कि अपने स्वभाव में स्वर्ण रखने वाला व्यक्ति ऐसे माता-पिना के यहाँ भी उत्पन्न हो सकता है जिसके स्वभाव में चांदी या लोहा हो परन्तु ऐसे व्यक्तियों को उत्पादक-वर्ग के शेष घटकों से अलग छाटने का कोई उपाय तो नहीं है। परन्तु अफलातून की योजना के इस दोष पर अत्यधिक बल देना आवश्यक नहीं है; हम इसके लोकतन्त्र-विरोधी स्वरूप को देखकर दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण बात पर आते हैं।

यह है दार्शनिक राजाओं का निरकुश शासन। दार्शनिक राजा निरकुश है क्योंकि किसी लिखित कानून की उनके ऊपर कोई सीमाये नहीं है और जनमत के प्रति वह उत्तरदायी है, और न ही वह उसका आदर करता है। इस शासन को एक दूसरे अर्थ में भी निरकुश कहा जा सकता है। वह यह कि इसमें सर्वसाधारण का कोई भाग नहीं है; उन्हे चुपचाप शासक-वर्ग की आजाओं का पालन करना पड़ता है। नागरिकों को दार्शनिक राजा के सामने उसी प्रकार समर्पण कर देना चाहिये जिस प्रकार कि एक रोगी को अपना उपचार करने वाले वैद्य के सामने करना पड़ता है। अफलातून ने शासन की तुलना कलाओं से प्राय की है।

इस बात को देखकर कि आदर्श राज्य के नागरिकों से दार्शनिक राजाओं के निरकुश शासन के सामने समर्पित करने की प्रत्याशा की जाती है और राज्य की नीति के निर्धारण में उनका कोई भाग नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, कुछ लोग यह कहते हैं कि हॉव्स के लेवियाथन (Leviathan) की प्रजा के सहश्र अफलातून के नागरिक भी दासता की स्थिति में हैं; उन्हे केवल शासक-वर्ग की इच्छाओं का पालन करना पड़ता है। चाहे यह बुद्धि की दासता ही सही, पर है तो दासता ही; सोने की जंजीरें भी वैसे ही वांधती हैं जैसे की लोहे की जंजीरें। इसीलिए विशेषज्ञों द्वारा शासन की यह धारणा स्वतंत्र नागरिकता के यूनानी आदर्श का निषेध है जिसका अर्थ यह था कि प्रत्येक नागरिक कभी न कभी शासन के कर्तव्यों और अधिकारों में भाग ले सकता था, और आधुनिक लोकतंत्री भावना के विशद है। नागरिकों की तुलना रोगियों में करना, जो कि स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते और इसलिए जिनकी देखभाल एक विशेषज्ञ को ही करनी चाहिये, गलत है।

दार्शनिक राजाओं के शामन के आदर्श रूप में गर्वथेष्ठ होने की अफलातूनी धारणा के पश्च में यह कहा जा सकता है कि यह निर्बाध निरकुशता है, यूनानियों की आतनायीतत्र (Tyranny) तो यह निश्चित रूप से ही नहीं है। लिखित कानून और जैनमत के बन्धनों से यह स्वतंत्र हो सकता था, किन्तु मंविधान के मूलभूत गिद्धांतों में स्वतंत्र यह नहीं था। दार्शनिक राजाओं का यह देखना परम कर्तव्य है कि राज्य मंविधान के आधारभूत गिद्धांतों के अनुगार चले जिनमें अफलातून चार गिनाना है। इस प्रारंभ में हमें यह याद रखना चाहिये कि दार्शनिक राजा के जो आवश्यक नीतिक गुण हैं उनके वारण उनके शामन के नमनकारी और निरकुश हो जाने की सम्भावना

नहीं है। वह स्पष्ट रूप से अपने साध्य और उसके प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधनों को जानता है। उसे सत्य से प्रेम है जिसमें वे समस्त सद्गुण सम्मिलित हैं जो कि आदर्श मानव प्रहृति का अंग है। इसमें वास्तविक तत्व के लिए तीव्र उत्कठा और प्रत्येक जानने योग्य वस्तु की जानने की इच्छा निहित है। जब सच्चा दार्शनिक प्रहृति वाले मनुष्य में पूर्ण आत्म-मयम होगा और उसका हृदय घृणा, हेप, कुद्रता आदि अवगुणों से सर्वथा रहित होगा। स्पष्टत वह न्यायप्रिय भी होगा। सारांश यह है कि दार्शनिक तत्व मूल रूप से मानवीय तत्व है; यही मनुष्य की सच्चा मानव बनेता है। ऐसा मनुष्य वास्तव में शासन करने योग्य है; इसके प्रति अधीनता एक निरखुश आत्मायी के अधीन होना नहीं है।

यदि हम उन बातों को समझ लें जिनके कारण अफलातून ने लिखित कानून तथा लोकमत को अपने आदर्श राज्य से बाहर रखा तो उपरोक्त अनुच्छेद में जिस बात पर जोर दिया गया है उसे हम कदानित अधिक समझ सकें। यह किसी समक अथवा मनमानेपन का परिणाम नहीं था; तकं इसकी माग करता था। यदि ये मान्यतायें अर्थात् (१) आचार की ज्ञान के माथ एकरूपता, (२) वास्तविक अथवा वैज्ञानिक ज्ञान का विश्वास अथवा मत से विभेद, और उपरोक्त की अपेक्षा पूर्वोंत की श्रेष्ठता (जो कि अफलातून के चित्तन का आरम्भ विन्दु है) सही मान ली जानी हैं तो रिपब्लिक के सारे ढाँचे को हमें उसका तार्किक परिणाम मानकर स्वीकार करना होगा जिसके शिखर पर दार्शनिक राजा बैठे हुए हैं जो कि प्रदीक्षित बुद्ध द्वारा शासन करते हैं और और जिन्हे जनमत और लिखित कानून के निर्देशन की कोई आवश्यकता नहीं। शुम की धारणा के ज्ञान से प्रसूत बुद्धि से हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह कानून के सामने भुके जो कि परम्परा के ऊपर आधारित होता है। बाकर के भावों में, “दार्शनिक राजा ऊपर लादा हुआ या एक दावा मात्र नहीं है: वह उस मम्पुर्ण पदानि कर तकंसंगत परिणाम है जिसके ऊपर राज्य की रचना चली है।”

दार्शनिक राजा की धारणा में भौतिक सत्य—फोस्टर (Foster) वा बड़ना है कि अफलातून के सम्पूर्ण राजनीतिक विचार में दार्शनिक राजा की दृष्टिकोण स्तर के अधिक भौतिक है। यदि हम देख ही चुके हैं कि जनतंत्र की हाफिट में दृष्टिकोण है तो ऐस्तन के स्वतंत्र नागरिकता के आदर्श से भी यह तान नहीं स्तर है। इन्हें ने इस विचार का पूर्ण तिरस्कार किया; उसके आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की दृष्टि कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रसन उठना स्वाभाविक ही है, हिंदू क्या अफलातून की यह राज्य से अधिक नवीन और भौतिक धारणा दृष्टिकोण स्तर है? क्या विशेषज्ञ बुद्ध द्वारा शासन में सत्य का कुछ धंग नहीं है? नहीं। दृष्टि कोई नहीं है। अफलातून के सिद्धान्त में नि संदेह एक आयारमूल मत है, द्वितीय प्राणों के लिए और प्राणों काल में अपनाया जा सकता है। अफलातून की दृष्टि कोई दृष्टिकोण कर सकता है कि शासन एक कठिन कला है जिसके लिए दृष्टि द्वितीय प्राणों की ज्ञान दृष्टिकोण है। शासन की समस्याओं का वैज्ञानिक ज्ञान दृष्टि द्वितीय प्राणों की दृष्टिकोण की दृष्टि

योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के अभाव में तो स्वयं जनतंत्र भी विफल हो जायेगा। इस तत्व का प्रतिपादन करना अफलातून की एक महान् महत्ता थी कि जब तक राजनीतिक सत्ता बुद्धिमान के हाथ में नहीं आ जाती और बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को राजनीतिक शक्ति से अलग नहीं कर दिया जाता तब तक राज्य के दोष दूर नहीं किये जा सकते। हमारे शाज के मंकटों और विनाश का प्रयान कारण शक्ति का बुद्धि से अलग होना है। अत अफलातून का यह मूल सिद्धान्त कि बुद्धि को ही शामन करने का अधिकार है सही है। हाँ, जिस प्रकार उसने इसे क्रियान्वित करने की चेष्टा की है वह अवश्य ही दोपपूर्ण है। उसका कुछ वर्गों को राजनीतिक सत्ता के लिए वंचित कर देना अनुचित और अन्यायपूर्ण है।

दार्शनिक राजाओं का शासन न केवल राज्य के उच्चतम ऋण में बुद्धि और राजनीतिक शक्ति का सम्मिश्रण कर देता है, वर्तिक यह वर्ग-संघर्ष का, जिसमें प्रत्येक युग में राज्य ग्रस्त रहे हैं, अन्त करने का भी सर्वोत्तम उपाय है। वर्ग-संघर्ष तब खड़ा होता है जबकि शासक-वर्ग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करता है; एक ऐसे समाज में यह नहीं पाया जा सकता जिसमें कि शासक-गण अपने को सम्पूर्ण समाज की सेवा में लगा देते हैं और जहाँ सार्वजनिक सेवा में पद प्राप्त करने का एकमात्र आधार योग्यता, सच्चरित्रता तथा उत्तरदायित्व को वहन करने की सामर्थ्य होती है। दार्शनिक राजा तथा अभिभावकों की धारणा में ही यह बात निहित है कि वे अपने निजी सुखों से ऊपर उठ जाते हैं और सामान्य हित की साधना में रत होकर ही उन्हें सच्चा परमानन्द प्राप्त होता है। सार्वजनिक हित के वेष में निजी स्वार्थ सिद्ध करना उनके लिए असम्भव है। यह कहना कि यह शासन अप्ट और स्वार्थी हो सकता है अफलातून की धारणा के दार्शनिक स्वभाव से अनभिज्ञता का परिचय देना है।

अन्त में, हमें यह भी याद रखना चाहिये कि दार्शनिक राजाओं तथा अभिभावकों का जीवन त्याग और समर्पण का जीवन है। यदि उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त है तो उसके लिए उन्हे धन का मोह, ऐन्ड्रिक सुख तथा पारिवारिक जीवन इत्यादि व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना पड़ता है। अफलातून किसी वर्ग से नहीं, वल्कि समाज के समस्त वर्गों से बलिदान चाहता है। यदि आर्थिक-वर्गों को राजनीतिक शक्ति का परित्याग करना पड़ता है और वह अपनी नागरिक स्वतंत्रताये खो देता है तो दो उच्च वर्गों को आर्थिक शक्ति से बचित कर दिया जाता है। एक ऐसे समाज में जिसकी प्रधान तान मर्वहित है, वर्ग-संघर्ष का होना और पनपना सम्भव नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस धारणा में कई तत्व ऐसे हैं जिनका महान् और स्थायी मूल है। किन्तु इसका मबसे बड़ा दोष यह है कि इसके लिए अपेक्षित मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। डितिहास में दार्शनिक राजाओं का कोई उदाहरण नहीं मिलता। पहले तो पर्याप्त संख्या में ऐसे मनुष्य नहीं मिल सकते जिन्हें कि शुभ की धारणा का शान हो और जिनका स्वभाव ऐसा दार्शनिक हो जैसा कि ऊपर बताया गया है। यदि किसी

समाज में ऐसे व्यक्ति हो भी तो उन्हें द्यांटना और इस बात की व्यवस्था करना कि राजनीतिक शक्ति उन्हीं तक सीमित रहे असम्भव होगा। अन्य नागरिक अपने आप को स्थायी रूप से शक्ति में वचित किये जाने को महन नहीं करेंगे। मनुष्य जैसे यथार्थ में है, उन्हें देखते हुए कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है जिसे कि निरकुश शक्ति सौंपी जा सके, और अधिकतर मनुष्य ऐसे निरपेक्ष रूप से आश्वासकारी भी नहीं रहेंगे जैसा कि अफलातून चाहता है। कदाचित यही कारण है कि अफलातूनी आदर्श कही भी यथार्थ नहीं हुआ है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अफनातून की दार्शनिक राजाओं द्वारा शासन की धारणा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आपत्ति यह उठाई जाती है कि ऐसे शासन के अत्याचारी तथा दमनकारी होने की सम्भावना रहती है। यह कहा जाता है कि सत्ता का उपभोग मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है, और निरकुश सत्ता का उपभोग तो पूर्णरूप से ही भ्रष्ट कर देता है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं हो सकता कि अफलातून की धारणा के दार्शनिक शासक इस नियम का अपवाद सिद्ध होंगे, अर्थात् वे, अनलो-गत्वा, अपनी सत्ता का प्रयोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए नहीं करेंगे। कहा जाता है कि स्वयं अफनातून भी इस प्रकार की सम्भावनाओं तथा आशकाओं को सर्वथा निराधार नहीं समझता था; उसे भय था कि कही ऐसा न हो जाये कि उसके ग्रथ 'रिपब्लिक' का प्रयोग सुधार के बजाय भ्रष्टाचार तथा निरकुश सत्ता के समर्थन के लिए किया जाये। प्र०० आर० के० मिश्र लिखते हैं : "यह भोले-भाले लोगों को जाल में फँसा सकता है और आतताइयों को इससे प्रोत्साहन मिल सकता है। इसलिये तथा-कथित दार्शनिक राजाओं के व्यक्तिगत शासन का परित्याग करके उसके स्थान में कानून का अव्यक्तिगत शासन अपनाया जाना चाहिये।"*

हमें इस प्रकार की आपत्तियों में कोई अधिक औचित्य दिखाई नहीं पड़ता; हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके उठाये जाने का कारण दार्शनिक राजाओं के वास्तविक स्वरूप को न समझ पाना है। जिन दार्शनिक राजाओं का स्वप्न अफलातून ने देखा था वे साधारण मानव प्राणी नहीं हैं जिनमें माधारण मानवीय दुर्बलतायें पाई जाती हों और जो निरकुश सत्ता के प्रयोग से भ्रष्ट हो सकते हों; वे तो मनुष्यों के मध्य देवता हैं जिन्होंने कि विज्ञान तथा दर्शनशास्त्र के अध्ययन द्वारा तथा परम सत्ता के दर्शन के कलत्वरूप उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने पूर्णता की उच्चतम अवस्था प्राप्त करली है; हम उन्हें ब्रह्म-ज्ञानी अथवा ब्रह्म-अहंपि कह कर पुकार सकते हैं। परम सत्ता के दर्शन ने उनकी सम्पूर्ण वासना तथा तृप्तियों को भस्म कर डाला है; गीता के शब्दों में हम उन्हें स्थित प्रज्ञ अथवा त्रिगुणातीत कह सकते हैं। जो कि सांसारिक प्रलोभनों से ऊपर उठ गये हैं। उनका पतन होना उतना

* "It might act as a trap, for the innocent and a sign-post for the guilty. Hence the personal rule of the so called philosopher-kings must be sacrificed for the impersonal rule of law."

ही असम्भव है जितना कि एक वृन्त के व्यामार्थों का असमान होना। इसके अतिरिक्त आलोचकगण यह भी भूल जाते हैं कि जिस व्यवित के हाथों में राजनीतिक मत्ता होती है उसे उसका दुरुपयोग अपने व्यवितगत स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रलोभन तभी हो सकता है जबकि वह राजनीतिक सत्ता के साथ-साथ आर्थिक हितों की पूर्ति भी करना चाहता है। सत्ता केवल अपवित्र तथा दुर्बल व्यवितों को ही अट्ट करती है; एक निर्मल तथा उदात्त आत्मा पर उसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अपनी कल्पना के दार्शनिक राजाओं के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करके तथा यह आग्रह करके कि उनके कोई आर्थिक हित नहीं होगे, अफलातून उनके जीवन की निर्मलता को मुरक्खित रखने की चेष्टा करता है।

प्रो० भिथ की आपत्ति के विषय में यह कहा जा सकता है कि अफलातून के अपने ग्रन्थ 'लॉज' (Law) में दार्शनिक राजाओं के निरंकुश शासन की धारणा का परित्याग करके उसके स्थान पर विधि द्वारा दर्शन के परोक्ष शामन की धारणा को प्रतिस्थापित करने का कारण यह नहीं था कि उसे यह आशका थी कि उसकी 'रिपब्लिक' का प्रयोग एक सर्वाधिकारवादी शामन का समर्थन करने के लिए किया जायेगा, अथवा उससे 'अट्टाचार तथा निरंकुश शासन' को प्रोत्तमाहन मिल सकता है, वल्कि उसकी यह अनुभूति थी कि उसकी धारणा का एक दार्शनिक राजा कही मिल नहीं सकता। जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, उसने 'रिपब्लिक' में प्रतिपादित आदर्श को गलत समझकर उसका परित्याग नहीं किया; उसने तो केवल यह अनुभव किया कि उसको व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता था।

रिपब्लिक में साम्यवाद का सिद्धान्त

 परिचयात्मक—हम पहले ही सकेत कर चुके हैं कि अपने आदर्श राज्य में स्वायत की सिद्धि के लिए अफलातून ने दो बातों की व्यवस्था की है। एक है राज्याधिकृत शिक्षा और दूसरी है सैनिकों तथा शामकों के लिए पत्नियों तथा सम्पत्ति का साम्यवाद। इन दोनों वर्गों को सामूहिक रूप से अभिभावकगण कह कर पुकारा गया है। यहाँ पर हम साम्यवाद की विवेचना करेंगे।

सम्पत्ति का साम्यवाद—अफलातून का विश्वास है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा अभिभावक वर्ग को अपने विशेष कार्य करने तथा समाज के प्रति नि स्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तम्यार किया जा सकता है। यह उनके अन्दर यह भावना उत्पन्न करेगी कि राज्य की एकता और मुहूर्दता कायम रखना उनका परम धर्म है और उनके अतिरिक्त उनका अपना कोई हित नहीं है। किन्तु हो सकता है कि विपरीत बालावरण में पहुंच कर शिक्षा द्वारा उत्पन्न हुए ये सस्कार उनके हृदय से मिट जाये। हो सकता है कि उनकी जीवन पद्धति ऐसी हो जिसमें उनके अपने हित तथा समाज हित में सघर्ष होने लगे और वे स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने सामाजिक कर्तव्यों की अवहेलना करे। अफलातून इस खतरे से अनभिज्ञ नहीं है। इसलिए अपने उद्देश्य की सिद्धि को सर्वथा निर्वाध तथा निश्चित

वनाने के लिए अभिभावक वर्ग के लिए एक ऐंगी जीवन पद्धति का आविष्टार करता है 'जो कि न तो उनके अभिभावक धर्म के पालन में वादक हो और जिसमें न उनके लिए अन्य नागरिकों का शोषण करने के लिए कोई प्रलोभन हो। उस जीवन पद्धति का यथं उसी के दशदो में मुनिये "पहिली बात तो यह कि उनके पास केवल उतनी ही सम्पत्ति होगी जो जीवन के लिए नितान्त अनिवार्य है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा और न कोई ऐमा गोदाम जो सबके लिए कुशल न हो। उनको वही वस्तुयें दी जायेगी जो कि कुशल सैनिकों के लिए आवश्यक हैं जो धीर तथा साहमी मनुष्य होते हैं। उन्हे नागरिकों से केवल वही निर्धारित वेतन लेना चाहिये जो उनकी वर्षभर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उससे अधिक कुछ नहीं लेना चाहिये। उन्हे सामान्य भोजनालय में भोजन करना चाहिये और सिपाहियों की तरह हड्डे में रहना चाहिए : और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हे सोना चादी छूना तक न चाहिये और न उनके वर्तनों में पीना चाहिए। इसी में उनकी मुकित है और ऐसा ही करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। परन्तु यदि उन्होंने घर या भूमि या धन का संचय कर लिया तो वे अभिभावक की जगह गृहस्थी और कृपक बन जायेंगे, दूसरे नागरिकों के मित्र न रह कर उनके शत्रु बन जायेंगे और उनके ऊपर अत्याचार करने लगेंगे। वे दूसरों से धूणा करेंगे और दूसरे लोग उनसे धूणा करेंगे; वे दूसरों के विश्वद पद्धतियाँ रखेंगे। इस प्रकार आजीवन उनके ऊपर बाहरी शत्रुओं की अपेक्षा आन्तरिक शत्रुओं का ही भय अधिक छाया रहेगा और उनका तथा समस्त राज्य का विनाश होने में कोई देर न लगेगी।"

अफलातून के उपरोक्त कथन में सम्पत्ति के साम्यवाद के राजनीतिक तथा व्यावहारिक आधार पर जोर दिया गया है। उसे पूर्ण विश्वास है कि शासन की स्वच्छता तथा कुशलता के लिए कोई चीज इतनी घातक नहीं होती जितनी कि राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति का एक ही हाथ में इकट्ठा हो जाना। राज्य में जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है यदि उनके कुछ निजी आर्थिक हित भी हों तो हो सकता है कि वे निःस्वार्य तथा ज्ञान का भाग छोड़कर अपना पेट भरना तथा दूसरों का शोषण करना शुरू कर दे। यह वही तो सिद्धान्त है जिसके ऊपर कार्न मार्क्स ने इनना बल दिया है कि वह आर्थिक-वर्ग जिसके हाथ में राजनीतिक शक्ति होती है अन्य वर्गों का अपने स्वार्थ के लिए शोषण करता है। इसीलिए अफलातून राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों की अलग-अलग रखना चाहता है। वह चाहता है कि जो लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हो उनका राजनीतिक शक्ति में कोई भाग नहीं होना चाहिए और जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता हो उनके कोई आर्थिक हित नहीं होने चाहियें। इसी तथ्य को मनोवैज्ञानिक भाषा में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है : यदि अभिभावकगण अपने शीर्य तथा बुद्धि द्वारा विहित कार्यों को तत्परता तथा एकाग्रता के साथ करना चाहते हैं तो उन्हे तृप्ताजनित (Appetitive) आर्थिक जीवन व्यापार का परित्याग करना ही पड़ेगा। विना साम्यवाद के बुद्धि या तो निष्क्रिय पड़ी रहेगी

या तृप्ति उसे उद्देशित करती रहेगी। धन की तालसा अभिभावकों के समाज के प्रति अपने कर्तव्य पालन के मार्ग में एक गम्भीर वाधा होगी।

अभिभावक-वर्ग के इस अपरिहार का विद्यान करने का एक दूषण कारण भी है। हम पहिले ही कह चुके हैं कि अफलातून केवल उन्हीं व्यक्तियों को रक्षा तथा शासन की वागडोर सौपना चाहता है जिनमें क्रमशः माहग और बुद्धि है, अर्थात् वह धर्म की श्रेष्ठता को सरकार में भाग लेने के लिए एकमात्र योग्यता मानता है। अब यदि राज्य में सभी नागरिकों को सम्पत्ति मग्नह की दूट दे दी जावे तो ही सकृत है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार धर्म (Virtue) न रह कर सम्पत्ति ही जावे। इसलिए यदि राजनीतिक योग्यता का आधार स्वयं मनुष्य को रखना है न कि उसके बाहरी उपकरणों को, तो उच्च-वर्गों को निजी सम्पत्ति से वंचित ही कर देना चाहिए। निजी सम्पत्ति का विनाश इस बात की गारण्टी है कि सरकारी पदों पर लोग अपने गुणों के कारण आयेंगे न कि अपने धन के बल पर। इसी युक्ति को सैवाइन ने इस प्रकार व्यक्त किया है : “सरकार के ऊपर धन के स्वतरनाक प्रभाव का अफलातून वो इतना छढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं सम्पत्ति का ही विनाश करना पड़ा, जहाँ तक कि सिपाहियों और शासकों का सम्बन्ध है।”^{५८} इम प्रसंग में यह बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि अफलातून आदर्द राज्य के उत्तरोत्तर अध.पतन का कारण राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति का सम्मिश्रण बतलाता है।

अफलातून के इस मन्तव्य को कि मैनिकों तथा शासकों का न कोई अपना घर होना चाहिये और न निजी सम्पत्ति, साधारणतया साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है। इस संज्ञा के अधीचित्य में सन्देह हो सकता है क्योंकि अफलातून ने अभिभावकों के लिए परिवार तथा उसके लिए अपरिहार्य धन का सर्वथा निषेध कर दिया है। उनको बहुत धोड़ी सी सामान्य सम्पत्ति उसने दी है। यह कहना अधिक उचित होगा कि उनका सम्पत्ति पर सामान्य अधिकार नहीं बल्कि सम्पत्ति त्याग में वे समान भागीदार हैं। यही त्याग तो राज्य की एकता का सूप है। यदि इम शब्द के अधीचित्य को स्वीकार भी कर लिया जाये तो भी हमें यह याद रखना चाहिये कि अफलातून के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में ग्राकाश-प्राताल का अन्तर है। उस अन्तर को समझना चाहियोगी होगा। अतः उनके मुख्य-भूख्य भेदों की हम यदृच्छा विवेचना करेंगे।

अफलातूनी साम्यवाद तथा आधुनिक साम्यवाद—पहिली बात जो हमें याद रखनी चाहिये वह यह है कि अफलातून ने सम्पत्ति का विनाश केवल अभिभावक वर्ग के लिए किया है; उत्पादक वर्ग को उसने प्रश्नान्तर छोड़ दिया है। इसलिए राज्य के आर्थिक ढांचे के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता; उत्पादन की व्यक्तिवादी

व्यवस्था में यह कोई परिवर्तन नहीं करता ; एक भी उत्पादक के ऊपर रक्ती भर प्रभाव नहीं पड़ता । इसके विपरीत आधुनिक समाजवाद तथा साम्यवाद का लक्ष्य राज्य के आर्थिक ढाँचे में आमूलचूल परिवर्तन करना है ; वे उत्पादन के साधनों पर व्यवितरण का पूर्ण विनाश करके उन्हें सामूहिक हाथों में सौंप देना चाहते हैं । इसलिए जहाँ तक उत्पादन प्रणाली के ऊपर प्रभाव का सम्बन्ध है अफलातून का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दो विल्कुल अलग-अलग चीज़ हैं ; उनमें नाम के अतिरिक्त कुछ भी साम्य नहीं है । अफलातून का साम्यवाद केवल उपभोग समग्री यों प्रभावित करता है, उत्पादन के औतिक साधनों को नहीं । अभिभावकगण स्थान, वर्ष व तथा रहने की बैरकों में समान भागीदार हैं, भूमि और पूजी पर उनका समानाधिकार नहीं । उनका साभा धन में नहीं गरीबी में है । इसके विपरीत आधुनिक समाजवाद तथा साम्यवाद उपभोग की वस्तुओं पर निजी प्रभुत्व का सिद्धान्त स्वीकार करता है जो अफलातून को मान्य नहीं है । अनिभावकन्तर को जीवन-निर्वाह के लिए उत्पादक-वर्ग जो कुछ देता है उसके छार अनिवादद्वारा का निजी स्वामित्व नहीं हो सकता, उसका वे सामान्य उपभोग ही कर नहीं सकते हैं । दूसरी बात यह कि अफलातून के साम्यवाद का स्वरूप राजनीतिक है वर्तोंके दृष्टका लक्ष्य राज्य की एकता प्राप्त करना है, धन का समान वितरण करना लागती है । उनकी योजना में उत्पादक-वर्ग में आर्थिक विप्रमतायें रहेंगी । वह निजी अन्तर्निक विनाश राजनीति में आर्थिक उद्देश्य को नष्ट करने के लिए ही करना चाहता है ; आधुनिकन्तर समाजवादी तथा साम्यवादी तो श्रमिकों के हाथ में ही राज्यशक्ति दे देना चाहते हैं । ट्रान्सर्ग दान यह जैसा कि पहिले बार-बार कहा जा चुका है कि अफलातून का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद है ; वह नागरिकों के घोटे से ही दर्द को अतिक्रम करता है । उन्हें विपरीत आधुनिक साम्यवाद मन्दव्यापी है । संवर्तनी दह दो नगड़ में है । एक ने इसलिए कि वह राज्य के समस्त नागरिकों को अल्पदूर्दिन करना है, दूसरे उनका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय है । आज का साम्यवादी दृष्टिकोण अमानुकूल की बजाए है जिसमें कोई गट्ठराज्य न होगे । उनका नाय है : संसार के मनुष्यों दृष्टि जाओ ! अफलातून ने ऐसे विवर सुनाया कि, नमून-ग्रन्थ त्रिमुख अद्वैत है, कभी सपना भी न देखा था ; वह तो मनव देवत वर्ते मनव नमस्त्रिय के सामाजिक संघटन का सर्वोत्कृष्ट है समन्वय का । अन्तिम दान यह कि इसका साम्यवाद त्यागप्रधान है ; 'यह एक त्याग का सार्व है और इस अन्तर्निक की कठ सर्वोत्तम और केवल सर्वोत्तम समुद्ध में की गई है' ।¹ अफलातून जीविक व्यवस्था को बाधा समझता है इसलिए वह अभिनवह-दर्ग में उनका दर्शनालय बनाते ही रख करता है जबकि आधुनिक साम्यवाद धन समाजी की वास्तुनीकता में छोड़ देते हैं ।

* 'It is the way of surrender; and it is surrendered ~~but~~ only on the best.' —Barker: *Ibid.*, page 212.

करता ; वह उनका अधिक न्याय-संगत वितरण चाहता है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि अफलातून उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण को कोई मार्ग नहीं करता। वह तो केवल उत्पत्ति के अंश का समाजीकरण करना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजवाद अफलातून के लिये गोण है ; उसका लक्ष्य राजनीतिक है। हा, उसके लिए वह एक विशिष्ट प्रकार की आर्थिक प्रणाली को आवश्यक समझता है, इसीलिए उसकी व्यवस्था वह करता है। विपरीत इसके आधुनिक माम्यवादियों का प्रधान लक्ष्य आर्थिक है, उनके राजनीतिक उद्देश्य उसके परिणामस्वरूप हैं। इस प्रकार इन दोनों में राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षों का विलक्षण विपर्यय हो गया है। दोनों में इतना विभेद होते हुए भी इतना तो मानना ही होगा कि इन दोनों का आदर्श एक है और वह है एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसका आधार सामाज्य जनसेवा है, जिनमें जन्म या सम्पत्ति की दीवारें नहीं हैं।

पत्तियों का साम्यवाद—अभिभावकगण के लिये निजी सम्पत्ति का नियंत्रण करने के गाथ ही साथ अफलातून उन्हें निजी परिवार से बचित कर देता है। सम्पत्ति और परिवार अन्योन्यात्रित हैं, एक के बिना दूसरा टिक ही नहीं सकता। सम्पत्ति के माम्यवाद की अपेक्षा पत्तियों के माम्यवाद का अफलातून ने अधिक विस्तार के साथ निष्पण किया है और आलोचना के पात से इगकी रक्षा करने में उसने अधिक तत्परता दिखाई है। शायद वह जानता था कि वह एक ऐसी बात कह रहा है जो एकदम नवीन तो है ही, साथ ही गाथ विरोधाभासी (Paradoxical) भी है।

परिवार के उन्मूलन के पश्च में अफलातून ने कई युक्तियाँ दी हैं। उसका विनाश है कि परिवार का सकुचित जीवन, घर की चारोंदीवारी में बन्द रियों और घर न गयह दी भावना राज्य को एकता और उनके ममस्त पट्टों के व्यतर्यावराम पी गया है। पारिवारिक मोह और राज्य-भवित में घोर प्रतिरक्षा रिया है और अनुभव द्वारे में यतनाता है कि पहिले पी दूमरे के ऊपर आधाररागनया विजय होती है। अपने घरों के भविष्य की चिना के आवरण में माना-जिना का घोर स्वार्थ और गंतुनित इन्टिरोग द्विता रहता है इसनिए अफलातून निजी परिवार को स्वार्थपरता का अद्वा गमना है। इसके अनिरिक्त वह एक ऐसा स्थान है जहा मनुष्य की प्रतिभा का इन घोर शक्तियों पर दमन होता है। यह दो तरह से होता है। एक जो यह कि परिवार पुरायों और रियों को, जिनमें स्त्री में नियों को, अपने व्यविभाग का पूरण जितान करने से होता है। नियों को पर भी भार-दीपारी में बन्द कर दिया जाता है जहा उनका बावं बेचन वर्षों का प्रबन्ध घोर गावन-गोगम होता है। इस प्रारंगण द्वारा यापे यापन यापे नामियों की गेयायों में विनिय रह जाता है। द्वारी बाल यह है कि परों से वर्षों को जो निया मिलती है, यह दग्धों करी हीन घोर निष्पट है जो राज्य द्वारा नियविना प्रणाली में उठते ही बा गाती है। परिवार या अमूल्य न बेचन स्वार्थपरता के पार को निया देना बन्ति नियों को पर से नीला परिष्ठप्त से मूल करने के लिए गार्ड में बा धग्गर धदान करेगा। अफलातून

स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं देखता ; वह दोनों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने का बराबर अधिकारी समझता है। जिस प्रकार एक कुतिया भी उतनी ही अच्छी पहरेदार हो सकती है जितना कि एक कुत्ता, उसी प्रकार स्त्री भी उन कामों को कर सकती है जिनको कि पुरुष, भले ही उमकी कार्यमात्रा पुरुष से कुछ कम रहे। पश्च-जगत का यह टट्टान्त मानव जीवन पर लागू नहीं हो सकता है। एक कुत्ते और कुतिया में शारीरिक बल के भेद के अतिरिक्त कोई मौलिक अन्तर भले ही न हो ; किन्तु यह बात कदापि मान्य नहीं हो सकती कि पुरुष और स्त्री में कोई बुनियादी अन्तर नहीं है और एक स्त्री केवल एक दुर्बलतर पुरुष है। “स्त्री की प्रकृति में लिंग एकाग्री तथ्य नहीं है जिसमें वह पुरुष से भिन्न है। उसे हम दूसरे तथ्यों से अलग नहीं कर सकते वह तो उसके जीवन को प्रभावित करता है।”

अफलातून ने परिवार का उन्मूलन करने का प्रयास न केवल इसलिए किया कि उके वह स्वार्थपरता का केन्द्र और राज्य का एक धोर प्रतिष्ठानी समझता था, बल्कि इस कारण भी कि उसके परिणामस्वरूप स्त्रियों का स्थान हीन था। प्राचीन यूनान में पत्नी आर्थिक रूप से पति के ऊपर निर्भर करती थी और उसे कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे। उसका स्थान एक गृह-प्रबन्धक और शिशु-जननी से बढ़कर और कुछ न था। कॉसमैन के शब्दों में, “इस बात के लिए कि वह विवाह किससे करे वह अपने माता-पिता की दास थी और उनकी दया पर निर्भर करती थी, और विवाह होने पर वह अपने पति की दास हो जाती थी। ऐसे दासों को अपने शासक-बर्ग के घटक बनने और अपने सर्वोत्तम बर्ग के साथ रहने की अनुभित अफलातून नहीं दे सकता था। उसके शासक बर्ग को ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता थी जो कि अपने पुरुषों के समान हो।” इसलिए सर्वोत्कृष्ट स्त्रियों को राज्य की सेवा के लिए भरती करने और उन्हे उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए अफलातून उन्हे गाहूस्थ्य की चाकरी से स्वतन्त्र करना चाहता था। इस प्रकार विवाह के संस्थान का उन्मूलन ‘नारी के अधिकारों का एक जबरदस्त दावा था। यह उसे पुरुष के स्तर पर उठाता था, और उसके विवेक-प्रधान स्वभाव को स्वीकार करता था।

अफलातून परिवार का उन्मूलन संतुलि मुधार के लिए भी करना चाहता था। विवाह सुधार की योजना में उसने अपना यह उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। परिवार का उन्मूलन करके वह इस प्रश्न पर आता है कि जाति (Race) को किस प्रकार जीवित रखना जाये और अभिभावकों में वच्चों का प्रजनन तथा पालन-पोरण किस प्रकार हो। ब्रह्मचर्य उसका ध्येय न था। वह कहता है कि उचित ऋतु और काल में राज्य की ओर से विवाह संस्कार सम्पन्न कराये जायेंगे और केवल उतने ही

*The fact of sex is not one isolated thing in a woman's nature, in which alone, she differs from man: it colours her whole being.”

विवाह कराये जायेगे जो राज्य के लिए आवश्यक बालकों को उत्पन्न कर सकें। उचित आयु के केवल सर्वोत्तम पुरुषों और स्त्रियों को ही विवाह सूत्र में वांधा जायेगा। केवल इसी प्रकार जाति का परिमार्जन हो सकेगा। अफलातून चाहता है कि इस मामले में राज्य को उसी सिद्धान्त पर अमल करना चाहिये जिस पर कि एक पशु-पालक करता है, अर्थात् एक श्रेष्ठ नर को उतने मादीनों और एक श्रेष्ठ मादीन को उनने नरों के साथ जोड़ देना चाहिये जितने कि वह सुगमता-पूर्वक संभाल सके। इस प्रकार के क्षणिक सर्वांग से उत्पन्न होने वाले बच्चों का राज्य द्वारा शिशु-गुहो (Creches) में पालन-पोपण होगा ताकि न तो किसी बालक को यह पता चलेगा कि उमके माता-पिता कौन हैं और न किसी माता-पिता को ही पता चलेगा कि उनके बच्चे कौन हैं। एक अन्त में उत्पन्न होने वाले सभी शिशु उस समय विवाहित हुए व्यक्तियों के सामान्य पुत्र-पुत्री होंगे। इस तरह से पूर्ण एकता स्थापित हो सकेगी। ऐसा राज्य स्वयं ही एक बृहत् परिवार होगा जिसमें समस्त प्रौढ़ समस्त बच्चों को अपना समझेंगे और 'मेरे' 'तेरे' का अन्तर बिलकुल भिट जायेगा। ऐसे राज्य में, जिससे शामक-गण का एक ही परिवार होगा और जो सब प्रेम के सूत्र में गुथे होंगे, राज-द्रोह का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अफलातून की विवाह सुधार की योजना एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इससे राज्य में एकता आती है; इसमें सतति का सुधार होता है और यह स्त्रियों को राज्य सेवा के लिए मुक्ति प्रदान करती है। निस्सन्देह पत्नियों का यह साम्यवाद एक नवीन कल्पना है; संसार के साहित्य में इसका जोड़ मिलना प्रायः असम्भव है।

अफलातून की विवाह सुधार की योजना के जो कर्तिंय उद्देश्य है उनको हम सभी पमन्द करेंगे। भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्त्री स्वतन्त्रता, राज्य की एकता तथा सुनति सुधार जैसे उद्देश्यों पर आपत्ति करे। परन्तु इनकी प्राप्ति के जो माध्यन उनने मुझाये हैं उन्हें जायद ही कोई स्वीकार करे। पुरुष और स्त्री का समर्ग केवल प्रजनन के लिए नहीं होता; पति-पत्नी का सम्बन्ध एक गहरा आध्यात्मिक सम्बन्ध है और वह समस्त जीवन का विषय है। इसी प्रकार माता और संतान का स्नेह भी क्षणिक नहीं बल्कि आजीवन का विषय सम्बन्ध है। क्षणिक समर्ग की योजना बनाने समय ने जाने क्यों अफलातून ने इम स्वयमिद्ध सत्य को अवहेलना कर डाली। बालक को जिस नीज की मध्यमे बड़ी आवश्यकता है वह ही माता का प्रेम और स्नेह। सार्वजनिक शिशुगृह में वह उसे कहा मिलेगा? माना कि परिवार घटुघा पूयाता और स्वार्थ की भावनाओं का पोषण करता है; प्रायः वह उसे राज्य के प्रति कर्तव्य में भी विमुख कर देता है और अपने विवृत रूप में वह स्त्रियों के लिये जीवन को एक भार बना देता है। यह उसका अन्धकार पथ है; किन्तु हमें उनके उद्देश्य पथ को न भूलना चाहिये। जैसा कि प्रागे चलकर अरस्तु ने कहा है परिवार यह स्वान है जहाँ प्रेम का विनाम होता है और जहाँ दूर्गंर मानवी गुण

प्राप्त किये जाते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष जीवग साथी के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं न कि एक क्षणिक कामना की तृप्ति के लिए।

राज्य की एकता भी अत्यन्त वाढ़नीय है; किन्तु इस बात में सन्देह है कि उसकी सिद्धि राज्य को परिवार बनाकर ही की जा सकती है। यदि राज्य को परिवार बना दिया गया तो फिर राज्य कहाँ रह जायगा? राज्य और परिवार में आधारभूत अन्तर है; इन दोनों को एक दूसरे का समानार्थक समझना भूत है। अफलातून की यह मांग कि एक व्यक्ति को राज्य के अतिरिक्त समाज के किसी अन्य समूह को अपना नहीं समझना चाहिये राज्य की एकता पर आवश्यकता में अधिक बल देना है। मानव स्वभाव के यथार्थ रूप से यह ताल नहीं खाता। मानव स्वभाव अपनी तृप्ति के लिये अनेक समुदाय चाहता है। परिवार तथा सम्पत्ति के समर्थन के लिये पाठकों को अरस्तु का शध्ययन करना चाहिये।

जो बात हम दार्शनिक राजा के विषय में कह चुके हैं वही पत्नियों तथा सम्पत्ति के साथ्यवाद के बारे में भी सही है। यहाँ भी अफलातून का ध्येय निर्दोष है और मिद्दान्त अकाट्य है। इसमें कोई सदेह नहीं कि समाज में से स्वार्थ-भावना और अप्टाचार को तब तक दूर नहीं किया जा सकता और राज्य में एकता तब तक स्थापित नहीं की जा सकती जब तक कि अभिभावक-वर्ग के ऐसे निजी आर्थिक हित भौजूद हैं जो प्रजा-जन के हितों से टकराते हैं। मुद्दी भर हाथों में राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक शक्ति एकत्रित हो जाने के कारण ही तो जनतंत्र को वह सफलता न मिल सकी जो मिल सकती थी और मिलनी चाहिये थी। राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण का मुकाबला देना अफलातून की महान् राजनीतिक मूल-दृष्टि का परिचायक है। परन्तु इस बात में सन्देह है कि परिवार का उन्मूलन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सब से अच्छा साधन है। परिवार और सम्पत्ति स्वभावतः पापमय नहीं है, उनमें अच्छाई भी है। अरस्तु इनको व्यक्तिस्व के विकास तथा नीतिके मूल्यों की प्राप्ति का आधार मानता है। अफलातून ने यही सिद्धान्तों को गलत रूप से लागू किया। जैसा कि धार्कर ने कहा है 'आत्मा का विस्तार करने की धून' में वह यह भूल गया कि उसमें पूर्ण तीव्रता भी होनी चाहिये।' परिवार तथा निजी सम्पत्ति का उन्मूलन करके अफलातून उस शब्द को ही नाट कर देता है जिसके द्वारा व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता है। इसके अतिरिक्त मानव स्वभाव के जिए यह अव्यावहारिक तो है ही।

परिवार का उन्मूलन अफलातून के आधारभूत सिद्धान्तों का एक आवश्यक उप-गिरिजा है। प्रथम, उसकी इस धारणा में कि राज्य सच्चे अर्थों में एक समाज है यह बात निहित है कि स्त्रियों की पुरुषों की भाँति ही मार्वजनिक जीवन में भाग लेना चाहिये। एक आदर्श समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी निजी या व्यक्तिगत वरनु नहीं रखनी चाहिए; प्रत्येक व्यक्ति का समस्त धरतुम्हों में भाग होना चाहिये। एक व्यक्ति वा जीवन निताना ही अदिक सामान्य होणा, उम्ही भारता

उतनी ही अधिक ऊँची होगी। दूसरे, यदि हम उसकी यह धारणा स्वीकार करने कि आत्मा का प्रियुगात्मक स्वभाव है, ज्ञान ही धर्म है और शामन एक कला है, तो हम निश्चित रूप से उन परिणामों पर पहुँचेंगे जिन पर कि वह पहुँचा था। राजनीति के ऊपर बहुत ऊँची ही पुस्तकें इनी युक्तियुक्त तथा सदिग्दार हैं जिनमें कि 'रिपब्लिक'। वह विना किसी हिचकिचाहट के अपने मिठान्त को तक की अंतिम मीमा तक ले जाने को तैयार था। रीति-रिवाज और परम्पराओं की उसे कोई परवाह न थी; तभी तो संवाइन ने कहा है कि 'रिपब्लिक' एक पंडित की बाणी है, उस अृषि के विश्वास की अभिव्यजना है जो ज्ञान में ही सामाजिक प्रगति की शक्तियों को देखता है।

आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक आपत्ति का उल्लेख कर देना बाध्यनीय दिखाई पड़ना है जो कि कभी-नभी अफलातून के सम्पत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद के विरुद्ध उठाई जाती है; यह कहा जाता है कि परिवार का उन्मूलन करके तथा उच्च दो वर्गों को सम्पत्ति से बचित करके अफलातून व्यक्ति को समाज पर बलिदान कर देता है और व्यक्तित्व के अधिकारों की अवहेलना करता है। यह आपत्ति उचित प्रतीत नहीं होती, यह व्यक्तित्व के सबुचित और इसलिए गलत अर्थ पर आधारित है। व्यक्ति का व्यक्तित्व मनमानी करने, या अपने आप को समाज के विरुद्ध खड़ा करने में नहीं है। हमें याद रखना चाहिये कि एक निर्विकल्प (Abstract) व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती, व्यक्ति और समाज में कोई विरोध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी है सामाजिक सम्बन्धों के कारण ही है; हम अपने व्यक्तित्व का विकास समाज के जीवन में भाग लेकर और उसमें योग देकर करते हैं। एक जनसेवक जो कि सच्चे मन से सर्वहित की साधना में लगा हुआ है और जिसका जीवन दूसरों के लिए है उसका व्यक्तित्व घटता नहीं, बल्कि ऐसा करने से अधिक उदात्त हो जाता है। भारत, बल्कि सम्पूर्ण ईश्वर सूष्टि के लिए जीवित रहकर और कार्य करके गांधी जी ने अपना व्यक्तित्व खोया नहीं, वरन् उसका प्रसरण किया और उसे अधिक उदात्त बनाया। यह ईश्वरभक्त जो कि अपने आप को परमात्मा के हाथ का एक यन्त्र मात्र बना लेता है और ऐसा करके अपने को दैविकता के स्तर पर ले जाता है, अपना व्यक्तित्व खो नहीं देता बल्कि उसे पूर्ण बना लेता है। अफलातून ने इस सत्य को पूर्ण रूप में जान लिया था कि उच्चतर 'स्व' (Self) के जीवित रहने के लिए निम्नतर 'स्व' को मारना ही पड़ेगा। अफलातून ऐन्द्रिक निष्ठाप्त 'स्व' की उत्कृष्ट 'स्व' के ग्राहीन करता है, मनुष्य के उत्कृष्ट 'स्व' को समाज के आधीन नहीं करता।

अफलातून के विरुद्ध उचित आपत्ति यह उठाई जा सकती है कि सर्वहित के लिए एकाग्री समर्पण जो कि वह अपने अभिभावकों से चाहता है, सामान्य मनुष्य के लिए एक अत्यधिक उत्कृष्ट आदर्श है कि अधिकतर मनुष्य निम्नतर स्तर पर रहते हैं और दार्यनिक राजा की महान् ऊँचाई तक पहुँचने में असमर्थ हैं। परन्तु आदर्श तो

सभी ऊंचे होते हैं, यदि उन्हें सर्वसाधारण प्राप्त कर सके तो वे आदर्श ही न रह जायें। हाँ, अफलातून के विरुद्ध यह आपत्ति उठाना युक्तिसंगत होगा कि उसकी राज्य की एकता की धारणा एकपक्षीय है और इसलिए वह दोपूरण है। राज्य के अन्तर्गत कर्तिपय समुदाय रहते हुए भी उसकी एकता रह सकती है; मानव समाज में एकता की स्थापना विविधता द्वारा हो सकती है और होनी चाहिये। जैसा कि आगे चलकर अरस्टु ने कहा, राज्य को एक बृहद परिवार बनाना गलत है; राज्य की एकता और परिवार की एकता में गुणात्मक भेद है। परिवारिक जीवन को राज्य की सेवा के लिए एक तथ्यारी के हृष में माना जा सकता है और ऐसा ही माना जाना चाहिये।

रिपब्लिक एक आदर्श के हृष में—'रिपब्लिक' के सम्बन्ध में हमने इनी जो कुछ कहा है उसका निष्कर्ष यह है कि यह ग्रन्थ कुछ मूल मिदान्तों का दिव्यजन्म है; किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वह एक कल्पना मात्र है जिसके बाहर वास्तविकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं। 'रिपब्लिक' यूनानी जीवन के वृच्छी मूल वृद्धि-रित है। इसे एक व्यावहारिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए लिखा गया है। इसके बाहर ऐथेन्म के राजनीतिक जीवन में अफलातून ने जो रोग देने, 'रिपब्लिक' इन्हें कह दिया निदान है। उसने देखा कि राजनीति के क्षेत्र में अज्ञान और अविद्या के ज्ञान दूर करने को व्याभूत कर रखता है। वह बुद्धि की प्रभुता स्थापित करना चाहता है; अर्कटर के अत्यन्त मुन्दर तथा सारगमित शब्दों में अफलातून द्वारा किया गया विवरण इसके बाहर निकृत तथा दार्थनिक शिक्षा द्वारा तक़ को ज्ञानमय बनाना है। तभी वृद्धि-रित की तृप्ति से मुक्त करना है और एक मुदीक्षित तक़ द्वारा दोनों ज्ञान-वृद्धि-रित के हृष है।¹ स्वयं रोग में उपचार का संवेत मिलता है। इसके बाहर विवरण में बहुत सी बातें ऐसी थीं जो 'रिपब्लिक' का अध्याय बनाए जा सकते हैं। इसके बाहर ने 'रिपब्लिक' की रचना वास्तविक जीवन की प्रकाशित रूपी है ताकि वह याद होगा कि उसने साइरेक्यूज के निर्गुण व्याप्ति के द्वारा बहुत कम है। इसके बाहर याद होगा कि उसने साइरेक्यूज के निर्गुण व्याप्ति के द्वारा बहुत कम है। इसके बाहर किया था, यद्यपि वह विफल रहा। इसके बाहर विवरण के द्वारा बहुत कम है। आदर्श की प्राप्ति को असम्भव नहीं करना चाहता है। इसके बाहर की वह स्थापना कर रहा है यह अनुच्छेद बहुत ही बड़ी विवरण है। इसके बाहर उसकी आयु बढ़ती गई वह महसूल दर्शन करने की शक्ति को बढ़ाव देती चिन्हाएँ सकता। उसने स्वयं ही बोक्तर किया है। इसके बाहर विवरण के द्वारा विवरण के वयोंकि मेरे विचार में इस वृद्धि-रित की विवरण की विवरण है।

* "..... the training of the mind in the political and philosophic education, the formation of manners for the public by a system of communication; the formation of the public spirit, the free working of a public opinion, etc."

^t "The city is formed by man for the sake of man, it exists."

कि यह केवल एक स्वप्न है जिसका मानव विचार और व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं। यद्यपि 'रिपब्लिक' के आदर्शों की पूर्ण और साकार अभिव्यक्ति किसी वास्तविक राज्य में नहीं हो सकती है, तथापि यह मत्य है कि किसी न किसी अश में उसकी अन्तनिहित भावना की अनुभूति प्रत्येक राज्य में की जा रही है। यह तो यूक्लिड (Euclid) के उस पूर्ण वृत्त के सहश है जिसमें मनुष्य द्वारा बनाये गए सभी वृत्त न्यूनाधिक अंश में मिलते-जुलते होते हैं किन्तु उसके पूर्ण अनुस्थप कोई नहीं होता। यह सही है कि यथार्थ जगत में दार्शनिक राजा का मिलना दुर्लभ है, किन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कोई भी राज्य राज्य नहीं रह सकता यदि उसमें बुद्धि सर्वोपरि न हो। इस टॉटिकोरोग से इस धारणा की अनुभूति हम वास्तविक जीवन में प्रतिक्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार यद्यपि दासकों के जीवन में से आर्थिक प्रलोभन को बिल्कुल दूर करना तो असम्भव है तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक प्रलोभन का एक जगह मिलना राज्य के लिए धातक है। याद रखने की बात यह है कि 'रिपब्लिक' में प्रतिपादित मुख्य सिद्धान्त यथार्थ जगत के हैं और इस सासार को न केवल अधिक दोषगम्य वक्षिक रहने के योग्य भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त आदर्श यथार्थ का मापदण्ड होने के नाते भी उपयोगी है।

राज्य का अध पतन तथा इसके भ्रष्ट रूप—आक्षण राज्य की रूपरेखा अक्षित करने और संरक्षकों की शिक्षा तथा जीवन का बरणन करने के उपरान्त अफलातून उसके अध.पतन तथा उत्तरोत्तर निष्टृप्त हपो का बरणन करता है और अन्त में राज्य के सबमें ग्राधिक निष्टृप्त तथा नबसे अधिक भ्रष्ट रूप को हमारे सामने रखता है। इम अध्ययन का उद्देश्य मानव आत्मा के अध पतन का चित्र दिखला कर अन्याय के स्वरूप का दिग्दर्शन करना है। हमें यह न भूलना चाहिये कि ग्लॉकिन तथा दूसरे लोगों ने मुकरात के सामने जो समस्या रखनी है यह न्याय तथा अन्याय का विशुद्ध रूप दिखाना अर्थात् वाह्य जगत में उनके प्रभाव से अलग उनके स्वरूप की विवेचना करना तथा अन्याय की अपेक्षा न्याय की थेप्टोग्रा मिद्द करना है। 'रिपब्लिक' के आठवें और नवें प्रकरण में अफलातून ने अन्याय का अध्ययन करने का प्रयाग किया है जो एक अन्यायी राज्य में अपने बृहत्तर स्वरूप में पाया जाता है। यद्यपि अफलातून ने भ्रष्टाचार के द्रम बरणन को एक अद्वैतिहासिक रूप दिया है तथापि उमका यह चित्र मुन्य रूप से ताकिक और वियोजक (*a priori*) है। जिस प्रकार मानव आत्मा के एक के बाद दूसरे विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों का गमावेद्य करके उसने एक आदर्श राज्य का पूर्ण भवन गड़ा किया या उसी प्राहार यह उन तत्वों को नियान लेना है। राज्य में इन तत्वों का हास नमां महन्व के क्रम में होना है। आदर्श राज्य का आधार तीनों तत्वों का गामजस्य तथा बुद्धि का अन्य दो गुणों के ऊपर शामन था। जब बुद्धि को पदच्युत करके शौर्य उमका न्यान-ग्रहण कर लेता है तो राज्य का पहिना भ्रष्ट न्य हमारे सामने आता है जिसे अफलातून मैनिस्तन्न ('Imocracy') कह कर पुकारता है। इसमें घग्नी और स्थानाधिक स्थिति यह होनी है जब फि बुद्धि और शौर्य दोनों दो

पराभूत करके तृप्तणा स्वयं शामक बन बैठती है, यह धनतन्त्र (Oligarchy) है। अगली अपोन्मुखी स्थिति वह है जब कि वित्तेषणा का प्रभुत्व नष्ट हो जाता है और विभिन्न तृप्तणायें प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष बढ़ती है। यह जनतन्त्रवाद (Democracy) है। पतन की अन्तिम सीड़ी वह है जब कि निकृष्टतम् इच्छाये हावी हो जाती हैं और काम तथा तोभ इत्यादि व्यक्तियों और समाज को बशीभूत कर लेते हैं। यह है आततायीवाद (Tyranny) जो राज्य का निकृष्टतम् रूप है और जिसमें मानव आत्मा पतन के गहरे गति में जा गिरती है। यह है पाप का आदर्श इतिहास जैसे कि आदर्श राज्य की रचना पुण्य का आदर्श इतिहास है। वास्तव में यह इतिहास नहीं है बल्कि मानव समाज में मंचरित कुछ निश्चित सिद्धान्तों के प्रकाश में इतिहास की समझाने का एक प्रयास है।

मानव इतिहास के कार्य-क्रम में सबसे पहिला सिद्धान्त जो हम देखते हैं वह यह है कि समाज का पतन आन्तरिक कारणों से होता है, किमी दैवयोग या वाह्य कारणों से नहीं। मानव समाज में भी विकास और विनाश का वही कानून लागू होता है जो कि वनस्पति जगत में हम देखते हैं। आदर्श राज्य पतित हो कर सैनिकतन्त्र इसलिए बन जाता है क्योंकि जीवन के अटल कानूनों की जानकारी न होने के कारण स्त्री पुरुष गलत समय में समागम कर बैठते हैं जिसका परिणाम होता है एक निकृष्ट सन्तान का जन्म। इसी प्रकार आन्तरिक शक्तियों के कारण ही यह पतन होता रहता है और राज्य का एक से एक अधिक भ्रष्ट रूप हमारे सामने आता है।

दूसरा सिद्धान्त जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है यह है कि अति सर्वत्र वर्जित है। अति का निश्चित रूप से पराभव होता है। प्रत्येक राज्य का नियामक सिद्धान्त अति को पहुंच जाता है और वही उसके विनाश का कारण होता है। धनतन्त्र धन के पीछे ही पड़ा रहता है जब तक कि धन ही उसका विनाश न कर दे। इसी प्रकार जनतन्त्र के विनाश का कारण भी यही है कि वह स्वतन्त्रता तथा समता के सिद्धान्त को अति तक पहुंचा देता है।

अन्तिम सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक राज्य एक विशेष प्रकार के मस्तिष्क की उपज है। जितना निकृष्ट मस्तिष्क होगा उतना ही निकृष्ट राज्य होगा। धनतन्त्र सैनिकतन्त्र की अपेक्षा इसलिए हीन है क्योंकि धनलोलुप व्यक्ति सम्मान पर मरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कहीं नीचा है। इसी प्रकार जनतन्त्र धनतन्त्र से निकृष्ट है क्योंकि धनतन्त्रवादी मनुष्य में आवश्यक और व्यवस्थित इच्छाये प्रधान होती हैं जबकि जनतन्त्रवादी मनुष्य में कोई विशेष इच्छा प्रधान नहीं होती जिसका परिणाम यह होता है कि जनतन्त्र में कोई निरपेक्ष सिद्धान्त ही नहीं होता।

राज्य के विभिन्न भ्रष्ट रूपों में से प्रत्येक की विशेषतायें और प्रत्येक में तोगों की जीवन पढ़ति का वर्णन करना आवश्यक नहीं। इतना ही कहना काफ़ी होगा कि अफलातून ने जनतन्त्र को एक बहुत ही नीचा स्थान दिया है; वह निकृष्टतम् रूप के सबसे अधिक निकट है। 'साज' में अफलातून ने जनतन्त्र के विषय में अपनी धारणाओं

में कुछ परिवर्तन कर लिया है ; वहाँ उसने उसे कुछ ऊँचा स्थान दिया है। 'रिपब्लिक' में उसने जनतन्त्र को इतना नीचा स्थान इसलिये दिया है क्योंकि उसे वह अराजकता का ही दूसरा रूप समझता है ; वह उसमें व्यवस्था और अनुशासन नहीं पाता। वह जनतन्त्र के दो आधारभूत सिद्धान्तों, स्वतन्त्रता तथा समता, की ओर निर्दा करता है क्योंकि जनतन्त्री समानता सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक स्तरों (Hierarchy) का नियंत्रण है और स्वतन्त्रता सामाजिक दक्षता और नमूने की शब्द है। समान, असमान दोनों को समता प्रदान करके यह इस बात की घोषणा करती है कि किसी व्यक्ति को शासन करने के लिए योग्य होने या योग्यता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अफलातून जब 'रिपब्लिक' की रचना कर रहा था तो अपने श्रद्धेय गुरु मुकुरात का अभियोग तथा मृत्यु-इण्ड की सूति उसके मन में ताजा थी।

अन्त में, आत्मायी के आन्तरिक जीवन को चित्रित करके और यह दिखा कर कि वह अतुप्त वासनाओं की साकार मूर्ति है और अपने साथियों से बिल्कुल अलग-अलग है और पूर्ण आत्मा को संतुष्ट करने वाली इच्छाओं को तृप्त करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, अफलातून यह सिद्ध करता है कि एक अन्यायी मनुष्य सबसे कम सुखी और सबसे अधिक दुखी होता है। यदि न्याय आत्मा के विभिन्न गुणों के परस्पर उचित सम्बन्ध में अर्थात् रज तथा तम पर सत् के प्रभुत्व में निहित है तो इस मध्यन्ध के विकृत होते ही अर्थात् सत् और रज पर तम का शासन होते ही अन्याय की निष्पत्ति हो जाती है। भन की यह स्थिति कभी भी मुखद नहीं हो सकती।

अफलातून (क्रमशः)

स्टेट्समैन तथा लॉज़

(The Statesman and The Laws)

परिचयात्मक—‘स्टेट्समैन’ अथवा पॉलीटिक्स (Politicus) तथा ‘लॉज़’ अफलातून के जीवन के उत्तर काल की कृतियाँ हैं। उनमें वह बौद्धिक बल तथा साहित्यिक-शैली देखने को नहीं मिलती, जिनके कारण ‘रिपब्लिक’ अफलातून की महानतम कृति और प्रत्येक देश तथा प्रत्येक काल की महानतम कृतियों में से एक बनी। उनका यहाँ पर संक्षिप्त विवरण ही दिया जायेगा यद्यपि अरस्तु तथा उसमें पीछे होने वाले विचारकों पर इनका ‘रिपब्लिक’ की अपेक्षा कही अधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। ‘लॉज़’ ‘स्टेट्समैन’ की अपेक्षा न केवल आकार में बड़ा है बल्कि उसका चरित्र भी उसमें अधिक राजनीतिक है; इसमें कानून की अधिक पूर्ण अभिव्यञ्जना हुई है। ‘स्टेट्समैन’ की मान्यता इसलिए है कि उसमें अफलातून ने कानून पर एक नये हृष्टि-कोण से विचार किया है और जनतन्त्र की उत्तीर्ण नहीं नीचे जितनी कि ‘रिपब्लिक’ में। इसमें मिथित सविधान का संकेत भी मिलता है जिसका पूर्ण विकास ‘लॉज़’ में हुआ है।

रिपब्लिक से स्टेट्समैन पर—आदर्श राज्य की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें कानून का सर्वथा प्रभाव है, दार्शनिक राजा अपनी कुशल बुद्धि से शासन करता है; वह रीति-रिवाज तथा लिखित कानून से बाध्य नहीं है। यद्यपि कानून की अवहेलना अफलातून के मूल सिद्धान्तों का स्वाभाविक परिणाम है और उसके आदर्श राज्य में शासन की एक प्रमुख विशेषता है; किन्तु वह नगर-राज्य के राजनीतिक विद्वास और परम्पराओं के विरुद्ध है। अफलातून आदर्श और यथार्थ के इस संघर्ष को जानता था। वह महसूस करता था कि राज्य को एक शिक्षा संस्थान बना कर उसमें दार्शनिक राजा का निरंकुश शासन स्थापित करना और नागरिकों का स्थायी रूप से उसके अधीन हो जाना एक ऐसी कल्पना है जो राजनीतिक वास्तविकताओं से दूर है। इसलिए ‘स्टेट्समैन’ में उसने इसी बुनियादी प्रदेश की विवेचना की है कि आया कि आदर्श राज्य में नागरिकों को अपने शासकों पर इतना ही निर्भर करना चाहिए जितना कि बालकों को अपने माता-पिता पर या उन्हे उत्तरदायी और स्वनियंता बनाना चाहिए; अर्थात् दार्शनिक राजा को अनिच्छुक भथवा इच्छुक नागरिकों के ऊपर शासन करना चाहिए अथवा नहीं। इस प्रदेश का गहरा-विश्लेषण करने के उपर्यन्त अफलातून इस परिणाम पर पहुंचा कि एक बुद्धिमान शासक को

जिसे कि शुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त है, शासित की रजामन्दी लेने की या रीति या परम्परा का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 'स्टेट्समैन' 'रिपब्लिक' के आदर्श की ही पुष्टि करता है किन्तु साथ ही साथ यह भी स्वीकार करता है कि यह आदर्श केवल स्वर्ग का है, इस भूतल पर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पुस्तक के अन्त में अफलातून यह मान लेता है कि यथार्थ राज्यों में निरंकुश शासक से काम नहीं चलेगा और इसलिए उनके राजनीतिक जीवन में कानून और रजामन्दी आवश्यक हो सकते हैं। जीवन की वास्तविकताओं के सामने वह भुक जाता है और 'लॉज़' में वह राज्य में कानून को उसके उचित स्थान पर फिर प्रतिष्ठित कर देता है।

अफलातून के दृष्टिकोण में जो यह परिवर्तन आया है वह 'स्टेट्समैन' में दिये हुए राज्यों के वर्गीकरण में स्पष्ट अभिलक्षित है। यह 'रिपब्लिक' के वर्गीकरण से दो महत्वपूर्ण बातें में भिन्न हैं। 'रिपब्लिक' में आदर्श राज्य सर्वोत्कृष्ट है और संनिकटत्र, धनतत्र, जनतत्र तथा आततायीतन्त्र उसके विभिन्न भ्रष्ट रूप हैं। किन्तु 'स्टेट्समैन' में उसने आदर्श राज्य को वर्गीकरण से अलग रखा है; उसमें केवल वास्तविक राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण के दो आधार हैं, एक रूप में कानून का स्थान और दूसरा शासकों की संख्या। अफलातून ने मोटे रूप से राज्यों को दो वर्गों में विभक्त किया है: १. कानूनप्रिय राज्य, २. कानूनहीन राज्य। इनमें से प्रत्येक के तीन रूप हो सकते हैं। १. एक का शासन कुछ का शासन तथा ३. बहुतों का शासन। कानूनप्रिय राज्य में यदि एक का शासन है तो वह राजतत्र कहलाता है; परन्तु यदि कुछ का है तो कुलीनतत्र और बहुतों का है तो नग्न जनतत्र कहलाता है; एक कानूनहीन राज्य में ये रूप क्रमशः आततायीतन्त्र, धनतत्र तथा उग्र जनतत्र बन जाते हैं। कानूनप्रिय राज्य कानूनहीन राज्य की अपेक्षा सर्वदा अधिक श्रेष्ठ है इसलिए नग्न जनतत्र एक धनतत्र की अपेक्षा सर्वदा अधिक मान्य और आहु है। इसी वर्गीकरण को आगे चलकर अरस्तु ने अपनाया है जो उसी नाम से सम्बद्ध है। कानूनहीन राज्यों में भी उसने जनतत्र को धनतत्र की अपेक्षा श्रेष्ठ समझा है। इस प्रकार जनतत्र कानून-विहित राज्य का निष्कृष्टतम किन्तु कानूनहीन राज्यों में सर्वोत्कृष्ट है। धनतत्र से तो यह दोनों ही अवस्थाओं में अच्छा है। 'रिपब्लिक' में जनतत्र की जो घोर निन्दा अफलातून ने की है उसका उसने 'स्टेट्समैन' में पूर्ण परिख्याग कर दिया है। 'अनुभव' के फल तथा बुद्धि के आविष्कार के रूप में कानून के गुण को समझ लेने पर अब अफलातून जनतत्र का, जो कि कानून द्वारा शासन के सिद्धान्त पर आधारित है, मूल्य जान सकता है।**

उपरोक्त पैरा में जिसे हमने कानूनी राज्य कहा है वह कानून के रूप में ज्ञान द्वारा सचालित राज्य है। इसमें लोग कानून के अनुसार व्यवहार करते हैं। एक

* "Seeing the virtue of law, as the fruit of experience and invention of wisdom, Plato can now see the value of democracy which is based on the rule of law."

—Barker : op. cit., page 291.

कानूनहीन राज्य वह है जिसमें शासक और शासित कोई भी कानून का पालन न करे बल्कि अपनी मनमानी करे। इसलिए ऐसे राज्य में कर्म पर ज्ञान का अधिकार नहीं होता।

लॉज (The Laws)—राजनीतिक वास्तविकताओं का राजनीतिक कल्पविकल्प में उचित स्थान देने तथा कानून को उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करने की जो प्रवृत्तिमां 'स्टेट्समैन' में उदय हुई थी उनका पूर्ण विकास 'लॉज' में हुआ है। 'स्टेट्समैन' में अफलातून ने एक आदर्श शासक का चित्र अंकित किया है और उसके गुणों का वर्णन किया है; किन्तु आदर्श राजा की तरह वह भी इस मृत्यु लोक में मिलना अलम्भव है। विश्व होकर अफलातून को कानून द्वारा शासन का ही प्रतिपादन करना पड़ा, हाँ कानून होना चाहिए सच्चे ज्ञान का साकार रूप। इस प्रकार 'लॉज' में अफलातून एक ऐसी शासन प्रणाली का आयोजन करता है जिसमें कानून की प्रभुता होगी; किन्तु अमूर्त कानून के द्वारा शासन ज्ञान और दर्शन ही करें। इस प्रन्थ के नाम से ही यह व्यजित हो जाता है कि इसका उद्देश्य एक कानूनी राज्य की रचना है।

'लॉज' में प्रतिपादित उपादर्श राज्य का चित्र खीचने में अफलातून ने 'रिपब्लिक' वाली स्वतंत्र तर्कप्रधान तथा कल्पनात्मक पद्धति को नहीं प्रपनाया क्योंकि इस बार वह एक ऐसे राज्य की रचना करना चाहता है जिसे इस धरती पर ही प्राप्त किया जा सके। अतः उसे वास्तविकताओं से जूझना पड़ता है; यहाँ वह स्वच्छन्द कल्पना के पांखों पर नहीं उड़ सकता। सैदाइन के शब्दों में इस पुस्तक में उसने 'मानव सम्यता' के विकास का अनुमन्धान करने, उसकी विभिन्न अवस्थाओं को देखने, उत्थान-पतन के कारणों का अनुशीलन करने और सम्पूर्ण का दिल्लीपन बरके राजनीतिक स्थिरता के उन कानूनों को, जिनका कि बुद्धिमान् दायक भास्त्र समाज में होने वाले परिवर्तनों को नियन्त्रित तथा निवैशित करने के लिये उपयोग करें, विकसित करने का प्रयास किया है। उसका यह सुभाव कि अपर्याह्य अध्ययन सम्यता के इतिहास के प्रकाश में अधिक सार्थक हो सकता है। इसमें अपर्याह्य अध्ययन का प्रभावित किया जिस पर 'लॉज' का बहुत बड़ा व्यवहार है।

सौजन्य वाले राज्य का निर्दारण—'लॉज' में अंकित राज्य 'रिपब्लिक' के उपर्युक्त राज्य से कई बातों में भिन्न है। दोनों में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि उसका शासन प्रदर्शन विभूति के अनुसार होता है; उसमें कानून की प्रभुता है शासक की नहीं जबकि 'रिपब्लिक' के उपर्युक्त राज्य के क्षेत्र कानून यो परम्परा का कोई प्रभुता नहीं। यह एक अनुप्रयुक्त अविभूति है इसने राज्य में कानून को, जो कि 'रिपब्लिक' में विभूति अनुप्रयुक्त नहीं है, फिर से प्रतिष्ठित कर दिया है। कानून के इस अनुप्रयुक्त अविभूति द्वारा अफलातून ने 'रिपब्लिक' के आदर्शों को गलत ग्राम्य कर दिया है।

नहीं, अफलातून उसे शब्द भी सर्वश्रेष्ठ आदर्श भमभता है। ही, उगने शब्द भनुभव कर लिया है कि वह आदर्श स्वर्ग के लिये है, इन पर्याप्ती के लिये नहीं। दार्शनिक राजा अपूर्ण मानवों के अपूर्ण जगत में मिलना अमम्भव है। इतिहास अफलातून को एक ऐसी शामन पढ़ति का आयोजन करना पड़ा जिसमें कि यथार्थ भनुष्यों को परोक्ष स्वप्न से ज्ञान द्वारा ज्ञान वा वरदान प्राप्त हो सके। ऐसा तभी हो भक्ता है जबकि शामन पर निष्पत्रण कानून का हो और कानून का आधार मच्चा ज्ञान तथा दर्शन हो। ऐसा राज्य निरपेक्ष स्वप्न से तो सर्वोत्तम नहीं होगा; किन्तु मानव जीवन वी वास्तविकताओं को देखते हुये मापेक्षिक स्वप्न से सर्वोत्तम अवश्य होगा। यह एक उपादर्श (Sub ideal) राज्य है। अफलातून के राजनीतिक सिद्धान्त में यह दराढ़ दिखलाई पड़ती है, उसने आदर्श और यथार्थ में भेद कर दिया है। उमका आदर्श निरपेक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता और जो प्राप्त किया जा सकता है वह सर्वोत्तम नहीं, सापेक्ष सर्वोत्तम है। यह 'लॉज' में प्रतिपादित उपादर्श राज्य मानो दुर्बलता के साथ एक रियायत है। यह रियायत देकर अफलातून अपने राजनीतिक विचारों को स्वतन्त्र नागरिकता की यूनानी परम्परा के अधिक निष्ठा ले आया है। यह आदर्श और यथार्थ की सम्बन्ध है। इस आदर्श राज्य के नागरिक दूसरों के हाथ की कठपुतलियाँ नहीं हैं; वे उत्तरदायी और एक अद्वा तक स्वशासक हैं। शासक और शासित दोनों को राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त है; शासकों को पारिवारिक जीवन तथा निजी सम्पत्ति के उपभोग का अधिकार है और शासकों के चुनाव में शासितों का हाथ है। सारांश यह कि आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के विच्छेद का, जो कि 'रिपब्लिक' की सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, परित्याग कर दिया गया है और कार्य विभाजन तथा विशेषीकरण का स्थान विभिन्न तत्वों को एकता के सूत्र में गूँथ कर उनमें तारतम्य स्थापित करने के मिदान्त ने ले लिया है।

राज्य विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का संगठन है। 'रिपब्लिक' में राज्य की एकता विभिन्नीकरण तथा विशेषीकरण के सिद्धान्त द्वारा प्राप्त की गई है। प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करता है और किसी दूसरे के कायों में हस्तक्षेप नहीं करता। अभिक-वर्ग जिसमें तृप्तणा का तत्व प्रधान है स्वेच्छापूर्वक शासक वर्ग की आधीनता स्वीकार कर लेता है जिसमें बुद्धि तत्व प्रधान है। या यो कहिये कि 'रिपब्लिक' का आधार वह न्याय है जिसका अर्थ है उसके घटकों का एक्य सूत्र। 'लॉज' के उपादर्श राज्य का आधार आत्म-निर्माण तथा सयम है; उसकी एकता विभिन्न तत्वों के तारतम्य से उत्पन्न होती है; उसमें एक तत्व को दूसरे तत्व के अधीन नहीं होना पड़ता। 'लॉज' में इस बात का आप्रह नहीं है कि बुद्धि को तृप्तणा के ऊपर शासन करने का एकाधिकार प्राप्त है; इसमें तो इन दोनों के सामजिस्य पर बल दिया गया है। इस सार्वजनिक को आत्म-नियन्त्रण अर्थवा सयम द्वारा प्राप्त किया गया है जिसका अर्थ संवादान के शब्दों में 'एक कानूनप्रिय प्रवृत्ति या राज्य के सम्बन्धों के प्रति सम्मान की भावना तथा राज्य की कानूनविहित शक्तियों के सामने समर्पण करने की

इच्छा¹ है। तो उपादर्शी राज्य की एकता का आधार सहानुभूति और सवेदना है। वार्कर का कहना है कि “आत्म-संयम से सहानुभूति उत्पन्न होती है; इसलिए इसने जिस वातावरण की मृष्टि की है वह ‘रिपब्लिक’ के वातावरण से भिन्न है। यह वातावरण यद्यपि कुछ कम वैभवपूर्ण है किन्तु यह अधिक मानवीय है; यद्यपि यह कम स्पष्ट है; किन्तु यह नीरस भी उतना नहीं है।”*

‘रिपब्लिक’ में अफलातून ने सैनिकतन्त्र को आदर्श राज्य से दूसरा स्थान दिया है; सैनिकतन्त्र का सिद्धान्त है सम्मान और गौरव और उसका मुख्य गुण है साहस। स्पार्टा का राज्य सैनिकतन्त्र के सबसे अधिक निकट था। जाहिर है कि ‘रिपब्लिक’ ने स्पार्टा की प्रणाली की सराहना की है तभी तो उसे इतना ऊँचा स्थान दिया है। ‘लॉज़’ में इसके विपरीत है; उसमें स्पार्टा की युद्धप्रियता की निष्का को गई है। अफलातून युद्धप्रिय राज्यों की ओर भत्सेना करता है। उसके अनुसार राज्य का लक्ष्य आन्तरिक एवं बाह्य नीति द्वारा तालमेल स्थापित करना है, युद्ध करना नहीं।

कानून की आवश्यकता तथा उसका स्वभाव—दार्शनिक राजा उपलब्ध न होने पर अफलातून राज्य में कानून का शासन स्थापित करना चाहता है क्योंकि कानून दर्शन तथा ज्ञान का साकार रूप है। समाज के लिए क्या श्रेयस्कर है इसका सही उत्तर व्यक्तिविदोष ही सदा नहीं दे सकते; इसके लिए उन्हें कानून का सहारा लेने की आवश्यकता है क्योंकि कानून समस्त समाज के ज्ञान और अनुभव तथा मानवता के अपने आपको पशुता से ऊपर उठाने के युग्मयुग्मतारों के प्रयास की अभिव्यक्ति है। यह कहना असत्य न होगा कि कानून ही सम्यता है; वही मानव को पशु से भिन्न करता है। इसके अतिरिक्त यदि यह मान भी लिया जाये कि हम यह जानते हैं कि समाज का हित किस बात में है तो भी ऐसा तो हो ही सकता है कि उसे प्राप्त करने की हमें सामर्थ्य न हो या इच्छा न हो। यह सामर्थ्य और इच्छा उत्पन्न करने के लिए कानून की आवश्यकता है। सामान्य कानून तथा उन्हें लागू करने वाली एक केन्द्रीय व्यवस्था के अभाव में व्यक्ति स्वार्थ का शिकार हो सकता है।

परन्तु समाज सेवा के कार्य में हमारा सही पथ-प्रदर्शन करने तथा हमें प्रेरित करने वाले कानून व्यवस्थाएँ के आदेशमात्र नहीं हो सकते; वे मानव व्यवहार के ऐसे सिद्धात होने चाहियें जो बुद्धि को ग्राह्य हों और जो तर्क की कसौटी पर खरे उतरें। इस मामले में पूर्वकथन सब से अधिक सहायता दे सकता है। प्रत्येक कानून का उद्देश्य और औचित्य उसके पूर्वकथन में दिया हुआ होना चाहिये। अफलातून इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि एक कानूनप्रिय समाज की रचना नागरिकों

* Issuing as it does in sympathy, self-control brings us into a different atmosphere from that of Republican atmosphere, less rare but more human, less clear but also less cold.—Barker: *Ibid*, page 298.

की कानून के प्रति सम्मान और भवित की भावना उत्पन्न करके तथा उनका अधिक-तम महयोग प्राप्त करके ही की जा सकती है ; निरी शक्ति द्वारा कानूनों को उनके ऊपर लाद कर नहीं। आधुनिक विचारकों और लेखकों को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु अफलातून की इस बात का पूर्ण समर्थन वे शायद न कर सकें कि कानून सर्वोपरि है ; राज्य का शासन कानून के आधीन होना चाहिये, कानून सरकार के अधीन नहीं। और कानून में परिवर्तन बेवल तभी होना चाहिये जबकि ऐसा करना नितान्त आवश्यक हो और तब भी वह परिवर्तन समस्त जनता तथा शासकों की इच्छा से हो होना चाहिए।

अफलातून की कानून सम्बन्धी धारणा आधुनिक धारणा से कही अधिक व्यापक है ; उसका कानून तो समस्त जीवन का नियन्ता है। अफलातून कानून और नीति में कोई भेद न करता था जैसा कि हम आज करते हैं। वह समस्त नीतिक जीवन का कानून द्वारा नियन्त्रण और नियमन चाहता है। इसका कारण यह है कि अफलातून के लिये कानून व्यवित को प्रभावित करने वाली कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि वह भावना है जो उनके अन्तस्तल से ही नियन्त्रित होनी चाहिए। इसलिये मनुष्य को कानूनपरायण बनाने का सब से अच्छा साधन शिक्षा है। इसीलिये अफलातूनी राज्य, जो वह 'रिपब्लिक' में हो चाहे 'लॉज' में, एक शिक्षात्मक संस्था है।

'लॉज' तथा मिश्रित (Mixed) संविधान की धारणा—अफलातून के उपादानी राज्य की दूसरी उल्लेखनीय विषेशता है मिश्रित संविधान का मिदान्त जो किसी भी दशा में कानून की पुनर्प्रतिष्ठा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अरस्तु तथा पोलीवियम के लेखों में इनका उल्लेख मिलता है और इसे 'मॉन्टेस्व्यू' (Montesquieu) के शक्ति विभाजन के सिद्धात का पूर्वज समझा जा सकता है जिसे वह राजनीतिक बुद्धिमत्ता का सार समझा था।

'लॉज' में राज्यों के पतन के कारणों का अध्ययन करने हुए अफलातून कहता है हि स्पार्टा का पतन उसके गैनिक शिक्षा पर एकाग्री बल और ईरान का पतन उसके राजाओं के निरंकुश अधिकार के कारण हुआ। इसी प्रसार जनताओं ऐयन्म का हास भृत्यधिक स्वतन्त्रता के कारण हुआ। यह है वह अति का मिदान्त जिसका परिणाम गदा पूर्ण धधःपतन होता है और जिसका प्रतिशादन उसने म्बय 'रिपब्लिक' में किया था। अफलातून इस परिणाम पर पहुंचा है कि यदि ये राज्य मंदम से बाहर निने और 'शक्ति' को बुद्धि से नया स्वतन्त्रता वो अनुग्रामन में मंदत कर देते तो इनका पतन न होता ; ये सम्प्रत होने और फूलने। उनके विनाश का कारण यह है कि उन्होंने अपने प्रेरक मिदान्त वो जर्म मीमा तक पहुंचा दिया। राज्य वो म्बायी बनाने के लिये उसे राजनीत्य अर्थात् वालून के प्रधीन एवं न्यायशील एवं बुद्धिमान् मरकार के मिदान्त तथा जनतान् के स्वतन्त्रता तथा राजामन्त्री के मिदान्त का अनियथ्य करना चाहिये। यह नभी मम्भव हो सकता है जब कि मिश्रित

मंविधान के सिद्धान्त को अपनाया जाये। इससे विभिन्न प्रवृत्तियों में एक स्वस्थ सतुलन स्थापित हो जाता है।

राजनीतिक दृष्टि पर अधिकार जताने के कई आधार हैं। कोई बुद्धि को, कोई धन को, कोई कुल को तथा कोई बाढ़बल को शासनाधिकार का पात्र समझता है। अफलातून बेवल बुद्धि के दावे को ही स्वीकार करता है। परन्तु विशुद्ध बुद्धि द्वारा शासन केवल एक आदर्श राज्य में ही सम्भव हो सकता है और आदर्श राज्य की प्राप्ति यथार्थ जगत में नहीं हो सकती। विवश होकर वह इन परस्पर विरोधी तत्वों के दावों को इस प्रकार संतुलित करना चाहता है जिसके फलस्वरूप एक मुद्यवस्थित तथा कानून-विहित राज्य की स्थापना हो सके। अफलातून के अनुसार वयोवृद्धता, अच्छा कुल तथा सम्पत्ति ज्ञान के स्रोत हैं। इसलिए ज्ञान द्वारा शासन के लिए इन तीनों को उचित स्थान मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता तथा रजामन्दी के ऊपर आधारित जनतंत्री सिद्धात को भी अपनाना चाहिये। इस प्रकार, अफलातून कहता है कि एक मिथित राज्य में राजतंत्र तथा जनतंत्र का सम्मिश्रण रहता है। लॉज़ में वरिष्ठ कतिपय सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का घ्येय मिथित राज्य के सिद्धांत को क्रियान्वित करना ही है, और मिथित संविधान के सिद्धात को इसलिए ही अपनाया गया है क्योंकि उसे स्थिरता का सर्वोत्तम उपाय समझा गया है। स्थिरता एक ऐसी साविधानिक व्यवस्था में पाई जाती है जो कि शासक-वर्गों का निर्देशन करता है और समाज के विभिन्न तत्वों में एक सतुलित सम्बन्ध को सम्भव बनाता है।

सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थायें—यहाँ पर हम, संक्षिप्त रूप से, उन सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख करेंगे जिनकी कि अफलातून अपने उपादर्श अथवा द्वितीय सर्वोत्तम राज्य के लिए सिफारिश करता है जिसकी रूपरेखा 'लॉज़' में दी गई है। वह अनुभव करता है कि अपनी 'रिपब्लिक' के आदर्श राज्य में प्रतिवादित शासकों के लिए पत्तियों तथा सम्पत्ति के साम्यवाद का आदर्श इतना अधिक उत्कृष्ट तथा ऊँचा है कि मानव स्वभाव के लिए वह अव्यावहारिक है, और इसलिए वह उपादर्श राज्य के समस्त नागरिकों, शासकों तथा शासितों के लिए निजी परिवार तथा निजी सम्पत्ति रखने की अनुमति दे देता है। परन्तु 'रिपब्लिक' की भावना पूर्ण-रूप में नपट नहीं हुई है; परोक्ष रूप से वह अब भी वर्तमान है और गम्भीर तथा अखंडता वाले प्रतिवन्धों के रूप में अभिव्यक्त होती है जो कि इन दोनों संस्थाओं के ऊपर लगाये गये हैं।

यद्यपि 'लॉज़' में अफलातून सन्तानोत्पत्ति के हेतु क्षणिक विवाह की प्रणाली का परित्याग कर देता है और उसके स्थान पर स्थायी एक पत्नी विवाह की सिफारिश करता है, तथापि वह पति और पत्नी को यह याद दिलाना नहीं भूलता कि उनका कर्तव्य राज्य की सेवा के हेतु सन्तान उत्पन्न करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु वह उन्हें उनके विवाहित जीवन के प्रयत्न दस वर्गों के लिए निरीक्षकाओं के अधीन रखता है। इन निरीक्षकाओं का कर्तव्य यह देखना है कि जनसंस्था स्थिर रहे; जन्म दर के

ऊपर कठोर नियंत्रण रहे, वह न तो उठे और न गिरे। विवाह की अनुमति देते हुए भी अफलातून 'रिपब्लिक' की भावि 'लॉज़' में भी यह प्राप्त करता है कि इन्होंने राज्य के सामान्य जीवन में पुरुषों के साथ कन्वेंस में कन्धा मिला कर जलना चाहिये; उनकी सामान्य दिक्षा भी वैमी ही होनी चाहिये जैसी कि पुरुषों की हो। वह सामान्य भोजनालयों की प्रणाली द्वारा स्थियों को सार्वजनिक जोखन में लाने का प्रयास करता है।

'लॉज़' में अफलातून नागरिकों को चल तथा प्रचल, दोनों प्रकार की निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार प्रदान करता है; परन्तु उसकी मात्रा अत्यधिक सीमित होगी। नगर-राज्य की सम्पूर्ण भूमि को वरावर-वरावर भागों में विभक्त किया जायेगा, और प्रत्येक नागरिक को एक भाग (उस भाग का एक अंश नगर में तथा दूसरा ग्राम में) दिया जायेगा। भूमि के भाग उतने ही होंगे जितने कि नागरिक होंगे और नागरिकों की मत्त्वा ५०४० होंगी। किसी भी नागरिक को अपने भूखण्ड को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देने अथवा रहन रखने का अधिकार नहीं होगा; वह अदेय होगा। इस प्रकार भू-सम्पत्ति का समान रूप से वितरण किया जायेगा। नागरिकों को भूखण्ड के मूल्य के चार गुना तक की चल सम्पत्ति के रखने का अधिकार होगा। इस प्रकार, चल सम्पत्ति के आधिपत्य में विपरीत हो सकती है, परन्तु वह मुनिश्वत सीमाओं के अन्तर्गत होगी। सम्पत्ति की अत्यधिक विपरीताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। अफलातून की धारणा है कि निजी सम्पत्ति का अधिकार एक समाज द्वारा प्रदत्त अधिकार है और इसलिए उसका प्रयोग समाज के हित में ही किया जाना चाहिये। निजी स्वामित्व का सामान्य हित के साथ सम्मिश्रण किया जाना चाहिए। दामोदार कमाई गई भूमि से उत्पन्न सम्पत्ति का प्रयोग सामान्य भोजनालयों के लिए किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि अफलातून भासूहिक घेती की व्यवस्था नहीं करता; वह व्यक्तिगत आधिपत्य तथा सामान्य हित का सम्मिश्रण करना चाहता है।

यद्यपि अफलातून 'लॉज़' में निजी सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करता है, तथापि वह अपने उपादर्श राज्य धन के प्रति प्रेम की भावना को पनपने देना नहीं चाहता। 'रिपब्लिक' का यह आधारभूत मिदात कि धन का प्रेम समस्त पात्रों का मूल है अफलातून को 'लॉज़' में भी प्रेरित करता है; वह अपने नागरिकों के जीवन में आधिक प्रलोभन के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ता। वह उन्हें किसी कला अथवा शिल्पकला में लगने, क्रय तथा विक्रय का कार्य करने, अथवा ऋण पर व्याज लेने का नियंत्रण करता है। व्यापार तथा उद्योग से अलग रह कर, और मूल्यवान धान्यों के स्वामित्व भार से बचकर नागरिकगण अपना आरीरिक तथा माननिक विकास करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। राज्य का उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है; इसलिए उसे उन्हें सम्पत्ति की लालसा करने से रोकना चाहिए। राज्य को एकमात्र कृपि के ऊपर ही निर्भर करना चाहिए; व्यापार तथा उद्योग को विदेशियों के हाथों में

दोढ़ देना चाहिए जो कि राज्य के नियंत्रण में रहकर अपना कार्य करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'रिपब्लिक' की भावना 'लॉज़' के पृष्ठों में भी गुंजरित है।

अफलातून नगर-ममान्यो, परिषदों तथा न्याय-रक्षकों (Magistrates) की व्यवस्था करता है। न्याय-रक्षक तथा परिषद् के गद्दै निर्वाचित होते। परिषद् के सदस्यों की मंस्या ३६० होती और उसकी निर्वाचन पद्धति इस प्रकार की होती जिससे कि उम्में समाज के अपेक्षाकृत अधिक धनी वयों का भारी बहुमत रहेगा। इसी निर्वाचन पद्धति को देखते हुए अरस्तु ने यह कहा है कि अफलातून ने अपने उपादान राज्य में राजतंत्र तथा लोकतत्र का नहीं, बरन् वर्गतंत्र (Oligarchy) तथा लोकतत्र का ममिन्द्रण किया है जिसमें निर्वित रूप में ही वर्गतंत्र की ओर प्रवृत्ति अधिक है। अरस्तु की यह आवोचना बड़ी मार्पूरण प्रतीत होती है।

'लॉज़' में अफलातून शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर भी पर्याप्त ध्यान देता है। वह पुरुषों तथा स्त्रियों, दोनों के लिए मानव शिक्षा का प्रताव करता है परन्तु वह स्त्रियों को राजकीय पद देने के विषय में कुछ कही कहता। शिक्षा-प्रणाली तथा धार्मिक संस्थाओं का विवरण यहाँ देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

रिपब्लिक तथा लॉज़ की हुलना — 'रिपब्लिक' में अफलातून ने नगर-राज्य का दर्शन तथा मानव समाज में अन्तर्निहित नितान्त सामान्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। उसने यह दिखाया है कि राज्य का सदस्य होने से किस प्रकार व्यभित की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास होता और वह किस प्रकार समाजहित में योग दे सकता है। अफलातून ने जिस समाज का विश्लेषण किया है उसका आधार सामान्य हित के लिए सेवाओं का परस्पर आदान-प्रदान है। सोफिस्ट्स के स्वार्थ-प्रधान आचार-गास्त्र का यह सबसे अधिक सन्तोषजनक उत्तर है। परन्तु सुकरात के ज्ञान तथा धर्म की अनुरूपता के सिद्धांत पर आधारित उसके दार्शनिक राजा जो विना कानून के ही ज्ञासन करता है, की कल्पना में स्वतंत्र नागरिकता का जो कि नगर-राज्य का प्राण थी, कोई स्थान नहीं हो सकता, इसलिए उसने उसका सर्वथा परित्याग कर दिया। 'लॉज़' में कानून को पुनः प्रतिष्ठित करके उसने इस अभाव की पूर्ति का प्रयास किया है। इस उद्देश्य में पूर्ण मफलता प्राप्त करने के लिए मानव मनोविज्ञान तथा ज्ञान सम्बन्धी अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करना और उनमें सशोधन करना आवश्यक था, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। परन्तु यह परिवर्तन और सशोधन किस दिशा में होना चाहिए इसका सबसे पहिले सुझाव अरस्तु को 'लॉज़' के अध्ययन से ही मिला और अपने ग्रन्थ 'पॉलिटिक्स' में वह इस कार्य में लग गया। 'लॉज़' में अफलातून ने "वास्तविक संस्थाओं का मध्यमुच ही सावधानी के साथ विश्लेषण किया और इतिहास से उनके सम्बन्ध का सकेत किया। उसने संतुलन सिद्धात अथवा एक साविधानिक राज्य का निर्माण करने के लिए एक उचित साधन के रूप में विभिन्न हितों एवं दावों के निर्वाह का भी सुझाव दिया। यह वह बिन्दु है जहाँ से अरस्तु ने अपना विचार आरम्भ किया। 'रिपब्लिक' के सामान्य सिद्धांतों का त्याग किये विना ही उसने लगभग प्रत्येक

भामले में 'लॉज' के मुभावों को अपनाया। हाँ, अपने अधिक परिश्रम तथा प्रनुभवसिद्ध और ऐतिहासिक तथ्यों के अधिक विस्तृत विश्लेषण से उन्हें अधिक सम्पन्न बना दिया।”*

अफलातून का प्रभाव—यद्यपि ग्रग्रामी राजनीतिक विचार पर अफलातून के प्रभाव का उल्लेख पूर्वोक्त विवेचन में हम धन्न-तत्र करते रहे हैं तथापि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसका व्यवस्थित रूप से भलग विवेचन करना अनावश्यक न होगा।

स्मरण रहे कि अफलातून को राजनीतिक विचार के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है और वह अधिकतर दो मन्यादो में पाया जाता है। 'रिपब्लिक' में अफलातून का आधार विन्दु यह है कि शासन एक विशुद्ध वैज्ञानिक ज्ञान का विषय है। इसलिए वह इस परिणाम पर पहुँचता है कि एक दार्शनिक राजा की ज्ञानपूर्ण निरकुञ्जता शासन का सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वश्रेष्ठ रूप है। और इसी कारण से आदर्श राज्य में वह कानून, जनसत् तथा जनता की इच्छा की पूर्ण अवहेलना करता है। एक आदर्श शासक को इन सब की क्या आवश्यकता? जहाँ तक इन मौलिक धारणाओं तथा साम्यवाद के सिद्धान्त का सम्बन्ध है 'रिपब्लिक' का आने वाले राजनीतिक विचारकों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा। यदि अफलातून के सिद्धान्त के सबसे अधिक निकट कोई चीज है तो वह है हीगेल (Hegel) द्वारा राजतन्त्र की प्रशंसा तथा विशिष्ट व्यक्तियों (Elite) द्वारा शासन का फासिस्टवादी सिद्धान्त। 'रिपब्लिक' का अरस्तु के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा जिसने दार्शनिक राजा तथा पत्नियों के साम्यवाद के सिद्धान्त की कटु आलोचना की है। अरस्तु की 'पॉलिटिक्स' को प्रेरणा 'स्टेट्समैन' से, विशेषकर 'लॉज' से मिली है, 'रिपब्लिक' से नहीं। अरस्तु ने 'रिपब्लिक' के आदर्श को ठुकरा दिया क्योंकि वह नगर राज्य के स्वतन्त्र नामरिकता के ऊपर आधारित राजनीतिक धर्म की पूर्ण अवहेलना थी। उस पर तथा उसे पीछे होने वाले अन्य विचारकों पर 'लॉज' का प्रभाव कही अधिक पड़ा क्योंकि वह अधिक यथार्थवादी ग्रन्थ है और यूनान के साविधानिक शासन तथा नीति निधारण में नागरिकों के स्वतन्त्र भाग के आदर्श के कही अधिक निकट है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, 'लॉज' में न केवल कानून को फिर से प्रतिष्ठित

* “.. turned to a really careful analysis of actual institutions and laws and suggested the attachment of such studies to history. He also suggested the principle of balance of a mutual adjustment of claims and interests—as the proper means for forming a constitutional state..... It was from these beginnings in the Laws that Aristotle started. Without abandoning the general principles stated in the Republic... he adopted almost in every case the hints thrown out in the Laws, enriching them with more painstaking and more extensive examinations of the empirical and historical evidence.”

कर दिया गया है बल्कि राज्य की सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए सर्वोत्तम माध्यन के रूप में मिथित संविधान का भी उसमें प्रतिपादन किया गया है।

यह बात कि 'लॉज़' का अरस्तु की 'पॉलिटिक्स' पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है इन दो महान् ग्रन्थों में पाये जाने वाले कई समानान्तरों से भला प्रकार सिद्ध हो जाती है। कानून की सम्प्रभुता की धारणा की जो कि 'लॉज़' में आधारभूत है, अरस्तु ने अपनी 'पॉलिटिक्स' में पुनरावृत्ति की है। मच्ची अफलातूनी भावना के साथ अरस्तु शासकों को कानून के अभिभावक और उसके नौकर कह कर पुकारता है। जब अरस्तु यह कहता है कि राज्य से बाहर एक मनुष्य या तो एक देवता है, या एक पशु, तो वह 'लॉज़' में अफलातून द्वारा व्यक्त विचारों की ही गूँज प्रतीत होती है। राज्य के परिवार से विकसित होने का जो विवरण अरस्तु ने दिया है वह 'लॉज़' में अफलातून के विचारों के बहुत निकट है। अरस्तु ने युद्ध को स्वयं में एक साध्य बनाने की, जैसा कि स्पार्टा में होता था, नीति की जो भर्सेना की है उमका भूल भी हम 'लॉज़' में अफलातून की तदविपयक शिक्षाओं में देख सकते हैं। अरस्तु के मिथित संविधान के सिद्धान्त का स्रोत भी वही समझा जा सकता है। और यदि हम अरस्तु द्वारा अंकित आदर्श राज्य की मुख्य विशेषताओं पर ध्यानपात करे तो हम देखेंगे कि वे 'लॉज़' में अफलातून द्वारा चित्रित उपादर्श (Sub-ideal) राज्य की विशेषताओं से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। इसी कारण कुछ लोग कह देते हैं कि अफलातून का उपादर्श अरस्तु का आदर्श है। प्रो० बाकर ने ऐसी बहुत सी वातों का उल्लेख किया है जिनमें कि हम अफलातून के 'लॉज़' और अरस्तु की 'पॉलिटिक्स' में साम्य खोज सकते हैं।*

यद्यपि अरस्तु तथा प्राचीन संसार के राजनीतिक विचार की स्परेखा निर्धारित करने में 'रिपब्लिक' की अपेक्षा 'लॉज़' का अधिक प्रभाव पड़ा है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 'रिपब्लिक' बिल्कुल ही निप्पल रही। "यह सच है कि लगभग एक हजार वर्ष तक संसार इस ग्रन्थ को भूला रहा, पुनरुत्थान के युग में जाकर इसकी फिर खोज हुई; किन्तु इसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। इसके सिद्धान्त और मध्य-युग के सिद्धान्त तथा व्यवहार में बहुत सी वाते समानान्तर हैं। 'रिपब्लिक' का साम्यवाद बहुत कुछ मठ प्रणाली के साम्यवाद से मिलता-जुलता है जिसके अन्तर्गत कृपक-वर्ग अपनी उत्पत्ति का एक भाग उन साधुओं के उपभोग के लिए देता था जो अपनी प्रार्थना द्वारा उनकी रक्षा करते थे; चर्चे के नियमों का यह एक भाग था और सम्पत्ति सम्बन्धी धार्मिक सिद्धान्त को प्रभावित करता था। अफलातून के सिद्धान्त तथा मध्यकाल के व्यवहार में इससे भी गहरा सम्बन्ध उम साम्य में है जो अफलातून के सम्पूर्ण आदर्श राज्य तथा मध्यकालीन चर्च में पाया जाता है। संघटन तथा कार्य इन दोनों का एक जैसा है और बहुत से विन्दुओं पर वे एक दूमरे की

*विस्तृत मध्ययन के लिए बाकर के प्रन्थ 'Plato and His Predecessors' को पृष्ठ ३८०-८२ पर देखिये।

हूते तथा एक दूसरे से मिलते हैं। जिस प्रकार अफलातून 'रिपब्लिक' के राज्य को तीन वर्गों में विभक्त करके दार्शनिक राजाओं के सर्वोच्च-वर्ग को शासन-सत्ता सौंप देता है उसी प्रकार मध्ययुगीन चर्च के घटक भी क्लेरिसी (Clerici), रेगुलर्स (Regulares) तथा लैसी (Laici) नामक तीन वर्गों में विभक्त थे और पहिले वर्ग के हाथ में, विशेषकर पोप के हाथ में, दूसरे वर्गों को नियन्त्रित करने की पूर्ण शक्ति थी। जिस प्रकार अफलातून यह चाहता था कि दार्शनिक राजा को परम शुभ के आदर्श के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर शासन करना चाहिये, उसी प्रकार मध्ययुगीन चर्च भी इसाई धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार अपने घटकों की प्रत्येक किया—युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, उच्चोग तथा वाणिज्य, साहित्य तथा शिक्षा—को नियन्त्रित करने की चेष्टा करता था।^{५८} इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मध्यकालीन चर्च ने अफलातून से ही उपरोक्त बातें उधार ली हैं; बाक़र ने तो दोनों में केवल एक समानान्तर दिखाने की चेष्टा की है।

यद्यपि 'रिपब्लिक' का पुनर्जन्म पुनर्स्थान के युग में हुआ और यद्यपि सरटॉमस मोर की 'कल्पना' (Utopia) में इसका उल्लेख यन्त्र-तत्र मिलता है तो भी पश्चिम के राजनीतिक विचार पर उसका गहरा तथा मंथक प्रभाव केवल तब से पड़ना आरम्भ हुआ जबकि रूसो उसकी ओर आकृष्ट हुआ। रूसो सबसे पहिला आधुनिक विचारक है जिसने 'रिपब्लिक' में प्रतिपादित इस सिद्धान्त का विचार किया कि राज्य अपने सदस्यों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना हुआ एक कानूनी समुदाय नहीं है बल्कि एक नैतिक समुदाय है जिसके सामान्य जीवन में भाग लेकर मनुष्य अपने नैतिक व्यक्तित्व की अनुभूति कर सकता है। उसने अफलातून के इस विचार का भी समर्थन किया कि राज्य मुख्य रूप से एक शिक्षात्मक संस्था है। आगे चल कर हीगल के विचार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। विटेन में श्रीन, बोसानके (Bosanquet) तथा अन्य आदर्शवादियों के विचारों के निर्माण में इसका बड़ा हाथ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी विटिज विद्यार्थी अफलातून (तथा अरस्तु) से यह सीखते रहे हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है; राज्य के द्वारा ही मनुष्य पुण्य की प्राप्ति करता है, कानून विशुद्ध बुद्धि की अभिव्यजना है और सच्चा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करने में निहित है। 'रिपब्लिक' के सिद्धान्त देश और काल से परे हैं। इसीलिए हमें आज भी उनसे प्रेरणा मिलती है।

* Barker : *Ibid*, pages 586—87.

अरस्तु—राजनीतिक आदर्श

परिचयात्मक—गत अध्ययन के अन्त में आप देख चुके हैं कि अफलातून के राजनीतिक दर्शन का मुख्य दोष यह है कि वह ऐसे दो भागों में विभाजित है जिनमें कोई सामजिक स्थापित करना प्रायः अमुभव है। 'रिपब्लिक' में प्रतिपादित आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा राज्य करता है जिसे लिखित कानून और जनता की रजामन्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। 'राजि' में अकित उपादर्श राज्य में अफलातून कानून की फिर से प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है और जनमत को एक स्थान देता है। उसका यह प्रयत्न आंगिक रूप से सफल भी हुआ है; बिन्तु यथार्थ और आदर्श की यह सधि दिल खोल कर नहीं की। आदर्श से हटने में उसे मानसिक वेदना होती थी। राज्य में कानून को उचित स्थान देने के लिए उस मनोविज्ञान और सिद्धान्त पर जो कि 'रिपब्लिक' के आधार है, पूर्ण रूप से पुनर्विचार करना आवश्यक था। अफलातून ऐसा न कर नका। इसका श्रेय उसके महान् शिष्य अरस्तु को है। अपने ग्रन्थ 'पॉलिटिक्स' में उसने राज्य में न केवल कानून की अपने उचित स्थान पर आसीन कर दिया है बल्कि राज्य के वास्तविक प्रशासन में अनुभव और रीति-रिवाज के महत्व को भी स्वीकार किया है। इस तथा अगले अव्याय में हम 'पॉलिटिक्स' में सन्निहित अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का एक संक्षिप्त विवरण देंगे।

अरस्तु का जीवन—अरस्तु के राजनीतिक दर्शन को तथा उसके और अफलातून में पाये जाने वाले अन्तर को अच्छी तरह से समझाने के लिए इस दार्शनिक के जीवन तथा उसकी रचनाओं की पृष्ठभूमि पर एक दृष्टिपात करना आवश्यक होगा।

अरस्तु ऐथेन्स का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म ३८४ ई० पू० में मक्दूनिया के तट पर स्टेगीरा नामक स्थान में हुआ था जहाँ कि उसका पिता शाही हकीम था। स्टेगीरा की परम्परागत सस्कृति यूनान विशेष की सस्कृति से भिन्न थी। मक्दूनिया में राजतन्त्र था और नगर-राज्य न थे। इमेलिए वहाँ के निवासियों को सच्चा हैलन (Hellenes) नहीं समझा जाता था। उसकी मास्कृति वैज्ञानिक थी। हो सकता है कि अरस्तु की भौतिक विज्ञान में रूचि का कारण स्टेगीरा में उसके प्रारम्भिक जीवन का बातावरण ही हो और विश्व को जीवशास्त्र के दृष्टिकोण से देखने की उसकी प्रवृत्ति अपने वैद्य पूर्वजों से उसे विरासत में मिली हो।

१८ वर्ष की अवस्था में वह ऐथन्स में आया, अकाडेमी में भरती हुआ और ३८४ ई० पू० में अफलातून की मृत्यु तक २० वर्ष तक वही रहा। हम यह कह सकते हैं कि अकाडेमी में उसे दर्शन-शास्त्र का प्रेम खीच कर नहीं लाया; वह वहाँ इसलिये आया था वयोंकि वहाँ यूनान की मर्वर्श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी: वह उस अवस्था में जबकि मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय पर वाह्य सरकार मवसे अधिक पड़ सकते हैं, यूनान के सबसे गहरे विचारक के निकट सम्पर्क में आया और उसके जीवन पर अफलातून के दर्शन-शास्त्र का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। ऐथन्स थोड़ने के बाद अरस्तु 'एशिया माइनर' में गया जहाँ वह दो राजाओं के दरवार में ठहरा, जिसमें से हर्मोज (Hermeas) एक था, जिसके दरवार में उसे ईरान का पतनोन्मुख निरुक्तशब्द देखने का अवसर प्राप्त हुआ और जिसका उल्लेख उसने अपनी 'पॉलिटिक्स' में किया है। मिटीलीन में उसने अपना समय उस द्वीप के पश्चिमों का अध्ययन करने में लगाया और उस विषय पर उसने उपयोगी सामग्री एकत्रित कर ली। ३४२ ई० पूर्व में उसे मकदूनिया बुलाया गया जहाँ वह सिकन्दर का शिथक बना। हो सकता है कि राजतंत्र तथा आतंत्रायीतन्त्र के बारे में उसकी धारणायें उसके मकदूनिया में रहने का ही परिणाम हों। ऐथन्स में वह ३३५-४ ई० पूर्व में वापिस आया और वहाँ एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जम गया और अपना एक निजी शिक्षालय स्थापित कर दिया जो 'लीसियम' (Lyceum) के नाम से विख्यात हुआ। वह १२ वर्षों तक उसका प्रधान रहा और इस बीच में सिकन्दर की सहायता उसे मिलती रही। ३२२ ई० पूर्व में सिकन्दर के मरणे के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को ऐथन्स में शासन सत्ता प्राप्त हुई तो अपने आपको सुकरात बाली स्थिति से बचाने के लिए वह कैलसिस (Chaleis) को भाग गया क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का अपराध उस पर लगाया गया था। उसी वर्ष वह मर गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु के ६२ वर्ष के जीवन काल में यूनान के इतिहास का एक अध्ययन फैलेकुन और संकटपूर्ण काल निहित है। उसका जीवन और लेखन काल वह है जबकि यूनान के नगर राज्यों का वैभव बीत चुका था और मकदूनिया के राजा फिलिप ने उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया था। परन्तु अपने समय के अध्यपतन पर आंसू बहाने तथा उसको कृतियों में एक सीमा तक राजनीतिक भाष्यवाद प्रगट होने के, अतिरिक्त उसके विचार पर उसके समकालीन संमार की ऐतिहासिक घटनाओं का कोई विशेष प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। फॉस्टर कहता है: 'उस पर अपने समय की हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा; वह समकालीन घटनाओं से विलुप्त विरक्त रहा; (कम से कम अपनी राजनीतिक कृतियों में) उसने यूनान के उस प्राचीन युग की भावना को अभिव्यक्त किया है जो उसके जन्म लेने से पहिले ही बीत चुका था।'*

* 'He is unaffected by the movements of his own time, and detached from contemporary happening. The spirit which he expresses (at-least in his political works) is that of the classical age of Greece which was past before he was born.'

यद्यपि अरस्तु का जन्म स्टेगोरा में हुआ और वही उसका पालन पोषण हुआ तो भी वह अपने पूर्वगामी अफलातून की भाति नगर-राज्य का ही मिद्दान्त-वेता था। परन्तु अफलातून की भाति कल्पना और पुराण कथाओं का सहारा उसने नहीं लिया है; उसने तथ्यों की अवहेलना कभी नहीं की। फॉस्टर के शब्दों में, अरस्तु शुद्ध सिद्धान्तपादी था जैसा कि अफलातून कभी नहीं था।

अरस्तु तथा अफलातून का सम्बन्ध—अरस्तु तथा अफलातून में कुछ ऐसे जबदंस्त और स्पष्ट अन्तर हैं कि जिन्हे देखकर कुछ लोग कह उठते हैं कि प्रत्येक विचारक व्यक्ति या तो अफलातूनवादी होता है या अरस्तुवादी। इसका मतलब साफ तौर से यह है कि ये दोनों महान् विचारक ऐसी दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और विपरीत हैं। किन्तु ऐसी बात नहीं है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि अरस्तु ने जगह-जगह अपने गुरु की आलोचना की है और उससे अभिन्नता की अपेक्षा विभिन्नता पर ही अधिक जोर दिया है, किन्तु विभिन्नताओं को देखकर हमें अभिन्नता को नहीं भुला देना चाहिये और न उसका महत्व ही कम करना चाहिये। हम फॉस्टर की इस बात का पूर्ण समर्थन किये बिना नहीं रह सकते कि अरस्तु सबसे बड़ा अफलातूनवादी है और “अफलातूनवादे” को जितना गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है उतना उसके अतिरिक्त किसी भी दूसरे विचारक पर किसी दूसरे के विचार का नहीं पड़ा।” और यदि वह अफलातूनवादी से इतना अधिक औत-प्रोत है तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? आखिर वह २० वर्ष तक अफलातून की अकाडेमी में रहा और उसके निकट सम्पर्क में आया। क्या यह सब कुछ व्यर्थ ही जाता? उसे अफलातून के उत्तराधिकारी के रूप में अकाडेमी का अध्यक्ष बनने की आशा थी; उसने उसे केवल तभी द्योड़ा जबकि स्पेसीपस (Speusippus) को उसका निदेशक नियुक्त कर दिया गया। होमर (Homer) से लेकर मुकरात तक की समस्त राजनीतिक विचार तथा नैतिक और शिक्षात्मक मिद्दान्त की पृष्ठभूमि उन दोनों की एक मामान्य विरासत थी। इससे भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि उनमें बहुत सी बातें अवश्य ही सामान्य होनी चाहियें। वे दोनों “यूनान के राजनीतिक जीवन की अस्थिरता तथा अपने मतानुसार उसके मूल कारण नैतिक अव्यवस्था को भय की दृष्टि से देखते थे; और दोनों के विचारानुसार उसका इलाज एक श्रेष्ठ जीवन की शिक्षा में निहित है। दोनों का ही यह विश्वास था कि एक सुखी जीवन केवल एक छोटे आकार के नगर राज्य में ही व्यक्ति रक्षित किया जा सकता है और उसकी प्राप्ति सब लोग नहीं कर सकते; वल्कि केवल वे ही लोग कर सकते हैं जिनके पास ऐसा करने के काफी साधन है और शिक्षा है। इसलिए दोनों ही नागरिकता को सीमित करना चाहते थे और दोनों ही यह उचित समझते थे कि सारा शारीरिक श्रम केवल दासों तथा अनागरिकों द्वारा किया जाना चाहिये।”*

* Sinclair : *A History of Greek Political Thought*, page 20.

पत्तियों तथा सम्भवति का गाम्यवाद तथा दार्शनिक राजा की पारणा, जिनकी अरस्तु ने कटु आलोचना की है, अफलातूनवाद का प्रधान नत्य नहीं है। तत्व की बात तो उसका यह विश्वास है कि एक गुणपूर्ण के योग्य जीवन धर्म का जीवन है और व्यक्ति इसकी प्राप्ति राज्य में रहकर और उसका मदस्य रहते हुये ही कर सकता है। अरस्तु इस धारणा से पूर्ण रूप में सहभत है। वे दोनों ही इम विषय में 'मोफिस्टॉन' के विरोधी हैं और यह मानते हैं कि राज्य का जन्म जीवन के निये हुआ और जीवन को सुखी बनाने के लिए वह जीवित है। यही वह बात है जो अरस्तु को एक सच्चा अफलातूनवादी बनाती है। अपने गुण की भाँति अरस्तु भी राज्य को एक नीतिक तथा अध्यात्मिक इकाई समझता है। और यह मानता है कि आचार-शास्त्र तथा राजनीति दोनों मिलकर एक और अविभाज्य विज्ञान का निर्माण होता है, दोनों ही नगर राज्य को समस्याओं को नीतिक दृष्टिकोण में देखते हैं; दोनों ही के राजनीतिक विचार का स्वरूप नीतिक है। दोनों ही राजनीति के व्यवहारिक पहलू पर जोर देते हैं। अफलातून की 'रिपब्लिक' तथा 'लॉज़' की तरह ही अरस्तु की 'पॉलिटिक्स' भी एक राजनीतिज्ञ के लिए एक शिक्षा पत्रिका का काम दे सकती है। अरस्तु का यह विश्वास कि उसके समय की सबसे बड़ी आवश्यकता शासकों की उचित शिक्षा थी इस बात का प्रमाण है कि वह एक सच्चा अफलातून-भक्त था। शायद उसका यही विश्वास उसे मकदूनिया के दरवार में ले गया जहाँ कि उसने सिकन्दर सरीखे महान् राजा को अपने महान् गुण के मिद्दान्तों की शिक्षा देने का अवसर देता। परन्तु किसी भी प्रकार के राजनीतिक आदर्श के पनपने के लिये उसे मकदूनिया के राजदरवार में एक उपयुक्त बातावरण नहीं मिला। अतिम बात यह है कि अरस्तु की मर्वतोमुखी प्रतिभा और समस्त ज्ञान को अपने अधिकार क्षेत्र में रखने की भावना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह अकाडेमी का एक सच्चा शिशु था।

परन्तु यद्यपि अरस्तु एक सच्चा अफलातूनवादी था और अफलातून की गहरी और अमिट छाप उस पर पड़ी थी; किन्तु वह उसका अन्धा भक्त नहीं था। वह अपने गुण की किसी बात को बिना सोचे विचारे स्वीकार करने वाला न था। उसकी प्रखर और तर्कप्रधान बुद्धि उसे हरणिज ऐसा करने की इजाजत न देती। उसने अपने शिक्षक की शिक्षाओं को अपने विचारों का आधार अवश्य बनाया परन्तु उनका विकास और उनके अंतिम रूप का निर्धारण उसके प्रारंभिक जीवन के जीवशास्त्र के अध्ययन तथा उसकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा ही हुआ। अफलातून इन्द्रियपरक जगत को मिथ्या समझ कर उसकी अवहेलना करता था किन्तु अरस्तु को यथार्थ से प्रेम था; वह तथ्यों का सुन्यहृ करके उनका विश्लेषण करता था; वह उनको सबसे अधिक महत्व देता था अफलातून के अपने विचार के विकास में पौराणिक कथाओं तथा काव्य का बहुत बड़ा भाग है; बौद्धिक व्याख्याओं की जगह उसने काव्यात्मक रूपको से अधिक काम लिया है। अरस्तु को तर्कप्रधान और वैज्ञानिक मनोवृत्ति को उससे कोई सहानुभूति नहीं हो सकती थी। वह मुनिश्रित और वैज्ञानिक ज्ञान का प्यासा था। अपने तथ्य-प्रेम तथा

वैज्ञानिक भावना के कारण उसने 'रिपब्लिक' में निहंपित आदर्श राज्य को धोर निन्दा की वर्गोंकि यथार्थ जगत में उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती थी और इसी लिये उसका अपना आदर्श राज्य 'लॉज़' के हाथों में आकर राजनीति विज्ञान का एक बृहत्तर स्वरूप हमारे सामने आया। इसका उल्लेख अन्यत्र किया जायेगा। सारांश यह कि यद्यपि अफलातून और अरस्तु का ध्येय एक ही है जो कि एक ऐसे ज्ञान का सम्पादन करता है जिस पर कि राजनीतिज्ञ आगे बढ़ सकते हैं, किन्तु उनकी पढ़ितियाँ भिन्न हैं। अफलातून के चितन का स्वरूप कल्प-विकल्पात्मक था; उसकी धारणा थी कि ज्ञान 'अमूर्त विचारों' को प्रतिविभित्ति करता है; जबकि अरस्तु ने अपनी विचार प्रणाली 'को तथ्यों के पर्यंतेषणा और विश्लेषण पर आधारित किया। मैंसी वा यह कहता है कि अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक रुचि उसके राजनीतिक विचार पर आच्छादित है।

इस वृत्ति भेद तथा प्रारंभिक वैज्ञानिक शिक्षा के अतिरिक्त अरस्तु अफलातून से एक और बात में भी भिन्न है। अरस्तु एक मध्यम-वर्ग के पेशेवर आदमी था, वह एक गृहस्थी था, एक व्यवहारिक प्रशासक था। इसके विपरीत अफलातून एक अभिजात्य, रहस्यवादी तथा तपस्वी था। तभी तो अरस्तु में ऐसी अ-अफलातूनी बातें पाई जाती हैं जैसा कि गाहूस्थ्य जीवन का सम्मान, सम्पत्ति का महत्व और आवश्यकता, मुख और स्वास्थ्य की चाह, जनमत का आदर और सबसे बढ़कर यथार्थ का प्रेम और उसका यह विश्वास कि राजनीति का मार हमारे यथार्थ जीवन को सर्वोत्तम बनाने में है।

इन दोनों महान् दार्शनिकों में एक अन्य अन्तर भी हमारे अध्याय का पात्र है। उन दोनों की शैलियों में बड़ा भेद है। अफलातून एक मर्वोल्क्ष्य कलाकार था; उसका शब्द-प्रयोग चमत्कारपूर्ण है। परन्तु अरस्तु शैली-सौर्दृश की कोई परवाह न करता था; वह शब्दों के केवल अर्थ पर ध्यान देता था। शब्द-चमत्कार और काव्यत्पक स्पष्टकों के ऊपर उसने अपने विचारों और तकनीयों को बलिदान नहीं किया।

इस प्रसग में अन्तिम बात यह है कि अरस्तु ने बुद्धि के केवल सैद्धान्तिक स्वरूप और व्यवहारिक प्रयोग में बुनियादी विभाजक रेखा सीधी है जिसका अफलातून को कोई पुतो न था। यहीं वह भेद है जिसके कारण अरस्तु ने अफलातून के दार्शनिक राजा के सबसे अधिक भौतिक सिद्धान्त का धोर खण्डन किया।

अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है:—१. 'सैद्धान्तिक विज्ञान' जिसमें ऋद्धगणित, वीजगणित, रेखागणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र सम्मिलित है। २. 'व्यवहारिक विज्ञान' जिसमें आचार शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र जैसे सामाजिक शास्त्र शामिल है। ३. 'उत्पादक विज्ञान' जिसमें वस्तु-कला, संगतराशी, चित्र-कला इत्यादि शामिल है। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक विज्ञान के भेद की विवेचना करना है। उत्पादक विज्ञान को हम छोड़ देते हैं।

अरस्तु के अनुसार मनुष्य अपनी विचार शक्ति का दो प्रकार से प्रयोग करता है जिससे दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप दो प्रकार के विज्ञानों का जन्म होता है। एक तो वह प्रकृति जगत को तथा बुद्धि की प्रक्रिया को समझने की चेष्टा करता है; दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को नियन्त्रित तथा निर्देशित करना चाहता है। पहले प्रयोग को हम संदातिक तथा दूसरे को व्यवहारिक कह सकते हैं। विचार शक्ति के संदातिक प्रयोग द्वारा हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है जो आवश्यक और सर्वव्यापक है। इस प्रकार के ज्ञान का सबसे अच्छा उदाहरण गणित शास्त्र है और दूसरा है प्रकृति जगत्। इसलिये प्रकृति वैज्ञानिक ज्ञान का एक उचित विषय है। हम ऐसा ज्ञान प्रकृति के केवल उसी तत्व का प्राप्त कर सकते हैं जो अपरिवर्तनीय और सदा एकरस रहने वाला है। परन्तु मानव जगत का घटनाचक्र अधिकतर दैवयोग और स्थिति विशेष पर निर्भर करता है; उसमें अपरिवर्तनीयता और एकरसता का अधिक स्थान नहीं है; इसलिए इनके विषय में हम वैज्ञानिक अर्थात् आवश्यक तथा सर्वव्यापक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते; यहाँ तो हमें केवल सम्भावनाओं के ज्ञान लेने पर ही सन्तोष करना पड़ता है। विषय बटलर के इस कथन से कि सम्भावना ही जीवन का निर्देशक है, अरस्तु पूर्ण रूप से सहमत हो सकता था। इसलिये आचार-शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र जिनका विषय मनुष्य का मामाजिक चरित्र है, कभी भी संदातिक विज्ञान नहीं हो सकते। अरस्तु ने उन्हें व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। वह उन्हें दो अलग-अलग विज्ञान नहीं मानता, बल्कि एक ही विज्ञान के अभिन्न अंग मानता है। व्यवहारिक राजकला की मुख्य समस्या मानव चरित्र के अमूर्त मिद्दान्तों को समझ लेना नहीं है बल्कि यह जानना है कि स्थिति-विशेष में क्या करना सही और शेयस्कर है तथा दूसरों से किस प्रकार विनियमित तथा नियन्त्रित किया जाये। यह सब कुछ वैज्ञानिक ज्ञान का विषय नहीं बल्कि सम्भावनाओं को आंकने का प्रश्न है। केवल अनुभव, अभ्यास तथा नैतिक अनुशासन द्वारा ही इस कला में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, गणित या दृढ़वाद के अध्ययन द्वारा नहीं जैसा कि अफलातून समझता था। इसलिए अररतु इस परिणाम पर पहुंचता है कि वैज्ञानिक ज्ञान जो कि दर्शनिक की विशेषता है किसी भी तरह दासन करने की कोई विशेष योग्यता प्रदान नहीं करता। राजनीति अथवा राजकला एक व्यवहारिक विज्ञान है, उसका एक अपना लक्ष्य है और उसका विषय संदातिक शास्त्रों से भिन्न है; इसमें मिद्दहस्त द्वोने के लिए मस्तिष्क के उन गुणों से काम नहीं चल सकता जिनके द्वारा निरपेक्ष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक राजनीतिज्ञ की पहली योग्यता विद्युद ज्ञान नहीं वरन् व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है जो शासन के अनुभव और अभ्यास से ही प्राप्त होती है। “अरस्तु का राजनीति के ऊपर अपना धंय ठीक इसी प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि की है। वह एक शासक

के लिए एक निर्देशन पत्र है। ऐसा दिखाई पड़ता है मानो यूनानी राज्यों के सामूहिक राजनीतिक अनुभव का सार उसमें निहित है।”^०

परस्तु की पढ़ति—संदानिक और व्यवहारिक विज्ञान में किया हुआ परस्तु का भेद और राजनीति को एक व्यवहारिक विज्ञान भमभने की धारणा के स्वरूप ‘राज्य’ तथा उसकी समस्याओं का अध्ययन करने को उसकी पढ़ति अफलातून की पढ़ति में बहुत भिन्न होनी चाहिए। बात सचमुच ऐसी ही है।

आदर्श राज्य तथा उसके भस्थानों की रचना करने में अफलातून ने कल्पना-प्रधान पढ़ति को अपनाया था। वह कुछ निश्चित मान्यताओं तथा मिद्दान्तों को लेकर चला और जो भी परिणाम उनमें से निकले उन्हें उसने बिना किसी हिचक और आशंका के स्वीकार किया। जैसा कि संवाइन का कहता है, ‘प्रिप्लिक’ का रोमास एक स्वच्छन्द बुद्धि का रोमास है जिस पर रीति रिवाज का कोई प्रतिबन्ध नहीं, जो मानव मूर्खता तथा अहंकार से विलुप्त अनुष्णण है। अफलातून ने निहायत इतिमिनान के साथ तथ्यों की अवहेलना की और आवश्यकता पड़ने पर उन्हे तोड़ा-मरोड़ा भी। यहाँ तक कि इतिहास का प्रयोग भी उसका अपना निराला है। परस्तु की सबसे बड़ी शिकायत अफलातून के विरुद्ध यह है कि उसने इतिहास पर काफी ध्यान नहीं दिया और शामन योजनायें तथ्यार करते भय मानव स्वभाव तथा भूतकाल में पाई जाने वाली सरकारों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके बाल्यकाल की जीवशास्त्र की शिक्षा तथा उसके वैज्ञानिक अध्ययन ने अरस्तु में तथ्यों के प्रति एक बड़ा प्रेम उत्पन्न कर दिया था। वह बड़ी सावधानी तथा नियमित रूप से चीजों का पर्यवेक्षण करता था। अपने समकालीन तथा भूतकाल के राजनीतिक संस्थानों का उसे असाधारण ज्ञान प्राप्त था। कहा जाता है कि अपनी ‘पॉलिटिक्स’ की रचना करने से पहले उसने लगभग दो सौ सविधानों का अव्ययन किया था। इस प्रकार उसके हाथ में आकर राजनीति शास्त्र अनुबन्धित तथा निगमनात्मक (Inductive) हो उठा। बहुत से लेखकों का विचार है कि परस्तु की स्थाति का मुख्य आधार यह है कि उसने राजनीतिक घटनाचक्र के अध्ययन में तुलनात्मक पढ़ति को अपनाया है। राजनीतिक विज्ञान को उगकी यह एक मुख्य देन है।

परस्तु ने वैज्ञानिक पढ़ति के लिए आवश्यक अद्यमद्य के महसूब पर ही बल नहीं दिया; उसने तथ्यों का मूल्यांकन भी राज्य के अद्य के डिटिकोण से ही करने की चेष्टा की। उसके इस तथ्य-प्रेम ने द्वाँ उसे एक द्रातिकारी होने ले रोका; वह केवल एक सुधारक ही हो सकता था। द्वाँ अर्थात् भूतकाल के

* ‘Aristotle's own treatise on politics is a work of just such a character as reason. It is a handbook for the statesman, containing the substance, as it were, from the collective political experience of the Greeks.’ — Foster.

अनुभव और बुद्धिमत्ता का इतना अधिक सम्मान करता हो वह कभी क्रांतिकारी नहीं बन सकता। अरस्तु की सारी मानसिक प्रवृत्ति इस विश्वास की ओर भुकी हुई थी कि केवल वही आदर्श प्रभावकारक हो सकता है जो वस्तु स्थिति के विपरीत न हो। इसलिये सिद्धान्त तथा व्यवहार का सघर्ष अरस्तु के मार्ग में अफलातून की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन समस्याये उत्पन्न करता था। अपने आदर्श और यथार्थ में सामजस्य स्थापित करना उसे कठिन जान पड़ा, इसलिये उसने आदर्श राज्य की रचना का विचार ही छोड़ दिया। वास्तव में वह काम उसके स्वभाव के अनुकूल न था।

सारांश यह कि अरस्तु की पढ़ति उसकी अनुभूति-प्रधान अथवा आगमनात्मक मनोवृत्ति, ऐतिहासिक प्रवृत्ति, परम्परा-प्रेम तथा जनमत का सम्मान करने की तत्परता से निर्धारित हुई। इन सब बातों में उसका अफलातून से गहरा भेद था। इन्होंने उसके विचारों को नरम बनाने में सहायता दी।

यह सक्षिप्त परिचय देने के बाद अब हम अरस्तु के उस राजनीतिक दर्शन की विवेचना करेंगे जोकि 'पॉलिटिक्स' में सकलित है।

पॉलिटिक्स एक अपूर्ण कृति— दुर्भाग्य की बात है कि जो 'पॉलिटिक्स' आज हमें उपलब्ध है वह एक अपूर्ण कृति है। वह प्राचीन राजनीति दर्शन का सबसे अधिक चक्कर में डालने वालों ग्रन्थ है। इसके मूल्य के बारे में विद्वानों भे सब से अधिक मतभेद पाया जाता है। एक और डाक्टर जैलर (Zeller) हैं जो इसकी अत्यन्त प्रशस्ता करते हैं और जिनके अनुसार हमारे पास यह सब से बड़ा प्राचीन खजाना है और आज तक के राजनीतिक दर्शन के लिए सब से बड़ी देन है। इसी प्रकार प्र० बाडल का कहना है कि अपने विषय पर 'पॉलिटिक्स' सब से अधिक प्रभावक और सब से अधिक गहरा ग्रन्थ है। यह वह ग्रन्थ है जिसका गहरा अध्ययन सब से पहले किया जाना चाहिये। इसके विपरीत डा० टेलर (Taylor) का मत यह है कि इतने बड़े विषय का निरूपण जितना साधारण इस ग्रन्थ में है उतना अरस्तु की किसी अन्य कृति में नहीं। 'पॉलिटिक्स' में इस उल्लेख इस प्रकार किया गया है जैसे 'उमका' विवेचन पहले ही हो चुका हो जबकि पहले उमकी और संकेत तक नहीं किया गया और कहीं-कहीं उन बातों का उल्लेख कर दिया गया है जिनको विवेचन आगे चल कर हुआ है। सारा ग्रन्थ अख्युवस्थित विषय परिवर्तन से भरा पड़ा है। इन दोपो की सफाई यह दी जा सकती है कि वह पूर्ण ग्रन्थ नहीं है और इनके बर्तमान रूप में अरस्तु शायद उसे प्रकाशित न करना चाहता हो। 'पॉलिटिक्स' की इस अव्यवस्था के बारे में कतिपय अटकल लगाई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह उन नोटों का संग्रह मात्र है जो अरस्तु के व्याख्यानों में से उसके शिष्यों ने तैयार किये और सुरक्षित रख लिये। कुछ लोग कहते हैं कि ये नोट स्वयं अरस्तु ने ही अपने व्याख्यानों के लिये तैयार किये थे जिन्हे उसने बाद में एक ग्रन्थ के रूप में संकलित कर दिया। कुछ ऐसे भी हैं जिनका विश्वास यह है कि 'पॉलिटिक्स' की रचना अरस्तु ने नहीं बल्कि लेसियम में उसके शिष्यों ने की।

इस विषय में सबसे अधिक संतोषजनक विचार हमें यह दिखाई पड़ता है कि 'पॉलिटिक्स' के विभिन्न अनुच्छेद वे नोट हैं जो अरस्तु ने विभिन्न समय पर अपने व्याख्यानों के लिये तैयार किये थे। हो सकता है उनमें से कुछ उसके अधिक विस्तृत ग्रन्थों का भाग हों जो अब लुप्त हो गये हैं।

'पॉलिटिक्स' आठ पुस्तकों में विभाजित है। इन्हे हम तीन बगों में विभक्त कर सकते हैं, जिनका आपस में सम्बन्ध तो है परन्तु जिनमें दृष्टिकोण और विषय के विवेचन में बड़ा भेद है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुस्तकों का एक समूह है; ये वह आधार निर्माण करती हैं जिनके ऊपर एक दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र दो रचनाये तैयार की गई हैं। इनमें से एक रचना में आदर्श राज्य और उसके सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। यह सातवीं तथा आठवीं पुस्तकों में पाई जाती है। दूसरी रचना में संविधानों के स्वरूप, उनमें भेद तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का वर्णन है। इन विषयों का विवेचन चौथी पांचवीं तथा छठी पुस्तकों में किया गया है। कुछ समालोचक दूसरी, तीसरी, सातवीं तथा आठवीं पुस्तकों को एक समूह में और चौथी, पांचवीं तथा छठी पुस्तकों को दूसरे समूह में रखते हैं और प्रथम पुस्तक को सम्पूर्ण ग्रन्थ की एक सामान्य भूमिका समझते हैं। यह देखना दिलचस्पी से खाली न होगा कि 'पॉलिटिक्स' जिन पुस्तकों में विभक्त है उन्हें तीन समूहों में क्यों रखा जा सकता है।

जेगर के अनुसार 'पॉलिटिक्स' में हमें अरस्तु के राजनीतिक विचार के दो तल मिलते हैं और इसके विषय को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में आदर्श राज्य तथा प्रारंभिक सिद्धान्तों का अध्ययन और अफलातून की समालोचना सम्मिलित है। इस भाग में दूसरी, तीसरी, सातवीं तथा आठवीं पुस्तकें हैं। इनमें से अन्तिम दो पुस्तकों में अरस्तु ने आदर्श राज्य की रचना का प्रयास किया है; तीसरी पुस्तक में राज्य तथा नागरिकता के स्वरूप का अध्ययन है, यह मानों आदर्श राज्य की रचना की एक भूमिका है। दूसरी पुस्तक तीसरी, सातवीं तथा आठवीं पुस्तकों के लिये एक तीयारी के रूप में है। उसकी यह एक विशेषता थी कि अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले वह अपने से पूर्व के विचारों और सिद्धान्तों का परीक्षण करता था और उसकी आलोचना द्वारा ही अपने विचारों को विकसित करता था। ऐसा लगता है कि दूसरी, तीसरी, सातवीं और आठवीं पुस्तके अफलातून के मरने पर अरस्तु के ऐयन्स छोड़ने के कुछ बहुत दिन बाद नहीं लिखी गई। सातवीं पुस्तक में अरस्तु के ऊपर अफलातून का जो प्रभाव भलकता है वह 'पॉलिटिक्स' के किसी दूसरे भाग में नहीं। यहाँ पर उसने अपने गुरु की इसी धारणा को अपनाया है कि राजनीतिक दर्शन का मुख्य कार्य एक आदर्श राज्य की रचना है और उसका आदर्श राज्य 'सॉज़' के उपादर्श से अधिक भिन्न नहीं है। इस भाग में उसका प्रधान उद्देश्य नैतिक है, यहा राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों में सर्वोच्च धर्म का उदय करना है। कम से कम आदर्श राज्य में वह अच्छा मनुष्य बनना और अच्छा नागरिक होना एक ही बात समझता है।

हरगिज नहीं कि अरस्तु ने अफलातून की इस धारणा का परित्याग कर दिया कि राजनीतिक दर्शन राज्य की एक नीतिक व्याख्या है और राज्य-कला का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक जीवन में नीतिक ध्येय की प्राप्ति करना है। ये मूल आदर्श उसने अफलातून से लिए हैं; वह राज्य को सम्य जीवन में एक साधन के रूप में देखता है और उस साधन के सच्चे अर्थ की खोज करना चाहता है। परन्तु वह अपने गुरु से एक कदम आगे बढ़ता है और उसकी विचारधारा में आधारभूत परिवर्तन कर देता है। उसके राजनीति के नवीन और अधिक व्यापक विज्ञान में न केवल राज्य का नीतिक उद्देश्य शामिल है, बरन् उसमें 'उसके सामाजिक तथा राजनीतिक तत्वों, वास्तविक सविधानों, उनके सम्मिश्रण और तद्विनिति परिणामों का एक अनुभवगम्य अध्ययन भी शामिल है।'^५ निरपेक्ष तथा सापेक्ष राजनीतिक श्रेय तथा अच्छे दूरे सभी प्रकार के राजनीतिक ध्येय के लिए आवश्यक राजनीतिक यन्त्र का ज्ञान नवीन विज्ञान का एक भाग है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र को इतना विस्तृत करना इस विषय को अरस्तु की सबसे बड़ी देन है। अपने गुरु से वह कितना दूर चला गया, इसका प्रमाण इससे बढ़कर और कोई नहीं ही सकता।

राज्य, उसका स्वरूप, जन्म तथा लक्ष्य—'पॉलिटिक्स' की पहिली पुस्तक में जो कि अरस्तु द्वारा प्रतिपादित राजनीति के नवीन विज्ञान की एक भूमिका सी है उस महान् दार्शनिक समस्या पर विचार किया गया है जिसके सुलभाने की चेष्टा अफलातून ने भी की थी। वह समस्या है राज्य का स्वरूप, जन्म तथा लक्ष्य। अपने गुरु के सहशर्ता उमका लक्ष्य भी 'सोफिस्ट्रस' के इस सिद्धान्त का खण्डन करना है कि राज्य एक परम्पराजनित सत्य है और अपने सदस्यों की भक्ति पर उसका कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। इस धारणा के विपरीत वह यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है और उसका अपना निजी नीतिक मूल्य है; वह कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है।

(१) राज्य एक स्वाभाविक समुदाय—अफलातून की तरह अरस्तु भी यह मानता है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। इसकी स्वाभाविकता का प्रमाण यह है कि इसका जन्म हुआ जीवन के लिए और एक मुखी जीवन के लिए यह जीवित है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अरस्तु राज्य को स्वाभाविक इसलिये समझता है क्योंकि इससे अतग और बाहर रहकर मनुष्य अपने जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है और प्रकृति ने उसे राज्य के रूप में रहने के लिए ही बनाया है। उसका कहना है कि राज्य एक 'Knoinonia' है, एक समुदाय है, एक वन्धुत्व है, एक जाति (Community) है। राज्य उन लोगों का सघटन है जो एक दूसरे से भिन्न होते हुये भी कुछ सामान्य आवश्यकताओं रखते हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं के परस्पर आदान-प्रदान द्वारा उनकी पूर्ति करने के लिए प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है। यह और 'रिपब्लिक' का यह सिद्धान्त कि

* Sabine : *A History of Political Theory*, page 115.

राज्य का आधार थम-विभाग तथा सेवाओं का आदान-प्रदान है मूलतः एक है। परन्तु अफलातून ने विभिन्न समुदायों और संघटनों में कोई भेद नहीं किया और न यह दिखाने की चेष्टा की कि राज्य तथा अन्य समुदायों में वया भिन्नता है; अरस्तु ने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि राज्य किस प्रकार का समुदाय है और परिवार तथा अन्य समुदायों से वह किस प्रकार भिन्न है। उसका कहना है कि राज्य एकाकी व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि समुदायों का समुदाय है। व्यक्तियों से मिलकर परिवार तथा ग्राम जैसे छोटे समुदाय बनते हैं और इन छोटे समुदायों के मिलने से राज्य बन जाता है। इसके विपरीत अफलातून परिवार तथा अन्य समुदायों से घृणा करता था; वह उन्हे राज्य का प्रतिद्वन्द्वी ममझकर उनका उग्रूलन करना चाहता था। अरस्तु अधिक यथार्थवादी है; वह परिवार और ग्राम को अक्षुण्ण रखता है। राज्य को वह मुख्य जीवन व्यतीत करने के लिए परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन बताता है। अफलातून तथा अरस्तु में यह एक बुनियादी अन्तर है। किन्तु जहाँ तक कि यह अपने साधनों में अपने घटकों की समस्त नीतिक तथा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है दोनों ही उसे शुभ जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं। यह अपने में पूर्ण, स्वपर्याप्ति है।

राज्य भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी क्रान्तिप्रिय वयों न हो यह नहीं सोच सकता कि परिवार एक कृत्रिम मानवीय संस्था है जिसे बाहर से उसके ऊपर लादा गया है। वह मानव के भाव-नात्मक जीवन की अभिव्यञ्जना है, इसलिए वह स्वाभाविक है। “इसलिए वह मानव विकास के भार्ग में वाधक नहीं बल्कि वाधक है। यह एक धोसले के सहश्रय है, पिंजरे के नहीं।”⁶⁸ यदि परिवार एक स्वाभाविक संस्था है और मानव के विकास के लिए आवश्यक है तो राज्य तो और भी अधिक स्वाभाविक और आवश्यक होना चाहिये क्योंकि वह परिवार का ही एक स्वाभाविक परिणाम है। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में आरम्भ होता है उसकी पूर्ण मिठ्ठि राज्य में ही की जा सकती है। यदि परिवार और ग्राम उन सब सुविधाओं और साधनों को जुटा पाते जो मानव के विकास के लिए आवश्यक हैं तो और कोई समुदाय न बनता। परन्तु वे स्वपर्याप्त नहीं हैं; इसलिए अन्य समुदाय भी बनते हैं। अफलातून और अरस्तु के अनुसार इस ध्येय की पूर्ति केवल नगर राज्य में ही हो सकती है। इसलिए वे नगर राज्य को सामाजिक संगठन का सर्वोच्च रूप समझते हैं, जिस की ओर मनुष्य अपनी आन्तरिक वृत्ति के कारण खिचता है जो कि उसे विभिन्न रूपों में ऊपर की ओर ले जाती है।

वह स्वपर्याप्ति, जो अफलातून और अरस्तु के अनुसार केवल राज्य में ही प्राप्त हो सकती है, क्या है? इस प्रश्न के ऊपर हमने दूसरे अध्याय में कुछ प्रकाश

⁶⁸ “Therefore it does not thwart human growth but fosters it; it is like a nest, not like a cage.” —Foster : op. cit., page 128.

डाला था, यहाँ हम उस पर अधिक विस्तार के साथ विचार करेंगे। इसका अर्थ आर्थिक स्वपर्याप्तता नहीं है। एक ग्राम को आर्थिक रूप से स्वपर्याप्त तथा आत्मनिर्भर तभी समझा जा सकता है जबकि हम अपनी आवश्यकताओं को अत्यन्त सीमित करके जीवन की केवल नग्नतम आवश्यकताओं पर सन्तोष करने को तैयार हों। किन्तु यदि इस शब्द का हम व्यापक अर्थ लें तो एक परिवार और ग्राम, तथा नगर राज्य का तो कहना ही क्या; रूस, अमेरिका, भारत जैसे महान् देश और ब्रिटिश जैसे महान् साम्राज्य भी स्वपर्याप्त नहीं हो सकते, उन्हें भी कुछ कच्चे माल तथा बल-कारखानों में बने सामान को दूसरे देशों में मांगना पड़ता है। नगर राज्य को स्वपर्याप्त कहने से अफतातून और अरस्तु का अभिप्राय यह था कि नगर राज्य उन तमाम स्थितियों और वातावरण की पूर्ति करता है जो कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। “समाज के याम सरीखे निम्नतर रूप अपर्याप्त न केवल इसलिए है कि वे मनुष्य की समस्त इन्द्रियपरक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि वे उसकी बौद्धिक आवश्यकताओं की भी समुचित रूप से पूर्ति नहीं कर सकते। इनकी पूर्ति तो केवल एक राजनीतिक समाज में, जो कि आर्थिक समाज से भिन्न है, हो सकती है और मनुष्य की बौद्धिक प्रकृति का पूर्ण विकास राजनीतिक क्रिया में ही हो सकता है जो आर्थिक क्रिया से भिन्न है।”*

राज्य स्वाभाविक विस प्रकार और वर्णों है, यह जानना आवश्यक है। राज्य स्वाभाविक इसलिये है क्योंकि मनुष्य में अन्य मनुष्यों से मिलने की एक स्वाभाविक चाह होती है। किन्तु एक कालविशेष और देशविशेष में उसका रूपविशेष उसके सदस्यों के कार्यों के ऊपर निर्भर करता है। राज्य यद्यपि एक स्वाभाविक संस्था है, फिर भी मानव इच्छा से वह सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। मानव प्रयत्न से ही यह कायम रहता है और मनुष्य की इच्छा के अनुसार इसका रूप निर्धारित होता है। वास्तव में अरस्तु कला और प्रकृति में कोई भेद नहीं देखता; मनुष्य अपने प्रयत्न से प्रकृति की सहायता भी कर सकता है और उसके मार्ग में बाधा भी डाल सकता है। काव्य का विकास प्राकृतिक रूप से हुआ; किन्तु मनुष्य ने उसे परवान चढ़ाया। इसी प्रकार राज्य के रूप में अपने आप को संघटित करने की इच्छा मनुष्य में प्रकृतिदत्त है; किन्तु राज्य की आधारशिला रखने वाला सबसे पहिला मनुष्य मानव जाति का सबसे बड़ा हितैषी था। प्राकृतिक व्यापार में मनुष्य को हस्तक्षेप करने का अवसर इसलिए मिलता है क्योंकि प्रकृति में अपूरणताएँ हैं। इस प्रकार प्रकृति के दोष मनुष्य को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर प्रदान करते हैं। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक संस्था है—ये दोनों कथन एक दूसरे में निहित हैं। राज्य, मनुष्य का स्वाभाविक लक्ष्य है क्योंकि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि जो स्वभाव से ही राज्य के बाहर रहता है (किसी विशेषतावश नहीं) वह या तो देवता है या पशु, वह या तो मानवता में ऊर है या नीचे, वह मानव नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, हम

कह सकते हैं कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी इसलिए है क्योंकि उसका स्वाभाविक नियम राज्य है। जो चीज उसे एक राजनीतिक प्राणी बनाती है वह है उसकी भाषण शक्ति। अन्य पशु यूथचारी (Gregarious) है; किन्तु मनुष्य ही केवल राजनीतिक प्राणी है, केवल उसे ही भाषण शक्ति प्रदान की गई है। अपनी इमी शक्ति द्वारा वह शुभ व अशुभ तथा न्याय व अन्याय में भेद कर सकता है और एक शुभ जीवन की प्राप्ति के लिये अन्य मनुष्यों से मिल-जुल सकता है।

(२) राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में—अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदायमात्र नहीं है; वह सर्वोच्च समुदाय है। यह इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि यह सबके ऊपर है और सब इसके अक्ष में लिपटे हुए है। यह इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि इसका लक्ष्य सर्वोच्च है जो अपने नागरिकों के जीवन को शुभ बनाना है। प्रत्येक अन्य समुदाय का ध्येय किसी विशिष्ट तथा हीनतर शुभ की प्राप्ति करना है जबकि राज्य का ध्येय परम शुभ की प्राप्ति करना है। अरस्तु राज्य की परिभाषा उसके लक्ष्य के अनुसार करता है; उसका हृष्टिकोण लक्ष्य प्रधान है। जैसा कि हम पहिले ही कह चुके हैं राज्य का उद्देश्य है मनुष्य की एक मुखी जीवन की इच्छा को तृप्त करना जो अन्य किसी साधन से पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो सकती। शुभ और मुखी जीवन के अन्तर्गत मनुष्य की नैतिक और धौष्टिक क्रियाये शामिल हैं; इन्हें तृप्त करने के लिए राज्य में अन्य किसी भी समुदाय की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र मिलता है; इसमें अधिक भिन्न-भिन्न सम्बन्ध कायम होते हैं जिनमें धर्म की अभिव्यञ्जना की जा सकती है।

(३) राज्य विभिन्न धर्मों वाला सम्पूर्ण—हम पहिले ही कह चुके हैं कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है और अन्य सभी मानवी समुदाय इसमें शामिल हैं। इस बात पर विचार करने पर अरस्तु के राज्य-विषयक सिद्धान्त में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व समझने आता है। जिस प्रकार एक सम्पूर्ण में उसके समस्त अंग शामिल होते हैं और वह उनसे ऊपर होता है इसी प्रकार में अन्य समुदाय है और राज्य उनसे ऊपर है मानव शरीर हड्डियों, माझ तथा नसों का एक समूहमात्र नहीं है बल्कि इन सब तथा इन्हें एक जगह गुणित करने वाले सिद्धान्त को मिलाकर ही मानव शरीर की सज्जा दी जा सकती है। उस सिद्धान्त के अभाव में शरीर के समस्त अंगों को मिलाकर भी एक शरीर न बन सकेगा और अग भी अंग न रह जायेगे। अँख तभी देख सकती हैं और हाथ तभी स्पर्श कर सकते हैं जबकि वे एक जैविक रूप से समस्त शरीर का अभिन्न अंग हों। इसी प्रकार से कोई गृहस्थ और सच्चा गृहस्थ और कोई ग्राम सच्चा ग्राम नहीं रह सकता यदि वे किसी राज्य के सक्रिय सदस्य न हों। यही बात व्यक्तियों के ऊपर भी लागू होती है। राज्य का सदस्य रह कर ही व्यक्ति पूर्ण मनुष्य बन सकता है उनसे अलग रहकर वह एक मूर्ख तथा मीमित प्राणी है, एक पदा है।

परिवार, ग्राम तथा अन्य मानव समुदाय राज्य की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां हैं; राज्य में उनका अवमान हुए बिना वे पूर्ण नहीं हो सकते, उनकी अन्तर्निहित

शक्ति का पूर्ण प्रस्फुटन नहीं हो सकता। इस प्रकार ममय और स्वभाव क्रम से नहीं तो विचार क्रम से राज्य अन्य समुदायों का पूर्वाधार है। विचार क्रम से सम्पूर्ण सदा अपने ग्रंथों के पहिले आता है; सम्पूर्ण की कल्पना ही उसके ग्रंथों को महत्व प्रदान करती है। किन्तु काल क्रम से अग सम्पूर्ण में पहिले आते हैं। अत ऐतिहासिक रूप से तो परिवार, ग्राम इत्यादि राज्य से पहिले आते हैं, परन्तु तकं की दृष्टि और विचार के क्रम से राज्य इनके पहिले आता है।

(४) राज्य का जीविक स्वरूप—अपनी लक्ष्य प्रधान मीमांसा (Teleology) के कारण अरस्तु इस परिणाम पर पहुचता है कि राज्य का स्वरूप जीविक है; वह नाना प्रकार के ग्रंथों से भिलकर बना हुआ एक सम्पूर्ण अथवा सम्मिथण है। व्यवितयों और समुदायों का जो कुछ भी मूल्य या महत्व है वह सब राज्य की सजीवनी शक्ति के कारण है; राज्य के अभाव में ये सब जड़ हो जायेंगे और इनका विनाश हा जायेगा। राज्य की सदस्यता मनुष्य जीवन का लक्ष्य है; राज्य में रहकर और राज्य के द्वारा ही वह अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। यदि हम व्यवित और राज्य के इस परस्पर सम्बन्ध को ध्यान में न रखें तो हम मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों की सही धारणा नहीं बना सकते।

यदि रहे कि अरस्तु राज्य को जीव नहीं समझता। हीगल तथा उसके अनुयायियों की तरह वह यह नहीं कहती कि राज्य एक अति-प्राणी (Super-being) है जो अपने नागरिकों से ऊपर है और नागरिक जिसके पूर्ण रूप से अधीन है। नागरिकों की मुख वृद्धि तथा घर्मोन्ट्रिति के अतिरिक्त राज्य का और कोई उद्देश्य नहीं है। इस पकार वह अराजकतावादी व्यक्तिवाद के विकास के लिए आवश्यक है, किन्तु उसका अपना कोई स्वतन्त्र उद्देश्य नहीं है।

(५) राज्य के स्वरूप की उपरोक्त सभीका से यह स्पष्ट है कि अरस्तु राज्य को एक विकासशील चीज समझता है। इस बात में वह तथा राज्य के विकासवादी सिद्धान्त के आधुनिक समर्थक एकमत हैं। परन्तु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात में उसका उनसे मतभेद है। उसके लिए नगर ही सब कुछ है; वह उसको मानव समुदाय का अन्तिम तथा पूर्णतम रूप समझता है। अपने ही शिष्य, सिकन्दर महान् द्वारा स्थापित किये हुए विश्व साम्राज्य की ओर उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके विचार में साम्राज्य की स्थापना मानव समाज की प्रगति का नहीं, अवसरि का सूचक है। इस बात में वह पूर्णतया अफलातूनवादी था।

(६) राज्य के कार्य—अरस्तु द्वारा प्रतिपादित राज्य के सिद्धान्त को अच्छी तरह समझाने के लिए यह जानना कि उसने राज्य को व्यावद्या कार्य सौषे है तथा उसका लाँज तथा ग्रीन जैसे आधुनिक लेखकों के विचारों से तुलना करना आवश्यक है। राज्य के कार्य उसकी राज्य की इस परिभाषा में ही निहित है कि “राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक पूर्ण एव स्वपर्याप्ति संगठन है जिसके द्वारा हम एक सुखी एव सम्मानपूर्ण जीवन की प्राप्ति करते हैं।” इनका आभास हमें उसके इस सुप्रसिद्ध

वाक्य से भी मिल सकता है कि “राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ और एक मुखी एवं पूर्ण जीवन के लिए वह जीदित है।” लॉक तथा स्पेन्मर मरीसे आधुनिक व्यक्ति-वादियों की भावि वह राज्य के कार्यों को अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने तथा न्याय प्रदान करने तक ही भीमित नहीं करता; वह राज्य को अन्याय से बचाने के लिए एक सगाठन मात्र नहीं मानता। राज्य के कार्यों के भव्यन्थ में उसका हृष्टि-कोण विषेयात्मक (Positive) है। वह चाहता है कि राज्य को मानव जीवन को मुखी बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने चाहिये। मूलहृष्प से राज्य का कार्य मानव जीवन को नीतिक और धर्म-समग्र बनाना है, उसे केवल पाप से रोकना नहीं। राज्य की माग अपने नागरिकों से केवल यही नहीं है कि एक दूसरे के साथ पाप या दुष्टता-पूर्ण व्यवहार न करें, वलिक यह है कि वे पाप और दुष्टता का पूर्ण परिस्थिति कर दें। अरस्तु का कहना है कि वह समाज जो अपने सदस्यों को पापवृत्तियों को दबाने तक ही भीमित रहता है और उन्हें एक धर्मपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए कोई शिक्षा नहीं देता वह एक सच्चा राज्य हरिगिज नहीं हो सकता। ग्रीन सरीखा आदर्शवादी भी राज्य के कार्यों का इतना व्यापक क्षेत्र नहीं मानता। उसके अनुमार राज्य के कार्यों का स्वरूप निषेधात्मक है। राज्य का कार्य मुखी जीवन के मार्ग में आने वाली आधाओं को हटाना है, मनुष्य को अच्छा बनाना नहीं। इस अन्तर का कारण अच्छे जीवन की परिभाषा में परिवर्तन हो जाना है जो कि ईसाइयत के प्रभाव के हुआ है। नीतिक जीवन का मनुष्य के अन्त वरण से जितना गहरा सम्बन्ध हम आज ममझते हैं उतना यूनानी लोग नहीं ममझते थे। नीतिकता का आधार सद्वृत्ति है और राज्य किसी भी तरह से मनुष्य में सद्वृत्तिया उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ, वह केवल उसके मार्ग में से वाधाओं को हटा कर नीतिक जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है और ऐसी परिस्थितयां उत्पन्न कर सकता है जिनमें नीतिक जीवन का विकास हो भके। राज्य अपने नागरिकों से कह सकता है कि वे चोरी न करें, डाका न डाले और किसी की हत्या न करें, किन्तु वह उन्हें कृविचारों और पापवृत्तियों को त्यागने के लिए विवश नहीं कर सकता। नीतिक जीवन के बारे में आधुनिक और यूनानी धारणाओं में जितने भी भेद हैं उन सबका उल्लेख करना तो यहाँ न सम्भव ही है और न आवश्यक ही। देखने की बात यह है कि आज के बड़े से बड़े समाजवादी और आदर्शवादी भी अफलातून और अरस्तु की इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि राज्य का कार्य मनुष्य को एक सच्चा और अच्छा व्यंगित बनाना है। जो राज्य धर्म का पोपण नहीं करता वह सच्चा राज्य नहीं, केवल तथाकथित राज्य है। यह धारणा हमारे हिन्दू धर्म की परम्पराओं के कितना निकट है।

गाहंस्थ्य का स्वरूप—ऐतिहासिक रूप से परिवार राज्य का मूल है। इसलिए अरस्तु इसके स्वरूप और निर्मायिक, तत्वों का विश्लेषण करता है। इस विषय का निष्पाण करते-करते उसने बहुत में आधारभूत आर्थिक प्रश्नों के ऊपर अपने विचार व्यवत किये हैं।

इस सम्बन्ध में पहिली बात तो यह है कि परिवार तथा राज्य में केवल आकार का ही नहीं, वल्कि प्रकार का भी भेद है; अरस्तु ने अफलातून की इस धारणा को ठुकरा दिया है कि एक बड़ा परिवार तथा छोटा राज्य मूलतः एक ही चीज़ है और दोनों का शासन प्रबन्ध एक ही विज्ञान है। राज्य में केवल एक प्रकार का सम्बन्ध होता है और वह सम्बन्ध है शासक और शासित का; परिवार में तोन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं, पति-पत्नी का, दूसरा माता-पिता तथा सन्तान का, और तीसरा स्वामी और दास का। राज्य के शासन का सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक से एकसा ही होता है; किन्तु परिवार के प्रधान का सम्बन्ध पत्नी, सन्तान तथा दासों से भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। पति-पत्नी तथा माता-पिता और सन्तान के सम्बन्धों पर विचार करना यहाँ आवश्यक नहीं है और न ही यह दिलाना आवश्यक है कि शासक और शासित के सम्बन्ध से वे किस प्रकार भिन्न हैं; हाँ स्वामी तथा दास के सम्बन्ध का तनिक विस्तृत अध्ययन करना बांधनीय है।

दासप्रथा का स्वरूप तथा उसका औचित्य—परिवार के सम्बन्ध में एक नितांत महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर अरस्तु ने विचार किया है वह दासप्रथा का स्वरूप तथा उस का औचित्य है। वह कहता है कि परिवार को समुचित कार्य करने के लिए कुछ यन्त्रों की आवश्यकता है; वे यन्त्र चैतन्य भी हो सकते हैं और जड़ भी। दास चैतन्य और सम्पत्ति जड़ यन्त्र हैं।

अरस्तु ने दासप्रथा का समर्थन करते हुए एष्टीफोन तथा एलसीडेमास जैसे मोफिस्ट्रस का विरोध किया जो कि इस प्रथा को अन्यायपूर्ण समझते थे वयोंकि इसका आधार केवल परम्परा है, यह स्वाभाविक नहीं है। स्वामी का दास के ऊपर शासन प्रकृति के नियम के विरुद्ध है वयोंकि प्रकृति ने सब को बराबर बनाया है।

अरस्तु दासप्रथा का औचित्य इस सर्वव्यापी सिद्धान्त के द्वारा सिद्ध करना चाहता है कि जब कई रग मिलकर एक सम्पूर्ण का निर्माण करते हैं तो सम्पूर्ण को सार्थक बनाने के लिए एक निकृष्ट अंग को थेष्ट अंग के आधीन होना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य की रचना में आत्मा शरीर के ऊपर और बुद्धि इन्द्रियों के ऊपर शासन करती है। इसी प्रकार परिवार या राज्य सरीखे मानव समुदाय में उन बुद्धि-मान् तथा धर्मशील व्यक्तियों को उन लोगों के ऊपर शासन करना चाहिये जिनमें बुद्धि और गुण का या तो सर्वथा अभाव है या उनकी वहूत कमी है। पहिली प्रकार के लोग स्वभाव से ही स्वामी और दूसरी व्येशी के लोग स्वभाव से ही दास होते हैं। प्रकृति ने उन्हें स्वामी बनाया है उनमें बौद्धिक बल की ओर जिन्हें दास बनाया है उनमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है। इन दोनों का सम्मिश्रण उस ध्येय की पूर्ति के लिए आवश्यक है जिसके लिये कि परिवार कायम है। वह ध्येय है गृहस्थ का बौद्धिक एवं नैतिक विकास। यदि उसे शारीरिक और क्षुद्र काम स्वर्य करने पड़ें तो उसकी नैतिक और बौद्धिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक संगीतज्ञ विना संगीत यन्त्रों के संगीत की निष्पत्ति नहीं कर सकता, इसी प्रकार एक गृहस्थ

बिना दासों के सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इननिये स्वामी के हृष्टिकोण से दासप्रथा उचित है क्योंकि उमे वह धर्म का पालन करने के लिये पर्याप्त अवकाश देती है।

दास के हृष्टिकोण से भी यह उतनी उचित है। जिन लोगों में धर्म का अभाव है और केवल शारीरिक बल है, वे बौद्धिक और नैतिक गुणों का लाभ तभी उठा सकते हैं जबकि वे ऐसे व्यक्ति के अधीन हो जिनमें ये गुण वर्तमान हों। एक व्यक्ति जो जन्म से ही दास है, अपने जीवन में कभी भी संयम का पालन नहीं कर सकता। यद्यपि वह अपनी तृप्तियाँ को बुद्धिमान विनियमित नहीं कर सकता व्यक्ति उसमें विचार शक्ति ही नहीं है, किन्तु एक समझी स्वामी के अधीन रह कर उसमें एक प्रकार का मध्यम आ सकता है क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि तो है ही जिससे वह थ्रेष्टर बुद्धि को समझ सके और उसके निर्देशन से लाभ उठा सके। इस प्रकार से दास के मामने थ्रेष्ट धर्म और निर्कृष्ट कर्म में से एक का चुनाव नहीं है बल्कि उसे तो धर्म या धर्म के मर्वेया अभाव में से एक चीज़ को चुनना है। सारांश यह है कि दासप्रथा दास के लिए एक अच्छी चीज़ है क्योंकि यह उसे अपने स्वामी के धर्मशील जीवन में भाग लेने का अवमर देती है। पारिवारिक जीवन में वध कर वह ऊचा उठ जाता है।

अरस्तु ने दासप्रथा का जो वचाव किया है, उसका एक समुचित भूल्यांकन करने के लिये हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिये; प्रथमः उसका वचाव निष्काम नहीं है; यह उसके मूल मिदान्तों से निकला हुआ स्वाभाविक परिणाम नहीं है वरन् उस समय पाई जाने वाली एक सस्था का सप्रयाम औचित्य है जिसकी कि सोफिस्टों तथा दूसरों ने कटु आलोचना की थी। अरस्तु ने इस का समर्थन करना न केवल इसलिये आवश्यक समझा कि यह एक मान्यता प्राप्त तथा उपयोगी संस्था थी, वरन् उसकी नागरिकता की धारणा ने भी ऐसा करना आवश्यक बना दिया था। यदि नागरिकों को सक्रिय हृप से मार्वजनिक जीवन में भाग लेना है, तो उन्हे कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ अवकाश अवश्य प्राप्त होना चाहिये और उन में मदाचार की भावना होनी चाहिये; वे शारीरिक परिश्रम से यथासंभव अधिक से अधिक मुक्त रहने चाहियें। दासों को उसके भौतिक तथा आर्थिक आधार तैयार करने के लिए आवश्यक समझा जाता था जिस पर कि परिवार तथा राज्य की ऊना होनी थी। दूसरे: अरस्तु एक दास को कर्म का एक यन्त्र समझता है, उत्पादन का एक यन्त्र नहीं। अरस्तु के मतानुसार यदि दासों को कर्म के यन्त्र समझने के बजाय उत्पादन के यन्त्र समझा जाता है, अर्थात् यदि उनका प्रयोग स्वामी की सम्पत्ति अपवा शक्ति में वृद्धि करने के लिये किया जाता है, तो दासप्रथा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एक घरेलू नौकरी जो कि अपने स्वामी को बहुत से शारीरिक परिश्रम से मुक्त करके उमे बौद्धिक विकास का अवसर देता है, एक कर्म का यन्त्र है; इस के विपरीत एक औद्योगिक श्रमिक, जो कि ऐसा कुछ नहीं करता बल्कि अपने स्वामी के लिए धन उत्पन्न करता है, एक यन्त्र है। एक घरेलू नौकर को अपने सदाचारी उत्पन्न करता है, एक उत्पादन का यन्त्र है।

स्वामी के सम्पर्क से कुछ नैतिक लाभ प्राप्त होता है ; एक औद्योगिक थमिक को इस प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु औद्योगिक दासता को उचित नहीं मममता । उस का सिद्धान्त सधित है । स्वामी का अपने दासों की सेवा का उपभोग केवल एक ही उद्देश्य के लिये उचित है, और वह उद्देश्य सुदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करना ; उसका अपनी सम्पत्ति तथा शक्ति में बढ़ि करने के लिये ऐसा करना मर्वथा अनुचित होगा । अपने स्वामी के साथ सम्पर्क से दास को भी लाभ होना चाहिये ; उस का नैतिक उत्थान होना चाहिये । इस प्रसग में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि दास प्रथा यूनानी जीवन के लिये एक आधारभूत संस्था थी ; इसने राजनीतिक वर्ग को अवकाश प्रदान किया ।

इन समस्त तर्कों के बावजूद, अरस्तु द्वारा किये गये दासप्रथा के वचाव को उचित तथा न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है । यह जिस मान्यता के ऊपर आधारित है, वह सर्वथा अमान्य है, अर्थात् यह कि मानव जाति को दो ऐसे बगों में विभक्त किया जा सकता है जिन में से एक में तो सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करने की सामर्थ्य है और दूसरे में नहीं है । यह कहना कि समाज में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिन में सदाचार मार्वथा का सर्वथा अभाव होता है, न केवल तथ्यों से मुख मोड़ना है, बरन् इस प्रसादपूर्ण धारणा को भी स्वीकार करना है कि कुछ उद्देश्यों के लिए एक मानव प्राणी को केवल एक पदु समझा जा सकता है । हमारा अनुभव तो केवल यह सिद्ध करता है कि कुछ मनुष्यों में सदाचार की सामर्थ्य कुछ अधिक होती है और दूसरों में कुछ कम होती है । परन्तु इतने से ही काम नहीं जलेगा ; अरस्तु के अनुमार तो केवल उसी व्यक्ति को एक स्वाभाविक समझा जा सकता है जिस में सदाचार की भावना का सर्वथा अभाव है । ऐसा मानव प्राणी कही नहीं मिल सकता । और यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो भी, तो उसे अपने सदाचारी स्वामी के रासगं में कोई लाभ नहीं हो सकेगा । दास के हट्टिकोण से तो दासता का कोई औचित्य हो ही नहीं सकता । दूसरी बात यह है कि यदि हम तर्क के लिये इस बात को मान भी नें कि कुछ व्यक्ति सदाचार की भावना से मर्वथा शून्य होते हैं, तो हमारे सामने यह कठिनाई आती है कि ऐसे व्यक्तियों का पता कैसे लगाया जाय । इस बात का निर्णय करने के लिये अरस्तु ने कोई निश्चित कसोटी हमारे समक्ष नहीं रखी है । वह तो केवल इनमा कहता है कि युद्धदिव्यों को यदि वे बवंर हों, यूनानियों को नहीं, दास बना लेना उचित होगा । इसे तो हमारे इम दार्शनिक का केवल जातिक पक्षपात ही कहा जा सकता है । परन्तु यह बहुत से ऐसे व्यक्तियों को, जो कि उन दिनों दास थे, दासता की थेणी से बाहर कर देता है ।

यद्यपि अरस्तु दासप्रथा को उन्नित ठहराता है, वह दासों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहता है ; उसके गिद्धान्त में कोई निर्देशता या कठोरता नहीं है । वह इसका मर्वथा नैतिक आधार पर करता है, आधिक आधार पर नहीं । अपने वसयीन-नामे में उगने यह अनुदेश दिया या कि एक स्थ्री तथा तीन पुरुष दासों को मुक्त बन-

दिया जाय, और उस के अन्य दाम यदि चाहे, तो उन्हे मुक्त कर दिया जाय तथा उन में से किसी को भी बैचा न जाय। इससे सिद्ध होता है कि दासप्रथा के विषय में कर्म और वचन में कोई भेद न था।

यहाँ पर दो शब्द यदि अफलातून के दासप्रथा विषयक विचारों के बारे में कह दिये जायें तो अनुचित न होगा। 'रिपब्लिक' में अफलातून ने दासप्रथा का कोई उल्लेख नहीं किया। उसने न तो इसका समर्थन किया और न संष्टन ही। ऐसा मालूम होता है कि उत्पादक-वर्ग को दासों के रखने की अनुमति वह दे सकता यद्यपि उत्पादक-वर्ग का कोई राजनीतिक कार्य न था। इसलिए अरस्तु ने जिस आधार पर दासप्रथा का समर्थन किया है उस पर, अफलातून नहीं कर सकता। 'लाज़' में अफलातून ने अवश्य दासप्रथा को मान्यता दी है; वहाँ उसने दासों के साथ उचित वर्ताव के लिए कानून भी बनाये हैं।

सम्पत्ति का स्वरूप तथा प्रयोग—अब हम अरस्तु के सम्पत्ति विषयक विचारों पर आते हैं जिनका गार्हस्थ्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसके अनुसार सम्पत्ति गार्हस्थ्य के लिये (या राज्य के लिये) आवश्यक जड़ वस्तुओं का संग्रह है। उसकी यह परिभाषा ही हमारी विवेचना का आधार होगी। इस परिभाषा में दो मुख्य परिणाम निकलते हैं। एक तो यह कि गार्हस्थ्य के जीवन तथा सुख के लिये सम्पत्ति आवश्यक और अपरिहार्य है। मैंकी के शब्दों में सम्पत्ति 'जीवन सामग्री के रूप में मनुष्य को प्रकृति की देन है।' उसे भूख शान्त करने के लिए खाना चाहिये, रहने के लिए घर चाहिये और कृतुओं की निर्देशन से बचने के लिए वस्त्र चाहियें। ये चीजे सम्पत्ति का मुख्य भाग हैं। सम्पत्ति मग्रह का भाव मनुष्य में प्रकृति-प्रदत्त है। दूसरी बात यह है कि कुछ सीमाये हैं। प्रत्येक गार्हस्थ्य में उतनी ही सम्पत्ति होनी चाहिये जितनी उसके समुचित जीवनपापन के लिये आवश्यक हो। आवश्यकता से सम्पत्ति का होना उतना ही बुरा है जितना कि आवश्यकता से कम होना। एक यन्त्र का आकार इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उससे क्या काम होना है। 'अपना कार्य करने के लिये हृथीड़ा भारी होना चाहिये; परन्तु हृथीड़ा बनाने वाला उसे अधिक से अधिक भारी तो नहीं बनाना चाहेगा। जिस कार्य के लिये हृथीड़े में बज़न की आवश्यकता है वही कार्य उस बज़न को सीमित भी कर देता है। एक अच्छा लुहार इस सीमा का पालन करेगा।'१० सम्पत्ति को एक यन्त्र (Instrument) कह कर अरस्तु इस बात पर ज़ोर देना चाहता है कि सच्ची सम्पत्ति सदा सीमित होनी चाहिये। अधिक से अधिक धन संचय करने की आधुनिक प्रवृत्ति की निस्सन्देह वह धौर भर्त्यना करता है।

* 'A hammer must be heavy in order to serve its purpose; but the object of the hammer-maker will not therefore be to make it as heavy as possible. The same function of the hammer which demands weight also sets a limit to the weight required; and the good hammer-maker will observe this limit.'

से सभी लापरवाही करते हैं ; सब का काम एक का भी काम नहीं होता । जिस काम को मनुष्य अपना समझता है उसी को वह अधिक तत्परता, कुशलता तथा उत्साह के साथ करता है । निजी स्वामित्व का भाव एक पारम की पश्चरी है जिसका स्पर्श पाकर मिट्टी भी मोना हो जाती है । इसके अतिरिक्त सामान्य स्वामित्व में इस बात की भी भावी आशका है कि सामान्य थम द्वारा उत्पन्न किये हुये धन के वितरण के ऊपर सधर्ष उत्पन्न हों जाये और सामान्य स्वामियों में कलह उठ सड़ा हो । इस बात का क्या भावदण्ड है कि एक व्यक्ति को कुछ मिला है वह उसके किये हुये परिश्रम के अनुमार है या नहीं । जो लोग यह समझते हैं कि उनके परिश्रम का पूरा फल उन्हें नहीं मिला उनके हृदय में रोष तथा क्षोभ की लहरें उठना स्वभाविक ही है । इस प्रकार साम्यवाद उन लोगों की मानसिक एकता नष्ट करके उनमें पास्परिक कलह उत्पन्न कर सकता है जो साम्यवाद में होने वाले अत्यन्त निकट के सम्पर्क के अभाव में अच्छे पढ़ीसियों के रूप में रह सकते थे । निसमन्देह यह सत्य है कि निजी सम्पत्ति में ऊपर भी सधर्ष होता है और भगड़े उठते हैं, परन्तु उनका कारण समर्पति नहीं, मनुष्य का लोभ तथा दुष्टता है । इसके विपरीत समर्पति के साम्यवाद के दोष स्वयं उम प्रणाली के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं, मानव दुर्बलता के कारण नहीं ।

अरस्तु निजी सम्पत्ति को अच्छे जीवन का एक आवश्यक साधन समझता है । मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिये यह निमान्त आवश्यक है । जैसा कि हम पहिले ही कह चुके हैं, उदारता, धानशीलता तथा आनन्द का पालन विना निजी सम्पत्ति के नहीं हो सकता ; निजी सम्पत्ति लो एक निश्चित मात्रा के अभाव में घरें का पालन नहीं किया जा सकता । सम्पत्ति से आनन्द भी कुछ कम नहीं मिलता ; वह आत्म-प्रेम का ही एक रूप है । जो लोग होटल तथा घर के भोजन में और किसी के तथा अपने निजी मकान में रहने में एक अन्तर महसूस करते हैं ये इस घर को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि निजी सम्पत्ति आत्म-प्रेम का ही एक रूप किस प्रकार है और आत्म-गम्भीर तथा व्यक्तित्व की भावना किस प्रकार एक वहूं बड़ी हड़ तक निजी सम्पत्ति के ऊपर निर्भर करती है । जो चीज जिस व्यक्ति ने स्वयं बनाई है उसके द्वारा वह आत्म-प्रभुत्व करता है । निजी सम्पत्ति एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपना प्रतिविम्ब देखता है । अनिम वात यह है कि निजी नागरिक के पास कुछ भी निजी पूँजी नहीं है और जो राज्य को कुछ भी नहीं दे सकता उसके लिए एक पूर्ण नागरिक जीवन धर्मीत करना अमम्भव है ; वह उसमें वंचित रहता है ।

अरस्तु न बेवल निजि सम्पत्ति या समर्पति करता है, बल्कि उसके विनाश में दिमी हड़ तक अपमानना को भी आवश्या और वादनीय गमझता है । अपमान धन-वितरण धनादृ को दान द्वारा त्रन-मेवा का धनमर देता है । परन्तु निजी सम्पत्ति वृष्य उसके वितरण की विभाग में विभाग बरते हुए भी अपमनु द्वारा दोनों को मर्दानित और मोमित बरना चाहता है । जैसा कि हम पहिले ही पर भुक्ते हैं, गच्छे

धन का स्वभाव ही यह है कि वह अपने लक्ष्य के अनुमार मर्यादित हो। लोग धन-प्राप्ति को माधन न समझ कर साध्य समझ बैठते हैं। इसी प्रकार वह वितरण सवधी विषयमताओं को भी मीमित करना चाहता है कि कहाँ ऐसा न हो कि अत्यधिक विषयमता उत्पन्न हो जाने से वर्ग मंघर्य उठ खड़ा हो और उससे राज्य की स्थिरता ही खतरे में पड़ जाये। अरस्तु की यह भी विशेषता है कि वह रीति-रिवाज तथा विधि-निर्माण द्वारा निजी सम्पत्ति की संस्था को सुधारना और उसे पूर्ण बनाना चाहता है। वह आग्रह करता है कि उसका प्रयोग उदासतापूर्वक होना चाहिये। सारांश यह कि अरस्तु ऐसी सम्पत्ति का समर्थन करता है जिसका स्वामित्व निजी किन्तु उपभोग सार्वजनिक हो और इस प्रकार वह व्यक्तिवाद तथा साम्यवाद दोनों गुणों को प्राप्त करता है। निजी सम्पत्ति के कुछ आर्थिक और नैतिक लाभ हैं और सामान्य उपभोग से, यदि वह सही भावना के साथ किया जाये, वह एकात्मीकता उत्पन्न होती है जो अत्यन्त वाच्छनीय है। निजी सम्पत्ति की वकालत करने में वह एकदम व्यक्तिवादी है; वास्तव में व्यक्तिवाद के सहज बुद्धिगम्य तत्त्व को अरस्तु ने जितने अच्छे ढंग से व्यक्त किया है उतना अन्य किसी विचारक ने नहीं। परन्तु इसके साथ वह रिवाज तथा व्यापार द्वारा सम्पत्ति को विनियंत्रित करना चाहता है, उसके सामान्य उपभोग की व्यवस्था करता है और उसके संग्रह की सीमायें निर्धारित करता है। इस टटिकोण से वह समाजवादी है। व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के दो परस्पर विरोधी घुँड़ों के बीच का मार्ग उसने पकड़ा है।

पत्नियों के साम्यवाद की अरस्तु द्वारा आलोचना—सम्पत्ति के साम्यवाद के दुकराने में अरस्तु ने जिस यथार्थवाद, व्यवहार बुद्धि, तथा मानव स्वभाव और सामाजिक जीवन के गहरे ज्ञान का परिचय दिया है वही उसके पत्नियों के साम्यवाद की समालोचना में प्रकट होता है। आइये इसके ऊपर भी विचार करें।

याद रहे कि पत्नियों तथा बच्चों के साम्यवाद को अफलातून स्वयं कोई लक्ष्य नहीं समझता था; वह उसे राज्य की एकता का साधन मानता था। उसका सर्वोच्च ध्येय राज्य की एकता था। उसकी धारणा थी कि राज्य की एकता को प्राप्त करने का सर्वथेष्ठ साधन यह है कि लोगों में 'तेरे' 'मेरे' की भावना न रहे। सब बच्चों को लोग अपने तथा सब के बच्चे समझें और किसी का अपना निजी घर न हो। अरस्तु, अफलातून की इस बात को मानता है कि राज्य की एकता बांधनीय ध्येय है; परन्तु उसका विचार है कि उसकी जो धारणा अफलातून की है वह सही नहीं है। अफलातून राज्य की एकता और परिवार की एकता को एक ही जैसी चीज समझता है जबकि वे दोनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं। राज्य को एक बहुत परिवार कहना भूल है। राज्य विभिन्न इकाइयों वाला समूह है। यदि अनेकतारहित पूर्ण एकता ही सर्वोच्च ध्येय है तो राज्य सिकुड़ते-सिकुड़ते एक परिवार और अन्ततोगत्वा एक व्यक्ति मात्र रह जायेगा। राज्य का ऐस्य अनेक के पृथक् व्यक्तित्व को नहीं मिटाता बल्कि वह अपने समस्त घटकों में निहित है। अफलातून के विश्व यह आलोचना न्यायसंगत नहीं जान पड़ती।

अफलातून के राज्य में कभी व्यक्ति की एकता का आरोप नहीं किया और न ही उम्मे कभी समस्त नागरिकों को एक ही मांचे में ढालने का प्रयास किया। वह स्पष्ट रूप से नागरिकों को तीन बर्गों में विभक्त करता है और प्रत्येक बर्ग को अलग-अलग कार्य संस्थापना है। इसलिये यह कहना गलत है कि अफलातून के राज्य में सब एक ही प्रकार के व्यक्ति हैं; उसके राज्य के नागरिकों में भी वैसे ही विभिन्नता है जैसे कि अरस्तु के कल्पना के राज्य में। उसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य की एकता बनाये रखने के लिये अफलातून अरस्तु की अपेक्षा कही अधिक आतुर है।

परन्तु यहाँ पर हमारा इस बात से अधिक सम्बन्ध नहीं कि अरस्तु ने अफलातून की राज्य की एकता सम्बन्धी धारणाओं की क्या आलोचना की है; हमारा सम्बन्ध अरस्तु की उस आलोचना से है जो उसने पत्तियों तथा बालकों के साम्यवाद की की है जिसे अफलातून राज्य की एकता का सबसे बड़ा साधन समझता था। अरस्तु का दर्क यह है कि यदि यह मान भी लिया जाये कि राज्य में अधिक से अधिक एकता होनी चाहिये तो भी पत्तियों, बच्चों (श्रीर सम्पत्ति) का साम्यवाद उसे प्राप्त करने का कोई साधन नहीं हो सकता। एकता के मार्ग में यह सहायक की अपेक्षा बाधक ही अधिक होगा। पत्तियों के साम्यवाद का कोई अर्थ है तो उसका तात्पर्य यह है कि एक पुरुष की पत्ती प्रत्येक पुरुष की पत्ती है। इस पर व्यवहार करने से परस्पर द्वेष, विप-मता तथा बैमनस्य की भावनाये उत्पन्न होगी। अरस्तु की यह आलोचना उचित नहीं जान पड़ती। अफलातून ने कभी ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जिसमें प्रत्येक पुरुष की पत्ती प्रत्येक अन्य पुरुष की पत्ती होगी। अफलातून की व्यवस्था का यह अर्थ लगाना उसके साथ घोर अन्याय है, यह अर्थ नहीं अन्यर्थ है। अफलातून का उद्देश्य केवल यह था कि स्थायी विवाह वधन का उन्मूलन कर दिया जाये। अरस्तु ने इस प्रसंग में अफलातून के विरुद्ध जो अन्य आपत्तियाँ उठाई हैं वे उचित तथा तथ्यपूर्ण हैं और उनसे मानव प्रकृति तथा सामाजिक सम्बन्धों के महत्व का गहरा ज्ञान भलकरता है।

उसका मुख्य तक यह है कि प्रत्येक नागरिक का प्रत्येक वस्तु को एक ही समय में 'मेरी' और 'तेरी' कहने के सूत्र से राज्य में एकता तथा सामजिक उत्पन्न नहीं होगा। उसका यह कहना कि एक अफलातूनी पुत्र की अपेक्षा तो एक समा चचेरा भाई होना अधिक अच्छा है सारी बात का निपक्ष है। अफलातून की योजना के अनुसार प्रत्येक बालक के हजारों पिता और प्रत्येक पुरुष के हजारों पुत्र होंगे। इससे तो 'पिता' और 'पुत्र' शब्द ही निरर्थक हो जाते हैं। बातमत्य-प्रेम तथा पितृ-भवित की महत्ता उनकी एकांगीयता के कारण ही है; इस एकांगीयता के नष्ट हो जाने से ये दोनों निरर्थक हो जायेंगे। अफलातूनी राज्य में एक पुत्र सब का इस तरह से हो सकता है कि या तो सारा समाज उसे अपनाले या वह सचमुच प्रत्येक का पुत्र हो। दूसरा विकल्प निरर्थक है; कोई भी बच्चा प्रत्येक नागरिक का पुत्र नहीं हो सकता।

अरस्तु—राजनीतिक आदर्शे

और पहिले का कोई मूल्य नहीं। सारे समाज द्वारा गोद लिये हुए बच्चे की देख-रेख और पालन-पोषण कीन करेगा? एक सगे पिता के हृदय में जो स्नेह और प्रेम अपने बालक के लिये होता है वह किसी दूसरे के हृदय में कदापि नहीं हो सकता। अफलातून राज्य में बच्चों को सार्वजनिक शिशुयुवृ और सार्वजनिक पाठशाला में भेजना पड़ेगा; परन्तु ये स्थायें अनाथों के लिये चाहे जितनी हितकर हों, घर और माता का स्थान नहीं ले सकती। पारिवारिक जीवन तथा सम्बन्ध का आधार व्यक्तिगत स्नेह तथा व्यक्तिगत अधिकार की भावना है जिनका अफलातून के राज्य में कोई स्थान नहीं; इनके क्षेत्र का विस्तार जितना विस्तृत हो जाता है, इनकी तीव्रता उतनी ही कम हो जाती है और अफलातूनी राज्य में तो इनकी केवल छायामात्र रह जाती है।

अफलातून के ऊपर सम्पत्ति तथा परिवार का मध्यकालीन भय मवार था; वह उन्हें बहुत से पापों का स्रोत समझता था, इसलिए वह उनको जड़ से उखाड़ना चाहता था। इसके विपरीत अरस्तु इन्हें मानव स्वभाव का अङ्ग समझता है और उन में बहुत सी अच्छाइयों को देखता है। वह उन्हे केवल इसलिए नप्ट नहीं करना चाहता कि उनका दुश्ययोग भी हो सकता है और भूतकाल में कभी-कभी उनका दुश्ययोग हुआ भी है। वह उन्हें कायम रखना और उनका सदुपयोग करना चाहता है। प्रकृति ने उन्हें दिना किसी प्रयोजन से ही थोड़ा बनाया है? अफलातून की तरह वह मुग्युग्मान्तरी का प्रनुभव ठुकराने को तथ्यार नहीं; उसकी दलील यह है कि यदि सम्पत्ति और परिवार के विषय में अफलातून के विचार सही होते तो उससे पहिते भी कोई उसका संकेत अवश्य करता। अरस्तु का विचार था कि अफलातून अपने राजनीतिक दर्शन में इतना नवीनतावादी और कल्पनाप्रिय हो उठा कि व्यवहारिक जीवन में वह हमारा पथ-प्रदर्शक नहीं हो सकता। इन दो महान् दार्शनिकों की प्रवृत्तियों में कितना वृनिमादी अन्तर है, इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण इन दोनों का परिवार तथा सम्पत्ति के प्रति दृष्टिकोण का भेद है।

अफलातून की व्यवस्था में अरस्तु ने कई और कठिनाइयों की ओर भी संकेन किया है; किन्तु अधिक महत्वपूर्ण न होने के कारण हम उन्हें छोड़ देते हैं। पारिवारिक बन्धनों को समाप्त करने की अफलातून की योजना के विश्व अरस्तु को बुनियादी आपत्ति यह है कि घर स्वाभाविक स्नेह की शाश्वत पाठशाला है। माता-पिता के आलिगन, चुम्बन से बच्चा बहुत भी बातें सीखता है। परिवार के संकुचित और एकांगी धेरे में स्नेह तथा त्याग के जो पाठ हम पढ़ने हैं वे आगे चल कर व्यापक मामाजिक जीवन में प्रयोग किये जा सकते हैं और प्रयोग किये जाते हैं।

साविधानिक शासन बनाम निरंकुश शासन—अरस्तु की राजनीतिक विचार को मुख्य देन पत्तियों तथा सम्पत्ति के अफलातूनी साम्यवाद को ठुकराना नहीं है, बल्कि इस बात के ऊपर बल देना है कि एक अच्छे तथा आदर्श राज्य का संक्षण माविधानिक अर्थात् कानून का शासन है, किसी दार्शनिक राजा का निरंकुश शासन नहीं जैसा कि अफलातून का विचार है। जैसा कि हम पहिले ही बता चुके हैं उमको

बड़ी विशेषता इस बात मे है कि उसने राज्य मे कानून को फिर से उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। यह सही है कि स्वयं अफलातून ने भी अपनी अतिम कृति में कानून के महत्व को स्वीकार कर लिया था; किन्तु वह मानो मानव दुर्बलता के साथ एक रियायत थी, दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता थी, कानून द्वारा शासन को आदर्श शासन उसने कभी नहीं समझा। परम्परा तथा लिखित कानून से परे और स्वतन्त्र दार्शनिक राजा अन्त तक उसका आदर्श बना रहा। अरस्तु ने इस आदर्श को पूर्ण रूप से ढुकरा दिया; उसके आदर्श राज्य मे कानून का शासन है। विधानवाद पर जोर देने वालों मे उसका नाम सब से पहिना है। सन्त टॉमस, हूकर, लॉक तथा बर्क के द्वारा यह सिद्धान्त आधुनिक ससार मे पहुँचा है।

अरस्तु ने एक ऐसे दार्शनिक राजा की अफलातूनी धारणा का तिरस्कार क्यों किया जो कि अपनी प्रशिक्षित बुद्धि द्वारा और कानून के बिना ही शासन करता है, और उसने राजनीतिक तथा नैतिक जीवन के लिए कानून को एक दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता नहीं, बरन् एक नितान्त आवश्यक शर्त क्यों ममझा, इसके कई कारण हैं। उमकी धारणा थी कि यथार्थ मनुष्यों को औचित्य तथा सदाचार की सीमाओं के अन्तर्गत रखने के लिए न केवल प्रारंभ मे दी जाने वाली शिक्षा आवश्यक है, बल्कि जीवन पर्यन्त निरन्तर अनुशासन भी अपेक्षित है। वासना तथा स्वार्थ से उत्प्रेरित एक साधारण मानव प्राणी को समित रखने के लिए केवल नैतिक उपदेश ही पर्याप्त नहीं हो सकता; इसके लिए कानून की बाध्यकारी सत्ता एक दम आवश्यक है। मनुष्य के भीतर जो पशु छिपा बैठा है, उसे केवल नैतिक उपदेश से नियंत्रित नहीं किया जा सकता; उसे केवल दण्ड के भय से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए, समाज मे अनुशासन बनाये रखने के लिए अच्छे कानून सर्वथा आवश्यक हैं; उनके न होने पर समाज विघटित हो जायेगा। यदि मनुष्य नैतिक उत्थान की ओर स्वभाव मे ही अत्यधिक आकृष्ट होते, तो उन्हें सम्मार्ग पर रखने के लिए दण्ड के भय की कोई आवश्यकता न होती। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अपराध तथा अन्याय को रोकने के लिए और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए कानून एक शुभ तथा सदाचार पूर्ण जीवन की आवश्यक दर्ता हैं; वे मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देते हैं। कानूनों मे समाज का सामूहिक प्रज्ञान, उसकी शुभा-शुभ, तथा न्याय और अन्याय की धारणाये निहित होती हैं। कानून के भय को प्रज्ञान का प्रारंभ कहा जाता है। इस प्रकार, अरस्तु कानून को नागरिक तथा नैतिक जीवन का एक अभिन्न अंग मानता है। वह इसे निलिप्त विवेक प्रज्ञा (Passionless Reason) कह कर पुकारता है। मनुष्य को कानून के रूप मे विवेक की वारणी सुनने के लिए बाध्य किया जा सकता है क्योंकि इसके पीछे बल होता है।

कदाचित् यह कहा जा सकता है कि अफलातून की धारणा के दार्शनिक-राजा के सहज एक निरंकुश शासक कानून की सहायता के बिना ही नागरिकों को अनुशासित कर सकता है। इस का उत्तर अरस्तु यह देगा कि राजा को न्याय का सरक्षक होना

चाहिये, और उसे न्यायपूर्ण कानून के एक यन्त्र के रूप में कार्य करना चाहिए। अतः एक अच्छे शासन के लिए न्याय-रक्षक की अपेक्षा कानून अधिक महत्वपूर्ण है। इस के अतिरिक्त, उसका एक तर्क यह है कि कानून को भ्रष्ट करने की अपेक्षा एक राजा को भ्रष्ट करना कही अधिक सुगम है। अतः सर्वोत्तम राजा की अपेक्षा सर्वोत्तम कानून के द्वारा शासित होना कही अधिक अच्छा है। कानून को इतनी सुगमता से भ्रष्ट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बासना रहित होता है; क्योंकि वह निर्लिप्त विवेक होता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि प्रशासन पर किसी भी मानवीय विकार का प्रभाव न पड़े तो हमें कानून को सर्वोपरि और शासक को उसके अधीन बनाना पड़ेगा। ‘कानून की निर्लिप्त शक्ति मजिस्ट्रेट का स्थान तो नहीं ले सकती; किन्तु वह मजिस्ट्रेट के अधिकार को एक नैतिक गुण आवश्यक प्रदान करती है जो उसमें अन्यथा नहीं हो सकता।’^५ अरस्तु कानून को मानव को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक समझता है। इसके हृदय में यह विचार अफलातून की इस बात से आया कि ‘एक मनुष्य, यदि वह पूर्ण हो तो सर्वथेष्ठ प्राणी है; किन्तु यदि वह कानून और न्याय रहित है तो वह निष्प्रतम हो उठता है।’ कानून के अधीन होने से मनुष्य पूर्ण हो जाता है क्योंकि कानून युगों के संचित अनुभव तथा बुद्धिमत्ता का साकार रूप है। सामाजिक बुद्धिमत्ता का बढ़ता हुआ संग्रह कानून और परम्परा में निहित है।^६ अन्तिम बात यह कि कानून विहित शासन निरकुश शासन की अपेक्षा इसलिये भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें प्रजा के सम्मान की जो रक्षा हो सकती है वह निरकुश शासन में कदापि नहीं ही सकती। वैधानिक शासक का शासन शासित की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, शक्ति के ऊपर नहीं। अफलातून द्वारा ‘रिपब्लिक’ में अकित आदर्श राज्य तथा ‘लॉज’ में निरूपित उपादर्श राज्य की आलोचनात्मक समीक्षा करने के बाद अरस्तु फेलीज (Phaleas) तथा हिपोडेमस (Hippodamus) के आदर्श राज्यों को लेता है और फिर उस समय के सर्वथेष्ठ राज्य स्पार्टा, क्रीट तथा कार्थेज का वर्णन करता है। इन सब का वर्णन यहाँ करना आवश्यक नहीं। अब हम ‘पॉलिटिक्स’ के तीसरे प्रकरण पर आते हैं जिसमें अरस्तु ने नागरिक जीवन के कुछ बैन्ड्रीय तथा बुनियादी सिद्धान्तों का निरूपण किया है, जैसे कि नागरिकता का स्वरूप तथा अर्थ, विधानों का वर्गीकरण, सरकार के रूप।

नागरिकता (Citizenship)—प्रथम प्रकरण में अरस्तु ने राज्य को समुदायों का समुदाय और परिवारों तथा ग्रामी का संघ बताया है, किन्तु तीसरे प्रकरण में उसके विचारों में कुछ परिवर्तन हो गया है और उसमें उसने राज्य को एक कुनोनिया (Koinonia) अर्थात् स्वतन्त्र मनुष्यों का एक समुदाय और उसके संविधान को उसके

* “The passionless authority of law does not take the place of a magistrate, but it gives to the magistrate's authority a moral quality which it could not otherwise have.”

—Sabine: *History of Political Theory*, page 94—5.

† “The growing stock of social intelligence is embedded in law and custom.” *Ibid*, page 95.

निवासियों की एक निश्चिन व्यवस्था बनाया है। पहिनी परिभाषा में राज्य के निर्मायक अग्र अन्य समुदाय, ग्राम तथा परिवार है, परन्तु दूसरी परिभाषा में व्यक्ति है। इस लिये यह प्रश्न उठता है : नागरिक कौन है और इस शब्द का क्या अर्थ है ?

अरस्तु का कहना है कि एक राज्य में रहने भर में ही कोई व्यक्ति उसका नागरिक नहीं बन जाता , विदेशी और दाम भी नागरिकों के साथ-साथ एक राज्य में रहते हैं किन्तु वे नागरिक नहीं समझे जाते । और न देश में गरका तथा न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी के उपभोग से ही कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है क्योंकि ये अधिकार भी किभी राज्य में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं । और यदि हम यह कहे कि नागरिक वह व्यक्ति है जिसके माता-पिता नागरिक हैं तो भी यह समस्या हल नहीं होती क्योंकि इसमें यह प्रश्न केवल एक कदम और पीछे हट जाता है, इसका समाधान नहीं हो जाता और यह प्रश्न उठ खड़ा होता है : वह क्या चीज है जो माता-पिता को नागरिक बनाती है । सारांश यह कि नागरिकता की परिभाषा निवास-स्थान, कानूनी अधिकार, अथवा जन्म के आधार पर नहीं की जा सकती ; इसका आधार कर्म होना चाहिये ।

अरस्तु के अनुसार जो बात एक नागरिक और अनागरिक में स्पष्ट भेद करती है वह है नागरिक का न्यायिक (Judicial) शक्ति तथा सार्वजनिक पदों में भाग लेना । एक न्यायालय में न्यायाधीश अथवा जूरर (Juror) के रूप में कार्य करके एक व्यक्ति राज्य के न्यायिक कार्यों में भाग लेता है । जनप्रिय सभा की सदस्यता वह सार्वजनिक पद है जिसके प्राप्त होने में एक व्यक्ति नागरिक हो जाता है । इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझने के लिये हमें याद रखना चाहिये कि ऐथन्स में न्याय-प्रशासन आधुनिक राज्यों में पाई जाने वाली न्याय-प्रणाली से कही भिन्न था । वहाँ थोड़ी-थोड़ी प्रबंधि के लिये न्यायाधीशों और जूरसं को नम्बरवार चुना जाता था और प्रत्येक नागरिक को यह पद प्राप्त हो सकता था । जनप्रिय सभा समस्त नागरिकों को मिलाकर बनती थी जो कानून बनाने तथा नीति निर्माण करने के लिए एक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य सम्बेद होती थी । ऐथन्स में वह सर्वोच्च सत्ता होती थी । सभा के सदस्य के नाते प्रत्येक ऐथन्स निवासी राजसत्ता अथवा सर्वोच्च शक्ति में भाग लेता था । इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु के लिए नागरिकता का अर्थ केवल विधायकों के चुनाव और कार्य-पालिका की शक्ति में भाग लेने तक ही सीमित न था जैसा आज वह हमारे लिये है बल्कि वह नीति-निर्धारण तथा न्यायिक कार्यों में भाग लेना था जिनमें राजसत्ता की अभिव्यजना होती है । नागरिकता राजसत्ता के उपभोग में भाग लेना है ।

इस परिभाषा से भी कठिनाई पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाती । एक महत्व-पूर्ण प्रश्न का उत्तर देना अभी रह जाता है और वह यह है : सर्वोच्च नीति निधारक तथा न्यायिक कार्यों में किसे भाग लेने का अधिकार होना चाहिये ? विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिये गये हैं । वर्गतन्त्रों में यह

अधिकार कुछ मुश्तीभर व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है ; जनतन्त्र में अधिक व्यक्तियों की यह अधिकार दिया जाता है किन्तु ममस्त नागरिकों को नहीं। यूनान में किसी भी राज्य में विदेशियों, दासों, स्त्रियों तथा बच्चों को नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं किये गये। यूनानी नागरिकता आधुनिक नागरिकता की अपेक्षा कही राकृचित थी। अरस्तु ने हाथ में काम करने वाले तथा शारीरिक मेंदा करने वाले श्रमिकों को भी नागरिकता के दोष से बाहर कर दिया है। अरस्तु ने इन विभिन्न वर्गों को नागरिकता की परिधि में वर्षों बाहर रखका और व्यवहारत उसे परिवार के मुखिया तक ही वर्षों सीमित कर दिया ? इस प्रश्न के उत्तर से अरस्तु की नागरिकता की धारणा पर बड़ा भारी प्रकाश पड़ता है।

अरस्तु का कहना है कि नीति निर्धारिक तथा न्यायिक कार्यों में भाग लेने के लिए एक ऊंचे नीतिक और दौद्धिक स्तर की आवश्यकता है ; इसे हम व्यवहारिक बुद्धि या व्यवहार धर्म कह सकते हैं। जाहिर है कि यह गुण राज्य के प्रत्येक निवासी में नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त इसे प्राप्त करने के लिए अवकाश की आवश्यकता है। स्त्रियों, बच्चों, दासों, मिस्त्रियों तथा हाथ में कार्य करने वाले मजदूरों में यह गुण नहीं पाया जाता। प्राचीन यूनान में ग्रन्तिम वर्गों को दीन और पराधीन समझा जाता था ; उनकी स्थिति हमारे देश के शूद्रों में मिलती जुलती थी। ये और विदेशी यूनान के राज्यों में मताधिकार से विचित थे। अरस्तु ने चुपचाप इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और उसे अपने सिद्धान्त का आधार बना लिया। आधुनिक बाल से, जिसमें प्रत्येक वयस्क को जाति-सांति, ऊच-नीति, लिंग, अमीर गरीब के भेद के बिना मताधिकार प्राप्त है, वह कितना भिन्न था। यफलातून और अरस्तु ने श्रमिकों को नागरिकता से घर्षित करके उसे केवल समाज के उच्च वर्गों तक ही सीमित रखता और पूर्वोक्त को उन्होंने बलिदान कर दिया ताकि उत्तरोक्त अपने व्यक्तिका पूर्ण विकास कर सकें। इस प्रकार उन्होंने समाज के बड़े भाग को नागरिकता से प्राप्त होने वाले उन्नति के अवमरो से विचित कर दिया। आधुनिक राज्यों में प्रत्येक नागरिक को नागरिकता का अधिकार है और इसलिये प्रत्येक को उन्नति का अवमर मिलता है। 'बहुजनसुलभ नागरिकता का नीचा आदर्श अफलातून और अरस्तु के उस भव्य आदर्श से कही अधिक मूल्यवान है जो मुझी भर लोग ही प्राप्त कर सकते हैं'।*

अफलातून और अरस्तु दोनों ने नागरिकता के आदर्श को इतना ऊंचा इसलिए रखवा दियो कि वे शासक बनने के लिये धर्म की श्रेष्ठता को सब से अधिक आवश्यक समझते थे। नीतिक जीवन व्यतीत करने के लिए अवकाश की आवश्यकता है और

* "A lower ideal of citizenship, purchasable at a price which the many can afford to pay, is perhaps a more precious thing than the rare riches of the Platonic and Aristotelian ideal."

शारीरिक थम या सेवा करने वाले वर्गों को अवकाश नहीं मिलता, इसलिए इन दोनों दार्शनिकों ने इन वर्गों को नागरिकता से वचित कर दिया। यहां यह देखना आवश्यक है कि अरस्तु का अवकाश (Leisure) से वया अभिप्राय था।

आजकल अवकाश का अर्थ हम उस समय से समझते हैं जिसमें हम मनोरंजन करने के लिए स्वतन्त्र हो, यह वह समय है जिसमें साधारण दिनचर्या को रोक कर छुट्टी मनाई जाती है। पाठशालाओं में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को अवकाश के क्षण प्राप्त होते हैं; कार्यालयों तथा न्यायालयों में भोजन तथा विश्राम के लिये मध्यान्तर या अवकाश होता है। अरस्तु का अर्थ अवकाश से यह नहीं था। इसके लिए अवकाश आराम नहीं वह कार्य का ही एक रूप था। उसने क्रियाओं के दो भेद किये हैं। कुछ कार्य दूसरे कार्यों के साधनमात्र होते हैं, जैसे कि एक खेत को जोतना, कपड़े सीना, सोने चांदी की खान में कार्य करना। ऐसे कार्य को लक्ष्य रूप में कोई नहीं करता। ऐसे कार्यों को लाभदायक या आवश्यक समझा जा सकता है। इसके विपरीत कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हे मनुष्य केवल उन्हे करने के लिये ही करता है, अर्थात् उन्हे लक्ष्य मानता है जैसे कि ज्ञानप्राप्ति, काव्य-रचना, चित्रकारी तथा नृत्य। जीवन के सर्वोत्कृष्ट मूल्यों सत्य, सुन्दर तथा शिवं की प्राप्ति का प्रयत्न करना भी इसी प्रकार का कार्य है। अरस्तु ऐसे कार्य को अवकाश कहता था। “जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक तथा भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश है उनके अतिरिक्त लगभग सभी क्रियाएं अवकाश के अन्तर्गत आती हैं। शासन करने की राजनीतिक क्रिया, सार्वजनिक सेवा; युद्ध करना जिसमें साहस के गुण का प्रस्फुटन होता है; अपने साथी नागरिकों के साथ सामाजिक सम्बन्धों का निर्वाह करना जिसके लिये मन्यम, उदारता, विशालहृदयता तथा साहचर्य के गुण आवश्यक हैं; खेल-कूद, नाट्य-कला, और धार्मिक कृत्यों में भाग लेना अन्त में विज्ञान तथा दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न करना इसमें सम्मिलित है।”* जाहिर है कि जिस व्यक्ति को अपना सारा समय और सारी शक्ति अपनी आजीविका कमाने में लगानी पड़ती है उसे उपरोक्त कार्य करने का अवसर नहीं मिल सकता और इसीलिये अरस्तु ऐसे व्यक्तियों को शासन के अधोग्य समझता है।

हमें अरस्तु की बात समझते में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हम अवकाश शब्द का भिन्न अर्थ लगाते हैं। हम अपने अवकाश का कोई गम्भीर प्रयोग नहीं करते; वह हमारे लिए मनोरंजन है, कार्य का ही एक रूप नहीं जैसा कि अरस्तु के लिए है।

सिद्धान्त में तो अफलातून और अरस्तु की नागरिकता सम्बन्धी धारणाओं में काफी अन्तर दिखाई पड़ता है; परन्तु व्यवहार में लगभग कोई अन्तर नहीं है। अफलातूनी राज्य में अभिभावक तथा शासक-वर्गों की भाँति उत्पादक-वर्ग के लोग भी नागरिक हैं; वे राज्य का एक अभिन्न अङ्ग हैं। परन्तु अरस्तु हाय में श्रम करने वालों को

* Foster : op. cit., page 174.

निश्चित स्वप्न से नागरिकों की थ्रेणी से अलग रखता है। यहाँ तक अफलातून अरस्तु से अधिक प्रगतिशील दिखाई पड़ता है। परन्तु वास्तविक व्यवहार में अफलातून भी उन्हें शासन कार्य में कोई भाग लेने से अलग रखता है, वह और अरस्तु, ये दोनों ही विचारक उन्हें सेवाजीबी-वर्ग समझते हैं जिनका कर्तव्य उच्च वर्गों को अवकाश देना है। ये वे लोग हैं जिनके ऊपर उच्च वर्ग के लोग निर्भर करते हैं; किन्तु जिनके ऊपर वे शासन करते हैं। सारांश यह कि वे राज्य के लिए जीवित हैं; किन्तु वे राज्य के अभिन्न अङ्ग नहीं हैं, अर्थात् राज्य में उत्तर कोई भाग नहीं है। इस प्रणग में यह बात याद रखने की है कि शिल्पकारों को राज्य कार्य से अनग रखना अरस्तु के जैविक सिद्धान्त से ताल नहीं खाता। और नगर राज्य में जनसंख्या छोटी होने के कारण प्रत्येक वर्ग के लिए शासन कार्य में भाग लेना सम्भव था और यह नगर का एक मुख्य लाभ था; किन्तु शिल्पकला, उद्योग, व्यापार में लगे हुए वर्गों को राजनीतिक कार्यों से अलग रखना उस लाभ को नष्ट करना है।

संविधान का अर्थ—यह पहिले ही कहा जा चुका है कि अगस्तु के अनुमार नागरिकता का अर्थ राजसत्ता में भाग लेना अर्थात् राज्य के नीति-निधिरक और न्यायिक कार्यों में भाग लेना है। इन कार्यों में भाग लेने का अधिकार किसी मिलना चाहिए। इस प्रदेश का उत्तर किसी भी राज्य का संविधान देता है जो कि प्रत्येक राज्य का भिन्न-भिन्न होता है। इसलिए अरस्तु संविधान की विवेचना करता है।

अरस्तु ने संविधान की परिभाषा यह दी है कि संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद विशेष कर, सर्वोच्च पद किसे मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान ही राज्य को बनाता है और शासक-वर्ग का स्वरूप संविधान के स्वरूप को निर्धारित करता है। इस हृष्टिकोण के अनुसार राज्य और संविधान एक ही बात है; यदि किसी राज्य के संविधान में परिवर्तन हो जाये तो उस राज्य में परिवर्तन हो जाता है। इसमें यह बात भी निहित है कि राज्य और दल एक बात है। यदि कोई नया दल शक्ति प्राप्त कर लेता है और संविधान को बदल देता है, तो राज्य भी बदल जाता है। राज्य और संविधान में ऐसी अनुरूपता देखकर आधुनिक पाठक चक्कर में पड़ जाता है। यह कहना कि किसी राज्य के संविधान में परिवर्तन होने से उस राज्य में भी परिवर्तन हो जाता है एकदम गलत दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि उसकी हृष्टि में संविधान का उनका व्यापक महत्व नहीं है जितना कि अरस्तु उसे देता है। अरस्तु के लिए संविधान राज्य का एक अंग, उसके हाँचे का एक कानूनी आधारमान नहीं है; वह स्वप्न राज्य है, वह सम्मुर्द्ध राष्ट्रीय जीवन की अभिव्यजना है। यह वह घेयम है जिसकी प्राप्ति के लिए नागरिकों ने अपने आपको एक राज्य के स्वप्न में संगठित किया है। भूनानियों के लिए संविधान में परिवर्तन हो जाने का अर्थ केवल पदध्यवस्था में हैर-फेर हो जाना नहीं था बल्कि वह जनता के नैतिक, गामाजिक और आर्थिक मूल्यों का पलट जाना था; वह एक तरह की क्रान्ति थी। इस तथा चीन में राज्यवाचित

साम्यवादियों के हाथ में आ जाने में जो बुद्ध हुआ वह अरस्तु के अर्थ का जीता जागता उदारहण है। इन देशों में संविधान परिवर्तन का अर्थ राज्य परिवर्तन हुआ।

अरस्तु के इम कथन को कि संविधान में परिवर्तन का अर्थ राज्य परिवर्तन है हमें यूनान के इतिहास के प्रकाश में परखना चाहिए। लगभग प्रत्येक नगर राज्य में वर्गत्रियों तथा जनत्रियों में एक कटु संघर्ष रहता था; उनमें में एक दल की विजय का अर्थ केवल यह नहीं होता था कि उसके नेता सरकार घनालें विक्ति उससे इम बात का निराश होता था कि राज्य की भर्वोच्च शास्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में रहे या भवं-माधारण के हाथ में। जनत्रियों की विजय का अर्थ था कि राज्य में प्रभुता एक मायाजिक-वर्ग की होगी और वर्ग-न्त्रियों की विजय का मतलब था कि एक दूसरा वर्ग राज्य में प्रधान होगा। एक आधुनिक राज्य में संविधान दलगत संघर्ष में ऊपर होता है; यूनानियों के लिए यह संघर्ष विन्दु था। हम अरस्तु के अभिप्राय को अधिक अच्छी तरह से समझ सकें यदि हम यह याद रखतें कि उसके लिए राजनीति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि राज्य की भर्वोच्च शासित जिस सामाजिक वर्ग के हाथ में है उसका स्वरूप बया है।

संविधानों का वर्गीकरण—अब अरस्तु संविधानों के वर्गीकरण पर आता है और उनके लक्ष्य के अनुमार उन्हें मुख्य रूप से दो बर्गों में विभक्त करता है। राज्य का मच्चा ध्येय एक शुभ जीवन की प्राप्ति है; समस्त समाज के लिए भी और अलग-अलग प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी। यही वह सामान्य हित है जो समाज के समस्त मदस्यों को एक सूत्र में प्रथित करता है। जो शक्ति इम हित की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाती है वही न्यायेचित शक्ति है। जिम संविधान या सरकार का ध्येय भमाज के इस सामान्य हित की प्राप्ति है वह अच्छी है और जिसका उद्देश्य केवल शासकों की हित पूर्ति है वह भ्रष्ट है। इम प्रकार सरकार के उद्देश्य के आधार पर मंविधानों को साधारण तथा भ्रष्ट, दो रूपों में विभक्त किया गया है। भ्रष्ट संविधान आदर्श से गिरे हुए है; उनमें राज्य के स्वाभाविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। परन्तु यथार्थ राज्यों का वर्णन करते हुए अरस्तु इम परिणाम पर पहुँचता है कि कोई भी वास्तविक राज्य पूर्ण रूप में सामान्य हित को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रत्येक संविधान का अच्छा या बुरा होना मापेक्षिक है। फिर भी आदर्श से तनिक हटते ही हम किसी संविधान को भ्रष्ट नहीं कह सकते जब तक कि शासक-वर्ग द्वारा समाज का शोषण उसका मुख्य ध्येय न हो जाये। इसलिए यह वर्गीकरण व्यर्थ नहीं है। यद्यपि यह वर्गीकरण अफलातून के वर्गीकरण [(१) बुद्ध द्वारा शासन और इसीलिये लचकदार, और (२) कानून द्वारा शासन और इसीलिए जटिल है] से भिन्न है, फिर अरस्तु के ऊपर उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। अच्छे बुरे मंविधान के अन्तर तथा विभिन्न प्रकार के राज्यों में न्याय के विभिन्न स्वरूपों की अरस्तु द्वारा विवेचना से यह स्पष्ट है कि वह अफलातून का कितना अदृशी है।

साधारण तथा भ्रष्ट, इन दो मुख्य वर्गों के अन्तर्गत यूनानी परम्परा के अनुमार शासन-प्रणालियों को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है। इस वर्गीकरण का आधार शासक-वर्ग की संस्था है। साधारण अथवा अच्छी सरकार में शासन सत्ता यदि एक व्यक्ति के हाथ में है तो वह राजतन्त्र है, यदि कुछ व्यक्तियों के हाथ में है तो वह कुलीनतन्त्र है और यदि बहुतों के हाथ में है तो वह पीलिटी है। एक भ्रष्ट सरकार में ये सीन हृप क्रमशः आनतायीयन्त्र, वर्गतन्त्र तथा जनतन्त्र हो जाते हैं।

यूनान में इस प्रचलित वर्गीकरण को तो अरस्तु ने स्वीकार किया है, परन्तु उसके सम्यावाचक आधार को वह नहीं मानता। उम्मा कहता है कि सविधानों और सरकारों का वर्गीकरण का आधार शासक-वर्ग का चरित्र होना चाहिए न कि केवल उसकी संस्था। “वर्गतन्त्रों में शासन सत्ता का कुछ थोड़े से हाथों में होना और जनतन्त्रों में बहुत से हाथों में आना इस बात का परिणाम है कि सारे संसार में अमीर थोड़े और गरीब अधिक होते हैं। जनतन्त्र और वर्गतन्त्र की वास्तविक विशेषतायें गरीबी और अमीरी हैं।”⁴⁸ सारांश यह है कि अरस्तु के अनुमार वर्गतन्त्र अमीर का शासन है जनतन्त्र गरीब का। सम्यावाचक भेद केवल चिन्ह है, मूल नहीं। शासक-वर्ग के रूपरूप के दृष्टिकोण से जनतन्त्र में शासन मध्यवर्ग द्वारा होता है। इस प्रकार जनसंस्था का अमीर, गरीब तथा मध्यवर्ग में विभाजन अरस्तु के सविधानों तथा सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। सामाज्यतया आधुनिक लेखक अरस्तु के इस विचार को ठुकराते हैं कि जनतन्त्र गरीबों का शासन है जिनकी संस्था अधिक होती है। जनता समृद्धिशाली हो सकती है जैसा कि अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में है। इसकी विशेषता इस बात में है कि इसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को जिसमें कोई और अयोग्यता न हो सरकार के कार्य में वरावर भाग लेने का अधिकार होता है। इसमें प्रत्येक गिनती में एक गिना जाता है और कोई भी एक से अधिक नहीं। मैकल्वेन (McLlvain) के अनुसार अरस्तु की यह धारणा कि वर्गतन्त्र और जनतन्त्र का अन्तर गुणात्मक है, केवल संस्थात्मक या मात्रात्मक नहीं, उसे अफनातून से विरासत में मिली है।

शक्ति के लिए परस्पर विरोधी दावे—राज्यों में अन्तर का आधार शासक-वर्ग का स्वरूप ही नहीं होता, बल्कि प्रत्येक राज्य में पदों तथा अधिकारों के वितरण का सिद्धान्त भी होता है। अरस्तु इसे वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice) का सिद्धान्त कहकर पुकारता है। एक नामान्य तथा अमृत रूप में इस सिद्धान्त को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। ‘क’, ‘ख’, तथा ‘ग’ अपनी व्यक्तिगत सेवा तथा व्यक्तिगत गुण के द्वारा राज्य के कल्याण में अपना योगदान देते हैं। इसलिए

* “The small or large number of the class supreme in a state is only an accident of oligarchies on the one hand, and democracies on the other, owing to the fact that the rich are few and the poor numerous all the world over. The really distinctive characteristics of democracy and oligarchy are wealth.”

राज्य की ओर से उन्हे दिया जाने वाला पद तथा मम्मान भी उनके योगदान के अनुपात में होना चाहिए। यदि उनका व्यक्तिगत योगदान समान है, तो उन्हे समान मात्रा में पुरस्कार मिलना चाहिये; और यदि उनका योगदान असमान है, तो उनका पुरस्कार भी असमान ही होना चाहिये। 'क' के योगदान तथा पुरस्कार के बीच अनुपात वही होना चाहिये जो कि 'ख' के योगदान तथा पुरस्कार के बीच है। उबल वितरणात्मक सिद्धान्त के आचित्य को सामान्य रूप से तो यभी लोग स्वीकार कर सकें, परन्तु व्यक्तिगत गुण तथा राज्य के कल्याण में योगदान के मापदण्ड के प्रश्न पर अवश्य ही भत्तेद उत्पन्न होगा। कुलीनतत्त्ववादियों की धारणा है कि सदाचारी व्यक्ति अपने सदाचार द्वारा राज्य की भलाई में सबसे अधिक योग देते हैं इसलिए पद तथा शक्ति सदाचारी व्यक्तियों को ही मिलनी चाहिये। इसके विपरीत धनिकतत्त्ववादियों (Oligarchs) का दावा यह है कि व्यक्ति ही राज्य को सबसे अधिक देन देते हैं और इसलिए उन्होंने अधिकतम भाग उन्हें ही दिया जाना चाहिए। लोकतत्त्ववादी स्वतन्त्र जन्म के दावे को सदाचार तथा धन के दावे से ऊँचा रखते हैं और इसलिए स्वतन्त्र जन्म अथवा समानता को वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त मानते हैं। न्याय के इस सिद्धान्त के आधार पर किसी सरकार को उत्कृष्ट या निष्कृष्ट समझा जा सकता है। सर्वोच्च सदाचार का पालन करने के कारण राजतत्त्व सर्वोत्कृष्ट है; अपने उच्च सदाचार के कारण कुलीनतत्त्व का नम्बर दूसरा है। अपने साधारण अथवा सैनिक सदाचार के कारण 'पोलिटी' (Polity) का तीसरा नम्बर है। भ्रष्ट संविधानों में सामाजिक समता के सिद्धान्त पर आधारित जनतत्त्र सर्वश्रेष्ठ है, और जहाँ तक उसका आधार धन है धनिक तंत्र का नम्बर दूसरा है; और भ्राततायी-तंत्र ('tyranny') निकृष्टतम है क्योंकि उसका आधार छल, कपट और धोखा है।

अरस्तु के ग्राविर्भव तक रागभग सभी यूनानी नगर-राज्यों ने एक ने एक प्रकार का जनतंत्र या वर्गतंत्र अपना लिया था और जनतत्त्ववादी तथा वर्गतत्त्ववादी अपने-अपने न्याय के सिद्धान्तों का समर्थन करते थे, इसलिए सरकार के इन दो रूपों की अरस्तु द्वारा विवेचना शक्ति के लिए परस्पर विरोधी दावों के गुण-दोषों का एक तुलनात्मक अध्ययन है।

कुलीनतत्त्ववादी, जनतत्त्ववादी तथा धनतत्त्ववादी, सभी लोग इस बात से एकमत है कि सविधान न्याय के ऊपर आधारित होना चाहिये; परन्तु उन सबकी न्याय की धारणाएँ अलग-अलग हैं। वे सब इस बात को भी मानते हैं कि न्याय का अर्थ समान व्यक्तियों के लिए समस्ता और असमता है। धनतत्त्ववादियों का विचार है कि क्योंकि वे धन में दूसरों से अधिक हैं, इसलिए वे सभी दूसरी बातों में दूसरे से अधिक हैं। इसीलिए वे दावा करते हैं कि राज्य में उनका भाग उनकी सम्पत्ति के अनुपात से होना चाहिए। इसके विपरीत अरस्तु का कहना है कि धन वे महत्व धन का शक्ति पर निरपेक्ष दावा नहीं है; राज्य कोई व्यापार करपती या धन की समेश्वरी नहीं है। परन्तु सम्पत्ति के दावे को वह सर्वथा निर्भूल नहीं समझता;

अरस्तु—राजनीतिक आदर्श

मम्पत्ति के कुछ नेतृत्व परिणाम होते हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। मम्पत्ति सद्गिर्दा, सद्मगति तथा अवकाश को देने वाली है और इन चीजों का राजनीतिक शक्ति के ऊपर काफी बड़ा दावा है।

इसके विपरीत जनतन्त्रवादी स्वतन्त्र जन्म तथा समानता के आधार पर अपना दावा जताते हैं। उनका तर्क यह है कि स्वतन्त्र नागरिक होने के नाते वे मव समान हैं, इसलिये उन सबके राजनीतिक अधिकार भी समान होने चाहिये। उनकी दलील यह है कि न्याय समानता में निहित है और समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक को एक गिना जाये और किसी को भी एक से अधिक न गिना जाये अर्थात् जहाँ तक नासन कार्य का मम्बन्ध है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का समान भाग होना चाहिये चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब। धन की तरह स्वतन्त्र जन्म के अधिकार को भी अरस्तु निरपेक्ष नहीं समझता; परन्तु पूर्ण रूप से उसे ठुरुराता भी नहीं। शासन की नीति के राजनीतिक परिगामों को जाचने के लिए जनता के मत को महत्व मिलना चाहिये। एक संतुलित यथार्थवादी होने के नाते अरस्तु जनमत की शक्ति का उचित सम्मान करता है। इस प्रकार अरस्तु शासन पद तथा अधिकार के वितरण के आधार के रूप में धन तथा स्वतन्त्र जन्म के मूल्य को न तो पूर्णतया स्वीकार करता है और न पूर्णतया उससे इकार करता है।

उसका कथन है कि राज्य के पदों की राज्य के प्रति की हुई भेवाओं का पुरस्कार नहीं समझना चाहिये; वे तो राज्य के घ्येय की पूर्ति तथा उसके कार्यों में योग देने के लिए साधनमात्र हैं। राज्य एक शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए बनाया गया समुदाय है; इसलिये जो लोग शुभ जीवन में अधिक योग देते हैं और जो नेतृत्व हृष्टि से श्रेष्ठतर हैं उनका राजनीतिक शक्ति में उन लोगों की अपेक्षा अधिक भाग होना चाहिये जो अधिक धनाद्य या यो स्वतन्त्र जन्म के कारण समान है किन्तु जो धर्म की दृष्टि से हीन है। सारांश यह कि अरस्तु धन तथा स्वतन्त्र जन्म की शक्ति का सापेक्षिक अधिकार तो देता है किन्तु उनके निरपेक्ष अधिकार को स्वीकार नहीं करता। शासन करने का निरपेक्ष अधिकार तो केवल धर्म का है।

धर्म द्वारा शासन के सिद्धांत से समस्या का हल नहीं हो पाता। यह प्रश्न किर भी बना रहता है कि राज्य की सार्वभौम शक्ति किस व्यक्ति या व्यक्तिसमूह में रहनी चाहिये? सर्वोच्च शक्ति जन-साधारण के हाथ में हो, या धनिकों, श्रेष्ठतर नागरिकों के हाथ में हो या सर्वथेष्ठ भनुष्य के हाथ में हो? अरस्तु का कहना है कि उपरोक्त भी विकल्पों की अपनी-अपनी कठिनाइया हैं; यह सिद्धांत भी कि राज्य में सर्वोपरि कानून होना चाहिये, कोई व्यक्ति समूह नहीं, आपत्तियों से खाली नहीं है। परन्तु अच्छी तरह में सोच-विचार के बाद वह इस विचार की ओर भुकता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में रहनी चाहिये। अपने ग्रथ 'पॉलिटिक्स' में वह लिखता है: "यही सिद्धांत मानने योग्य है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिये, कुछ थोड़े से सर्वोत्तम व्यक्तियों के हाथ में नहीं। यह सिद्धांत मयपि आपत्तियों में खाली नहीं है, किर भी इसमें मत्य का एक अंश मौजूद है।"

राज्य की ओर से उन्हें दिया जाने वाला पद तथा ममान भी उनके योगदान के अनुपात में होना चाहिए। यदि उनका व्यविनगत योगदान ममान है, तो उन्हें सभान मात्रा में पुरस्कार मिलना चाहिये; और यदि उनका योगदान अममान है, तो उनका पुरस्कार भी अममान ही होना चाहिये। 'क' के योगदान तथा पुरस्कार देने वीच अनुपात वही होना चाहिये जो कि 'ख' के योगदान तथा पुरस्कार के बीच है। उन वितरणात्मक सिद्धान्त के आचित्य को सामान्य न्याय से तो सभी लोग स्वीकार कर लेंगे, परन्तु व्यक्तिगत गुण तथा राज्य के कल्याण में योगदान के मापदण्ड के प्रश्न पर अवश्य ही मतभेद उत्पन्न होगा। कुलीनतत्त्वादियों की धारणा है कि मदाचारी व्यक्ति अपने सदाचार द्वारा राज्य की भलाई में मवसे अधिक योग देते हैं इसलिए पद तथा शक्ति सदाचारी व्यक्तियों को ही मिलनी चाहिये। इसके विपरीत धनतंत्रवादियों (Oligarchs) का दावा यह है कि व्यक्ति ही राज्य को मवसे अधिक देने देते हैं और इसलिए पदों तथा शक्ति का अधिकतम भाग उन्हें ही दिया जाना चाहिए। लोकतंत्रवादी स्वतंत्र जन्म के दावे को मदाचार तथा धन के दावे में ऊँचा रखते हैं और इसलिए स्वतंत्र जन्म अथवा ममानता को वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त मानते हैं। न्याय के इस सिद्धान्त के आधार पर विमी भरकार को उत्कृष्ट या निष्कृष्ट समझा जा सकता है। सर्वोच्च मदाचार का पालन करने के कारण राजतंत्र सर्वोत्कृष्ट है; अपने उच्च सदाचार के कारण कुलीनतत्र का नम्बर दूसरा है। अपने साधारण अथवा सैनिक मदाचार के कारण 'पोलिटी' (Polity) का तीसरा नम्बर है। अब अधिकारों में सामाजिक समता के सिद्धान्त पर आधारित जनतंत्र सर्वश्रेष्ठ है; और जहाँ तक उनका आधार धन है धनिक लकड़ का नम्बर दूसरा है; और आततायी-तंत्र (Tyranny) निष्कृष्टतम् है क्योंकि उसका आधार छन, कपट और घोखा है।

अरस्तु के आविर्भाव तक लगभग सभी यूनानी नगर-राज्यों ने एक नए प्रकार का जनतंत्र या वर्गतंत्र अपना लिया था और जनतंत्रवादी तथा वर्गतंत्रवादी अपने-अपने न्याय के सिद्धान्तों का समर्थन करते थे, इसलिए सरकार के इन हो रहों की अरस्तु द्वारा विवेचना शक्ति के लिए परम्पर विरोधी दावों के गुण-दोषों का एक तुलनात्मक अध्ययन है।

कुलीनतत्रवादी, जनतंत्रवादी तथा धनतंत्रवादी, सभी लोग इस बात से एकमत हैं कि अंविधान न्याय के ऊपर आधारित होना चाहिये; परन्तु उन सबकी न्याय की धारणायें अलग-अलग हैं। वे मव इस बात को भी मानते हैं कि न्याय का अर्थ समान व्यक्तियों के लिए समता और असमान के लिए असमता है। धनतंत्रवादियों का विचार है कि क्योंकि वे धन में दूसरों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे सभी दूसरी बातों में दूसरों से श्रेष्ठ हैं। इसीलिए वे दावा करते हैं कि राज्य में उनका भाग उनकी सम्पत्ति के अनुपात से होना चाहिए। इसके विपरीत अरस्तु का कहना है कि धर्म के सहज धन का शक्ति पर निरपेक्ष दावा नहीं है; राज्य कोई व्यापार कम्पनी या धन की साफेदारी नहीं है। परन्तु सम्पत्ति के दावे को वह सर्वथा निर्मूल नहीं समझता;

अरस्तु—राजनीतिक आदर्श

मम्पति के कुछ नैतिक परिणाम होते हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। सम्पत्ति सदृशिका, सद्ममगति तथा अवकाश को देने वाली है और इन चीजों का राजनीतिक शक्ति के ऊपर काफी बड़ा दावा है।

इसके विपरीत जनतन्त्रवादी स्वतन्त्र जन्म तथा समानता के आधार पर अपना दावा जताते हैं। उनका तर्क यह है कि स्वतन्त्र नागरिक होने के नाते वे सब समान हैं, इसलिये उन सबके राजनीतिक अधिकार भी समान होने चाहिये। उनकी दलील यह है कि न्याय समानता में निहित है और समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक को एक गिना जाये और किसी को भी एक से अधिक न गिना जाये अर्थात् जहाँ तक शासन कार्य का भवन्न्य है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का समान भाग होना चाहिये चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब। धन की तरह स्वतन्त्र जन्म के अधिकार को भी अरस्तु निरपेक्ष नहीं समझता; परन्तु पूर्ण रूप से उसे ठुकराता भी नहीं। शासन की नीति के राजनीतिक परिणामों को जाचने के लिए जनता के मत को महत्व मिलना चाहिये। एक सतुरित यथार्थवादी होने के नाते अरस्तु जनमत की शक्ति का उचित सम्मान करना है। इस प्रकार अरस्तु शासन पद तथा अधिकार के वितरण के आधार के रूप में धन तथा स्वतन्त्र जन्म के मूल्य को न तो पूर्णतया स्वीकार करता है और न पूर्णतया उसमें इकार करता है।

उसका कथन है कि राज्य के पदों को राज्य के प्रति की हुई सेवाओं का पुरस्कार नहीं समझना चाहिये; वे तो राज्य के ध्येय की पूर्ति तथा उसके कार्यों में योग देते के लिए साधनमात्र हैं। राज्य एक शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए बनाया गया समुदाय है; इसलिये जो लोग शुभ जीवन में अधिक योग देते हैं और जो नैतिक हृष्टि से थ्रेष्ठतर है उनका राजनीतिक शक्ति में उन लोगों की अपेक्षा अधिक भाग होना चाहिये जो अधिक धनाद्य है या जो स्वतन्त्र जन्म के कारण समान है किन्तु जो धर्म की दृष्टि में हीन हैं। माराश यह कि अरस्तु धन तथा स्वतन्त्र जन्म को शक्ति का मापेक्षिक अधिकार तो देता है किन्तु उनके निरपेक्ष अधिकार को स्वीकार नहीं करता। शासन करने का निरपेक्ष अधिकार तो केवल धर्म का है।

धर्म द्वारा शासन के सिद्धात से समस्या का हल नहीं हो पाता। यह प्रश्न फिर भी बना रहता है कि राज्य की सार्वभीम शक्ति किस व्यक्ति या व्यक्तिमूल्य में रहनी चाहिये? सर्वोच्च शक्ति जन-साधारण के हाथ में हो, या धनिकों, थ्रेष्ठतर नागरिकों के हाथ में हो या सर्वथ्रेष्ठ मनुष्य के हाथ में हो? अरस्तु का कहना है कि उपरोक्त मध्ये विकल्पों की अपनी-अपनी कठिनाइयाँ हैं; यह सिद्धात भी कि राज्य में सर्वोपरि कानून होना चाहिये, कोई व्यक्ति समूह नहीं, आपत्तियों से खाली नहीं है। परन्तु अच्छी तरह से सोच-विचार के बाद वह इस विचार की ओर झुकता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में रहनी चाहिये। अपने ग्रंथ 'पॉलिटिक्स' में वह लिखता है: "यही मिद्दात मानने योग्य है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिये, कुछ थोड़े से सर्वोत्तम व्यक्तियों के हाथ में नहीं। यह मिद्दात यद्यपि आपत्तियों से खाली नहीं है, किर भी इसमें मत्य का एक अंश मौजूद है।"

अपने सिद्धांत के समर्थन में अरस्तु ने जो युक्तियाँ पेश की हैं उनका सारांश यह है कि राज्य की राजनीतिक शक्ति तथा पदों के वितरण के लिए नागरिकों के नियन्त्रण पर विचार करना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी मन्द्या पर भी ध्यान देना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति या किसी अल्पमत के समूह के सदस्य दूसरों की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से कहीं अधिक धर्मशील, अधिक बुद्धिमान् एवं धनाद्यम हैं तो इसका अर्थ यह कदाचि नहीं हो सकता कि वे समस्त समाज से थेप्टर हैं। उन व्यक्तियों का बहुमत, जो कि अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से अल्पमत से हीन हैं, सामूहिक रूप में उससे थेप्ट है क्योंकि उसके प्रत्येक मदस्य का पूरक दूसरे मदस्य में मिल जाता है और इस प्रकार वे अधिक पूर्णता को पहुँच सकते हैं। यदि अल्पमत की अपेक्षा बहुमत की राज्य को देन अधिक है तो राजनीतिक शक्ति में उसका भाग भी अधिक होना चाहिये। यह है जनप्रिय राजसत्ता के पक्ष में अरस्तु की दलील। इसका आधार यह है कि धर्म तथा बुद्धि का समूहीकरण किया जा सकता है, और जन-साधारण का मत, कम से कम कुछ मामलों में, थोड़े से बुद्धिमान् व्यक्तियों के मत की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। ये मान्यतायें काफी बड़ी हद तक सही हैं। ऐसा प्रायः होता है कि थोड़े से चतुर व्यक्तियों द्वारा तैयार की हुई योजना में दोष निकल आते हैं जब कि साधारण व्यक्तियों की महज बुद्धि का प्रकाश उस पर पड़ता है। जैसा कि प्रायः कहा जाता है, एक समिति अपने सबसे बुद्धिमान् मदस्य की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान् होती है।

इसके साथ ही साथ अरस्तु यह भी मानता है कि यह सिद्धान्त हर प्रकार के समाज में लागू नहीं हो सकता। यह पिछड़ी हुई जाति में या ऐसे स्थान पर जहाँ कि सर्व-साधारण पशुओं के समान है, लागू नहीं होता। यह केवल वही लागू हो सकता है जहाँ कि जनसाधारण में एक काफी ऊँचे दर्जे की बुद्धि और राजनीतिक चेतना हो।

अरस्तु एक और युक्ति भी देता है और वह यह कि राजनीतिक शक्ति से बहुमत को अलग रखने से जनसाधारण में जबर्दस्त अमन्तोष फैल जायेगा और वे राज्य के शत्रु हो उठेंगे।

अरस्तु के उपरोक्त सिद्धान्त और उसके पक्ष में ही दी हुई युक्तियों का क्या लापर्य है? यह हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये। अरस्तु का यह अभिप्राय कदाचि नहीं है कि जन-साधारण को राज्य के सर्वोच्च कार्यपालिक पदों पर प्रतिष्ठित करना चाहिये। अरस्तु मानता है कि ऐसे पद तो अमीरों को ही मिलने चाहियें जो कि सदृशिक्षा, ऊँचे कुल, मम्पति तथा अवकाश के आधार पर उनके लिए योग्य हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनके नीतिक महत्व को अवहेलना नहीं की जा सकती। जनसाधारण को वह केवल न्याय करने तथा नीति निर्धारित करने का अधिकार देने को तैयार है। जनता को न्यायाधीशों के जुनें, उनके कार्यकाल के अन्त में उनके व्यवहार की जांच करने तथा नीति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिये। ऐसे मामलों में

सर्वसाधारण जो कि विशेषज्ञों की सेवाओं को प्रयोग करते हैं उनकी अपेक्षा कही अधिक निर्णायिक होते हैं। जूता पहनने वाला ही तो यह जानता है कि वह किस जगह काटता है। यह सही है कि सर्व-साधारण सरकार की जटिलताओं और छोटी-मोटी तफसीलों को नहीं समझते, किन्तु वे मह अवश्य समझते हैं कि सरकार उनके हित में काम कर रही है या नहीं।

जनसाधारण का निर्णय खतरे से खाली नहीं, अरस्तु इस बात को जानता है। हो सकता है कि उनका दृष्टिकोण व्यापक न हो; वह संकीर्ण हितों से प्रभावित हो सकती है। फिर भी वह उनमें भरोसा रखता है और एक आदर्श कुलीनतन्त्र में विश्वास नहीं करता जैसा कि अफलातून करता था। उसे बहुजन में ही शुभ की आत्मा दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार वह एक ऐसा सुधारक है जो रुद्धिवादी है।

एक बात हमें और ध्यान में रखनी चाहिये और वह यह कि नागरिक जिनकी निरुद्योगता निर्वाचित बुद्धि में अरस्तु की आस्था थी, नगर-राज्य की कुल जनसत्त्वा का एक छोटा सा भाग थे। विदेशी, दास, कारीगर, व्यापारी, स्थिवा तथा बच्चे उनसे बाहर थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु जिस जनता द्वारा शासन का समर्थन करता है वह हमारी या आधुनिक धारणा से भिन्न है।

यह भी कहना मही नहीं होगा कि अरस्तु सार्वजनिक सार्वभौमिकता के सिद्धात का समर्थन करता है। सार्वभौमिकता एक आधुनिक विचार है; प्राचीन यूनान में यह नहीं था। वह सर्वसाधारण की प्रभुता का समर्थन करता है।

राजतन्त्र (Monarchy)—यद्यपि अरस्तु अल्पजन की अपेक्षा बहुजन के अधिकार का स्पष्ट रूप से समर्थक है, फिर भी एक स्थिति ऐसी भी है जिसमें बहुजन का दावा भी खाक में मिल जाता है। ऐसा तब होता है जबकि किसी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी व्यक्तिगत योग्यता के सामने और सबकी मामूलिक योग्यतायें हेच हों। ऐसे व्यक्ति का मानो जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है, इसलिये उसे शामन करना चाहिये; वह तो मनुष्यों के बीच में एक देवता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के साथ समान स्तर पर रखना कोरी भूखंता है; सर्वसाधारण को स्वेच्छापूर्वक उसके सामने समर्पण कर देना चाहिये। ऐसे व्यक्ति का शासन सर्वोत्तम है; इसके अन्तर्गत जनहित सबसे अधिक सुरक्षित है। इसे हम आदर्श राजतन्त्र या रामराज्य कह सकते हैं। किन्तु वास्तविक जीवन में इस प्रकार के देवतुल्य व्यक्ति दुलंभ हैं; इसलिये इस प्रकार के शासन की विवेचना कोरा बोद्धिक विलास होगा। यदि दैवयोग से ऐसा व्यक्ति कभी प्राप्त भी हो जाये तो सर्वसाधारण अधिक समय तक उसे शासन नहीं करने देंगे; वे राजनीतिक विभाता को अधिक दिन तक सहन नहीं कर सकते; उससे छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह के प्रयत्न किये जायेंगे त्रिनमें से एक भाघन जाति-वहिकार है जिसका प्रयोग भूताती लोग अपने दलगत हितों के लिए प्रायः करते थे।

अरस्तु राजतन्त्र के पांच विभिन्न भेद बतलाता है जिनकी तकसील में जाना आवश्यक नहीं। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अरस्तु राजतन्त्र का निरा-

प्रशंसक ही नहीं था ; उमने उसके पांच रूपों में से प्रत्येक के विरुद्ध विभिन्न युक्तियाँ दी है। जब वह निरपेक्ष राजतन्त्र की विवेचना करता है तो उमके सामने यह समस्या उठ खड़ी होती है कि निरकुश शासन तथा कानून द्वारा शासन में से कौनसा अच्छा है। दोनों के ही पक्ष में युक्तियाँ दी जा सकती हैं। व्यक्तिगत शासन में यह गुण है कि इसके अन्तर्गत किमी नये काम की पश्चल सरलता में की जा सकती है ; कानून विहित शासन में निष्पक्षता अधिक होती है। कानूनी शासन को अरस्तु इतना महत्व देता है कि उसका अन्तिम निरांय निरकुश राजतन्त्र के विरुद्ध और साविधानिक तथा सीमित राजतन्त्र के पक्ष में है।

सारांश (Summary)—समस्त नागरिक जीवन में अन्तर्निहित सामान्य सिद्धान्तों की उपरोक्त विवेचना का सारांश यह है। अरस्तु का यह कहना है कि केवल वही संविधान अच्छा है जिसका उद्देश्य समस्त समाज का हित है, केवल शासक-वर्ग का ही नहीं। एक अच्छे संविधान के अन्तर्गत राजदावित तथा पर्दों का वितरण लोगों में उनकी राज्य सेवा के अनुपात से होना चाहिये ; उमका आधार धन या स्वतन्त्र जन्म नहीं होना चाहिये। राजतन्त्र की भीमांसा से वह इस परिणाम पर पहुंचता है कि यद्यपि कुछ कानून कभी-कभी बुरे होते हैं फिर भी कानून द्वारा शासन एक व्यक्ति के निरकुश शासन में हर हालत में अच्छा है। अरस्तु का आदर्श सांविधानिक शासन है, निरकुश शासन नहीं। यह समस्त विवेचना सर्वथेट संविधान को निर्धारित करने तथा उसकी स्थापना के साधन की एक भूमिका है। नीसरे प्रकरण के अन्त में अरस्तु यह प्रश्न उठाता है और इसकी भूमिका के रूप में सबसे अधिक वाच्चनीय जीवन के स्वरूप की खोज करता है।

परन्तु आश्चर्य की बात है कि चौथे, पांचवें और छठे प्रकरण में वह वास्तविक संविधानों और उनके विभिन्न प्रकारों, उनके पतन के बारणों तथा उन्हें स्थिर बनाने के लिए माध्यों की विवेचना करता है। सातवें और आठवें प्रकरण में वह आदर्श राज्य की रचना पर आता है। परन्तु यहा भी हमें आदर्श राज्य का संविधान नहीं बल्कि राज्य के सम्बन्ध में अरस्तु के आदर्शों का विवरण मिलता है। यहां राज्य के संविधान तथा मगठन की अपेक्षा आदर्श राज्य की आवश्यकताओं तथा शिक्षा-सम्बन्धी घटवस्था का अधिक वर्णन मिलता है। ऐसा लगता है कि आदर्श राज्य की रचना में अरस्तु का मन नहीं लगा ; इसलिए उसने उसे छोड़ दिया।

आदर्श जीवन—अरस्तु का विचार है कि एक व्यक्ति तथा समस्त समाज के लिए सर्वथेट तथा सबसे अधिक वाच्चनीय जीवन एक मुखी जीवन है। मच्चा आनन्द ज्ञान और धर्म से प्राप्त होता है, केवल बाह्य वस्तुओं से नहीं। बाह्य वस्तुओं का मूल्य केवल माध्यनात्मक है ; उनकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। शन, शक्ति, स्याति इत्यादि वाह्य चीजों की अति होते से लाभ के बदले में और उसी हानि हो सकती है। न तो व्यक्ति को और न राज्य को इन चीजों के संचय में भीमा का उल्लंघन करना चाहिए।

यह मान लेने पर कि वास्तविक आनन्द एक धर्मशील जीवन व्यतीत करने में है अरस्तु अब इस प्रदन पर आता है कि परम धर्म विचार में है या कर्म में। कुछ व्यक्ति और राज्य युद्ध तथा विजय के कार्यों में संलग्न रहते हैं वयोंकि दूसरों के ऊपर प्रभुत्व जनहित का बहुत बड़ा अवसर देता है। परन्तु अरस्तु कहता है कि प्रत्येक हालत में दूसरों के ऊपर शासन करना अच्छा नहीं है; केवल उन्हीं व्यक्तियों को पराभूत करना अच्छा है जो अपने से स्वाभाविक रूप से हीन और निकृष्ट है। राजनीतिक शक्ति सर्वोत्कृष्ट शुभ नहीं है, सर्वोच्च क्रिया विचार है। सर्वोच्च आनन्द की प्राप्ति के लिए इन दोनों का समन्वय आवश्यक है।

राज्य के आदर्श—ऐसी बातों का उल्लेख करने के बाद अरस्तु अपने आदर्श राज्य का चित्र अकित करता है और राज्य के लिए आवश्यक भौतिक एवं मानसिक स्थितियों का वर्णन करता है। इन आवश्यकताओं की सूचि अधिकतर 'लॉज' से ली गई है और इसमें राज्य की जनसंख्या, उसका आकार तथा चरित्र, क्षेत्र तथा 'उसका आकार, स्थिति और स्वरूप इत्यादि से विद्यिष्ट विवरण भी दिये हुये हैं। भूगोल, जलवायु, भूमि, निवासियों के स्वाभाविक तथा आदर्श राज्य के ढाँचे का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। अन्त में वह इस परिणाम पर पहुंचता है कि जनसंख्या तथा क्षेत्र के दृष्टिकोण से आदर्श राज्य को न अधिक बड़ा होना चाहिये और न अधिक छोटा। यदि राज्य बहुत छोटा होगा तो वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकेगा और यदि बहुत बड़ा होगा तो उसमें एकता स्थापित न हो सकेगी। नागरिकों की जनसंख्या इतनी होनी चाहिये जोकि सब कार्यों के लिए काफी हो; परन्तु इतनी अधिक न हो कि सब लोग एक दूसरे से परिचित न रह सके। उनमें ओज तथा बुद्धि के पूरक गुण होने चाहिये और उन्हें धर्म तथा सङ्कृति की नाभना करनी चाहिये।

२४ अरस्तु के आदर्श राज्य का वर्णन प्रोफेसर मैकलवेन ने इन शब्दों में किया है: "अरस्तु का सर्वथेष्ठ राज्य वह है जिसमें अनुकूल स्थितियों के होते हुए तीसरे प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत अधिक से अधिक लाभ होते हैं। अरस्तु के अनुसार ऐसा राज्य न सो अधिक अमीर होगा और न अधिक गरीब, वह वाहरी आकाशण से सुरक्षित होगा; अधिक धन संग्रह तथा व्यापार या क्षेत्र के प्रसार की इच्छा से वह रहित होगा। वह एकतावद, धर्मगील, मुसंस्कृत, संरक्षणीय होगा; वह महत्वाकाक्षाओं से परे होगा; वह स्वयंपाणि होगा, किन्तु दूसरों पर आकाशण नहीं करेगा; वह महान् होगा किन्तु विस्तृत नहीं। वह एक मुमर्गित, छोटा तथा स्वतन्त्र नगर होगा जिसमें सर्वोच्च शक्ति एक सच्चे अभिजात्य वर्ग के हाथ में होगी जिसके सदस्य अपने जीवन को भौतिक चिन्ताओं से मुक्त रखने में तथा सर्वोत्कृष्ट धर्म तथा मंसूकृति के प्राप्त करने में और सब के कल्याण तथा आनन्द की सोज करने में लगे हुए बारी-बारी में शासन करेंगे तथा दूसरों का शासन मानेंगे। राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति वे लोग करेंगे जो धर्माभाव के कारण उच्चतर जीवन तथा राजनीतिक कार्यों के लिए

अरस्तु का विद्वास है कि जनता के नीति-परायण बन जाने से उसके आदर्श की प्राप्ति हो सकेगी। इसके साथ-साथ उसके लिये आवश्यक भौतिक परिवेश की भी वह अवहेलना नहीं करता और विस्तार के साथ उसका विवरण देता है। उसके आदर्श राज्य में व्यवस्थापक का मुख्य कार्य नागरिकों को कुछ आवश्यक आदते सिखाना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अरस्तु जिन शिक्षा-मम्बन्धी व्यवस्थाओं को आवश्यक समझता है उनका बरण करना यहां आवश्यक नहीं।

dares to try his skill at weaving them into patterns approximating the idea. Yet both thinkers display the same ethical fervour, the same passion for order, the same love for moderation, the same devotion to justice and reason, the same confidence in education, the same faith in humanity, and the same concern for the realization of the good life."

—Maxey : *Political Philosophies*, pags 78.

अरस्तु (पिछला शेष)

राजनीतिक वास्तविकतायें

परिचयात्मक—हम पहले ही कह चुके हैं कि अरस्तु ने जिस नवीन राजनीति विज्ञान की उद्भावना की उसमें केवल आदर्श का अद्वित करना ही नहीं, बरन् यथार्थ का वर्णन करना भी सम्मिलित है। उसका विचार था कि एक राजनीतिशास्त्री को एक आदर्श रूप से सर्वश्रेष्ठ राज्य के विश्लेषण से संतुष्ट नहीं होना चाहिये बल्कि उसे यह निःशंख करना चाहिये कि कौन सी परिस्थितियों में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है। केवल इतना ही नहीं, उसे यह भी नहीं बताना चाहिये कि परिस्थिति विशेष में किस प्रकार की सरकार भव से अधिक उपयुक्त होगी। इस बात को निर्धारित करने में कि एक विशेष स्थिति में क्या प्राप्त हो सकता है उसे मनुष्यों के वास्तविक धार्मिक तथा धौंढिक स्तर का ध्यान रखना चाहिये, उससे अधिक की आशा उनसे नहीं की जानी चाहिये। संवाइन के शब्दों में “वास्तविक सरकारों का विश्लेषण करना तथा उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना राजनीतिज्ञता की पूर्ण कला है। नैतिक विचारों को ग्रिल्कुल भुलाकर यह एक आततायी को यह बता सकती है कि वह किस प्रकार अपने अत्याचारों से सफल हो सकता है।”* अरस्तु सचमुच आततायी को गिरावट देना है कि वह किस प्रकार अपने दासन को अधिक स्थिर और स्थायी बना सकता है।

अरस्तु में नवीन प्रवृत्ति—यह माना जाता है कि राजनीति विज्ञान को अरस्तु की, सब से अधिक स्थायी देन अनुभूतिप्रधान (Empirical) पद्धति को राज्य के घटनाचक्र के अध्ययन में प्रयोग करना है। एक आधुनिक नेतृत्व की तरह वह वास्तविक राज्यों का विश्लेषण करता है, उनके पतन के कारणों का वर्णन करता है और वे किस प्रकार कान्तियों से बच सकते हैं इसके लिये सुझाव पेश करता है। यह कहकर कि राज्य के राजनीतिक तथा सामाजिक और आधिक ढाँचे में भेद है वह राज्य तथा समाज में भेद करता हुआ दिखाई पड़ता है। वह एक बहुत चातुर्यपूर्ण बात यह कहता है कि राजनीतिक सविधान एक बात है और उस पर किस प्रकार अमल किया जाता

*.... the complete art of the statesman must take governments as they are and do the best it can with the means it has. It might even divorce itself from moral considerations altogether and tell the tyrant how to succeed in tyranny.

है वह दूसरी बात है। एक ही मविधान को यदि विभिन्न वर्ग कार्यान्वित करे तो उसके विभिन्न परिणाम होंगे। उदाहरणतया एक नवीन औद्योगिक तथा पूजीवादी के अम्बुदय के कारण बीसवी शताब्दी का अमेरिकन जनतन्त्र प्रारम्भिक उन्नीसवी शताब्दी के जनतन्त्र से कितना भिन्न है। अरस्तु ने और बहुत भै विभेद किये हैं जिनसे ज़ाहिर है कि उसने एक समाज में कार्य करने वाली विभिन्न राजनीतिक शक्तियों का कितना विस्तृत अध्ययन किया था। संविधान को क्रियान्वित करने में सामाजिक वर्गों के इस महत्वपूर्ण भाग को स्वीकार करके अरस्तु यह स्वीकार करता हुआ दिखाई पड़ता है कि राज्य विभिन्न हितों वाले वर्गों का समूह है जो कभी-कभी सामान्य हित के लिये आपस में सहयोग करते हैं; किन्तु प्रायः अपने निजी हितों की प्राप्ति के लिये एक दूसरे में होड़ करते हैं और वह व्यक्तियों का समूह नहीं है। आज के समाजशास्त्रियों की राज्य के बारे में यही धारणा तो है। सारांश यह कि चौथे, पाचवें तथा छठे प्रकरण में अरस्तु का हटिकोण समाजशास्त्र मम्बन्धी है, आचारशास्त्र मम्बन्धी नहीं।

जनतन्त्र तथा वर्गतन्त्र के विभिन्न रूपों में उसने जिस प्रकार विभेद किया है उससे भी हमारे उमी तथ्य की पुष्टि होती है कि इन प्रकरणों में अरस्तु का हटिकोण समाजशास्त्र मम्बन्धी है, आचार-शास्त्र मम्बन्धी नहीं। इन भेदों का आधार यह है कि राज्य के तीन आवश्यक अग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का मगठन किस प्रकार होता है। मविधान का चरित्र तथा उनका वास्तविक व्यवहार इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि इनमें से प्रत्येक अग का निर्माण किस प्रकार होता है। इन अगों के रूप तथा कार्य की विभिन्नतायें अनन्त हैं, इसलिये संविधानों के रूप आदर्श रूप में एक में दूसरे मुख्य प्रकार में परिवर्तित होने रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कभी-कभी यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि अमुक सरकार जनतन्त्री है या वर्ग-तन्त्री। उदाहरण के लिए जबकि उसका एक अग जनतन्त्रीय आधार पर और दूसरा वर्गतन्त्री आधार पर निर्मित हो। उसकी विवेचना में इससे बहुत सी जटिलतायें आ गई हैं, परन्तु एक बात स्पष्ट है। किमी सरकार के कार्य करने का ढग बहुत सी बातों के ऊपर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ बाते राजनीतिक, कुछ आर्थिक तथा कुछ सामाजिक हैं। अरस्तु की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वह राज्य में पाई जाने वाली अगणित तथा राजनीतिक जटिलताओं को देख पाया।

तीसरे प्रकरण में अरस्तु ने जिन छ फ्रेकार की सरकारों का उल्लेख किया है उनमें से केवल जनतन्त्र, धनतन्त्र तथा आत्मायीतन्त्र की ही उसने विस्तारपूर्वक विवेचना की है; राजतन्त्र तथा कूलीनतन्त्र, जिन्हे वह राज्य का आदर्श रूप समझता है, को उसने छोड़ दिया। यहां हम उसके जनतन्त्री तथा धनतन्त्री सिद्धातों की विवेचना का विवरण देंगे।

जनतन्त्रो सिद्धान्त— अरस्तु जनतन्त्र की इस प्रबलित परिभाषा को नहीं मानता कि जनतन्त्र सरकार का वह रूप है जिसमें सर्वोच्च शक्ति सर्व-साधारण के हाथ में होती है। जनतन्त्र को वह एक ऐसा राज्य समझता है जिसमें प्रभुता गरीबों के हाथ में हो जिनका कि राज्य में बहुमत होता है। इसकी परिभाषा यह भी की जा सकती है कि यह वह राज्य है जिसका आधार नागरिक समानता तथा स्वतन्त्रता है। समान होने के लिये शासन कार्य में नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहियें। स्वतन्त्र होने के लिये प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। किसी को भी दूसरे को आदेश देने का अधिकार नहीं है। किन्तु किसी हृद तक आदेश देना और शासन करना अपरिहर्य है, इसलिये उसी हृद तक आज्ञा देने का अधिकार तथा आज्ञापालन का कर्तव्य सबका होना चाहिये। यह तभी सम्भव है जब कि नागरिक वारी-वारी से जासन करें और शासित हों। यह मविधान जनतन्त्री है जिसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न पदों के लिए निर्वाचन का आधार वयस्क मताधिकार हो और निर्वाचन या तो पासे ढाल कर हो या नम्बरवार हो। निर्वाचन के लिये आवश्यक योग्यता का आधार सम्पत्ति या तो विलुप्त न हो या हो तो सम्पत्ति की मात्रा नगण्य हो। पदों का कार्य काल छोटा होना चाहिये ताकि सभी लोग उसमें भाग ले सकें। व्यवसायिका का अधिकार खेत्र व्यापक तथा कार्य-पालिका का परिमित होना चाहिये।

जनतन्त्र की उपरोक्त विशेषतायें विभिन्न राज्यों में विभिन्न मात्रा में पाई जाती हैं और किसी राज्य विशेष से इनमें से कुछ या सब हो सकती हैं। मत देने के अधिकार, पद के लिए खड़े होने के अधिकार, तथा जनता की जीवन पढ़ति और पेशे के आधार पर अरस्तु जनतन्त्र के पांच भेद करता है। अरस्तु किसानों के जनतन्त्र को सर्वोत्तम समझना है क्योंकि किसान लोग शासन में मध्यम भाग से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं यदि उन्हें न्यायधीशों को चुनने, उन्हें उत्तरदायी ठहराने तथा न्याय प्रदान के कार्य में भाग लेने का अधिकार दे दिया जाये तो वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। उनके पास अधिक अवकाश नहीं होता, इसलिये सरकार का वास्तविक कार्य वे दूसरों के ही हाथों में छोड़ देते हैं। वह अभिको तथा गिल्पकारों व जनतन्त्र को सबसे अधिक नाप्रसन्न करता है क्योंकि उसमें जनप्रिय विवित और कुशल प्रशासन का समिग्धण बरना बड़ा कठिन होता है जो कृपक जनतन्त्र में बड़ी सरलता में हो जाता है। अरस्तु के भनुमार जनतन्त्र का मुख्य दोष यह है कि यह निरपेक्ष समानता के लिए अनुपातिक भमता का परिस्थापन कर देता है और प्रत्येक नागरिक को सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। अधिक तफसील में जाना आवश्यक नहीं है।

धनतन्त्रो सिद्धान्त— धनतन्त्र, जैसा कि इसके नाम से प्रगट है, धनिक वर्गों का दामन है। इसके भी नम्ब और उप्र बहुत में रूप हैं। इसके नम्बतम रूप में सम्मति की सीमा इतनी ऊँची रखी जाती है कि जिसके कारण गरीब नागरिकों वो

सम्पत्ति होती है उन्हें राज्य शक्ति में भाग लेने की स्वतंत्रता रहती है। इसका आधार काफी विस्तृत होता है। इसके उग्र रूप में एक वंशानुगत (Hereditary) शासक-वर्ग होता है जो कानून के सारे नियमण को धूल में मिला देता है और उच्छृंखलता से मनमाना राज करता है। यदि जनतन्त्र की मुख्य समस्या जनशक्ति तथा कुशल शासन का सम्मिश्रण करता है तो धनतन्त्र की मुख्य समस्या यह है कि थोड़े से व्यक्तियों में शासन सत्ता रहते हुए भी उने उत्पीड़क और अधिक होने से कैसे बचाया जाये। गरीबों की धृष्टिका की अपेक्षा अमीरों के प्रवाह को रोकना अधिक कठिन है, इसलिये जनतन्त्र की अपेक्षा धनतन्त्र वो समत रखना अधिक दुष्कर है।

मध्यवर्गतन्त्र (Polity)—जनतन्त्र और धनतन्त्र, इन दोनों में बुद्ध गम्भीर दोष हैं जो उनके उग्र रूपों में और अधिक स्पष्ट और नान हो उठते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए अरस्तु इन दोनों संविधानों का एक नया सम्मिश्रण संयार करता है जिसे वह मध्यवर्गतन्त्र कहकर पुकारता है। यह धनतन्त्र से मिलता-जुलता जनतन्त्र और जनतन्त्र से मिलता-जुलता धनतन्त्र है। यह गरीब और अमीर में एक संतुलन स्थापित करता है और इन दोनों की अपनी-अपनी सरकारों के परस्पर विरोधी सिद्धान्तों में सामर्ज्य करने का प्रयास करता है।

धनतन्त्र में मुट्ठी भर अमीर और जनतन्त्र में सर्व-साधारण गरीब शासन करते हैं; मध्यवर्गतन्त्र में मध्यवर्ग की प्रभुता रहती है। मध्यवर्ग में वे लोग होते हैं जो न अधिक अमीर हों और न अधिक गरीब, जिनके पास साधारण सम्पत्ति हो। यह वर्ग अमीर गरीब दोनों को मिलाकर भी इनसे बड़ा होना चाहिये; कम से कम इनमें से एक-एक से तो वह बड़ा होना ही चाहिये। एक बड़ा और सुरक्षित मध्यवर्ग राजनीतिक जीवन में बड़ा अच्छा प्रभाव डालता है; वह संतुलन स्थापित करता है और परस्पर विरोधी घुब्रों को संयंत रखता है। वह जनतन्त्र के मुख्य दोष अकुशलता और धनतन्त्र के अभिशाप उत्पीड़न को रोकता है। मजिस्ट्रेटों, तथा अन्य प्रशासकीय और न्यायिक अधिकारियों के चयन में पासे के प्रयोग का तिरस्कार करके और इन पदों को अनुभवी और योग्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखकर यह कुशाग्र के दोष को दूर करता है। मजिस्ट्रेटों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाकर यह शासन वो उत्तरदायी बनाता है। इस प्रकार यह गुण तथा रास्ता के सिद्धान्तों में ऐक्य स्थापित करके एक मुख्यस्थित एवं स्थायी शासन को स्थापना करता है। इसमें सार्थजनिक पद प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता मा तो है ही नहीं या बहुत साधारण है। यह मताधिकार उन्हें देता है जो कि शस्त्र रख भवते हैं।

अरस्तु के अनुसार मध्यवर्गतन्त्र एक अच्छी शासन प्रणाली है। उसे वह आदर्श रूप से सर्वथेष्ठ तो नहीं समझता क्योंकि इसमें विशुद्ध धर्म का शामन नहीं होता; विन्तु साधारणतया और व्यवहार-जगत में यह निश्चित रूप से सर्वोत्तम है, ऐसा वह मानता है। यह मध्यम गुण का है; यह धनतन्त्र तथा जनतन्त्र के उग्र रूप के बीच में है। यह जनतन्त्री है यद्योकि इसमें बहुमत की चलती है; यह बुलीनतंत्री

है यदोकि इमें पदों का विनाश गदानार या योग्यता के अनुसार होता है। यह अच्छा है। यदोकि इमें मध्यम जीवन की मिदि होती है जो कि मध्य वर्ग के साथ सम्बद्ध है। अभीर लोग उद्धण्ड और उच्छृंसन हो गए हैं और गरीब लोगों में कटुना और अपराध वृत्ति उत्पन्न हो गयी है; किन्तु गाधारण सम्पत्ति वाले लोगों में न तो अमीरों के धन का लोभ होता है और न स्वयं उनके प्रति गरीबों को ईर्ष्या होनी है। इमें अतिरिक्त मध्यवर्ग के लोग ही मच्चे अर्थों में शामन करता और स्वतन्त्र मनुष्यों के रूप में आज्ञा पानन करता जानते हैं। इमलिये इमका शामन स्विर और स्थायी हो भक्ता है। मध्यवर्ग के शामन में मिथना, गमता तथा न्याय जैसे मुन्दर गुण प्रचुर मात्रा में पाये जाये हैं; इमें न तो धनी दरिद्र को सूटता है और न दरिद्र धनी के विरुद्ध पड़यन्त्र रखता है। गृह-कलह और परस्पर गघर्घं में, जो कि धनतन्त्र तथा जनतन्त्र को कल्पित करते हैं, यह स्वतन्त्र रहता है। इमें गर्वन्त्र सन्तोष, एकता और मामंजस्य का बातावरण रहता है जिसमें मरकार का स्थापी होना स्वाभाविक ही है। साराज्ञ यह कि वह जनतन्त्र तथा धनतन्त्र के बीच का मार्ग है। ऐसा लगता है कि अरस्तु ने इमें द्वारा आचार-यास्त्र के “मतुलन” और “मंयम” (Mean and Moderation) के मिदान को व्यवहारिक राजनीति जगत् में प्रतिष्ठित किया है। यह वह मापदण्ड है जिसके द्वारा वह वास्तविक राज्यों का मूल्यांकन करता है। गर्वथेठ धनतन्त्र वह है जिसमें शासक-वर्ग शब्दसे कम धनी हैं और सर्वथेठ जनतन्त्र वह है जिसमें जन-माधारण मवसे कम गरीब हैं। स्वयं अरस्तु के घट्टों में उन नगरों (राज्यों) में अच्छी मरकार होने की मम्भावना मवसे अधिक है जिसमें कि एक बड़ा मध्यवर्ग हो और जो यदि हो सके तो अन्य दोनों वर्गों के योग से बड़ा हो, अन्यथा उनमें से प्रत्येक में तो अवश्य बड़ा हो।

मध्यवर्गतन्त्र की प्रधान विशेषता यह है कि उसका मंविधान मिथित (Mixed) है। मिथित मविधान की धारणा अरस्तु ने अफलातून में पाई थी; परन्तु इन दोनों के विचारों में बड़ा अन्तर है। मिथित मविधान से अफलातून का तात्पर्य यह था कि विभिन्न मविधानों के तत्वों और मस्थानों को मिलाकर एक नवीन मविधान तैयार किया जाये। ‘नांज’ में प्रतिपादित मिथित राज्य राजतन्त्र तथा जनतन्त्र का सम्मिश्रण है। अरस्तु का मध्यवर्गतन्त्र धनतन्त्र तथा जनतन्त्र के कुछ तत्वों का सम्मिश्रण है बयोकि इमें राजनीतिक शक्ति कई सामाजिक वर्गों में विभक्त रहती है। इमें शक्ति के ऊपर विभिन्न और परस्पर विरोधी दावों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। अपने मिथित मविधान में अरस्तु का उद्देश्य न्याय और तद्विनित मामाजिक एकता को प्राप्त करना था। मान्यना के पाव विभिन्न सामाजिक दावों को मान्यता प्रदान करके वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करना चाहता था। पोलीवियस तथा सिमरों के मिथित मविधानों का उद्देश्य भी एकता स्थिरता की प्राप्ति था; और वे इम सध्य की सिद्धि नियन्त्रण तथा सतुलन की स्थिरता द्वारा कराना चाहते थे। मान्देस्क्यू का सिद्धान्त अरस्तु की अपेक्षा

पोलिवियस के अधिक निकट है। वह शक्ति को संभित करके स्वतन्त्रता को सुरक्षित करना चाहता है।

प्राततायीतन्त्र (Tyranny)—अरस्तु ने आततायीतन्त्र के ऊपर एक छोटा सा अध्याय लिखा है। वह उसे राजतन्त्र का भ्रष्ट रूप और मरकार का निकृष्टतम् रूप मानता है। वह इसके तीन मुख्य भेद करता है जिनमें से दो में राजतन्त्र का कुछ तल रहता है। तीसरे प्रकार में एक निरकुश व्यक्ति अनुत्तरदायी ढग से शासन करता है और उसके शासन का उद्देश्य अपनी स्वार्थ-मिद्दि है, प्रजा का हित नहीं। यही वास्तविक आततायीतन्त्र है। इसका आधार पश्च बल है; कोई भी स्वतन्त्र मनुष्य इसके अधीन नहीं होना चाहता। हमें यह शाद रखना चाहिये कि यूनानियों के लिये आततायीतन्त्र का अर्थ सदा ही कुशासन मही होता था; यह उनके लिए एक पारिभाषिक (Technical) शब्द था जिसका अर्थ निरकुश और मनमाना शासन है। एक आततायी जनता का हितयी हो सकता था और यूनान में मचमुच कुछ आततायी ऐसे हुए हैं जिनका शासन जनता के लिए कल्याणकारी था।

सरकार के अंग (Organs of Government)—विभिन्न प्रकार की सरकारों की विवेचना के बाद अरस्तु सरकार के तीन प्रधान और आवश्यक अंगों का क्रमबद्ध विश्लेषण करते हैं। ये अङ्ग तीन हैं: (१) नीति-निर्धारक सभा; (२) न्याय-रक्षकों की व्यवस्था; तथा (३) न्यायालय। ये तीनों आज की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के समानान्तर है, किन्तु उनके विलक्षण अनुरूप नहीं है। प्रत्येक अंग का सपठन नागा प्रकार से हो सकता है; उनके कार्य भी विभिन्न राज्यों में बहुत भिन्न-भिन्न होते हैं। इनके रूप तथा कार्यों की विभिन्नता पर ही विभिन्न संविधानों की विशेषतायें निर्भर करती हैं। विभिन्न प्रकार के संविधान अद्य रूप से रूप-परिवर्तन कर लेते हैं क्योंकि उनकी विभिन्नतायें असर्व और असीम हैं। इनका अधिक विस्तृत विवरण देना आवश्यक नहीं है।

कांतियाँ : उनके कारण, इत्यादि (Revolutions : their causes, etc.)—यूनानी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषतायें अस्थिरता तथा परिवर्तन थे। लगभग प्रत्येक नगर राज्य विभिन्न शासन प्रणालियों, राजतन्त्र, धनतन्त्र, जनतन्त्र और आततायीतन्त्र में गुजर चुका था। इसके कारण अरस्तु को अपनी अनुभूतिमूलक (Empirical) पद्धति अपनाने के लिए भमुचित सामग्री मिल गई। उसने देखा कि धनतन्त्र और जनतन्त्र दोनों अस्थिर मनुष्लनहीन अवस्था में थे; वे दोनों ही अपने-अपने सिद्धांतों को अति पर पहुंचाकर विनाश की और प्रवृत्त थे। इसलिए उसने कुछ ऐसे सुझाव रखे हैं जिन पर आचरण करके धनतन्त्रवादी तथा जनतन्त्रवादी अपनी शक्ति बनाये रख सकते हैं और कानूनिकारी परिवर्तनों से अपने शासन की रक्षा कर सकते हैं। वह आततायी तक को अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के उपराय बतलाता है। ऐसा करके वह राजनीति शास्त्र को आचार-शास्त्र से अलग कर देता है। यहाँ वह

कभी-कभी इस परिवर्तन का परिणाम केवल यह होता है कि एक शासक या शासक-समूह का स्थान दूसरा शासक या शासक-समूह ले लेता है। कभी-कभी इसका अर्थ संविधान में संशोधन होता है, जैसा कि नश्र जनतन्त्र का उप जनतन्त्र बन जाना। सारांश यह कि अरस्तु के अनुसार क्रातियों के कई रूप और भावायें हैं।

क्रातियों के कारण—क्रातियों का कारण चाहे तो शासन के विरुद्ध व्यापक असन्तोष हो, चाहे कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की स्वार्थभावना; किन्तु इसमें कोई नहीं कि उनका जन्म सदैव मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। “वर्योंकि न्याय और अित्तता राज्य के नैतिक आधार है; इसलिए अन्याय और दुभविना असन्तोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण है। आनुपातिक समता तथा उचित व्यवहार का अभाव न्याय को नष्ट कर देता है और नगर को गुटवन्दियों से विभक्त कर देता है। जब भमाज का कोई वर्ग यह अनुभव करने लगे कि उसके अधिकारों को कुचला जा रहा है और उसके साथ अन्याय किया जा रहा है तो समाज में सोहाद की भावना नहीं रह सकती।”* धनतन्त्र में सर्वसाधारण इसलिये विषुवध रहते हैं क्योंकि वह यह महसूस करते हैं कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिलता। इसी प्रकार जनतन्त्र में वर्गतन्त्रवादी इसलिए रुष्ट और विद्रोह के लिए उतार रहते हैं क्योंकि वह यह महसूस करते हैं कि धन तथा दूसरी वातों की श्रेष्ठता के अनुसार राजनीतिक मिलता है भाग नहीं मिलता। इस प्रकार न्याय के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों की विभिन्न भारणाये उनमें क्रातिकारी भावनाओं को जन्म देती हैं। सारांश यह कि राजद्रोह अथवा क्राति का आधारभूत कारण अन्याय अर्थात् यह वात है कि एक वर्ग को उचित से कम और दूसरे को अधिक मिलता है।

क्रातिकारियों का उद्देश्य लाभ तथा सम्मान प्राप्त करना है। अर्थात् अनेक मायियों को हानि और अपमान से बचाने की इच्छा भी क्रातिकारियों को देखिए करनी है। दूसरों की समृद्धि और प्रतिष्ठा को देखकर होने वाला ये, कुछ क्रातिकारियों की अनुचित स्थान, अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार और दूर्व्यादि वे कारण हैं जो मानव मस्तिष्क में क्राति के बीज बोटे हैं। कुछ दूसरों ने बोलायी, लापरवाही के साथ राज्य के पदों पर राजद्रोही अंगुष्ठे को बेंद्रना, थोट-थोटे परिचर्ते करने में अलस्य करना तथा राज्य के लिए वज्र व इन्द्रुदीन वृद्धि हो जाना ऐसे अवसर हैं जो क्रातिकारी प्रवृत्ति को प्रोत्तु बढ़ाव देते हैं; वे कारण देवयोज से उत्तम हो जाने हैं जबकि पहिले कारण स्वास्थ्य का देवदान नहीं है। परस्तु

* “Since justice and friendship are the most important factors of the state, vice and ill-will are the most powerful causes of discontent and instability. absence of proportionate equality, of a just social code, or a lack of justice splits the city into factions. These are the main causes of feeling discontent; the community is considered to be in a condition of being denied of justice is not being done.”

'पॉलिटिक्स' की दूसरी पुस्तक में वह इसी समस्या की समीक्षा करता है कि संविधान को अधिक सुरक्षित रखने के क्या साधन हैं।

अन्याय भावना क्रातिकारी प्रवृत्तियों को जन्म देने वाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक आधारभूत कारण है। इसीलिए क्रातियों को रोकने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक अन्याय की भावना को जनता में फैलने से रोका जाये या यदि फैली हुई हो तो उसको दूर किया जाये। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि संविधान का आधार समस्त नागरिकों की रजामन्दी हो और एक नम्र भावना के साथ उसके ऊपर आचरण किया जाये। समस्त नागरिक भी किसी संविधान का समर्थन न कर सकें तो एक बड़े बहुमत का समर्थन तो उसे अवश्य प्राप्त होना चाहिये। जो लोग दीनावस्था में हैं उनके साथ कोई घोखा या गैरकानूनी व्यवहार नहीं होना चाहिये और शासकों और शासितों में अच्छे सम्बन्ध रहने चाहियें। सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यतायें समय-समय पर बदली जानी चाहिये और किसी भी व्यक्ति या वर्गों को अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहिये। मजिस्ट्रेटों के पद को लाभ का साधन कभी नहीं बनने देना चाहिये। दूसरी महत्वपूर्ण बात जनता के हृदय में संविधान के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना जाग्रत करना है। यह कार्य शिक्षा द्वारा सरलता से हो सकता है। शासन-प्रणाली के अनुसार ही शिक्षा होनी चाहिये। लोगों को यह मिखाया जाना चाहिये कि उन्हें ऐसे कार्य करने चाहिये जिनसे कि संविधान सुरक्षित रहे, चाहे वह राजतन्त्री हो, कुलीनतन्त्री हो या अन्य किसी प्रकार का हो, और केवल शासकों को प्रसन्न करने वाले ही कार्य उन्हे नहीं करने हैं। तीसरे उनमें कानून का पालन करने की आदत उत्पन्न करनी चाहिए। छोटी-मोटी बातों में भी कानूनहीनता नहीं आने देनी चाहिये। अगली बात यह कि छोटे-मोटे परिवर्तनों के परिणामों को भी ध्यानपूर्वक देखना चाहिये। अरस्तु यथापूर्व स्थिति (Status quo) से तनिक भी इधर उधर हटना खतरनाक समझता है। साधारणतया छोटी-छोटी बातों को लेकर दलगत कलह उठ सकते हैं; परन्तु उनका परिणाम हो सकता है आमूल-चूल क्रातियों का खड़ा हो जाना।

प्रत्येक प्रकार की सरकार का विनाश उसकी अपनी अति के कारण होता है, इसलिए सरकार को अपने अधिकार-प्रयोग में सदा नम्रता और संतुलन से काम लेना चाहिये और प्रत्येक नागरिक के साथ न्यायपूर्वक वर्तना चाहिये। कुलीनतन्त्र और धन-तन्त्र एक सीमा तक जनतन्त्र की प्रवृत्ति तथा कुछ संस्थानों को अपनाकर सतुलित रह सकते हैं। पद, पुरस्कार तथा सम्मान का वितरण अधिक से अधिक व्यापक आधार पर होना चाहिए। किसी को भी यह सोचने का अवमर नहीं मिलना चाहिये कि राजनीतिक पदों पर कुछ थोड़े से व्यक्तियों का एकाधिकार है और शेष के लिए उसका दरवाजा बन्द है। राज्याधिकारियों की स्वार्थ भावना तथा रिश्वतबोरी को असम्भव बनाकर प्रशासन को विलुप्त स्वच्छ रखना चाहिये। ऐसा करने के लिए जनता को प्रशासन की जांच पड़ताल करने का अधिकार देना आवश्यक है। समाज के

ने उनका महत्व कुछ कम कर दिया। इनके अतिरिक्त उसके राजनीतिक दर्शन में कुछ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जिनका चरित्र विश्वव्यापक है, जो आज भी उतने ही सही है जितना कि अरस्तु के युग में थे। उनकी खोज तथा निर्माण राजनीतिक विचार को उसकी मुख्य देन है। उनमें में से कुछ अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का विवरण हम यहाँ देते हैं।

(१) यद्यपि इस स्वयं सिद्ध सत्य का कि 'मनुष्य राजनीतिक प्राणी है' आदि प्रवर्तक अरस्तु नहीं था; यह तो यूनानी राजनीतिक विचार की आधारभूत धारणा है और आधुनिक विचार को उसकी एक देन है; किन्तु अरस्तु सबसे पहिला विचारक था जिसने इसे एक आपचारिक और ज़ोरदार ढंग से अभिव्यक्त किया। यह सच है कि यह अफलातून के समस्त चिन्तन का आधार है; किन्तु उसने इसे आपचारिक अभिव्यक्ति नहीं दी।

(२) यही बात अरस्तु के द्वारे इस मुख्य सिद्धान्त, कि राज्य का जन्म जीवन के लिये हुआ और शुभ और सुखी जीवन के लिए वह अब तक जीवित है, के विषय में कहीं जा सकती है। यह अफलातून के विचार का आधार है; किन्तु अरस्तु ने ही इसे ऐतिहासिक अभिव्यक्ति दी। मानव जीवन में राज्य के भाग को इससे मुन्द्र शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

(३) अरस्तु वह पहिला विचारक था जिसने सबसे पहिले यह महसूस किया कि राजनीति की अन्तिम समस्या व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा राज्य की सत्ता में सामंजस्य स्थापित करना है। अरस्तु के पहिले शायद किसी भी विचारक का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया था। वह नहीं मानता कि स्वतन्त्रता का अर्थ मनमाने द्वंग से जीवन व्यतीत करना है। वह कहता है कि मंविधान के अनुसार रहना दामता नहीं मुकित है। उसके अनुसार स्वतन्त्रता की परिभाषा सच्चे कानून का पालन करना है। कानून की प्रभुता, कानून को विशुद्ध बुद्धि समझना तथा सरकार को कानून द्वारा सीमित करने की जो धारणाएँ अरस्तु की हैं उनमें स्वतन्त्रता तथा सत्ता का मामंजस्य निहित है। यह उसके इस कथन में भी निहित है कि सरकार के आचरण का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार समस्त जनता का होना चाहिये और यह कि सर्वधारण का मत विशेषज्ञ के निर्णय से अच्छा होता है। अरस्तु ने यह प्रदन उठाकर और उसका हल तिकाने का प्रयत्न करके सचमुच एक महत्वपूर्ण काम किया, भले ही यूनान के नगर राज्य इस समस्या का हल न कर पाये हो।

(४) इसी से जुड़ा हुआ और इसी में निहित अरस्तु का मविधानवाद (Constitutionalism) के ऊपर जोर देना है। इस एक शब्द 'सविधानवाद' में वह सब कुछ समाविष्ट है जो प्रूरोग तथा धार्ज के साथ के विचार को 'पोलिटिक्स' से उत्तराधिकार में मिला है। कानून को सर्वप्रभुत्वपूर्ण बनाकर तथा सरकार को कानून के आधीन करके अरस्तु संसार भर के सविधानवादियों का जनक बन गया। सत टॉमस का कानून

के प्रति सम्मान और मविधानवाद मुख्य रूप से घरस्तु की प्रेरणा का ही परिणाम है। “घरस्तु ने मन्त्र टॉमस को सिखाया : मन्त्र टॉमस के द्वारा उसने कंयोलिक पूरोष को सिखाया . मन्त्र टॉमस के द्वारा उसने रिचार्ड हूकर को भी सिखाया जिसके कानून नदा सरकार के सिद्धान्त का उदगम यही है न्यायप्रिय हूकर लॉक के शिक्षकों में एक था . . . लॉक का सिद्धान्त वर्क को मिला । घरस्तु को ‘पोनिटिक्स’ तथा १७वीं और १८वीं शताब्दी के अंगेंजी राजनीतिक विचार के बातावरण में न केवल हृष्टान्त का साम्य है बल्कि एक हद तक सम्योग भी है।”*

(५) घरस्तु का जनभत के महत्व पर जोर देना भी उल्लेखनीय है। अधिकारियों के कार्यों का निरांय विशेषज्ञों की प्रपेक्षा सबंसाधारण अधिक अच्छा कर सकते हैं और उनके निरांय का उचित सम्मान होना चाहिये। इमीलिये सरकारी आचरण का निर्णय करने का कार्य वह जनता को सौंपता है।

(६) सरकार के कार्यों को नीति-निर्धारिक, प्रशासकीय तथा न्यायिक, इन तीन भागों में विभक्त करना उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का मूलक है। परन्तु, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, घरस्तु द्वारा किये गये सरकार के इन तीन भागों को हम आधुनिक सरकार के व्यवस्थापिक, कार्यपालिक तथा न्यायिक अंगों के तद्रूप नहीं समझता चाहिये। घरस्तु का नीति-निर्धारिक अग्र आधुनिक व्यवस्थापिक के बिलकुल अनुरूप नहीं है। यद्यपि इसके कुछ विधायक कार्य भी थे, यह कार्यपालिक कार्य भी करता था। इसी प्रकार मजिस्ट्रेटमण्डल को हम आधुनिक कार्यपालिका के अनुरूप नहीं कह सकते; नीति-निर्धारिक अग्र का उसके ऊपर पूरएं अधिकार था। घरस्तु के इस विभक्तीकरण को शक्ति विभाजन का सिद्धान्त समझना उचित न होगा।

(७) मन्त्र में, घरस्तु के राजनीतिक चिन्तन में एक अन्य विश्वव्यापी तत्त्व उल्लेखनीय है। उसने राजनीति तथा अर्थशास्त्र के पारस्परिक सम्बन्ध को पहिचाना और इसलिये राजनीतिक संगठन तथा क्रियाओं पर आर्थिक प्रभाव को उसने बड़ा महत्व दिया। धनिक और दरिद्र से संघर्ष को वह सरकार सम्बन्धी बहुत सी बातों का कारण समझता है। उसने सरकारों का जो वर्गीकरण किया है और धनतन्त्र तथा जनतन्त्र के जो बहुत से विभाग किये हैं उनका अन्तिम आधार आर्थिक ही है। राजनीति के ऊपर अर्थशास्त्र के प्रभाव को स्पष्टतम रूप में व्यक्त करने वाला घरस्तु का यह सारगम्भित कथन है कि स्थिरता और समृद्धि सबसे अधिक सरलतापूर्वक उसे

* “Aristotle taught St. Thomas : through St. Thomas he taught Catholic Europe, through St. Thomas he also taught Richard Hooker who drew from this origin the theory of law and government. The 17th century Hooker was in turn one of the masters of Locke. There is not only an analogy between the 17th century and the 18th century, in turn to Burke's Politics and his Eighteenth

राज्य में प्राप्त की जा सकती है जिसमें कि धन तथा दिरिद्रता की चरम सीमायें नहीं पाई जाती और जिसमें एक शक्तिशाली मध्यवर्ग पाया जाता है। इसका तात्पर्य मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की प्रार्थिक व्याख्या के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेना नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है राजनीतिक क्रान्ति का मुख्य कारण अरस्तु जनता की इस भावना को समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है।

इसी प्रसंग में राजसत्ता के विषय में अरस्तु के विचारों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। राजसत्ता का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से आधुनिक धारणा है। प्राचीन यूनान और मध्यकाल की परिस्थितिया राजसत्ता के सिद्धान्त के आविर्भाव के लिये अनुकूल नहीं थी। अरस्तु में एक भी शब्द ऐसा नहीं पाया जाता जिसका अर्थ राजसत्ता लगाया जा सके। जिस बल का उसने उल्लेख किया है वह ही राज्य की उच्चतम शक्ति, और उसका स्रोत वह जनता को समझता है। वह सर्वोपरि इसलिये है क्योंकि उसे न्यायरक्षकों (Magistrates) को चुनने तथा उनके कार्यकाल के समाप्त होने पर उसे उनके कार्यों का जवाब-न्तर्लेख करने का अधिकार होना चाहिये। सारे आधारभूत प्रश्नों का अन्तिम रूप से निर्णय करने की शक्तियों के मिलने से ही किसी को सर्वप्रभुत्वपूर्ण शक्ति नहीं कहा जा सकता। राजसत्ता का अर्थ है कानून के ऊपर प्रभुता। आज की परिभाषा में हम राजसत्ताधिकारी उसे कहते हैं जो कानून बताता है और स्वयं उस कानून से बाह्य नहीं होता। अरस्तु के राज्य के सिद्धान्त में ऐसी कोई शक्ति नहीं हो सकती क्योंकि राज्य के समस्त अग और भाग समान रूप से कानून की सर्वप्रभुत्वपूर्ण शक्ति के अधीन है। राज्य में किसी भी शक्ति का कानून के ऊपर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। साराश यह कि अरस्तु के राज्य सिद्धान्त में स्वयं कानून सर्वप्रभुत्वपूर्ण है; कोई भी शक्ति कानून की अवहेलना नहीं कर सकती।

जहाँ तक राजसत्ता का सम्बन्ध है अरस्तु की अपेक्षा अफलातून आधुनिक धारणा के अधिक निकट है क्योंकि वह दर्शनिक राजा को राज्य के कानूनों के ऊपर रखता है। किन्तु दर्शनिक राजा को भी हम सच्चे अर्थों में सर्व-प्रभुत्वपूर्ण नहीं कर सकते क्योंकि वह कानून की मृष्टि नहीं करता। सच तो यह है कि प्राचीन यूनान में राजसत्ता के आधुनिक सिद्धान्त के लिये कोई स्थान ही नहीं था। राज्य की शक्ति इतनी और नाना प्रकार से सीमित थी कि यह विचार ही उत्पन्न नहीं हो सकता था।

अरस्तु का प्रभाव—अरस्तु के राजनीतिक दर्शन की समीक्षा समाप्त करने के पूर्व अब हम यह देखेंगे कि उसका आगे आने वाले विचार पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसका प्रभाव इतना व्यापक है कि कुछ ही राजनीतिक विचारक ऐसे होंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसे अनुभव न किया हो।

लगभग एक हजार वर्षों तक अरस्तु की 'पॉलिटिक्स' लुप्तप्राय रही; एपीक्यूरिन (Epicurean) और स्टोइक (Stoic) विचारकों के ऊपर, जो कि अरस्तु

नहीं कर सकता था । और अपने व्यक्तिगत मुख को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकता था । नागरिक कार्यों में भाग लेना व्यक्तिगत अधिकारों और कर्तव्यों से कही अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था । उम समय नाटककार भी, अपनी रचनाओं के ऐसे विषय ही चुनते थे जिनका कुछ नागरिक महत्व हो । यहाँ तक कि स्वयं धर्म भी एक नागरिक विषय समझा जाता था । नगर राज्य के अध्यक्षता से इस सब में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और नागरिक स्वतन्त्रता के हास से सारा चित्र ही बदल गया । नाटककारों का विषय व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन हो गया और नागरिक मामलों में उनकी हचि समाप्त हो गई । अब नगर राज्य के प्रति यूनानियों में विशेष उत्साह न रहा ; वह उनके विचार का केन्द्र बिन्दु न रहा । योग्य व्यक्तियों के लिये राज्य के पदों में वह आकंपण अब न रह गया, और नागरिक धर्म का पालन करने से लोगों को अब मानसिक सतोष मिलना बन्द हो गया । सारांश यह कि राजनीतिक स्वतन्त्रता के हास ने जनता की देशभक्ति को कमज़ोर कर दिया और राज्य तथा व्यक्ति में एक विभाजक रेखा खीच दी । मेघावी मनुष्य यह सोचने लगे कि शासन कार्य में भाग लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि लोग समझते थे ; अधिक से अधिक प्रतिभासाली राजनीतिज्ञ भी उस क्षेत्र में रहकर अधिक ऊचा नहीं उठ सकता । इसलिए नगर राज्य तथा उसके सम्बन्धों और मूल्यों के प्रति निषेधात्मक प्रवृत्ति तथा उसके साथ ही सार्वजनिक जीवन से विरक्त होने तथा अपने लिए एक व्यक्तिगत और निजी सासार की सृष्टि रखने की भावना का उदय होना स्वाभाविक ही था । इसलिए आचार-शास्त्र तथा दर्शनशास्त्र के प्रति इतनी हचि उत्पन्न हुई जितनी कि पहले कभी नहीं थी ; मानो यह उन चीज़ का प्रतिकार था जिसे लोगों ने खो दिया था । इस प्रकार यूनानी विचारकों ने नगर राज्य के विषय में सोचना छोड़ दिया और अपना ध्यान धर्म तथा आचार-शास्त्र पर केन्द्रित कर दिया । इसका परिणाम हुआ एपीकूरियनिज्म तथा स्टोइसिज्म नामक दो नवीन धाराओं का आविर्भाव । उन्होंने मनुष्य के सामने नागरिक राज्य के प्रति भक्ति की जगह व्यक्तिगत चरित्र तथा व्यक्तिगत आनन्द का आदर्श रखता । इस प्रकार जीवन का एक नया ढंग अपनाने के लिए पुराने ढंग का परित्याग कर दिया गया ।

(३) यह मानना भूल होगी कि चिन्तन धारा में यह नया रूख केवल उन राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हुआ जो मिक्न्डर की सेनिक विजय और नगर राज्य के हास से हुए । नगर राज्य तथा उसके मूल्यों के प्रति निषेधात्मक ट्रिकोण के तत्व स्वयं 'रिपब्लिक' और 'पॉलिटिक्स' के पृष्ठों में ही छिपे हए थे । पाठकों को यदि होंगों कि अफलातून सक्रिय नागरिकता को केवल दो उच्च वर्गों, शासकों तथा अभिभावकों तक ही सीमित रखता है । तीसरे और सब से बड़े वर्ग को वह राजनीतिक जीवन में भाग लेने से विलुप्त बचित रखता है । इसी प्रकार अरस्तु नागरिकता को केवल उन्हीं लोगों का विशेषाधिकारी समझता है जिनके पास राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की विलासिता का उपभोग करने के लिये पर्याप्त सम्पत्ति और अवकाश है ।

यद्यपि वह कृपको और शिल्पकारों इत्यादि को भी नागरिकों की श्रेणी में शामिल करता है। नागरिकता के कार्यों को एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बनाने से उनसे विचित लोगों के मन में यह भाव उठाना स्वाभाविक है कि नागरिक राज्य को सुधारने की नहीं, नष्ट करने की आवश्यकता है। कभी से कम उपेक्षा और अवहेलना की हृषि से तो उसे बे देखेंगे ही।

(४) प्राचीन सिद्धान्तों के हास का एक अन्य कारण भी ध्यान देने योग्य है। अरस्तु के समस्त राजनीतिक सिद्धान्त के भूल में यह धारणा है कि यूनानी और वर्बर में भेद है और पहिला दूसरे से श्रेष्ठ है; इसके बिना दास प्रथा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। अपनी यूनानी प्रजा को पूर्वी लोगों में विलीन करने की सिकन्दर की नीति ने इस सिद्धान्त के आधार को ही समाप्त कर दिया; इससे अरस्तु की राजनीति का आधार ही निरर्थक हो गया। मनुष्य मात्र की समता का विचार उदय हुआ। और साथ ही सब पर लागू होने वाले विश्वव्यापी कानून की धारणा का आविर्भाव हुआ। इन नवीन विचारों की उद्भावना स्टोइसिज्म ने की।

“एपिक्यूरियनिज्म” तथा “स्टोइमिज्म” का विकास धीरे-धीरे उस सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में जो कि सिकन्दर के भरने के बाद हुआ, दो दाताव्यद्वयों में हुआ। यह युग साम्राज्य-निर्माण और सम्यताओं के पुनर्निर्मित होने का था। ऐसी अनिश्चित स्थिति में कोई व्यवस्थित कल्प-विकल्प नहीं हो सकता था। इस युग में कोई महान् राजनीतिक विचारक नहीं हुआ और राजनीति के ऊपर कोई महान् प्रन्य नहीं रखा गया। हाँ, जब रोम ने यूनान को विजय कर लिया और शांति तथा व्यवस्था स्थापित कर दी तब कहीं जाकर पोलिवियस और सिसरे ने जो हो चुका था उसकी व्याख्या करने के लिए सुनिश्चित सिद्धान्तों का निरूपण किया।

नवीन प्रणालियों का सामान्य स्वरूप—इन विचार प्रणालियों का आधारभूत नियन्त्र दार्शनिक था; उन्होंने नैतिक समस्याओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया और अपने अनुयाइयों के जीवन व्यवहार के लिए सुनिश्चित नियम निर्धारित किये। जीवन के प्रति जिस दृष्टिकोण का उन्होंने प्रतिपादन किया वह ‘रिपब्लिक’ तथा ‘पॉलिटिक्स’ में प्रतिपादित दृष्टिकोण से कहीं भिन्न व्यक्तिवादी और उनके साथ ही साथ कहीं अधिक विश्वव्यापी था। वह व्यक्तिवादी इसलिए था क्योंकि उसके अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन की समस्यायें मुलभानी चाहिये और समाज पर निर्भर न रह कर आनन्द की सोज करनी चाहिये और उसके जीवन का उद्देश्य स्वपरिपाला होना चाहिये। वह विश्वव्यापी इसलिए था कि वह व्यक्ति को नगर राज्य की दासता से मुक्त करके उससे कहीं अधिक बड़े सामाजिक संगठन में दूसरे व्यक्तियों के माथ रहना चिह्नाता था। इन दोनों प्रणालियों में स्टोइसिज्म अधिक महत्वपूर्ण है; राजनीतिक विचार पर एपीक्यूरियनिज्म को प्रेक्षा उसका अधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। बुद्धि के ऊपर आधारित नैमित्तिक कानून (Law of Nature) की धारणा इनी की मूर्छा है। इनके

अतिरिक्त स्केप्टीसिज्म (Scepticism) इत्यादि अन्य विचार प्रणालियाँ भी हैं ; किन्तु वे महत्वपूर्ण नहीं हैं।

एपिक्यूरियनिज्म (Epicureanism)—इसका प्रवर्तन ३०६ ई० पू० में एथेन्स में एपीक्यूरस (Epicurus) ने किया था ; इसे 'साइरेनिसिज्म' (Cyrrenaicism) का ही एक विकसित रूप कहा जा सकता है जिसे अरिस्टिप्पस (Aristippus) ने स्थापित किया था जो अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप से सुकरात से लेने का दावा करता था। इसकी शिक्षा का निष्कर्ष यह है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अधिकतम सुख ग्रथवा आनन्द की प्राप्ति करना है। दुख और चिन्ता के अभाव को वह सुख समझता था। समाज से अधिक से अधिक स्वतन्त्र रहकर ही इसकी प्राप्ति हो सकती थी। भनुष्य को जहाँ तक हो सके सार्वजनिक जीवन की दुश्चिन्ताओं से बचना चाहिये। एपीक्यूरस ने समाज तथा सामाजिक सम्बन्धों की विवेचना ही इसलिए की ताकि उनके प्रति दार्शनिक की उपरामता पर अधिक जोर दिया जा सके। एपीक्यूरियन्स समाज से अलग रहने का समर्थन बड़ी सरलता से कर सकते थे वयोंकि उनके अनुमार समाज का आधार स्वहित है, सामाजिकता तथा सहयोग की भावना नहीं। उनकी धारणा थी कि मनुष्य तत्त्वतः एक स्वार्थी प्राणी है और उसमें कोई सामाजिक प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी हित साधना करना चाहता है जिसका दूसरों के हितों से प्राप्ति स्वर्यं रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वार्थ-साधना में दूसरे व्यक्तियों के स्वार्थ वाधक होते हैं, इसलिये मनुष्य मिलकर आपस में यह समझता कर लेते हैं कि वे न तो एक दूसरे को कोई हानि वा क्षति पहुँचायेंगे न स्वर्यं सहन करेंगे। यही सिद्धान्त आगे चलकर 'भासाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त' (Social Contract Theory) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। १८वीं शताब्दी में हार्बम ने इसका पुनरुत्थान किया। यदि एपीक्यूरियन्स दस बात में विश्वास करते कि मनुष्यों को भावात्मक और स्वाभाविक से एक दूसरे को आवश्यकता है तो वे सामाजिक जीवन का परित्याग करने का अनुमोदन कभी न करते।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य तथा उसके स्थानों का आधार समयानुकूल आवश्यकता (Expediency) है, मानव स्वभाव नहीं। कानून का पालन करना केवल इसीलिए उचित है वयोंकि यह शानि और व्यवस्था स्थापित करता है तथा समाज में पारस्परिक व्यवहार को मरल बनाता है। इसलिए एपीक्यूरियन्स किसी भी ऐसी सरकार की आज्ञा पालन करने का समर्थन करते थे जो कि सुरक्षा, शांति तथा व्यवस्था कायम रखने में समर्थ हो। इस बात में उनकी दिनचरी न थी कि उनकी अभीष्ट मुद्दा एक मुट्ठी जननन्य स्थापित करना है या किसी एक निरकृत शासक की शक्ति और दमा-भावना। गरकार के रूप को उन्हें कोई परेशान न थी। किन्तु वे राजतन्त्र को सर्वंप्रेषण तथा मद्दने अधिक शक्तिशाली गरकार ममझते थे।

स्टोइसिज्म (Stoicism)—पश्चिम के राजनीतिक विचार के विकास में एपीक्यूरियनिज्म की प्रांती स्टोइनिज्म का प्रथिक महत्वपूर्ण भाग रहा है ; इसका

स्वरूप ही उसमें भिन्न है। अधिकतर इसके द्वारा ही यूनानी दर्शन का रोमन न्याय-शास्त्र (Jurisprudence) पर उसके दर्शन काल में प्रभाव पड़ा और प्राकृतिक कानून तथा सार्वभौमिकवाद अथवा विश्व नागरिकता के विचार पश्चिमी सभ्यता तथा संस्कृति का अंग बन गये।

स्टोइसिज्म का प्रवर्तन ३०० ई० पू० में 'जीनो, (Zeno) ने किया था। वह एक फोनिशियन (Phoenician) था और उसके माता पिता में से एक सेमिटिक (Semitic) था। इस विचारधारा के बाद प्रधान प्रचारक 'एशिया माइनर' (Asia Minor) के रहने वाले थे जहाँ कि यूनानियों और एशियाईयों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित हो रहा था। इस प्रकार अरस्तु की मूल्यु के बाद यूनान में पनपने वाली अन्य सभी विचारधाराओं की थपेका स्टोइसिज्म का यूनान विशेष से कुछ कम सम्बन्ध था। पहले यूनान में और फिर रोम में जहाँ कि सम्राट मार्कस आर्डीलियस (Marcus Aurelius), सिसरो, सेनेका (Seneca) तथा एपिकटटिस सरीखे विचारशील व्यक्ति इसके उपासकों में गिने जाते थे, स्टोइसिज्म कई शताब्दियों तक मनुष्यों के विचारों को प्रभावित करता रहा। दूसरी शताब्दी के शिक्षित रोम निवासी तो इससे बहुत ही प्रभावित हुए।

कहा जाता है कि जीनो क्रेटीज (Crates) का शिष्य था जो कि सिनिक (Cynic) मण्डली का नेता था। इसलिए स्टोइसिज्म को हम सिनिसिज्म (Cynicism) का ही एक विकसित रूप कह सकते हैं। सिनिसिज्म की मूल धारणाये—पूर्ण आत्मसंयम, परिस्थितियों से स्वतन्त्रता, पूर्ण आत्म-निर्भरता तथा स्वपर्याप्तता, और प्रकृति के अनुकूल जीवन, स्टोइसिज्म का आरम्भ विन्दु है—किन्तु यह उनकी एक विधेयात्मक और रचनात्मक व्याख्या करता है। फलतः सिनिसिज्म के एकदम निषेधात्मक तथा शून्यवादी सिद्धान्तों के बजाय स्टोइसिज्म ने विधेयात्मक और रचनात्मक विचार हमारे सामने रखके जो सिसरो से लेकर १८वी शताब्दी तक यूरोप के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करते रहे।

'प्रकृति' (Nature) की धारणा स्टोइक्स के दर्शन का केन्द्र विन्दु है, 'प्रकृति' उनकी उपास्य देवी है, उनकी समस्त कामनाओं का लक्ष्य है और उनकी समस्त क्रियाओं का स्रोत है। 'प्रकृति' के अनुसार जीवन व्यतीत करना, उसके साथ एकाकार हो जाना, उनके अनुसार जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। यह विचार उन्होंने सिनिक्स से लिया परन्तु उनकी एक भिन्न व्याख्या की। सिनिक्स का विचार था कि जीवन का ध्येय आनन्द प्राप्ति है परन्तु उसकी खोज हमे अपने अन्दर करनी चाहिये, बाहर नहीं। इसकी प्राप्ति चरित्र की पवित्रता में हो सकती है, इच्छा तृप्ति या सामाजिक क्रिया में नहीं। इसीलिये उनकी शिक्षा यह थी कि मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों से स्वतन्त्र रहना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को घटाकर कम से कम कर देना चाहिए और जितने भी कृप्रिय तथा परम्परागत आवश्यकतायें हैं उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। सारांश यह कि उनका लक्ष्य प्राकृतिक सरलता की ओर जाना या। इसी कारण वे

बहुत सी ऐसी वातों का प्रचार करने लगे जो न केवल अतिशयोक्तिपूर्ण है बल्कि जिनमें विरोधाभास भी है जैसे कि परम्परा सम्मत जीवन पद्धति तथा जनमत का तिरस्कार, अपने साथी मनुष्यों की संगति में घुणा तथा व्यक्तिगत शिष्टता का अभाव। स्टोइक्स ने सिनिक्स के इस उच्छ्वस्त्र प्रकृतिवाद को ठुकराकर उसकी जगह जीवन के एक अद्वितीय वृद्धिकोण को प्रतिस्थापित किया। उनका विश्वास है कि प्रकृति आकस्मिक घटित होने वाली घटनाओं का एक जमघट नहीं है, बल्कि एक बुद्धिसंगत व्यवस्था है; इसमें क्रमव्यवस्था है, विष्वास नहीं, इसमें देव और मानव दोनों भागिल हैं और दैविक बुद्धि इस पर शासन करती है। भौतिक तथा मानव जगत् दैविक योजना का एक भाग है; यह सार्वभौमिक कानून का साकार रूप है। इसलिए प्रकृति के अनुसार जीवन का अर्थ बुद्धि के अनुसार जीवन है; और क्योंकि बुद्धि कानूनों के अनुसार कार्य करती है इसलिए प्रकृति के अनुसार जीवन का अर्थ हुआ कानून के अनुसार जीवन। दैविक बुद्धि अपने आपको समाज के स्थापित कानूनों तथा रीति-रिवाजों में अभिव्यक्त करती है, इसलिए उनके अनुसार आचरण करना मनुष्य का धर्म है। इसलिए स्टोइक्स सिनिक्स की तरह रीति-रिवाज और परम्पराओं से भागने के लिए नहीं कहते; वे यथातथ्य स्थिति के अनुसार रहने का अनुमोदन करते हैं; यद्यपि वे भी भारव्यचक्ष तथा सामाजिक जीवन के मूल्यों की ओर से उपराम रहने की शिक्षा देते हैं।

क्योंकि सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को प्रकृति के साथ एकरूप हो जाना चाहिए, इसलिये स्टोइसिज्म में सामाजिक जीवन और सम्बन्धों के लिए अधिक स्थान नहीं हो सकता। एक मनुष्य प्राकृतिक कानून और बुद्धि के अनुसार सरलतापूर्वक अपना जीवन तभी विनियमित कर सकता है जबकि दूसरे मनुष्यों का दबाव उस पर न पड़े। इसलिए उसे राजनीतिक क्रियाओं से बचना चाहिए और जहाँ तक हो सके सामाजिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करने चाहियें। जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं, स्टोइक्स का ध्येय स्वपर्याप्तता तथा आत्म-निर्भरता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भानव जीवन में नियामक तथा नियन्त्रक शक्ति आचार-शास्त्र है, राजनीति-शास्त्र नहीं; यह आवश्यक नहीं कि एक अच्छा मनुष्य एक अच्छा नागरिक भी हो; दोनों के लिए अलग-अलग मुरणों की आवश्यकता है। इसका अर्थ हुआ आचार-शास्त्र और राजनीति-शास्त्र का एक दूसरे से विलकुल अलग-पलग हो जाना। राज्य एक व्यक्ति के लिए एक अच्छे जीवन का अपरिहार्य साधन अब नहीं रह जाता।

क्योंकि प्रकृति एक क्रमवद्ध और बुद्धिसंगत इकाई है, इसलिए प्रकृति के अनुसार जीवन का अर्थ है बुद्धि द्वारा विनियमित जीवन। बुद्धि सार्वभौमिक है; एक ही बुद्धि सर्वत्र व्याप्त है और उसका प्रत्येक वस्तु पर शासन है। इसलिए तमस्त मनुष्यों के लिए केवल एक जीवन मार्ग हो सकता है जाहे उनकी जाति और राष्ट्रीयता कुछ भी क्यों न हो। विभिन्न राज्यों के सदस्यों के लिए विभिन्न मार्ग नहीं हो सकते। इसलिए स्टोइक्स इस परिणाम पर पहुँचे कि मनुष्यों को अलग-अलग राज्यों में रहना चोड़ देना चाहिये जिनमें कि न्याय की विभिन्न कल्पनाओं ने विभिन्नताएं उत्पन्न कर रखी हैं।

है। समस्त मानव प्राणी एक महान् तथा पवित्र भ्रातृत्व में एक दूसरे के साथी और भित्र हैं। प्राकृतिक कानून का पालन करने का भाव उन सबको एक ही महान् समाज में गूढ़ता है। उन्हे सभी मनुष्यों को एक नगर—प्रभु का नगर—का सदस्य समझना चाहिये जिनका एक ही जीवन मार्ग है और जिनमें एक ही व्यवस्था है। इस प्रकार व्यक्ति को नगर-राज्य की संकुचित सीमाओं से ऊँचा उठा कर उसे विश्व नागरिक बैठा दिया गया है। यह है स्टोइक्स का सार्वभौमिकवाद।

निस्सन्देह यह देवनगर जिसका कि व्यक्ति सदस्य है, कोई वास्तविक नगर नहीं है, भूतल पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है; अफलातून की 'रिपब्लिक' के आदर्श राज्य की भाँति इसका नमूना भी स्वर्ग में ही पाया जाता है। कान्ट (Kant) की प्रसिद्ध घारणा—‘सध्य राज्य’ (Kingdom of Ends) से भी इसकी तुलना की जा सकती है। परन्तु यह केवल निषेधात्मक घारणा ही नहीं है। ‘विश्व नागरिक’ उक्ति से वह वास्तविक सौहार्द अभिव्यक्त होता है जो समस्त मनुष्यों में पाया जाता है चाहे वे किसी भी जाति या राष्ट्र के बायों न हों; इसका अर्थ यह है कि इस महान् परिवार के सदस्य होने के नाते सब मनुष्य भाई-भाई हैं और समान हैं; एक ही प्राकृतिक कानून के विनियमन द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन में तालमेल स्थापित होनी चाहिये।

इस बात से कि सभी मनुष्यों में एक सार्वभौमिक बुद्धि का सामान्य प्रकाश है और वे एक ही आधारभूत कानून के अधीन हैं प्राकृतिक समता का सिद्धान्त निमूल होना स्वभाविक और अनिवार्य है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है एक महान् मानव परिवार के घटक होने के नाते हम सब भाई-भाई हैं और हमारे सबके समान अधिकार हैं। मनुष्यों की प्राकृतिक असमानता का जिसके ऊपर अफलातून और अरस्तु के सिद्धान्त आधारित थे स्टोइक्स कड़ा विरोध करते थे। दास प्रथा के बे स्वभाविक विरोधी थे।

सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून, सार्वभौमिक नागरिकता, तथा मानव की प्राकृतिक समानता स्टोइक आदर्श थे। परन्तु यूनानी स्टोइक्स ने उन्हें राजनीतिक जीवन में सागृ करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यह काम आगे चलकर रोमन स्टोइक्स ने किया। रोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ सार्वभौमिक कानून और सार्वभौमिक नागरिकता वास्तविक तथ्य हो उठे। ‘प्राकृतिक कानून’ के विचार तथा इस विद्वास को कि न्याय के कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो मानव मात्र के लिए सामान्य है रोमन न्यायविदो (Jurists) तथा न्यायाधीशों ने अपनाया जिनका मत समस्त सम्मंजसार में कानून समझा जाता था; मानव भ्रातृत्व की घारणा को ईसाइयत ने अपनाया, उसको प्रसारित किया और आधुनिक संसार तक पहुँचाया जिसके बड़े गहरे परिणाम निकले।

राजनीतिक विचार को एपीक्यूरियनिज्य तथा स्टोइमिज्म की कथा देन है इनका बड़ा भव्य चित्र निम्नांकित उद्दरण में खीचा गया है:

बहुत सी ऐसी वातों का प्रचार करने लगे जो न देवन ग्रन्तिगणोक्तिपूर्ण हैं बल्कि जिनमें विरोधाभास भी है जैसे कि परम्परा सम्मत जीवन पद्धति तथा जन्मत का तिरस्कार, अपने साथी मनुष्यों की संगति में घृणा तथा व्यवितरण दिष्टता का अभाव। स्टोइक्स ने सिनिक्स के इस उच्छ्वास ल प्रकृतिवाद को दुकराकर उमर्कों जगह जीवन के एक आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित किया। उनका विद्यास है कि प्रकृति आकस्मिक पटित होने वाली घटनाओं का एक जमघट नहीं है, बल्कि एक चुदिसगत व्यवस्था है; इसमें क्रमबद्धता है, विष्वव नहीं, इसमें देव और मानव दोनों शामिल हैं और दैविक चुदि इस पर शासन करती है। भौतिक तथा मानव जगत् दैविक योजना का एक भाग है; यह सार्वभौमिक कानून का साकार रूप है। इसलिए प्रकृति के अनुसार जीवन का अर्थ चुदि के अनुसार जीवन है; और यदोंकि चुदि कानूनों के अनुसार कार्य करती है इसलिए प्रकृति के अनुसार जीवन का अर्थ हुआ कानून के अनुसार जीवन। दैविक चुदि अपने धारकों समाज के स्थापित कानूनों तथा रीति-रिवाजों में अभिव्यक्त करती है इसलिए उनके अनुसार आनंदण करना मनुष्य का धर्म है। इसलिए स्टोइक्स सिनिक्स की तरह रीति-रिवाज और परम्पराओं से भागने के लिए नहीं कहते; वे यथात्म्य स्थिति के अनुसार रहने का अनुमोदन करते हैं; यद्यपि वे भी भाग्यचक्र तथा सामाजिक जीवन के मूल्यों की ओर से उपराम रहने की शिक्षा देते हैं।

यदोंकि सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को प्रकृति के साथ एकत्र हो जाना चाहिए, इसलिये स्टोइक्सिज्म में सामाजिक जीवन और सम्बन्धों के लिए अधिक स्थान नहीं हो सकता। एक मनुष्य प्राकृतिक कानून और चुदि के अनुसार सरलतापूर्वक अपना जीवन तभी विनियमित बार सकता है जबकि दूसरे मनुष्यों का दबाव उस पर न पड़े। इसलिए उसे राजनीतिक क्रियाओं से बचना चाहिए और जहाँ तक ही सके सामाजिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करने चाहिए। जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं, स्टोइक्स का अर्थ स्वपर्याप्तता तथा आत्म-निर्भरता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव जीवन में नियमक तथा नियन्त्रक शक्ति आचार-शास्त्र है, राजनीति-शास्त्र नहीं; यह आवश्यक नहीं कि एक अच्छा मनुष्य एक अच्छा नागरिक भी हो; दोनों के लिए अलग-अलग गुणों की आवश्यकता है। इसका अर्थ हुआ आचार-शास्त्र और राजनीति-शास्त्र का एक दूसरे से विलुप्त अलग-अलग हो जाना। राज्य एक व्यक्ति के लिए एक अच्छे जीवन का अपरिहार्य साधन अब नहीं रह जाता।

यदोंकि प्रकृति एक क्रमबद्ध और चुदिसगत इकाई है, इसलिए प्रकृति के अनुसार जीवन का अर्थ है चुदि द्वारा विनियमित जीवन। चुदि सार्वभौमिक है; एक ही चुदि सर्वत्र व्याप्त है और उसका प्रत्येक वस्तु पर शासन है। इसलिए समस्त मनुष्यों के लिए केवल एक जीवन मार्ग हो सकता है चाहे उनकी जाति और राष्ट्रीयता कुछ भी क्यों न हो। विभिन्न राज्यों के सदस्यों के लिए विभिन्न मार्ग नहीं हो सकते। इसलिए स्टोइक्स इस परिसाम पर पहुंचे कि मनुष्यों को अलग-अलग राज्यों में रहना छोड़ देना चाहिए जिनमें कि न्याय की विभिन्न कल्पनाओं ने विभिन्नताओं उत्पन्न कर रखी

है। समस्त मानव प्राणी एक महान् तथा पवित्र भ्रातृत्व में एक दूसरे के साथी और मित्र हैं। प्राकृतिक कानून का पालन करने का भाव उन सबको एक ही महान् समाज में गूढ़ता है। उन्हें सभी मनुष्यों को एक नगर—प्रभु का नगर—का सदस्य समझना चाहिये जिनका एक ही जीवन मार्ग है और जिनमें एक ही व्यवस्था है। इस प्रकार व्यक्ति को नगर-राज्य की सकुचित सीमाओं से ऊँचा उठा कर उसे विश्व नागरिक बना दिया गया है। यह है स्टोइक्स का सार्वभौमिकवाद।

निस्सन्देह यह देवनगर जिसका कि व्यक्ति सदस्य है, कोई वास्तविक नगर नहीं है, भूतल पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है; अफलातून को 'रिपब्लिक' के आदर्श राज्य की भाँति इसका नमूना भी स्वर्ग में ही पाया जाता है। कान्ट (Kant) की प्रसिद्ध धारणा—‘लक्ष्य राज्य’ (Kingdom of Ends) से भी इसकी तुलना की जा सकती है। परन्तु यह केवल निषेधात्मक धारणा ही नहीं है। ‘विश्व नागरिक’ उक्ति से वह वास्तविक सौहार्द अभिव्यक्त होता है जो समस्त मनुष्यों में पाया जाता है वह किसी भी जाति या राष्ट्र के क्यों न हो; इसका अर्थ यह है कि इस महान् परिवार के सदस्य होने के नाते सब मनुष्य भाई-भाई श्रीर समान हैं; एक ही प्राकृतिक कानून के विनियमन द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन में तालमेल स्थापित होनी चाहिये।

इस बात से कि सभी मनुष्यों में एक सार्वभौमिक बुद्धि का सामान्य प्रकाश है और वे एक ही आधारभूत कानून के अधीन हैं प्राकृतिक समता का सिद्धान्त निःसृत होना स्वाभाविक और अनिवार्य है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है एक महान् मानव परिवार के घटक होने के नाते हम सब भाई-भाई हैं और हमारे सबके समान अधिकार हैं। मनुष्यों की प्राकृतिक असमानता का जिसके ऊपर अफलातून और अरस्तु के सिद्धान्त आधारित थे स्टोइक्स कड़ा विरोध करते थे। दास प्रथा के बे स्वाभाविक विरोधी थे।

सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून, सार्वभौमिक नागरिकता, तथा मानव की प्राकृतिक समानता स्टोइक आदर्श थे। परन्तु मूलानी स्टोइक्स ने उन्हें राजनीतिक जीवन में नागू करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यह काम आगे चलकर रोमन स्टोइक्स ने किया। रोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ सार्वभौमिक कानून और सार्वभौमिक नागरिकता वास्तविक तथ्य हो उठे। ‘प्राकृतिक कानून’ के विचार तथा इस विश्वास को कि न्याय के कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो मानव मात्र के लिए सामान्य है रोमन न्यायविदों (Jurists) तथा न्यायाधीशों ने अपनाया जिनका मत समस्त सभ्य समाज में कानून समझा जाता था; मानव भ्रातृत्व की धारणा को इसाइयत ने अपनाया, उसको प्रसारित किया और आधुनिक समाज तक पहुँचाया जिसके बड़े गहरे परिणाम निकले।

राजनीतिक विचार को एपीक्यूरियनिज्म तथा स्टोइसिज्म की बया देन है इसका बड़ा भव्य चित्र निम्नांकित उद्धरण में सीखा गया है:

"इस प्रकार दो प्रसिद्ध दर्शनधारायें, नगर-राज्य का अतिक्रमण करती हुई, एक सार्वभौमिक जीवन की प्रक्रिया को समझने तथा व्यक्ति के एकान्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयत्न में एकमत हैं। दोनों ही जीवन तथा संस्थानों के पीछे एक विदेष नमूना देखती है यद्यपि उसका मानव जीवन के मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है। 'स्टोइक्स' एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि 'प्राकृतिक कानून' अथवा दैविक शक्ति संसार पर शासन करती है जिससे पाप का प्राधान्य होते हुई भी अच्छे मनुष्यों का धर्म है जीवन के उच्चतर मूल्यों की रक्षा करना जो स्वयं अपना पुरस्कार है। यह वह देन है जो 'स्टोइसिज्म' ने 'रोमन कानून' तथा इसाइयत दोनों को दी है। प्रकृति का नैतिक कानून जो कि सब मनुष्यों पर लागू होता है, बड़ी-बड़ी सरकारों के पीछे उनकी शक्ति का स्रोत बन सकता है। सिसरों की परिभाषाओं को अपना कर और एक कानूनी भाषा में अनूदित होकर वह मध्य युग और उससे आगे के काल में आया।"*

- /

— — —

* "Thus the two famous philosophies, transcending the city state, unite in apprehending a universal life process and in attempting to meet the needs of individual loneliness. Both discern a pattern behind life and institutions, though it is indifferent to human values. The Stoics go farther and maintain that Natural Law or Providence governs a world in which, through all the preponderance of evil, it is the duty of good men to uphold the nobler values which are their own reward. Here, then, is the contribution which Stoicism made both to Roman Law and Christianity. A moral law of nature comprehending all men can become the sanction behind large scale government; translated into Roman legal terms, following the definitions, of Cicero, it was transmitted to middle ages and beyond."

रोमन राजनीतिक विचार

परिचयात्मक—प्राचीन यूनानियों के राजनीतिक विचार से चलकर जब हम प्राचीन रोमन्स के विचार पर आते हैं तो हमें एक भिन्न मानसिक बातावरण का अनुभव होता है। इन दोनों जातियों के देशीय गुणों तथा शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर था। यूनानी अत्यन्त भेदावी लोग थे; उन्होंने मानव जाति को विभिन्न वार्षिक प्रणालियों, वैज्ञानिक ज्ञान, नाटक, इतिहास इत्यादि के रूप में अमूल्य निधि दी है, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने विवेकपूर्ण धाद-विवाद तथा सक्रिय नागरिकता के विचारों की देन दी है। रोमन्स का मस्तिष्क विचारप्रधान नहीं था; वे व्यवहार प्रधान थे और सनका मस्तिष्क कानूनची था। उन्होंने एक विश्वव्यापी साम्राज्य की स्थापना की और मानव जाति को एक बहुत विकसित तथा समृद्ध कानून तथा न्यायशास्त्र (Jurisprudence) दिया। राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए रोम का अर्थ ही ही कानून तथा न्याय शास्त्र है यद्यपि रोम ने किसी ऐसे ऊने विचारक को जन्म नहीं दिया जिसे अफलातून और अरस्तु की श्रेणी में रखा जा सके और रोमन विचारकों ने राजनीति विज्ञान को कोई उल्लेखनीय देन नहीं दी तथापि सम्भता के कोष को रोम वालों ने एक महान् देन दी है। रोम की देन इस बात में है कि उसने यूनान से जो कुछ सीखा था उसे पश्चिमी यूरोप की उन उत्थानोन्मुखी जातियों को दिया जो कि उसके फैलते हुए साम्राज्य के कारण उसकी सकृति के प्रभाव में आये। कई शताब्दियों तक राजनीतिक रोमन शिक्षक तथा विचारक समस्त संसार में यूनानी विचार की व्याख्या करते रहे और उसका प्रसार करते रहे। परन्तु इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि यूनान के राजनीतिक विचारों की व्याख्या, प्रसार तथा प्रचार करने में रोमन विचारकों ने अपनी प्रवृत्ति और हट्ठि का कुछ रग भी उन पर छढ़ाया। इस प्रसंग में दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि यद्यपि रोम अफलातून और अरस्तु को जानता था और इन दो महान् विचारकों की कुछ कृतियों का वहा अनुवाद किया गया और पढ़ा गया, किन्तु इनका रोमन राजनीतिक विचार के ऊपर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। रोमन्स ने जिन विचारों की व्याख्या की और पश्चिमी योरूप में इन्हे फैलाया वे अधिकतर हेलिनिस्टिक (Hellenistic) यूनान थे। स्टोइक दर्शन को रोम में अनुकूल भूमि मिली। व्यवहार-प्रधान रोमन्स के हाथ में पड़कर इसमें संशोधन हुआ और रोमन कानून तथा न्यायशास्त्र के विकास में उसे अपनाया गया जिसके

परिणाम वहुत गहरे निकले जैसा कि पहिले ही इन्हींने विद्या जा सुका है, राजनीतिक विचार के गामान्य विकास में रोम ने प्राप्ती देने पाने कानून और न्यायशास्त्र द्वारा दी है। इन्हीं के द्वारा रोम ने ईतिहासिक यूनान की ओर्डिन यानी—गर्वभीमिक कानून, प्राचुरिक कानून, मनुष्य मात्र का भावन्य तथा विश्ववागरिकना के विचारों को जोकि स्टोइक चिन्तन के धाराएँ, पाद्मान्य मगार तरह पढ़नाया।

रोम का राजनीतिक जीवन—रोम ने प्राप्ते राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ प्राचीन यूनानी राज्यों की तरह एक राजनन्यी नगर राज्य के रूप में दिया और एक गणतन्त्र के रूप में महत्ता प्राप्त की। प्राप्ते पतन काल में यह गामान्यवादी और निरकुश हो गया। राजनन्यी भगवार के बदले में गणतन्त्री व्यवस्था किम प्रकार कायम हुई और अभिजात्य यर्ग तथा जन-भाषागण के पारभारिक मंथनों को किम प्रकार दूर किया गया और तत्पद्धतात् रोम किम प्रकार समार के मव ने बड़े गामान्य का स्वामी बना, इन सब बातों का यही बर्णन करना आवश्यक नहीं। यही पर हम केवल इस बात का बर्णन करेंगे कि उसने अपने तथा अपने नये उपनिषेदों से कानूनी प्रणालियों में किस प्रकार भामजस्य स्वापित करके एक व्यापक तथा सार्वभीमिक कानून प्रणाली तथा न्याय-शास्त्र को जन्म दिया, क्योंकि हम पहिले ही कह चुके हैं कि इन्हीं दो चीजों के द्वारा उसने यूनानी दर्शन को आत्मसात् किया, उसे भावी संतति को दिया और पदिचम के राजनीतिक विचार की विकास धारा को प्रभावित किया।

यूनान का रोम पर प्रभाव—रोम पर यूनान के ओर्डिक प्रभाव ने एक बड़ी हद तक रोमन कानून के विकास की रूप-रेखा को निर्धारित किया। यह प्रभाव वहुत पहले ही पड़ना आरम्भ हो गया था, ऐसा लगता है। वहुत लोगों का विश्वास था कि रोमन कानून को 'वारह तालिकाओं' (Twelve Tables) में सजोने का एक वहुत बड़ा कारण यूनानियों का प्रभाव था; ये तालिकायें यूनानी नगरों से लिये हुए कानूनों के ऊपर आधारित थीं। यूनान के रोम के अधिकार में आजाने के बाद रोम का यूनान के ऊपर प्रभाव वहुत बढ़ गया। रोम में वहुत से यूनानी बन्धकों (Hostages), राजदूत तथा दासों के रूप में मौजूद थे; उनके द्वारा यह प्रभाव पड़ना सम्भव हो सका। अपने लड़कों को अध्ययन के लिये या तो यूनान भेजना या अपने घरों में ही यूनानी शिक्षकों को रखना रोम के ऊचे घरानों का एक फैशन हो गया। स्टोइक दर्शन को, जो उस समय यूनान में जनप्रिय था, रोम ने अपनाया और उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिभा तथा प्रवृत्ति के अनुसार सशोधित किया। कानून प्रणाली को मानवतावादी तथा नैतिक आधार पर रखने में इसका सबसे बड़ा भाग है।

रोमन कानून का विकास—एक गणतन्त्र के रूप में भी रोम का विदेशियों से काफी सम्बन्ध था क्योंकि वाणिज्य तथा अन्य कामों के लिये काफी विदेशी रोम में रहते थे जिनकी मौजूदगी ने न्याय प्रशासन के लिये कुछ विशेष समस्याएं उत्पन्न की। रोमन कानून केवल रोमन नागरिकों के लिये था। रोम अपने नागरिकता के

गणिकार रोम में रहने वाले निवासियों तथा अपने नये उपनिवेशों के प्रजाजनों को उन्नेके लिये तैयार न था ; इसलिये उनके पारस्परिक तथा रोमन नागरिकों के साथ उम्बन्ध रोमन कानून के अनुसार निर्धारित नहीं हो सकते थे । किन्तु स्वयं विदेशियों के बीच में और रोमन नागरिकों तथा विदेशियों अथवा उसके उपनिवेशों के प्रजाजनों के बीच में निरन्तर भगड़े उठते रहते थे जिनका निपटारा होता था ; उसके साथ न्याय होना था । ऐसे मामलों का निर्णय करने के लिये एक विशेष मजिस्ट्रेट जिसे प्रेटर पेरीग्रीनस (Praetor Peregrinus) करने थे, नियुक्त किया जाता था । उसके निर्देशन के लिये न तो कोई विधि थी और न कोई तात्त्विक कानून, उससे आशा यह की जाती थी कि वह वाद के पक्षों के विभिन्न रीति-रिवाजों को घ्यान में रखते हुये उनमें सामान्य तत्वों के अनुसार निर्णय करेगा । बीदिक सिद्धान्तों तथा नैतिक मान्यताओं के अनुसार विधि के नियम निर्धारित करने की उमे स्वतन्त्रता थी । ऐसा करने में नाधारणतया प्रेटर तात्त्विक कानून की रचना भी करता था । अपनी न्यायविधि के अन्त में प्रेटर अपने आदेशों को संग्रह करके उन्हें प्रकाशित करा देता था । यद्यपि शुरू-शुरू में प्रत्येक प्रेटर अपने पूर्वगामी प्रेटर्स के नियमों पर निर्भर करना आवश्यक नहीं समझा जाता था किन्तु शनै शनैः यह प्रथा पड़ गई कि प्रत्येक नव-नियुक्त प्रेटर वैधि का निकास जाते थे और

। नई स्थितियों

जाते थे और

उन पुराने नियमों को संदोधित कर दिया जाता था जो यां तो अव्यवहारिक पाये जाते थे या जो तर्क और न्याय के विरुद्ध थे । इन नियमों को सामूहिक रूप से सावंभीमिक विधि (*jus gentium*) की सज्जा दी गई । इसका मतलब उन मिद्दान्तों से है जो कि विभिन्न जातियों के कानूनों तथा परम्पराओं के लिए सामान्य थे और इसीलिए जो साधारणतया सभी को मान्य थे । उनमें से कुछ को तर्कसंगत भी नमझा जाता, चाहे वे किसी भी कानून प्रणाली में क्यों न हो ।

सावंभीमिक कानून (*jus gentium*) कई मूलभूत वातों में रोम के नागरिक कानून (*jus civile*) से जिसके अनुसार रोमन नागरिकों के पारस्परिक वादों का निर्णय होता था, भिन्न था : यह विभिन्न जातियों के सामान्य आचरणों और परम्पराओं के ऊपर आधारित नियमों का संग्रह था ; यह निरा रोमन न था जैसा कि नागरिक कानून था । इसलिये यह समूर्ण मानव जाति के लिये सामान्य था । इसका निर्माण किसी व्यवस्थापिका द्वारा नहीं होता था और न ही इसका आधार जन-साधारण की इच्छा थी ; इसकी रचना न्यायिक और प्रशासनिक पशाधिकारियों द्वारा होती थी । यह निराकार न्याय के सिद्धान्तों का साफार रूप था । सावंभीमिक वानून का एक भाग स्टोइक दर्मन से लिया गया था । उसके मानव-भ्रातृत्व तथा सावंभीमिक-वाद के सिद्धान्तों ने एक हृद तक उस वर्तीव को निर्धारित किया जो कि गणतन्त्रों युग के प्रतिम टिनों में विदेशियों के साथ किया जाता था । इस प्रकार सावंभीमिक कानून प्राकृतिक कानून (*jus naturale*) के बहुत निकट प्रा गया जो कि स्टोइक

दर्शन की शिक्षाओं में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता था और रोमन कानून की आरम्भिक अवस्था में तो इन दोनों में सरलतापूर्वक विभेद भी नहीं किया जा सकता था। प्रोफेमर मैकेलवेन का विचार है कि प्रारम्भिक न्यायविदों ने स्टोइसिजम के सिद्धान्तों तथा इटली के स्थानीय कानूनों को एक जगह विलीन करके रोमन कानून को दार्शनिक तत्व प्रदान किया। यह विलीनीकरण सार्वभौमिक तथा कानून तथा नैसर्गिक कानून में लगभग एकरूपता के कारण था। प्रारम्भिक न्यायविदों को इन दोनों में एकरूपता देखने में कोई कठिनाई न थी क्योंकि उन्हें प्रचलित दर्शनधारा का समुचित ज्ञान था और उनको हृष्टि के बल कानून तक ही सीमित न थी, वे उससे बहुत आगे का देखने थे। रोमन कानून उस समय अपनी शैशवावस्था में था और उस पर वाहरी प्रभाव सरलता से पड़ सकता था; आगे चल कर इसमें बड़ी जटिलता आ गई और यह एक टेक्निकल विज्ञान बन गया। उसके इस प्रारम्भिक लचीलेपन का परिणाम यह हुआ कि उन दिनों के यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धान्तों को 'इटली के रीति-रिवाजों के ऊपर आधारित सिद्धान्तों के साथ मिलाया गया और यह सम्मिश्रण आगे चलकर पश्चिमी यूरोप की नई जातियों के कानून और राजनीति का आधार बना। यह सम्मिश्रण और प्रत्यावर्त्तन पश्चिमी राजनीतिक विचारों के विकास को रोम की मुख्य देन है और इसका व्यावहारिक महत्व किसी से कम नहीं है।^१

सार्वभौमिक कानून तथा प्रकृति कानून, दोनों में यह वातें सामान्य थी कि (१) कुछ नियम सर्वमान्य सिद्धान्त हैं, और (२) वे सिद्धान्त हैं जिन्हे मौलिक रूप से तर्कसंगत समझा जाता था चाहे वे किसी भी कानून पद्धति में क्यों न पाये जायें। इस हृद तक प्रारम्भिक न्यायविद इन दोनों में कोई भेद न करते थे; किन्तु आगे चलकर न्यायविदों ने इन दोनों में विभेद कर दिया। उन्होंने देखा कि दास-प्रथा जैसे व्यवहारों को जो बहुत सी जातियों की कानून प्रणालियों के लिये सामान्य थे, सार्वभौमिक कानून में तो शामिल किया जा सकता है किन्तु न्यायपूर्ण और चुदिसंगत मानकर उन्हें प्राकृतिक कानून की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार प्राकृतिक कानून को किसी देश विशेष के कानूनों से थेण्ठ समझा जाने लगा; उसे वह कसीटी समझा गया जिस पर कि वास्तविक राज्यों के कानूनों को कसा जाना चाहिये और जिसके अनुसार उसकी आलोचना होनी चाहिये; यह एक बौद्धिक तथा सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के स्वभाव के लिये योग्यता का एक आधारभूत सिद्धान्त बन गया जोकि किसी भी मानवकृत कानून का ग्रीनिच्य है और होना चाहिए।^२ कानून के सामने समानता, ईमानदारी के साथ कर्तव्य पालन करना, न्यायपूर्वक वर्तव करना, गवर्द्दों की अपेक्षा उद्देश्य का अधिक महत्व, आर्थितों की रक्षा, अपने समोनों के दावों

* McIlwain : *Ibid.*, page 105.

† Sir Frederick Pollock : *History of the Law of Nature*, quoted by Sabine.

को अधिक मान्यता देना इत्यादि को साधारणतया सामाजिक प्रारंभी के नाते मनुष्य के स्वभाव में उद्भूत योग्यता के सिद्धांत समझा जाता था। इन्हीं के प्रकाश में राज्य के मानवकृत कानूनों की व्याख्या और समीक्षा की जा सकती थी। इस प्रकार प्राकृतिक कानून का अभिप्राय मानवकृत कानून की एक गहरी और नैतिक समीक्षा थी।

साम्राज्य की छब्बीया में कानून का विकास—उपरोक्त समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने राजनीतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में रोम में कानून की तीन पिभिन्न प्रणालियां थीं; नागरिक कानून, सार्वभौमिक कानून तथा प्राकृतिक कानून। नागरिक कानून 'वारह तालिकाओं' के ऊपर आधारित नियमों का सप्रह था जिसके अनुसार रोमन नागरिकों के सम्पत्ति तथा परिवार मन्दवन्धी अधिकार निर्धारित होते थे; जबकि अनागरिकों अर्थात् रोम में रहने वाले विदेशियों तथा रोमन उपनिवेशों की प्रजा के बीच के सम्बन्ध सार्वभौमिक कानून के अनुसार निर्धारित होते थे। प्राकृतिक कानून दार्दीनिकों की चीज़ था और न्याय रक्षकों तथा न्यायविदों के कार्य को प्रभावित करता था। साम्राज्य के अन्तर्गत इन तीनों के एक धारा में समावेश हो जाने से एक नवीन सम्पूर्ण बन गया और साम्राज्य के समस्त प्रजाजनों पर लागू होने वाले एक विश्वव्यापी कानून का जन्म हुआ। तीनों का यह विलीनीकरण और एकीकरण कुछ-कुछ निम्नांकित ढंग से हुआ।

प्रारम्भ में रोम का कानून 'वारह तालिकाओं' (Twelve "tables") में समृद्धीत था; उस समय जीवन सखल था और कानूनी धारणायें तथा सम्बन्ध प्रारंभिक थे। जैस ही नगर-राज्य की वृद्धि हुई और जीवन अधिक जटिल हो गया, नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह असमर्थ सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने अपने आप की अनागरिकों से तुलना की जिनके मामलों का निणेंय उस सार्वभौमिक कानून के अनुसार होता था जिसमें एक अति सम्भ और संस्कृत समाज की परस्पराये मन्त्रिहित थी तो उन्होंने अपने को प्रतिकूल स्थिति में पाया। इस प्रकार सार्वभौमिक कानून तथा नागरिक कानून को एक जगह विलीन करने की मार्ग उत्पन्न हुई। एक अत्यन्त केन्द्रीभूत साम्राज्यवादी प्रशासन के अन्तर्गत इस विलीनीकरण की प्रवृत्ति को बहुत अधिक मम्बल मिला। साम्राज्य के कौनें-कौनें से तंग्राट के पास आवेदन-पत्र आते थे जिसने अपनी सहायता के लिए बहुत ही योग्य तथा दक्ष न्यायविदों की सेवायें प्राप्त की। नागरिक कानून तथा सार्वभौमिक कानून का समन्वय करके एक सम्पूर्ण तैयार करना उन न्यायविदों का कार्य था। जैसा कि ऊपर ही कहा जा चुका है, सार्वभौमिक कानून में बहुत से प्रेटर्स के आदेश तथा बहुत से भिन्न-भिन्न और कुछ परस्पर विरोधी विचार तथा रीति-रिवाज समिल थे। उस ढंग में से न्यायविदों को ऐसे नियमों को छाटना पड़ा जो कि सामान्य मिडांतों के अनुकूल थे और जिन्हें समस्त रोमन पर लागू किया जा सकता था। इस बयन और संग्रहीकरण के कार्य को समुचित रूप से सम्पन्न करने के लिए न्याय तथा अधिकार के स्वरूप को जातना आवश्यक था, जिसके लिए प्राकृतिक कानून का ज्ञान अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो सकता था।

नाम्रांश्य के वकील तथा न्यायविद कोरे अधिवक्ता (Advocates) ही नहीं थे ; वे कानून के पढ़ित थे और स्टोइगिजम की विद्यव्यापी कानून तथा मानव-भ्रातृत्व की भावनाओं से श्रोत-प्रोत ये द्वोर ईमीनिए उग कानून को जिने कि उन्होंने बनाया एक नीतिक स्वरूप दे सके । उन्होंने वास्तविक और कल्पित मामलों तथा नामान्य कानूनी सिद्धांतों की विवेचना की । उन्होंने जो कुछ किया उसमें में एक बुद्धिसमृद्ध महिला प्रणाली का विकास हुआ जिसमें सभी प्रकार के मामले था जाने थे । उन्होंने केवल यथार्थ कानून को ही व्यवन नहीं किया ; उन्होंने उसमें मानवतावादी तथा सार्वभौमिक-वादी स्टोइक दर्शन के प्रकाश में सुधार किया और उसके भागों को वह मामान्यता और व्यापकता प्रदान की जिसका आधार बुद्धि है । इस प्रकार नागरिक कानून सार्वभौमिक कानून तथा प्राकृतिक कानून को एक जगह मिलाकर जगतविव्यात 'रोमन कानून' की उद्भावना हुई । इस प्रक्रिया में प्राकृतिक कानून अधिक व्यावहारिक हो उठा ; सार्वभौमिक कानून में मम्बद्द होकर वह स्वर्ग से धरती पर उत्तर आया । द्वीप सार्वभौमिक कानून अधिक सामान्य हो गया । रोम का हिटिकोण अधिक मानवी हो गया और कम मकुचित रह गया , उसका मूलतः व्यावहारिक चरित्र स्टोइसिजमः लिए हुये न्याय के व्यापक आदर्श को पाकर अधिक भव्य हो उठा । रोमन कानून ने विभिन्न स्वरूपों और अगों *jus civile, jus gentium* तथा *jus naturale* का मनुवाद क्रमशः नागरिक कानून, सार्वभौमिक कानून तथा प्राकृतिक कानून किया है । यद्यपि हिन्दी के ये शब्द अयंजी शब्दों के भाव को पूर्ण स्पष्ट से अभिव्यक्त नहीं कर पाते क्योंकि प्रचलित अभिव्यजना में इनका अर्थ मकुचित होता है, किन्तु अधिक उपयुक्त शब्दों के अभाव में इनका प्रयोग करना ही पड़ा ।

रोम की कानून विषयक धारणा—रोमन कानून के विकास का जो विवरण हमने ऊपर दिया उसका अन्तिम फल हुआ कानून की एक नवीन धारणा की उद्भावना जो कि परम्परावादी यूनानी विचार से एकदम भिन्न थी । यूनानियों ने कानून को धर्म तथा आचार-शास्त्र से अलग नहीं किया । यूनानी मस्तिष्क में यह विचार कभी नहीं आया कि कानून का स्रोत एक थेठ मानव की इच्छा है । उनके लिए कानून विशुद्ध और निलिप्त बुद्धि की अभिव्यजना था और उसकी मान्यता का आधार नीतिक या धार्मिक था । हो सकता है कि पहिले रोमनों के मन में भी ऐसे विचार आये हों किन्तु यदि ऐसा है तो उनमें आगे चलकर भारी परिवर्तन हुआ । रोम में कानूनी विकास का अन्तिम फल यह हुआ कि कानून का धर्मनिरपेक्षीकरण हो गया जिस आधार पर कानून की यह प्रचलित धारणा टिको हुई है कि कानून एक निश्चित थेठ मानव का आदेश है ।

शुरु-शुरु में रोमन कानून धार्मिक तथा परम्परागत नियमों का सम्मिश्रण था । यह विचार कि राज्य कानून बना सकता है वहाँ नहीं था ; प्रथा के ऊपर आधारित कानून को भंग करना राज्य के प्रति अपराध की अपेक्षा देवताओं के प्रति पाप अधिक समझा जाता था । परन्तु ४५० ई० पू० के लगभग 'वारह तालिकाओं' के रूप में

रोमन कानूनों के संग्रहबद्ध हो जाने से रोम के कानूनी इतिहास में एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद धार्मिक तत्व को अधिकाधिक तिरस्कृत किया गया और कानून को अधिकाधिक राज्य की इच्छा समझा जाने लगा। यह सिद्धान्त कि कानून राज्य की इच्छा को अभिव्यक्ति है, राज्य ही इसका निर्माण करता है और राज्य की शक्ति उसकी स्वीकृति का आधार है, दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया। कानून धर्म और आचार-शास्त्र से अलग हो गया। यह कानून के स्वरूप के विषय में किसी सिद्धान्ती-करण का परिणाम नहीं था बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता का फल था। एक विस्तृत साम्राज्य में जिनमें विभिन्न धर्मों के लोग हों कानून तथा धर्म में सम्बन्ध बनाये रखना एकदम असम्भव था।

यह विचार कि रोमन कानून धर्मनिरपेक्ष और मानवीकृत हो गया, कि धर्म और आचार-शास्त्र से इसे अलग कर दिया गया और यह कि यह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति था, एक हृद तक ही सही है। यह समझना गलत होगा कि पूर्ण रूप से विकसित आधुनिक विचारों की उद्भावना रोमन विचारको द्वारा हुई। पहिली बात जो हमें याद रखनी चाहिये वह यह है कि यद्यपि रोम में यह सिद्धान्त स्थापित हो चुका था कि शासक की शक्ति का अन्तिम स्रोत जनता है और शासक की इच्छा कानून की शक्ति इसलिए रखती है यदोकि जनता ने अपना अधिकार उसे दे दिया है, तथापि रोमन कानून की उत्पत्ति विधेय (Legislation) द्वारा बहुत थोड़ी ही अवधि में हुई थी। जो अभिकरण रोम में कानून बताता था उसे आधुनिक सरकार का व्यवस्थापक अंग कहना कठिन है। यह विचार कि कानून एक समर्थ व्यवस्थापिका की इच्छा की अभिव्यक्ति है, बहुत नवीन है। दूसरी बात यह कि रोमन न्यायविदों तथा अभिभाषकों (Lawyers) के मस्तिष्क में यह विचार सदैव बर्तमान रहता था कि प्रकृति का उच्चतर कानून कुछ नियोजित कमीटियाँ रखता है जिनके ऊपर राज्य द्वारा निर्मित मानवकृत कानून को कसा जाना चाहिये। वे स्टोइमिजम के मानववादी विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। यह प्राचीन सिद्धान्त कि कानून अमूर्त विवेक है और एक कानून विहित सरकार तथा एक सफल आततायीतत्र में एक मोटा भेद है उनकी आंखों से पूर्णतया कभी आंखल नहीं हुआ। कानून की आधीनता तथा मानव गौरव में सामजस्य हो सकता था यदोकि कानून किसी न किसी प्रकार में जन-इच्छा की अभिव्यक्ति है जबकि दयालु से दयालु निरंकुम राजा की अर्जुन को भी नैतिक अध.पतन का कारण समझा जाता था। जैसा कि मेत्राद्यन्त ने कहा है, रोमन कानून ने मिस्रों के इस वाक्य की भावना को सदा अपनाये ॥३४॥ किंवद्दन्ति कानून की अधीनता इसलिये स्वीकार करते हैं ताकि हम स्वतंत्र न होकर हैं।

राजनीतिक विचार को रोम को देन—जैसा कि द्वितीय छठा अध. कहा है कानून तथा न्याय-शास्त्र को रोमनों को मुख्य देन यह द्वितीय कानून धर्मनिरपेक्ष है जिसकी शक्ति का स्रोत धर्म या आचार-शास्त्र नहीं बल्कि अभ्युक्त हो दिया जाए। इन-

* "We are servants of the law in order that it may not fail."

में मप्रिहित यह विचार है कि राज्य समाज में भिन्न है और वह नैतिक मुदाय इतना नहीं जितना कि कानूनी नाचा है।

यूनानियों ने राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने, विशेषकर अफलातून ने, व्यक्ति को राज्य में बिलीन कर दिया। रोमन विचार में व्यक्ति का अस्तित्व सुरक्षित है, उसे राज्य में बिलीन नहीं किया गया उसे राज्य में अलग कर दिया गया और दोनों के निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों के खेत्र अलग-अलग कर दिये गये। व्यक्ति को कानूनी विचार का केन्द्र बनाया गया; व्यक्ति के अधिकारों को रक्षा करना राज्य का प्रमुख कार्य था। और न एषीस्यूरियन्म तथा स्टोइक्स की भाँति राज्य को अनावश्यक ही समझा गया। राज्य को एक कानूनी व्यक्ति समझा गया जो अपने अधिकार का प्रयोग निश्चित सीमाओं के अन्दर करता था। सारांश यह कि रोमनों ने राज्य के कानूनी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया जिसने बहुत बड़ी सीमा तक मध्यकालीन विचारों के विचार की रूपरेखा निर्धारित की। इस विचार की उत्पत्ति समाज से अलग राज्य के निराकार विचार के कारण सम्भव हो सकी। राज्य और समाज में यह भेद सब से अधिक सेनीका ने किया है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि मिथित मविधान की धारणा का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था जिसे कि वह शासन की स्थिरता में महायक समझता था, और कुछ हद तक उसे व्यवहार में भी परिणत किया जा चुका था, किन्तु इस धारणा को विकसित करना तथा इसे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का आधार बनाने का कार्य रोमनों का था। पोलिवियस की धारणा भी कि रोमन मान्यता की महानता और स्थिरता मूल्य रूप से रोमन प्रणाली के मिथित स्वरूप तथा नियन्त्रण तथा संतुलन के सिद्धान्त, और कुछ हद तक शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के कारण थी।

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि सार्वभौमिक कानून और विश्व नागरिकता की स्टोइक धारणायें अमूर्त ही रह जाती, यदि उन्हे एक बड़ी हद तक उस रोमन साम्राज्य में मूर्त रूप न दिया जाता जैसा कि ग्रौगस्टस के शासन के बाद की शताब्दियों में स्थापित हुआ था। साम्राज्य के सभी व्यक्तियों पर, उनकी जाति और निवास स्थान का विचार किये जाते, एक कानून लागू होता था और सार्वभौमिकवाद का यह विचार कि मनुष्यों के आधार उनकी जाति और निवास स्थान में स्वतन्त्र होते हैं, एक हद तक कियान्वित हो जाता था।

हम पहले ही कह चुके हैं कि रोम ने अपना राजनीतिक नीचन एक राजतंत्री नशर राज्य के रूप में आरम्भ किया और गणतन्त्र के रूप में ऐश्वर्य प्राप्त किया। राजतंत्री युग में भी रोम ने गणतन्त्र के इस तत्व की पूर्ण रूप से अवहेलना नहीं की कि राज्य की अन्तिम शक्ति समस्त जनता में रहती है। जहां तक कि सिद्धान्त का सम्बन्ध है रोमन साम्राट अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करते थे, उसके अभिकर्ताओं के

रूप में कार्य करते थे तथा उसके प्रति उत्तरदायी थे। यद्यपि राज्य के कानून संग्राट की इच्छा को अभिव्यक्त करते थे, परन्तु जनता उनको इसलिए मानती थी क्योंकि उनका विश्वास था कि संग्राट उन्हीं की दी हुई शक्ति का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त रोम में बहुत दिनों तक यह धारणा बनी रही कि कानून न्यायरक्षकों तथा जनता के समझीते द्वारा बनाए जाते हैं। न्यायरक्षक-गण कानूनों का प्रस्ताव रखते थे और जनता उन्हें स्वीकार करती थी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रोमन सिद्धान्त के अनुसार कानून जनता के ऊपर किसी वाहरी शक्ति द्वारा नहीं लादा जाता था वल्कि गैंट्स के शब्दों में वह 'परस्पर वार्तालाप के बाद राज्य के निर्मायक तत्त्वों के बीच में एक अनुबन्ध था।' जनता द्वारा अपनी शक्ति न्यायरक्षकों, कन्सलो (Consule) तथा सभाटों को एक अनुबन्ध द्वारा दे देता, यह विचार राजनीतिक विचार को रोमनों की एक मुह्य देन है। इस प्रकार की शक्ति एक बार देने के बाद फिर वापिस नहीं ली जा सकती थी; जनता के पास अत्याचारी शासकों का कोई इलाज न था। इस प्रकार रोमन न्याय-शास्त्रियों ने जन-इच्छा के आधार पर एक निरकृश शासन का भवन खड़ा कर दिया।

एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्त जिसकी उद्भावना रोमनों में स्वतन्त्र रूप से ही भी उल्लेखनीय है; इसके विकास में यूनानी विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह है Imperium अर्थात् राजसत्ता का सिद्धान्त। आदि काल से ही रोमनों का यह विश्वास का कि प्रत्येक समाज अथवा जाति में अपने व्यक्तिगत सदस्यों को आदेश देने तथा उनसे असीमित आज्ञा-पालन करने की एक अन्तिनिहित शक्ति होती है जिसे वह किसी को दे नहीं सकती; वह अदेय होती है। इम शक्ति को वह Imperium कह कर पुकारते थे जिसे आधुनिक भाषा में राजसत्ता या नार्कभीमिकता कहा जा सकता है। इस अधिकार का होना प्रत्येक समाज की मुह्य विशेषता थी। रोमनों ने इस विचार का कोई क्रमबद्ध विकास नहीं किया; परन्तु इसका प्रयोग करके कानून की एक भव्य प्रणाली का विकास किया। यह उनके राज्य के सघटन का आधार थी। राज्य के इम्पीरियम का स्वरूप उसकी अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति से भिन्न था।

शुरु-शुरु में राजसत्ता राजाओं में रहती थी जिनकी निरकृश शक्ति पर जनता का किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं होता था। राजमतिक के प्रयोग में जनता का कोई हाथ नहीं होता था। एक राजा के मरने पर राजसत्ता उसके उत्तराधिकारी के हाथ में आ जाती थी। गणतन्त्र के समय राजसत्ता बहुत में अधिकारियों में विभक्त थी ये अधिकारी राजसत्ता के प्रयोग के लिए अपने पद की अवधि समाप्त होने पर, पदासीन रहते समय नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते थे। इससे ज़ाहिर होता है कि गणतन्त्री युग में राजमत्ता का अन्तिम स्वामी स्वयं जनता को समझ जाता था। जनता ही इन बात का निर्णय करती थी कि राजसत्ता किसे मिलती चाहिए और विभिन्न न्यायरक्षकों ने वह किसी प्रकार विभक्त नहीं होनी चाहिए। परन्तु जनता

स्वयं उसका प्रयोग नहीं कर सकती थी ; और एक या अधिक अधिकारियों को एवं बार हस्तान्तरित करके उनमें वह वापिस नहीं ले सकती थी, उसे उनकी आज्ञा व पालन करना पड़ता था । इस प्रकार वह सिद्धान्त उत्पन्न हुआ कि राज्य की अन्तिम शक्ति पर जनता का अधिकार है किन्तु वह एक या अधिक व्यक्तियों को दे देती है साम्राज्यवादी युग में भी इस कल्पना का हास नहीं हुआ कि राजसत्ता का अन्तिम स्रोत जनता है और मस्ताट जनता का अभिकर्ता (Agent) है ; यद्यपि वास्तव में सम्राट् किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था ; केवल उसे ही आदेश देने और आत्मपालन करवाने का अधिकार था । अपने बुद्धिज्ञातुर्य और कौशल से वकीलों ने एक ऐसे निरपेक्ष शासक की मृष्टि कर डाली थी जिसकी इच्छा कानून था । गणतन्त्री तथा साम्राज्यवादी युगों में एक दूसरा महत्वपूर्ण अन्तर यह था कि साम्राज्यवादी युग में सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में ही राजसत्ता एकीकृत थी । गणतन्त्र में सैनिक अधिकारी-गण भी राजसत्ता के प्रयोग में भाग लेने थे । साम्राज्य के अन्तर्गत शासकों को मेना के नियन्त्रण पर अधिकाधिक निर्भर करना पड़ता था ; इसनिए राजसत्ता के नारारक और सैनिक अग एक जगह घुल-मिल गए और राजसत्ता एकीकृत हो गई । राजसत्ताधारी को निरंकुश बनने से दोकने वाली यह भावना थी कि राजसत्ता एक धरोहर है जिसका प्रयोग जनहित के लिए होना चाहिए । राजतन्त्र के युग में यह भावना एक वास्तविकता थी ; गणराज्य और साम्राज्य के काल में भी यह जीवित रही । गणतन्त्र के युग में सचमुच और साम्राज्य के युग में केवल संदान्तिक रूप से यह विश्वास किया जाता था कि राजसत्ता का आधार जन-इच्छा है । इस हद तक हम कह सकते हैं कि रोमन लोग जनश्रिय सभा के सिद्धान्त में विश्वास करते थे ।

पोलिवियस (Polybius)—यह है रोम की कानूनी पद्धति के विकास और राजनीतिक विचार को रोम की देन का भक्षिष्ठ इतिहास । किन्तु रोम की शासन पद्धति की भवानता, विजय तथा स्थिरता के कारणों के बारे में पोलिवियस के विचार तथा सिसरो और सेनेका (Seneca) के राजनीतिक सिद्धान्तों का उल्लेख किए विना उपरोक्त विवरण अद्यूरा और अधूरा ही रहेगा ।

पोलिवियस का जन्म २०४ ई० पू० में हुआ था ; वह एक यूनानी दार्शनिक इतिहासकार था । १६ वर्षों तक रोमनों ने उसे एक राजनीतिक बन्धक के रूप में रखा था । रोम में रहते हुए उसने वहाँ के बोद्धिक तथा सैनिक नेताओं में सम्बन्ध स्थापित किए और रोम के मन, चरित्र तथा संस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया । वह इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि रोमनों ने ५३ वर्ष से कम के समय में ही सासार को परास्त कर डाला और अपने 'रोम का इतिहास' नामक अन्य में उसने रोम की इस अद्भुत सफलता के कारणों का अनुमान लिगाने का प्रयास किया है । उसके विचार में इसका कारण रोम की असाधारण स्थिर शासन प्रणाली थी ।

पोलिवियस ने अफलानुन और अरस्तु की यह बात अपनाई कि सरकारी को ६ वर्गों में विभक्त किया जा सकता है और सरकार एक परिवर्तन-बक्त में से युद्धी-

है। यद्यपि इस विचार की कि एक मिथित सरकार को अपेक्षा अमिथित सरकार अधिक शीघ्रता से पतित हो जाती है सबसे पहले उद्भावना अफलानून और अरस्टु ने की किन्तु पोलिवियम द्वारा इसे बहुत बड़ा सम्बल मिला। उसके विचार से रोमन सरकार की इतनी अधिक स्थिरता का कारण उसका मिथित चरित्र था। यह राजतन्त्री, कुलीनतन्त्री तथा जनतन्त्री तत्त्वों का एक मुन्दर समन्वय था। राजतन्त्री तत्त्व का प्रतिनिधित्व कन्सल्स (Consuls), कुलीनतन्त्री तत्त्व का प्रतिनिधित्व सीनेट (Senate) तथा जनतन्त्री तत्त्व का प्रतिनिधित्व जनता की सभाओं द्वारा होता था। मिथित सविधानों के विषय में अफलानून तथा अरस्टु और पोलिवियस के विचारों में बहुत बड़ा अन्तर है। अरस्टु जनतन्त्र तथा धनतन्त्र के आधारभूत राजनीतिक सिद्धान्तों का सम्मिश्रण करना चाहता था। उसकी 'पोलिटी' एक ऐसा राज्य था जिसमें मध्यवर्ग सबसे अधिक शक्तिशाली था और जिसमें स्वतन्त्र जन्म के जनतन्त्री सिद्धान्त तथा राज्य के पदों के वितरण के लिये धनतन्त्र के गुणात्मक सिद्धान्त का गठजोड़ करने का प्रयास किया गया था। पोलिवियस ने अपने मिथित सविधान में उन तत्त्वों का सम्मिश्रण करने की चेष्टा की है जो कि विभिन्न प्रकार की सरकारों की विशेषताएँ हैं; वह सरकार की शक्तियों को विभिन्न अंगों में विभिन्न करता है जिसमें से प्रत्येक अङ्ग सरकार के एक विशिष्ट रूप का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हम पहिले ही कह चुके हैं, राज्य की सर्वोच्च सैनिक शक्ति कन्सल्स (Consuls) के हाथों में थी जोकि राज्य के राजतन्त्री अंग का प्रतिनिधित्व करते थे; न्यायिक तथा वित्त सम्बन्धी शक्तियाँ सीनेट को दी गई थीं जो कि कुलीनतन्त्री-वर्ग की प्रतिनिधि थी, और नीति-निर्धारक कार्य जनप्रिय सभाओं को दिये गये जिन्हे जनतन्त्री अंग कहा जा सकता है। परन्तु रोमन पद्धति को वास्तविक स्थिरता प्रदान करने वाली चीज यह थी कि इसमें वे तीनों अंग एक दूसरे को नियन्त्रित करते थे और उसे अति शक्तिशाली होने से रोकते थे। यदि कन्सल्स अपने अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन करते थे तो सीनेट जिसका धन के ऊपर अधिकार था, उन्हें नियन्त्रित कर सकती थी। जनप्रिय सभाये राज्य पदों को वितरित करने तथा कानून बनाने और उन्हें रद्द करने की अपनी शक्ति द्वारा अन्य दो अंगों को नियन्त्रित कर सकती थी। रोमन प्रणाली में प्रत्येक अंग का एक दूसरे के ऊपर नियन्त्रण था; यह 'नियन्त्रण और संतुलन' (Checks and Balances) के सिद्धान्त के ऊपर आधारित था। इस सिद्धान्त को एक विकसित रूप में सामने रखने का सर्वप्रथम थ्रेय पोलिवियस को है। रोम की सफलता की कुजी यह "नियन्त्रण और संतुलन" का सिद्धान्त था जैसा कि पोलिवियस का विचार था या कोई और चीज? यह एक कठिन प्रदन है जिसमें जाने की यहाँ कोई आवश्यता नहीं। हम केवल इतना कहेंगे कि मोमसेन (Mommsen), जो कि एक महान् इतिहासकार था, पोलिवियस के इस अनुमान को एक बुद्धीमूल राजनीतिक कल्पना समझता है।

सिसरो (Cicero) — अब हम सिसरो और सेनेका (Seneca) पर आते हैं, जिनका रोम में स्टोइक दर्शन का प्रवेश दराने में मुख्य हाथ है। सिसरो का जन्म पोलिवियस से लगभग एक सौ वर्ष बाद १०६ ई० पू० में हुआ था, जब कि रोम में दो शक्तिशाली गुटों में गृहयुद्ध होने के फलस्वरूप गणतन्त्री संविधान ढल रहा था। वह सामाजिक मर्यादा का युग था; गणराज्य के विभिन्न अंगों का गतिरोध समाप्त करने के लिए शक्ति का सहारा लिया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणतन्त्री संविधान की अमरकरता की पृष्ठभूमि में सिसरो ने अपनी रचनायें की। उसका उद्देश्य गणराज्य को टाइबीरियम ग्रेक्स (Tiberius Gracchus) के क्रातिकारी शासन से पूर्व के रूप में प्रतिष्ठित करना था। उसका ध्येय यह भी था कि उसके देशवासी रोम के जनसेवा के परम्परागत धर्म तथा प्राचीन धारान पढ़ति को फिर से अपनाये। उसे अपने उद्देश्य में कोई विशेषता नहीं मिली; उस समय उसकी कृतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु उनमें एक महान् गुण था; उनकी शैली और गुणवृण्णि है, उनमें धाराप्रवाह है और उनका व्यापक अध्ययन हुआ। उनका महत्व अपने विचारों की मौलिकता में नहीं, अपनी अभिव्यजना की शैली में है। जैसा कि उसने स्वयं स्त्रीकार किया है उसकी कृतियां सप्तरी-मात्र थीं, परन्तु जैसा कि सैवाइन ने कहा है, उसने जिस विचार को एक बार लेखवद्ध कर दिया वह पाठकों के लिए सदा बना रहा और वह अमर हो गया। यूनानी राजनीतिक विचारों का सबसे महत्वपूर्ण प्रसारक (Transmitter) होने के नाते सिसरो का राजनीतिक विचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि सिसरो ही वह व्यक्ति था जो कि स्टोइक्स के प्राकृतिक कानून को स्वर्ण में धरती पर लाया। उसके द्वारा ही प्राकृतिक कानून और समानता से स्टोइक विचारों की रोमन पढ़ति में अनुभूति हुई और वे विश्व की थाती का एक स्थायी भाग बने। वह अफलातून की रचनाओं से भी परिचित था और उसने अपनी महत्वपूर्ण कृतियों का नामकरण करने में भी उस महान् यूनानी विचारक का अनुकरण किया है। उसकी महत्वपूर्ण कृतियों के नाम हैं; डी रिप्लिका (De Republica), डी लेजीवस (De Liegibus) तथा डी ओफिसिस (De officiis)। परन्तु सिसरो यूनानी विचार का पुनर्कान्यन मात्र नहीं करता; उसने उसकी पुनर्व्याख्या भी की है और रोमन वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए उसे अधिक ठोक अर्थ प्रदान किया है। उसने स्टोइक दर्शनिक विचारों को लैटिन कानूनी शब्दों में परिभाषाबद्ध कर दिया जिनका प्रयोग आगे आने वाले रोमन तथा इसाई वकीलों ने किया। उसने नये-नये शब्द भी घड़े जिनका बाद के लेखक वरावर प्रयोग करते रहे।

'डी रिप्लिका' की रचना में अफलातून की 'रिप्लिक' का अनुकरण किया गया है। न केवल उनके नामों में वृत्तिक मामान्य विषय मामान्यी तथा विषय प्रबन्ध में भी ये दोनों में एक घनिष्ठ समानान्तर है। न्याय के स्वरूप की मीमांसा दोनों ग्रंथों का मुख्य विषय है। सिसरो कार्नेडीज (Carneades) की विच्वसक आलोचना

के विशुद्ध न्याय का पक्ष समर्थन करते हुए अपने विवारो का प्रतिपादन करता है। अफलातून की भाँति हीं सिसरो भी अपनी 'डॉ रिपब्लिका' में एक आदर्श राज्य अकित करता है। परन्तु जब कि अफलातून का आदर्श राज्य हवाई किला था और इस धरती के वास्तविक मानव जीवन से उसका कोई सम्बन्ध न था, सिसरो का आदर्श राज्य यथार्थ के अस्थन्ति निकट है। यह उसके सिद्धातों का विकास रोमन संविधान के इतिहास की धारा में देखता है। एक आदर्श राज्य का संविधान एक लम्बे विकास का परिणाम है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में सोचने वाले बहुत से व्यक्तियों ने योग दिया है। इसकी स्थापना एक व्यक्ति की प्रतिभा द्वारा नहीं हो सकती, उसके लिए युगों की आवश्यकता है। ऐसा संविधान मिश्रित होता है। रोमन प्रणाली में ये सभी गुण पाए जाते थे। अफलातून नगर-राज्य का दार्शनिक था; सिसरो, जिसका पोषण स्टोइक दर्शन से हुआ था, विश्व की भावना रखता था।

सिसरो राज्य को एक 'कॉमनवैल्थ' (Commonwealth) कह कर पुकारता है। यह मनुष्यों का समूह है जो एक दूसरे के लिए स्वाभाविक संवेदना की भावना द्वारा एक जगह संघटित हुए हैं; उनका राजनीतिक संघटन सूच का एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, समाज से अलग रहकर निर्वन्तरता का अनुभव या कोई भौतिक स्वार्थ नहीं। राज्य का आधार मनुष्यों के पारस्परिक हितों की एकता तथा न्याय के ऊपर आधारित कानून को स्वेच्छापूर्वक मानना है, भय अथवा लोभ नहीं। यहां तक तो सिसरो और अफलातून में कोई अन्तर नहीं है; सिसरो ने राज्य के मूल तथा स्वरूप के विषय में यूनानी विचारों को पुनर्व्यक्त किया है। परन्तु एक बात में उसमें तथा अफलातून में एक आधारभूत अन्तर है। सिसरो का राज्य अफलातून के राज्य की भाँति एक विशिष्ट तत्व नहीं है जिसमें कि राजनीतिक शक्ति केवल कुछ व्यक्तियों के हाथ में है और शेष उसके अंग होते हुए भी उसकी शक्ति में भाग से वचित हैं; सिसरो का राज्य जनता का राज्य है। इसका घ्येय सबकी भलाई है; समस्त जनता का इससे सम्बन्ध है। उचित और कानूनी राजनीतिक शक्ति जनता की सामूहिक शक्ति है।

सिसरो के सरकारों के वर्गीकरण में कोई वात नहीं है। वह उन्हे तीन प्रारंभिक वर्गों में विभक्त करता है: (१) राजतन्त्र, (२) कुलीनतन्त्र, (३) जनतन्त्र। इनमें में प्रत्येक विशुद्ध रूप की प्रवृत्ति अपने अनुरूप भ्रष्ट रूप में परिवर्तित हो जाने की होती है। इस प्रवृत्ति को रोकने का केवल एक ही साधन है और वह है इन तीनों के तत्वों को ममिमशण कर देना। पोलिवियस के चरणचिह्नों पर चलते हुये वह भी रोमन संविधान को मिश्रित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण समझता है। प्रोफेसर डिनिग ('Dinigan') के अनुसार सिसरो का 'नियन्त्रण तथा मंतुलन' का सिद्धात पोलिवियस के नियन्त्रण को अपेक्षा अधिक सजीव है, वह उतना यान्त्रिक नहीं है; रोमन विचारक सिसरों तत्वों और वर्गों को अपेक्षा सिद्धातों के सतुरन को अधिक प्रभाव करता था।

रोमन राजनीतिक विचार

हम पहिले ही कह चुके हैं कि प्राकृतिक कानून नित्य और अपरिवर्तनीय है। अनादि होने के कारण वह स्वयं राज्य का स्रोत है। इसमें यह बात निहित है कि एक राज्य विदेश के द्वारा बनाए हुए कानून प्राकृतिक कानून अधिका शुद्ध बुद्धि के अनुसार होने चाहिये। उनका पालन करना नागरिकों के लिए वे प्राकृतिक कानून के अनुराग हैं। यदि वे उनके अनुकूल न हों तो नागरिकों के लिए उन का मानना अनिवार्य नहीं। वास्तव में राज्य द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून जो इसके विरुद्ध हो सच्चे अधियों में कानून नहीं हो सकता; जो चीज स्वयं गलत है उसे कोई भी सासक अपनी मोहर लगाकर सही नहीं कर सकता। स्वयं मिम्रो के शब्दों में 'इस कानून को मानव के बनाए हुए कानूनों' द्वारा रद करना नीतिक रूप से कभी भी उचित नहीं हो सकता।

दूसरे शब्दों में, मनुष्य दो कानूनों के अधीन है: (१) प्राकृति का कानून, (२) जिस राज्य में वे रहते हैं उसके बनाए हुए कानून। पहिले का पालन करने का उनका कर्तव्य निर्णय और अशर्त है; दूसरे के प्रति उनकी भवित सशर्त है। प्राकृतिक कानून के विरुद्ध होते ही राज्य के कानून अपनी मान्यता खो देते हैं। सिसरो का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में प्राकृतिक कानून को जान लेने की क्षमता है। अफलातून के अनुसार वह शक्ति केवल दार्शनिक राजा का एकाधिकार था। सिसरो की शिक्षाओं में प्राकृतिक कानून का सिद्धांत एक ग्रन्थ बहुत महत्वपूर्ण मिद्दांत के माध्यम है और वह है मनुष्य की प्राकृतिक समानता का सिद्धांत। यह सिद्धांत राजनीतिक विचार को स्टोइसिज्म की सबसे महत्वपूर्ण देन है; मनुष्य धन, विद्या तथा शारीरिक बल में समान नहीं है; किन्तु बुद्धि पर उन सब का समान अधिकार है और वे सब के सब समान प्राप्ति हैं। इसलिए वे समान हैं। मनुष्य ईश्वर की हृष्टि में समान हैं। असमानता पाप से उत्पन्न होती है, प्रकृति से नहीं; वह मनुष्य-जनित है, प्राकृतिक नहीं। मनुष्य की प्राकृतिक समानता में यह विश्वास स्टोइक्स तथा सिसरो की अफलातून और अरस्तु की अपेक्षा हमारे अधिक निकट से आता है। डा० कारलाइल (Carlyle) के शब्दों में यह प्राचीन तथा आधुनिक राजनीतिक विचार के बीच की विभाजक रेखा है। परन्तु सिसरो समानता को एक तथ्य नहीं बत्ति एक नीतिक आवश्यकता समझता है; वह उसके द्वारा किसी जनतन्त्री परिणाम पर नहीं पहुँचता।

प्राकृतिक कानून की धारणा की एक अन्य उपलिद्धि भी उल्लेखनीय है। एक बुद्धि में भागीदार होने के कारण सभी मनुष्य एक सामान्य तथा विश्वव्यापी प्राकृतिक कानून के अधीन होने तथा एक ही न्याय को प्राप्त करते हैं। एक ही कानून के अधीन होने तथा एक ही न्याय में भागीदार होने के कारण समरत मानव प्राप्ति एक ऐसे समाज के घटक है जो कि जाति तथा भाषा का अतिक्रमण करता है और जो स्वयं मानवता का एकाकार है। हमें समरत विश्व को एक सामान्य सघ समझना चाहिए प्रच्छे बुरे सभी मनुष्य जिसके घटक हैं। विश्वनागरिकता के स्टोइक सिद्धांत की यह पुनरावृत्ति है।

नहीं। जिम चीज ने पाइचात्य राजनीतिक विचार के इतिहास में सिसरो को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है वह उसकी राज्य की परिभाषा या सरकारों का वर्गीकरण नहीं बल्कि प्राकृतिक कानून (Law of Nature) की स्टोइक धारणा की उसके द्वारा की हुई पुनवर्द्धिता तथा उसका व्यावहारिक प्रयोग है। उसके लेखों के बहुत से अवतरणों को जिनमें कि इनकी अभिव्यजना हुई है, रोमन वकीलों तथा 'चर्च पिता' ('Church Fathers') ने प्रायः उद्धरित किया है जिनके द्वारा वह रोमन कानून का एक आग बना और फिर मध्यकालीन लेखकों तथा उनसे भी आगे तक पहुंचा। सिसरो की धारणा थी कि समस्त व्रह्माण्ड को शासित करने वाला एक ही कानून या कानून-प्रणाली है जो कि व्रह्मा की सृष्टि से प्रत्येक वस्तु—चैतन्य, जड़, त्रुट्टि-परक ग्रथवा अवृद्धि-परक—के ऊपर नाम होना है। यह इतना ही प्राचीन है जितना स्वयं कानून और यह स्वयं राज्य का बोत है; मनुष्यों को राज्यरूपी माला में गूढ़ने वाला सूत्र है कानून। मिसरो के शब्दों में कानून "प्रकृतिसम्मत विवेकपूर्ण बुद्धि है, जो सब मनुष्यों में प्रसरित है, जो नित्य और शाश्वत है; जो अपनी आत्मा द्वारा कर्तव्य का पालन करता है और निषेवात्मा द्वारा छल छन्द से रोकता है।"** यद्यपि समस्त चीजों का व्यवहार इसके अनुसार चलता है; किन्तु इसका पालन करने के सब के द्वारा भिन्न-भिन्न होते हैं। जड़ जगत प्राकृतिक आवश्यकता के बश उससे बधा हुआ है; पशु अपनी विवेकहीन महज प्रवृत्तियों के कारण उसके निर्देशन में रहते हैं; वे उसका पालन तो करते हैं किन्तु वे नहीं जानते कि वह क्या है। मनुष्य और केवल मनुष्य अपनी त्रुट्टि द्वारा उस कानून को जानने की सामर्थ्य रखता है और चेतनापूर्वक उसके अनुसार आचरण करता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि भौतिक वस्तुएँ तथा निम्नतर प्राणी प्रकृति के कानून के अनुसार व्यवहार करते हैं; किन्तु, मनुष्य उस कानून के सम्बन्ध में अपनी धारणा के अनुसार आचरण करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राकृतिक कानून का सिसरो का अर्थ आधुनिक वैज्ञानिकों से भिन्न है। गुरुत्वाकर्यण सिद्धात (Law of Gravitation) मानव प्राणियों पर उतना ही लागू होता है जितना कि पृथ्वी पर; परन्तु मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं का उसके अनुसार होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह उससे अवगत हो और उसके अनुसार आचरण करे। और न ही कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन कर सकता है। सिसरो का प्राकृतिक कानून मानव व्यापार पर स्वयमेव लागू नहीं होता; मनुष्य उसे अपनी चेतना द्वारा ग्रहण करके और स्वेच्छा द्वारा ही उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। यह स्वयं अपने ऊपर लगाया जाता है और इसलिए कोई व्यक्ति इसका पालन करने के लिये विश्व नहीं है यद्यपि प्रत्येक को इसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक कानून भौतिक नियमों से भिन्न होता है; उसका स्वस्थ नीतिक सिद्धान्त जैसा होता है; इसे ईश्वरी कानून कहना अधिक समुचित होगा।

* Law is right reason consonant with nature, diffused among all men, constant and eternal; which summons to duty by its command and hinders from fraud by its prohibition.

रोमन राजनीतिक विचार

हम पहिले ही कह चुके हैं कि प्राकृतिक कानून नित्य और प्रपरिवर्तनीय है। अनादि होने के कारण वह स्वयं राज्य का स्रोत है। इसमें यह बात निहित है कि एक राज्य विदेश के द्वारा बनाए हुए कानून प्राकृतिक कानून अथवा शुद्ध बुद्धि के अनुसार होने चाहिये। उनका पालन करना नागरिकों के लिए निए वही तक वाध्य है जहाँ तक कि वे प्राकृतिक कानून के अनुसार हैं। यदि वे उनके अनुकूल न हो तो नागरिकों के लिए उन का मानना अनिवार्य नहीं। बास्तव में राज्य द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून जो इसके विपर्य हो सच्चे अधियों में कानून नहीं हो सकता; जो चीज़ स्वयं गलत है उसे कोई भी शासक अपनी मोहर लगाकर सही नहीं कर सकता। स्वयं मिसरों के शब्दों में 'इन कानूनों को मानव के बनाए हुए कानूनों' द्वारा रद करना नैतिक रूप से कभी भी उचित नहीं हो सकता।

दूसरे शब्दों में, मनुष्य दो कानूनों के अधीन हैं: (१) प्रकृति का कानून, (२) जिस राज्य में वे रहते हैं उसके बनाए हुए कानून। पहिले का पालन करने का उनका कर्तव्य निरपेक्ष और अदात्म है; दूसरे के प्रति उनकी भवित उपर्याप्त है। प्राकृतिक कानून के विपर्य होते ही राज्य के कानून अपनी मान्यता खो जाते हैं। सिसरों का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में प्राकृतिक कानून को जान लेने की क्षमता है। अफलातून के अनुसार वह शक्ति केवल दार्दीनिक राजा का एकाधिकार था। मिसरों की शिक्षाधीयों में प्राकृतिक कानून का सिद्धात एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के सम्बद्ध है और वह है मनुष्य की प्राकृतिक समानता का सिद्धात। यह सिद्धात राजनीतिक विचार को स्टोइसिझ की सबसे महत्वपूर्ण देन है; मनुष्य धन, विद्या तथा शारीरिक बल से समान नहीं है; किन्तु बुद्धि पर उन सब का समान अधिकार है और वे सब के सब समान प्राप्ति है। इसलिए वे समान हैं। मनुष्य ईश्वर की हृषिकेश में समान हैं। असमानता पाप से उत्पन्न होती है, प्रकृति में नहीं; वह मनुष्य-जनित है, प्राकृतिक नहीं। मनुष्य की प्राकृतिक समानता में यह विश्वास स्टोइसिझ तथा सिसरों को अफलातून और अरसतु की अपेक्षा हमारे अधिक निकट ले आता है। डॉ कारलाइल (Carlyle) के शब्दों में यह प्राचीन तथा आधुनिक राजनीतिक विचार के बीच की विभाजन करेखा है। परन्तु सिसरों समानता को एक तथ्य नहीं बल्कि एक नैतिक यावश्यकता समझता है; वह उसके द्वारा किसी जनतन्त्री परिणाम पर नहीं पहुँचता।

प्राकृतिक कानून की धारणा की एक अन्य उपमिद्धि भी ढलेखनीय है। एक बुद्धि में भागीदार होने के कारण सभी मनुष्य एक सामान्य तथा विश्वव्यापी प्राकृतिक कानून के अधीन होने तथा एक ही न्याय को प्राप्त करते हैं। एक ही कानून के अधीन होने तथा एक ही न्याय में भागीदार होने के कारण समस्त मानव प्राप्ति एक ऐसे समाज के घटक हैं जो कि जाति तथा भाषा का अतिक्रमण करता है और जो स्वयं मानवता का एकाकार है। हमें समस्त विश्व को एक सामान्य सघ समझना चाहिए अच्छे बुद्धे सभी मनुष्य जिसके घटक हैं। विश्वनागरिकता के स्टोइक सिद्धांत की यह पुनरावृत्ति है।

सिसरो के राजनीतिक सिद्धांत में तीन विचार प्रमुख हैं; उन्हे लगभग सभी रोमनों ने स्वीकार कर लिया था और कई शताब्दियों तक वे पश्चिम के बौद्धिक थाती के भाग बने रहे। वे ये हैं : (१) राज्याधिकार का स्रोत जनता है, (२) इसका प्रयोग कानून के अनुसार होना चाहिए, और (३) नैतिक आधार पर ही इसका प्रयोग करना उचित है। परन्तु इन विचारों को व्यावहारिक रूप से लागू करने में विभिन्न लेखकों तथा विद्वानों में काफी मतभेद था। उदाहरण के लिए, यद्यपि प्रत्येक इस वात को स्वीकार करता था कि आततायीतन्त्र घृणात्मक है और उसे सहन नहीं किया जाना चाहिए, तथापि एक आततायी शासक से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, इस प्रश्न का कोई सामान्य उत्तर न था। इसी प्रकार यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करता था कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है; किन्तु इस प्रश्न के बारे में एकमत न थे कि जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार कैसे प्राप्त होता है। 'साम्राज्य' में ऐसे विचार गणतन्त्री युग के अवधेष्य थे किन्तु उनमें अधिक तथ्य नहीं रह गया था।

सैनेका (Seneca)—रोमनों में स्टोइक विचारों तथा सिद्धांतों का बहुत बड़ा प्रचार करने वालों में दूसरा बड़ा विचारक सैनेका था जिसका प्रादुर्भाव सिसरों से एक शताब्दी में बाद दृग्मा। 'भास्त्राज्य' के प्रारम्भिक दिनों में रोम ने राजनीतिक सद्गुणों का बहुत बड़ा परामर्श देखा था। राज्य निरकुश हो चुका था; जनता भी उतनी ही पतित हो चुकी थी जितना कि शासक। ऐसी परिस्थिरों में राज्य को अब जनता के नैतिक विकास का साधन नहीं समझा जाता था; नागरिक सद्गुणों का अभाव हो गया था। उस नम्र पर याच्छादित निराशावाद का प्रतिविम्ब हमें सैनेका के लेखों में मिलता है। यह एक नई तान है जो हमें सिसरों में सुनाई नहीं पड़ती थी। सिसरों ने एक नैतिक उद्देश्य को लेकर अपनी रचनायें की हैं और वह उद्देश्य था रोमनों के परम्परागत नागरिक सद्गुणों को पुनर्जीवित करना; परन्तु सैनेका के मन में ऐसा कोई सपना न था। वह महसूस करता था कि एक अच्छा व्यक्ति एक सावंजनिक पद पर बैठ कर अपने देशवासियों का अधिक हित नहीं कर सकता। इसीलिए वह सरकार के रूपभेद को कोई महत्व न देता था। वह इस उक्ति का हृदय से स्वागत करता था कि 'सरकार के रूप के लिए केवल मूर्ख भगड़ते हैं; सर्वोत्तम सरकार वही है जो मर्वोत्तम द्वंग से चलाई जाए।'*

परन्तु आदिकालीन 'मिनिव्य' तथा 'स्टोइक्स' की भाँति सैनेका ने सामाजिक जीवन का परित्याग करने की सलाह नहीं दी। उसने राज्य और समाज में भेद किया। उसकी धारणा थी कि मनुष्य पर दो सघों का अधिकार है जिनमें से एक राज्य है जिसका कि वह एक सदस्य है और दूसरा व्यापक मानव समाज है जिसका प्रत्येक व्यक्ति एक मानव होने के नाते घटक है। इस व्यापक समाज का घटक होने के नाते

* 'For forms of government let fools contest.
Whatever is best administered is best.'

मनुष्य जो भी समाज-सेवा कर सके उसे करनी चाहिये ; इस समाज के बन्धन सामाजिक हैं ; राजनीतिक नहीं । सैनेका के हाथ में जाकर स्टोइसिज्म ने एक धार्मिक दर्शन का रग ग्रहण कर लिया जो कि, सैवाइन के शब्दों में, ‘इस ससार में शक्ति और सान्त्वना प्रदान करते हुए भी एक आध्यात्मिक जीवन पर विचार करने की ओर प्रवृत्त थी । इस प्रकार जीवन के आध्यात्मिक और इहलौकिक हितों में एक निश्चित और स्पष्ट दराड उत्पन्न हुई जिसके ऊपर आगे चलकर ईसाई धर्म ने बल दिया और जिसने मध्ययुग के राजनीतिक विचार पर गहरा प्रभाव डाला ।’

एक दूसरे ढंग से भी सैनेका मध्ययुग के राजनीतिक विचार का पूर्वाभास देता है और परम्परागत यूनानी हृष्टिकोण से बहुत दूर हट जाता है । अफलातून, अरस्तु तथा आदिकालीन स्टोइबस में से कोई भी मनुष्य को मूलरूप से पापमय नहीं सकभता । यह विचार ईसाई धर्म के साथ सम्बद्ध है । सैनेका में यह पाया जाता है और उसके राज्य के सिद्धात को प्रभावित करता है । वह मनुष्य को तत्त्वतः पापी समझता है और राज्य को मनुष्य के पाप का इलाज और दण्ड मानता है ; उसे वह मनुष्य के नैतिक मुहार का यन्त्र नहीं समझता । भ्रष्ट रोमन राज्य में उसने अपने चारों और जो पाप और भ्रष्टाचार देखा, हो सकता है उसी के कारण उसका ऐसा हृष्टिकोण बना हो । शायद मनुष्य के पापमय स्वभाव की अनुभूति के कारण ही सैनेका ने सहानुभूति तथा नम्रता के गुणों को इतना महत्व दिया और कहा कि धर्म पाप का निरन्तर विरोध करने में है, मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टा में नहीं ।

पाप और दुख को देखकर ही, जो कि मनुष्य के मामाजिक जीवन के इन्हें मुख्य प्रत्यय है, सैनेका ने एक ‘स्वर्णिम युग’ (Golden Age) की कल्पना की जिसमें कि मनुष्य नागरिक समाज का आविभावि होने से पहिले रहता था । स्वर्णिम युग में मनुष्य एक सरल आनन्द और निष्पाप जीवन व्यतीत करते थे ; मम्य जीवन की कृत्रिमतायें तथा विलासितायें उनमें न थीं । उसके स्वर्णिम युग के वर्णन को देखकर हमें प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन के सम्बन्ध में रूमों के विचारों की याद आ जाती है । तब लोगों को सरकार की कोई आवश्यकता न थी ; वहाँ कोई लोभ नहीं था, कोई निजी सम्पत्ति नहीं । परन्तु मनुष्यों पर जब लोभ सवार हो गया और उनमें वस्तुओं को अपना बनाने की इच्छा उदय हुई तो सरकार की आवश्यकता भी महसूस होने लगी । इस प्रकार सरकार मनुष्य के प्रारम्भिक जीवन की सरलता को निश्चलता से पतित हो जाने का परिणाम है ; इसलिए यह अभिमम्यात्मक (Conventional) है ; वह उस प्रथा में प्राकृतिक कभी नहीं हो सकती जिसमें कि अफलातून और अरस्तु उसे प्राकृतिक समझते थे । यह विचार ‘मध्य युग’ में ईसाई धर्मशास्त्रियों के गिद्धान्त के बहुत निकट है । यह यूनानियों और यहाँ तक कि सिमरों के विचारों से भी एकदम भिन्न है । सिमरों का यह सिद्धात कि मनुष्यमात्र समान है और सैनेका का यह सिद्धान्त कि सरकार मानव पाप का परिणाम तथा उसका एक इलाज है, वे दोनों भिन्नकर राजनीतिक जीवन के यूनानी मूल्यों को पूर्ण रूप से पन्न देते हैं । “नागरिकता के

सर्वोच्च मूल्य की जगह वहा प्रत्येक सरकार और स्थिति के मनुष्यों की समानता है ; वहाँ राज्य मानव जीवन को पूर्ण बनाने के एक यन्त्र की जगह एक शक्ति है जो वलपूर्वक मनुष्य के लौकिक जीवन को ऐसा बनाने की चेष्टा करती है जिस प्रकार सहन किया जा सके ; किन्तु अपने इस उद्देश्य में भी राज्य सफल नहीं हो पाता । मूल्यों का यह क्रान्तिकारी परिवर्तन यद्यपि अभी तक सुझावमात्र है ; किन्तु आगे चलकर उसके परिणामों की खोज की गई और वे 'ईसाई फादर्स' के राजनीति दर्शन में अधिकाधिक दृढ़ता से जमते गये ।"*

* In place of the supreme of citizenship there is a common equality shared by all sorts and conditions of men ; and in place of the State as a positive agency of human perfection there is a coercive power that struggles ineffectively to make an earthly-life tolerable. Though this revolutionary change in the scale of values is yet only suggested, its implications were destined to be explored to become more and more firmly embedded in the political philosophy of the Christian Fathers." —Sabine : *Ibid*, page 180.

प्रारम्भिक ईसाइयत का प्रभाव

परिचयात्मक—‘ईसाई धर्म’ के प्रादुर्भाव के साथ ‘पश्चिम’ के राजनीतिक विचार में एक नया तत्व प्रविष्ट हुआ जो कि यूनानियों तथा रोमनों की देन से बहुत भिन्न था। इसको समुचित रूप से समझने के लिए यूनानी और रोमन देन पर फिर में हट्टियात करना आवश्यक प्रतीत होता है।

यूनान तथा रोम की देन—नगर राज्य के स्वरूप तथा ध्येय के विषय में विचार करते हुए अफलातून और अरस्तु ने मानव जाति के सामने एक स्वतन्त्र नागरिकता का आदर्श रखना जो कि धार्ज भी उतना ही मान्य है जितना कि कभी पहिले था। स्वतन्त्र नागरिकता का अर्थ या समाज के राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेना और राजनीतिक योधिकारों का समान रूप से उपभोग करना। राज्य का कार्य दुदिसगत वाद-विवाद डारा होना चाहिये और सरकार मर्वधानिक हो वह विचार भी यूनानियों की देन है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि यूनान में धर्म और राजनीति में कोई विभाजन नहीं था; यूनानियों ने कभी एक ऐसे सस्थानवद्ध धर्म की कल्पना नहीं की जिसका कार्यक्षेत्र राज्य से बिल्कुल भिन्न और अलग हो। जहाँ तक कि नगर राज्य का जीवन तथा समृद्धि दास प्रथा के ऊपर निभंर करती थी, जो कि एक मानी हुई संस्था थी, यूनानी विचारकों के मन में मानव समानता का विचार उत्पन्न नहीं हो सकता था। क्योंकि वे नगर राज्य को मामाजिक मध्यटन का सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट रूप समझते थे इसलिये वे यूनान की राष्ट्रीय एकता की धारणा को स्पष्ट रूप से सामने रखने में विफल रहे। यहाँ तक कि अरस्तु ने भी सिकन्दर की मौनिक विजय के राजनीतिक परिणामों की ओर से अपनी आखे बन्द कर लीं। यूनान का दुर्भाग्य या कि उसके राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक विचारक राज्य के आन्तरिक कलह तथा अन्तर्राज्य प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न हुई समस्याओं का कोई हल न निकाल सके। उन्हे अपनी विफलता का दण्ड भुगतना पड़ा। विभिन्न राज्यों के एक सूत्र में संशित न होने और अपने सामान्य शत्रु के सामने एक सामान्य मोर्चा न लगा पाने का कटु फल यह हुआ कि यूनान ने पहिले तो मकदूनिया की शक्ति के सामने घुटने टेक दिये और फिर रोम के हाथों परास्त हुआ।

द्वितीय हुई राजनीतिक स्थितियों में पुराने नागरिक आदर्श नहीं बने रह सकते थे; यह धारणा समाप्त हो गई कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और वह एक

स्वशासक समाज का अभिन्न अग है ; इसकी जगह यह विचार प्रतिष्ठित हो गया कि मनुष्य भमाज से अधिक से अधिक स्वाधीन रहने वाला एक व्यक्ति है। एक अच्छे या बुद्धिमान व्यक्ति को राज्य के राजनीतिक जीवन में भाग लेने से बचना चाहिये। अफलातुन और अरस्तु का दर्शन उम स्टोइसिजम की बढ़ती मुई बाढ़ के मामने न टिक सका जो कि विश्वव्यापी कानून, मानव समानता तथा विश्व नागरिकता के विचारों पर जोर देता था।

रोमनों ने यूनानियों में जो कुछ नेकर पश्चिम को दे दिया वह अफलातुन और अरस्तु की दर्शन धारा नहीं थी बल्कि विश्वव्यापी प्राकृतिक कानून तथा विश्व नागरिकता के अत्यन्त फलदायक स्टोइक सिद्धान्त थे। इन आदर्शों की साकार अभिव्यक्ति रोम के विश्वसाम्राज्य में हुई जो कि यूरोप तथा उम भूभाग के, जिसे हम आज 'निकट पूर्व' (Near East) कहते हैं, दो तिहाई भाग पर, आच्छादित था। यह एशिया माइनर तथा आईंडियन पठार के बीच में तथा भूमध्य सागर और उत्तरी सागर के बीच में रहने वाली जातियों को एक ही विश्वव्यापी कानून तथा एक ही समान्य मस्तूनि के अन्तर्गत ले ग्राया। रोमन न्यायविदों ने मानव समानता और मानव-भ्रातृत्व के स्टोइक आदर्शों को न्यायशास्त्र की माला में पिरो दिया। मानव जाति को एक शानदार कानून प्रणाली तथा न्याय-शास्त्र देने के अतिरिक्त रोम ने अपने विश्वाल साम्राज्य में आठ शताब्दियों तक शान्ति स्थापित रखी। उसने मड़के बनवाईं, पुल बनवाये, नफाई के प्रबन्ध में सुधार किया और वाणिज्य तथा व्यापार को भारी प्रोत्साहन दिया। रोम ने विचार जगत को कोई विदेश देन नहीं दी ; उसको देन यह है कि यूनान, मिश्र और कार्येज से जो टेक्नीकल, कलात्मक तथा वौद्धिक विरासत थिनी उसे उमने कायम रखता, उसे पचाया तथा उसे आने वाली नस्लों तक पहुँचाया।

रोम के कारनामों का एक निपेखात्मक पक्ष भी है। अपने विश्वाल माम्राज्य का निर्माण करने तथा उसमें कई शताब्दियों तक जान्ति और व्यवस्था कायम रखने में उसे विवश होकर विजित जातियों की स्वतन्त्रता का अपहरण करना पड़ा। जीतों हुई विभिन्न जातियों को एकता के गूथ में गूथने के लिये रोम को कानून, अनुग्रहन तथा एकता पर अधिक जोर देना पड़ा, स्वतन्त्रता और जनतन्त्र पर नहीं। स्वतन्त्रता और जनतन्त्र के विचारों को न केवल रोम के पराधीन देशों में बल्कि स्वयं रोम में भी कुचला गया। वास्तव में स्वतन्त्रता तथा जनत्रिय मरकार के भिड़ानों का एक अत्यन्त केन्द्रीकृत साम्राज्यवादी प्रगामन में कोई न्यान नहीं हो सकता था। इसमें पहले कि मानव जाति राष्ट्र राज्य द्वारा उत्पन्न एक ऐसे यन्त्र को उत्पन्न करे जो कि एक विश्व राज्य में जनत्रिय मरकार को मम्भव बनाए, जनतन्त्र-हीन माम्राज्य का यह रोमन प्रयोग शायद भावशक्त था।

परन्तु यूनान और रोम की देन एक दूसरे में किन्तु भी भिन्न रूपों न हों, इगाई धर्म के भावय वे दोनों एक ही गंस्तृति का थग थीं। इन नस्तृति को हम यूनानो-रोमन (Graeco-Roman) गंस्तृति कह सकते हैं। इसी मूल

विशेषता यह थी कि इसने एक अन्तर्मुखी धार्मिक जीवन के विचार को उत्पन्न नहीं किया। यूनानी और रोमन, दोनों ही बाह्य क्रियाओं और स्स्कारों को धर्म समझते थे; धर्म उनके लिए न्यूनाधिक राज्य का ही एक उपकरण था। यद्यपि मैनेका ने इहलौकिक तथा आध्यात्मिक हितों को एक दूसरे से अलग कर दिया और शरीर को आत्मा के लिए एक बन्धन समझा तथापि व्यक्ति के जीवन में व्यवित की सामाजिक तथा राजनीतिक क्रियाओं से पृथक् धार्मिक हित को एक निजी और स्वतन्त्र स्थान नहीं दिया गया। न तो यूनानियों ने और न रोमनों ने आध्यात्मिक शब्दित को सासारिक शक्ति से अलग किया। यूनानी-रोमन युग की यह मौलिक धर्मनिरपेक्ष एकता तब तक भी नहीं हुई जब तक कि ईसाई धर्म का आविर्भाव नहीं हुआ जिसने पश्चिम के इतिहास में पहिली बार मनुष्य के लौकिक तथा आध्यात्मिक हितों में एक स्पष्ट विभाजन रेखा खीची और 'उसके द्वारा, इस सासार में एक नवीन करुणा तथा एक नवीन आशा का संचार किया' और 'मुक्ति का नया आश्वासन तथा पाप का एक नया विचार दिया।

ईसाइयत को देन—पादचात्य विचार तथा मस्कृति को ईसाई धर्म की प्रमुख देन यह है कि इसने मनुष्य के लौकिक तथा पारलौकिक हितों में एक स्पष्ट विभाजन किया है। इसका विश्वास है कि मनुष्य दो तत्त्वों से बना है; एक और वह शरीर है, और दूसरी और आत्मा। शरीर का हित आत्मा के हित से भिन्न है, शरीर होने के नाते मनुष्य इन्द्रिय-सुख, सासारिक शब्दित और ममृद्धि की कामना करता है, आत्मा होने के नाते उसका ध्येय पाप से मुक्त होना और मोक्ष प्राप्त करना है। पहिली चीज़ को वह लौकिक समाज का सदस्य होकर और उसके कानूनों का पालन करके प्राप्त कर सकता है; दूसरे लक्ष्य की सिद्धि वह ईसाई चर्च की सदस्यता तथा परमात्मा की अनुकूल्या (Grace) द्वारा कर सकता है। इन दोनों हितों में सदैव सामर्जस्य नहीं हो पाता; कभी-कभी चर्च की सदस्यता और उसके प्रति कर्तव्य तथा राज्य-भवित्व में संपर्य उठ सड़ा होता है। ऐसी स्थिति में चर्च के प्रति भवित्व की राज्य के प्रति भवित्व पर प्रधानता होती है। सारांश यह कि रोमन साम्राज्य के केन्द्र बिन्दु पर ही एक दैविक चर्च की स्थापना करके ईसाई धर्म ने एक नई बात उत्पन्न की; उसने एक ऐसे और सर्वप्रथम नवीन समाज की धारणा को जन्म दिया जो कि राज्य के सामने उड़ा हुआ उससे स्वतन्त्र रहकर कार्य करने का दावा कर रहा था।

ईसाइयत ने मनुष्य के भौतिक हितों की अवेद्धा उसके आत्मिक कर्यालय का अधिक महत्व दिया, इसलिये शुभ जीवन (Good Life) के विषय में उसकी पारणा का तत्त्वावधी प्रचलित धारणा ने मत्यन्त भिन्न होना स्वाभाविक ही था। यूनानियों ने शरीर और बुद्धि के समन्वयपूर्वक विकास पर बहु दिया और मनुष्य के सामने शुभ अध्यवा नैतिक जीवन का एक कुलीनतन्त्री, बोद्धिक तथा मौद्यंशधान ग्रादंग रखा, और रोमनों ने नाहस, अनुमासन तथा राज्यभवित्व के गुणों पर जोर दिया; ईसाई धर्म ने मनुष्य को यह मिलाया कि आध्यात्मिक हितों की पूति किये दिता जीवन को

शुभ नहीं कहा जा सकता। परमात्मा के पितृत्व तथा मनुष्य के भातृत्व के अपने सिद्धान्त द्वारा इसने मानव समानता के स्टोइक सिद्धान्त को माकार रूप दिया और एक रागात्मक तत्त्व द्वारा उसे सम्बल पहुंचाया। इसने मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्मान करना सिखाया और यह माग की कि उसे साध्य समझा जाना चाहिये, साधन नहीं। विश्वास, आशा तथा दानशीलता ईसाइयत के विशेष गुण समझे जाने लगे और उसका प्रेम का सिद्धान्त स्टोइसिज्म तथा मानवतावाद, दोनों का अतिक्रमण कर गया। ईसाइयत का कहणाशील तथा समताप्रधान हृष्टिकोण तभी से पश्चिमी संस्कृति का एक अभिन्न अग बना हुआ है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसाइयत ने जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति को राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर निकाल लिया। यह यूनानी-रोमन हृष्टिकोण के विल्कुल विपरीत था जिसके अनुसार राज्य मानव जीवन के समस्त मूल्यों की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है। इसका न केवल यह अर्थ था कि जीवन के लौकिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र एक दूसरे से मलग-ग्रलग है बल्कि इसमें यह बात भी निहित थी कि धार्मिक अथवा आध्यात्मिक जीवन अन्तर्मुखी होता है, इस बात से यूनानी और रोमन एकदम अरिचित थे। जिम ईश्वर के राज्य का बर्णन ईसा करता था वह मनुष्य के अन्दर ही है, बाहर नहीं; उसकी प्राप्ति के लिए एक निश्चित नैतिक विधान का पालन करना आवश्यक है, समाज के राजनीतिक जीवन में भाग लेना नहीं। उसका अर्थात् ईश्वर के राज्य का सदस्य बनने, के लिए इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य समस्त स्वार्थ भावना, निर्दयता तथा कामुकता का परित्याग करके अपने हृदय को पवित्र करे और अपने पड़ीभियों से बैसा ही प्रेम करे जैसा कि वह स्वर्य अपने से करता है। परमात्मा के राज्य की प्राप्ति किमी क्रान्ति अथवा आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की योजनाओं द्वारा नहीं, बल्कि एक पवित्र जीवन द्वारा की जा सकती है।

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि ईसाइयत की सबसे महत्वपूर्ण देन धार्मिक तथा भौतिक जीवन में विभाजन करना था; इसने सामाजिक ढाँचे की उम एकता को भंग कर दिया जो कि यूनानी-रोमन संस्कृति की एक मुख्य विशेषता थी। सैवाइन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईसाई चर्च का एक ऐसी संस्था के रूप में जिसे कि मानव के आधिकारिक विवरों के ऊपर राज्य से स्वतन्त्र रहकर शासन करने का अधिकार हो, अभ्युदय होना पश्चिमी यूरोप के इतिहास में, राजनीति और राजनीति दर्शन के हृष्टिकोण से, एक सबसे अधिक कातिकारी घटना थी।

ईसाई चर्च के अभ्युदय को यूरोप के इतिहास में सबसे अधिक कातिकारी घटना समझते के निम्नलिखित कारण हैं: प्रथम यह कि तत्कालीन समाज के अन्तर्गत एक ऐसे समाज को जन्म देकर जिसका कि अपना संघटन था और अपने नियम तथा संस्कार थे, यह प्राचीन परम्परा से एकदम दूर जा हदा। अपने धार्मिक विचारों तथा मस्थानों का समर्थन करने में प्रारम्भिक ईसाई लोग तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था

की कठु आलोचना करते थे और ऐसा करके उन्होंने इतिहास के प्रवाह पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। सुप्रसिद्ध इतिहासकार गिब्बन (Gibbon) के अनुसार रोम के अध.पतन में मुख्य हाथ ईसाइयत का था। उसका कहना है कि ईसाइयत ने उस पुराने विश्वास को नष्ट कर दिया जिसने कि रोमनों के चरित्र तथा साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी; मनुष्य का मस्तिष्क इहलौकिक व्यापार से हटाकर व्यक्तिगत मोक्ष की ओर आकृष्ट किया; अपने अनुयायियों को पद ग्रहण करने तथा सैनिक सहायता पहुंचाने से रोका तथा साम्राज्य की एकता को भंग किया। इन सब बातों ने मिलकर ही रोम का पतन कर डाला, ऐसा गिब्बन का विचार है। इसके विपरीत अन्य इतिहासकारों की धारणा है कि ईसाइयत का प्रादुर्भाव रोम के पतन का कारण नहीं बल्कि परिणाम है। विल ड्यूरेष्ट (Will Durant) का विचार है कि जिस समय ईसाइयत का उत्थान हुआ उस समय रोम एक खोखला मात्र रह गया था; ईसाइयत का इतनी तीव्रता के साथ प्रसार ही हुआ क्योंकि रोम मृत्यु शश्या पर पड़ा हुआ दम तोड़ रहा था। हमारे लिए इस बात का निर्णय करना आवश्यक नहीं है कि रोम के पतन में ईसाइयत का मुख्य हाथ था या नहीं; हाँ, इतना अवश्य मानना होगा कि एक हद तक ईसाइयत रोम के पराभव के लिए अवश्य उत्तरदायी है। ईसाइयत का इतिहास पर वया प्रभाव पड़ा, इसके लिए हमें यह नहीं देखना है कि रोम के पतन में उसका कहाँ तक हाथ है, बल्कि हमें देखना तो यह है कि उसने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें रोमन विचार ईसाई धारणाओं के साथ धुल मिल गये। रोमन साम्राज्य के लण्डहरों में से पश्चिम में एक ईसाई जगत का जन्म हुआ जिसने रोम की सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं को नवीन धाराओं में प्रवाहित कर दिया। दूसरी बात यह है कि बर्बरों के आक्रमणों के फलस्वरूप रोमन साम्राज्य के पराभव के बाद पश्चिम में ईसाई चर्च ही पाश्चात्य सम्पत्ता का एकमात्र संरक्षक रह गया। इसने न केवल ट्यूटनी (Teutonic hordes) के आक्रमण से सम्पत्ता की रक्षा की बल्कि स्वयं आक्रमणकारियों को भी सम्य बनाकर सम्पत्ता की सीमाओं को प्रसारित किया। 'अन्धकार युग' (Dark Ages) में चर्च पश्चिमी सम्पत्ता का एक बहुत बड़ा सहारा सिद्ध हुआ। रोम के पतन का मार्ग प्रदास्त करने या एक नवीन सामाजिक व्यवस्था कायम करने की अपेक्षा सम्पत्ता का प्रसार ऐतिहासिक रूप से कही अधिक महत्वपूर्ण है।

इसी प्रकार ईसाई चर्च का उद्भव पश्चिम में राजनीतिक विचार के इतिहास में एक क्रातिकारी घटना सिद्ध हुई। प्रथम तो यह कि उसने उस समस्या को जन्म दिया जिसमें समस्त मध्य युग में विचारकों का मन उलझा रहा। उनके सामने मुख्य समस्या यह थी कि भाष्यात्मिक और लौकिक शक्ति, पोपशाही (Papacy) और साम्राज्य में सम्बन्ध क्या हो। इस विवाद के विभिन्न पक्षों के समर्थन और विरोध में रने गये साहित्य को यदि हम छोड़ दें तो मध्य युग में कोई राजनीतिक विचार देखनहीं रह जाता। दूसरे यह कि ईसाई धर्म ने उस युग के राजनीतिक विचार में एक नवीन तन्य

का समावेश किया। यूनानी-रोमन युग का दृष्टिकोण प्रगतिशील नहीं था; वह मनुष्य अथवा समाज को एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नहीं देखता था; उसके अनुसार जीवन स्वयं अपना पुरस्कार और ग्रन्ति था। इसके विपरीत ईसाईधर्म ने मानव जीवन तथा सामाजिक संघटन में एक उद्देश्य का समावेश किया; उसने सिखाया कि मनुष्य को एक लक्ष्य की पूर्ति करनी है और समाज का निर्माण उस लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिकोण से होना चाहिए। उसने व्यक्ति के सामने एक भावी तथा श्रेष्ठतम् जीवन का चित्र रखा जिसके लिए वर्तमान जीवन एक भूमिका मात्र है। यह बात कि मनुष्य को एक लक्ष्य की प्राप्ति और एक ध्येय की पूर्ति करनी है ईसाई धर्म की एक नवीन कल्पना है; इसने आधुनिक विचार पर गहरा प्रभाव डाला है और उसका रूप निर्धारित किया है; यह प्रभाव आज भी देख पाया जाता है। इसमें मानव व्यक्तित्व के मूल्य तथा सम्मान का सत्कार भी निहित है; यूनानी और रोमन विचार के लिए वह बात एक दम नवीन है। सारांश यह कि प्रगति में विश्वास, व्यक्ति का सम्मान, और मानवता-वाद की धारणा आधुनिक विचार को ईसाई धर्म की मुख्य देने हैं; ईसाईयत के प्रादि-काल से ही ये पश्चिमी सस्कृति का एक अभिन्न अग रहे हैं। मध्यकालीन समाज के संस्थान तथा जीवन के अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या का रूप निर्धारण इसी विश्वास द्वारा हुआ कि मनुष्य का मुख्य ध्येय अपनी आत्मिक उन्नति है।

ईसाई चर्च का विकास—ईसाई चर्च के मूल तथा विकास के इतिहास की वारीकियों में जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं। हमारे उद्देश्य के लिए केवल इतना ही देखना काफी है कि ईसाई धर्म का जन्म रोमन साम्राज्य के एक ऐसे भाग में हुआ था जो अधिक प्रसिद्ध नहीं था और आरम्भ में लोगों ने इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया; ईश्वर के पितृत्व, मनुष्य के भ्रातृत्व तथा ईसा की अनुकम्पा द्वारा आत्मा की मुक्ति के इसके सिद्धान्त समाज के पीडित और दलित वर्गों को बड़े आकर्षण लगे और उन्हीं वर्गों में से आरम्भ में साधारणतया ईसाई धर्म में लोग आये। जब तक कि ईसाई धर्म का प्रसार दीन-हीन तक ही सीमित रहा और उसके अनुयायियों की संख्या घोड़ी रही, तब तक रोमन साम्राज्य को उससे भयभीत होने की कोई बात न थी और इसीलिए उसने उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। किन्तु जैसे-जैसे यह उच्च तथा अभिजात्य वर्गों में फैलने लगा और इसकी सत्या बढ़ने लगी, उसका अपना एक संघटन उत्पन्न हुआ और वह एक प्रकार से राज्य के अन्दर राज्य बन गया तो रोमन साम्राज्य उससे आशक्ति हो उठा और उसे दमन करना शुरू किया। परन्तु इसका उत्पीड़न कभी-कभी ही होता था; इसमें तीव्रता तभी आती थी जबकि ईसाई लोग असत्तोप उत्पन्न करते थे। परन्तु चौथी यतान्वी में वहुत बड़ी सत्या में रोमन मैनिकों ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और उन्होंने सभाद की उपासना करने से इन्कार कर दिया; इसने एक अत्यन्त जटिल राजनीतिक समस्या उत्पन्न कर दी। मध्याट् कॉनस्टेप्टाइन (Constantine) ने महसूस किया कि उस समस्या का एकमात्र हल उसका ईसाई धर्म को स्वीकार करना था। इस प्रकार घटनाओं से विवर होकर

उसने नवीन धर्म स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार के राजनीतिक कारणों से सभ्राट् थिडोसियस (Theodosius) ने ईसाइयत को साम्राज्य का एकमात्र कानून-विहित धर्म घोषित कर दिया। इस प्रकार ईसाई धर्म ने दूसरे धर्मों तथा सम्प्रदायों को परास्त कर दिया और महान् शक्ति और सम्मान अपने लिये प्राप्त कर लिया।

ईसाई धर्म की विजय के परिणाम—ईसाई धर्म का दूसरे प्रतिद्वन्द्वी धर्मों को पराजित कर देना और उसका साम्राज्य के एकमात्र शाही धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाना एक बहुत बड़े ऐतिहासिक महत्व की घटना थी; इसने साम्राज्य और स्वयं ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। ईसाई धर्म की आदिकालीन सरलता और पवित्रता नष्ट हो गई और उसमें जटिलता और कटृतता आ गई; यह अब एक विशुद्ध धार्मिक आन्दोलन ही न रहकर एक धार्मिक-राजनीतिक शक्ति भी बन गया। आगे चलकर इसने पोपशाही को जन्म दिया; चर्चे ने एक अत्यन्त केन्द्रीकृत और शिखरोन्मुखी (Hierarchical) संघटन का विकास किया। दूसरी ओर इसने सभ्राट् के अधिकार को एक नई शक्ति—धर्म की शक्ति—प्रदान की। परोक्ष रूप से इस विश्वास का प्रचार किया गया और यह व्यापक रूप से माना जाने लगा कि 'साम्राज्य' एक देविक रचना है और उसे समार पर शासन करने के लिये ही बनाया गया है। 'पवित्र रोमन साम्राज्य' का जन्म तथा आगे चलकर इटली को विजय करने के लिए जर्मन सभ्राटों का सघर्ष इसी विश्वास का स्वाभाविक परिणाम मालूम होता है। साम्राज्य का प्रेत मध्य युग के ऊपर सदा लटका रहा।

जब ईसाइयत को 'साम्राज्य' ने शाही धर्म के रूप में अपना लिया तो ईसाई धर्म को मानना एक फैशन हो गया; सभी प्रकार के लोग इसकी ओर आकृष्ट होने लगे। किन्तु उनका धर्म-परिवर्तन कंवल नाम मात्र का था; वह कोई हृदय-परिवर्तन के कारण नहीं हुआ था, इसलिये उनके साथ ही बहुत से गैर-ईसाई विचार और व्यवहार भी ईसाई धर्म में आये। इसका परिणाम यह हुआ कि ईसाई धर्म की मौलिक सरलता और पवित्रता को जबदंस्त घाषात लगा। सारांश यह कि विजय उम ईसाई धर्म की नहीं जिसका उपदेश ईसा तथा उसके शिष्यों ने किया था बल्कि उस ईसाई चर्च की हुई जो मैक्सी के शब्दों में "एक भानुमती का कुनवा था जिसमें ईसाइयत के कुछ शेष तत्त्व उन सभी गैर-ईसाई धर्मों में से उधार ली हुई थारों के साथ मिले हुए थे जिन्हें कि इसने पराभूत कर दिया।"^{*} 'साम्राज्य' के ईसाई धर्म वहन कर लेने ने चर्च भी एक हृद तक मूर्तिपूजकों की स्थिति हो गया।

ईसाई धर्म की विजय का एक दूसरा मुख्य परिणाम यह हुआ कि यह अब एक विशुद्ध धार्मिक आन्दोलन नहीं रहा बल्कि एक धार्मिक-राजनीतिक शक्ति बन गया।

* Christian Church was "a hybrid thing in which a residue of Christian elements were mingled with borrowings from almost every pagan creed which it had supplanted in its struggle for supremacy."

चर्च राज्य का एक विभाग बन गया और उसके प्रमुख सदस्य अर्थात् विशेषण सरकार के माने हुए अधिकारी बन गये और इस प्रकार वे राजनीति में प्रविष्ट हो गए। जागीरदारी (Feudal) प्रणाली के अन्तर्गत भूमिपति होंगे के नाते विशेषण, ऐटगण तथा अन्य पादरी लोग राज्य के चाकर बन गये और इस नाते राज्य के प्रति उनके कुछ कर्तव्य हो गये। गिरजाओं (Churches) ने विशाल सम्पत्ति प्राप्त कर ली और पादरी लीग तत्कालीन राजनीति के तृफान में फैल गये। जब-जब भी उत्तराधिकार का प्रश्न उठता था वे शाही चुनावों के पड़यन्त्र और दावपेच में पह जाते थे। इस प्रकार कमं और राजनीति में विभाजन समाप्त हो गया जो कि ईसाई धर्म ने पहिले किया। साम्राट् (Caesar) इस वसुन्धरा पर प्रभु का अवतार बन गया और उसकी आज्ञा का पान करना एक दैनिक कर्तव्य समझा जाने लगा। यह आदेश कि “लौकिक वातों में राजा का और पारस्परिक वातों में परमात्मा की आज्ञा का पालन करो” (Render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's) निरर्थक हो गया।

इसका अन्य महत्वपूर्ण परिणाम हुआ पोपशाही का जन्म। ईसाई चर्च का प्रारम्भिक सघटन स्थानीय और जनताओं था; उसमें कोई ऐसी केन्द्रीय शक्ति नहीं थी जोकि स्थानीय तथा ग्रान्तीय शाखाओं के ऊपर नियन्त्रण रखती। प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में चर्च का एक प्रमुख अधिकारी विशेष होता था जो कि ग्रान्त के अन्य विशेषण के ऊपर कुछ नियन्त्रण रखता था; किन्तु जहाँ तक कि नगरों के विशेषों के पारस्परिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है उन सब का दर्जा वरावर होता था; किसी का दूसरे के ऊपर कोई नियन्त्रण या अधिकार नहीं होता था। जब ईसाइयत ‘साम्राज्य’ का शाही धर्म बन गया तो रोम के विशेष को समस्त धार्मिक विषयों में सम्मान द्वारा प्रशंसित बना दिया गया। इस प्रकार उसे अन्य विशेषों के ऊपर एक सीमा तक प्रभुता प्राप्त हो गई। इस बात को इस विश्वास से भी सम्बल मिला कि रोम के चर्च की स्थापना सन्त पीटर ने की है। कुछ अन्य कारणों ने भी इसी दिशा में योग दिया। इस प्रकार रोम ईसाई धर्म का केन्द्रीय स्थान बन गया और एक अत्यन्त केन्द्रीकृत तथा शिखरोन्मुखी संगठन का जन्म हुआ।

साम्राज्य की राजधानी रोम से हटकर कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) में जा पहुंची और तदनन्तर ‘साम्राज्य’ दो भागों में विभक्त हो गया जिनमें से एक पूर्वी भाग था जिसकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया थी और दूसरा पश्चिमी जिसका केन्द्रीय स्थान रोम था। अन्त में ४७६ ई० में साम्राट् आंगस्टस (Augustus) को सिहासन में उत्तारने के साथ पश्चिमी साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। इन सब बातों ने रोम के विशेष के पोप बनने और उसके पश्चिम के समस्त धार्मिक संगठन के प्रधान बनने में योग दिया। राजधानी के रोम से हटकर कुस्तुन्तुनिया में चले जाने से योगदान विशेष नगर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकारी रह गया; साम्राट् की अनुपस्थिति में वह अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सकता था। इस प्रकार वह अपने कुस्तुन्तुनिया-

मेरहनेवाले प्रतिदृढ़ी की अनेका अधिक रुद्धिभक्त माना जाने लगा। सम्राट् की शक्ति का धीरे-धीरे हाथ हो जाने के कारण रोमन विश्वप को नगर के राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी नेनी पड़ी। अगे चलकर जब कि वर्षों के आक्रमण के फल-स्वरूप पश्चिमी साम्राज्य द्विन्दी-भिन्न हो गया और नये राज्यों का जन्म हुआ तो रोमन विश्वप की शक्ति और अधिकार और भी अधिक बढ़ गये। अन्त में पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च के जांकि क्रमशः 'यूनानी कैथोलिक चर्च' तथा 'रोमन कैथोलिक चर्च' के नाम विस्थात हुए, एक दूसरे से अलग हो जाने के कारण रोमन विश्वप पश्चिमी चर्च का सर्वेसर्वां हो गया। इस प्रकार पोपशाही का जन्म हुआ। प्रेगरी महान् सरीखे शक्तिशाली पोप स्वतन्त्र होकर कार्य करने लगे। अधिकतर पूर्वी सम्राटों की असमर्थता ने पोपशाही के एक स्वाधीन धार्मिक संस्था के हृप में प्रतिष्ठित हो जाने में बड़ी सहायता दी।

ईसाई धर्म की विजय का एक अन्तिम परिणाम भी उल्लेखनीय है जिसने कि पश्चिम के विकास को कई शताब्दियों तक प्रभावित किया। जब तक ईसाई धर्म वजित और गैरकानूनी या उसके अनुयाइयों को राज्य राजनीतिक कारणों से कुचलता था तब तक तो यह उत्तीड़न की निन्दा करता था और इस आधार पर कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के मानने तथा पालन करने का अधिकार होना चाहिये अपने निये सहिष्णुता की माग करता था। परन्तु जब यह स्वयं साम्राज्य एकमात्र और कानूनी धर्म बन गया तो इसके हृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया और इसने साम्राज्य के अन्दर किसी अन्य धर्म को सहन करने से इन्कार कर दिया। समस्त गैर-ईसाई धर्मों का उत्तीड़न प्रारम्भ हुआ। यह उत्तीड़न इका-दुपका, अनियमित तथा किसी स्थिति से विवश होकर नहीं किया जाता और न ही इसका स्वरूप गजनीतिक था जैसा कि साम्राज्य के अन्तर्गत ईसाइयों के साथ होता था; यह नियमित, क्रमबद्ध रूप से निरतर चलता था। इसके पीछे मह विश्वास था कि ईसाई मत ही एकमात्र सच्चा धर्म है जो परमात्मा ने स्थापित किया है, इसलिए राज्य का प्रत्येक ऐसे मत को जो कि भनुप्य से विमुक्त करता है कुचलने का पवित्र कर्तव्य है। वह राज्य जो मिथ्या मतों के कुचलने में कोताही करता है वह मानो प्रभु की इच्छा की अवहेलना करता है जो कि समस्त भनुप्यों को मुक्ति दिलाना है। इसलिए गैर-ईसाइयों को कुचलना राज्य का परम कर्तव्य हो गया। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि लगभग एक हजार वर्षों तक बुद्धि कटूत की जंजीरों में जकड़ी रही और दर्शनशास्त्र ईमाई चर्च के हाथ की कठुपतली बना रहा। किसी का यह कथन यक्षरासः सत्य है कि यूनानी युग का ध्येय मनुष्य के विचारों को बुद्धि की सगति में बैठाना था और आधुनिक युग का ध्येय उनको तथ्य के अनुरूप ढालना है किन्तु मध्य युग का ध्येय मनुष्य की धारणाओं के चर्च के रूप में रगना था। ऐसे मानसिक वातावरण में ज्ञान की प्रगति का प्रस्तु ही नहीं उटता। इसलिए मध्य युग को कभी-कभी अन्वकार या कहा जाता है।

यह बात समाविहित है कि राजनीतिक क्षेत्र से परे जीवन का एक और क्षेत्र है जिसके अपने कर्तव्य है। यदि कुछ चीजे ऐसी हैं जिनमें राजा की इच्छा सर्वोपरि है तो कुछ चीजे ऐसी भी हैं जिनमें राजा की नहीं, ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। राजनीतिक महत्व इस विभेद में है और इससे बढ़कर यह कहने में कि ईश्वर से सम्बन्ध रखने वाली धातों में ईश्वर की इच्छा ही का पालन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ईसाई धर्म का सिद्धात यह है कि मनुष्य का कर्तव्य दोहरा है, एक राज्य के प्रति और दूसरा ईश्वर के प्रति। यदि इन दोनों में संघर्ष हो तो एक सच्चे ईसाई का धर्म ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, न कि राजाज्ञा का। राज्यभक्ति के ऊपर सिद्धान्तिक रूप से जोर देने के बावजूद इस सिद्धात में एक ऐसा तत्त्व वर्तमान है जो कि उस अपरिमित और विभक्त भक्ति से विल्कुल ताल नहीं खाता जिसकी माग रोमन राज्य व्यक्ति से करता था। यही कारण है कि मार्कस आरेलियस (Marcus Aurelius) सरीखे धर्मत्मा सम्राट् को ईसाईयों का उत्पीड़न करना पड़ा। इस कथन का कि 'लौकिक विषयों में राजा की और पारलौकिक विषयों में ईश्वर की आज्ञा का पालन करो' पूर्ण महत्व समझने के लिये हमें इनकी तुलना अफलातून और अरस्तु के इस विचार से करनी चाहिए कि मनुष्य जीवन समस्त मूल्यों की प्राप्ति राज्य की सदस्यता द्वारा ही कर सकता है। ईसाई धर्म का हट्टिकोण युनानी दर्शनिकों के सिद्धात की जड़ पर ही आधार करता है; आध्यात्मिक क्षेत्र को लौकिक क्षेत्र से अलग करके यह जीवन के अन्तिम मूल्यों को राजनीतिक क्षेत्र अर्थात् राज्य के अधिकार से बाहर ले जाता है। "वह व्यक्ति को नगर अथवा धर्म राज्य की जैविक एकता से निकाल लेता है और उसे एक ऐसे संसार के सम्बन्ध में रख देता है जो कि उनसे ऊपर है। यह अधिक प्रारम्भिक और कम व्यक्तिकृत समाज के ढाँचे और उस मनोवैज्ञानिक एकता को ढहाता है जिसके कारण प्रारम्भिक समाज हड़ और स्थिर बने रहे थे, भले ही वे भावुक न हों।"*

ईसाई धर्म के उपरोक्त सिद्धांत का आधार यह धारणा है कि मनुष्य दो तत्त्वों से मिलकर बना है और इसलिए वह दो विभिन्न व्यक्तियों के अधीन है। शरीर के रूप में वह नागरिक समाज का अङ्ग है, उसके भौतिक अथवा लौकिक हित सौकिक राज्य की सदस्यता से सम्बद्ध हैं; इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना एक लौकिक आवश्यकता है। आत्मा होने के नाते उसके भिन्न हित है और भिन्न लक्ष्य हैं; वह ईश्वरीय राज्य का सदस्य हो जाता है जो उसके अन्दर है; उसके

Temple State and sets him in relation to a world beyond them. It undermines the whole structure of the more primitive, less individualised community and the psychological solidarity which had kept earlier societies stable, if insen-sitive."

—Bowle : *Western Political Thought*, page 107.

प्रारम्भिक ईसाई धर्म के राजनीतिक विचार—सैवाइन के इस कथन को, कि मानव जाति के आध्यात्मिक विषयों को अनुग्रासित करने का अधिकार लिए एक स्वतन्त्र सत्या के रूप में ईमाई चर्च का आविर्भाव राजनीतिक विचार के इतिहास में एक सब से अधिक क्रान्तिकारी घटना थी, पूर्ण रूप से समझने के लिए ईमाई धर्म के कुछ सिद्धान्तों के राजनीतिक परिणामों का तनिक विस्तार के माध्य बरांग करना आवश्यक है। ऐसा करना इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि आरम्भ में ईसाइयत एक धार्मिक आनंदोलन था, राजनीतिक सिद्धान्त नहीं; प्रारम्भिक ईसाइयों का सगठन सूत्र आध्यात्मिक धारणाये थी, सामारिक या राजनीतिक हित नहीं। उनके जो कुछ भी राजनीतिक विचार थे वे कुछ उन्हीं के निराले नहीं थे बल्कि वे सामान्य रूप से दूसरों के भी थे। उनका स्वस्प अधिकतर स्टोइक था। उदाहरण के लिए, वे इस बात को एक स्वयंसिद्ध सत्य ममझते थे कि कानून विहित शक्ति वी आज्ञा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और मनुष्य की परमात्मा की आंखों के सामने एकता और सासार के ऊपर दैविक शासन भी थे। ये स्टोइक विचार परमात्मा के पितृत्व तथा मनुष्य के भ्रातृत्व सम्बन्धी ईसाई धारणाओं से मम्बद्ध होकर अधिक सारगमित हो उठे; मानव समानता की जनतन्त्री धारणा से कि एक ही दैविकता में भागीदार होने के नाते सभी मनुष्य आपस में भाई-भाई है, इस स्टोइक धारणा की अपेक्षा कि सब मनुष्य एक ही विश्वव्यापी कानून के अधीन है, अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार विश्ववाद की स्टोइक धारणा 'लक्ष्य राज्य' (Kingdom of Ends) के द्वारा अधिक अर्थगमित और गहरी हो उठी।

ईसा ने इन विष्यात तथा प्रायः उद्दरित शब्दों में राज्यभवित के महत्व पर बल दिया था: "ससार की बातों में राजा की आज्ञा मानो; पारलौंकिक बातों में परमात्मा के आदेश का पालन करो।" सन्त पाउल (St. Paul) ने इसी विचार को निम्नांकित शब्दों में व्यक्त किया है: "प्रत्येक आत्मा उच्चतर शक्तियों के अधीन रहनी चाहिये। क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति है ही नहीं, इसलिए जो भी शक्ति ससार में है वह ईश्वर की प्रकट की हुई है। इसलिए जो कोई भी सासारिक शक्ति की अवहेलना करता है, मानो वह स्वयं ईश्वर के आदेश की अवहेलना करता है। और अवहेलना करने वालों पर ईश्वर का प्रकोप होगा।"१५ राजकीय आज्ञा पालन के कर्तव्य को इससे अधिक जोरदार और प्रभावक भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राजा की आज्ञा का पालन करना ईसाई विचार की एक मुख्य विशेषता बन गई।

किन्तु ईसाई धर्म की उक्त गिरावट इतनी सरल और निपक्ष्य नहीं है जितनी कि यह दिखाई पड़ती है; इसमें एक अत्यन्त क्रान्तिकारी परिणाम निहित है। इसमें

* "Let every soul be subject to unto higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power resisteth the ordinance of God; and they that resist shall receive unto themselves damnation."

और जो भी प्रभुत्व होगा वही सबका सेवक होगा :”^० सारे मध्य युग में राजपद एक द्रुस्ट समझा जाता था ।

ईसाई धर्म की धारणा के अनुसार राजनीतिक भवित की स्थापना ईश्वर ने मनुष्य के अधिपतन के बाद और उसके फलस्वरूप की । यदि आदम अर्थात् आदि पुरुष ईश्वर की आज्ञा का उत्त्वधन न करता और वर्जित कल न खाता तो वह ईश्वर का दोग्याभाजन न बनता और सरकार की विल्कुल कोई आवश्यकता न होती । सारांश यह कि ईसाई धारणा के अनुसार सरकार की स्थापना का कारण मानव पाप है । परन्तु उम्मका अभिप्राय यह नहीं है कि वह स्वयं पापमय है यद्योःकि स्वयं ईश्वर ने न्याय को रक्षा के लिए उसको स्थापना की है । न्याय का अर्थ है पुण्य और पाप के लिए पुरस्कार और दण्ड की समुचित व्यवस्था द्वारा ईश्वरीय कानून को कायम रखना । इस प्रकार राज्य को एक पवित्र चरित्र प्रदान किया गया ; उसके प्रधान को ईश्वर का एक एजेण्ट समझा गया । इस प्रकार राज्य को ईश्वर द्वारा स्थापित और मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक समझा गया । प्रारम्भिक ईसाईयों में फैली हुई अराजकतावादी प्रवृत्तियों का प्रतिकार करने की भावना से ब्रेत्रित होकर पमवितारो (Apostles) ने कानूनविहित राज्य की आज्ञा पालन के कर्तव्य पर जोर दिया ।

धर्मावितारों ने न केवल राज्यभवित को उचित ठहराया, बरन् उस समय पाई जाने वाली दास प्रथा का भी समर्थन किया जो कि ईसाई धर्म की शिक्षाश्री के एकदम विपरीत थी । यदि स्वभावतया सभी मनुष्य समान हैं ; यदि ईश्वर किसी भी मनुष्य को परतंत्र उत्तम नहीं करता तो फिर दास प्रथा का अधिक्षय ही क्या है ? सत पाल ने इसे इस आधार पर उचित ठहराने का प्रयत्न किया कि राज्य की भाँति दास प्रथा भी पाप का परिणाम और उससे मुक्त होने का साधन है । ईश्वर ने तो सब मनुष्यों को समान बनाया किन्तु मनुष्य के ‘पतन’ के कारण यह भौलिक समानता नष्ट हो गई और मनुष्य अपनी पाशविक प्रवृत्तियों के दास हो गये । दासता या पशु प्रकृति का पाश एक स्वामी के प्रति आज्ञाकारी रहने से ही दूर हो सकता है । वाह्य दासता एक ऐसा अनुशासन है जो परमात्मा ने दास की आत्मा के कल्याण के लिए उस पर थोपा है । इसलिये दास को अपनी सकटमय स्थिति में भाग निकलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये बल्कि उसे प्रभु इच्छा समझकर उसके सामने समर्पण कर देना चाहिये । ईसाई चर्च ने शताब्दियों तक दास प्रथा को सहन किया ।

प्रारम्भिक ईसाईयो ने परिवार तथा पैतृक अधिकार को भी पुनर्जीवित किया क्योंकि यह उस नवीन सामाजिक व्यवस्था को एक हड़ आधार प्रदान करता था जो कि उस समय जन्म ले रही थी । याद रहे कि सन्तान के ऊपर पिता का नियन्त्रण जो कि रोमन इतिहास के प्रारम्भिक काल में विल्कुल निरपेक्ष था ‘साम्राज्य’ के समय में राज्य के दबाव के कारण प्रायः नष्ट हो गया था । इसी के साथ-साथ उस समय

* “Whosoever shall be great among you shall be your minister. And whosoever will be the chiefest shall be the servant of all.”

हितों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए राज्य-भवित तथा ईश्वर-भवित में यदि सधर्प हों तो दूसरों को पहली के ऊपर सदा तरजीह मिलनी चाहिये।

निस्सन्देह स्टोइक्स भी दो राज्यों की सदस्यता में विश्वास करते थे; उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक और तो उस राज्य का सदस्य है जिसमें कि उसका जन्म हुआ है और दूसरी ओर वह समस्त विश्व का एक घटक है। परन्तु विश्व नागरिकता का स्टोइक विचार ईश्वरीय राज्य की सदस्यता की ईसाई धारणा के अनुरूप नहीं हो सकता। ईसाई धारणा के अनुसार व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा ध्येय है जो कि स्टोइक धारणा से एक दम भिन्न है। ईसाई धारणा का अर्थ दूसरे प्रसाग में स्पष्ट किया जायेगा। यहाँ हम केवल इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि दोहरी भक्ति का ईसाई सिद्धात जिसका कोई जोड़ यूनानी या रोमन विचार में नहीं है, शरीर और आत्मा के विभेद पर आधारित है जिस पर ईसाई धर्म जोर देता है।

ईसाई सिद्धात के एक दूसरे राजनीतिक परिणाम पर भी हमें ध्यान देना चाहिये। मन्त्र पाल ने ईसाइयों को नत्कालीन राजनीतिक शक्ति का सम्मान करते और उसकी आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा इस आधार पर की थी कि समस्त शक्ति ईश्वर-प्रदत्त है और जो भी नागरिक शक्ति की अवहेलना करता है वह स्वयं ईश्वर की अवहेलना करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य एक दैविक सत्य है और शासक अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करते हैं। वे इसे जनता से प्राप्त नहीं करते जैसा कि रोम की परम्परागत धारणा थी; वे दैविक अधिकार द्वारा शासन करते हैं, जनता द्वारा दिए हुए अधिकार द्वारा नहीं। दूसरे शब्दों में ईसाई धर्म के अनुसार, राजाज्ञा का पालन करना एक धार्मिक कर्तव्य है; राजा की आज्ञा भंग करना ईश्वर की आज्ञा भंग करना है। यह केवल समाज के प्रति ही एक अपराध नहीं है, यह ईश्वर के प्रति पाप भी है। यह राजनीतिक कर्तव्य के सविदात्मक आधार का स्फूर्त है। ईसाई सिद्धात के इस पहलू को उस समय अच्छी तरह नहीं समझा गया; इसके और रोमन हृष्टिकांण के विरोध को स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया। सत पाल की पिक्षाओं में यह बात निहित है कि आज्ञापालन राजा के पद का होता है, स्वयं राजा का नहीं; इसलिए जहाँ तक उसकी शक्ति को आज्ञा पालन करने के कर्तव्य का सम्बन्ध है राजा के व्यक्तिगत गुण, दोष अप्रासारिक हैं। ईसाई धर्म ने समर्थन राज्य के दैविक अधिकार का किया है, राजाओं के अधिकार का नहीं।

यहाँ यह बताना भी अनावश्यक न होगा कि ईसाई धर्म के अनुमार राजा जनता का स्वामी नहीं है वल्कि उसका प्रथम सेवक है। उसका समुचित कार्य जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, उसके ऊपर प्रभुत्व जमाना नहीं। सत पाल ने निम्नान्ति धोपणा की थी; “तुम मैं जो भी महान् होगा वही तुम्हारा मत्री बनेगा।

और जो भी प्रभुत्व होगा वही सबका सेवक होगा : "सारे मध्य युग में राजपद एक दृस्त समझा जाता था ।

ईसाई धर्म की धारणा के अनुसार राजनीतिक शक्ति की स्थापना, ईश्वर ने मनुष्य के अध.पतन के बाद और उसके फलस्वरूप की । यदि आदम अर्थात् आदि पुरुष ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन न करता और वजित फल न खाता तो वह ईश्वर का कोषभाजन न बनता और सरकार की विलक्ष्णता कोई आवश्यकता न होती । सारांश यह कि ईसाई धारणा के अनुसार सरकार की स्थापना का कारण मानव पाप है । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह स्वयं पापमय है । वह पापमय नहीं है यद्योऽकि स्वयं ईश्वर ने न्याय की रक्षा के लिए उसकी स्थापना की है । न्याय का अर्थ है पुण्य और पाप के लिए पुरस्कार और दण्ड की समुचित व्यवस्था द्वारा ईश्वरीय कानून की कायम रखना । इस प्रकार राज्य को एक पवित्र चरित्र प्रदान किया गया ; उसके प्रधान को ईश्वर का एक ऐजेण्ट समझा गया । इस प्रकार राज्य को ईश्वर द्वारा स्थापित और मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक समझा गया । प्रारम्भिक ईसाईयों में फैली हुई अराजकतावादी प्रवृत्तियों का प्रतिकार करने की भावना से प्रेरित होकर धर्मावितारों (Apostles) ने कानूनविहित राज्य की आज्ञा पालन के कर्तव्य पर जोर दिया ।

धर्मावितारों ने न केवल राज्यभक्ति को उचित ठहराया, बरन् उस समय पाई गयी दास प्रथा का भी समर्थन किया जो कि ईसाई धर्म की शिक्षाओं के एकदम वेपरीत थी । यदि स्वभावतया सभी मनुष्य समान हैं ; यदि ईश्वर किसी भी मनुष्य तो परतव उत्सन्न नहीं करता तो फिर दास प्रथा का अवित्य ही क्या है ? सत पाल ने इसे इस आधार पर उचित ठहराने का प्रयत्न किया कि राज्य की भाँति दास प्रथा भी पाप का परिणाम और उससे मुक्त होने का माध्यन है । ईश्वर ने तो सब मनुष्यों को समान बनाया किन्तु मनुष्य के 'पतन' के कारण यह मीलिक समानता नष्ट हो गई और मनुष्य अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों के दास हो गये । दासता या पशु प्रकृति का पाश एक स्वामी के प्रति आज्ञाकारी रहने से ही दूर हो सकता है । बाह्य दासता एक ऐसा मनुष्यासन है जो परमात्मा ने दास की आत्मा के कल्याण के लिए उस पर घोपा है । इसलिये दास को अपनी संकटमय स्थिति से भाग निकलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये बल्कि उसे प्रभु इच्छा समझकर उसके सामने समर्पण कर देना चाहिये । ईसाई चर्चा ने शताव्दियों तक दास प्रथा को सहन किया ।

प्रारम्भिक ईसाईयों ने परिवार तथा पैतृक अधिकार को भी पुनर्जीवित किया यद्योऽकि यह उस नवीन सामाजिक व्यवस्था को एक दृढ़ आधार प्रदान करता था जो कि उस समय जन्म से रही थी । याद रहे कि सन्तान के ऊपर निंता का नियन्त्रण जो कि रोमन इतिहास के प्रारम्भिक काल में विलक्ष्ण निरपेक्ष था 'साम्राज्य' के समय में राज्य के द्वारा प्रायः नष्ट हो गया था । इसी के साथ-साथ उस समय

* "Whosoever shall be great among you shall be your minister. And whosoever will be the chiefest shall be the servant of all."

विवाह को एक कानूनी समझौता समझा जाने लगा जिसे उभय पक्ष अपनी इच्छा-नुमार कभी भी तोड़ सकते थे। इन दो वातों ने मिलकर परिवार बन्धन को दहूत दुर्वंत बना दिया। आदिकालीन ईसाइयों ने परिवार को पुनर्जीवित करने का एक सफल प्रयास किया। वे विवाह को एक कानूनी समझौता नहीं, बल्कि एक संस्कार समझते थे जिसे भग नहीं किया जा सकता; उन्होंने पिता के मन्त्रान पर पूर्ण नियंत्रण रखने के अधिकार को स्वीकार किया। परिवार के ऊपर परिवार के प्रधान का अधिकार का प्रतिद्वन्द्वी बन गया। “प्रत्येक ईसाई पुरुष राजनीतिक शक्ति को चुनौती दे रहा था क्योंकि उसका हठ विश्वास था कि विवाह एक पवित्र संस्कार है और ईश्वर ने उसे परिवार का प्रधान बनाया है। इस पद पर अपने को ईश्वर द्वारा नियुक्त समझते हुये वह सरकारी अधिकारियों की ओर से कोई हस्तक्षेप सहन करने के लिए तैयार न था। प्रारम्भिक ईसाइयों द्वारा परिवार इकाई को पुनर्जीवित करना राजनीतिक समाज की एक नवीन व्यवस्था की ओर उनका एक पहिला महत्वपूर्ण कदम था!”^१

आदिकालीन ईसाइयों ने एक दूसरा कदम उठाया जिसके महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम निकले। राज्य के प्रति भवित्वभाव का उपदेश तो उन्होंने अवश्य दिया; किन्तु साथ-साथ संत पाल की यह धारणा थी कि ईसाइयों को अपने भगड़ों का निर्णय मूर्तिपूजकों के न्यायालयों में नहीं कराना चाहिये। इसका अर्थ यह समझा गया कि ईसाइयों को अपने मामलों का निपटारा ईसाई कानून के अनुसार और ईसाइयों द्वारा ही कराना चाहिये। इस प्रकार इस वात की मांग उठी कि ईसाई कानून के अनुसार काम करने वाले ईसाई न्यायालय कायम किये जाये। जाहिर है कि ऐसे न्यायालय राज्य के न्यायालयों के प्रतिद्वन्द्वी थे। इसका अर्थ या राज्य के अन्दर एक राज्य का कायम होना।

इस प्रकार चौथी शताब्दी तक ईसाई चर्च एक निश्चित संघटन बन गया; उसने परिवार का पुनरुत्थान किया जो कि नवीन सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण ईकाई थी; और अपने सदस्यों के लिए अलग न्यायालयों की स्थापना करके उसने राज्य के अन्दर राज्य को जल्म दिया। यह थी वह स्थिति जिसने संग्राट कॉन्टेन्डाइन को धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाने के लिए विवश किया और जिसके कारण अन्य धर्मों पर ईसाइयत की विजय हुई।

एक नई समस्या का उत्पन्न होना—यह सही है कि ईसा के इस कथन में कि ‘लौकिक विवाह में राजा की ओर पारलौकिक मामलों में ईश्वर की भाजी का पातव

* “Political authority was being challenged by every Christian man who, firmly convinced that his marriage was a holy sacrament, knew himself to be placed at the head of the family by the will of God; and regarding himself as divinely appointed to this position could not brook interference from the pagan authority of imperial officials. The revival of the family unit by the early Christians was one of their first significant move towards the constitution of a new order of political authority.”

करों क्रांतिकारी परिणाम निहित थे और इसके ऊपर विभक्त भक्ति का सिद्धान्त प्राधारित था और एक निश्चित संस्था के रूप में ईसाई चर्च की स्थापना रोमन साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक गम्भीर खतरा थी। परन्तु इन सब वातों के बावजूद प्रारम्भिक ईसाइयत का स्वरूप अराजनीतिक था; राजनीतिक विचारकों के लिए उसने कोई समस्या खड़ी नहीं की। उसके प्रमुख सदस्यों की नम्रता, पारलीकिकता तथा राजनीतिक उदासीनता और उनका भूम्य रूप से आत्मा की मुक्ति की समस्या में रहना राजनीतिक कल्प-विकल्प के विकास के लिए एकदम प्रतिकूल था। नवीन धर्म के निर्माण काल में आध्यात्मिक तथा लौकिक क्षेत्र के विभेद ने राज्य और चर्च के पारस्परिक सम्बन्ध को¹ कोई समस्या उत्पन्न नहीं की त्योकि चर्च एक ऐच्छिक समुदाय था और यदा-न-कदा उसके ऊपर अत्याचार होता रहता था। परन्तु जब ईसाइयत साम्राज्य का राज्य धर्म बन गई और चर्च साम्राज्य का एक अग हो गया तो स्थिति में परिवर्तन हुआ। चर्च और राज्य में एक घटिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ और सब लोग यह स्वीकार करते थे कि दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिये। राज्य भक्ति का उपदेश देना चर्च का कर्तव्य था और चर्च की रक्षा तथा सहायता करना राज्य का कार्य था। प्रारम्भ में सभ्राट समस्त विषयों में, चाहे वे लौकिक हों या धार्मिक, अतिम अधिकार का प्रयोग करता था; धर्म राज्य का एक विभाग समझा जाता था; चर्च में अभी आत्म-चेतना तथा शक्ति नहीं थी। परन्तु ज्यों ही चर्च शक्तिशाली बना उसने विशाल सम्पत्ति प्राप्त की और अपने संघटन तथा सिद्धान्तों का विकास किया, त्यों ही वह आध्यात्मिक विषयों में स्वायत्त शासन की माग करने लगा। सत् एम्ब्रोज (St Ambrose) मिलान के विशेष तत्परता के साथ इस धारणा का प्रतिपादन किया। जब उसने आध्यात्मिक विषयों में चर्च की स्वतन्त्रता का दावा किया तब से ही राज्य और चर्च के बीच में उचित सम्बन्ध की समस्या खड़ी हुई। परन्तु ११वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक इसने कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं किया। तब तक दोनों का मन्त्रन्य 'दो तत्त्वारों, के सिद्धान्त पर आधारित रहा। दोनों के पारस्परिक संघर्ष हा वर्णन १२वें अध्याय में किया जायेगा। यहां पर हम आरम्भिक काल में चर्च के दृष्टिकोण का उल्लेख करेंगे जिसकी सुन्दर अभिव्यक्ति सत् एम्ब्रोज, सत् आगस्टाइन (St Augustine) तथा पोप ग्रेगरी महान् (Popo Gregory, the Great) ने की। इनमें से किसी भी विचारक ने राज्य और चर्च के सम्बन्ध में किसी क्रमबद्ध सिद्धान्त का विकास नहीं किया; उन्होंने आध्यात्मिक विषयों में चर्च की स्वाधीनता पर ज़ेर दिया और उन्होंने जो विचार प्रगट किये वे ईसाई विचार का एक अभिन्न अंग बन गये।

सत् एम्ब्रोज—सत् एम्ब्रोज (३४०-३६७), मिलान के विशेष का राजनीतिक विचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है त्योकि उन्होंने चौथी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ईसाई चर्च की बढ़ती हुई आत्म-चेतना तथा शक्ति को अभिव्यक्त किया। सभ्राट ध्यूडोसियस तथा वेलन्टीनियन (Valentinian) के साथ व्यवहार करने में

प्राचीन तथा मध्यकालीन राजनीतिक विचार—।

रता से काम लिया और आध्यात्मिक विषयों में चर्च की स्वाधीनता भी रक्खा की । उन्होंने सम्राट बेलन्टीनियन को लिखा कि धर्म के विषयों में सम्राट विश्वपगण के अधीन है, विश्वपगण सम्राट के नहीं । आध्यात्मिक विषयों में समस्त ईमाई जिनमें सम्राट भी सम्मिलित थे चर्च के अधिकार धेत्र में थे; सम्राट का चर्च के ऊपर आधिपत्य नहीं था वल्कि वह स्वयं चर्च के अधीन था, और आध्यात्मिक विषयों पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं था । जब सम्राट ने संत एम्ब्रोज को एरियन्स (Ariane) के प्रयोग के लिए चर्च देने का अदेश दिया तो उसने वह कहकर इकार कर दिया कि महलों का स्वामी सम्राट है, चर्चों के स्वामी विश्वपगण हैं । चर्च की भूमि सम्पत्ति पर सम्राट का अधिकार था किन्तु चर्च के भवनों पर नहीं था जो कि प्रभु सेवा के लिए अपूर्ण थे । एक दूसरे अवसर पर उसने सम्राट घूँडोसियन की उपस्थिति में एक उत्सव मनाने से इन्कार कर दिया वयोंकि सम्राट एक हृत्याकाष्ठ का अपराधी था और इसलिए चर्च द्वारा नैतिक भर्त्सना का यात्र था ।

सन्त आगस्टाइन : उनका जीवन तथा समय—सन्त आगस्टाइन (३५४-४३० ई०) संत एम्ब्रोज के एक महान् शिष्य थे । उन्हे रोमन चर्च फादर्स में महनतम समझा जाता है और आने वाले विचार पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा । संवाइन का कहना है कि उनके लेख विचारों की खान हैं जिनमें से बाद के विचारकों ने खोदकर विचार निकाले हैं । ईसाई चर्च के इतिहास में सन्त पाल के बाद सन्त आगस्टाइन को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है ।

उनका प्रादुर्भाव ससार के इतिहास के एक अत्यन्त नाजुक जमाने से हुआ । यह एक भारी सकट और बवण्डर का समय था जबकि रोमन साम्राज्य और रोमन कैथोलिक चर्च दोनों का ही विनाश निश्चित दिखाई पड़ता था । वह रोमन साम्राज्य जो उस समय तक के इतिहास में ससार का महनतम साम्राज्य था और जिसने आठ शताब्दियों तक सम्य ससार में शान्ति कायम रखी थी, उत्तर-पूर्व से आने वाले बर्बरों के आक्रमण से उसकी धजियाँ उड़ रही थीं । हूणों ने डैन्यूब और राइन (Rhine) को पार किया और दुर्बलताप्रस्त माम्राज्य के ऊपर बाज़ की तरफ झस्ट पड़े । उन्होंने रोम की सेनाओं को ३७६ ई० में परास्त कर दिया और वे आधुनिक संविया तथा बलगरिया के प्रदेशों में बस गये । वे केवल दो वर्षों के निवास के बाद उन क्षेत्रों से आगे बढ़े और बीस वर्षों तक साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में रोम मार करते रहे । अन्त में ४१० ई० में राजा अलारिक के नेतृत्व में विजेतृश्च ने रोम को तीन दिन तक लूटा-खसोटा । वह रोम जिसकी ओर लोग ८०० वर्ष तक मार्द दर्शन और नियन्त्रण के लिए देखते रहे थे, और जिसे प्रत्येक स्थायी और बलशर्ल चौज़ का प्रतीक समझा जाता था, उसकी पराजय ने मूर्ति-पूजको तथा ईसाइयों, सम्म के दिल को आधात पहुचाया । मूर्तिपूजक चिल्ला उठे कि 'रोम का नाम ईसाई का मै हुआ है ।' उन्होंने कहा कि जब तक रोम तथा रोम के नागरिक भंगल, वृहस्पति द्वित्यादि प्राचीन देवताओं की उपासना करते रहे तब तक सफलता तथा विजय उनके

कदम चूमती रही और देश-देशान्तरों में रोम का झण्डा लहराता रहा। जब उन्होंने प्राचीन देवताओं का परित्याग करके नवीन धर्म को अपनाया तभी उनके ऊपर संकट आया और रोम का पतन हो गया। ईसाई यद्यपि इस विचार का खन्डन करते थे तथापि वे इस बात से बहुत दुखी और चित्तित थे कि नवीन धर्म रोम की रक्षा न कर सका। उन्हें यह देखकर घोर निराशा हुई कि वह साम्राज्य, जिस पर वह अपनी सहायता तथा रक्षा के लिए भरोसा रखते थे, स्वयं अपने आपको भी न बचा सका।

केवल साम्राज्य के दुर्भाग्य ने ही विचारसील व्यक्तियों को चित्तित नहीं किया बल्कि विजेता ईसाई चर्च की स्थिति भी उनके लिये चित्ता का विषय बन गई। इसके अन्दर ऐसी फूट और पारस्परिक कलह उत्पन्न हो गई जिनका कोई उपचार दिखाई नहीं पड़ता था; साम्राज्य से सधर्व के समय इसमें जो एकता पाई जाती थी वह लुप्त हो गई। “सिद्धान्त के ऊपर मतवैभिन्न्य, विशेष रूप से आलरियस (Aelius) तथा अथानासियस (Athanasius) के मतभेद ने ऐसी दराढ़ी उत्पन्न करदी जिनका सम्बन्ध डोनेटिस्ट्स (Donatists) से था, कलहकारी मतभेद उत्पन्न किये; पद, पुरस्कार, समर्पित तथा शक्ति के लिए संघर्ष ने पादरी नमाज को चित्तभ्रष्ट कर दिया, धर्मविलम्बियों को दुखित और मंसार को चकित कर दिया।”* अन्य किसी जगह की अपेक्षा उत्तरो अफ्रीका में स्थिति अधिक गम्भीर थी जहाँ कि नाना प्रकार के मत-मतान्तर उत्पन्न हो गये, नास्तिकता फैल गई और यह खतरा उत्पन्न हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि चर्च के शत्रु उसे विल्कुल नष्ट कर दे।

सन्त थ्रॉग्स्टाइन ने अपने सामने तीन कार्य रखे। (१) ईसाई धर्म को अपनाने के बाद रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बतलाना, (२) तास्तिकता को कुचलना तथा ईसाई-विरोधी धर्म का सामना करना, और (३) चर्च को शक्तिशाली बनाना तथा वह ग्रादण्ड अकित करना जिसकी ओर गम्भीर होना था। अपने इस द्वाकार लक्ष्य को-प्राप्ति के लिये उसने अपने हिपो (Hippo) के विशेष होने तथा अपनी दार्शनिक प्रतिभा का पूरा साभ उठाया। विशेष के रूप में उसने अपनी समस्त शक्तियों को चर्च के हड़ करने तथा तास्तिकता को कुचलने में लगाया और रोम के पतन का कारण समझाने के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'डी सिविटेट डेई' (De Civitate Dei) की रचना की जो अग्रेजी में 'दी सिटी ऑफ गॉड' (The City of God) के नाम से प्रसिद्ध है।

* “Differences of Doctrine, particularly that which divided Aelius from Athanasius, caused irreconcileable breaches; doubtful problems of discipline, particularly that associated with the Donatists, led to schismatical dissent; conflicts for office, emolument, property, power distracted the episcopate, scandalised the faithful and amazed the world.

सन्त आँगस्टाइन का जन्म ३५४ई० में उत्तरी अफरीका में रोम के एक ग्रन्त नूमिडिया (Numidia) में हुआ था। उनका पिता एक मूर्तिपूजक था और उनकी माता ईसाई थी। उनके पिता ने अपनी शक्ति भर उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी और उनकी माता ने उन्हें ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाया। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह अपनी तस्लावस्था भी ईसाई नहीं थे। शुल्क में उन्होंने मैनीकिज्म (Manicheanism) अपनाया; और फिर एक 'नियो-प्लाटोनिस्ट' (Neo-Platonist) हो गये। ग्रन्त में मिलान के विशेष सन्त एम्प्रोज ने उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित किया और वह एक बहुत सक्रिय और उत्साही पादरी बन गये। ४३०ई० में अपने ही ग्रन्त हिपो के वह विशेष नियुक्त किये गये जहाँ कि वह अपने जीवन के ग्रन्त तक रहे। उनकी मृत्यु के समय 'वैन्डल्स' (Vandals) ने नगर का घेरा डाला हुआ था। यहाँ पर हम उनके महान् ग्रन्थ 'दी सिटी आँफ गॉड' का सक्षिप्त विवरण देंगे जिसमें उनके सब से अधिक ग्रन्थ विश्वपूर्ण विचारों में से दो पायें जाते हैं—
 (१) ईसाई कॉमनवैल्य की धारणा
 (२) इतिहास का दर्शन जो कॉमनवैल्य की स्थपना को मानव जाति के ग्राध्यात्मिक विकास की अन्तिम सीढ़ी समझता है।

उसके दर्शन को अफलातूनवाद या ईसाई धर्म का समन्वय समझा जा सकता है जिसमें प्रेम तथा विश्वास पर बल है जो ईसाई धर्म का सार है।

इतिहास का दर्शन (Philosophy of History)—जैसा कि हम पहिले ही बताए कर चुके हैं, आँगस्टाइन ने अपने महान् ग्रन्थ 'दी सिटी आँफ गॉड' की रचना ईसाई धर्म के विशद्द लगाये गये इस आरोप का खण्डन करने के लिये की थी कि उसके कारण ही रोम का पतन हुआ। उनकी धारणा थी कि यह 'विश्वास करना' दुखाता है कि साम्राज्यों का उत्थान या पतन देवताओं की प्रसन्नता या प्रकोप के नियरण होता है। न तो रोमन साम्राज्य की सम्पन्नता और विजय रोमन देवताओं का वरदान था और न उसके पतन का कारण ईसाई धर्म की दुर्बलता थी; ये दोनों ही बातें दैविक योजना और उद्देश्य की अभिव्यजना की घटनाये थी। दूसरे शब्दों में, सन्त आँगस्टाइन मानव इतिहास के प्रवाह को ईश्वर इच्छा की अभिव्यक्ति समझता था। उसकी शिक्षा यह थी कि समस्त वस्तुये इस वसुन्धरा पर प्रभु के राज्य की स्थापना की ओर जा रही हैं। रोम का पतन इसलिये हुआ क्योंकि उसका पराभव दैविक उद्देश्य की पूर्ति और रोमवासियों के हृदय को मूर्तिपूजक धर्म के दोष में हटाकर उन्हें प्रभु की दया के लिये तैयार करने के लिये आवश्यक था।

कालं मात्सं की भाति आँगस्टाइन भी मानव इतिहास के प्रवाह को एक निरन्तर सुधार के रूप में देखता था; किन्तु मात्सं के अनुसार यह सधारं ग्राध्यक दृष्टियों के बोच में होता है जबकि आँगस्टाइन उसे पाप और पृथ्य का दुन्दृ भमझता है जिसमें विजय सदा पृथ्य की होती है। आँगस्टाइन का यह विचार हमारे प्राचीन माहित्य में पाई जाने वाली देवामुर सप्त्राम की पारणा से बहुत मिलना-जुलता है।

जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार पाप का नाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिये ईश्वर अवतार लेता है उसी प्रकार ईसाइयों का भी यह विश्वास था कि ईश्वर अपने पुत्र ईसा के द्वारा इस पृथ्वी पर 'ईश्वरीय राज्य' स्थापित करना चाहुआ था। रोम का पतन इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ईसाई कांमनवेत्य स्थापित करने को तैयारी के लिए उसे आवश्यक समझता था।

सत्त आँगस्टाइन ने इस स्टोइक धारणा को ही स्वीकार किया कि मनुष्य दो राज्यों, अपने जन्म के राज्य तथा समस्त विश्व, का नामिक है किन्तु मनुष्य के दोहरे स्वभाव की ईसाई धारणा से प्रेरित होकर उसकी एक नई व्यास्था की। शरीर होने के नाते मनुष्य सासारिक राज्य का सदस्य है जिसका आधार मनुष्य की पारम्परिक प्रकृति की तृप्यापूर्ण तथा सम्प्रहात्मक भावना है। आत्मा होने के नाते वह 'ईश्वरीय राज्य' का सदस्य है जिसकी सदस्यता आत्मा की मुक्ति के लिए अपरिहार्य है। आँगस्टाइन मानव इनिहाम को इन दो राज्यों तथा ममाजों के बीच में संबंध की एक कहानो समझता था जिन्हे वह क्रमशः 'जीतान का राज्य' (Civitas Terrena) तथा 'दैविक राज्य' (Civitas Dei) कह कर पुकारता था। अपने स्वभाव से ही 'जीतान का राज्य' अर्थात् सासारिक राज्य नाशमान है; एक न एक दिन इसे अवश्य नष्ट होना है। इसके विपरीत 'ईश्वरीय राज्य' स्थायी है; केवल यही सदा कायम रहेगा; केवल इसी में शान्ति प्राप्त होना सम्भव है। "सभी सांसारिक राज्य एक न एक दिन नष्ट हो जायेंगे; क्योंकि सासारिक धर्म स्वभाव से ही परिवर्तनशील और नाशमान है; इसका आधार मानव जीवन की वे प्रवृत्तियाँ हैं जो अवश्य ही युद्ध तथा शक्तिलोकुपता को जन्म देती है।"^{*} इस प्रकार सत्त आँगस्टाइन ने रोम के पतन को दैविक योजना की पूर्ति के मार्ग में एक कदम बताया।

ईश्वरीय राज्य तथा सासारिक राज्य—आँगस्टाइन की शिक्षाओं को समुचित रूप से समझने के लिए इन शब्दों का अर्थ अधिक स्पष्ट करना आवश्यक है। आँगस्टाइन का 'ईश्वरीय राज्य' भी स्टोइक के 'इश्वरीय नगर' की भाँति विश्वव्यापी समाज है जो कि जाति, वर्ग तथा राज्य के भेदों का अतिक्रमण करता है; यह एक ऐसा समाज है जिसका सदस्य प्रत्येक मानव प्राणी केवल मानव होने के नाते बन सकता है। परन्तु स्टोइक समाज की भाँति कोई ध्यक्ति मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण ही इसका सदस्य स्वयमेव नहीं बन जाता। जब से मनुष्य का 'पतन' हुआ है तब से मनुष्य केवल प्रभु कृपा से ही सदस्य बन सकता है और यह कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती; यह केवल उन्हीं को मिलती है जो ईसा में विश्वास रखते हैं। दूसरे शब्दों में, स्टोइक्स के विश्वव्यापक समाज के विपरीत आँगस्टाइन की कल्पना

* "All earthly kingdoms must pass away, for earthly power is naturally mutable and unstable; it is built on those aspects of human nature which necessarily issue in war and the greed of domination"

के 'ईश्वरीय राज्य' के कोड में समस्त मानवता नहीं आती ; उसके अक्ष में केवल वे ही लोग आते हैं जो कि इसाई चर्च के सदस्य हैं या थे । जो चीज उन्हें एकता के मूल में गूढ़ती है और समाज के रूप में उनका निर्माण करती है वह है ईश्वर के प्रति उनका सामान्य प्रेम और भवित ; वर्ग जाति तथा राज्य भेद का उसमें कोई स्थान नहीं है ।

इसका अर्थ यह नहीं है कि इसाई चर्च ही 'ईश्वरीय राज्य' है ; आँगस्टाइन दोनों को एक नहीं समझता । 'ईश्वरीय राज्य' में देवगण तथा वे स्वर्गीय आत्मायें भी सम्मिलित हैं जो कि इस पृथ्वी को छोड़ चुकी हैं ; इस वृष्टिकोण से चर्च की अपेक्षा इसकी सदस्यता अधिक व्यापक है । यद्यपि इन दोनों को एकरूप नहीं ममझा जा सकता तथापि इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि 'ईश्वरीय राज्य' का सदस्य साधारणतया चर्च की शिक्षाधीयों का पालन करके ही बनाया जा सकता है । 'ईश्वरीय राज्य' एक अमूर्त कल्पना है ; वह कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है ; इसाई चर्च को उसका साकार रूप ममझा जा सकता है । दोनों के सम्बन्ध को फॉस्टर ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है : चर्च 'ईश्वरीय नगर' का वह विभाग है जिसमें वे सब सदस्य सम्मिलित हैं, जो कि अभी अपनी विश्व यात्रा ही कर रहे हैं और जिसमें को वे सब (या लगभग सब) जो कि 'ईश्वरीय राज्य' के सदस्य हैं, गुजर चुके हैं । ७ जहाँ तक कि वह ईश्वर प्रेम से प्रेरित है ईश्वर का राज्य सम्पूर्ण मानव जाति है ।

इसाई चर्च को 'ईश्वरीय राज्य' का साकार रूप तथा उन सब लोगों का एक समाज समझना जिन्होंने कि धार्मिक संस्कारों में भाग लेकर प्रभु की कृपा प्राप्त की है, एक युगनिर्मायिक धारणा थी । इसने एक विश्वव्यापी इसाई समाज के विचार के लिये भूमि तैयार की जो कि सारे मध्य युग की चित्तन-धारा के ऊपर द्वाया रहा । क्योंकि इसाई चर्च वह माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु अपनी दया प्रदान करता है, इसलिए उसकी स्थापना देवामुर संग्राम के इतिहास में एक नवीन युग का मूलपात्र था ; इसका अर्थ यह था कि भविष्य में राज्य को ईसाई राज्य होना चाहिये "जिसका कर्तव्य एक ऐसे समाज की सेवा करना, जो कि एक सामान्य ईसाई धर्म का पालन करने के नाते एक है, एक ऐसे जीवन को आवश्यकताओं की पूर्ति करता, जिसमें आध्यात्मिक हित सर्वोपरि है तथा धर्म की पवित्रता को सुरक्षित रखकर मनुष्य की मोर्धा-प्राप्ति में सहायता करना है ।" एक ऐसे सावंभीमिक समाज की प्रारणा जिसमें कि एक ही

जाता है कि आँगस्टाइन वह व्यक्ति था जिसने एक नवीन युग का सूत्रपात किया; उसने प्राचीन विचार को पूर्णता प्रदान की और नवीन विचार की पूर्व मूलना दी। 'पवित्र रोमन साम्राज्य' (Holy Roman Empire) की सारी धारणा 'ईश्वरीय राज्य' के ऊपर आधारित है।

ईश्वरीय राज्य की धारणा की भाँति आमुरी राज्य अथवा इहनौकिक राज्य की कल्पना भी अमूर्त है। रोमन साम्राज्य (या भूतकाल का अन्य कोई मूर्तिपूजक राज्य) के तदूप न होते हुए भी यह उसके बहुत निकट थी। जिस अपूर्ण ढग से ईसाई चर्च को ईश्वरीय राज्य का साकार हृप समझा जा सकता है उसी प्रकार से रोमन साम्राज्य को भी आमुरी राज्य का पार्थिव प्रतिनिधि कहा जा सकता है। दोनों में इसी साम्य के कारण आँगस्टाइन ने चर्च की तुलना में लौकिक राज्य को हीन ठहराया है और उसके अधिकार की भत्संना की है। आँगस्टाइन के बाद के अन्य मध्यकालीन लेखकों में भी यही तान सुनाई पड़ती है; उन्हें चर्च की श्रेष्ठता का समर्यंन किया है। आँगस्टाइन के सन्त एम्ब्रोज़ सरीखे पूर्ववर्तियों ने ऐसा नहीं किया। राज्य की अवेद्धा चर्च की महत्ता को स्वीकार करके आँगस्टाइन ने आने वाले युग के राजनीतिक विचार में एक नई विशेषता उत्पन्न कर दी।

न्याय तथा शान्ति के विषय में आँगस्टाइन के विचार—आँगस्टाइन के अनुमार न्याय तथा शान्ति ईश्वरीय राज्य के गुण हैं; इसलिए इनको केवल उसी समाज में प्राप्त किया जा सकता जो कि ईश्वरीय राज्य का प्रतीक है; उन्हे ऐसे नमाज में प्राप्त नहीं किया जा सकता जो आमुरी राज्य का प्रतिनिधि हो। दूसरे शब्दों में, आँगस्टाइन के अनुसार ईसा के पहिले के मूर्तिपूजक राज्यों में न्याय खोजना व्यर्थ है; वह तो केवल ईसाई राज्य में ही प्राप्त हो सकता है।

यह उपसिद्धि (Corollary) है न्याय की इम परिभाषा की कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी कि व्यवस्था माग करती है। देखने में यह परिभाषा न्याय की अफलातून द्वारा दी हुई इस परिभाषा में कि न्याय स्वधर्म का पालन करता है, मिलती-जुलती दिखलाई पड़ती है; परन्तु दोनों में एक अधारभूत अन्तर है। अफलातून के लिए राज्य सर्वोत्कृष्ट, इकाई है; इससे अधिक व्यापक और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसका कि राज्य एक भग या भाग हो। परन्तु आँगस्टाइन ऐसा नहीं मानता। वह राज्य को एक अधिक व्यापक समाज का एक भग और इसलिए उसे उसके अधीन मानता है। यदि राज्य इस अधिक व्यापक व्यवस्था के विरुद्ध विदोह करता है और अपने नामरिकों के लिये ऐसा आवरण निर्धारित करता है जो कि उम व्यवस्था को भग करे, तो वह राज्य अन्यायी दत जाता है। यह व्यापक व्यवस्था, जिसके परिवार, नगर तथा राज्य अग है, एक सार्वभौमिक व्यवस्था है जिसे ईश्वर इच्छा ने मानव-मात्र के लिए निर्धारित किया है; यह उन सब मनुष्यों का एक समुदाय है जो ईसाई चर्च द्वारा ईश्वरीय राज्य में भाग लेते हैं। जो राज्य ईसाई चर्च के सिद्धान्तों के

अनुमार आचरण नहीं करता अर्थात् जो एक ईसाई राज्य नहीं है उसमें मच्चे न्याय की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। मूर्तिपूजक राज्यों में पाया जाने वाला न्याय सापेक्षिक था, निरपेक्ष नहीं।

इमी प्रकार, पूर्व-ईसा युग के मूर्तिपूजक राज्य स्थायी तथा सार्वभौमिक शान्ति की सिद्धि भी नहीं कर सकते थे। वे अपनी सीमाओं के अन्दर तो शान्ति स्थापित रख सकते थे, परन्तु आपस में नहीं क्योंकि उनका आधार आत्म-प्रेम तथा शक्ति का लोभ था। विश्व-शान्ति के लिये दो शर्तें आवश्यक हैं। प्रथम, समस्त मनुष्य एक ही विश्व-व्यवस्था के अंग होने चाहिये और वे एक ही सार्वभौमिक कानून के अधीन रहने चाहियें। दूसरे, यह कि मानव मात्र को एक दूसरे से प्रेम करने की प्रेरणा देनी चाहिये जैसा कि वह अपने आपसे करता है। परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्ध इतने घनिष्ठ और दृढ़ हो जितने कि मूर्तिपूजक (Pagan) युग में सम्भव नहीं थे। इस पूर्व-आवश्यकता की पूर्ति यूरोप के लिए सबसे पहिले ईसा की शिक्षाओं ने की और इस लक्ष्य की प्राप्ति ईश्वरीय राज्य के प्रतीक और पार्थिव प्रतिनिधि के रूप में ईसाई चर्च की स्थापना से सम्भव हो सकी। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि मूर्तिपूजक राज्य शान्ति स्थापित नहीं कर पाये; आँगस्टाइन ऐसा नहीं कहता और न ही वह इस दिशा में उसकी सफलता का महत्व कम करता है। उसके कहने का अभिप्राय केवल यह है कि उनके हारा स्थापित की हुई शान्ति सापेक्षिक थी, निरपेक्ष या सार्वभौमिक नहीं; वह शुभ अवश्य थी, परन्तु परम शुभ नहीं। उनकी शान्ति कानूनी सम्बन्ध व्यवस्था की उत्पत्ति थी; इसीलिये वह सर्वोत्कृष्ट नहीं थी। सच्ची अथवा सार्वभौमिक शान्ति का अभिप्राय युद्ध का अभाव नहीं है बल्कि यह वह व्यवस्था है जो कि मनुष्यों के बीच में एक सुव्यवस्थित सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें प्रेम मूल में गूढ़ती है। ऐसा प्रेम केवल उन्हीं में सम्भव हो सकता है जो कि ईश्वर से प्रेम करते हैं और मानवमात्र को ईश्वर की सत्तान समझते हैं। यह है आँगस्टाइन के विचार से शान्ति का अर्थ।

राज्य तथा सरकार के विषय में आँगस्टाइन के विचार—सन्त आँगस्टाइन इन परम्परागत ईसाई परम्परा को स्वीकार करता है कि राज्य को ईश्वर ने मनुष्य के पाप के उपचार के रूप में स्थापित किया है, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। परन्तु उसके इस तर्क ने कि पूर्व-ईसा मूर्तिपूजक रोमन साम्राज्य ईश्वरीय राज्य नहीं बल्कि आमुरी राज्य का प्रतिनिधि था और केवल लौकिक जीवन का परिणाम था, उसके लिए ऐसी कठिनाइया उत्पन्न कर दी जो कि प्रारम्भिक चर्च प्रादर्श के सामने न आई थी। मनुष्य के ऊपर एक ऐसे राज्य को क्या अधिकार हो सकता है जो कि केवल एक लौकिक संगठन है और जो मच्चे न्याय को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि अपने संविधान के विकल्प में जकड़ा होने के कारण वह पारलौकिक अर्थात् प्राच्यात्मिक बातों में ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। ऐसे राज्य को आज्ञा का पालन मनुष्य क्यों करें? आँगस्टाइन का उत्तर यह है कि ऐसे राज्य का

सम्मान इसलिए होता चाहिये क्योंकि वह शान्ति कायम रखता है और नागरिक की सम्पत्ति की रक्षा करता है ; शान्ति और व्यवस्था तथा सम्पत्ति की सुरक्षा में तो आमुरी प्रवृत्ति वालों का भी अनुराग है । शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए सन्त आँगस्टाइन निजी सम्पत्ति को आवश्यक समझता था और समानतावादी आलीचकों के विहङ्ग उसने निजी सम्पत्ति का समर्थन किया । परन्तु इसके साथ ही साथ उसकी यह भी धारणा थी कि मनुष्य को केवल उतनी ही सम्पत्ति रखने का अधिकार है जितनी कि उसके लिए आवश्यक है ; आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति का प्रयोग सार्वजनिक है ।

सन्त आँगस्टाइन दासों को निजी सम्पत्ति का ही एक रूप समझता था और इसीलिये वह दास प्रथा का समर्थन करता था । परन्तु दास प्रथा के आँगस्टाइन तथा अरस्तु द्वारा समर्थन के कारण विल्कुल भिन्न-भिन्न है । आँगस्टाइन इसे स्वाभाविक नहीं समझता ; उसका यह विश्वास नहीं कि स्वाभावितया कुछ मनुष्य स्वामी और कुछ दास होते हैं । दासता को वह पाप का दैविक प्रतिकार समझता है । यदि मनुष्य पाप न करता तो ईश्वर दासता की व्यवस्था न करता ; मनुष्य के पतन ने उसे इस समानता से बचित कर दिया जो कि शुरू-शुरू में ईश्वर स्थापित करना चाहता था । इसलिये वह दासों से कहता है कि उन्हें अपने स्वामी के शासन में रहना चाहिये, उससे भागना नहीं चाहिये । व्यक्तिगत रूप से वह सिद्धान्त तभी लागू हो सकता है जबकि हम यह मान रहे कि प्रत्येक दास अपने स्वामी की अपेक्षा अधिक पापी है और प्रत्येक दशा में एक दास अपने व्यक्तिगत पाप का फल ही भोगता है । इन मान्यताओं को सिद्ध करना बड़ा कठिन है । ऐसा प्रतीत होता है कि आँगस्टाइन दास प्रथा को 'आदम' (Adam) अर्थात् आदि पुरुष के पतन का मानवता को सामूहिक दण्ड समझता था ।

राज्य तथा चर्च – सन्त आँगस्टाइन एक ईसाई राज्य की आज्ञा-पालन के कर्तव्य की एक बहुत ही भिन्न व्याख्या देता है । यह चर्च के एक लौकिक धरा के रूप में काम करता है और इसका ध्येय सच्चे अयावा पूर्ण न्याय की प्राप्ति करना है । इसकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के पीछे एक दैविक योजना और उद्देश्य है जो इसके चरित्र को परिवर्तित करता है और उसे उदास बनाता है । मनुष्य को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिये क्योंकि वह दैविक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है, केवल इसलिये नहीं कि वह शारीर और व्यवस्था कायम रखता है और सम्पत्ति की रक्षा करता है । सारांश यह कि आँगस्टाइन के लिए राज्य का औचित्य इस भास में है कि वह एक सार्वभौमिक नैतिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, वह इस बात में नहीं कि वह जीवन की सामाजिक तथा अन्य मूलिकायें जुटाता है जैसा कि प्राचीन यूनानी तथा रोमन लोग मानते थे । आँगस्टाइन की यह धारणा पुरानी विचारधारा से एकदम भिन्न है ।

इसी विचार को एक दूसरे ढंग से भी व्यक्त किया जा सकता है । अफलातून तथा अरस्तु शरीते विचारकों के लिए राज्य एक उच्चतम संगठन था ; उससे उच्चतर

अन्य कोई अवित न थी ; वह सर्वोच्च शक्ति थी । आंगस्टाइन की धारणा इसके एक दम उल्टी है ; वह राज्य को ईश्वर की उच्चतर शक्ति के अधीन मानता है ; उसने कानूनों का पालन करना तथा उसकी शक्ति का सम्मान करना बेबत वही तक उचित है जहाँ तक कि वह ईश्वर के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन न हो । दूसरे शब्दों में, राज्य के प्रति भक्ति का कर्तव्य निरपेक्ष नहीं है ; वह ईश्वर की उच्चतर शक्ति के प्रति कर्तव्य के अधीन है । एक सच्चा ईसाई नागरिक कानूनों का इसलिये पालन करता है क्योंकि वह उनके पीछे ईश्वर की स्वीकृति देखता है । इसमें यह बात स्पष्ट निहित है कि लौकिक भक्ति ईश्वर की उच्चतर शक्ति के अधीन है ।

उपरोक्त धारणा का स्वाभाविक परिणाम राज्य को चर्च के अधीन करना है जैसा कि आगे चलकर सन्त टांमस ऐक्वीनास, पोप ग्रेगरी सप्तम तथा पोप बॉनीफेस अष्टम ने किया । परन्तु आंगस्टाइन एक धर्मतन्त्र (Theocracy) की स्थापना नहीं करता ; वह राज्य को चर्च का एक अंग नहीं बनाता । वह रोमन सभासाठ को मान्यता प्रदान करता है, यह स्वीकार करता है कि वह अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है और राजाज्ञा का पालन करना प्रजानन का कर्तव्य बतलाता है और चर्च की रक्षा करने तथा अधर्म का विनाश करने के लिए सभासाठ का आङ्गान करता है । परन्तु वह लौकिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक विभाजन रेखा खीचता है और आध्यात्मिक विषयों में सभासाठ को कोई अधिकार नहीं देता । उसकी धारणा है कि यदि राज्य आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो नागरिकों को उसके प्रति भक्ति का परित्याग कर देना चाहिये । राज्य और चर्च को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिये । एक ईसाई शासक को धार्मिक विषयों में चर्च के

विषयों में विशेषों को राज्य शक्ति की अपेक्षा ॥ ३० ॥

साथ काम करना चाहिये तथापि आंगस्टाइन इस बात के ऊपर जोर देता है कि लौकिक शक्ति अर्थात् राज्य आध्यात्मिक रूप से मृतप्राय है यदि वह चर्च के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित न करे । स्वयं मानव जीवन की व्यवस्था और महत्व तभी समझ में आ सकता है जबकि मनुष्य के पतन तथा मोक्ष का सिद्धान्त हमारे सामने हो ।

सन्त आंगस्टाइन का प्रभाव—जैसा कि गत पृष्ठों में हम बार-बार कह चुके हैं, मध्यकालीन यूरोप के विचार पर सत पाल के अतिरिक्त अन्य किसी ईसाई लेखक का इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि सत आंगस्टाइन का । उसके सुविस्यात प्रथा 'स्टी ऑफ गार्ड' का व्यापक अध्ययन हुआ ; सेवाइन के शब्दों में यह विचारों से एक खान है जिसमें से आगे आने वाले कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट लेखकों ने सोद-सोऽकर विचार निकाले हैं । इसने शाल्मेन (Charlemagne) तथा आंटो महान् (0010 the Great) सरीखे मध्यकालीन शासकों के विचार का रूप निर्धारित किया और वह आधार प्रस्तुत किया जिसके ऊपर आगे चलकर पवित्र रोमन साम्राज्य का निर्माण हुआ । ईसाई कांमनवैल्य की उसकी धारणा मध्य युग के मार्क्योमिकवाद का आधार थी जो कि एक विश्वव्यापक समाज की मत्ता को मानता है । यद्यपि उसने स्वयं राज्य

प्रारंभिक ईसाई धर्म का प्रभाव

को चर्चे के अधीन नहीं किया किन्तु आगे आने वाले लेखकों ने उसके एक तराश खराद कर धर्म के प्रभुत्व के सिद्धान्त का विकास किया। वह एक रचनात्मक धर्मवेत्ता था। ईसाई चर्चे के उद्देश्यों का, जो कि उसको एक स्वतन्त्र भत्ते, प्रदान करते थे, वर्णन करके उसने उसकी शिक्षाओं को एक निश्चित सिद्धान्त प्रणाली का रूप दिया। वह कथन एकदम सत्य है कि इसने एक नवीन युग का प्रवर्तन किया। इस महान ग्रंथ के प्रकाशन के पश्चात् सम्यता की व्याख्या धर्मशास्त्र के अनुसार होने लगी और विद्या का अधिकाधिक सम्बन्ध वाइविल के विषयों से बढ़ता गया।

ग्रेग्री महान् (Gregory the Great)—सन्त एम्ब्रोज तथा सन्त ग्रॉगस्टाइन ने चर्चे की स्वायत्त स्वाधीनता पर जो जोर दिया था पोप ग्रेग्री महान् ने भी उसी परम्परा को कायम रखा। यद्यपि उसने रोम के विशप पद की शक्ति और सम्मान को बहुत ऊंचा उठाया और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी लौकिक एवं धार्मिक शक्ति धाँ तथापि उसने राज्य को चर्चे के अधीन नहीं किया; उसने राजाज्ञा-पालन के कर्तव्य का अधिवक्तन किया। राजनीतिक शासन की आवश्यकता और पवित्रता का उसने जोरदार शब्दों में समर्थन किया; यहा तक कि उसने चुपचाप और निकिय रूप में आज्ञा-पालन का सुझाव दिया।

यह सिद्धान्त कि चर्चे आध्यात्मिक विषयों में और राज्य लौकिक विषयों में स्वाधीन है और इनमें से किसी को भी दूसरे के कार्य में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने धोत्र की सीमाओं का उल्लंघन न करे साधारणतया 'दो तलवारो' (Two Swords) के सिद्धान्त के नाम से विस्थात है। यह सिद्धान्त चर्चे फार्दस के युग में चर्चे तथा राज्य के सम्बन्ध को अभिव्यक्त करता है। इसके विषय में दो शब्द कह देना अनावश्यक न होगा।

दो तलवारों का सिद्धान्त (The Theory of two Swords)—पाश्चात्य विचार को ईसाई धर्म की देन का बर्यान करते हुए हमने यह कहा था कि ईसाई धर्म ने मानव के लौकिक एवं आध्यात्मिक हितों में विभेद करके और आध्यात्मिक हितों को राजनीतिक क्षेत्र से विलकूल अलग करके उस युग के राजनीतिक विचार में एक क्राति उत्पन्न कर दी। प्राचीन भारतीयों के सदृश प्राचीन यूनानियों तथा रोमनों के लिए धार्मिक तथा नागरिक जीवन एक अविभाज्य सम्पूर्ण था। ईसाई धर्म ने इस एकता को भग कर दिया और दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग कर दिया क्योंकि उसका विश्वास था कि मनुष्य की दोहरी प्रकृति है और उसका दोहरा जीवन लक्ष्य है। नाशवान् शरीर के रूप में उसके कुछ भौतिक हित होते हैं जो कि लौकिक अथवा नागरिक शक्ति के अधिकार धोत्र के अन्तर्गत हैं; एक अमर आत्मा के रूप में उसके कुछ पारलौकिक हित हैं जिनके कारण अधिकार चर्चे अर्थात् आध्यात्मिक शक्ति का है। अपने धारीरिक तथा आधिकार क्षमताएं और सासारिक शक्ति तथा समृद्धि का उपभोग करने के लिए मनुष्य को राज्य का शासन स्वीकार करना चाहिये; अपनी आधिकारिक उपकृति तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे चर्चे के अनुशासन में चलना

चाहिये। इस प्रकार मनुष्य दो विभिन्न शक्तियों के अधीन है ; दो तलवारों के अधीन है क्योंकि तलवार शासन शक्ति का प्रतीक है। प्रारम्भिक चर्च फ़ादर्स के अनुसार परमात्मा ने, जो कि समस्त शक्ति का स्रोत है, एक तलवार सभ्राट को और दूसरी पोप को दी। राज्य का मुख्य कर्तव्य धाँति और व्यवस्था कायम रखना तथा न्याय प्रदान करना है जबकि चर्च के पादरियों का कार्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति करना है तथा शाश्वत भौक्ष प्राप्त करने में उसकी सहायता करना है। एक को दूसरे के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। परन्तु दोनों में परस्पर सहयोग और सहायता की भावना होनी चाहिए। इसकी इस उक्ति से कि 'लौकिक विषयों में राजा का और आधिकारियों विषयों में ईश्वर के आदेश का पालन करो' यह स्पष्ट है कि राज्य तथा चर्च में किसी प्रकार के सघर्ष की आशका नहीं की जाती थी ; यह विश्वास किया जाता था कि उन दोनों में पूर्ण शांति एवं तालमेल रहेगी ; आध्यात्मिक विषयों में ईसाई शासक चर्च के अधिकारियों का परामर्श लेगा और विश्वास किया जाता था कि उनके द्वारा राज्यों की सहायता करेगे और राजकीय कानूनों का प्रयोग केवल सासारिक कार्यों के लिए ही करेगे।

दो तलवारों के इस सिद्धात का सबसे अधिक अधिकारपूर्ण वर्णन पोप गेलेसियस प्रथम (Pope Gelasius I) ने किया है, जिसकी धारणा थी कि धर्म सिद्धात के विषय में सभ्राट की अपनी इच्छा चर्च के आदेश के अधीन रखनी चाहिए ; ऐसे विषयों में उसका कर्तव्य पादरियों से कुछ सीखना है, उन्हे सिखाना नहीं, और सासारिक विषयों में पादरियों को सभ्राट द्वारा बताए हुये कानूनों का पालन करना चाहिये। उसने सभ्राट अनस्टेनियस (Anastasius) को निम्नलिखित शब्द लिखे : "महान् सभ्राट" इस समार पर दो शक्तियो—विश्वास का शासन है। इन दोनों में पादरियों का उत्तरदायित्व अधिक भारी है, क्योंकि उन्हे स्वयं राजाओं के कामों के लिए भी ईश्वर को हिसाब देना है.....तुम्हें श्रद्धापूर्वक विश्वास के सामने सिर झुकाना चाहिए, जो कि धार्मिक विषयों के भचालन के लिए उत्तरदायी हैं ; मुक्ति भाग पर चलने के लिए तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए ; और समस्त धार्मिक स्तरों की प्राप्ति तथा प्रशासन में, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि तुम्हारा धर्म उनके आदेश देना नहीं उनके आदेश का पालन करना है".....ऐसे समस्त विषयों में तुम्हें उनके नियंत्रण पर निर्भर करना चाहिये, और उनमें अपनी इच्छा का पालन कराने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है.....समस्त लौकिक व्यवहार में धर्माधिकारीगण तुम्हारे कानूनों का पालन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें अपनी शक्तिया ऊपर से मिली हुई हैं।"

*August emperor, this world is governed by two powers,—by bishops and by kings ; of these the responsibility of the priests is the heavier, since they have to render an account to God even for kings themselves.... You devoutly bow your head to the bishops who are charged with the administration of holy things ; you address yourself to them to be conducted

यदि लोकिक और आध्यात्मिक विषयों की सीमाओं को निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता है तो दो समानान्तर तथा स्वशासक शक्तियों के जिनके समस्त ईसाई लोग अधीन थे, इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न न होती। परन्तु सामन्तवादी प्रथा द्वारा उत्पन्न जटिलताओं के कारण दोनों के अधिकार क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर दाये हुए थे, जिसके फलस्वरूप उनमें से प्रत्येक यह महसूस करता था कि दूसरा उसके क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है। इस प्रकार पोप तथा सम्राट् का सम्बन्ध एक विवादग्रस्त विषय बन गया। यह विवाद ११वीं शताब्दी में उठा और कई सौ वर्षों तक चलता रहा; इस बीच में उसमें बहुत उतार-चढ़ाव आये। इसका वर्णन १२वे अध्याय में किया जायगा।

in the ways of salvation ; and in all that regards the reception and administration of the sacraments, you acknowledge that far from having any power to command, you are bound to obey themin all such concerns you depend upon their judgment, and that you have no right to subject them to your will..... The ministers of religion obey laws in all that belongs to the temporal order, because they know you have received your powers from above.'

११

मध्यकालीन राजनीतिक विचार की सामान्य पृष्ठभूमि

परिचयात्मक—यद्यपि लगभग सभी लोग राजनीतिक विचार के इतिहास को तीन कालों—प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक—में विभाजित करते हैं किन्तु प्राचीन काल कहा समाप्त होता है और मध्यकाल कहाँ आरम्भ होता है, इस प्रदेश के उत्तर में सभी विचारकों का भत एक नहीं है। मैकलवेन सरीखे कुछ लेखक पूर्व-मध्यकाल तथा उत्तर-मध्यकाल में विभेद करते हैं और सन्त एम्ब्रोज, सन्त आँगस्टाइन तथा पोप ग्रेगरी सरीखे चर्च फादर्स को पहिले भाग में स्थान देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे लेखकों के अनुमार मध्यकाल ईसाई चर्च की स्थापना से आरम्भ होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य से स्वतन्त्र तथा पृथक् रहकर मनुष्य के आध्यात्मिक विषयों को अनुशासित करने वाले कई ईसाई चर्च की स्थापना एक अत्यन्त क्रान्तिकारी घटना थी और यह भी सत्य है कि ईसा के इस कथन ने कि “लौकिक विषयों में राज्य का तथा पारलौकिक विषयों में ईश्वर की इच्छा का पालन करो” राजनीतिक विचार में एक ऐसे तत्व का समावेश कर दिया जिसमें कि प्राचीन काल सर्वथा अनभिज्ञ था, तथापि यह कहना उचित नहीं कि ईसाई धर्म का आविर्भाव प्राचीन काल के अन्त तथा मध्यकाल के आरम्भ का सूचक है। सन्त एम्ब्रोज, सन्त आँगस्टाइन तथा पोप ग्रेगरी महान् के राजनीतिक विचार राज्य तथा कानून सम्बन्धी रोमन धारणाओं से अधिक भिन्न नहीं थे; पूर्वगामियों की भाति उनके लिये भी रोमन साम्राज्य महान् राजनीतिक तथ्य था जिसके अधिकार धोत्र के अन्दर एक सार्वभौमिक कानून प्रबलित था। इसीलिये हमने उन्हे प्राचीन काल में रखना और उनके विचारों की गत अध्याय में विवेचना करना उचित समझा।

मध्यकाल का आरम्भ—मध्यकाल के आरम्भ होने की तिथि के सम्बन्ध में इतिहासकार एकमत नहीं है। सौभाग्यवश उसका निश्चय करना हमारे उद्देश्य के लिये आवश्यक भी नहीं है। केवल यही जानना काफी है कि वह घटना जो कि प्राचीन काल के अन्त और मध्यकाल के आदि की सूचना देती है वह है जर्मन तथा ड्यूटन जातियों की पश्चिमी रोमन मास्त्राज्य पर विजय। इस विजय की प्रतिक्रिया भमस्त तीव्र शताब्दी ई० में जारी रही, बल्कि छठी तक भी चली। इस प्रकार यह कहना भी कठिन है कि मध्ययुग का अन्त कब हुआ। यह युग विभिन्न देशों में विभिन्न समय पर समाप्त हुआ। राजनीतिक विचार के दृष्टिकोण में यह कहा जा सकता है कि इसका

अन्त मैकियावेली (१४६६-१५२७) के साथ हुआ जिसे मध्यकाल का अन्तिम तथा आधुनिक काल का प्रथम राजनीतिक विचारक माना जाता है।

मध्यकाल की मुख्य विशेषताएँ—इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल लगभग एक हजार वर्षों तक—छटी शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी ई० तक—जारी रहा। इस लम्बे युग में सम्यता में कोई ऐसी महान् प्रगति नहीं हुई जैसी कि उसके पहिले या उसके बाद के युगों में हुई; यह युग वास्तव में मौतिक चिन्तन का नहीं, केवल पाचन (Assimilation) का था। उसके सामने महान् कार्य जर्मन बर्बर को (जो कि रोमन मान्माज्य के पश्चिमी प्रान्तों पर अधिकार करके उनका सासक बन बैठा था) विवेक तथा सम्यता के उस स्तर पर लाना था जहाँ से कि वह सम्यता के उस मिशन को जारी रख सके जिसे कि प्राचीन काल ने विवश होकर छोड़ दिया था।

यह समझना कठिन नहीं है कि इन शताब्दियों में अधिक प्रगति क्यों नहीं हुई। प्राचीन काल में प्रगति रुक गई थी; सम्यता को एक निश्चित स्तर पर लाकर प्राचीन-काल के लोगों में उसे और आगे बढ़ाने का समर्थन नहीं रह गया था। रोमनों के राजनीतिक उत्तरधिकारी जर्मनों में बाहुबल और ओज का तो प्रावल्य था किन्तु प्राचीन यूनानियों की बौद्धिक प्रखरता और प्राचीन रोमनों की कानूनी तथा प्रशासकीय योग्यता का उनमें अभाव था। वे बर्बर, असम्य तथा अशिक्षित थे; यूनानी रोमन सम्यता को समझने और उसका मूल्यांकन करने की उनमें योग्यता ही न थी। कहा जाता है कि एक जर्मन योद्धा एक कमरे के फर्श पर चित्रित तैरती हुई बतखों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और यह देखने के लिये कि वे जीवित थीं या नहीं अपने कुल्हाड़े को उस सुन्दर चित्रकारी पर दे मारा। बर्बरों ने अपनी विद्वसप्रियता और अज्ञान के कारण रोम की विजृति के एक बड़े भाग को नष्ट कर दिया। बहुत कुछ जैसे कि रोमन कला, रोमन विद्या तथा यूनानी भाषा कां रोमन जान इस कारण नष्ट हो गया वयोंकि उसका प्रयोग नहीं हुआ और उसे भुला दिया गया। यहाँ तक कि सङ्क और पुल भी मरम्मत के अभाव में नष्ट-भ्रष्ट हो गये जिसके फलस्वरूप वाणिज्य तथा व्यापार का ह्लास हो गया। जीवन सरकार कानून तथा व्यवस्था कायम न रख सकी; फलतः हिंसात्मक अपराधों की वृद्धि हो गई। छटी से लेकर नवीं तक तीन शताब्दियों में जर्मनों द्वारा शासित पश्चिमी यूरोप में स्थिति इतनी अनिश्चित और डार्वांडोल रही कि उसमें राजनीतिक अथवा दार्शनिक चित्तन कला अथवा साहित्य के द्वेष में रचनात्मक किया हो ही नहीं सकती थी। दसवीं तथा ग्यारहवीं शताब्दी में और नये बर्बर आक्रमण हुए जिनके कारण देश में गङ्गवड़ी और अव्यवस्था फैल गई। इस प्रकार कैरोलिनियन्स (Carolingians) के शासन काल के एक छोटे से मध्यान्तर को छोड़ कर, ग्यारहवीं शताब्दी तक यूरोपीय विचार में कोई प्रगति नहीं। इस अस्त-अस्त समय में बौद्धिक जीवन केवल पहिले लेखकों के लेपों की पुनरावृत्ति करने तक सीमित था। डॉमल के शब्दों में “गिगुप्रों की भाति नवीन राष्ट्र बौद्धिक वर्णमाला सोख रहे थे; और सप्तरिथम प्राचीन गुणों की कृतियों को समझने का

प्रयास कर रहे थे ।”* म्यारहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कही जाकर स्वतन्त्र चिरा का प्रयास हुआ । राज्याधिकारियों के द्वारा विशपगण को पदासीन करने के विषय पर उत्पन्न होने वाले पोष ग्रंगरी सप्तम तथा सप्ताट हैनरी चतुर्थ के बीच के विवाद ने इस स्वतन्त्र चिन्तन के लिये अवसर प्रदान किया और उसे प्रस्फुरण दिया । आध्यात्मिक तथा लौकिक अधिकारियों के बीच में यह विवाद मध्य युग के अन्त तक चलता रहा और इस युग का लगभग समस्त राजनीतिक विचार इसी की उपज है । यह विवाद विभिन्न समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर चला और इसके बीच में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुईं जो उन समस्याओं से अत्यन्त भिन्न थीं जिनमें कि पहले विचारकों का ध्यान उलझा रहा था । १३वीं शताब्दी से उन शक्तियों के आविर्भाव के लिये भूमि तैयार होने लगी जिन्होंने कि १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आधुनिक युग को जन्म दिया ।

यद्यपि मध्य युग प्रगतिहीन था, तथापि वह सर्वथा निष्पल नहीं रहा ; उसकी देन काफी है । उसने यूरोपीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया और आधुनिक युग का दिलान्यास किया । प्राचीन इतिहास के कारनामों में जर्मन जातियों के विचारों तथा सस्थानों को जोड़कर अपने पुराने जर्जरित समाज में नवीन जातियों की तरह शक्ति तथा ओज का प्रभार करके उसने आधुनिक युग के आविर्भाव के लिये भूमि तैयार की । कैयोलिक चर्च, सामन्तवाद, कानून, राज्यतन्त्र तथा दाते का सार्वभौमिक साम्राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण मध्यकालीन सस्थायें थीं । १६वीं शताब्दी तक उनमें से घुटों की उपयोगिता समाप्त हो गई थी । मेकियावेली तथा हॉड्स का विचार भूल्य रूप से उन्हीं पर प्रहार करता था । पश्चिमी सभ्यता के विकास में मध्ययुग का क्या भाग है, इसका सुन्दर वर्णन प्रोफेसर आडम्स ने इस प्रकार किया है : “मध्य युग का कार्य प्राथमिक रूप से प्रगति नहीं था, बल्कि विभिन्न-जातीय (Heterogeneous) तथा प्रायः परस्पर विरोधी तत्त्वों में से जो कि इसे प्राचीन काल से मिले थे, एक जैविक रूप से एकतावद्ध तथा सजातीय (Homogeneous) समार का निर्माण करना था, और इस प्रकार इसने उस उभति और प्रगति के लिये आवश्यक स्थिति जुटाई जो कि प्राचीन काल वालों के लिये सम्भव नहीं थी ।”† मध्ययुग ने क्या प्राप्त किया और आधुनिक काल उसका कहा तक नहीं है, इस बात को अच्छी तरह समझने के लिये यह जानना आवश्यक है कि वे विभिन्न तत्त्व क्या थे जिन्हे लेकर मध्यकाल ने आरम्भ किया और उन्हे किम प्रकार एक जगह विलीन करके एक नई

* “The young nations, like children, were learning their intellectual alphabet and were laboriously spelling out the works of former masters.”

—Doyle : *A History of Political Thought*, page 67.

† “The work of the middle ages was not primarily progress ; it was to form the organically united and homogeneous world out of the heterogeneous and often hostile elements which the ancient world supplied, and so to furnish the essential conditions for an advance beyond any point possible to the ancients.”

—Adams : *Civilization during the Middle Ages*, page 14

इकाई का निर्माण किया। परन्तु राजनीतिक विचार के दृष्टिकोण से तकसील में जाना आवश्यक नहीं है। हमारे उद्देश्य के लिये केवल उन मुख्य शक्तियों का बरेंन करना काफी होगा जिन्होंने कि उस युग के विचार की रूपरेखा निर्धारित की और राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिये स्थिति-विद्योप उत्पन्न की। उनमें से मुख्य ये हैं : पोप-शाही का जन्म, सामन्तवाद का अम्बुद्य तथा प्रसार, और साम्राज्यवादी विचार का पुनरुत्थान। इस युग के अन्तिम दिनों में हम एक नई भावना का जन्म होते हुये पाते हैं, वह भावना है राष्ट्रवाद। पोपशाही तथा राज्य के बीच संघर्ष में पोपशाही की परायम में मुख्य हाथ राष्ट्रवाद का ही है। हम यहां पर इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे।

पोप की शक्ति का विकास—मध्य युग को भूतकाल से जो थाती उत्तराधिकार में भिली उसे हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं : (१) दर्शन, विज्ञान, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन धूनानियों की देन, (२) कानून तथा प्रशासन के क्षेत्र में रोमनों की देन, और (३) साम्राज्य तथा चर्च का सघटन तथा सिद्धान्त। इन तीनों में शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग रोमन कैथोलिक चर्च का सघटन तथा सिद्धान्त है। याद रखें कि चर्च तथा वे समस्त बस्तुयें जिनके पीछे ईसाई धर्म की स्वीकृति थी, वर्वरों द्वारा किये गये विनाश से बच निकले। वर्वरों में धर्मग्रंथों, चर्च फादर्स के अधिकार, और चर्च की परम्पराओं के प्रति श्रद्धा थी। इसलिए इमाई चर्च विजेता जातियों को अपने धर्म में परिणत कर सका और उन्हें सम्म बना पाया। उस सकटपूर्ण काल में आदि चर्च सीधा और डट कर खड़ा न रहता तो पश्चिम में सम्भता का सारा ढाँचा ही गिर गया होता। परन्तु यह न केवल जीवित रहा बल्कि इसकी शक्ति और भी बढ़ गई और मध्ययुग के राजनीतिक विचार की रूपरेखा निर्धारित करने में यह सबसे अधिक प्रभावपूर्ण साधन बन गया। लोग इसे पवित्र कैथोलिक चर्च कहकर पुकारने लगे। यह सार्वभौमिक चर्च के उस आदर्श के बहुत निकट आ गया जिसका कि चित्र आँगस्टाइन ने 'दी सिटी आँफ गॉड' में अंकित किया था। इस महान् धार्मिक सघटन में समस्त पश्चिमी ईसाई संसार एक प्रधान की छत्रदाया में एकता के सूत्र में बंध गया। उसका प्रधान, पोप, ईश्वर का प्रतिनिधि था और मानव जाति के धार्मिक दासन में उसका प्रतिनिधित्व करता था। पिछले अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि ईसाई चर्च की स्थापना कब और किस प्रकार हुई और किस प्रकार पोप-शाही का अम्बुद्य अर्थात् रोम के विशेष को चर्च में औपचारिक रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यहां हम यह देखेंगे कि पोप येगरी महान् (५८०-६०४) के पदासीन होने के पश्चात् पोप की शक्तियों में किस प्रकार बढ़ि हुई। पोप येगरी का दासन ईसाई चर्च के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात करता है।

मध्यपि पोप इन्नोसेंट प्रथम (Innocent I) तथा पोप लियो प्रथम (Ieo I) जैसे पादरियों के हाथ में आकर पाँचवीं शताब्दी में पोप पद की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, तथापि राजनीतिक विषयों से इसका अभी तक कोई सम्बन्ध न था। परन्तु छठी

प्रयास कर रहे थे।”* ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कही जाकर स्वतन्त्र चिन्ता का प्रयास हुआ। राज्याधिकारियों के द्वारा विश्वप्रगण को पदासीन करने के विषय पर उत्पन्न होने वाले पोप ग्रेगरी सप्तम तथा सम्राट हैनरी चतुर्थ के बीच के विवाद ने इस स्वतन्त्र चिन्तन के लिये अवसर प्रदान किया और उसे प्रस्फुरण दिया। आध्यात्मिक तथा लौकिक अधिकारियों के बीच में यह विवाद मध्य युग के अन्त तक चलता रहा और इस युग का लगभग समस्त राजनीतिक विचार इसी को उपज है। यह विवाद विभिन्न समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर चला और इसके बीच में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुईं जो उन समस्याओं से अत्यन्त भिन्न थीं जिनमें कि पहिले विचारकों का ध्यान उलझा रहा था। १६वीं शताब्दी से उन शक्तियों के आविर्भाव के लिये भूमि तैयार होने लगी जिन्होंने कि १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आधुनिक युग को जन्म दिया।

यद्यपि मध्य युग प्रगतिहीन था, तथापि वह सर्वया निष्पल नहीं रहा; उसकी देन काफी है। उसने यूरोपीय सम्यता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया और आधुनिक युग का शिलान्यास किया। प्राचीन इतिहास के कारनामों में जर्मन जातियों के विचारों तथा सस्थानों को जोड़कर अपने पुराने जर्जरित समाज में नवीन जातियों की तरह शक्ति तथा ओज का प्रसार करके उसने आधुनिक युग के आविर्भाव के लिये भूमि तैयार की। कैथोलिक चर्च, सामन्तवाद, कानून, राज्यतन्त्र तथा दाते का सार्वभौमिक साम्राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थायें थीं। १६वीं शताब्दी तक उनमें से बहुतों की उपयोगिता समाप्त हो गई थी। मेकियावेली तथा हॉव्स का विचार मुख्य रूप से उन्हीं पर प्रहार करता था। पश्चिमी सम्यता के विकास में मध्ययुग का क्या भाग है, इसका सुन्दर बरणन प्रोफेसर आडम्स ने इस प्रकार किया है : “मध्य युग का कार्य प्राथमिक रूप से प्रगति नहीं था, बल्कि विभिन्न-जातीय (Heterogeneous) तथा प्रायः परस्पर विरोधी तत्वों में से जो कि इसे प्राचीन काल में मिले थे, एक जैविक रूप से एकतावद तथा सजातीय (Homogeneous) समार का निर्माण करना था, और इस प्रकार इसने उस उप्रति और प्रगति के लिये आवश्यक स्थिति जुटाई जो कि प्राचीन काल वालों के लिये सम्भव नहीं थी।”† मध्ययुग ने क्या प्राप्त किया और आधुनिक काल उसका कहा तक कहणी है, इस बात को अद्वितीय तरह समझने के लिये यह जानना आवश्यक है कि वे विभिन्न तत्व क्या थे जिन्हे लेकर मध्यकाल ने आरम्भ किया और उन्हे किस प्रकार एक जगह विलीन करके एक नई

* “The young nations, like children, were learning their intellectual alphabet and were laboriously spelling out the works of former masters.”

—Doyle : *A History of Political Thought*, page 67.

† “The work of the middle ages was not primarily progress; it was to form the organically united and homogeneous world out of the heterogeneous and often hostile elements which the ancient world supplied, and so to furnish the essential conditions for an advance beyond any point possible to the ancients.”

—Adams : *Civilization during the Middle Ages*, page 14.

काई का निर्माण किया। परन्तु राजनीतिक विचार के हप्टिकोण से तफसील में जाना आवश्यक नहीं है। हमारे उद्देश्य के लिये केवल उन मुख्य शक्तियों का बरेंन करना काफी होगा जिन्होंने कि उस युग के विचार की रूपरेखा निर्धारित की और राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिये स्थिति-विद्येय उत्पन्न की। उनमें से मुख्य ये हैं : पोप-शाही का जन्म, सामन्तवाद का अम्बुदय तथा प्रसार, और साम्राज्यवादी विचार का पुनरुत्थान। इस युग के अन्तिम दिनों में हम एक नई भावना का जन्म होते हुये पाते हैं, वह भावना है राष्ट्रवाद। पोपशाही तथा राज्य के बीच सधर्य में पोपशाही को परजय में मुख्य हाथ राष्ट्रवाद का ही है। हम यहां पर इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे।

पोप की शक्ति का विकास—मध्य युग को भूतकाल से जो थाती उत्तराधिकार में मिली उसे हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं : (१) दर्शन, विज्ञान, कला तथा माहित्य के क्षेत्र में प्राचीन यूनानियों की देन, (२) कानून तथा प्रशासन के क्षेत्र में रोमनों की देन, और (३) साम्राज्य तथा चर्च का सघटन तथा सिद्धान्त। इन तीनों में शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग रोमन कैथोलिक चर्च का सघटन तथा सिद्धान्त है। याद रहे कि चर्च तथा वे समस्त वस्तुयें जिनके पीछे ईसाई धर्म की स्वीकृति थी, वर्वरों द्वारा किये गये विनाश से बच निकले। वर्वरों में धर्मग्रंथों, चर्च फादर्स के अधिकार, और चर्च की परम्पराओं के प्रति श्रद्धा थी। इसलिए ईसाई चर्च विजेता जातियों को अपने धर्म में परिणत कर सका और उन्हें सम्भव बना पाया। उस सकटपूर्ण काल में आदि चर्च सीधा और डट कर लड़ा न रहता तो पश्चिम में सम्भता का सारा ढोंचा ही गिर गया होता। परन्तु यह न केवल जीवित रहा बल्कि इसकी शक्ति और भी बढ़ गई और मध्ययुग के राजनीतिक विचार की रूपरेखा निर्धारित करने में यह सबसे अधिक प्रभावपूर्ण साधन बन गया। लोग इसे पवित्र कैथोलिक चर्च कहकर पुकारने लगे। यह सांभौमिक चर्च के उस आदर्द के बहुत निकट आ गया जिसका कि चित्र ग्रॉगस्टाइन ने 'दी सिटी ऑफ गॉड' में अकित किया था। इस महान् धार्मिक सघटन में समस्त पश्चिमी ईसाई संसार एक प्रवान को द्वयव्याया में एकता के सूत्र में बंध गया। उसका प्रधान, पोप, ईश्वर का प्रतिनिधि था और मानव जाति के धार्मिक शासन में उसका प्रतिनिधित्व करता था। पिछले अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि ईसाई चर्च की स्थापना कब और किस प्रकार हुई और किस प्रकार पोप-शाही का अम्बुदय अर्थात् रोम के विशेष को चर्च में औपचारिक रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यहां हम यह देखेंगे कि पोप ग्रेगरी महान् (५८०-६०४) के पदासीन होने के पश्चात् पोप की शक्तियों से किस प्रकार वृद्धि हुई। पोप ग्रेगरी का शासन ईसाई चर्च के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात करता है।

यद्यपि पोप इनोसेंट प्रथम (Innocent I) तथा पोप लियो प्रथम (Ieo I) जैसे पादरियों के हाथ में जाकर पाँचवीं शताब्दी में पोप पद की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, तथापि राजनीतिक विद्यों से इसका अभी तक कोई सम्बन्ध न था। परन्तु छठी

शताब्दी के अन्त में स्थिति में परिवर्तन हुआ जबकि पोप ग्रेगरी को बर्बर आक्रमणों, विशेषकर लोम्बार्ड्स (Lombards) के विरुद्ध जिन्होंने नगर को घेर लिया था और उसे अपने आधीन बनाना चाहते थे, नगर की रक्षा का भार संभालना पड़ा। पोप ग्रेगरी ने लोम्बार्ड्स से सन्धि करली और उन्होंने नगर का घेरा उठा लिया और वापिस लौट गये। तब से पोपों को राजनीतिक मामलों में ध्यान देना पड़ा; आरम्भ में रोम के मामलों में तथा बाद में इटली के।

कुछ समय के पश्चात् लोम्बार्ड्स ने फिर चढ़ाई की। पोप ने नगर की रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाकर विवश होकर फ्राकिश राजा चार्ल्स मार्टल से सहायता मांगी। उसने तथा उसके पुत्र पिपिन ने पाप की प्रार्थना को स्वीकार किया और लोम्बार्ड्स को खदेड़ दिया। जो प्रदेश उन्होंने लोम्बार्ड्स से वापिस छीने और जिन पर पहिले इटली के पूर्वी सम्राट् का आधिपत्य था, वे उन्होंने पोप को प्रदान कर दिये। ऐसा करने से पोपशाही के हाथों में संदान्तिक रूप से भी वह राजनीतिक शक्ति आ गई जो वास्तविक व्यवहार में पहिले से ही उसके पास थी। पोप तथा फ्रांक्स (Franks) में इस प्रकार हुए गठबन्धन ने आने वाले घटनाप्रबाह पर बड़ जबर्दस्त प्रभाव डाला। एक और तो इसने पोपशाही तथा इटली को लोम्बार्ड्स द्वारा भरास्त होने से बचाया और दूसरी ओर इसने फ्राकिश (Frankish) साम्राज्य की स्थापना तथा कुछ समय के लिए समस्त ईसाई जगत के एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

पीपिन का पुत्र शार्ल्मिन यूरोप का सब से शक्तिशाली शासक बन गया था; उसके अधिकार क्षेत्र में इस प्रदेश का अधिकतम भाग था जो कि आजकल फ्रांस, वेल्जियम, हॉलैण्ड तथा डैनमार्क, स्विट्जरलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, आँस्ट्रिया, ज़ैकोस्लो-वेकिया तथा उत्तरी इटली का एक अंग है। पोप लियो तृतीय तथा उसके राजनीतिक विरोधियों के मध्य विवाद का निपटारा करने के लिये शार्ल्मिन से हस्तक्षेप करने वी प्रार्थना की गई। उस विवाद के सफल निर्णय के उपलक्ष्य में एक भव्य धार्मिक उत्तर का आयोजन किया गया जिसमें कि पोप ने शार्ल्मिन के सिर को मुकुट से विभूषित कर दिया, जब कि वह पोप के सामने नतमस्तक हो रहा था, और उसे रोमनों का सम्राट् घोषित कर दिया। इस घटना का बहुत महत्व है। प्रथम, यह इस बात की सूचक है कि राज्य को वह सार्वभौमिकता फिर से प्राप्त हो गई जो कि बर्बरों के आक्रमण से खण्डित हो गई थी। दूसरे, यह कि लौकिक विषयों में पोप के हस्तक्षेप का यह प्रारम्भ विन्दु बन गया। पोपशाही, जो कि आरम्भ में एक विशुद्ध आध्यात्मिक सत्या थी अधिकारिक राजनीति में खोनी जाने लगी। तीसरी बात यह कि शार्ल्मिन तथा अन्य दर्शनों की दृष्टि में उस कार्य अर्थात् पोप द्वारा उसे मुकुट पहिनाने का वास्तविक महत्व वह कुछ भी क्यों न हो; किन्तु आगे चल कर पोपशाही के समर्थकों ने इसका अर्थ न निकाला कि राजाओं को लौकिक शक्ति प्रदान करने का अधिकार आध्यात्मिक दाति-

अर्थात् चर्च को है। इसे इस बात के कि राजा प्रवना अधिकार पोप से प्राप्त करता है, एक प्रमाण के रूप में पेश किया गया।

इन सब बातों के फलस्वरूप पोपशाही का राजनीतिक महत्व बढ़ा। इसका एक अत्यन्त गम्भीर परिणाम निकला। राजनीतिक महत्वाकाशा रखने वाले व्यक्ति पोपों के चुनाव में दिलचस्पी लेने लगे और पोप पद के लिये होने वाले सघर्ष बहुत तीव्र तथा कहु बन गये जिनमें काफी दिगे और रक्तपात तक हो जाते थे। प्रायः पोप किसी सिद्धान्तहीन सामन्त के हाथ की कठपुतली बन जाता था। “टस्कुलम के सरदारों ने पोपशाही को अपने बंश का मौरूसी पद सा ही बना लिया था, और वह अत्यन्त भ्रष्ट साधनों द्वारा हुआ।”* फलतः दसवीं शताब्दी में पोपों का व्यक्तिगत चरित्र बहुत नीचे गिर गया और पोपशाही के अधिकार पर इसकी अनिवार्य और स्पष्ट प्रतिक्रिया हुई। ऐसी स्थिति अधिक दिन तक कायम नहीं रह सकती थी, चर्च के सुधार का एक आन्दोलन शुरू हुआ। पोप को चुनने का अधिकार जो अब तक पादरियों और रोम के निवासियों को या अब कार्डिनलों (Cardinals) के एक मण्डल को दे दिया गया। प्रारंभ में इसमें रोम के तथा उसके आसपास के पादरीगण ममिलित होते थे; किन्तु आगे चलकर अधिक विस्तृत क्षेत्र के पादरी उसमें शामिल होने लगे। केवल एक यही सुधार नहीं किया गया; निम्नलिखित दो अन्य दोयो—पादरियों का विवाह करना तथा धार्मिक पदों को धन द्वारा खरीदना—को भी दूर करने का प्रयास किया गया। यद्यपि यह सुधार आन्दोलन ६१० में कलूनी के मठ की स्थापना से आरम्भ हुआ किन्तु सुधार तब तक नहीं किये जा सके जब तक हिल्डेब्रैंड (Hildebrand) पोप ग्रेगरी सप्तम के रूप में पदासीन नहीं हो गया। जो नीति हिल्डेब्रैंड ने अपनाई वह मध्यकालीन विचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी मुख्य तान थी ‘जस्टीशिया’ (Justicia)। जस्टीशिया का अर्थ है (१) चर्च के ऊपर पोप का प्रभुत्व, (२) पादरियों को विवाह के सामाजिक बन्धन, पदों को खरीदने के आर्थिक बन्धन तथा राजनीतिक अधिकारियों द्वारा पद प्रदान (Lay Investiture) के सामन्तवादी बन्धन से मुक्ति प्रदान करना। इसी नीति, विशेषकर पादरियों को सामन्ती सरदारों की अधीनता से मुक्त करने की नीति को क्रियान्वित करने का जब उसने प्रयत्न किया तो उससे पोपशाही तथा साम्राज्य के मध्य प्रसिद्ध विवाद उठ खड़ा हुआ। जस्टीशिया की नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का अर्थ था चर्च को राज्याधिकारियों की अधीनता से मुक्त करना जो कि शालमिन, आँटो प्रथम तथा जर्मनी के राजा हैनरी तृतीय सरीखे शक्तिशाली शासकों के युग में एक स्पष्ट सत्य था। परन्तु चर्च के राज्य से पृथक् करने का अर्थ यह नहीं था कि राज्य को चर्च की अपीनता से मुक्त कर किया जाये। पोप के सर्व-प्रभुत्व अधिकार की भारणा में यह बात

* “The Counts of Tusculum had almost made the papacy hereditary in their family, and by the most corrupt means.”

समिहित थी कि वह राजाओं और सम्राटों के कार्यों का निर्णय कर सकता है यदि वे चर्च के कानून को भंग करें। “सर्व-प्रभुत्वपूर्ण पोप लौकिक शक्ति अर्थात् राजा को आध्यात्मिक विषयों से अलग रख सकता था । सर्व-प्रभुत्वपूर्ण होने के नाते वह आध्यात्मिक शक्ति को सासारिक विषयों से अलग रख सकता था ।”^३ हिल्डेफ्रैण्ड की नीति का अन्तिम परिणाम था राज्य का चर्च के अधीन हो जाना । चर्च के भीतर पोप की प्रभुता इसमें निहित हो थी ।

पोप की प्रभुता के सिद्धान्त का ग्रेगरी महान् ने केवल पूर्वभास दिया है, उसका पूर्ण विवरण उसने नहीं दिया । उसका पूर्ण वर्णन हमें पोप इमोसेण्ट-तृतीय, पोप बॉनीफेस अष्टम और पोप जॉन २२वें के लेखों तथा एजिडियस कोलोना (Egidius Colona) के ग्रथ डी ऐक्लैजियास्टिका पोटेस्टेट (De Ecclesiastica Potestate) में मिलता है । कालान्तर में पोपों ने नेतृत्व को पोप के अधिकार की धारणा को अधिक मुनिश्चित रूप दिया । ग्रेगरी सप्तम ने चर्च के एक अनिश्चित आध्यात्मिक अधिकार तथा एक नैतिक अनुशासन लागू करने के अधिकार का प्रतिपादन किया किन्तु बॉनीफेस सरीखे शक्तियों ने चर्च के कानूनी अधिकारियों और शक्तियों के एक नियमित सिद्धान्त को सामने रखा । मध्य युग के पोपोंही ने क्या कायं किया और उसके तथा राज्य के मध्य होने वाले विवाद का क्या महत्व है, इसे अच्छी प्रकार समझने के लिये स्पष्ट रूप से यह जानना आवश्यक है कि पोपों ने कौन-कौन सी शक्तियों के ऊपर अपना दावा जताया और इमोसेण्ट तृतीय संरीखे शक्ति-शाली पोषों ने किन शक्तियों का प्रदेश किया और उनका क्या आधार था ।

मध्य युग का आरंभ होने से पहिले ही चर्च ने एक जटिल ढाँचे और संगठन को जन्म दिया था जिसका आधार रोमन साम्राज्य का नमूना था । यद्यपि पारिभाषिक रूप से यह एक राज्य नहीं, किन्तु यह राज्य के महत्व अवश्य था जिसका नेता राजा के से कार्य करता था । इसमें एक बड़ी हृद तक केन्द्रीयकरण हो गया और ग्रेगरी सप्तम् या उसके योग्य उत्तराधिकारियों ने १२वीं तमर १३वीं शताब्दी में उसे चरम भीमा तक पहुँचा दिया । पोप इस बात का दावा करते थे कि उन्हें राज्य से परामर्श किये बिना ही विशपणण को नियुक्त तथा पदच्युत करने तथा उन्हें एक चर्च

पोप इंग्रेसेण्ट चतुर्थ तथा एजिडियस कोलोना, जिसे एजिडियम रोमन भी कहते हैं, ने किया था। यदि कोई शब्द प्लेनीट्यूडो पोटेस्टेटिस के भाव को मव से अधिक व्यक्त करता है तो वह है राजसत्ता अथवा प्रभुता। पोप की इस शक्ति में कई बातें निहित हैं। सर्व-प्रथम, इसका अर्थ यह है कि चर्च की मौलिक शासक शक्ति का स्वामी पोप था और अन्य समस्त अधिकारी अपनी शक्ति उसी से प्राप्त करते थे, इसलिये वे उसके नियन्त्रण और अनुशासन के अधीन थे। सर्वोच्च शक्ति का स्वामी होने के नाते वह यह दावा करता था कि चर्च के किसी भी सदस्य को पदच्युत तथा स्थानान्तरित करने का उसे अधिकार है। दूसरी बात जो इस सिद्धात में निहित थी वह यह है कि पोप को समस्त मानवकृत कानूनों तथा प्रशासकीय प्रत्यादेशों को बनाने तथा रद्द करने का अधिकार है। मानवकृत कानून की परिभाषा यह की गई कि वह पोप की इच्छा की अभिव्यक्ति है। मानवकृत कानून (जो धार्मिक कानून से भिन्न है जिसका कि आधार धर्म-शंख और चर्च की परम्परा है) के बनाने में पोप गत पोपों तथा परिपदों के निर्णयों से बाधित नहीं होता था। इस सिद्धात में तीसरी बात यह निहित थी कि किसी सांसारिक शक्ति को पोप का निर्णय करने तथा उसके आदेशों की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते उसका निर्णय अन्तिम है; इसे स्वयं ईश्वर का ही निर्णय समझा जाता था, इसलिये इसके बिरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। सारांश यह कि पोप चर्च के भीतर सर्वोपरि अर्थात् सर्व-प्रभुत्वपूर्ण होने का दावा करता था। पोपों को केवल चर्च में आन्तरिक सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने से ही संतोष नहीं हुआ; उन्होंने राज्य के अधिकारियों के ऊपर भी नियन्त्रण तथा देवभाल रखने का दावा किया। उदाहरण के लिये पोप इंग्रेसेण्ट तृतीय यह निर्णय करने का दावा करता था कि निर्वाचिकों द्वारा निर्वाचित सम्राट् योग्य व्यक्ति भी है या नहीं और सम्राट् के विवादित तथा अनियमित चुनावों को रद्द करने के अधिकार रखने का दावा करता था। वह शासकों के मध्य संघियों तथा समझौतों को पुष्ट करने तथा उनका निर्णय करने, और युद्ध तथा शान्ति का एक अभिभावक होने, विधवाओं तथा अवयस्कों का एक विशेष अभिभावक होने, धर्म-विमुखता दमन करने और शासकों को नैतिक अनुशासन में रखने के अधिकार का भी दावा करता था। इच्छानुसार राजकीय न्यायालयों से मुकदमे अपने पास मगवाकर न्याय प्रशासन का अभिवेदण करने के अधिकार का भी यह दावा करता था। सारांश मह कि सैवाइन के शब्दों में पोप 'धार्मिक अथवा लोकिक, सभी प्रकार की शक्तियों के ऊपर पुनर्विचार तथा अभिवेदण की शक्ति' का दावा करता था।

इन दावों का आधार मध्य युग में पाया जाने वाला यह विश्वव्यापक विश्वास था कि चर्च एक ऐसी संस्था है, जिसकी स्थापना स्वयं ईश्वर ने मनुष्य के मात्रिम् भोक्ता के लिए की है और पोप इसका प्रतिनिधि है। इस बात से कि पीटर को स्वर्ग कि कुंजिया सौंपी गई थी और इस लोक तथा स्वर्ग में प्राणियों को वन्धनप्रस्त करने तथा वन्धनमुक्त करने का लोगों को संगठित करने का कार्य उसे सौंपा गया था,

यह परिणाम वडी सरलता से निकाल लिया गया कि पोप को जनता के ऊपर अपरिमित अधिकार प्राप्त है और जनता को उसकी आज्ञा-पालन का कर्तव्य अशर्त है। यह माना जाता था कि पोप तो सब के गुण-दोषों की परीक्षा कर सकता है; किन्तु उसके गुण-दोषों को कोई नहीं परख सकता। सहज विश्वासी इंसाइयों ने इन दावों को एकदम बिना किसी चु-चर्च के स्वीकार कर लिया क्योंकि उनका विश्वास था कि चर्च के आशीर्वाद और अनुकम्भा के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता और नरक की धोर यातनाओं से नहीं बच सकता। अब यह समझ लेना कठिन नहीं कि पोप को किस प्रकार अकाट्य शक्ति प्राप्त हो गई और वह किस प्रकार चर्च के भीतर सर्वोच्च अधिकारी बन गया।

यह बात भी याद रखने योग्य है कि कैनोनिस्ट्स (Canonists) (व्यक्ति जो धार्मिक मामलों में धार्मिक कानूनों की व्याख्या करते थे तथा उसे लागू करते थे) ने भी पोप के हाथ में समस्त शक्ति के केन्द्रीभूत हो जाने की प्रवृत्ति को सम्बल पहुँचाया। जब १२वीं शताब्दी में उन्होंने केवल कानून को संगृहीत करने का कार्य आरम्भ किया तो पोप की सर्व-शक्तिमत्ता के सिद्धान्त के लिये सामग्री उन्हे उपलब्ध थी।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त अन्य कई कारण भी ऐसे हैं जिन्होंने मध्य युग में चर्च के एक सर्व-प्रधान संस्था बनने तथा चर्च के भीतर पोप के निरुद्ध राजशाही के सिद्धात के विकास में योग्य दिया। रोमन साम्राज्य के अध.पतन के बाद रोम के सबसे अधिक प्रतिभाशाली तथा भेदावी व्यक्ति चर्च की नीकरी में आये क्योंकि चर्च ही उस जमाने में व्यक्तिगत उत्थान के अधिकतम अवसर प्रदान करता था। इसके अतिरिक्त शिक्षा और विद्या के ऊपर चर्च का एकाधिकार था; इसलिये शक्ति का उसके हाथों में केन्द्रित हो जाना स्वाभाविक ही था। यह बात भी उल्लेखनीय है कि मानव हृदय के ऊपर चर्च का राज होने के कारण ही प्राचीन काल के बेरे राजनीतिक विचार चलते रहे जिन्हें कि ईसाई धर्म ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जैसे कि प्रारूपितिक कानून को सही मानना तथा शासकों का उससे धारित होना, शासकों का न्याय-पूर्वक शासन करने का कर्तव्य तथा वैधानिक शास्त्र का सम्मान।

ट्यूटनों के राजनीतिक विचार—पोपशाही के अतिरिक्त सामन्तवाद (Feudalism) दूसरी शक्ति थी जिसने कि मध्य युग की राजनीति तथा विचार की रूपरेखा को निर्भारित किया। ट्यूटन जाति अपने साथ जो कुछ लाई और रोमनों से उसे जो कुछ उत्तराधिकार में मिला उन दोनों की एक दूसरे के ऊपर क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम सामन्तवाद था। इसलिए ट्यूटनों के राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का एक विवरण यहां देना बहुत आवश्यक है।

प्रोफेसर आडम्स का विचार है कि जर्मन जातियां अपने साथ न केवल एक नवीन स्फूर्ति तथा तार्हण्यपूर्ण इष्टिकोण लाई बल्कि कुछ नवीन विचार और संस्थाएँ भी उनके साथ आईं जिनका प्राचीन विचारों और संस्थाओं के साथ सम्मिश्रण होकर

एक नवीन सम्यता का जन्म हुआ। प्राचीन यूनानी और रोम की सम्यताये व्यक्ति के मूल्य और महत्व पर आधारित नहीं थीं; यूनानियों और रोमनों के लिए राज्य सब कुछ था और उसकी तुलना में व्यक्ति कुछ नहीं था। वे राज्य को एक साध्य समझते थे, साधन नहीं। ट्यूटर्नों की भावना इसके विलक्षण विपरीत थी। आडम्स के शब्दों में 'उनके हृदय में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राज्य की तुलना में व्यक्ति के मूल्य और महत्व का बहुत बड़ा सम्मान था।' 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की यह अनुभूति एक योद्धा की व्यक्तिगत अभिमानी भावना' तथा उनके दण्ड-न्याय (Criminal justice) संबंधी विचारों में प्रतिविम्बित है। इसका आधार वह सिद्धान्त नहीं जिस पर कि हमारा अपना दण्ड विधान आधारित है अर्थात् यह कि अपराधी को दण्ड देना राज्य का कर्तव्य है; उसका आधार यह मान्यता थी कि जिस व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया गया है उसे स्वयं ही अपराधी को दण्ड देना चाहिये, यह विचार उस समय भी प्रचलित रहा, जब अपराधी को दण्ड देना राज्य का धर्म माना गया वयोंकि पीडित को पीड़क के ऊपर किये गए जुर्माने का एक भाग मिलता था।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा व्यक्ति के मूल्य के ऊपर ईसाईं धर्म ने अपने आरभ काल में ही बल दिया था; इसकी इन्हे बहुत ही तीव्र अनुभूति थी। यह आसा करना उचित ही था कि ये दोनों धाराये एक जगह मिल जायेगी और एक दूसरे को मस्वन पहुंचायेगी तथा एक नवीन सम्यता का सूत्रपात करेगी। परन्तु आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति के परम महत्व तथा मूल्य का यह सिद्धांत यीध ही लुप्त हो गया और मध्ययुग में व्यक्ति गिल्ड (Guild), कम्यून (Commune), कॉर्पोरेशन (Corporation) तथा जिस भी सघठन का वह सदस्य था, उसी में पूर्ण रूप से विलिन हो गया। हाँ, सामन्तवाद के राजनीतिक संगठन में वह अवश्य जीवित रहा। 'पुनरुत्थान' (Renaissance) तथा 'मुधार' (Reformation) के दो महान् आनंद-जनों में, जिन्होंने कि मध्यकालीन यूरोप को आधुनिक यूरोप में परिवर्तित किया, व्यक्ति की महत्त्व का यह विचार पुनर्जीवित हो उठा।

व्यक्ति स्वतन्त्रता की भावना के अतिरिक्त ट्यूटोनिक लोगों ने अंग्रेजी संस्थाओं का प्रवेश किया और स्थानीय स्वापत्त शासन की भावना का छंगार डिल; इनका मध्यकालीन तथा भावी राजनीतिक विचारों तथा इंस्ट्रुमेंट्स के ऊपर रहगा पढ़ा। उनके आदिकालीन और कर्दिले के डूड़ के बज्जल कई रैंजर फ़ाक्सल की अत्यन्त केन्द्रीभूत तथा निरंकुश यश्वार वे नॉल नॉर्ड, कैट्ट वॉर्ल्ड द्वारा। ये न के ऊपर यांत्रिकों के प्रभाव का नव ने पहुंचा, फ़ॉक्सल वॉर्ल्ड द्वारा कि मामाल दिम-भिस हो गया और उनके स्वानंद के देखें ड्रुड के बृहद व्यक्तित्व हो जाये जो मुख्य-स्थित न थे और जिनका संघठन गूड्नॉर नॉर्ड, इन्स्ट्रुक्टर इवर्लैंड बैना दा। विजेतास्त अपने साथ जो स्थानीय मंस्कारे जैसे उन्हें द्रुड नॉर्ड नॉमन्डवाद के मधुरों, इन नये राज्यों में पूर्ण फ़ाक्सल इंस्ट्रेंट के नॉर्डों। अर्गनिक ट्यूटोनिक अंग्रेजी में अग्रणीभूत इंस्ट्रेंट नॉर्ड है।

(१) मर्वयम है राष्ट्रीय सभा (National Assembly) जिसमें कवीले के समन्वय स्वतन्त्र व्यक्ति भूमिलित थे। इसका मुख्य कार्य आवश्यकतानुसार कवीले के सरदार को चुनना, अरने पास भेजें हुए महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय करना और कभी-कभी एक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। राजतन्त्रों के स्थापित होने से इस प्रकार की सभा खुल हो गई। राष्ट्रीय सभा के अतिरिक्त दृग्दण लोग संकड़ों की मन्द्या में स्थानीय प्रतिनिधि सभाये अथवा कंटन रखते थे जो कि स्थानीय महत्व के विषयों का निर्णय करती थी तथा न्यायालयों के रूप में कार्य करती थी। यूरोपीय महाद्वीप में ये मध्य युग के अन्त तक जीवित रही जब कि पुनरुद्दित रोमन कानून के ऊपर आधारित मुक्त नवीन अन्य प्रणाली ने उन्हें समाप्त कर दिया। उन्होंने इंग्लैण्ड में लोक सभा (House of Commons) के उदय तथा शिला (Borough) और ग्राम (County) परियद् मरीखी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के लिये आधार प्रदान किया। हम यह भी कह सकते हैं कि दृग्दणों की इन स्थानीय सभाओं में सतत आधुनिक धारामभागों के तत्त्व वर्तमान थे।

(२) निर्वाचित राजतन्त्र दूसरी उल्लेखनीय दृश्योनिक संस्था है। जब भी आवश्यकता होती थी जनप्रिय अथवा राष्ट्रीय सभा कवीले के सरदार को निर्वाचित करती थी। आगे चल कर बंशानुगत उत्तराधिकार की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और उसने निर्वाचित सिद्धान्त को आच्छादित कर लिया। परन्तु निर्वाचित सिद्धान्त का पूर्ण लोप नहीं हुआ। निर्वाचित पदाति बनी रही। कहीं-कहीं यह बास्तविक थी और कहीं-कहीं इसका रूप औपचारिक भाव था। जर्मनी में निर्वाचित-सिद्धान्त शालाविद्यो तक बना रहा; इंग्लैण्ड में राजतन्त्र बंशानुगत बन गया किन्तु इस हृद तक निर्वाचित सिद्धान्त बना रहा कि मसद उत्तराधिकार के विवादग्रस्त होने की स्थिति में उत्तराधिकारी को चुनने तथा एक ऐसे राजा को जिसने कि जनता का विश्वास सो दिया हो सिंहासन से उतारने और उसकी जगह दूसरे को पदासीन करने के अधिकार रखने का दावा करती थी। इस प्रसंग में समझने की बात यह है कि मध्य काल में उत्तराधिकार केवल 'ज्येष्ठपुत्राधिकार' (Primogeniture) के सिद्धान्त के अनुसार हो निश्चित नहीं होता था; जनता द्वारा निर्वाचित का सिद्धान्त भी साथ-साथ चलता था। न केवल यह, बल्कि एक तीसरा सिद्धान्त इसमें जोड़ दिया गया था कि राजा ईश्वर की अनुकम्पा से शासन करता है। मध्य युग में प्रचलित विचारों के अनुसार राजा को सिंहासन उत्तराधिकार में मिलता था, अपने पद के लिये वह सार्वजनिक निर्वाचित पर निर्भर करता था और वह शामन परमात्मा की अनुकम्पा से करता था। अवित पाने के ये तीन अधिकार एक दूसरे का विकल्प नहीं थे बल्कि एक ही तथ्य के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करते थे। बंशानुगत आधार पर सिंहासन प्राप्त कर लेना पूर्णरूप से विहित तब तक नहीं समझा जाता था जब तक कि समस्त जनता उसे पुष्ट न करे और परमात्मा की अनुकम्पा उसे प्राप्त न हो। ईश्वर कृपा द्वारा शामन करने की उपकृति यह थी कि राजा कानून के अधीन था।

यद्यपि निर्वाचन सिद्धान्त को फांस में बिल्कुल भुला दिया गया और इन्हेण्ड में इसका नाममात्र शेष रहा, समस्त मध्य युग में पोपो के चयन तथा जब तक पवित्र रोमन साम्राज्य कायम रहा तब तक सग्राटो के चयन में इसका प्रयोग होता रहा। कहा जा सकता है कि एक हृद तक इसी सिद्धान्त को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मान लेने के कारण इन्हेण्ड के राजा एक जनतन्त्री राज्य के प्रधान के रूप में कार्य कर सके हैं।

(३) स्वविकसित कानून की प्रणाली वह तीसरा जनतन्त्री तत्व है जो कि ट्यूटन लोग अपने साथ लाये। कई बातों में कानून सम्बन्धी ट्यूटोनिक धारणा रोमन धारणा से भिन्न थी। सम्राट् की आज्ञानुसार रोमन न्यायविदों ने रोमन कानून को नियमंवद्ध और सहिताबद्ध कर डाला था; यह माना जाता था कि वह समस्त सम्भव मामलों पर लागू होता है। इसमें विकास के तत्व नहीं थे। इसके अतिरिक्त इसके निर्माण में जनता का कोई हाथ न था; कानून निर्माण की समस्त शक्ति सम्राट् में केन्द्रित थी। अन्तिम बात यह कि इसका स्वरूप क्षेत्रीय था; यह साम्राज्य ऐ रहने वाली समस्त जातियों के ऊपर लागू होता था। इसके विपरीत जर्मन जाति कानून को एक कबीले विशेष की चीज समझती थी; उसके विचार में अपने-अपने कानून एक कबीले का एकता सूत्र था जहाँ-जहाँ कबीले जाते थे अपने-अपने कानून को साथ ले जाते थे। जब ये कबीले रोमन साम्राज्य में आये और ये रोमन कानून के अधीनस्थ लोगों के साथ रहने लगे तो इन्होंने अपने कानून और उन्हीं के अनुसार जासित होने के अधिकार को कायम रखा। दूसरे शब्दों में जर्मन धारणा के अनुसार कानून एक व बीले के प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति था जिससे वह किसी प्रदेश विशेष में रहने के कारण ही विचित नहीं किया जा सकता था। यह कानून रस्मो-रिवाज पर आधारित था। यह लिखित अवधा संहिताबद्ध नहीं था। कानून का पता लगाना, उसकी परिभाषा करना और उसकी उद्घोषणा करना न्यायालयों का कार्य था। क्योंकि न्यायालय स्थानीय सार्वजनिक सभायें ही होती थीं, इसलिए स्वयं जनता ही कानून का निर्माण और उद्घोषणा करती थीं; किसी बाह्य शक्ति द्वारा वह जनता पर नहीं थोपा जाता था। इसमें विकास का गुण भी था। इस प्रकार जनता द्वारा कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने तथा उसे लागू करने की रीति में कोई सुनिश्चितता नहीं थी। परन्तु यह तब तक कि यूरोपीय महाद्वीप में न्यायालयों का नियन्त्रण जनता के हाथ से निकल कर ऐसे व्यक्तियों के हाथों में नहीं आ गया जोकि रोमन कानून के सिद्धान्तों में पारगत थे और उसे एक आदर्श समझते थे; और कानून निर्माण की शक्ति राजसत्ताधिकारी के हाथों में केन्द्रित नहीं हो गई। किन्तु इन्हेण्ड में सामान्य कानून (Common Law), का विकास न्यायालयों द्वारा होता रहा, जिन्होंने सरकार के व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिक अर्थों से अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखी।

प्रतिनिधि स्थानीय सभायें, निर्वाचित राजतन्त्र तथा एक सामान्य कानून की प्रणाली, ये तीन जनतन्त्रीय संस्थायें थीं जोकि जर्मनी ने संसार को दी और जिन्होंने

यूरोप में स्वतन्त्र मानविधानिक सरकार के भावी विकास पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। ये विचार कि कानून जनता का है और केवल उसी की दृच्छा से इसे लागू किया जा सकता है और बदला जा सकता है और यह कि राजा कानून के अधीन है और उसे न्यायपूर्वक शामन करना चाहिए लगभग विश्वव्यापक थे। परन्तु इससे यह परिणाम निकालना ठीक नहीं होगा कि ट्यूटनों ने आधुनिक संसदों के सदृश प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास किया था जिनके द्वारा स्वतन्त्र भनुष्य कानून बनाने में भाग लेते थे और राजा को न्यायपूर्वक तथा कानून के अनुमार भासन करने के लिए विवश करते थे। संविधानवाद को प्रभावक बनाने वाले यन्त्र का जन्म १३वीं शताब्दी से पहिले नहीं हो पाया। ट्यूटन लोगों ने तो केवल इस विचार की मृष्टि की कि 'जनता एक सामूहिक निकाय है जो अपने सामूहिक मनस् की अभिव्यञ्जना अपने न्यायरक्षकों तथा स्वाभाविक नेताओं द्वारा करती है।'^{१०}

सामन्तवाद (Feudalism)—आदि ट्यूटनों के, जो साम्राज्य के परिचमी भाग में रोमनों के स्थान में स्वयं शासक बन गये थे, राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं के उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि पुरानी तथा नवीन व्यवस्था में बड़ी असंगतता थी, अर्थात् वे साथ नहीं चल सकती थी। एक दूसरे से ताल बैठाने के लिए उनमें काफी हेस्ट-फेर करना पड़ा। एक और तो नये शासकों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनने के लिये पुराने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संघटनों में परिवर्तन और परिशोधन किया गया; दूसरी ओर नवीन बातावरण के अनुकूल बनने के लिए नवीन शासकों के विचारों और संस्थाओं में भी संशोधन हुआ। प्राचीन रोमन व्यवस्था तथा नवीन ट्यूटोनिक संस्थाओं में परस्पर किया-प्रतिक्रिया का परिणाम हुआ सामन्तवाद का जन्म। यह सब से अधिक प्रभावशाली मध्यकालीन संस्थान तथा कानूनी सिद्धान्तों और सामाजिक विचारों का स्रोत था जिसने समस्त मध्य काल में जनता के जीवन और विचारों की रूपरेखा निर्धारित की। जैसा कि संबाइजन ने बहा है, "सामन्तवादी संस्थान मध्य युग पर उतने ही पूर्ण रूप से छाये हुए थे जितने कि नगर राज्य प्राचीन काल पर।" सामन्तवाद (Generio) शब्द है। इसका प्रयोग भिन्न-भिन्न स्थितियों में हुआ है। यह केवल उस सामाजिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता जो कि मध्य काल में परिचमी यूरोप में उत्पन्न हुई थी, बल्कि यह उन संस्थाओं पर भी लागू होता है जो जापान, कई इस्लामी राज्यों तथा हमारे देश में भी उत्पन्न हुई। हम कभी-कभी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के नवाबों और जागीरदारों को सामन्त सरदार कहकर पुकारते हैं। कुछ बातों में परिचमी यूरोप के संस्थानों तथा हमारे अन्य देशों के संस्थानों में साम्य है किन्तु दोनों में बहुत बड़े और आधारभूत अन्तर भी है। उनमें जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं। यहाँ पर हम केवल उस सामाजिक संघटन का उल्लेख करेंगे जोकि मध्य युग में परिचमी यूरोप में

* "The People was a corporate body which expresses its corporate mind through its magistrates and natural leaders."

विकसित हुआ। सामन्तवाद की कुछ विशिष्ट व्यवस्थायें, जैसे के भूत्य प्रया (Self-dom) पौचबी शताब्दी में भी पाई जाती थी, परन्तु ११वीं और १२वीं शताब्दी में जाकर इस प्रणाली का पूर्ण रूप सामने आया। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि सामन्तवाद के विभिन्न संस्थानों का विकास कुछ देशों में तीव्र हो गया और कुछ में रुद्ध हो गया। फलतः सामन्तवाद ने परिचमी यूरोप के समस्त देशों में एक ही रूप धारणा नहीं किया।

सामन्तवाद के सामान्य स्वरूप के बारे में भी दो शब्द कह देना आवश्यक न होगा। मूलतः यह एक संकामक स्थिति है। यह उस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसका जन्म उस समय हुआ जबकि शारीरिक द्वारा स्थापित साम्राज्य का ह्रास तो हो चुका था परन्तु राष्ट्रराज्य का आविर्भाव नहीं हुआ था। विभिन्न राज्यों में शक्तिशाली राजतन्त्र की स्थापना के साथ ही इसका अन्त हो गया। इसका अन्त इंग्लैण्ड में फ्रांस से पहिले और फ्रांस में जर्मनी से पहिले हुआ। विटिश राजा फ्रांस और जर्मनी के राजाओं की अपेक्षा अधिक सरलता से सामन्त सरदारों की शक्ति को कुचल सके और एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना कर सके। ऐसा न करने में देश की कुछ परिस्थितियों ने उनकी सहायता की।

सामन्तवाद के दो प्रकार अथवा रूप हैं, एक राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। अपने परिपक्व रूप में ये दोनों एक जगह मिल जाते हैं; परन्तु उनका सदा एकीकृत रहना आवश्यक नहीं है; एक के बिना दूसरा कायम रह सकता है और उसके पहिले आ सकता है। राजनीतिक सामन्तवाद का अर्थ है शासन शक्ति का विकेन्द्रित होना। इसके अन्तर्गत ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि सुरक्षा प्रदान करना, विवादों का निरांय करना तथा संशस्त्र सेनाएं रखना राजा नहीं बल्कि उसके सामन्त सरदार करते हैं। यह एक ऐसा शिखरोन्मुखी संघटन (Hierarchy) होता है जिसमें अक्षित अपने से तुरन्त ऊपर वाले स्त्रामियों के अधीन होते हैं जो अपने में ऊच्चतर स्वामियों के अधीन होते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और अन्त में उच्चतम स्वामी राजा का सेवक होता है जिसके प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। राजा प्रत्यक्ष रूप से प्रजा-जन तथा छोटे सरदारों से व्यवहार नहीं कर सकता, उसे उनके तुरन्त ऊपर वाले सरदारों के द्वारा उनसे वर्तना पड़ता है। इस प्रकार नागरिकता शब्द का सारा अर्थ ही समाप्त हो जाता है; इसकी जगह स्वामी तथा सेवक (Vassal) के बीच में एक प्रत्यक्ष व्यवितरण सम्बन्ध का जन्म होता है। सामन्तवादी समाज में नागरिक, नागरिक नहीं होते; वहाँ केवल सेवक होते हैं जिनका कर्तव्य अपने तुरन्त ऊपर वाले स्वामी की आज्ञा का पालन तथा सेवा करना होता है। देशभक्ति, राष्ट्रीयता की भावना तथा राष्ट्रीय सांख्योगिकता का जोकि राष्ट्र-राज्य की इतनी प्रमुख विदीपतामें है, एक सामन्तशाही समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता: उसमें तो प्रत्येक चौज स्थानीय, व्यवितरण तथा सविदात्मक (Contractual) थी।

आर्थिक पहलू से सामन्तवाद का अर्थ भूमि अधिकरण (Land Tenure) की एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अन्तर्गत जो लोग वास्तव में भूमि को जोतते हैं वे उसे किसी दूसरे से जागीर (Fief) के रूप में प्राप्त करते हैं। वे उसके स्वामी नहीं होते; किन्तु उनका हित कुछ-कुछ स्वामियों जैसा ही होता है जो अधिकतर अदेय होता है। इस प्रकार स्वामित्व का स्थान एक प्रकार की पट्टेदारी (Leasehold) ले लेती है। सामन्तवादी सिद्धांत के अनुसार भूमि का स्वामी राजा होता है। परन्तु क्योंकि वह स्वयं अपने प्रत्यक्ष अभिवेक्षण में समस्त भूमि में खेती नहीं करा सकता, इसलिये वह उसे बहुत से टुकड़ों में विभक्त करके बहुत से व्यक्तियों को दे देता है जो उसके बदले में उसकी कुछ सेवायें करने का वचन देते हैं। जब तक कि वह उन शर्तों को पूरा करता रहता है तब तक भूमि के ऊपर उसका अधिकार बना रहता है और उसके बाद उन्हीं शर्तों पर वह भूमि उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाती है। यदि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता तो राजा उससे भूमि वापस लेकर विसी दूसरे को दे सकता है। ये मुख्य भूमिधर जिन्हे आम तौर से वैरन (Barons) कहा जाता है राज्य के महान् लॉड्ड होते हैं। राजा राज्य का कार्य इन्हीं लॉड्डों द्वारा करता है।

ये वैरनगण भी अपने-अपने भू-भाग में प्रत्यक्ष रूप से अपने अभिवेक्षण में खेती नहीं करा पाते। इसलिये प्रत्येक वैरन अपने भू-भाग को छोटी इकाइयों में विभक्त करके एक-एक इकाई अपने अधीनस्थ भूमिधरों को उन्हीं शर्तों के ऊपर दे देता है। इन्हीं उप-भूमिधरों के संगठित सहयोग से वैरनगण राजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाते हैं। भूमि-विभाजन की यह प्रक्रिया वही पर समाप्त नहीं हो जाती; यह तब तक चलती रहती है जब तक कि प्रत्येक भू-भाग के बीच इतना बड़ा रह जाता है कि वह एक योद्धा के भरण-पोषण तथा उसको शस्त्र-मुसङ्गित करने के लिये पर्याप्त हो। इस भूखण्ड को दास तथा भूत्यगण (Serfs) जोतते वोते हैं।

वह व्यक्ति जो अपने से निकटतम ऊपर वाले स्वामी से भूमि प्राप्त करता है, उसका सेवक (Vassal) और भूमि प्रदान करने वाला उसका स्वामी कहलाता है। एक सामन्तवादी समाज में भूय तथा भूमि को वास्तव में जोतने वोने वाले व्यक्तियों को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का सेवक और किसी न किसी का स्वामी होता है। एक व्यक्ति के अधीन कई सेवक हो सकते हैं और एक व्यक्ति कई स्वामियों का सेवक हो सकता है। स्वामी तथा सेवक का सम्बन्ध व्यक्तिगत तथा पारस्परिक होता है। सेवक के कुछ निश्चित कर्तव्य होते हैं, जैसे कि सैनिक सेवा करना, स्वामी के दरबार में हाजिरी बजाना तथा कुछ निश्चित अवसरों पर कुछ भेंट देना। दूसरी ओर स्वामी का कर्तव्य सेवक की रक्षा और सहायता करना तथा उसके अधिकारों तथा अभिभुक्तियों का सम्मान करना है। यदि स्वामी अपने सेवक के अधिकारों से इन्कार करे या उसमें कर्तव्य पालन कराने में सीमा का उल्लंघन करे तो संदाचिक

रूप से सेवक को अपना भूखण्ड तथा उसके साथ अपनी पराधीनता का परित्याग कर देने का अधिकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामन्तवादी संघटन में “पारस्परिकता, स्वेच्छापूर्वक कर्तव्यपालन तथा सम्मिलित संविदा का एक भाव पाया जाता है जो आधुनिक राजनीतिक सम्बन्धों में ने प्रायः लुप्त हो गया है।”

११वीं तथा १२वीं शताब्दी में इसके पुर्ण विकसित रूप में यूरोप के सामन्तवाद में ये दोनों भाव सम्मिलित थे। प्रत्येक सेवक के पास एक जागीर थी और प्रत्येक जागीर पर एक सेवक का अधिपत्य था। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक कर्तव्यों की पूर्ति भूमि पर अधिकार के साथ सम्बद्ध थी। जागीर के रूप में भूमि पर अधिपत्य रखने के नाते ही वैरनगण तथा उनके अधीन भूमिधर कुछ राजनीतिक कार्य करते थे। वे कार्य निम्नलिखित हैं :

प्रथम, प्रत्येक सेवक अपने स्वामी को मैनिक सहायता देने के लिये वाध्य था। वैरनगण राजा के मांगने पर उसे सशस्त्र सैनिक देने के लिये वाध्य थे और प्रत्येक भूमिधर तथा उपभूमिधर अपने वैरन के मांगने पर उसे एक निर्दिष्ट सम्या में सैनिक देने के लिये वाध्य था। इस प्रकार राज्य की सेना एक सामन्तवादी सेना थी। दूसरे यह कि राज्य की समस्त आप का आधार वे अनुदाय थे जो कि मुख्य भूमिधर निर्धारित अपसरो पर राजा को देते थे। वहाँ सामान्य करारोपण की कोई प्रणाली नहीं थी। भूमि ही धन का एक-भाव स्रोत था। अतिम बात यह कि प्रत्येक वैरन को अपनी जागीर के अन्दर अपनी जनता का न्याय करने का अधिकार था; राजा के कर्मचारी उसमें कोई हस्तधोप नहीं कर सकते थे। इस प्रकार मरकार के तीन बड़े विभागों, सेना, न्यायालय तथा राजस्व पर सामन्तवाद का प्रभाव था और प्रत्येक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण था। विदित है कि नागरिकता का जो अर्थ आज हम लेते हैं वह सामन्तवादी युग में नहीं हो सकता था।

समाज के सामन्तवादी संघटन की एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता ध्यात देने योग्य है। ऊपर कहा जा चुका है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों का करना जागीर के रूप में भूमि पर अधिकार के साथ सम्बद्ध था। जागीर की भाँति उसके साथ सम्बद्ध मार्वंजनिक कर्तव्यों का पालन करना भी वशानुगत बन गया। पुत्र को पिता से उत्तराधिकार में जागीर के साथ-साथ सार्वंजनिक कर्तव्य भी मिलते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक “सार्वंजनिक अधिकारी अपने पद पर राजा के एक अभिकर्ता के रूप में नहीं बल्कि वशानुगत अधिकार के कारण आसीन था। उसका अधिकार किसी का दिया हुआ नहीं था, बल्कि वह उसका स्वामी था; स्पष्ट है कि राजा की वित एक बहुत बड़ी हद तक उसकी इस प्रवृत्ति को सीमित रखने की योग्यता पर निर्भर करती थी।”* ऐसे संघटन की अत्यन्त विव्यंसक प्रवृत्तियाँ अधिक इसलिये नहीं फैल सकी

* “Public official held his place not as an agent of the king but because he had a prescriptive right to be there. His authority was not delegated but owned; obviously the king's power depended largely on his ability to limit this tendency.” — Sabine, op. cit., page 217.

योकि मध्यकालीन राजशाही के सिद्धान्त के अनुमार राजा का एक विशिष्ट स्थान था और उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखवा जाता था। इसके अतिरिक्त सभी लोग यह मानते थे कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसलिये उसकी अवज्ञा करना धर्म विरुद्ध है। निससन्देह, कभी-कभी मिद्दान और व्यवहार में अन्तर देखने में आता था; किन्तु यहाँ हमारा अभिप्राय राजशाही के केवल सिद्धान्त में ही है।

ऊपर कहा जा चुका है कि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण राजनीतिक सामन्तवाद की एक मुख्य विशेषता थी। स्वतन्त्र मनुष्यों की रक्षा, उनके परस्पर विवादों का निरांय करना तथा उनसे एक प्रकार का कर प्राप्त करना वैरनों और उनके अधीनस्थ भूमिधरों का काम था, राजा का नहीं। अपनी प्रजा के साथ राजा का सम्पर्क प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि इन वैरनों और भूमिधरों के द्वाग होता था। परन्तु यह चित्र का केवल एक पहलू है। प्रोफेसर मैकलवेन का विचार है कि विकेन्द्रीकरण तथा कानूनीकृत नियोग युद्ध के इस ममस्त युग में यह पुगना विचार पूर्णरूप में कभी लुप्त नहीं हुआ कि राज्य उन व्यक्तियों का एक समाज है जो कि कानून तथा सामान्य हित के सूत्र में बंधे हुए हैं। इसी विचार के कारण गण्डीय भावना का उदय हो पाया जिसने सामन्तवादी भावना को नष्ट कर दिया। इसलैण्ड के राजा यह आग्रह करते थे कि स्वतन्त्र मनुष्य अपने तुरन्त वाले स्वामियों के साथ सामन्ती बन्धन में बंधते समय इस बात की व्यवस्था करे कि राजा के उनके ऊपर अपनी प्रजा के रूप में अधिकार मुरक्कित रहें। सारांश यह कि सामन्तवादी युग में पुराने राजनीतिक विचार मर्दया लुप्त नहीं हुए, बल्कि वे मानव चित्तन को प्रभावित करते रहे। प्रोफेसर सेवाइन की भी यह धारणा है कि राज्य को एक कांमनवैत्य समझने की परम्परा जोकि सिसरो तथा चर्च फार्दर्म के लेखों में प्रसरित है और जो रोमन कानून का आधार है, सामन्तवादी युग में पूर्णरूप से नष्ट नहीं हुई। यह सामन्तवादी विचार कि राजा का कौमनवैत्य का प्रधान है, कभी-कभी सामन्तवादी न्यायविदों के लेखों में सम्मिश्रित हो जाते थे। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि यथापि राजा राज्य का प्रधान और सार्वजनिक शक्ति का प्रमुख स्वामी था, किन्तु वह सर्वेव परिपद के द्वारा कार्य करता था, दरवार या अन्य किसी अभिकरण को यह अधिकार था कि राजा उससे परामर्श करे। इस सामन्तवादी सिद्धान्त और व्यवहार में ग्राने वाली साविधानिक सरकार के तत्त्व बर्तमान हैं।

सामन्तवाद ने, जिसकी कि इतनी निन्दा की जाती है, एक नाजुक समय में पश्चिमी यूरोप के लोगों की क्या सेवाये की, उनको अच्छी प्रकार में समझने तथा उनका मूल्यांकन करने में सामन्तवाद के मूल का एक सक्षिप्त विवरण सहायक होगा। सामन्तवाद के तत्त्व शब्दी शब्दी में बर्तमान थे जबकि अपनी शक्ति का हास होने के कारण रोमन मध्याट वर्वर आकान्ताओं तथा हत्यारों को अपने नीमांत्र प्रान्तों की

जनता को लूटने से न रोक पाये और उसकी समुचित रक्षा न कर सके। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में प्रायः एक ऐसे व्यक्तिशाली मनुष्यों के बांग का उदय होता है जो न केवल अपनी बल्कि अपनी शरण में आये हुए और सहायता की याचना करने वाले व्यक्तियों की भी रक्षा करते हैं। यह नितान्त स्वाभाविक ही है कि कानून की परवाह न करने वाले अत्याचारियों से पीड़ित एक दुर्बल व्यक्ति किसी सबल व्यक्ति की शरण में जाये और वह सबल व्यक्ति उसकी रक्षा करे और उसके प्रतिकार स्वरूप उसकी शक्ति के अनुसार उस से सेवा ले। यदि उस दुर्बल व्यक्ति के पास भूमि होती है तो वह उसे अपने रक्षक के सामने समर्पित कर देता है। वह रक्षक उस भूमि को बोने जोने के लिये उसे ही लौटा देता है किन्तु वह जब चाहे उससे भूमि ले सकता है। दुर्बल व्यक्ति अपने भूमि के स्वामित्व को लो देता है किन्तु उसके बदले में उसे मरक्षण और शरण प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार एक बलवान् व्यक्ति के पास बहुत से व्यक्ति हो जाते हैं जिनसे उसकी बहुत शक्ति बढ़ जाती है और उससे वह अधिक क्षमता-पूर्वक अपने स्थान विशेष की रक्षा कर सकता है। इस प्रकार राज्य के अन्दर छोटे-छोटे और अद्भुत स्वतन्त्र खण्डों का जन्म होता है और सामन्तवाद का बीजारोपण होता है। ऐसा ही कुछ पश्चिमी यूरोप में हुआ जबकि वर्वर आक्रमण के समय वहाँ अद्भुत-राजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के पास अपनी-अपनी काफी सेनाये थीं जो कि आक्रान्ताओं को परास्त कर सकती थीं। ये स्थानीय सरदार अपने ऊपर निर्भर करने वालों की सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों भी से रक्षा कर सकते थे। राज्य इत सब बातों को गैरकानूनी समझता था किन्तु उन्हें रोकने की सामर्थ्य उसमें न थी। जब फांक लोग गाँव में आये तो उन्हें वहाँ ऐसे रिवाज प्रचलित मिले। उनका दमन करने की जगह उन्होंने उन्हें अपना लिया और आगे चलकर उन्होंने सामन्तवाद का रूप धारण कर लिया। यह प्रक्रिया कुछ कुछ निम्नांकित रूप से चली।

•

उपरोक्त व्यवहारों का साम्राज्य के अन्तर्गत कोई राजनीतिक अथवा मैनिक स्वरूप न था। सम्राट् स्थानीय सरदारों के सैनिक या सर्वेजनिक सेवा नहीं करन्दा था यद्यपि सरदारगण कभी-कभी अवश्य ही अपने अधीनस्थ व्यक्तियों में किसी कठूलू का सामना करने के लिए शस्त्र धारण करने के लिए कहने चाहे। कर्मचारी-कठूलू राजाओं के शासन काल में उन समस्त लोगों का सैनिक सेवा करने के लिए कठूलू कर्मचारी कर्तव्य माना गया जो राजा के भूमिधरों के लिए भूमि रखने चाहे। इन कठूलू नर्मार के ऊपर आधिकार्य तथा राजा के प्रति सेवा का कर्तव्य एक छोटे कठूलू के लिए अपनी दमन का अवसर गाँव पर अरब आक्रमण था। काफ़ नर्मार इन्हें दूर करने के लिए उन अरबों से टक्कर लेनी कठिन दिखाई दी तो छोटे कठूलू दूर करने के लिए उन अरबों से लड़ने के लिये उन्हें एक अद्वितीय कठूलू के लिए उन्हें नागरिकों के लिए एक अश्व सेना को ग्रहन के अवसर कठूलू कठूलू करना कठूलू राज्य के पास भी इस व्यय को इन्हें दूर करने के लिए उन्हें दूर करना कठूलू

उसने एक हल निकाला। चर्च के विस्तृत भूखण्डों को ले लिया और उन्हें सामन्तों को इस स्पष्ट शर्त के ऊपर प्रदान कर दिया कि उन्हें एक अश्व सेना रखनी होगी। सामन्त लोगों ने अपनी जागीरों को इसी शर्त के ऊपर अपने सरदारों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार सामन्तवाद के राजनीतिक तथा आधिक पक्ष एक जगह मिल गये और सैनिक सेवा करना सामन्तवादी सविदा की एक आवश्यक शर्त बन गई। इसी दिशा में शार्लमिन ने कुछ अन्य कदम उठाये जिनका परिणाम यह हुआ कि 'राज्य की रक्षा करने का नागरिक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य एक सार्वजनिक कर्तव्य न रह कर एक निजी मविदा का विषय बन गया और यह भूमि अधिकरण की एक साधारण शर्त बन गई।' इसी प्रकार का परिवर्तन न्यायिक क्षेत्र में भी हुआ। न्याय प्रदान करने का अधिकार राज्य के हाथों से निकल कर उन व्यक्तियों के हाथों में जा पहुचा जिनके पास भूमि थी। जब शार्लमिन की घटनाया जाती रही और साम्राज्य के संघ-खण्ड हो गये तो सामन्तवाद ने अपना परिपक्व रूप धारण किया।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सामन्तवाद का उदय एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ। यह आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता थी। इसलिये यह कहा जा सकता है कि सामन्तवाद उस अस्त-व्यस्त और अनिश्चित परिस्थिति का परिणाम है जोकि अराजकता की सीमा तक जा पहुंची थी। जब राज्य जनता की रक्षा न कर सका तो वह सामन्तों के मुँह की ओर ताकने लगी। फांक लोग स्थानीय सरदारों की सहायता के बिना, जिनका आविर्भाव पहिले ही हो चुका था, किर से व्यवस्था कायम करने और शांति बनाए रखने में असमर्थ थे। इसलिये उन्होंने अपने से पहिले की स्थानीयों को स्वीकार कर लिया और सामन्तवाद को उत्पन्न करने के लिये उनको अपने विचारों के अनुसार विकसित किया। यह सत्य है कि आगे चलकर सामन्तवाद अत्याचार, विशेषाधिकारी और पीड़क शासन का पर्यायवाची बन गया और विकृत जनसमूहों ने उन सामन्ती प्रासादों को धराशायी कर दिया जिन्होंने कि उनके पूर्वजों को कभी सुरक्षा प्रदान की थी। यह इस सर्वसिद्ध सत्य का ज्वलन उदाहरण है कि समय के बीतने और परिस्थितियों के बदलने पर अच्छी स्थानीयों में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें संशोधन करना और उनको समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। जब चर्कार इतनी शक्तिशाली हो गई कि राज्य में शान्ति कायम रख सके और उसकी शक्ति मुद्रा भागों में अनुभव की जाने लगी तो सामन्तवाद का हास हो गया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय राज्य (Nation State) का अनुरूप हुआ। समुचित रूप से इसे समझ लेने पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सामन्तवाद एक क्वीला-राज्य और राष्ट्र-राज्य के बीच की सक्रामक स्थिति है।

पवित्र रोमन साम्राज्य (Holy Roman Empire)—पोपशाही और सामन्त वाद के अतिरिक्त एक अन्य इमहत्वपूर्ण स्थान पवित्र रोमन साम्राज्य था जिसने कि

मध्य युग की राजनीति के स्वरूप को निर्धारित किया। इसके विषय में दो शब्द कह देना अनावश्यक न होगा।

रोम पर बर्वरो की विजय होने पर भी रोमन सस्कृति नष्ट हुई; सास्कृतिक रूप से तो रोम ने अपने विजेताओं को ही विजित कर लिया। सार्वभौमिक साम्राज्य और सार्व-भौतिक चर्च का आदर्श प्रारम्भिक ट्यूटनो के राजनीतिक विचार तथा संस्थानों से कितना भी असंगत बयो न हो फिर भी जीवित रहा और फाक लोगों ने उसे ग्रहण कर लिया। शार्लीमिन की मृत्यु के पश्चात् उसका साम्राज्य छिप-भिप हो गया तथापि सम्भाट की उपाधि का आकर्षण लुप्त नहीं हुआ और यह विभिन्न दावेदारों में सघर्ष का कारण बना रहा। उन जर्मन शासकों ने उसे बनाये रखा जो कि शार्लीमिन के साम्राज्य के एक भाग पर शासन करते थे और उन्हें दोप भाग को भी फिर से प्राप्त कर लेने की आशा थी। जर्मनी के ओटो प्रथम की, जिसे कि उसके कारनामों के कारण ओटो महान् कहते हैं, ऐसी महत्वाकांक्षा थी। पोप ने उसे इटली आकर वहाँ फैली हुई अराजकता को समाप्त करने के लिये निमित्ति किया। इस सेवा के पुरस्कारस्वरूप उसे सम्भाट का मुकुट पेश किया गया। ओटो ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया; उसने इटली पर चढ़ाई की और ६६२ ई० में पोप से सम्भाट की उपाधि प्राप्त की। यहाँ से द्वितीय साम्राज्य का मूत्रपात होता है। यह 'पवित्र रोमन नाम्राज्य' के नाम से विख्यात है क्योंकि इसके प्रवर्तक की यह कामना थी कि इसकी व्याख्या में सम्भाटों तथा पवित्र चर्च में धनिष्ठ सम्बन्ध रहना चाहिये। ओटो तथा उसके उत्तराधिकारियों को भ्रेत्रित करने वाला विचार यह था कि समस्त पश्चिमी संसार का एक ही राजनीतिक प्रधान होना चाहिये जैसे कि धार्मिक रूप से वह एक ही 'पवित्र चर्च' के अधीन था। परन्तु वस्तु-स्थिति इस धारणा के अनुकूल नहीं थी। ओटो-वंशियों (Otios) का शासन अधिकार जर्मनी और इटली से आगे नहीं बढ़ने पाया और वहा भी उसे सामन्तवादी प्रवृत्तियों का सामना करनापड़ा। सम्भाट का अधिकारवास्तविक राजसत्ता का रूप नहीं ले सका; देश की राजकीय शक्ति का पूर्णरूपेण सामन्तवादी चरित्र उसके मार्ग में एक सच्ची रुकावट थी। इसके अतिरिक्त पाप प्रेगरी सप्तम तथा उसके उत्तराधिकारियों ने जर्मनी तथा इटली को एकीकृत करने के साम्राज्य के प्रयत्नों का संदेव विदोध किया क्योंकि वे सम्भाट को अपने स्वामी के रूप में देखने को तैयार न थे। इटली वाले जर्मनों से घृणा करते थे और उनके शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे। ओटो तृतीय के मरने के बाद साम्राज्य को आल्प्स (Alps) के परे इटली तक प्रसारित करने के विचार का परित्याग कर दिया गया और जर्मन राजाओं ने अपने ही देश में राजशक्ति को मुद्द बनाने का कार्य हाय में लिया क्योंकि स्वयं जर्मनी में ही बहुत सी स्थियासतों के उदय ने, जिसमें से प्रत्येक जर्मन राजा से स्वाधीन होने का दावा करती थी, राज्य के अधिकार को छुरी तरह से हिला दिया था। यह पवित्र रोमन साम्राज्य नाममात्र के लिए तब तक चलता रहा जब तक कि

नैपोलियन ने इसका अन्तिम संस्कार न कर दिया। राजनीतिक विधार के इतिहास में इसके महत्व का मुख्य कारण यह है कि लौकिक क्षेत्र में सावंभौमिकता को फिर से स्थापित करने तथा एक ही समाज (जिसकी सत्ता की कल्पना की जाती थी) के धार्मिक तथा राजनीतिक शासन में शान्ति तथा तालमेल स्थापित करने का यह एक प्रयास था। परन्तु दोनों में एक सजीव साहचर्य की जगह वहाँ था संघर्ष। मध्यम युग का उत्तरार्द्ध इसी संघर्ष से भरा पड़ा है; इसी संघर्ष को लेकर एक बृहद् साहित्य की रचना हुई। इस विवाद का विवरण हम अगले अध्याय में देंगे।

मध्यकालीन राजनीतिक विचार चर्च तथा राज्य के मध्य विवाद

परिचयात्मक—राजनीतिक चिन्तन के हाइटकोण से समस्त मध्यकाल को तीन अलग-अलग युगों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम युग बर्बरों द्वारा रोमन साम्राज्य की विजय से लेकर ११वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस युग में कोई विशेष बौद्धिक कार्य-कलाप नहीं हुआ; इसमें स्वतन्त्र चिन्तन का कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया। द्वितीय युग ग्रेगरी के शान्दीलन से लेकर पोप बोनोफे स्थ अष्टम के काल तक, अर्थात् ११वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर १३वीं शताब्दी के अन्त तक माना जा सकता है। बाकेर इस युग की 'छिह्न-सनात्न पोपशाही' तथा 'विजेता चर्च' का युग कहता है। इस युग में दर्शनशास्त्र, कानून तथा राजनीतिक दर्शन के क्षेत्रों में बौद्धिक कार्य-कलाप का महान् पूर्वज्ञान हुआ। सन्त टॉमस एकवीनास इसी युग के है। यद्यपि इस काल में बिन्दु ग्रन्डरेंट के सहित्य की स्थापना हुई उसका भाकार उस सबसे बड़ा है जो छान्टु और लूटु के पश्चात् ग्रेगरी सप्तम के पोप के रूप में पदासीन होने तक निवार दर्शन, उन्हें ग्रन्डरेंट की राजनीतिक दर्शन को एक स्वतन्त्र विद्या का पद प्राप्त नहीं हुआ; इन्हें दर्शन दर्शनशास्त्र (Theology) तथा दर्शनशास्त्र आच्छादित रहे। राजनीतिक विज्ञान ग्रन्डरेंट दर्शन साम्राज्य के बीच होने वाले विवाद का एक परिणाम बन दूँ; इन्हें दर्शन वर्षे द्वारा हुआ था। ही तृतीय युग में राजनीतिक दर्शन के छान्टु ग्रन्डरेंट लूटे गये; यह युग १४वीं शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी तक दर्शन वर्षे द्वारा है मार्सिलियो फॉफे हेल्मा (Marsiglio of Padua) द्वारा किये गए अर्थात् इन वर्षों रखत तथा विद्रोहपूर्ण (Silver and turbulent), लूट करकर छुटकारा है। इन्हें कि पोपशाही को राजाओं, सम्राटों दर्शन विज्ञान के नक्ट दर्शन दर्शन कहा जाता है। इन्हें कृपक शामों में ग्रीष्म विलक्षण दर्शनों में उद्घोष उठाते हैं; विज्ञान विज्ञान नवीन, साधारण, जनप्रथान दर्शन कर्त्तव्यों दो छलता है।

* "..... in which Papacy is seen as being controlled by secular power, by which I mean the temporal power of the world, in which papal rights are seen as being usurped and usurped, in which theory becomes political by the revolutionaries," — Parker in *Heresies, Icons and Papal Power* p. 28.

पोपशाही तथा साम्राज्य के ऐतिहासिक विवाद का वर्णन करने से यहिले सार्वभौमिकवाद जो कि मध्यकालीन विचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है के मम्बन्ध में विषय प्रवेश के रूप में दो दावद कह देना आवश्यक प्रतीत होता है ।

सार्वभौमिकवाद (Universalism)—समाज अथवा राज्य की सावधी धारणा जिसके अनुमार राज्य तथा एक मावध्य (Organism) में एक गहरा सम्भव है, सविधानवाद जो कि शासक के अधिकार को सीमित करता है, शासन के अन्य रूपों की अपेक्षा राजतन्त्र की थेप्टता में एक सामान्य विश्वास, और एक अच्छे राजा के कर्तव्यों पर वल कुछ अधिक महत्वपूर्ण विचार है जो कि मध्य काल में विकसित हुए । उसमें नैसर्गिक कानून (Law of Nature) में भी व्यापक विश्वास था जिसने कि कानून-विषयक मध्यकालीन धारणाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया और ऐसे मापदण्ड प्रतिष्ठित किये जिनके अनुसार आधरण करने की शासकों से आदा की जाती थी । कई प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हुआ जिनके फलस्वरूप प्रतिनिधित्व की धारणा की बहुत चर्चा हुई, विशेष रूप से कन्सीलियर युग में । इन धारणाओं के विषय में हम कुछ इस पुस्तक के प्रस्तुत भाग में कहेंगे । यहां हम पोपशाही तथा साम्राज्य के बीच विवाद का विवरण देंगे और सार्वभौमिकवाद के विचार के विषय में कुछ कहेंगे जो कि मध्यकालीन विचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ।

मध्यकालीन विचार की महत्वपूर्ण विशेषता—मध्यकालीन विचार की महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन प्राकेश्वर बाकर के निम्नलिखित शब्दों में किया जा सकता है । ‘समस्त मध्यकालीन विचार की तान है उसकी सार्वभौमिकता । यह एक ही सार्वभौमिक समाज को मानकर चलता है, जो अपने लौकिक पक्ष में प्राचीन रोमन साम्राज्य की विरासत और उनकी नित्यावृत्ति है; और अपने धार्मिक पक्ष में एक द्रष्टव्य चर्च में ईसा का साकार रूप है ।’^{*}

रोम ने एक सार्वभौमिक साम्राज्य की स्थापना की थी; जिसके अक्ष में उस समय ज्ञात समस्त सम्भव संसार लिपटा हुआ था । रोमनों का विश्वास था कि उनका साम्राज्य ईश्वर इच्छा की मूर्ति है और उसके भाग्य में शाश्वत तथा सार्वभौमिक होना लिखा है । जब ईसाई धर्म साम्राज्य का एकमात्र राजकीय धर्म बन गया तो ईसाइयों ने भी इस विश्वास को स्वीकार कर लिया । सन्त प्रॉगस्टाइन वह प्रचार करते थे कि परमात्मा ने मूर्तिपूजकों को सार्वभौमिक रोमन साम्राज्य की स्थापना इसनिए कर लेने दी क्योंकि एक सार्वभौमिक चर्च वी मूर्ति की ओर वह एक कदम था । साम्राज्य के अन्तर्गत और साम्राज्य के द्वारा ही ईसाई चर्च एक सार्वभौमिक संघटन बना ।

* “The note of all
existence of a single so
continuation of the ancient Roman Empire... ---
incarnation of Christ in a visible Church.”

हमें यह याद रखना चाहिये कि साम्राज्य तथा चर्च विभिन्न सदस्यता रखने वाले दो अलग-अलग समाज नहीं थे ; वे एक ही और अविभाज्य समाज के दो विभिन्न रूप मात्र थे। “यह एक ही रैस्पब्लीका क्रिशियाना या जिसमें चर्च का सदस्य होना और नागरिक होना एक ही बात थी।”* इस समाज के दो प्रधान थे : पोप तथा सम्ब्राट। सम्ब्राट इसके लौकिक विषयों का संरक्षक था और पोप आध्यात्मिक विषयों का। प्रत्येक शासन का अपना कार्य-क्षेत्र था, अपना कर्मचारियों का सघटन था ; और अपना अधिकार सिद्धान्त था। लौकिक विषयों में नागरिक सम्ब्राट के अधीन था और आध्यात्मिक विषयों में उसके ऊपर चर्च का नियन्त्रण एवं अनुशासन था। प्रत्येक शासन अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र था और प्रत्येक को दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना था जो कि ईश्वर ने उसे दिए थे। साम्राज्य के आध्यात्मिक विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था और चर्च के तिए लौकिक-विषयों में टांग अड़ाना उचित नहीं था। परन्तु प्रत्येक का कार्य एक दूसरे की सहायता करना था ; अधर्म का दमन करना साम्राज्य का कर्तव्य था और राजभवित का उपदेश करना चर्च का धर्म था। सारांश यह कि दोनों शक्तियों को परस्पर सहयोग करना था। दोनों के इस परस्पर सम्बन्ध को आमतौर से ‘दो तलवारों का सिद्धान्त’ कह कर पुकारा जाता है जिसकी विवेचना हम पहिले ही कर चुके हैं। इसके विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। परन्तु इस सार्वभौमिकवाद को बर्बर आकर्मणों ने खंडित कर कर दिया। सार्वभौमिक साम्राज्य का स्थान बहुत से स्वतन्त्र राज्यों ने ले लिया जो कि पश्चिमी यूरोप के विभिन्न भागों में उत्पन्न हो गए थे। जिन वर्वंरों ने इसाई धर्म बहन कर लिया था उन्होंने बहुत से अलग-अलग स्थानीय चर्च स्थापित कर लिये, और इस प्रकार चर्च की एकता भी भंग हो गई। अपना साम्राज्य स्थापित करके शालमिन ने राजनीतिक क्षेत्र में मार्वभौमिकवाद पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। औटो प्रथम ने पवित्र रोमन साम्राज्य को स्थापित करके इस काम को जारी रखा। इन दो साम्राज्यों की मृष्टि में एक सार्वभौमिक समाज में विश्व-व्यापक विचार का हाथ था। आध्यात्मिक जगत में सार्वभौमिकवाद को पुनर्प्रतिष्ठित हिल्डेंब्रैंड ने किया जिसने प्रादेशिक चर्चों की जगह, जो कि गत शताब्दियों में कायम हो गये थे, पोप से एक सार्वभौमिक चर्च की स्थापना की। परन्तु यद्यपि दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिकवाद को पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया गया, तथापि दोनों में समानान्तरवाद का सम्बन्ध स्थापित न किया जा सका। दो समानान्तर शक्तियों का होना उस युग की राजनीतिक परिस्थिति के अनुकूल नहीं था, उसके लिए एक अन्तिम शक्ति की आवश्यकता थी ; पोप तथा सम्ब्राट दोनों ही ऐसी शक्ति का दावा करते थे ; परन्तु उनमें से कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सका। “हिल्डेंब्रैंड तथा उसके सहविचारक ऐसे सम्ब्राट को विलकूल पसन्द नहीं करते जिसके पोप के समान अधिकार हों ; वह पोपशाही को उम प्रणाली

* It was a single *Respublica Christiana* in which churchmanship was co-extensive with citizenship.

से अच्छा समझते थे जिनके अनुसार चर्चे में हूँध शासन हो। दूसरी ओर सम्राट् भी बहुत महत्वाकांक्षी थे और वे सर्वोच्च शक्तियों का दावा करते थे। इस प्रकार दोनों में विवाद उठ खड़ा हुआ। आठवीं शताब्दी में राजनीति ने चर्चे तथा साम्राज्य में घनिष्ठ मित्रता स्थापित की थी; और ग्यारहवीं शताब्दी में राजनीति ने ही उन्हे एक दूसरे से अलग कर दिया।

एक दूसरे अर्थ में भी मध्यकालीन विचार की ताज सार्वभौमिकवाद थी। मध्य युग का एक और सार्वभौमिक समाज एक ही जीवन सिद्धान्त का पालन करता था जिसकी रचना अन्तिम रूप से एक ही शक्ति करती थी। इस सिद्धान्त का स्वरूप आध्यात्मिक था; यह प्रभु इच्छा की अभिव्यञ्जना थी। जीवन का लक्ष्य आत्मा का भौतिक बन्धन से मुक्त होना था। समस्त लौकिक कार्य-व्यापार जीवन के इसी केन्द्रीय और प्रधान उद्देश्य के अधीन होना चाहिये। इस दैविक सिद्धान्त की व्याख्या करने वाली अन्तिम शक्ति चर्चे था; ‘उसने समस्त जीवन को, उसके समस्त रूप, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तथा बौद्धिक, मे एक ईसाई सिद्धान्त की अधीनता में नियन्त्रित करने का’ वीरतापूर्ण प्रयास किया। राजा के कुछत्यों की भत्संना करके और उनसे सदव्यवहार का आग्रह करके उसने राजनीतिक क्षेत्र में राजाश्वों के ऊपर नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया; विवाह तथा प्रायश्चित्त सम्बन्धी कानूनों द्वारा वह सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करना चाहता था; आर्थिक क्षेत्र में वह उचित मूल्य का और व्याज के नियेध का आग्रह करता था और लोगों को अपनी सम्पत्ति को एक धरोहर (trust) समझते की प्रेरणा देता था। चर्चे की शिक्षाओं के प्रतिकूल समस्त शिक्षाओं को अवधं कहकर और उनको नियिद्ध घोषित करके तथा विधिमियों का दमन करके उसके बौद्धिक जीवन को भी शिक्षे में जकड़ने का प्रयत्न किया। समस्त जीवन को एक ही सिद्धान्त के अनुसार एक ही नमूने में ढालने के इस विलक्षण प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक, अर्थनीति तथा आचारनीति सब धर्म-शास्त्र के अधीन हो गये।

चर्चे तथा राज्य में संघर्ष का युग—इस सिद्धान्त को कि मानव जाति एक ही सार्वभौमिक समाज है जिसके दो प्रधान हैं, आध्यात्मिक विषयों के लिये पोर और लौकिक विषयों के लिये सम्राट्, केवल मध्य युग में नहीं बल्कि उसके आरम्भ से पहिले भी सभी लोग मानते थे। यह ईसाई रोम से प्राप्त हूँई विरासत थी। यह माना जाता था कि इनमें प्रत्येक न्यायपूर्वक तथा प्राकृतिक और दैविक कानून के अनुसार और मानवता के कल्याण के लिये कार्य करता है तथा मनमाने द्वारा से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। इसलिए संदान्तिक रूप से इन दोनों में कोई मध्यर्यं नहीं हो सकता या यद्यपि उनके अपने-अपने धोत्र की निश्चित नीमायें निर्धारित नहीं थीं। उनमें परस्पर सहयोग की भाषणा ज्ञानी चाहिये थी। और पहिली कुप्रगताद्वियों में सबमुख उनमें कोई संपर्क नहीं हुआ। कान्स्टेप्डाइन तथा उसके उत्तराधिकार धर्म को राज्य का एक विभाग मानते थे और चित्तगणण को राज्य-नर्मदारी

समझते थे जिनको सभ्राट् नियुक्त एवं पदच्युत कर सकता था। पोपशाही की स्थापना से पहिले सभ्राट् चर्च तथा राज्य दोनों का प्रधान था; धार्मिक विषयों में भी उनकी इच्छा वैसी ही सर्वोपरि थी जैसी कि शक्तिशाली सभ्राटों ने इस परम्परा को मध्ययुग में कायम रखा। शार्लमेन, औटो महान् तथा हैनरी तृतीय मरीजे शक्तिशाली सभ्राटों ने इस परम्परा को मध्ययुग में कायम रखा। शार्लमेन पादरियों तथा जन-साधारण को समान रूप से अपनी प्रजा समझता था और चर्च के दासन का पूर्ण उत्तरदायित्व उसने अपने हाथों में ले रखा था। दसवीं शताब्दी में जबकि पोपों का शक्तिशाली चरित्र बहुत नीचे गिर गया और पोप-शाही बदनाम हो गई तो सभ्राटों ने सुधार के लिये कुछ कदम उठाये और पोपों को उनके पद से उतारा। म्यारहवीं शताब्दी तक पोपशाही के ऊपर सभ्राटों का नियन्त्रण स्पष्ट और वास्तविक था। किन्तु इस व्यवहार के कुछ अपवाद भी थे। सन्त एम्ब्रोज सरीसे शक्तिशाली विशप यदि सभ्राट की आज्ञाओं को न्यायपूर्ण समझते थे तो उनका पालन करने से इन्कार कर देते थे, वे सभ्राटों की ताड़ना करने तथा नैतिक अपराधों के लिये उनको आध्यात्मिक दण्ड देने से भी नहीं हिचकिचाते थे। मन्त्र एम्ब्रोज ने एक बार एक धार्मिक उत्सव को सम्पन्न करने में इन्कार कर दिया जब तक कि भभ्राट घ्योड़सियस, जिसने कि अपनी प्रजा के साथ विकासघात किया था, वहाँ से न हट गया। आगे चलकर लोरेम के राजा लोथेर (Lothaire of Lorraine) को अपनी परित्यक्ता पत्नी को फिर से ग्रहण करने तक अपनी नवीन प्रेयसी (Mistress) का परित्याग करने के लिए विवश कर दिया गद्यपि राजा को शक्तिशाली पादरियों तथा अपने भाई सभ्राट लुई की सहायता प्राप्त थी। शक्तिशाली पोप राजाओं और सभ्राटों की भत्सना, उनका जाति-वहिकार एवं उन्हें पदच्युत कर सकते थे तथा राज्य के छोटे-छोटे मामलों तक को विनियमित कर सकते थे और इतना सब कुछ होते हुये भी दूसरी ओर से कोई विरोध न होता था। परन्तु साधारणतया इस युग में सभ्राट के ऊपर पोप के नियन्त्रण की अपेक्षा सभ्राट का पोप के ऊपर नियन्त्रण अधिक वास्तविक था। वास्तव में दोनों के सम्बन्ध ऐसे थे कि यदि एक पक्ष अपनी बात पर अड़ जाता था तो दूसरा पक्ष उसके सामने झुक जाता था, उनमें सधर्य होने की नीवत नहीं प्राप्ती थी।

परन्तु यदि दैवयोग से कभी एक शक्तिशाली सभ्राट तथा एक शक्तिशाली पोप एक ही समय शासनारूढ़ होते और 'चर्च का यह सिद्धान्त कि आध्यात्मिक शक्ति मूलतः लौकिक शक्ति से थेप्तर है साम्राज्य के इस सिद्धान्त से टकराता था कि राजा सबंशक्तिमान है' तो सकट उत्पन्न होना निश्चित ही था। ऐसा अवसर प्रथम बार तब आया जबकि पोप ग्रेगरी सप्तम तथा सभ्राट हैनरी चतुर्थ के बीच राज्य द्वारा विग्रहण को पद प्रदान करने (Lay Investiture) के ऊपर सधर्य खड़ा हुआ। वह संघर्ष अकस्मात् ही खड़ा नहीं हो गया बल्कि इससे बहुत पहिने से ही पादरियों में स्वतंत्रता की भावना का उदय हो रहा था और वे उन दोपों को दूर करना चाहते थे जो कि चर्च के सामन्तवादी प्रणाली की जटिलताओं में फँसने के कारण उसमें आ गये थे।

इन बातों ने सम्भाट तथा पोप के सधर्ये के लिये भूमि पहिले ही तैयार कर दी थी। चर्च के पास एक बहुत बड़ी भू-सम्पत्ति थी जिसे चाल्स मार्टल ने अपने युद्धों के लिये धन प्राप्त करने के लिये लिया था और उसको अपने अफसरों में विभाजित कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि पादरीगण लौकिक स्वामियों के सेवक बन गये और उनके कुछ लौकिक कर्तव्य हो गये। बहुत में मामलों में उनके तथा सामन्ती सरदारों के हित एक हो गये। उच्चतर पादरीगण लौकिक राजनीति में फस गये और उन्हें एक महान् शक्ति और प्रभाव प्राप्त हो गया। इसलिये उनकी नियुक्ति सम्भाट के लिये एक महत्त्वपूर्ण विषय बन गया। प्रारम्भ से ही स्वापित एक परम्परा के अनुसार चर्च के विशपगण का चुनाव मण्डलो (Diocese) के पादरियों द्वारा और ऐबटगण का चुनाव मठों के सदस्यों द्वारा होता था। इसलिये चर्च के अधिकारीगण यह दावा करते थे कि एक जागीरदार पादरी के मरने पर उसके उत्तराधिकारी का चुनाव पादरियों द्वारा ही होना चाहिये। इसके विपरीत राजकीय अधिकारियों का तर्क यह था कि क्योंकि जागीरदार हमारा एक सेवक है, इसलिए विना सामन्ती सरदार की स्वीकृति के बहु जागीर का मालिक नहीं बन सकता। वे विशपगण को नियुक्त करने का दावा इस आधार पर करते थे कि उनके पद का धार्मिक स्वरूप उसके सामन्ती अथवा लौकिक स्वरूप से कम महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त धन द्वारा धार्मिक पद को खरीदने अथवा राजनीतिक सेवाओं के बदले में उसे प्रदान करने की प्रथा भी चल पड़ी थी। अपने कर्तव्यों का मुचित रूप से पालन करने के लिए और राज्य का वास्तविक रूप से निर्देशन करने के लिये चर्च को इन दोषों को दूर करना तथा राजकीय अधिकारियों से स्वतन्त्र होना आवश्यक था।

धार्मिक पदों के क्रय-विक्रय को रोकने तथा पादरियों की नियुक्ति में अपने लिए प्रधान अधिकार अपनाने के लिए (जो कि राज्य के आधिकारियों के हाथ में आ गया था) पोप ग्रेगरी सप्तम ने एक प्रत्यादेश जारी किया जिसके द्वारा विशपगण का राज्याधिकारियों के हाथों से पद ग्रहण करना निपिछ ठहरा दिया गया। इसका उल्लंघन करने वाले दोनों पक्षों को धर्म-विहिकार का दण्ड दिया जा सकता था। पोप के टृप्टिकोण से ऐसा कदम उठाना नितान्त आवश्यक था। चर्च द्वारा अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि उसके कर्मचारी पूर्ण रूप से उसके नियन्त्रण में रहे और उनकी नियुक्ति अथवा पद ग्रहण करने से राज्य का कोई सम्बन्ध न हो। परन्तु सम्भाट के अधिकार को यह एक गम्भीर चुनौती थी; क्योंकि यह विशप मण्डलों के ऊपर उसके उस परम्परागत अधिकार का अपहरण करता था जो कि उसके लिए भी उतना ही आवश्यक था। विशपगण उसके सामन्ती सरदार थे; उसके प्रति उनके कुछ कर्तव्य थे और लौकिक विषयों में वे महत्त्वपूर्ण भाग लेते थे। जहाँ तक कि उनके इस स्वरूप और कार्य का सम्बन्ध था, उसके लिए यह एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न था कि उनकी नियुक्ति का अधिकार स्वयं उसके हाथ में रहे या अन्य किसी ब्राह्मण शक्ति के हाथ में जिसके ऊपर उसका कोई नियन्त्रण न हो।

चर्च तथा राज्य के मध्य विवाद

इसलिये हैनरी चतुर्थ ने इस प्रत्यादेश को मानने से इन्कार कर दिया और इस प्रकार पोप तथा सभ्राट् में संघर्ष खड़ा हो गया। सभ्राट् ने अपने अधीनस्थ जर्मन पादरियों की एक सभा बुलाई और सभ्राट् की इच्छानुकूल उसने पोप को पदच्युत करने का निर्णय किया क्योंकि उसके विचार में पोप ने अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया था। इसके उत्तर में ग्रेगरी ने हैनरी का धर्म-वहिकार कर दिया और उसके सामन्त सरदारों को राजा के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुक्त कर दिया। उसने एक प्रतिद्वन्द्वी राजा को हैनरी के सिहासन पर दावा करने के लिये भी उकसाया। इसका वाद्यित प्रभाव पड़ा। सिहासन छिन जाने के भय से वह दौड़ा हुआ कैनौसा गया जहाँ कि पोप ठहरा हुआ था और उससे सन्धि करनी चाही। पोप ने उसका घोर अपमान किया। उसने हैनरी से मिलने से पूर्व उसे तीन दिन तक कड़ाके के बरफ में अपने दरवाजे पर प्रतीक्षा करने और माझा रगड़ने के लिए विवर किया। कुछ समय बाद हैनरी की बारी आई। जब उसका सिक्का फिर से जम गया तो उसने रोम की विजय कर लिया और पोप को देश निकाला दे दिया। इस प्रकार उसने पोप से बदला चुकाया। किन्तु राज्य द्वारा विशपी के पद प्रहृण करने के प्रश्न का कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया। इसी बीच में उस विवाद को खड़ा करने वाले दोनों पक्षों का अर्थात् पोप ग्रेगरी तथा सभ्राट् हैनरी का देहावसान हो गया। उनके उत्तराधिकारियों, पोप पैस्कल द्वितीय तथा हैनरी पचम में ११२२ ई० वर्षमें (Worms) में एक समझौता हो गया जिसके अनुसार वह निश्चय हुआ कि किसी पद के लाली होने पर चर्चे उसके लिये किसी व्यक्ति को चुनेगा और उसे आध्यात्मिक पद के चिह्न अगूठी तथा दण्ड प्रदान करेगा, और सभ्राट् उसे राजनीतिक और सामन्त पद के प्रतीक 'रीगेलिया' (Regalia) से विभूषित करेगा। संवाइन का कहना है कि विशपण के चुनाव में भी सभ्राट् को कुछ अधिकार दिया गया।

ग्रेगरी का हैनरी के सामन्तों को राजभवित से विमुक्त करने का अर्थ अद्वैतिक रूप में सभ्राट् को पदच्युत करना ही था। यह एक ऐसा कदम था जो अब तक कभी नहीं उठाया गया; इससे हैनरी के समर्थकों को धक्का लगा और ऐसा होना स्वाभाविक ही था। इसने एक नया और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न कर दिया। क्या चर्चे के अधिकारियों को साभ्राज्य की स्वाधीनता पर आक्रमण करने तथा अपनी स्वाधीनता को कायम रखने के लिये उसके शासक को पदच्युत करने का अधिकार था? पादरियों को पदासीन करने के ऊपर विवाद ने चर्चे तथा साभ्राज्य के सम्बन्ध का एक आधारभूत प्रश्न उत्पन्न कर दिया। इनके सार्वभौमिक शक्तियों के अधिकार-क्षेत्र की समस्या का बड़ी तत्परता और उत्सुकता के साथ विशेषण और परीक्षण किया जाने लगा जिसके फलस्वरूप एकाएक एक बृहदाकार माहित्य की रचना हुई।

ग्रेगरी का आरम्भ बिन्दु गेलेशियस का वह विस्म्यात सिद्धान्त था जिसके अनुसार दोनों शक्तियां, चर्च तथा राज्य, एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं, इसलिये साभ्राज्य के ऊपर वह किसी अधिकार का दावा नहीं करता था। "उसकी मौतिकता इस बात में

थी कि उसने पूर्वपरिचित और सर्वस्वीकृत सिद्धान्तों में से उप्रतम व्यावहारिक परिणाम निकाले। उसमें अपनी शक्ति की चेतना थी और एक आध्यात्मिक सघटन का प्रधान तथा इस द्वारा पीटर को समस्त आध्यात्मिक शक्ति का उत्तराधिकारी होने के नाते समस्त भानव आत्माओं के सरक्षण तथा कल्याण के लिए अपने आपको उत्तरदायी ममझता था। हीनरी को पदच्युत करने का उसका स्पष्ट आधार वह आध्यात्मिक शक्ति थी जिसके द्वारा वह मनुष्य को बन्धनग्रस्त एव बन्धनमुक्त कर सकता था; अन्तकरण के न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में एक कानून विरुद्ध शपथ की वाध्यता से वह मुक्ति प्रदान कर सकता था।”*

सारांश यह कि अपने पूर्ववर्ती सन्त एम्ब्रोज़ा की भाति ग्रेगरी की भी यह धारणा थी कि एक ईसाई होने के नाते सब्राट नैतिक तथा आध्यात्मिक विषयों में पोष के नियंत्रण तथा अनुशासन के अधीन था। और इसलिये पोष किसी पर्याप्त कारण के लिए उसे पदच्युत कर सकता था। ईसाई यूरोप के विषयों का निर्देशन करने में पादरीगण कगड़ा भाग ले सकते थे और उन्हें लेना चाहिये था उसका सुन्दर वर्णन ग्रेगरी के अपने ही इन निम्नाकित शब्दों में, जो कि उसने १०८० में रोम में परिपद के भासने कहे थे, इस प्रकार हैं होली फादर्स (Holi Fathers) तथा सामन्तवर्ग, मेरा आप से निवेदन है कि आप इस प्रकार आचरण कीजिये कि समस्त सासार को यह विदित हो जाये कि यदि स्वर्ग में बाधने तथा मुक्त करने की आप में शक्ति है तो इस पृथ्वी पर भी मात्राज्य, राज्य, रियासते तथा समस्त मनुष्य की समस्त प्रकार की सम्पदा उन्हें गुणानुसार प्रदान करने तथा उनसे वापिस लेने का आप में सामर्थ्य है। …… सासार के समस्त राजाओं को जानना चाहिये कि आप कितने महान् हैं और आप में कितनी शक्ति है; आपके चर्चे की अवज्ञा करने से इन क्षुद्र मनुष्यों को डरना चाहिये।†

* “His originality consisted in the extreme practical conclusions that he drew from premises already familiar and generally unquestioned. He began with a consciousness of his own power and responsibility as head of the spiritual order and as heir of all the spiritual authority entrusted by Christ to Peter for the welfare of the human souls of which he was the shephered. He based his deposition of Henry specially on the spiritual power to bind and loose; as judge in the court of conscience the pope could absolve men from the binding affect of a bad oath.”—Ewart Lewis : *Medieval Political Ideas*, page 510.

† “So act, I beg you, holy fathers and princes that all the world may know that, if you have the power to bind and loose in heaven, you have power on earth to take away or to grant empires, kingdoms, principalities, dukedoms, marches, counties and the possessions of all men according to their merits... Let kings and all the princes of the world learn how great you are and what power you have and let these small men fear to disobey the command of your Church.”

साम्राज्यवादी यह तो मानते थे कि पाप तथा आचरण विषयक प्रश्न चर्च के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है ; किन्तु वे इस बात से इन्कार करते थे कि चर्च को एक शासक को धर्म-विहित सत्य पदच्युत करने का भी अधिकार है । ग्रेगरी का घ्येय कितना भी आध्यात्मिक क्यों न रहा हो किन्तु उसका हैनरी को धर्म-विहित करना तथा उसकी प्रजा को राजमिति के कर्तव्य से विमुक्त करना विशुद्ध लौकिक विषयों में उसका हस्तक्षेप था । यह गेलेशियस के 'दो तलवारों' के सिद्धान्त की अवहेलना थी । स्वयं हैनरी ने ग्रेगरी को यह लिखा था कि पवित्र फ़ादर्स की परम्परा के अनुसार और ईश्वर द्वारा राजपद प्राप्त करने के नाते वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी था और धर्म-विमुख होने के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध के लिए उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता । ग्रेगरी ने आध्यात्मिक शक्ति की सीमाओं का उल्लंघन चाहे किया हो, चाहे न किया हो और राज्य की स्वार्थीनता में उसने अनुचित हस्तक्षेप चाहे किया हो या न किया हो, किन्तु उसने हैनरी को हार मानने के लिए अवश्य विवश कर दिया । अपने साहस और हृदय से उसने चर्च को साम्राज्य के नियन्त्रण में मुक्त कर दिया । उस विवाद के फलस्वरूप चर्च पूर्ण रूप से एक समान और प्रभुत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा हो गया । इस विवाद का दूसरा परिणाम यह हुआ कि पोप की शक्तियों के विषय में हैनरी सप्तम की धारा अधिक प्रचलित हो गई, जो स्थिति उसने अपनाई थी उसमें यह बात सन्तुष्टि ही कि वह समस्त चर्च सघटन का सर्वप्रभुत्वपूर्ण प्रधान है । उसके पास एक अद्वितीय पद था और एक अद्वितीय उपाधि थी । चर्च का सर्वोच्च अधिकार होने के नाते विशपगण को नियुक्त और पदच्युत करने, चर्च की साधारण परिपद को समवेत करने तथा उसके प्रत्यादेशों को क्रियान्वित करने का केवल उसे ही कह सकती थी और कोई भी पुस्तक अधिकृत नहीं समझी जाती थी । एक बार जो मामला उसके न्यायालय में आ जाता था उसका निर्णय कोई भी दूसरी शक्ति नहीं कर सकती थी । वह चर्च के लिए कानून बना सकता था । उसके जारी किये हुये प्रत्यादेशों को कोई भी रद नहीं कर सकता था ; उनके कामों की कोई भी आलोचना नहीं कर सकता था ; किन्तु ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते वह समस्त लौकिक शक्तियों के प्रत्यादेशों को रद कर सकता था । याद रहे कि उपरोक्त बातों का अर्थ पोप के कानूनी अधिकारों कर कोई नियमबद्ध सिद्धान्त नहीं है बल्कि यह उसके चर्च के प्रधान होने के एक परिणाम की साधारण अभिव्यजना है । यह बात भी उल्लेखनीय है कि पोप जिन शक्तियों का दावा करता था उनमें में बहुत सी तो 'निध्या प्रत्यादेशो' (False Decretals) में पाई जाती थी जिन्हें ११वीं शताब्दी में सच्चा समझा जाता था । ये प्रत्यादेश वे अभिलेख्य हैं जिन्हे ६वीं शताब्दी में राज्य द्वारा विशपगण को पदच्युत होने तथा उनकी सम्पत्ति को जब्त होने से बचाने के लिए घड़ा गया था । ऐसा तभी हो सकता था जबकि पोप को राज्याधिकारियों के ऊपर भारी शक्तियों प्राप्त हो ।

११२२ में जो समझौता पंस्कल द्वितीय तथा हैनरी पंचम में हुआ, जिसका उल्लेख पहिले भी हो चुका है, उससे यह मौलिक समस्या हल नहीं हो पाई कि साम्राज्य तथा पोपशाही में क्या सम्बन्ध है। जिन अधिकारों का उल्लेख उस समझौते में नहीं था उन पर प्रत्येक पक्ष अपना दावा जताने लगा। चर्च अधिकारियों ने धार्मिक प्रभुता पर ही सतोष न करके लौकिक शक्ति प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया और ऐसे दावे करने शुरू किये जो निश्चित रूप से राजनीतिक थे और इसलिये सच्चाट के अधिकार लेने के अन्तर्गत थे। इसलिये पोपशाही तथा जर्मनी के सच्चाट फेडरिक बार्वरोसा (Ferdinand Barbarossa) तथा उसके उत्तराधिकारियों के बीच एक सघर्ष खड़ा हुआ। जर्मन सच्चाट पोप की शक्ति के विस्तार को न रोक सके जो कि सारी १२वीं शताब्दी में बढ़ती रही और इन्होंने तृतीय के काल में गरम सीमा को पहुंची जिसने कि यूरोप के नवमे शक्तिशाली शासकों को अपनी आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर दिया। निर्वाचन तथा राज्याभियेक के मामलों में वह रोमन साम्राज्य में अपरिमित शक्तियों का प्रयोग करता था, वह लोगों के सच्चाट होने के दावे को उत्तरी ही सरलतापूर्वक रद्द कर देता था जैसे कि हैनरी तृतीय ने ग्रेगरी पोप को उपाधि पद से हटा दिया था। उसने कई राजकुमारों को राजा की उपाधि से विभूषित किया। उसने अपने उपदेश में यह घोषणा की कि आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के विषयों में चर्च ने उसे अपरिमित शक्तियाँ प्रदान की है। वह १२१६ ई० में मर गया। फे डिरिक द्वितीय का शासन उस समय आरम्भ ही हुआ था जो इस बात का दावा करता था कि (१) साम्राज्य के प्रशासन में वह पोप से स्वतत्र है, (२) ईश्वर ने उसे प्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रदान की है, पोप के माध्यम द्वारा नहीं। धार्मिक विषयों में वह पोप के अधिकार को स्वीकार करता था, किन्तु लौकिक विषयों में उससे इंकार करता था। इन्होंने इसका यह उत्तर दिया कि दैविक आदेश द्वारा लौकिक विषयों के ऊपर भी पोप का अधिकार है, जो राजाओं को अपनी शक्ति सौंप सकता है; इस प्रकार राजा उसके अधीन है। सारांश यह कि इन्होंने 'श्रीपचारिक रूप से यह घोषणा कर दी कि सच्चाट के अधिकार का स्रोत पोप है। इस सिद्धान्त को कैनोनिस्ट्स (Canonists) के प्रभाव के अन्तर्गत लागू किया गया जिनके ऊपर रोमन न्यायशास्त्र के अध्ययन के पुनरुत्थान का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था। १२५० ई० में फे ड्रिक द्वितीय की मृत्यु हो जाने से चर्च का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रह गया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसको पूर्ण विजय प्राप्त हो गई है। फलतः उसके दावे और भी बढ़ गये। परन्तु फ्रांस के राजा फिलिप दी फेरर (Philip the Fair) के रूप में उसके सामने शांघ ही एक नया शब्द आ खड़ा हुआ। उसके साथ राज्य तथा पोपशाही का सघर्ष एक नवीन स्थिति में प्रवेश करता है और पोपशाही का हास आरम्भ होता है। १४वीं शताब्दी के प्रारम्भ में फिलिप दी फेरर तथा बोनीफेस अप्टम के मध्य संघर्ष का बर्णन करने में पूर्व हम उन तर्कों और युक्तियों पर हटिपात करेंगे जो कि उभय पक्ष अपने-अपने दावे के समर्वन में पेश करते थे।

राज्य तथा चर्च का सम्बन्ध : (१) राज्य की प्रभुता—राज्य तथा चर्च के बीच के सम्बन्ध में तीन धारणाएँ सम्भव हो सकती हैं ; और वास्तव में तीनों ही को मध्ययुग में विभिन्न समयों पर अपनाया गया । प्रथम कुछ लोग ऐसे थे जिनका विश्वास था कि राजा, चाहे उसकी शक्ति का स्रोत ईश्वर हो, चाहे जनता, अपने राज्य में लौकिक तथा आध्यात्मिक, दोनों विषयों में सर्वोच्च है । इस विचार के अनुसार धर्म राज्य का एक विभाग है और चर्च उसके अधीन है । कांस्टेण्टाइन तथा उसके उत्तराधिकारी, शार्लो-मेन तथा औटो प्रथम की यही भारणा थी । फ्रेड्रिक द्वितीय ने भी इसका औपचारिक समर्थन किया । जैसा कि पहिले ही कहा जा चुका है, ११वीं शताब्दी तक, जबकि हैनरी चतुर्थ तथा ग्रेगरी सप्तम में भगदा खड़ा हुआ, सम्राटों का पोपशाही के ऊपर नियन्त्रण राजनीतिक जगत का एक वास्तविक तथ्य था । परन्तु इस युग में चर्च पर राज्य के नियन्त्रण का किसी क्रमबद्ध और सुस्पष्ट सिद्धान्त का प्रनिपादन नहीं किया गया । कहीं १२वीं शताब्दी में जाकर, जबकि बोलोग्ना (Bologna) के विश्वविद्यालय में रोमन कानून का अध्ययन फिर से आरम्भ हुआ, इस सिद्धान्त का युक्तियों द्वारा समर्थन किया गया । दान्ते (१२६५ से १३२१) तथा मूर्मालियो आँफ पेडुआ वे दो प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने चर्च की राज्य के प्रति अधीनता का एक युक्तियुक्त मिद्दान्त पेश करने का प्रयत्न किया । परन्तु उनकी रचनाओं का उद्देश्य राज्य की स्तुति करना इतना नहीं जितना कि चर्च की निन्दा करना है । उनके सिद्धान्तों की विवेचना अगले अध्याय में की जायेगी ।

(२) चर्च की प्रभुता—जैसे-जैसे पोप ग्रेगरी के ग्रान्डोलन के समय में चर्च की शक्ति बढ़ी और उसने एक शक्तिशाली सघटन को विकसित किया तो दूसरे सिद्धान्त का निर्माण किया जाने लगा । इसके अनुसार चर्च राज्य से थोप्टर है और राज्य चर्च के अधीन है । मध्ययुग के मध्य भाग में, विशेषकर ११वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में १३वीं शताब्दी के अन्त तक, इस सिद्धान्त का बोलबाला रहा । पोपशाही तथा साम्राज्य के मध्य चलने वाले लम्बे समयों के बीच में पहिले चर्च की साम्राज्य के ऊपर तथा फिर पोप की सप्ताह के ऊपर प्रभुता का एक सुनिश्चित मिद्दान्त विकसित किया गया । लायन्स के विशेष अग्रीवाड़, रोम्स के आकंविशप हिकमार, पोप निकोलम प्रथम, पोप ग्रेगरी सप्तम, मेलगोल्ड आँफ लूटरवेंक, सन्त वर्नार्ड, जान आँफ सेलिस्वरो, सन्त टांमस एकवीनास तथा पोप इम्पोसेप्ट तृतीय के नाम इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों में अग्रगण्य हैं । इस सिद्धान्त का पूर्ण विकसित रूप इम्पोसेप्ट तृतीय के लंबों में मिलता है जिसके काल में चर्च की शक्ति चरम सीमा को जा पहुँची थी ।

इन भव के विचारों की अलग-अलग विवेचना करना यहीं सम्भव नहीं । हम उनकी मुख्य युक्तियों का मार यहाँ दे सकते हैं । इस विषय में हमें यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन विवाद में दो अलग-अलग प्रश्न नमिलित थे : (१) चर्च की प्रभुता, तथा (२) धार्मिक तथा लौकिक, दोनों क्षेत्रों में पोप की प्रभुता । पहिली धारा को पुष्ट करने के लिये ही ग्रेगरी सप्तम तथा इम्पोसेप्ट तृतीय सरीखेदा शक्तिशाली पोपों

११२२ में जो समझौता पैस्कल द्वितीय तथा हैनरी पचम में हुआ, जिसका उल्लेख पहिले भी हो चुका है, उससे यह मौलिक समस्या हल नहीं हो पाई कि साम्राज्य तथा पोपशाही में वया सम्बन्ध है। जिन अधिकारों का उल्लेख उस समझौते में नहीं था उन पर प्रत्येक पक्ष अपना दावा जताने लगा। चर्च अधिकारियों ने धार्मिक प्रभुता पर ही सतोप न करके लौकिक शक्ति प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया और ऐसे दावे करने शुरू किये जो निश्चित रूप से राजनीतिक थे और इसलिये सम्राट के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत थे। इसलिये पोपशाही तथा जर्मनी के सम्राट फ्रेड्रिक बार्वरोसा (Ferdinand arbarossa) तथा उसके उत्तराधिकारियों के बीच एक सघर्ष खड़ा हुआ। जर्मन सम्राट पोप की शक्ति के विस्तार को न रोक सके जो कि सारी १२वीं शताब्दी में बढ़ती रही और इन्सोसेन्ट तृतीय के काल में गरम सीमा को पहुंची जिसने कि यूरोप के सबसे शक्तिशाली शासकों को अपनी आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर दिया। निर्वाचन तथा राज्याभियेक के मामलों में वह रोमन साम्राज्य में अपरिमित शक्तियों का प्रयोग करता था, वह लोगों के सम्राट होने के दावे को उत्तरी ही सरलतापूर्वक रद्द कर देता था जैसे कि हैनरी तृतीय ने ग्रेगरी पोप को उपाधि पद से हटा दिया था। उसने कई राजकुमारों को राजा की उपाधि से विभूषित किया। उसने अपने उपदेश में यह घोपणा की कि आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के विषयों में चर्च ने उसे अपरिमित शक्तियों प्रदान की है। वह १२१६ ई० में मर गया। फ्रेड्रिक द्वितीय का वासन उस समय आरम्भ ही हुआ था जो इस बात का दावा करता था कि (१) साम्राज्य के प्रशासन में वह पोप से स्वतंत्र है, (२) ईस्वर ने उसे प्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रदान की है, पोप के माध्यम द्वारा नहीं। धार्मिक विषयों में वह पोप के अधिकार को स्वीकार करता था, किन्तु लौकिक विषयों में उससे इंकार करता था। इन्सोसेन्ट चतुर्थ ने इसका यह उत्तर दिया कि दैविक आदेश द्वारा लौकिक विषयों के ऊपर भी पोप का अधिकार है, जो राजाओं को अपनी शक्ति सौप सकता है, इस प्रकार राजा उसके अधीन है। सारांश यह कि इन्सोसेन्ट चतुर्थ ने 'श्रीपचारिक रूप से यह घोपणा कर दी कि सम्राट के अधिकार का स्रोत पोप है। इस सिद्धान्त को कैनोनिस्ट्स (Canonists) के प्रभाव के अन्तर्गत लागू किया गया जिनके ऊपर रोमन न्यायशास्त्र के अध्ययन के पुनरुत्थान का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था। १२५० ई० में फ्रेड्रिक द्वितीय की मृत्यु हो जाने से चर्च का कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं रह गया। ऐसा प्रतीत होता था की उसको पूर्ण विजय प्राप्त हो गई है। फलतः उसके दावे और भी बढ़ गये। परन्तु फ्रांस के राजा फिलिप दी फेयर (Philip the Fair) के रूप में उसके सामने शोध ही एक नया शत्रु आ खड़ा हुआ। उसके साथ राज्य तथा पोपशाही का सघर्ष एक नवीन स्थिति में प्रवेश करता है और पोपशाही का हास आरम्भ होता है। १४वीं शताब्दी के प्रारम्भ में फिलिप दी फेयर तथा बोनीफेस अप्टम के मध्य सघर्ष का वर्णन करने से पूर्व हम उन तर्कों और युक्तियों पर हट्टियात करेंगे जो कि उभय पक्ष अपने-अपने दावे के समर्थन में पेश करते थे।

राज्य तथा चर्च का सम्बन्ध : (१) राज्य की प्रभुता—राज्य तथा चर्च के बीच के सम्बन्ध में तीन धारणाएँ सम्भव हों सकती हैं ; और वास्तव में तीनों ही को मध्ययुग में विभिन्न समयों पर अपनाया गया । प्रथम कुछ लोग ऐसे थे जिनका विश्वास था कि राजा, चाहे उसकी शक्ति का स्रोत ईश्वर हो, चाहे जनता, अपने राज्य में लौकिक तथा आध्यात्मिक, दोनों विषयों में सर्वोच्च है । इस विचार के अनुसार धर्म राज्य का एक विभाग है और चर्च उसके अधीन है । कांस्टेण्टाइन तथा उसके उत्तराधिकारी, शार्लो-मेन तथा फ्रौटो प्रथम की यही भारणा थी । फ्रैंड्रिक द्वितीय ने भी इसका ग्रीष्मारिक समर्थन किया । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ११वीं शताब्दी तक, जबकि हैनरी चतुर्थ तथा ग्रेगरी सप्तम में भगवा खड़ा हुआ, सभाटों का पोपशाही के ऊपर नियन्त्रण राजनीतिक जगत का एक वास्तविक तथ्य था । परन्तु इस युग में चर्च पर राज्य के नियन्त्रण का विस्तो क्रमबद्ध और सुस्पष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया गया । कहीं १२वीं शताब्दी में जाकर, जबकि बोलोग्ना (Bologna) के विश्वविद्यालय में रोमन कानून का अध्ययन फिर से आरम्भ हुआ, इस सिद्धान्त का युक्तियों द्वारा समर्थन किया गया । दान्ते (१२६५ से १३२१) तथा मार्सिलियो ब्रॉफ़ पेड़ुआ वे दो प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने चर्च की राज्य के प्रति अधीनता का एक युक्तियुक्त सिद्धान्त पेश करने का प्रयत्न किया । परन्तु उनकी रचनाओं का उद्देश्य राज्य की स्तुति करना इतना नहीं जितना कि चर्च की निन्दा करना है । उनके सिद्धान्तों की विवेचना अगले अध्याय में की जायेगी ।

(२) चर्च की प्रभुता—जैसे-जैसे पोप ग्रेगरी के आन्दोलन के समय से चर्च की शक्ति बढ़ी और उसने एक शापितशाली सघटन को विकसित किया तो दूसरे सिद्धान्त का निर्माण किया जाने लगा । इसके अनुसार चर्च राज्य से धर्मपत्र है और राज्य चर्च के अधीन है । मध्ययुग के मध्य भाग में, विशेषकर ११वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से १३वीं शताब्दी के अन्त तक, इस सिद्धान्त का बोलबाला रहा । पोपशाही तथा साम्राज्य के मध्य चलने वाले लम्बे सघर्ष के बीच में पहले चर्च की साम्राज्य के ऊपर तथा फिर पोप की सभाट के ऊपर प्रभुता का एक सुनिश्चित सिद्धान्त विकसित किया गया । लायस के विशेष अगोवांड, रोम्स के आकंविशप हिकमार, पोप निकोलम प्रथम, पोप ग्रेगरी सप्तम, भेलगोल्ड ब्रॉफ़ लूटरवैक, सन्त वर्नार्ड, जॉन ब्रॉफ़ सेलिस्वरो, सन्त टॉमस एक्वीनास तथा पोप इमोसेप्ट तृतीय के नाम इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों में श्रगण्य हैं । इस सिद्धान्त का पूर्ण विकसित रूप इमोसेप्ट तृतीय के लेखों में मिलता है जिसके काल में चर्च की शक्ति चरम सीमा को जा पहुँची थी ।

इन सब के विचारों की अलग-अलग विवेचना करना यहाँ सम्भव नहीं । हम उनकी मुख्य युक्तियों का सार यहाँ दे सकते हैं । इस विषय में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस विवाद में दो अलग-अलग प्रश्न सम्मिलित थे : (१) चर्च की प्रभुता, तथा (२) धार्मिक तथा लौकिक, दोनों क्षेत्रों में पोप की प्रभुता । पहिसी वात को पुष्ट करने के लिये ही ग्रेगरी सप्तम तथा इमोसेप्ट तृतीय सरीखेश शक्तिशाली पांचों

ने दूसरी बात पर बल दिया था। इस विवाद के सम्बन्ध में जितने भी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया, जाहे वे चर्चे की ओर से हो अथवा राज्य की ओर से, उन सब का आरभविन्दु दो तलवारों अथवा शक्तियों का गिरान्त था जिसकी विवेचना पहिले ही की जा चुकी है। पोष गेनेशियस के निम्नलिखित शब्दों में उसका सार यह है : “इस भवार पर दो शक्तियों का शासन है, एक पादरियों का और दूसरा राजकीय। इनमें से पादरीगण की शक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्तिम निरुद्ध के समय उन्हें स्वयं राजाओं के कार्यों के लिए उत्तर देना है।”^० चर्चे के समर्थक इस उद्धरण के अतिम वाक्य को आधार मानते थे। हिक्मार जव-जव भी इस विषय को देखता था तभी इसका उल्लेख करता था और ग्रेगरी मष्टम ने भी हैनरी चतुर्थ के साथ अपने विवाद के समय इसका प्रयोग किया। इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि धर्म अधिकारियों का अधिकार स्वभाव से ही लौकिक शक्ति की अपेक्षा अधिक आदरणीय और महत्वपूर्ण है। मन्त्र एन्ड्रेओ ने एक बार कहा था कि विशपगण के वैभव के सामने राजाओं का वैभव ऐमा है जैसा कि सोने की आभा के सामने रागे की चमक। इसी प्रकार, पोष मिल्केस्टर ने कहा था कि राजाओं को यह यद रखना चाहिये कि उनके मुकुट विशपगण के दण्ड (Mitre) के सामने उतने ही हैं जितना कि रागा सोने के सामने। आत्मा तथा शरीर और सूर्य तथा चन्द्रमा के हृष्टान्त देकर भी इस उक्ति का समर्थन किया जाता था। जिस प्रकार की आत्मा शरीर से श्रेष्ठतर है और जिस प्रकार सूर्य चन्द्रमा की अपेक्षा कातिमान है इसी प्रकार विशपगण का अधिकार राजाओं की शक्ति से अधिक वैभवपूर्ण और गरीयसी है। पोष इमोसेष्ट तृतीय ने इस विचार को कही अधिक ज़ोरदार शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया था—‘जैसे मृष्टि के रचयिता—परमात्मा ने आकाश में दो प्रकाश-स्तम्भ खड़े किये, बड़ा दिन में शासन करने के लिये और छोटा रात में, वैसे ही उसने भू-सोक में भी दो अधिकारी नियुक्त किये, बड़ा दिन पर, अर्थात् आत्मा पर, शासन करने के लिए और छोटा रात पर, अर्थात् शरीर पर। वे दो अधिकारी हैं—पोष की शक्ति तथा राजकीय शक्ति। और जिस प्रकार चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और मुण्ण, आकार, स्थिति तथा प्रभाव में उससे हीन होता है, उसी प्रकार राजकीय शक्ति भी अपनी वैभव-प्रात्मा पोष की शक्ति से प्राप्त करती है।’[†]

* “There are two systems under which this world is governed, the sacred authority of the priests and the royal power. Of these the greater weight is with the priests in so far as they will answer to the Lord even for kings in the last judgment.”

† “As God, the creator of the universe, set two great lights in the firmament of heaven, the greater to rule the day, and the lesser to rule the night; so He set two great dignitaries in the firmament of the universal Church—the greater to rule the day—that is, souls—and the lesser to rule the night—

चर्च के अधिकारियों की थेष्टता और महत्ता को सिद्ध करने के लिये यह तर्क भी पेश किया गया कि कोई राजा या सम्राट् दीतान को नप्ट नहीं कर सकता था और पापी की आत्मा को मुक्ति नहीं दिता सकता था ; इतना ही नहीं, राजाओं और सम्राटों को तो स्वयं धर्म-दीक्षा और मुक्ति प्राप्त करने के लिये नम्रतापूर्वक पादरियों की सेवा में उपस्थित होना चाहिये । सारांश यह कि क्योंकि आत्मा शरीर की अपेक्षा कहीं अधिक थेष्ट है इसलिए आत्मा का कल्याण करने वाला भी शरीर के कल्याण करने वाले से थेष्टतर है ।

जिस चीज ने पादरियों को राज्य के ऊपर शक्ति प्रदान की वह था नैतिक प्रश्नों का चर्च के अधिकार-क्षेत्र में होना जिसे सभी स्वीकार करते थे । समस्त ईसाई जगत में यह एक सर्वव्यापक विश्वास था कि ईश्वर ने पादरियों को शासकों के उद्देश्यों तथा चरित्र का निरीक्षण एवं संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया है । शासक-गण सांसारिक व्यक्ति थे और समस्त मांसारिक व्यक्तियों में भी उनमें पापमय हो जाने की सब से अधिक सम्भावना थी । इसलिए पादरियों द्वारा परिशोधन की उन्हें सब से अधिक आवश्यकता थी । चतुर्थ शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही मिलान के विशेष सन्त एम्ब्रोज़ ने सम्राट् वैलेन्टीनियन को यह लिखा था कि धर्म के विषय में 'विशेष-गण' को सम्राटों को आलोचना करने का अधिकार है, सम्राटों को विशेषों की-आलोचना का अधिकार नहीं है ।' एक दूसरे अवसर पर उसने प्रार्थना का संचालन करने से इन्कार कर दिया जब तक कि सम्राट् घोड़िसियस जिसने कि एक पाप किया था वहाँ से न हट गया । एक नैतिक प्रश्न होने के कारण ही पोप निकोलस प्रथम राजा लोथेयर को अपनी परित्यक्ता धर्मपत्ती को फिर से ग्रहण करने तथा अपनी एक प्रेयसी को त्यागने के लिए विश्व कर सका था । यदि राजा किसी धोर पाप का अपराधी होता था तो उसे धर्म-वहिष्कृत किया जा सकता था । ये गरी सप्तम ने धर्म वहिष्करण की उपसिद्धि के रूप में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था : कि धर्म-वहिष्कृत राजा प्रजा की भक्ति का पात्र नहीं हो सकता था । इसलिये धर्म-वहिष्करण पोप के हाथ में एक सबमें अधिक भयावह शस्त्र या क्योंकि धर्म-वहिष्करण का झर्थ पदच्युति था । धर्म-वहिष्कृति के परिणामस्वरूप सिहायन खो बैठने के भय के कारण ही तो हैनरी चतुर्थ का पोप के सामने झुकना तथा कैनोसा का अपमान सहन करना पड़ा । यह स्पष्ट रूप में दो तलवारों के सिद्धान्त का उत्तराधन था । यदि राज्याधिकार का औचित्य अन्तिम रूप से पोप के निरुद्योग के ऊपर निर्भर करता था तो फिर राज्य चर्च के समान कहाँ रहा ; वह तो निश्चित रूप से उसके अधीन हो गया ।

उपरोक्त तर्क का निष्कर्ष केवल यह है कि धर्माधिकारी की शक्ति लौकिक शासक की शक्ति से कहीं अधिक थेष्ट और अधिक दैविक है । इसका अर्थ

that is, bodies. These dignitaries are the papal authority and the royal power. And just as the moon gets her light from the sun, and is inferior to the sun in quality, quantity, position and effect, so the royal power gets the splendour of its dignity from the royal authority."

यह नहीं है कि राजकीय शक्ति का स्रोत पोप है, अर्थात् लौकिक विषयों में पोप राजा या सम्राट् से ऊपर है, या उसे कोई लौकिक अधिकार प्राप्त है। यह पोप की राजा अधिकार सम्राट् के कार्यों को नियन्त्रित और परिशोधित करने का अधिकार केवल उसी हृदय तक देता है जहाँ तक उसमें कोई नैतिक प्रदेश सम्मिलित हो ; लौकिक विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार यह उसे नहीं देता। परन्तु १२वीं, १३वीं और १४वीं शताब्दी में पोपगाही के हिमायती यहाँ तक कहने लगे कि लौकिक शासक ईश्वर से अपनी शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि चर्च के माध्यम द्वारा प्राप्त करते हैं, इसलिये लौकिक विषयों में भी वे पोप के अधीन हैं। पोप इन्नोसेण्ट तृतीय के उद्धरण के, जिसका उल्लेख हमने पिछले पृष्ठों में किया है, अन्तिम वाक्य का तर्क यही है। उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि चन्द्रमा की ज्योति उसकी अपनी नहीं होती बल्कि मूर्य से प्राप्त की हुई होती है, इसी प्रकार राजकीय शक्ति भी राजपद में ही निहित नहीं होती बल्कि वह राजा को पोप द्वारा दी जाती है। लौकिक शासकों के ऊपर पोप की प्रभुता के तर्क में इस नवीन तत्त्व का समावेश १२वीं शताब्दी में ओनोरियस (Honorius) ने किया। उसका तर्क यह कि धर्म का अधिकार राजकीय अधिकार से प्राचीन है। प्राचीन काल में कोई राजा नहीं था ; समस्त शक्ति का प्रयोग पादरीगण ही करते थे। ओल्ड टेस्टामेण्ट (The Old Testament) के युग के इतिहास में प्रगट है कि मूसा से लेकर संमुअल के जामाने तक इजाराइल की सन्तान पर पादरियों का शासन था। उनका पहिला राजा साल था जिसे पादरी संमुअल ने राज्याधिकार सौंपा था। यह इस बात का प्रमाण समझा जाता था कि राजकीय पद का जन्म पादरियों द्वारा हुआ। दूसरी युक्ति यह दी गई कि ईसा ने, जिसके पास धर्म तथा राज्य दोनों की शक्तियाँ थीं, कुजियाँ पादरी पीटर को सौंपी, किसी राजा को नहीं। पीटर ने आध्यात्मिक तथा लौकिक शक्तियों की प्रतीक ये कुजियाँ अपने उत्तराधिकारियों को सौप दी जो कि पोप होने के नाते धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि थे। पोपों ने आध्यात्मिक शक्ति को अपने पास रख लिया और लौकिक शक्ति को सासारिक अधिकारियों को हस्तातिरित कर दिया। इस तर्क से परिणाम यह निकाला गया कि सम्राट् अपनी शक्ति का प्रयोग पोप का एक अभिकर्ता होने के नाते और उसकी ओर से करता और इसलिए वह पोप के प्रति उत्तरदायी था। जब तक पादरी राजा को दीक्षित न करे तब तक राज्यशक्ति धर्मसंगत नहीं हो सकती थी। इसकी भी यही व्याख्या की गई कि राजकीय शक्ति नियंत्रितात्मक है। लौकिक विषयों में पोप के प्रत्यक्ष अधिकार के दावे की सब से अधिक स्पष्ट और सब में अधिक निश्चित अभिव्यक्ति जाँच आँफ सैलिस्वरी ने की है। उसके विचारों का उल्लेख आगे चल कर किया जायेगा। डनिग का कहना है कि मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धान्त के ऊपर इजाराइली राज्य की धारणा का बहुत प्रभाव पड़ा था जिसके अनुसार राज्य तथा उसके स्थानों का स्वरूप धर्मतन्त्री है। “सरकार का प्रशासन उन कानूनों के अधीन तथा उन अगों के द्वारा चलता है जिनका

जन्म प्रभु-इच्छा की प्रत्यक्ष अभिव्यंजना का फल है। पादरी, न्यायाधीश तथा देवदूत ईश्वर के प्रत्यक्ष आदेशों के अधीन राज्य में गम्भीरतम कार्य करते हैं। और इच्छाराइल में जब राजकीय शासन स्थापित होता है तो राजाओं को प्राचीन धर्मतन्त्री परम्पराओं से जड़ा हुआ दिखाया जाता है और ऐसा जाहिर होता है कि उनकी शक्ति का मूल तथा प्रयोग दोनों ही पादरियों तथा पैगम्बरों द्वारा निर्धारित होता है जिनके द्वारा ईश्वर की इच्छा अभिव्यक्त होती है।^{१०} पोपशाही के हिमायतियों ने साम्राज्यवादियों के साथ अपने विवाद में ओल्ड टेस्टामेण्ट से बहुत लाभ उठाया।

पोपशाही का समर्थन करने के लिए कुछ लेखकों ने 'कॉन्स्टेन्टाइन के दान' (Donation of Constantine) की घटना का प्रयोग किया। कहा जाता है कि जब कॉन्स्टेन्टाइन महान् अपनी राजधानी रोम से कुस्तुनतुनिया में ले गया तो उसने साम्राज्य के पश्चिमी भागों का राज्याधिकार पोप सिल्वेस्टर को प्रदान कर दिया। पोप ने चर्च की रक्षा के लिये राजमुकुट तथा सौकिक शक्ति को तो स्वयं कॉन्स्टेन्टाइन को ही सौप दिया और धार्मिक विषयों का अधिकार स्वयं अपने ही हाथों में रख निया। इसका अर्थ यह लगाया गया कि उस समय से पश्चिम के समस्त सभ्राट अपनी शक्ति पोप से प्राप्त करते हैं। और उसके अभिकर्ताओं तथा उसकी ओर से काम करते हैं। चतुर लेखकों ने इस युक्ति का अधिक प्रयोग बही किया जबकि इसमें यह बात निहित थी कि पोप की शक्तियों का स्रोत सभ्राट था, न कि ईश्वर।

ईसाई युग की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया जिनमें यह बात निहित थी कि सभ्राट की शक्ति का स्रोत पोप है। यह कहा गया है कि भेरोविनियन्स के अन्तिम राजा विलपरिक को अपनी अक्षमता के कारण पोप जक्करिया ने पदच्युत किया और पोप लियो तृतीय ने शार्लीमेन को मुकुट प्रदान किया। पोप द्वारा इस राज्याभिपेक का अर्थ यह लगाया गया कि पोप ने राजा को राज्यशक्ति प्रदान की और जो व्यक्ति शक्ति प्रदान करता है वह उसे वापिस भी ले सकता है।

अन्तिम उल्लेखनीय बात यह है कि पोपशाही के समर्थकों ने बाइबिल के कतिपय कथनों की इस ढंग से व्याख्या की कि उनसे उनकी धारणा को सम्बल मिलता था। ईसा ने पीटर को यह आदेश दिया : 'मेरी भेड़ों को चराओ' (Feed my sheep) इसका अर्थ यह लगाया गया कि पोप को मनुष्य के ऊपर अभिवेक्षण का वंसा ही अधिकार है जैसा कि एक चरवाहे को अपनी भेड़ बकरियों के ऊपर होता है; इस

^{१०} "Government is administered under laws and through organs whose existence is derived from the direct manifestation of God's will. The Levitical priesthood, the judges and the prophets perform the gravest functions in the state under immediate divine mandates. And when royalty is established in Israel, the kings are represented as hedged about by the ancient theocratic traditions, and as commonly determined, in both the origin and exercise of their power, by priests and prophets, through whom the will of God is manifest."

अधिकार से राजागण भी अभिमुक्त नहीं थे। इसा के भेड़ समूह के चरखाहे अर्थात् मनुष्य समाज के सरक्षक के नाते पोप का यह कर्तव्य था कि वह एक भी भेड़ अर्थात् एक भी मनुष्य को कोई आवात न पहुँचने दे। अपने इस कर्तव्य का पालन करने के लिए वह जो आवश्यक समझे भी कर सकता था, उदाहरण के लिए वह एक पापी तथा अत्याचारी राजा को हटा कर उसके स्थान में दूसरे के निर्वाचन को स्वीकार कर सकता था।

चर्चे तथा उसके अधिकारियों की ओर से इतने बड़े-बड़े दावे और उनके समर्थन में पेश की हुई युक्तिया आज हमें हास्यास्पद प्रतीत होती हैं। हमारी समझ में यह आना बड़ा कठिन है कि हैनरी चतुर्थ जैसे सम्राट् को पोप ग्रेगरी ने किस प्रकार अपने द्वार पर तीन दिन तक कड़के के बरफ में पड़ा रहने और नाक रगड़ने के लिए विवश कर दिया और न ही सरलतापूर्वक इस बात को समझ सकते हैं कि शक्तिशाली सम्राटों तथा पोपशाही के सधर्य में किस प्रकार पोप को शक्ति बढ़ी और अन्त में उनकी विजय हुई। इस आश्चर्यजनक घटना का कारण यह है कि पहले पोपवादियों के हाथ में होने के कारण उन्हें प्रारम्भिक सफलता प्राप्त हो सकी। उनके विरोधी इस बात से तो इन्कार नहीं कर सकते थे कि आध्यात्मिक शक्ति लौकिक शक्ति से अधिकतर है; इसलिये उन्हे सदैव अपना बचाव ही करना पड़ता था, पोपवादियों के ऊपर प्रत्यक्ष आक्रमण वे नहीं कर सकते थे; वे धर्म-वहिकार जैसे दमनकारी कदम भी नहीं उठा सकते थे जो कि पोप के हाथ में बहुत बड़ा हथियार थे। जब तक कि १५वीं शताब्दी में मार्सिलियों की भाति राज्य के समर्थकों ने पादरियों की प्रत्येक दमनकारी याकित को नहीं ठुकराया तब तक उन्हे पोपशाही के विशद अपना सदैव बचाव ही करना पड़ा और जो व्यक्ति सदा बचाव में ही रहता है वह कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने दो तलबारों के सिद्धान्त की जड़ पर आधात नहीं किया; इसलिए पोपशाही के सामने झुकने के अतिरिक्त उनके सामने और कोई मार्ग ही न था। पोपशाही की विजय के कारणों को प्रोफेसर डनिग ने निम्नलिखित बद्दों में सबसे सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है—“कानूनी विवादों के बहुत से विषयों में परम्परा तथा जनता की भावना के समर्थन के कारण चर्चे को अधिकार प्राप्त था; प्रत्येक आध्यात्मिक विषय के ऊपर उसका नियन्त्रण था; पाप से सम्बन्धित प्रत्येक विषय उसके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत था; और अपने निर्णयों को मनवाने के लिये उसे राजाओं को पदच्युत करने तक का अधिकार था। ऐसी विस्तृत शक्तियों के होते हुये मध्य-कालीन चर्चे निश्चित रूप से ही एक शक्तिशाली राजनीतिक स्था थी; यदि सेद्धान्तिक रूप से ऐसा न था तो एक वास्तविक तथ्य तो यह अवश्य था।”*

* “With a wide basis in custom and public sentiment for the exercise of jurisdiction over many cases of legal controversies; with an extensive control of such as could be shown to be spiritual in character; with the facility for extending this control that inhered in the doctrine that it embraced

(३) राज्य की स्वाधीनता— राज्य तथा चर्च के परस्पर सम्बन्धों के दो उपरोक्त उप्रवादी भ्रयवा अतिवादी सिद्धान्तों के अतिरिक्त एक तीसरा सिद्धान्त भी है जिसे हम भ्रयवर्ती मिद्धान्त कह सकते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार पोप तथा सम्माट एक दूसरे के समकक्ष हैं; उनकी शक्तियाँ समान हैं और उनमें से प्रत्येक का अलग कार्य-क्षेत्र है और उनके अलग-अलग कर्तव्य हैं। चर्च को आध्यात्मिक विषयों तक और राज्य को लोकिक विषयों तक सीमित रहना चाहिये और एक दूसरे के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ‘दो तलवारों के सिद्धान्त’ के नाम से आदिकालीन पोपों ने किया था जिन्हे कि अप्रसारी प्रवृत्ति वाले सम्माटों के विरुद्ध चर्च की स्वतन्त्रता के लिये मध्यम करना पड़ा था। ११वीं शताब्दी में पद-विभूषण (Investiture) के ऊपर विवाद खड़ा हो जाने के उपरान्त इस सिद्धान्त का विकास हैनरी चतुर्थ, और फ्रेड्रिक द्वितीय तथा अन्य सम्माटों के समर्थकों ने किया था। उन्हें हम साम्राज्यवादी कह सकते हैं। जैसे कि हम पहिले ही कह चुके हैं उनका रवैया केवल बचाव करने का था। परिस्थितियों से विवश होकर उन्हें गेलिशियस के दो तलवारों के सिद्धान्त में अपनी युक्तियों का आधार बनाना पड़ा था। उनमें भी अधिकतर सिद्धान्त की अपेक्षा इतिहास का आधार अधिक लेते थे। पोप की शक्ति के आधार के विरुद्ध उन्हें कोई आपत्ति न थी; वे तो केवल पाप के उन दावों का विरोध करते थे जो उनके मतानुसार अनुचित थे और इतिहास में जिनका कोई जोड़ न था। फलतः उनकी युक्तियों में वह जोर न था जोकि पोपवादियों में आमतौर से पाया जाता था। उनकी युक्तियाँ निम्नलिखित हैं।

उनकी स्थिति की आधारशिला यह है कि राज्य को शक्ति ईश्वर की ओर से प्रत्यक्ष रूप से मिली है, चर्च के माध्यम द्वारा नहीं। इसलिये राज्य भी ऐसी ही देव-स्थापित सत्या है जैसे कि चर्च। अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये सम्माट ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, पोप के प्रति नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त और कोई उनके कार्यों का निर्णय और उसे दण्डित नहीं कर सकता। हैनरी चतुर्थ ने ये गरी सप्तम को लिखे गये अपने पत्र में जो स्थिति अपनाई थी उसका यही सार था। आगे चलकर ११५२ ई० में सम्माट फ्रेड्रिक प्रथम ने पोप यूजीनियस को इसी आशय के निम्नलिखित गद्द लिखे, “ईश्वर ने दो शक्तियाँ पोपशाही तथा साम्राज्य स्थापित की हैं जिनके द्वारा इस संसार का शासन ब्रूलना चाहिये।” एक दूसरे प्रसंग में उसने यह घोषणा की : “इस राज्य तथा साम्राज्य के ऊपर हमारा अधिकार केवल ईश्वर द्वारा दिया हुआ है जिसने अपने पुत्र की दया भावना के कारण इन मंसार को दो शक्तियों के शासन में रखा। इसके अतिरिक्त इसके गिर्या ने कहा है कि ‘ईश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो।’ इसलिए जो यह दावा करता है कि हमारा मुकुट हमें पोप से मिली

whatever actions were in any way tainted with sin; and with the power to enforce its interpretation of its authority by the deposition of secular rulers from power—the medieval church was in fact, if not in theory, a most political potent institution.”

—Duuning, op. cit., page 176.

हुई एक जामीर के रूप में है वह दैविक सत्य का विरोध करता है, पीटर की शिखाओं का विरोध करता है और वह भूता है।”^० इन धारणा का समर्थन सन्त पाल के इन कथन से भी होता था कि “जो भी शक्ति है, ईश्वर की है। जो कोई भी शक्ति का विरोध करता है वह ईश्वर के आदेश का विरोध करता है।” पीटर ने ईश्वर के लिये मनुष्य के प्रत्येक आदेश का पालन करने, और राजा तथा उसके कर्मचारियों का आजापालन करने का भी आदेश दिया था। पोपशाही के समर्थक इसका उत्तर यह देते थे कि पीटर का उक्त आदेश जनसाधारण के लिये है, पादरियों के लिये नहीं। एक न्यायी राजा जिस सम्मान और भक्ति का पात्र हो सकता है, एक अन्यायी राजा कदापि नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त वे धर्म-ग्रन्थों में भी कई उद्धरण ऐसे दे सकते थे जो स्पष्ट रूप से राजविरोधी थे। इस युक्ति ने विकसित हांकर राजाओं के दैविक अधिकार के सिद्धान्त का रूप धारणा किया।

सभ्राट के लौकिक विषयों के ऊपर पोप के नियन्त्रण के दावे के विरुद्ध साम्राज्यवादियों की युक्ति यह थी कि यह दावा ईश्वरीय व्यवस्था के विरुद्ध है क्योंकि इसका अर्थ है आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों का एक ही हाथ में केन्द्रित हो जाना। हैनरी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि पोप ग्रेगरी इन दोनों शक्तियों को अपने हाथ में लेना चाहता था। आशा यह की जाती थी कि पोप के इस आक्रमण का अधिक नम्र पादरियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

सभ्राट के पक्ष में उपरोक्त युक्ति का स्वरूप धार्मिक था ; इसमें तात्कालिक विकास की गुंजायश इतनी नहीं थी कि जितनी कि एक दूमरी युक्ति में जिसे न्याय-विदों ने पेश किया जोकि इस विवाद में उल्लेखनीय भाग लेने लगे थे। जैसा कि सैशाइन का कथन है, अन्ततोगत्वा न्यायविद ही राज्य के सबसे अधिक प्रभावक समर्थक सिद्ध हुए। परन्तु यह विकास १८वीं शताब्दी में राजा फिलिप द्वी फेवर और पोप बोनीफेस ग्रस्टम के संघर्ष के बीच में हुआ। १८वीं शताब्दी में तो इसका पीटर क्रैसस ने केवल धीरणेश किया था जो कि रेवेना में रोमन कानून पढ़ता था। राज्य के पक्ष में उसने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जो अन्यत्र नहीं पाई जाती थी। उसने कहा कि हैनरी को अपना मिहान उत्तराधिकार के सिद्धान्त द्वारा मिला है ; उसने उसे न तो पोप से प्राप्त किया है और न जनता से। इसलिये उसे पदच्युत करना एक व्यक्ति की निजी सम्पत्ति का अपहरण करना है जिसकी कानून कभी स्वीकृति नहीं देता। इस युक्ति का आत्मिक महत्व इतना नहीं है जितना कि इस बात के कारण कि यह ‘राज्यशक्ति के समर्थन के लिए कानूनी धारणाओं को प्रयोग करने की त्रिवेन प्रवृत्ति की ओर इगित करता है।’

* “We hold that kingdom and empire through the election of the princes from God alone, who by the Passion of his son placed this world under the rule of two swords. Moreover, the Apostle says : ‘Fear God and Honour the King’. Therefore, whosoever asserts that we hold the imperial crown as a benefice from the Pope, resisteth the divine institution contradicts the teachings of Peter, and is a heretic.”

के सस की युक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वह युक्ति जोकि यॉकें ट्रैवट्स (York Traets) में अपनाई गई है, जो 'इंगलैंड के राजा हैनरी प्रथम के समर्थन में आकंविशाप एन्स्लीम के विरुद्ध' लिखे गये थे। उनका लेखक पोपवादियों की दो सब से अधिक महत्वपूर्ण धारणाओ, अर्थात् राजा की अपेक्षा पादरी का अधिक थ्रेठ होना और अन्य विशपगण की अपेक्षा पोप का थ्रेठ होना—का खंडन करता है। पहिली धारणा के विषय में उनका विवार है कि राजा की शवित पादरी की शक्ति से उच्चतर है क्योंकि राजपद का स्वरूप दंविक है। यह बात कि विशप राजा को पद-प्रतिष्ठित करता है किसी भी हृष्टिकोण से इस बात का प्रमाण नहीं कि वह राजा से थ्रेठ है। अन्यथा वे समस्त कार्डिनल जोकि पोप को पदप्रतिष्ठित करते हैं पोप से थ्रेठ होते। पदप्रतिष्ठान में कोई थ्रेठता निहित नहीं है; यह तो केवल एक सरकार का सम्पन्न करना है। अन्य विशपगण के ऊपर पोप की प्रभुता से उसका इन्कार और भी अधिक चकित करने वाला है। वह कहता है कि समरत प्रभुता विशप समान है; उन सब को ईश्वर की ओर से एक ही प्रकार की शवित प्राप्त है; इसलिए पोप की उनके ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। ऐसी जिन शवितयों का दावा करता था वह तो केवल शक्ति का अपहरण था। यॉकें ट्रैवट्स का लेखक किस आधार पर इम परिणाम पर पहुँचा उसका विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता, हाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसकी युक्तियों को यदि अपने तार्किक अन्त तक ले जाया जाये तो हम प्रोटेस्टेण्ट-वाद के केन्द्रीय विन्दु पर जा पहुँचेंगे। यह मनुष्य का निर्णय उसके पद से यह नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से करना चाहता है।

के सस की इस युक्ति के कि क्योंकि वशानुगत उत्तराधिकार अट्ट है इसलिए पोप को किसी सभाट को पदच्युत करने का कोई अधिकार नहीं है, पोपवादियों ने दो उत्तर दिये। (१) यह कि राजा का अधिकार पद के कारण है, वह उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है; (२) यह कि प्रजाजन का राजाज्ञापालन का कर्तव्य नहीं है बल्कि वह इस गति के ऊपर निर्भर करता है कि राजा अपने कर्तव्यों का ममुचित रूप से पालन करे। एक अन्यायी और अत्याचारी राजा को पोप पदच्युत कर सकता है। इस उत्तर का अर्थ यह है कि एक सच्चे राजा तथा आततायी में भेद है और जनता को एक आततायी की न केवल अवज्ञा करने का बल्कि उसे पदच्युत करने का भी अधिकार है। जॉन फ्रांस सेलिस्वरी तो यहाँ तक कहता है कि आततायी की हत्या कर देना भी उचित है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए इम उत्तर का महत्व यह भी है कि इसमें राजनीतिक कर्तव्य का सविदात्मक स्वरूप निहित है। यदि शासक अन्यायी है और उसी व्यवस्था को नष्ट करता है जिसे मुरक्कित रखना उसका कर्तव्य है तो जनता को उसकी अवहेलना करने का अधिकार है; ऐसे शासक की आज्ञा पारन करने का उनका कोई कर्तव्य नहीं। इम सम्बन्ध में मेनगोल्ड के गब्ब उद्धरणीय है। वह लिखता है: "यदि राजा उम समझौते को भग करता है, जिसके अनुमार वह चुना गया था; यदि वह उन्हीं चीजों को अस्त-व्यस्त करता है,"

जिन्हें व्यवस्थित करना उसका कर्तव्य था, तो बुद्धि की मांग यह है कि जनता उसके प्रति आज्ञा-पालन के कर्तव्य से मुक्त हो जाती है, विशेषकर जबकि उसने ही सब से पहिले उस विश्वास को भग किया है जोकि दोनों को एक साथ जोड़ता था ।”* ऐसी परिस्थिति में पोप द्वारा शासक का पदच्युत करना एक गंभीर-कानूनी सविदा को रद करना है और एक पूर्वस्थापित तथ्य को केवल कानूनी रूप देना है । राजा को पदच्युत करने के पोप के अधिकार का यह समर्थन एक दुघारी तलवार है; यह दोनों ओर काटती है । जहाँ एक और यह कुछ परिस्थिति विजेष में पोप को राजा के पदच्युत करने का अधिकार देता है, वहाँ दूसरी ओर इससे साम्राज्य के चर्च से स्वतन्त्र होने में भी सहायता मिलती है । यदि सम्राट के शासन करने के अधिकार का आधार उसका जनता के साथ समझौता है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वह अपनी शक्ति चर्च से प्राप्त करता है?

इन युक्तियों प्रत्युक्तियों से स्पष्ट है कि ११वीं और १२ शताब्दी में काफी राजनीतिक चितन हुआ । पोपशाही तथा साम्राज्य के बीच विवाद ने एक नये प्रकार के राजनीतिक साहित्य की रचना को अनुप्रेरित किया और लोगों को न केवल आधारितिक शक्ति वल्कि राजकीय शक्ति के आधारों का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया । इसलिए यह विवाद राजनीतिक विचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसने नवीन प्रवृत्तियों तथा विभिन्न विचारों का अनावरण किया जिनका अधिक पूर्णरूप से विकास १४वीं शताब्दी में फ्रास के राजा फिलिप दी फे द्यर तथा पोप बोनीफेस अष्टम के सधर्य और कुछ आगे चलकर लोविज दी वेवेरियन तथा पोप जॉन २२वें के विवाद के बीच जाकर हुआ । इस विवाद में भाग लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण विचारकों का अध्ययन करने से पहिले १४वीं शताब्दी में इसके विकास का इतिहास देना अच्छा होगा ।

१४वीं शताब्दी के विवाद—जब १४वीं शताब्दी में चर्च तथा राज्य में फिर से विवाद छिड़ा तो स्थिति बहुत बदल चुकी थी । धर्म-युद्धों तथा बारिगिय की बृद्धि के द्वारा उत्तम हुई परिस्थितियों में एक नवीन राजनीतिक तथा बौद्धिक संसार का निर्माण हो रहा था । विभिन्न राज्यों की अधिकाश जनता में आत्म-निर्भरता तथा देश-भक्ति की एक नवीन और सच्ची भावना लहरें मार रही थी और ये राज्य अपनी शक्ति को संघटित तथा एक सच्चे राष्ट्रीय जीवन का विकास कर रहे थे । इस नवीन संसार में पोपशाही के प्रति दृष्टिकोण में एक भारी परिवर्तन हुआ; शासकगण न भ्रतापूर्वक सावंभोमिक राजनीतिक अभिवेक्षण को मानने को तैयार न थे जिसका

* “If then he (the king) violates the agreement according to which he was chosen, disturbing and confounding the very things which he was meant to put in order, reason dictates that he absolves the people from their obedience, especially when he has himself first broken the faith which bound him and the people together.”

ये गरी सप्तम दावा करता था और इन्होंसेप्ट तृतीय सचमुच व्यवहार करता था जब कि चर्च अपनी शक्ति को चरम सीमा को पहुंचा हुआ था ; और इन्होंसेन्ट चतुर्थ जिसकी ओर भी अधिक उप्रभाषा में माग करता था । उसमें खुल्लमखुल्ला इस बात की घोषणा कर दी थी कि दैविक आदेश द्वारा पोप को समस्त लौकिक विषयों के ऊपर अधिकार प्राप्त है । हा, वह लौकिक शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, इसलिये उसे वह अपने अवीनस्य के रूप में राजाओं को दे देता है राजाओं को इस से दी हुई शक्तियों का प्रयोग पोप की इच्छा के अनुसार, और यदि आवश्यक हो तो, उसके निर्देशन में करना चाहिये । परन्तु जिस धरण पोप की शक्ति की विजय हुई, उसका हास भी आरम्भ हो गया जोकि स्पष्ट रूप में पोप बोनीफेस अष्टम तथा फिलिप दी फेयर के बीच सधर्प में प्रगट हुआ ।

फिलिप दी फेयर, जोकि एक पराक्रमी हृषि निश्चयी और नीतिविहीन शासक था, अपने राज्य के स्वतन्त्र जामींरदारों की भूमि छीनने में सलमन था । युद्ध-व्यय को पूरा करने के लिए उसे धन की नितान्त आवश्यकता थी, और इसलिये वह अपने राज्य के अन्दर रहने वाले पादरियों से कर पहिले की अपेक्षा अधिक नियमित रूप से मांगता था । अपने धार्मिक कार्य के कारण पादरी लोग अपने सामन्ती सदस्यों की सेविक सेवा करने से मुक्त थे, और इसलिये वे कर से मुक्त होने का भी आग्रह करते थे । पोप बोनीफेस ने एक आदेश जारी किया जो कि राज्य को पादरियों से कर लेने का निषेध करता था जब तक कि वह उसकी स्वीकृति न दे । अनधिकृत करों के संग्रह के विरुद्ध लड़ने का भी उसने पादरियों को आदेश दिया । यद्योकि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग पादरियों के आधिपत्य में था, इसलिये पोप के इस आदेश ने फिलिप के (और अन्य राजाओं के) लिए एक गम्भीर ममस्या उत्पन्न कर दी और पोपशाही से उसका सधर्प छिड़ गया ।

फिलिप ने पोप के आदेश का उत्तर इस प्रकार दिया कि उसने देश के तीन मुख्य वर्गों—सामन्तगण, पादरीगण, और जन-साधारण—के प्रतिनिधियों को समवेत किया और पोप की मांगों को उनके सम्मुख रख दिया । इनमें से प्रत्येक ने राजा का समर्थन किया और राज्य के ऊपर पोप की प्रभुता से इन्कार किया । महत्वपूर्ण बात यह थी कि पादरीगण ने भी पोप के विरुद्ध राजा की हिमायत की, भले ही उनमें से कुछ व्यक्तियों ने सच्चे हृदय से ऐसा न किया हो । इस प्रकार पोप के ऊपर विजय प्राप्त कर राजा फिलिप ने चर्च की साधारण परिपद से धर्मत्याग तथा अनेतिकता के अपराध में बोनीफेस को पदच्युत करने की भी माग की । इस मांग को स्वीकार तो नहीं किया गया ; किन्तु उसने एक ऐसे विचार का सुझाव आवश्य रखा जो आगे चल कर कान्सीलियर (Conciliar) आन्दोलन के रूप में विकसित हुआ ।

उसके ऊपर किये गये एक आधात के फलस्वरूप बोनीफेस का १३०३ ई० में देहावसान हो गया । उसकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात् फिलिप ने प्रयत्न करके एक फार्मीसी पादरी को पोप निर्वाचित करा लिया ताकि पोपशाही पर उसका प्रभाव रहे

और चर्च के साथ सघर्ष की पुनरावृत्ति न हो। १३०६ ई० में फ्रासीसी पोप ने आपना निवास स्थान रोम में हटाकर एविग्नोन (Avignon) को बना लिया और वेबीलोनिश कैप्टीविटी (Babylonish Captivity) का युग आरम्भ हुआ। लगभग ७० वर्ष लम्बे इस युग में पोप पद की प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर गई। इस पर फ्रास के राजाओं का प्रभाव जम गया और इसी कारण यह जर्मनी तथा इटली के राजाओं की शक्ति और आज्ञाकारिता का पात्र नहीं रह गया जो कि इसके ऊपर फ्रासीसी नियन्त्रण से बहुत विशुद्ध थे और एविग्नोन के चर्च के अधीन होना जिन्हे विलुप्त भी पसन्द न था।

जिस प्रकार कि बोनीफेस की मार्गों को सफलतापूर्वक दुकराने में फ्रास में उठती राष्ट्रवादी भावना ने फिलिप की सहायता की थी, ठीक उसी प्रकार २५ वर्ष बाद राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना के कारण ही एक निर्वल तथा विभक्त जर्मनी राज-सिहासन के लिए उत्तराधिकार को निर्धारित करने के पोप जॉन २२वें तथा पोप बेनीडिक्ट १२वे के दावों को दुकराने में समर्थ हुआ।

एविग्नोन में वेबीलोनिश कैप्टीविटी के अन्य परिणाम भी निकले। पोप की धार्मिक प्रभुता को भी चुनीती दी गई; चर्च का सारा सप्टेन-डाचा ही खतरे में पड़ा हुआ दिखाई देने लगा। एविग्नोन में पोपनाही अपब्यप्तूर्ण विलासिता और कुन्त्रा-परवरी की दलदल में फंस गई। इस शोचनीय स्थिति को देखकर पोप ग्रेगरी ११वाँ १३७७ ई० में एविग्नोन छोड़कर फिर रोम में चला गया। तदुपरान्त फ्रास तथा इटली के पादरियों में एक दराड उत्पन्न हो गई, फ्रासीसियों ने एक नये पोप का चुनाव कर लिया और इस प्रकार दो पोप हो गये, एक रोम में और दूसरा एविग्नोन में। इन समस्त घटनाओं के इतिहास में जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं। हमारा अधिक सम्बन्ध तो उन युक्तियों से है जो कि राज्य तथा पोप के इस सघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई। पहिले सघर्ष की अपेक्षा उनकी बाद की युक्तियाँ अधिक सुनिश्चित थीं। राज्य के समर्थकों में जॉन आँफ पेरिस, पियरी दुबोय (Pierre Dubois) तथा मार्सिलियो आँफ पेरुआ के नाम अग्रण्य हैं और पोपनाही के हिमायतियों में पोप बोनीफेस, एजीडियस रोमेनस तथा पोप जॉन अधिक उल्लेखनीय हैं।

१४वीं शताब्दी में चर्च तथा राज्य में चलने वाले इस सघर्ष का पठिंचम के राजनीतिक विचार के इतिहास में क्या स्थान है, इसे ठीक प्रकार समझने और उसका मूल्याकान करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि इसकी भूख्य विशेषतायें क्या थीं। सबसे पहिले तो हमें स्पष्ट है कि इसकी भूख्य विशेषतायें क्या थीं। सबसे पहिले तो हमें स्पष्ट है कि इस विवाद में कौन-कौन से प्रश्न सविहित थे और उसके कौन-कौन पक्षकार थे। यद्यपि सघर्ष का सूत्रपात चर्च की सम्पत्ति पर करारोपण करने के प्रश्न पर हुआ; किन्तु प्रश्न केवल यही न था कि पादरियों के आधिकार में सम्पत्ति पर उनके सामन्त स्वामी होने के नाते फ्रास के राजा को कर लगाने का अधिकार था या नहीं। बल्कि प्रश्न वास्तव में यह था कि राष्ट्र का प्रधान होने के नाते राजा को पादरीगण तथा जनसाधारण पर राज्य की सुरक्षा तथा

कल्पाणे के लिए समान रूप से करारोपण करने का अधिकार था या नहीं। फिलिप का तर्क यह था कि क्योंकि राज्य की रक्षा के लिए पादरीगण स्वयं नहीं लड़ते, दूसरों को उनके लिए लड़ना पड़ता है जिनके पालन-पोषण के लिए पादरियों को कुछ धन देना चाहिये। पादरियों का राष्ट्रीय सरकार की सहायता में कोई योग न देना गलत है। पादरियों की सम्पत्ति पर करारोपण किये बिना युद्ध तथा प्रशासन के व्यवहार की पूर्ति करना असम्भव था। इसलिये राज्य के लिए यह एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। फाँस की जनता तथा पादरीगण इस बात को भच्छी तरह समझते थे और इसी-लिए फाँस के पादरियों ने इस राष्ट्रीय प्रश्न पर पोप के विशद् राजा का समर्थन किया था। इसी राष्ट्रीय भावना की जागृति के फलस्वरूप पोप पद की पराजय हुई, और इसने संघर्ष के स्वरूप को ही बदल दिया। पोप आन्तरिक फूट डालने तथा सामन्त सरदारों को सम्माट के विशद् भड़काने के परम्परागत हथकण्डे प्रयोग नहीं कर सका और इन्हीं हथकण्डों के ऊपर भूतकाल में उसकी शक्ति निर्भर करती थी। राष्ट्रीय राजा के रूप में उत्पन्न हुआ यह नया शत्रु सम्माट की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली था; उसके ऊपर साम्राज्य की परम्पराओं का भार नहीं था और न ही उसके सामने उन धोनों के ऊपर अधिकार रखने की कठिनाई थी जिनमें कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। चर्च की अवस्था दयनीय हो चुकी थी और अब उसका नेतृत्व करने के लिए कोई ग्रेगरी सप्तम (Gregory VII) न था। सारांश यह कि जबकि पिछली शताब्दी में संघर्ष दो सार्वभौमिक अधिकार-क्षेत्रों, पोपशाही और साम्राज्य, में था, १४वीं शताब्दी में यह था पोपशाही तथा फाँस अथवा जर्मनी के राष्ट्रीय राजा के बीच में। यह संघर्ष “जीवन में एक अतिक्रमणात्मक उद्देश्य की मान्यता के ऊपर आधारित धार्मिक प्रभुता तथा सासारिक और स्थानीय आवश्यकताओं की मान्यता के ऊपर आधारित राजकीय प्रभुता के बीच में था।”*

इस विवाद में दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, वह है सम्बन्धित पक्षों की युद्धधेर की स्थिति में परिवर्तन। जबकि पिछली तीन शताब्दियों में साम्राज्यवादियों ने केवल अपना बचाव किया और पोपशाहीं अग्रसर रहे, १४वीं शताब्दी में पासा पलट गया और पोपवादियों को अपना बचाव करना पड़ा। इस बार पोपशाही को राजाओं द्वारा चुनौती दी गई। फिलिप के समर्थकों ने एक अधिक विश्वासपूरण तथा अप्रसारी भावना का प्रदर्शन किया। उनकी कृतियों से इस बात कि चेतना भलकरी है कि काल-गति राजाओं के पक्ष में थी, पोप के नहीं। यदि ऐसा न होता तो फिलिप को यह सुझाव रखने का कभी साहस न होता कि सामान्य परिषद् को पोप बोनीफेस के धर्म-त्याग तथा अनैतिक आचरण के प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

* This struggle was between 'theocratic sovereignty based on recognition of transcendental purpose in life and secular sovereignty based on recognition of earthly and local needs.' —Hearnshaw : *Social and Political Ideas of the Medieval Thinkers*, page 160.

इम भर्घर्य की तीमरी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि पोपवादियों ने पोप की शक्ति के विस्तार के विषय में अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा कही अधिक उग्र हृष्टिकोण अपनाया। न तो पोप ग्रेगरी सप्तम ने और न पोप इओसेप्ट तृतीय ने पोपशाही की ओर से इन्हें लम्बे चौड़े दावे किये थे जिन्हें कि एजीडिय रोमेनस (जिसे एजीडियस कोलोना भी कहते हैं) ने अपनी पुस्तक डी एक्सेजियास्टिका पोटेस्टेट में किये हैं। क्योंकि प्रश्न का सम्बन्ध पादरियों के सम्पत्ति अधिकार से था और पोप की माँग यह थी कि उनकी स्वीकृति के बिना पादरियों की सम्पत्ति पर कोई कर नहीं लगना चाहिये, पोप के विरोधियों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि पादरियों का निजी सम्पत्ति रखना उनके अस्तेय धर्म के विरुद्ध है, इसलिये उसको अपनी सम्पत्ति से बचित कर देना चाहिये। इसके विपरीत पोप के ममर्थकों का कथन यह था कि आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी न किसी रूप में सम्पत्ति नितान्त आवश्यक है, इसलिये उसके ऊपर चर्च का नियन्त्रण होना चाहिये और सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त प्रश्नों पर, जिसमें लौकिक सम्पत्ति भी समिर्दित है, पोप का निर्णय अनिम होना चाहिये। इसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक तथा धार्मिक शक्ति के स्वरूप का विश्लेषण किया गया और चर्च में पोप की शक्तियों, चर्च के सम्पत्ति के ऊपर उसके नियन्त्रण तथा सैद्धान्तिक विषयों में उसके अधिकार का एक आलोचनात्मक परीक्षण किया गया। १४वीं शताब्दी में ही आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप को मार्शलियो आँफ पेट्रुआ तथा विलियम आँफ थोकम ने आलोचनात्मक विश्लेषण का विषय बनाया और इससे चर्च को बड़ी हानि पहुंची। आगे चलकर कान्सीलियर आन्दोलन के नेताओं ने चर्च के आन्तरिक शासन के स्वरूप का विश्लेषण करने तथा पोप की शक्तियों पर रोक लगाने का प्रयत्न किया।

चौथी उल्लेखनीय बात यह है कि यद्यपि १४वीं शताब्दी की प्रयुक्त युवितियों का रूप तथा दृग प्रियंका शताब्दियों से अधिक भिन्न नहीं था तथापि कुछ नई स्थितियों के कारण नवीन साहित्य की प्रवृत्ति तथा लहजा पुराने साहित्य से स्पष्ट रूप से भिन्न था। ये नई स्थितियाँ थीं—रोमन कानून का व्यापक पुनरुत्थान जिसके अध्ययन ने जावदंस्त प्रगति की ओर अरस्तु के सिद्धान्तों का प्रचार; इन दोनों की ही प्रवृत्ति चर्च विरोधी थी। रोमन कानून में दीक्षित और राजदरवारों अथवा अन्य किसी प्रकार में राजा के अधीन नौकरी करने वाले व्यक्तियों के रूप में लेखकों के एक नवीन वर्ग का आविर्भाव हुआ। इसने रोमन कानून के समस्त साधनों को फास के राजा की सहायता के लिए प्रयोग किया और चर्च तथा सरदारों के न्यायालयों की शक्ति कम करके राजकीय न्यायालयों का अधिकार थेव बढ़ाया। राजकीय शक्ति और प्रभाव का विस्तार करने तथा राष्ट्रीय राजतन्त्र को मुट्ठ बनाने में न्यायविदों ने एक महत्वपूर्ण भाग लिया; उनकी विचार पद्धति तथा लौकिक रुचि ने उस माहित्य को बहुत प्रभावित किया जो कि विचादी में राजा के पक्ष में रखा गया। संवाइन के दृष्टि में “मध्य काल में उससे पहिले रखा हुआ कोई भी राजनीतिक साहित्य उत्तमा आलोचनात्मक

तथा शक्ति के शिकंजे से उतना स्वतंत्र नहीं था।” इस साहित्य के रचयिताओं को मैवाइन ने पब्लिसिस्ट्स (Publicists) कहकर पुकारा है।

पब्लिसिस्ट्स की निश्चित रूप से लौकिक रूचि फ़ास के राष्ट्रीय राजतन्त्र को मुहूर्छ बनाने में थी। उनके प्रभाव का उदाहरण हमें पियरी डुबोय के विचारों में मिलता है। वह फ़ास को यूरोप का महानतम शक्ति के रूप में देखना चाहता था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने विवाद, विजय तथा संघि की एक योजना बनाई। उसकी योजना यह थी कि समस्त राज्यों को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोने का जो कार्य कभी मध्यकालीन साम्राज्य का था अब फ़ास को करना चाहिये जिसे वह अपनी दुर्बलता के कारण नहीं कर सकता था। उसने धार्मिक अधिकार क्षेत्र को राजकीय न्यायालयों को हस्तातरित करने का भी प्रस्ताव किया। पाठ्य-क्रम में ग्रीक हिन्दू तथा अरबी भाषा का अध्ययन सम्मिलित करके वह शिक्षा को अधिक धर्मनिरपेक्ष बनाना और उसे पुनर्संगठित करना चाहता था।

बोनीफेस तथा फिलिप के मध्य संघर्ष के २० वर्ष बाद पोप जॉन २-वे तथा लिविंग थार्म वैवेरिया के बीच में एक विवाद उठा; उसके सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना अनावश्यक न होगा। एक विवादित उत्तराधिकार का लाभ उठाकर जर्मनी के विषयों पर अपना अधिकार जमाने की पोप की कामना ने इस संघर्ष का अवसर प्रदान किया। जर्मनी को ऐसा लगा कि पोप के इस कदम के पीछे फ़ास का हाथ है और वह जर्मनी को क्षति पहुंचा कर अपना शासन-क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। इसलिये उन्होंने पोप के दावे को ढुकरा दिया। फ़ेकफ़र्ट में हुई एक सभा ने, जिसमें बहुत बड़ी सम्म्या में लोगों ने भाग लिया, निर्वाचकों की इस घोपणा को स्वीकार किया कि जर्मन राजा ने अपना शासनाधिकार स्वयं ईश्वर से प्राप्त किया है पोप से नहीं, और उसका नियमित निर्वाचन उसे राजा के समस्त विशेषाधिकार प्रदान करता है; भले ही पोप को मुकुट-विभूषण तथा पद-प्रतिष्ठान के संस्कार मन्यन करने का अधिकार हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि फ़ासिस के भक्त पादित्रियों के अस्तेय सिद्धान्त का पोप के एक प्रत्यादेश द्वारा खण्डन किये जाने के फलस्वरूप स्वयं चर्च के भीतर ही एक विवाद खड़ा हो गया। बहुत से योग्य पादरी लेखक पोपशाही के आलोचक हो उठे और उन्हे अपनी रक्षा के लिए राजकीय न्यायालयों की शरण में जाना पड़ा। वे यह तर्क करने लगे कि धार्मिक विषयों में अन्तिम अधिकार चर्च परिषद को है, पोप को नहीं। इस तर्क से शासकों की स्थिति को बहुत मन्दन मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि १४वीं तथा १५वीं शताब्दी में पोपशाही पर चरों ओर से सकट के बाद द्वा गये और चितनधारा धर्मनिरपेक्ष तथा क्रान्तिकारी हो गई।

१४वीं शताब्दी के विवाद की मुख्य विदेशीयों तथा उसके राजनीतिक महत्व का मुन्दर बराण्णन मैवाइन के निम्नलिखित शब्दों में मिलता है—

राजनीतिक सिद्धान्त के विकास में बोनीफेस तथा फिलिप के मध्य विवाद का बहुत बड़ा महत्व है। इसने एक अद्वितीय तथा प्रभुत्वपूर्ण शक्ति के लिए दावे को जन्म

दिया। यह शक्ति पोप में निहित थी जिसका प्रयोग चर्च में प्रत्यक्ष रूप से तथा चर्च और शासकों के बीच परोक्ष रूप से होता था। यह इस दावे का समर्थन दैविक अधिकार के सिद्धान्त के आधार पर करती थी। इस दावे का आविर्भाव, जो कि कानूनबाद की एक धार्मिक उत्पत्ति थी, इसके ऊपर एक मुसंगठित आक्रमण का सूचक था। फासीसी विवाद में भी इस आक्रमण ने दो मुख्य रूप धारण किये। पोप की प्रभुता पर आपत्ति इस आधार पर की गई कि यह धर्माधिकारियों का एक विलक्षण मिथ्या दावा था, इसलिये इसके प्रयोग के ऊपर समुचित नैतिक और धार्मिक बन्धन होने चाहिये। दूसरी आपनि इसके विरुद्ध यह की गई कि सर्वप्रभुत्वपूर्ण शक्ति, ज्ञाहे कही भी हो, स्वभाव में ही अत्याचारपूर्ण होती है, इसलिये उसे प्रतिनिधित्व तथा जन-इच्छा से संतुलित तथा सीमित करना आवश्यक है।”*

* “The controversy between Boniface and Philip was of great importance in the development of political theory. It produced a clear cut claim to unique sovereign power, vested in the Pope and exercised directly in the church and indirectly as between the Pope and secular rulers, and it defended his claim upon the principle of divine right. The appearance of this claim, a claim which was at once a direct attack upon the temporal power of the king and an indirect attack upon the temporal power of the nobility, was followed by a concerted attack upon it.

“...of clerical pretension, peculiar to ecclesiastical power, and hence... by hedging it into a proper moral and religious exercise. On the other hand, objection was made to sovereign power as such, on the ground that it was intrinsically tyrannous wherever it existed and needed to be tempered and limited by representation and consent.”

परिचयात्मक—यारहवें अध्याय में मध्यकालीन राजनीतिक विचार की सामान्य पृष्ठभूमि का बर्णन करने तथा पिछले अध्याय में पोपवादियों तथा राज्यवादियों के दावों तथा उनके समर्थन में मुक्तियों का दिग्दर्शन करने के उपरान्त अब हम उन मुख्य-मुख्य व्यक्तियों के विचारों के अध्ययन पर आते हैं जिन्होंने कि उस विवाद में भाग लिया। पहिले हम पोपवादियों को लेते हैं जिनमें से केवल पोप येगरी सप्तम, जॉन ऑफ सेलिस्टरी, सन्त टांगस एवं नास, तथा एजिडियस कोलोना का उल्लेख करेंगे। तदुपरान्त हम राज्य के समर्थकों को लेंगे, जिनमें से केवल दान्ते, जॉन ऑफ पेरिस, मार्सीलियो ऑफ पेडुआ तथा विलियम ऑफ ओक्स के सिद्धान्तों की विवेचना की जायेगी। अगले अध्याय में हम Conciliar Movement का वर्णन करेंगे जिसके माध्यमध्य युग का अन्त होता है।

प्रेगरी सप्तम—चर्च की प्रभुता के समर्थकों में सबसे पहिला तथा एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाम हिल्डेर्मैण्ड का है जो पोप येगरी सप्तम के नाम से अधिक विल्यात है (१०७३—१०८० ई०)। उसके समस्त कार्यों, कार्यक्रमों तथा नीतियों का आधार उसका यह विश्वास था कि चर्च के ऊपर राज्य का किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये। उसका जट्ठ राज्य के लक्ष्य से थ्रेप्ट होने के कारण चर्च को अपना विशेष विधान रखना चाहिये जिसमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इसी दृष्टिकोण से उसने जस्टीशिया (Justitia) के सिद्धान्त का निरूपण किया था। जस्टीशिया का अर्थ था : (१) चर्च के ऊपर पोप की प्रभुता ; (२) 'विवाह के सामाजिक बन्धन, पद के क्रय-विक्रय के आधिक बन्धन, राज्य द्वारा पद-प्रतिष्ठान के सामन्ती बन्धन' से पादरियों को मुक्त करना ; तथा (३) 'ईसा के सर्वोच्च अधिकता के नाते राजाओं तक का न्याय तथा परिशोधन करने का (यदि वे उस कानून का उल्लंघन करे और उसके स्वतंत्र व्यवहार में बाधा डाले)' पोप का अधिकार। इस प्रकार येगरी राज्य को चर्च के अधीन रखता है। राज्य द्वारा उस आध्यात्मिक उद्देश्य की पूति के लिए, जिसका चर्च अभिभावक है, इस प्रकार की अधीनता आवश्यक ही है। गत अध्याय में इस सम्बन्ध में काफी कहा जा चुका है, इसलिये और अधिक कुछ कहना अनावश्यक है। किन्तु हाँ, एक महत्वपूर्ण बात की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। येगरी सप्तम के कथन तथा नीति का यह अर्थ

कदापि नहीं है कि उसने पोप की प्रभुता के किसी कानूनी सिद्धान्त का निरूपण किया और न ही उसका अभिप्राय यह है कि राजकीय शक्ति का ऊपर पोप है और इमलिये राजकीय विषयों के ऊपर पोप का नियंत्रण होना चाहिये। इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन तो १४वीं शताब्दी में जाकर इमोरेंट चतुर्थ तथा एजीडियस कोलोना ने किया। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिनता कि ग्रेगरी की भारतीय यह रही हो कि लौकिक विषयों में पोप राजा के ऊपर है और पोप की भी कुछ लौकिक शक्तियाँ हैं। अपने आपको मग्नाट के ऊपर एक थ्रेष्टर और उच्चतर शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके ऊपर उद्धरित किये हुए इन शब्दों का कि पोप को मात्राज्य, राज्य, जागीर इत्यादि प्रदान करने का अधिकार है यह अर्थ समझना चाहिये कि पोप लौकिक विषयों में राजा के ऊपर है। उसके कहने का वात्सर्य केवल यह था कि राजाओं के ऊपर पोप को एक नैतिक अनुशासन रखने का अधिकार है। ग्रेगरी के अनुसार पोप सासार का, यहाँ तक कि ईसाई जगत का भी, लौकिक स्वामी नहीं है; उसे कोई लौकिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वह केवल 'ईसा की भेड़ों का चरवाहा' अर्थात् मनुष्य का सरक्षक है और इस नाते यह देखना उसका धर्म है कि कोई व्यक्ति उन्हें आधात न पहुँचाये। ऐसे आधात को रोकने के लिए उसे एक दुष्ट राजा को पदच्युत करने और उसके स्वाम में एक नये राजा के निर्वाचन को स्वीकार करने का अधिकार है। यह बात १४वीं शताब्दी में प्रतिपादित पोप के प्रभुता के सिद्धान्त से अधिक मिल दिखाई पड़ती है और एक हृष्टिकोण से यह ठीक ही है। जो शक्तियाँ एजीडियस कोलोना पोप को प्रदान करता है वे उनसे कुछ ऊची नहीं हैं जिनका कि दावा ग्रेगरी करता था। परन्तु दोनों में आधारभूत भेद यह है कि ग्रेगरी ने पोप के अधिकारों के किसी क्रमबद्ध सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया। वह केवल एक नैतिक अनुशासन के आध्यात्मिक अधिकार की मार्ग करता था। साराश यह कि ग्रेगरी में हमें चर्चा या राज्य अथवा चर्चा और राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध का कोई नवीन सिद्धान्त नहीं मिलता; बल्कि राज्य के प्रति पोपशाही की एक नई नीति और एक नई प्रवृत्ति मिलती है।

जान आफ सेलिस्वरी—पोप की प्रभुता के अधिवक्ताओं की हमारी सूची में आगला नाम एक अग्रेज—जॉन ऑफ सेलिस्वरी (१११५—११६०) का है। वह एक सिद्धान्त निर्माता था जैसा कि ग्रेगरी सप्तम कभी नहीं था। उसकी पुस्तक 'पोलिक्रेटीकस' (Polycraticus) अथवा 'स्टेट्समैन्स बुक' को डा० डिक्सिनन ने 'मध्य काल में राजनीति के ऊपर सबसे पहिला सांगोपाग ग्रन्थ' कहकर पुकारा है। एक दूसरे महान् विद्वान् डा० आर० एल० पूल का कहना है कि यह 'क्रमबद्ध धारा को उत्पन्न करने का प्रथम प्रयास' है जो राजनीति का दर्शन कहलाने का पात्र हो सकता है।¹ इसमें कोई सन्देह नहीं कि पोलिक्रेटीकस मध्यकाल में राजनीति का सबसे पहिला विस्तृत और क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करता है। परन्तु जॉन के राजनीतिक दर्शन का तत्व कानूनी और साविधानिक की अपेक्षा नैतिक अधिक है, वह सरकार के सप्टटन, उसके

कार्यों के वितरण तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध, अधवा सरकार के विभिन्न रूपों के विषय में कुछ नहीं कहता। वह केवल सरकार के एक रूप का वर्णन करता है और वह राजतंत्र है, और उसका प्रशासकीय ढाचा साम्राज्यवादी नमूने का है। यह बात कितनी विलक्षण है कि वह समाज के सामन्तवादी संघटन का उल्लेख तक नहीं करता जो कि उस समय अपनी चरम सीमा तक को पहुँचा हुआ था। उसके सिद्धान्त में भव से अधिक महत्वपूर्ण बातें चार हैं—(१) समाज की जैविक (organic) धारणा; (२) राज्य का चर्च के प्रति अधीन होना; (३) राजा का कानून के साथ सम्बन्ध तथा एक अच्छे एवं आततायी राजा में विभेद; तथा (४) आततायी की हत्या का औचित्य। इन सबका हम सक्षेप में उल्लेख करेंगे।

सामन्तवाद की विकेन्द्रीकारक प्रवृत्तियों के बावजूद जाँत और सेलिस्वरी सिसरों द्वारा प्रतिपादित इस विचार को अपनाता है कि राज्य 'कानून नथा अधिकारियों के विषय में एक सामान्य समझौते द्वारा एकता के सूत्र में बढ़' एक कॉमन-वैल्य अथवा समाज है। वह राज्य को एक जैविक इकाई समझता है और मानव शरीर से उसकी उपभा देता है। उसकी परिभाषा के अनुसार 'एक ऐसा निकाय है जिसे दैविक अनुकरण से जीवन मिलता है, और उच्चतम न्याय जिसकी प्रेरक शक्ति है और एक सतुरित करने वाले विवेक द्वारा उस पर शासन होता है।' इस परिभाषा का अर्थ यह हुआ कि मानव शरीर के सहशा राज्य एक जीवित इकाई है जो कि विभिन्न भागों से मिलकर बना हुआ है; इन्हरे उसके जीवन का स्रोत है; उसके विभिन्न अण न्याय के सूत्र में एकताबद्ध हैं और अन्तिम बात यह है कि उसके ऊपर विवेक का 'शासन है। सेलिस्वरी का कहना है कि राजा राज्य में वही स्थान रखता है जो कि शरीर में सिर; वह राज्य में सबसे ऊपर होता है और उसके ऊपर शासन करता है। धारासभा हृदय के अनुरूप है; न्यायाधीश, प्रान्तों के गवर्नर इत्यादि शरीर में आंखों, कानों तथा जिह्वा के समान है; सिपाही उसकी बाहु हैं और किसान उसके पैर। परन्तु शरीर में एक आत्मा भी होती है और उसी के अनुरूप राज्य में 'वे चीजें हैं जो कि हमारे ग्रन्दर धर्म के अधिकारों की स्थापना करती हैं और हमें ईश्वर उपासना का पाठ पढ़ाती है।' वह आगे चलकर कहता है कि 'जो मनुष्य धार्मिक संस्कार सम्पद कराते हैं उनका हमें वैसा ही सम्मान करना चाहिये जैसा कि शरीर में आत्मा का।' जिस प्रकार आत्मा सिर तथा शेष शरीर के ऊपर राज करती है उसी प्रकार राजा भी ईश्वर तथा पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधियों के अधीन रहना चाहिये। इम प्रकार सेलिस्वरी राज्य के जैविक स्वरूप का प्रयोग राज्य को चर्च के अधीन करने के लिए करता है। इस अधीनता का एह और प्रभाण यह भी है कि राजा के निर्वाचन में दैनिक तत्त्व अथवा पादरीगण तथा जन-साधारण का भत एक होता है। राजा को शासन वा प्रधान ईश्वर बनाता है, और उसके निए समस्त जनता की स्वीकृत पादरियों द्वारा पद-प्रतिष्ठान के संस्कार द्वारा पूर्ण हो जाती है।

जाँन आँफ सेलिस्वरी राज्य की चर्चे के प्रति अधीनता एक दूसरे दम से भी सिद्ध करता है। दो तलवारों के सिद्धान्त का एक नवीन प्रयोग करके वह इस परिणाम पर पहुँचता है कि राजा चर्चे का एक अभिकर्ता है और इसलिये वह उसके अधीन है। उभका कहना है कि प्रारम्भ में चर्चे के पास लौकिक तथा आध्यात्मिक, दोनों तलवारें थीं। इसा ने, जिसके पास राजा और पादरी, दोनों की शक्तियाँ थीं, उन्हे पीटर को दे दिया; यदि पीटर को केवल आध्यात्मिक शक्ति हो दी जाती तो 'कुजिया' (Keys) वहुचन शब्द का प्रयोग न किया जाता। चर्चे ने आध्यात्मिक शक्ति को अपने पास रख लिया और लौकिक शक्ति को राजा को सौंप दिया। शर्त यह थी कि राजा उस शक्ति का प्रयोग चर्चे की ओर से और उसको इच्छानुसार करेगा। इस विषय में सेलिस्वरी के शब्द उद्धरणीय हैं : 'इस शक्ति को राजा चर्चे से प्राप्त करता है ; यद्यपि चर्चे के पास किसी भी प्रकार से रक्तमय तलवार नहीं है, तथापि उस तलवार के ऊपर उसका अधिपत्य है। किन्तु वह उसे राजा के हाथों द्वारा प्रयोग करता है जिसे कि वह शरीर के ऊपर दमनकारी शक्ति प्रदान कर देता है जबकि आध्यात्मिक विषयों का अधिकार पादरियों के लिए सुरक्षित रख लेता है। इसलिये राजा एक तरह से चर्चे का ही एक कर्मचारी है जो कि पवित्र कार्य का वह भाग करता है जो कि पादरियों के लिए शोभनीय नहीं है।' * इस उद्धरण में इस बात का स्पष्ट और निश्चित दावा किया गया है कि लौकिक शक्ति का स्वरूप निस्तेतामक है और राज्य चर्चे के अधीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में कि ईश्वरीय आदेश द्वारा लौकिक विषयों के ऊपर पौप का अधिकार है इन्होंसेण्ट चतुर्थ ने जाँन आँफ सेलिस्वरी के विचार को ही अधिक सुसगठित रूप दिया।

यह सिद्धान्त कि राजा कानून के अधीन है और वह उसका सेवक, सेलिस्वरी के विचार का उतना ही आधारभूत तत्व है जितना कि राज्य का जैविक सिद्धान्त ; यदि हम इस राजनीतिक विचार को उसकी मुख्य देन मानें तो अनुचित न होगा। उसका विवाह था कि 'राजा सार्वजनिक उपयोगिता को पूरा करने वाला कर्मचारी तथा न्याय का सेवक' था। उसमें समस्त प्रजाजन की शक्तियाँ संगृहीत थीं ताकि उसमें प्रत्येक की आवश्यकता का पता लगाने और उसकी पूर्ति करने का बल प्रा सके। इसका तात्पर्य यह है कि राजपद कोई निजी विषय नहीं है बल्कि एक सार्वजनिक पद

* "This sword (coercive jurisdiction in the temporal matters), then the prince receives from the hand of the church, although she herself in no sense holds the sword of blood. She nevertheless possesses this sword, but she uses it by the hand of the prince on whom she confers the coercive power over the body, reserving the authority over spiritual things for herself in the pontiffs. The prince, therefore, is in a sense the minister of the priestly office, and one who performs that part of the sacred functions which seems unworthy of the hands of the priesthood."

—Quoted by McIlwain : *The Growth of Political Thought in the West*, page 229.

हैं और उसका प्रयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए होना चाहिये जिनके लिए उसका इस्तेवा है। मध्यकाल में राजा की शक्ति के ऊपर कोई साक्षिधानिक नियन्त्रण और सीमाएँ नहीं थीं; राजा की शक्ति को सीमित करने का मध्यकालीन विचारकों के पास एक ढंग था और वह है उसके ऊपर कानून के नैतिक बन्धन लगाना। सेलिस्वरी के अनुसार यह कानून स्वयं राजा का बनाया हुआ विधेयात्मक कानून नहीं है, बल्कि शाश्वत न्याय का दैविक कानून है। स्टोवस के प्राकृतिक कानून के संशय अह नित्य, अपरिवर्तनीय तथा समस्त मानवीय कानूनों से स्वतन्त्र है। समस्त राजाओं को इसके सामने भुक्ता चाहिये। वह राजा जो इसे अपनी आँखों और हृदय में नहीं रखता, इसके अनुसार आचरण नहीं करता और जनहित की जगह स्वार्थपूर्ति में रहता है, अत्याचारी है। इस प्रकार एक सच्चे राजा तथा आततायी में भेद का आधार न्याय के शाश्वत कानून का पालन या अवहेलना करना है। इस कानून को समझने, इसकी व्याख्या करने तथा अपने कानूनों को इसके अनुसार बनाने के लिए राजा को पादरियों के ऊपर निर्भर करना आवश्यक है। इस हृष्टिकोण से भी राजा को चर्चे के अधीन रखने का प्रयत्न किया गया है।

एक सच्चे राजा और एक आततायी में विभेद प्राचीन लेखकों ने भी किया था, मूलानी विचार में तो यह एक सामान्य बात थी। किन्तु जॉन के हाथों में पढ़ कर यह अधिक तीव्र हो उठा। परन्तु उसमें और उसके पूर्ववर्तियों में जो चीज मुख्य रूप से विभेद करती है वह है उसका आततायी को वध करने का सिद्धान्त। उसकी धारणा है कि अत्याचारी शासक का वध कर डालना जनता के लिए न केवल उचित और विहित है, बल्कि थेयस्कर है। इस मन्तव्य का समर्थन करने के लिए उसकी धोर निन्दा की जाती है। एक धर्म पुरोहित के लिए ऐसा कहना बड़ा गहित और हेतु समझा जाता है। उसकी विचार पद्धति में इस सिद्धान्त का कोई मुख्य स्थान नहीं है; यह तो इस कथन का एक ताकिक परिणाम समझा जाता है कि राजा तभी तक राजा है जब तक कि वह न्यायपूर्वक शासन करता है। इस बात में सेलिस्वरी के पहिले भी विश्वास किया जाता था और उसके बाद में भी इसे मान्य समझा जाता रहा है। उसने तो केवल स्थिति को अन्य लेखकों की अपेक्षा अधिक स्पष्टता और अधिक जोर-दार शब्दों में बेचा किया है।

सन्त टामस एक्वोनास (१२२७-१२७४ ई०)—अब हम सन्त टामस एक्वोनास पर आते हैं। एक्वोनास न केवल ३३० शताब्दी का महानतम व्यक्ति है बल्कि उसे मध्य काल के समस्त विचारकों में श्री महानतम माना जाता है। फॉस्टर उसे समस्त सासार के कमवढ़ दार्शनिकों में स्थान देता है। उसके अनुमार एक्वोनास की विशेषता यह थी कि उसने विचार की विभिन्न धाराओं को, जो कि पहिले अलग-अलग प्रवाहित थीं, एक ही प्रणाली से सम्बद्ध करके एक कर दिया। वह मध्य काल के सम्पूर्ण विचार का प्रतिनिधित्व करता है; अन्य किसी भी मध्यकालीन विचारक को यह श्रेय नहीं दिया जा सकता।

टॉमस के कानून के सिद्धान्त में तथा इस बात से कि चर्च की शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन में ताल बैठाना उसका मुख्य कार्य था, यह बात सिद्ध है कि उसका कार्य ममन्वय का कार्य है। याद रहे कि अरस्तु की 'ईविक्स' तथा 'पॉलिटिक्स' इत्यादि कृतियाँ पश्चिमी तरसार को १२वीं शताब्दी के मध्य में अखब तथा यहूदी बाहको द्वारा प्राप्त हुईं। प्रारम्भ में चर्च ने उभके लेखों को सन्देह की हृष्टि से देखा और उनके ऊपर प्रतिचर्न लगा दिया। यह नीति प्रभावहीन सिद्ध हुईं; और चर्च ने युद्धिभत्ता-पूर्वक ईसाई सिद्धांतों के अनुसार उनकी व्याख्या करने की सोची। यह उस युग का मुख्य वौद्धिक धन्धा बन गया। अल्बटं महान् ने, जो कि टॉमस का गुह था, अपने सम्कालीनों के लाभ के लिए अरस्तु के दर्शन का प्रचार करना अपना जीवन धेय बना लिया। अपने महान् गुह के चरण-चिन्हों पर चलते हुये टॉमस एकवीनास भी ईसाईकृत अरस्तु (Christianised version of Aristotle) को संसार के सामने रखने के कार्य में लग गया। ऐसा करने का प्रयत्न उसने एक ऐसी दर्शन धारा की रखना करके किया जिसमें विज्ञान, दर्शन तथा धर्मशास्त्र एक ही सम्पूर्ण के अभिन्न अंग बन जाये और जो अपने उचित सम्बन्धों में दिखाई पड़े तथा समस्त विद्व ईश्वर के साथ सम्बन्ध में देखा जाये। उसके इस लक्ष्य की बहुत बड़ी हद तक पूर्ति उसकी महान् कृति, 'सम्मा थ्योलौजिका' (Summa Theologica) में हुई जो कि एक बहुत ही बहुद ग्रन्थ है जिसमें तीन भाग और लगभग दस लाख शब्द है। यह 'विचार' का भव्य और विशाल प्रासाद है जिसमें अफलातून की परम्पराओं तथा अरस्तु के दर्शन का रोमन कानून, बाइबिल की शिक्षाओं, चर्च कादरों तथा अन्य महान् धर्मशास्त्रियों के कथनों के साथ समावेश हुआ। इस ग्रन्थ में टॉमस ने पाप, अवतार, मृत प्राणियों का पुनर्जीरण, तपस्या, श्रद्धा, ऐक्य, अनेक्य, ईश्वर, पूर्णता तथा सृष्टि के सदृश विषयों के अतिरिक्त कानून, न्याय तथा सरकार की विवेचना की है। इस विषय सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्मा थ्योलौजिका मुख्य रूप से एक राजनीतिक ग्रन्थ ही नहीं है बल्कि उसमें टॉमस की समस्त विचारधारा समाविष्ट है। उसके राजनीतिक विचार सम्मा थ्योलौजिका में, कानून तथा न्याय की विवेचना में उसके 'कमेण्ट्रीज ऑन अरिस्टोटल' (Commentaries on Aristotle) में तथा उसके अपूर्ण ग्रन्थ 'डी रेजीमीन प्रिंसिपम' (De Regimine Principum) में पाये जाते हैं। उसके राजनीतिक विचारों का वर्णन करने से पहिले उसकी दार्शनिक धारा तथा किस प्रकार उसने बाइबिल की शिक्षाओं और अरस्तु की आधारभूत शिक्षाओं का सम्मिश्रण किया इस सम्बन्ध में दो शब्द कह देना उपयुक्त होगा।

टॉमस के अनुसार समस्त मानव ज्ञान एक इकाई है; इसकी तुलना एक पिरामिड (Pyramid) से की जा सकती है जिसका आधार बहुत से विशिष्ट विज्ञानों से मिलकर बना है जिसमें से प्रत्येक का अपना एक 'अध्ययन' विषय है। उनके ऊपर दर्शन है जो उन सार्वभौमिक सिद्धान्तों का निर्माण करता है जो कि विभिन्न विज्ञानों के आधार हैं। यह किसी विदेश, जैसे कि पदार्थ तथा उसकी गति, बनस्पति

जीवन अथवा मनुष्य अथवा सौर मण्डल (Solar System) इत्यादि का अध्ययन नहीं करता ; वल्कि यह सम्पूर्ण विश्व का अध्ययन करता है और उसके विषय में एक सद्गुणपूर्ण विद्युति करता है। विद्युति विवेक, विद्युति विज्ञानों के जानने का साधन है ; दर्शन का साधन सामान्य विवेक है। किन्तु जबकि यूनानी दार्थनिक दर्शन को जान का शिखर और विद्युद्व विवेक को उसका सर्वोत्कृष्ट साधन समझता था, टॉमस उससे एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि दर्शन के ऊपर भी धर्मशास्त्र है जिसका साधन श्रद्धा और अन्तर्ज्ञान है, विवेक नहीं। जहाँ तक अरस्तु जाता है, उसका कहना सही है ; इसमें कोई सन्देह नहीं कि विवेक द्वारा ही हमें प्रकृति जगत के विषय में सत्य और ज्ञान प्राप्त होते हैं। परन्तु यह सम्पूर्ण सत्य और सम्पूर्ण ज्ञान नहीं है ; उसके परे भी एक चौंज है जिसका अन्तर्ज्ञान हमें केवल श्रद्धा द्वारा प्राप्त हो सकता है ; यह हमें धर्मशास्त्र में मिलता है। दर्शन तथा धर्मशास्त्र, विवेक तथा श्रद्धा में कोई विरोध नहीं है। “विज्ञान तथा दर्शन जिस प्रगताली को आरम्भ करते हैं, धर्मशास्त्र उसे पूर्ण करता है ; परन्तु उसकी तारतम्यता को वह कभी नष्ट नहीं करता। श्रद्धा विवेक की सिद्धि है। वे दोनों साथ मिलकर ज्ञान मन्दिर का निर्माण करते हैं परन्तु कहीं भी वे एक दूसरे से नहीं टकराते, एक दूसरे के विश्व कार्य नहीं करते।”*

अरस्तु के अन्तिम कारण अथवा लक्ष्य के सिद्धान्त को टॉमस स्वीकार करता है। प्रकृति की प्रत्येक चौंज एक आन्तरिक प्रेरणा के कारण अपने स्वरूप को पहिचानने तथा पूर्णता प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। प्रकृति का एक भाग होने के नाते मनुष्य का एक ध्येय अथवा उद्देश्य है उसे प्राप्त करना। अरस्तु के अनुसार यह उद्देश्य बोद्धिक चिन्तन है वयोंकि बुद्धि ही मनुष्य का सर्वोच्च अवयव है। मनुष्य की सच्ची प्रकृति के बारे में ईमाई धर्म द्वारा दिये हुये अधिक पूर्ण ज्ञान में टॉमस अरस्तु से आगे बढ़ता है। वह कहता है कि मनुष्य का सर्वोच्च भाग बुद्धि नहीं बल्कि आत्मा है ; इसलिये मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य आत्मा की मुक्ति होना चाहिये, संसार के विषय में बोद्धिक चिन्तन नहीं। यदि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमूर्ति ही बनाया है तो मानव जीवन का तत्त्व आत्मा में खोजना चाहिये, बुद्धि में नहीं, और जीवन का लक्ष्य भगवद्ज्ञान होना चाहिये, प्रकृति का ज्ञान नहीं। ईश्वर ज्ञान अथवा आत्मा की मुक्ति बुद्धि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती—‘प्रभु की कर्ति इतनी तीव्र है कि मानव मस्तिष्क उसे देस्कर चौधिया जाता है—तथा अनुकम्भा उसके पूरक होने चाहिये। अरस्तु मुक्ति, श्रद्धा तथा अनुकम्भा इत्यादि को अपने दर्शन में कोई स्थान नहीं दे सकता था वयोंकि बुद्धिपाक मस्तिष्क से अलग तथा ऊपर आत्मा जैसी चौंज का उसे कोई

the beginning, but never destroy its continuity. Faith is the fulfilment of reason. Together they build the temple of knowledge but nowhere do they conflict or work at cross purposes.”

—Sabine; op. cit., page 248,

मनुष्य के विषय में जो कुछ कहा है वह तो गलत नहीं है किन्तु उसका दोष यह है कि उसकी हप्टि अनुकम्पा के उस जगत तक न जा सकी जो कि प्रकृति जगत से परे है।

यही बात टॉमस के राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के विषय में कही जा सकती है। इस क्षेत्र में भी अरस्तु ने जो कुछ कहा है उसे तो वह सही मानता है; परन्तु उसे वह अन्तिम सत्य नहीं मानता, ईसाई धर्म द्वारा उद्घाटित सत्य उसका पूरक है। टॉमस मानव समाज को 'लक्ष्य और उद्देश्य की एक ऐसी व्यवस्था समझता है जिसमें निकृष्ट उत्कृष्ट की सेवा करता है और उत्कृष्ट निकृष्ट का निर्देशन करता है।' वह ईसाई धर्म के इस परम्परागत विवास को स्वीकार नहीं करता कि राज्य का जन्म पाप तथा मनुष्य के पतन के कारण हुआ है; अरस्तु का अनुकरण करते हुये वह उसे एक स्वाभाविक विकास समझता है, जो मनुष्य के सामाजिक स्वभाव का परिणाम है। वह राज्य को 'शुभ जीवन के लिए सेवाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान समझता है जिसमें करिष्य उच्चम अपना-अपना योग देते हैं।' अरस्तु से वह इस बात में भी सहमत है कि राज्य सामाजिक कल्याण का एक विद्येयात्मक अग है और उसका उद्देश्य नागरिकों के लिए शुभ जीवन की व्यवस्था करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस ईसाई धारणा का खण्डन करता है कि सरकार का अस्तित्व केवल भनुष्य की पापमय प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने के लिए है। राज्य के जन्म तथा कार्यों के सम्बन्ध में यह विचार एक आधारभूत महत्व रखता है, इससे यह सिद्ध होता है कि पापमय प्रकृति की धारणा से टॉमस कितना दूर चलकर इस विचार पर आया कि मनुष्य में अन्तर्निहित महान् शक्तिया है जिनका विकास समाज में रहकर और दूसरों के साथ सहयोग करके किया जा सकता है। परन्तु टॉमस का आग्रह यह है कि राज्य को जिस शुभ जीवन की उचिति करनी है उसकी व्याख्या ईसाई धर्म से मुक्ति सिद्धान्त के प्रकाश में करनी चाहिये। वह इस बात से इकार नहीं करता कि राज्य अथवा एक व्यक्ति का सासारिक सुख की कामना करना उचित है; वह तो केवल इस बात का आग्रह करता है कि सासारिक सुख पर एक श्रेष्ठतर तथा उच्चतर भविष्य जीवन तथा आत्म-नोक्त को सदा तरजीह दी जानी चाहिये। समाज तथा राज्य का संघटन इसी पारस्परिक लक्ष्य को हप्टि में रखते हुये किया जाना चाहिये। सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के उस लक्ष्य की प्राप्ति में योग देने के लिए एक उच्चतर सामाजिक संघटन अर्थात् चर्च होना चाहिये जो कि उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित कर सके। एक पूर्ण मानव समाज में दो संघटन होने चाहिये, एक लौकिक और दूसरा धार्मिक, और पहिला दूसरे के अधीन होना चाहिये। अरस्तु के मस्तिष्क में केवल लौकिक आनन्द (इसका एक महत्वपूर्ण नैतिक स्वरूप) था; इसलिये वह लौकिक राज्य का सिद्धात ही दे सकता था; उसके सामाजिक संघटन की योजना में चर्च का कोई स्थान नहीं था। चर्च को सामाजिक संघटन के शिखर पर रखकर एकीनास अरस्तु का परिदोषन करता है। उसके लिये चर्च राज्य का प्रतिद्वन्द्वी नहीं है, वल्कि उसका पूरक है। अरस्तु का खण्डन करना आवश्यक नहीं है। राज्य के जन्म, स्वभाव, आवश्यकता

कुछ मध्यकालीन विचारक

तथा कायों के विषय में उसने जो कुछ कहा है ठीक है। हाँ, उसे एक अधिक व्यापक दर्शन में सशिलष्ट करना आवश्यक है।

ऊपर यह कहा जा चुका है कि टॉमस ईसाई धर्म के इस परम्परागत विचार का खण्डन करता है कि राज्य एक पाप है और अरस्तु की इस धारणा को अपनाता है कि वह एक विदेयात्मक द्रुभ है। इसके फलस्वरूप वह अरस्तु की भाँति राज्य के कार्य-क्षेत्र को व्यापक बनाना और उसे एक शिक्षात्मक लक्ष्य सौंपना चाहता है। वह अनुभव करता है कि यदोकि एक मुखी लौकिक जीवन का एक आधार आधिक है इसलिये राज्य को विवश होकर आधिक क्षेत्र में प्रवेश करना, व्यापार को नियन्त्रित करना, उचित मज़ादूरी और मूल्य निर्धारित करना तथा अत्यधिक नाम को रोकना पड़ता है। निर्धनों की उचित देखभाल करना भी राज्य का कर्तव्य है। इस प्रकार टॉमस एकवी-नास सामाजिक विवेयन को राज्य का एक मुख्य कार्य समझता है। वह एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि यदि राज्य का कार्य ऐसी स्थिति जुटाना है जिसमें चर्च आत्म-मुक्ति के अपने कार्य को समुनित रूप से सम्पादित कर सके तो उसे नागरिकों को एक ऐसे अनुशासन में रखना चाहिये जिससे वे नैतिक रूप से थ्रेष्ठर मनुष्य बन सकें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जीवन के प्रत्येक विभाग में एकवीनाम 'मूनानी आधार पर एक ईसाई भवन खड़ा करता है। उदाहरण के लिये, वह अरस्तु के प्रकृति दर्शन को स्वीकार करता है; प्रकृति के विषय में अरस्तु जो कुछ कहता है वह गलत नहीं है; परन्तु उसका दोष यह है कि वह यह नहीं देख पाता कि प्रकृति जगत ही समस्त विश्व नहीं है, वल्कि उसके ऊपर भी एक अनुकम्पा का जगत है। इसी प्रकार आचार-शास्त्र में भी अरस्तु ने मनुष्य के अपने प्राकृतिक लक्ष्य, अर्थात् आनन्द प्राप्त करने के मार्ग का विवरण ठीक ही दिया है। उसका दोष यह है कि वह ईसाई धर्म के द्वारा प्रतिपादित इस सत्य को नहीं देख पाया कि मनुष्य का एक अतिप्राकृतिक लक्ष्य भी है जो कि मोक्ष और भविष्य में आनन्द प्राप्त करता है और इहलोकिक आनन्द का उद्देश्य इस लक्ष्य के अधीन होना चाहिये।*

टॉमस के कानून सम्बन्धी विचारों का वर्णन करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि उसके युग की मुख्य समस्या, अर्थात् चर्च तथा राज्य के मम्बन्ध के विषय में उसके क्या विचार थे। इन विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि टॉमस धर्म की प्रमुखा का मम्बर्क था। परन्तु उसके द्वारा अरस्तु की इस बात को कि राज्य एक स्वाभाविक चिकाम है, स्वीकार करने का परिणाम यह निकलता है कि वह १३वीं शताब्दी में प्रचलित इस धारणा का समर्थन करता है कि मग्नाट अपना अधिकार पोष से प्राप्त करता है। यद्यपि वह पोष के लेनीदूयुड़ों पांटस्टेटिम के मिडान का मम्बर्न करता है और यह मानता है कि कुछ स्थितियां ऐंगी हो सकती हैं जिनमें पोष को मग्नाट के पदच्युत करने का अधिकार है तथागि उसके समस्त विचार दर्शन से यह परिणाम निकलता है कि वह पोष को राज्य के ऊपर कोई प्रत्यक्ष

अधिकार नहीं देना। एक स्थान पर वह कहता है कि आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों शक्तियों का एक गमान्य देवित मूल है और निरे लौकिक विषयों में आध्यात्मिक की अपेक्षा लौकिक शक्ति की आज्ञा का पालन ही करना चाहिए। हमें कार्लाइट की इन धारणा को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सत्ता टॉमस एकवीनास के साधारण और परिपक्व निर्णय के अनुसार लौकिक विषयों में पोष का प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष अधिकार है। वह चर्च के मर्वभान्य आध्यात्मिक अधिकार को कानूनी प्रभुता का रूप नहीं देना चाहता था। यह उसकी दर्शन धारा के मूलभूत तत्त्व गमजस्य और और ताल-मेल के ठीक अनुरूप ही था। हम कह सकते हैं कि टॉमस एक नम्र पोषवादी था।

कानून के विषय में टामस के विचार— यदि राज्य को अपने नागरिकों को नैतिक स्थग में थ्रेष्ठतर बनने के कठिन्य का पालन करना तथा जीवन के सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी महायता करना है तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार होना चाहिये। यदि शासक का कानून के नैतिक उद्देश्य की अवहेलना करता है और उसके नियन्त्रण से स्वच्छन्द हो जाता है, तो वह आत्माचारी बन जाता है। टॉमस को भी आततायीतत्र से उत्तीर्ण हो गुणा थी जितनी कि जैन और सेलिस्वरी को, यद्यपि वह आततायी की हत्या का उपदेश नहीं करता। आततायी की अवज्ञा करना उचित है यदि उसमें नैतिक सत्यम से काम लिया जाये और उससे सामाजिक अध्यवस्था न फैले।

इस प्रसंग में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है; वह कानून क्या है जिसकी अवहेलना करने से कोई आसन अत्याचारी हो जाता है और जिसका पालन करना उसे नैतिक और्ध्वित्य प्रदान करता है। यह प्रश्न हमें एकवीनास के राजनीतिक सिद्धान्त के मर्म तक ले जाता है; यद्योंकि अपने समय की विचार प्रवृत्ति के अनुसार उसने भी राज्य की व्याख्या कानून के आधार पर की, और कानून की व्याख्या राज्य के आधार पर नहीं की जैसा कि अधिकतर आधुनिक लेखक करते हैं। अपने ग्रंथ सम्मा घोलौजिक में वह कानून के स्वरूप तथा स्रोत की विवेचना ग्रन्थ किसी विषय की अपेक्षा अधिक विस्तार के साथ करता है।

जैन और सेलिस्वरी के प्रमग में यह बताया गया था कि वह कानून को, जिसका कि राजा एक सेवक है, एक शाश्वत न्याय का दैविक नियम तथा प्राकृतिक विवेक द्वारा उद्भासित सार्वभौतिक सिद्धात समझता था। मानवकृत कानून को भी हम उसी की एक व्युत्तरता मान सकते हैं। ऐसा ही विचार अफलातुन और अरस्तु का भी था जोकि कानून को विशुद्ध, तृप्त्यारहित विवेक समझते थे और उसमें एक व्यक्ति रहित गुण का आरोप करते थे। यह प्रचलित आधुनिक धारणा के एकदम विपरीत है, जिसके अनुसार कानून सर्वप्रभुत्वपूर्ण शासक की आज्ञा का नाम है। दूसरे गढ़ों में, सेलिस्वरी के लिए कानून की मान्यता उसके विवेकदील अथवा नैतिक होने के कारण है, किन्तु आधुनिक परिभाषा के अनुसार नैतिक और्ध्वित्य कानून का कोई अग नहीं है। याज

सत्य के विभिन्न स्तरों पर चार विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है। कानून के इन चार विभिन्न प्रकारों के एक सक्षिप्त विवरण से यह विषय स्पष्ट हो जायगा ।

शाश्वत कानून (Eternal Law)—शाश्वत कानून वह दैविक विवेक है जोकि विश्व-व्यापी स्तर के ऊपर वर्तता है ; यह वह योजना है जिसके अनुसार ईश्वर ने ग्रहाण्ड की मृष्टि की है और जिसके द्वारा वह उसे कायम रखता है। अपने पूर्णतम रूप में यह केवल ईश्वर के मस्तिष्क में पाया जाता है, परन्तु यह विश्व में निरन्तर अभिव्यक्त हो रहा है जो कि धीरे-धीरे विकसित होकर पूर्णता की ओर जा रहा है। समस्त नृष्टि-देव, मानव, पशु, वनस्पति तथा जड़ पदार्थ—इस कानून के अधीन है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, इसलिये वह शाश्वत कानून को उसके पूर्णतम रूप में कभी बहन नहीं कर सकती। तथापि ईश्वर मनुष्य को इसका कुछ आभास प्राकृतिक कानून के रूप में देता है ताकि मनुष्य उसका अनुसरण कर सके और मृष्टि के साथ अपने को सन्निद्ध कर सके ।

प्राकृतिक कानून (Natural Law)*—नैसर्गिक कानून विश्व में अभिव्यक्त दैविक विवेक है ; यह उचित विश्व में शाश्वत कानून का प्रतिविम्ब है। वह मानव हृदय में उसी प्रकार से अङ्कित है जिस प्रकार की पशु, वनस्पति तथा जड़ पदार्थ के अभाववी जगत में। परन्तु विश्व के दो विभागों में इसकी अभिव्यञ्जना में बहुत बड़ा अन्तर है ; मानव में यह अधिक मुन्दर रूप में पाया जाता है। पशु, पौधे इत्यादि एक अचेतन तथा यान्त्रिक ढग से ईश्वरीय विवेक के अनुसार कार्य करते हैं ; वे एक विवेक-हीन भाव तथा एक आन्तरिक प्रकृति द्वारा अपने आपको सुरक्षित रखने, लाभ प्राप्त करने तथा हानि से बचने की चेष्टा करते हैं। अपने चरित्र का निर्देशन करने के लिए उन्हे आत्म सुरक्षा अथवा शुभाशुभ का कोई ज्ञान नहीं होता। आधुनिक परिभाषा में हम प्राकृतिक कानून उन विभिन्न पद्धतियों को कह सकते हैं, जिनमें कि ईश्वर अभाववी जगत के व्यापार को विनियमित तथा निर्दिष्ट करता है। वे दैविक विवेक की अभिव्यञ्जना हैं ; वे ध्यावश्यक और अपरिवर्तनीय हैं, और उनका कोई अपवाद नहीं है। इसके विपरीत, मनुष्य दैविक विवेक में अधिक प्रत्यक्ष तथा सचेत रूप से भाग लेता है। जैसा कि पहिले ही कहा जा चुका है, ईश्वर ने शाश्वत कानून का कुछ आभास मनुष्य को दिया है जिससे वह उसे पहचान सके और इच्छापूर्वक उसके अनुसार आचरण कर सके। अपना स्वयं का तथा दूसरों का जीवन सुरक्षित रखने की उसमें सचेत इच्छा है ; शुभाशुभ, पुण्य तथा पाप में विभेद करने तथा शुभ और पुण्य को अपनाने और अशुभ तथा पाप से बचने की ईश्वर ने उसे शक्ति प्रदान की है। मनुष्य में दैविक विवेक की इस अभिव्यञ्जना को हम नैसर्गिक कानून (Natural Law) कह सकते हैं जो कि प्राकृतिक कानून (Laws of Nature) में भिन्न है जिनका कार्य प्रकृति के विवेकहीन भाग के व्यापार का नियमन करना है। याद रहे कि मानव हृदय में

* Natural Law का अधिकतर अनुवाद प्राकृतिक नियम किया जाता है पर यह उचित नहीं जान पड़ता। हमने इसका अनुवाद 'नैसर्गिक कानून' किया है।

अकित नैसर्गिक कानून निश्चित नियमों की अपेक्षा आदर्शों की व्यवस्था अधिक है। यह कहना गलत न होगा कि यह मानव जीवन के लक्ष्य तथा मानव संस्थामों के मापदण्ड को निर्धारित करता है; साध्य पर पहुँचने के लिए साधनों का निर्धारण यह नहीं करता। यह वह प्रकाश है जिसके द्वारा मनुष्य दैविक योजना की तिद्दि में भाग ले सकता है।

दैविक कानून (Divine Law)--शाश्वत तथा नैसर्गिक कानून (उन दोनों रूपों में जिनमें कि यह मनुष्य तथा प्रकृति के विवेकहीन भाग में अभिव्यक्त होता है) इस हटिकोण से दोनों ही शाश्वत हैं कि वे ईश्वरीय बुद्धि तथा रचित संसार के साथ-साथ चलने वाले हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जबकि वे न हों और इसलिये उन्हें किसी ने बनाया हो; वे अनादि हैं। सारांश यह कि उनमें से कोई भी विषेयात्मक नहीं है। एक विषेयात्मक कानून वह होता है जिसे किसी समय विशेष पर बनाया जाये; वह कुछ ऐसे कामों को करना अनिवार्य बना देता है जो कि पहिले अनिवार्य नहीं थे। इस बात में ये दैविक कानून तथा मानव कानून से, जो कि दोनों विषेयात्मक कानून हैं, भिन्न हैं। मानव कानून तो स्पष्ट एक विषेयात्मक कानून है ही, इसके लिए तो किसी प्रभाण की आवश्यकता ही नहीं। किन्तु दैविक कानून किस प्रकार विषेयात्मक है, यह बात उतनी स्पष्ट नहीं है; इसलिये इसके विषय में दो घट्ठ कह देना अनावश्यक न होगा; नैसर्गिक कानून में जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावरण को नियमित करता है, जो व्यापक और आधारभूत सिद्धान्त होते हैं, मानव जीवन की समस्त स्थितिया और छोटी-छोटी बात उनके अन्तर्गत नहीं था सकती। प्रत्येक काल और परिस्थिति के लिए वे एक पूर्ण विधान का काम नहीं दे सकती। इसका कारण यह है कि अपनी सीमित बुद्धि से मनुष्य उन नियमों के केवल एक छोटे से अंश को ही जान सकता है जिसके द्वारा विश्व का नियमन तथा शासन होता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हम पहिले ही कह चुके हैं, वे मनुष्य के रामने केवल जीवन लक्ष्य रखते हैं, उम तक पहुँचने के साधन निर्धारित नहीं करते। इसलिये उसे प्राहृतिक कानून की अपेक्षा अधिक विस्तृत और व्यापक नियम रहिता की आवश्यकता है। एकवीनास के अनुमार इस आवश्यकता की पूर्ति दैविक कानून तथा मानव कानून करते हैं। दैविक कानून के अन्तर्गत ईश्वर के वे आदेश आते हैं जो कि अन्तर्बुद्धि द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह ईश्वर-प्रदत्त एक उपहार है, मानव बुद्धि की खोज नहीं जैसा कि प्राहृतिक कानून है। ईश्वर ने अपने कानून का शारण यहुदियों को मिनाई प्रवंत पर, ईसाइयों को ईसा द्वारा, मुमलमानों को मुहम्मद द्वारा तथा हिन्दुओं को वेदों द्वारा कराया। यह जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को निर्धारित करता है, सौकिक पक्ष को इतना नहीं। विभिन्न जातियों और कालों में दैविक कानून का रूप तथा तत्त्व भिन्न-भिन्न होता है। इसके विपरीत नैसर्गिक कानून मानव मात्र के लिए एक है; वह हिन्दुओं, मुमलमानों, ईसाइयों, यहुदियों तथा अन्य पर्माणुमियों के लिए एक नहीं ही कर्तव्य निर्धारित करता है। किन्तु नैसर्गिक कानून और दैविक कानून में कोई

विरोध नहीं हो सकता ; ईश्वर अपनी इच्छा द्वारा ऐसा काम करने का आदेश नहीं दे सकता जो कि विवेकमुम्मत न हो । परमात्मा द्वारा मिला हुआ ज्ञान (Revelation) विवेक को नष्ट नहीं करता , वह उसका पूरक है । सैवाइन के शब्दों में 'टॉम्स की प्रणाली विवेक तथा अद्वा के ऊपर आधारित है , किन्तु उसे इस बात में कभी सन्देह नहीं हुआ कि दोनों मिलकर एक ही भवन निर्माण करते हैं ।'

मानवीय कानून (Human Law)—टॉम्स अन्य प्रकार के कानूनों की अपेक्षा मानवीय कानून का अधिक व्यापक विवरण देता है और तत्परता के साथ नैसर्गिक कानून के साथ उसका सम्बन्ध बतलाने की चेष्टा करता है, इसी प्रकार नैसर्गिक कानून से अचूते वचे हुए क्षेत्र के लिए मानवीय कानून आवश्यक हो जाता है । उदाहरण के लिए नैसर्गिक कानून यह घोपणा कर सकता है कि हत्या और चोरी करना अपराध है ; किन्तु वह उनकी निश्चित परिभाषा नहीं दे सकता और उनके लिए दण्ड निर्धारित नहीं कर सकता । इसके लिए मानवीय कानून आवश्यक है । दूसरी बात यह कि नैसर्गिक कानून तथा दैविक कानून का तत्त्व विशिष्ट रूप से मानव स्वभाव पर निर्भर नहीं करता, इसलिये हमें ऐसे विशिष्ट नियमों की आवश्यकता है जो कि विशिष्ट स्थितियों में प्रयोग किये जा सकें । मानवीय कानून ऐसे नियम प्रदान करता है । जैसे कि पहिले ही कहा जा चुका है, मानवीय कानून विधेयात्मक है ; यह एक निश्चित समय पर बनाया जाता है और यह कुछ ऐसी बातों को न्यायपूर्ण और कुछ को अन्यायपूर्ण घोषित करता है जो कि इसके बनाने से पहिले न तो न्यायपूर्ण थी और न अन्यायपूर्ण, जैसे कि शास्त्र रखना अथवा समाचार पत्रों में सामग्री विशेष को प्रकाशित करना ।

मानवीय कानून समाज के सरकक अर्थात् राजा द्वारा लागू किया जाता है । परन्तु कानून बनाने में राजा मनमानी नहीं कर सकता ; उसे कुछ सीमाओं के अन्दर रहकर कायं करना पड़ता है । पहिली बात तो यह कि मानवीय कानूनों में कोई बात बुद्धि अथवा विवेक विरोधी नहीं होनी चाहिये वयोःकि वे मनुष्य के लिए बनते हैं जो कि अपनी बुद्धि के कारण ही पशु से भिन्न है । टॉम्स स्पष्ट रूप से कहता है कि मानवीय कानून बुद्धि के अध्यादेश है । वयोःकि नैसर्गिक कानून मानव स्तर पर दैविक विवेक की अभिव्यजना है ; इसलिये मानवीय कानून को नैसर्गिक कानून से भी असमत नहीं होना चाहिये । इस प्रकार टॉम्स मानवीय कानून को नैसर्गिक कानून के अधीन रखता है । एक नागरिक एक ऐसे कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो कि बुद्धि के विरुद्ध है । इस प्रकार राजकीय कानून को मानने का कर्तव्य असीम और अनंत नहीं है । "मनुष्य जासको की आज्ञा का पालन करने के लिए उसी हृद तक बाध्य है जहाँ तक कि वह न्याय की माग हो । इसलिये यदि उनका आसनाधिकार न्यायोचित नहीं है, वल्कि अनुचित रूप से दीना हुआ है, अथवा यदि उनका आदेश न्यायोचित नहीं है तो उनकी प्रजा उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है । हाँ, यदि समोगवन किसी दुष्प्रिणिम से बचने के लिए ऐसा करना पड़े तो दूसरी बात है ।" दूसरी बात

यह कि कानून सामान्य हित के लिए बनाये जाने चाहिये, व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हित के लिए नहीं। ऐसा होने की सबसे अधिक सम्भावना तभी है जबकि कानून सम्पूर्ण समाज द्वारा बनाया जाये। सामान्य सम्मति प्राप्त करने के विभिन्न ढंग हैं जिनका विवरण देना यहाँ आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि इस आवश्यकता पर जोर देकर टॉमस ने अपनी दार्शनिक प्रणाली तथा कानून के सामान्य सिद्धान्त में उस ट्यूटोनिक परम्परा का सम्मिश्रण किया है जिसके अनुसार कानून का औचित्य जनता द्वारा मान्यता के ऊपर निर्भर करता है।

राजा की कानून बनाने की शक्ति पर एक अन्य सीमा भी है जो उल्लेखनीय है। यह केवल लौकिक विषयों तक ही सीमित है; आध्यात्मिक विषय इसकी परिधि में बाहर है। मानवीय कानून उस क्षेत्र से अलग रखा गया है जो कि दैविक कानून की परिधि के अन्तर्गत है।

एकवीनास के कानून के सिद्धान्त की आधारभूत वातों को संक्षेप में हम इस प्रकार रख सकते हैं—वह कहता है कि केवल न्यायपूर्ण और धर्मविहित मानवीय कानून ही नागरिकों के लिए मान्य है। मानवीय कानूनों को धर्मविहित होने के लिये उन्हें नैसर्गिक कानून के अनुसार होना चाहिये। यदि कोई कानून नैसर्गिक कानून के अनुसार नहीं है तो नागरिक उसको अवश्य कर सकता है और ऐसा करने के लिए उसे दण्ड नहीं मिलना चाहिये। कानूनों का उद्देश्य भी सामान्य हित होना चाहिये और उन्हें समाज का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। वे व्यक्ति के अन्तर्गत होना चाहिये जो कि नैसर्गिक कानून के अनुसार उनके औचित्य का अन्तिम निर्णायिक है। इस प्रकार राजनीतिक आज्ञा पालन को एक कठोर नैतिक वर्त्तन से आबद्ध कर दिया गया है।

चारों प्रकार के कानूनों की विशेषताओं तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का सुन्दर सारांश हमें डर्निंग के निम्नलिखित शब्दों में मिलता है: “शाश्वत कानून विश्व को नियन्त्रित करने वाली योजना है जो कि ईश्वर के मस्तिष्क में वर्तमान है। नैसर्गिक कानून मनुष्य का, एक बुद्धिपरक प्राणी के रूप में, शाश्वत कानून में भाग लेना है जिसके द्वारा वह अच्छे बुरे की पहचान करता है तथा अपना सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा करता है। मानवीय कानून, मानवीय बुद्धि द्वारा, नैसर्गिक कानून के सिद्धान्तों का विभिन्न लौकिक स्थितियों में प्रयोग करना है। विशेष हृषिकोण से दैविक कानून वह है जिसके द्वारा मानव विवेक की सीमाओं और अपूर्ण की प्राप्ति की जाती है और मनुष्य को पारलौकिक लक्ष्य अर्थात् नित्यानन्द की ओर निर्दिष्ट किया जाता है; यह दैविक ज्ञान का कानून है।”*

* “The lex aeterna is the controlling plan of the universe, existing in the mind of God. Natural law (lex naturalis) is that participation of man, as a rational creature, in the eternal law (or the divine reason), through which he distinguishes between good and evil and seeks his true end. Human law is the

सन्त टॉमस एक्वीनास की दर्शन धारा के दो मुख्य विषयों, अर्थात् अरस्तु की विचारधारा रूपी घड़ पर चर्च के धर्मशास्त्रीय विचार तथा पोप की थेप्टरां रूपी मिर को रखना तथा कानून की विवेचना हम ऊपर कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त दो अन्य विषय हैं जो अधिक महत्वपूर्ण न होते हुये भी उल्लेखनीय हैं। ये हैं सरकार के रूप तथा दास प्रथा। सन्त ऑगस्टाइन तथा प्रारम्भिक चर्च फ्रादसे के सहश टॉमस भी दासता को पाप का दैविक दण्ड समझता है और उसे उचित मानता है। अरस्तु की भाँति वह दासता को कुछ प्रकार के कामों के लिए ठीक और लाभदायक समझता है और इसलिये उसे स्वाभाविक मानता है। उसके पक्ष में वह एक दूसरी युक्ति भी पेश करता है। उसका विचार है कि वह सेनिकों में बीरता का सचार करती है। युद्ध में विजेता द्वारा दास बना लिए जाने का भय सेनिकों को साहसपूर्वक लड़ने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा देता है।

हम पहिले देख ही चुके हैं कि टॉमस ने अरस्तु के इस सिद्धान्त को अपनाया है कि राज्य एक स्वाभाविक विकास तथा मनुष्य के सामाजिक स्वभाव का फल है। परन्तु वह अरस्तु के सहश नगर-राज्य को एक स्वयंपर्याप्त इकाई नहीं समझता; यह गुण वह एक राज्य (Kingdom) में ही देखता है। अरस्तु द्वारा किये हुए राज्यों के वर्गीकरण अर्थात् राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र तथा लोकतन्त्र और उनके भ्रष्ट रूप को वह अपनाता है। परन्तु जबकि अरस्तु पोलिटी (लोकतन्त्र) अथवा मध्यवर्गतन्त्र को राज्य का सर्वथेष्ठ व्यावहारिक रूप मानता था, टॉमस राजतन्त्र का पक्षपाती था, क्योंकि उसमें अन्य प्रकार के राज्यों की अपेक्षा कही अधिक उद्देश्य की एकता प्रकट होती है और यह समाज की एकता को कायम रखता है। अरस्तु की इस आपत्ति का ओचित्य वह स्वीकार करता है कि एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति केन्द्रीभूत हो जाने से आततायीतन्त्र का मार्ग प्रशस्त हो जाता है; परन्तु जनतन्त्र में सन्निहित नागरिक कलह तथा अव्यवस्था की अपेक्षा वह आततायीतन्त्र का खतरा उठाना अधिक पसन्द करता है। इसके अतिरिक्त उसका विचार यह है कि क्योंकि शक्ति एक द्रुस्ट है और राजा द्रुस्ट की शर्तों का पालन करता है या नहीं इस बात का अन्तिम निर्णायिक जनता है, इसलिये राजतन्त्र भ्रष्ट होकर आततायीतन्त्र में परिवर्तित नहीं होगा।

सन्त टॉमस एक्वीनास की राजनीतिक विचारधारा का मूल्यांकन करते समय अन्त में यह बताना भी अति आवश्यक है कि आधुनिक योरोप को मूलानी विचारों से परिवर्तित कराने में उसका कितना हाथ था। सन्त टॉमस एक्वीनास ने अरस्तु की 'पॉलिटिक्स' (Politics) और सन्त अगस्टाइन के उपदेशों में एक महान समन्वय स्थापित किया।

application, by human reason, of the precepts of natural law to particular earthly conditions. The divine law in the special sense is that through which the limitations and imperfections of human reason are supplemented, and man is infallibly directed to his supramundane end—eternal blessedness: it is the law of Revelation."

पित किया, ऐसे भमन्यव इतिहास में गिने चुने हो है। इसी भमन्यव के कारण उत्तर-मध्ययुग (Later Middle Ages) की विचारधारा 'पालिटिक्स' के प्रमुख सिद्धान्तों से प्रभावित हुई। उदाहरणतः कानून ही सर्वोच्च है, सरकार कानून के अधीन है, वैधानिक सम्राट (Lawful Monarch) तथा निरकुल शासक जो केवल अपनी ही इच्छा से शासन चलाता है, इन दोनों प्रकार के शासकों में वृनियादी अन्तर है, जनता में सामूहिक निर्णय करने की क्षमता होने के कारण उसे अपने शासकों को निर्वाचित करने तथा उन पर नियन्त्रण रखने का जन्ममिद्द अधिकार होना चाहिये। हम यह भी कह सकते हैं कि सन्त एकबीनास द्वारा ही आधुनिक योरोप में अरस्तु के विधानवाद (Constitutionalism) का प्रसार हुआ। लाड एंवटन ने एक बार सन्त एकबीनास को मध्य से पहला ह्विंग (Whig) बतलाया। प्रां० वाकर इस कथन में संशोधन करते हुए कहते हैं कि पहला ह्विंग एकबीनास नहीं था बल्कि अरस्तु था, क्योंकि इस महान् मध्यकालीन विचारक ने अपने विधानवाद की प्रेरणा अरस्तु से ही ली थी। अरस्तु ने सन्त टॉमस को शिक्षित किया और सन्त टॉमस के द्वारा उसने रिचार्ड हुकर (Richard Hooker) को भी शिक्षित किया । मुयोग्य हुकर लॉक (Locke) के आचार्यों में से एक था और सिविल गवर्नेंट (Civil Government) नामक दो ग्रन्थों का एक महान् स्रोत भी था।

एजिडियस रोमेनस (Egidius Romanus)—सन्त टॉमस एकबीनास के उपरान्त एजिडियस रोमेनस या एजिडियस कोलोना, जैसा कि कभी-कभी उसे पुकारा जाता है, आता है। उसको पुस्तक 'डी पोटेस्टेट एक्लेजियास्टिका' (De Potestate Ecclesiastica) में, जो कि १३०१ ई० में प्रकाशित हुई थी, यमं शास्त्रीय तथा दार्शनिक आधार के ऊपर योप की प्रभुता का सब से अधिक पूर्ण पक्ष-समर्थन गया जाता है। एजिडियस के अतिरिक्त योप के अन्य किसी समर्थक ने इतनी वीरता और स्पष्टतापूर्वक इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया कि योप समस्त विश्व का, आध्यात्मिक तथा लौकिक समस्त विषयों में, सर्वोच्च स्वामी है और समरत राजा उसके अधीन है। इसलिये राजनीतिक विचार के इतिहास में उसका यह ग्रन्थ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

योप की प्रभुता के पक्ष में एजिडियस की युक्तियों का विवरण देने से पहिले उसकी स्वामित्व (Dominium) सम्बन्धी धारणा का विश्लेषण करना अधिक मुव्विधाजनक होगा क्योंकि उसके वितन में उसका केन्द्रीय स्थान है। स्वामित्व शब्द का प्रयोग मध्यकालीन विचारक किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर अधिकारपूर्ण शक्ति का बोध कराने के लिये करते थे। इसमें राजनीतिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी दोनों प्रकार के अधिकार सम्मिलित थे। यह कहा जाता था कि राजा का, और इसी प्रकार सामन्त सरदार का, अपनी प्रजा तथा सम्पत्ति के ऊपर स्वामित्व है। एजिडियस का आग्रह यह था कि लौकिक कानूनों द्वारा प्रदान किया हुआ स्वामित्व का अधिकार तभी मान्य है जबकि उसका उपभोक्ता ईश्वर के अधीन हो और उसे प्रभु-कृपा प्राप्त हो। एक

धर्म-वहिष्कृत राजा अथवा सामन्त सरदार का अपनी प्रजा की भवित तथा सेवाओं पर कोई उचित अधिकार नहीं हो सकता; इसी प्रकार एक विधर्मी का सम्पत्ति के ऊपर कोई उचित अधिकार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, उसके आधिपत्य में कुछ सम्पत्ति है; किन्तु उसके ऊपर उसका स्वामित्व तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उसका अधिकार उसे प्राप्त न हो। इसलिये प्रश्न उठता है, स्वामित्व का अधिकार एक व्यक्ति किस प्रकार प्राप्त करता है? एजिडियस का उत्तर यह है कि जड़ अथवा चैतन्य सम्पूर्ण मृष्टि के ऊपर एकमात्र सच्चा स्वामित्व केवल ईश्वर का है और मनुष्यों तथा सम्पत्ति के ऊपर केवल उन्हीं का उचित अधिकार हो सकता है जिन्होंने कि ईश्वर से उसकी अनुकम्पा द्वारा उसे प्राप्त किया हो। क्योंकि ईश्वर की अनुकम्पा केवल चर्च द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है इसलिये सच्चा स्वामित्व केवल वही है जो चर्च के अधीन हो या जिसे चर्च ने प्रदान किया हो। इस प्रसग में एजिडियस के गद्ब उद्घरणीय है। वह लिखता है “इसलिये तुम्हे अपनी विरामत, अपने समस्त स्वामित्व, अपनी प्रत्येक वस्तु के लिये अपना अधिकार तुम्हे चर्च से, चर्च के द्वारा तथा चर्च का एक पुत्र होने के नाते प्राप्त करना चाहिये, न कि अपने लौकिक पिता से, अथवा उसके द्वारा, अथवा इसलिये कि तुम उसके पुत्र हो। . . . परन्तु ध्यान रहे कि जब हम यह कह सकते हैं कि चर्च माता है और समस्त वस्तुओं के ऊपर उसका प्रभुत्व है तो ऐसा कह कर हम मनुष्यों से उनका अधिकार नहीं छीनते, क्योंकि चर्च का स्वामित्व मार्बभीमिक और थेप्टर है, जब कि उसके सदस्यों का स्वामित्व केवल विशिष्ट और हीनतर है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि चर्च का स्वामित्व सार्वभौमिक और थेप्टर है और उसके घटकों को हम विशिष्ट और हीनतर स्वामित्व प्रदान करते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि हम लौकिक विषयों में राजा का और पारलौकिक क्षेत्र में ईश्वर का स्वामित्व स्वीकार करते हैं।”*

* “You must therefore derive your title to your inheritance, to your whole dominium, to everything you possess from the church, through the church and from being a son of the church, rather than from your earthly father, or through him; or because you are his son But it should be noted that when we say that the church is the mother and has the lordship over all possession and all temporal things, by so saying we are not taking from men their dominion or possession, for the church has such dominion as the universal and superior dominion. its members have it only as the particular and inferior. We then do render unto Caesar that which is Ceasor's and unto God that which is God's, when we concede to the church the universal and superior dominium over temporal things, and bestow on the faithful the particular and inferior dominium.”

--Quoted by McIlwain from De Ecclesiastica Potestate.

इस अत्यन्त भेदावी तथा सारगमित युक्ति का दार्शनिक आधार अरस्तु के इस सिद्धान्त में पाया जाता है कि साधन का मूल्य तथा आचित्य साध्य के ऊपर निर्भर करता है। एज़िडियस का तर्क यह है कि एक व्यक्ति का वस्तुओं के ऊपर स्वामित्व तथा राजनीतिक शक्ति के ऊपर अधिकार तभी उचित और श्रेयस्कर हो सकता है जबकि उसका प्रयोग आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करने में किया जाये। ऐसा तभी हो सकता है जबकि चर्चे उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। सारांश यह कि व्योक्ति प्रत्येक सांसारिक वस्तु का मूल्य उसकी उच्चतर आध्यात्मिक उद्देश्य के लिये उपयोगिता के ऊपर निर्भर करता है इसलिये उसके ऊपर स्वामित्व तभी उचित और धर्मविहित हो सकता है जब कि वह चर्चे से और चर्चे द्वारा प्राप्त किया जाये। इस सिद्धान्त के बड़े गम्भीर परिणाम निकलते हैं; इसके अनुसार समस्त सांसारिक वस्तुओं के ऊपर सामान्य स्वामित्व चर्चे में निहित है, इस प्रकार यह लौकिक विषयों में चर्चे के हस्तक्षेप करने के लिये आधार प्रदान करता है। पीटर क्रेसस ने फ्रांस के राजा के अपने बंशानुगत राज्य अधिकार के समर्थन में जो युक्ति दी थी उसका यह सिद्धान्त जोरदार खण्डन करता है। यह राजा के अपनी सम्पत्ति, भूमि तथा प्रामाणी को प्रयोग करने तथा नियन्त्रित करने के अधिकार को तो स्वीकार करता है और इस प्रकार उसके स्वामित्व को सुरक्षित रखता है; किन्तु राजा से उच्चतर स्वामित्व चर्चे में निहित कर देता है। चर्चे को समस्त वस्तुओं और मनुष्यों के ऊपर स्वामित्व का अधिकार दिया गया है; और उसकी निर्देशक शक्ति राजा की शक्ति से अधिक है। चर्चे एक राजा के व्यक्तित्व का निर्णय कर सकता है, उसकी निन्दा कर सकता है; यहां तक कि उसकी सम्पत्ति को किसी दूसरे के स्वामित्व में दे सकता है। एज़िडियस बड़ी तत्परता के साथ यह सिद्ध करना चाहता है कि उसका सिद्धान्त लौकिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के विभेद को नष्ट करना नहीं है और न ही वह पूर्वोक्त को अपनी शक्तियों तथा अधिकारों से वंचित करना चाहता है; उसका अभिप्राय केवल लौकिक शक्ति को चर्चे के नियन्त्रण में रखना है ताकि वह न्यायोचित बन सके। चर्चे लौकिक शक्ति का अपहरण नहीं करता; वह उसमें हस्तक्षेप केवल तभी करता है जबकि पाप का प्रश्न उठता है; ऐसे हस्तक्षेप का एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक हितों और मूल्यों को सुरक्षित रखना है। इस शक्ति की ऐसी व्यापक व्याख्या की जा सकती है जिससे कि प्राप्त समस्त विषय इसके अन्तर्गत आ सकते हैं। इससे भी बढ़कर चर्चे का एक विशेष अधिकार धेत्र भी है; इसमें विभिन्न राज्यों में यानि स्थापित रखना तथा राधियों का पातन करना सम्मिलित है। एज़िडियम ऐसी स्थिति में भी चर्चे को हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है जबकि शासक भ्रावधानी ने काम करे या नागरिक कानून अस्पष्ट अपवा अपर्याप्त हो।

एज़िडियस के तर्क का अगला सोपान यह सिद्ध करना है कि चर्चे की समस्त शक्तियां आवश्यक रूप से पोष की हैं, और किसी की नहीं। अपनी यह चाल सिद्ध करने के लिये एज़िडियस धर्मग्रन्थों तथा इतिहास का आध्यय सेता है और दृष्टान्तों

का भी प्रयोग करता है। उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं; हम केवल एक बात का उल्लेख करेंगे। एजिडियस चर्च को अधिकारियों की एक शिखरोन्मुखी व्यवस्था (Hierarchy) समझता है, जिसमें निम्नाधिकारी अपनी शक्तियाँ उच्चाधिकारियों से प्राप्त करते हैं और उनके नियन्त्रण के अधीन रहते हैं। पोप चर्च का उच्चतम अधिकारी है, इसलिये उसे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। चर्च का जो कुछ भी अधिकार है, उसका प्रयोग पोप करता है, क्योंकि वह चर्च का निविवाद प्रधान है। उसकी एक युक्ति यह है कि पोप की सर्वोच्च तथा अनुपम शक्तियाँ उसके पद के कारण हैं; वे उसके व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर निर्भर नहीं करती; उनका स्रोत आध्यात्मिक शक्ति की स्वाभाविक श्रेष्ठता तथा अरस्तु का यह भिन्नान्त है कि उच्चतर निम्नतर पर शासन तथा नियन्त्रण करता है। इसलिये यद्यपि यह 'कॉन्स्टेन्टाइन' के दान तथा अन्य ऐतिहासिक पूर्व-उदाहरणों का उल्लेख करता है, तथापि वह उनको बहुत अधिक भृत्य नहीं देता; उसका मुख्य आधार आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप तथा पोप का सर्वोच्च पद है।

यह प्रश्न उठाया गया है कि आया कि एजिडियस के अनुसार पोप चर्च का निरंकुश प्रधान है या कि एक ऐसा वैधानिक शासक है, जो कि व्यवस्थापन तथा प्रशासन के मामलों में चर्च के सामान्य कानून से बाध्य है। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि एजिडियस निरंकुशवाद की दिशा में काफी बढ़ गया है, तथापि वह उसे एक पूर्णस्वीकृत निरंकुश शासन नहीं बनाता है। वह बताता है कि पोप को व्यवस्थापन तथा प्रशासन का कार्य साधारणतया सामान्य कानून के अनुसार चलाना चाहिये; किन्तु अपवादस्वरूप कुछ मामलों में उसे कानून का उल्लंघन करने का अधिकार भी वह देता है।

एजिडियस रोमेनस के विचारों के इस सक्षिप्त विवरण के उपस्थार-स्वरूप हम मैकल्वेन का एक उदाहरण देंगे जिसने इस महान् मध्यकालीन विचारक की गहनतम विवेचना की है और उपरोक्त पृष्ठों पर जिसका एक बहुत बड़ा छहण है। वह लिखता है—“सब कुछ कहने के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मध्य काल के उत्तरार्द्ध में राजनीतिक विचार के इतिहास में एजिडियस कीलोना महान् नामों में है। अपने ग्रन्थ 'De Regimine Principum' में उसने अरस्तु के राजनीतिक विचारों को मध्य काल में एक अत्यन्त गहन और व्यापक रूप से अपनाया है, चाहे इस क्षेत्र में आदि लेखक वह भले ही न हो। २५ वर्ष उपरान्त उसने इन्हीं विचारों को पोप की प्रभुता के विषय में केनोनिस्ट्स के उत्तराम विचारों के साथ सम्मिश्रित कर दिया है और यह सम्मिश्रण पोप की प्रभुता का दार्शनिक आधार पर प्रथम व्यापक समर्थन दिखाई पड़ता है; और अपने ग्रन्थ 'डी पोटस्टेट एक्लेजियास्टिका' में प्रतिपादित स्वामित्व के सिद्धात में उसने इन दो विचारधाराओं के स्वामित्व अधिकारों को स्वामियों तथा सेवकों में विभाजित करने की एक तीसरी सामन्तवादी धारा से मिला

फेयर के सामाजिक कानूनों की थी जिसका कि वह शिक्षक था। जब फिलिप और पोप में सघर्ष हुआ तो पोपशाही का पक्ष समर्थन करने के लिये उसने फिलिप का परित्याग कर दिया। एजिडियस बोर्गुस (Bourguet) का आकंविशप और आँगस्टीनियन सम्प्रदाय (Augustinian Order) का प्रधान था।

दान्ते (Dante Alighieri)—पोपवादियों को छोड़कर अब हम साम्राज्य की स्वाधीनता के हामियो पर आते हैं। उन्हें यदि हम धर्मनिरपेक्ष राज्यवादी कहे तो अधिक समुचित होगा, क्योंकि दान्ते के अतिरिक्त उनमें से किसी ने भी साम्राज्य का समर्थन नहीं किया। ये पर सभी ने लौकिक क्षेत्र पर पोप नियन्त्रण के दावे के विरुद्ध उदीयमान राष्ट्र-राज्यों का पक्ष ग्रहण किया। जैसा कि पहिले ही कहा जा चुका है, १४वीं और १५वीं शताब्दियों में चर्च का शब्द राष्ट्र-राज्य था, होली रोमन साम्राज्य नहीं जो कि १२५० ई० में फ्रेडरिक द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् एक छाया मात्र रह गया था। सबसे पहिले हम दान्ते को लेंगे जिसका जन्म १२६५ ई० में फ्लोरेस में हुआ और १३२१ ई० में एवरीना में एक देश-निर्वासित के रूप में जिसकी मृत्यु हो गई। वह एक प्रतिभाशाली साहित्यकार, एक महान् कवि (मध्यकाल का शायद महान-तम कवि) था। पोपशाही के विरुद्ध सघर्ष में वह इसलिये कूद पड़ा क्योंकि वह यह महसूस करता था कि उसके नगर में गृह-कलह और उस युग में बार-बार होने वाले युद्ध लौकिक विषयों में पोप के हस्तक्षेप के परिणाम थे। जब पोप रोम से एविनोन चला गया और पोप पद फास की नीति का एक यन्त्र बन गया तो पोपशाही के विरुद्ध उसकी कटुता और भी अधिक बढ़ गई। अपने समय की स्थिति के अचलोकन से वह इस परिणाम पर पहुंचा कि इटली तथा सासार का वास्तविक संकट तब तक दूर नहीं हो सकता और विभिन्न गुटों में प्रतिद्वन्द्विता के कारण फैला हुई अराजकता तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि एक सर्वशक्तिमान साम्राट् की अधीनता में एक सर्वध्यापक साम्राज्य की स्थापना नहीं की जायेगी और पोपशाही को उसमें किसी भी प्रकार के लौकिक अधिकार से बचित न कर दिया जायेगा। महाकवि बजिल ने ऐसे

* "When all is said, it must appear that Egidius Colona is one of the greatest names in the history of political thought in the later middle ages. He was the author of one of the closest and most comprehensive if not the earliest medieval adaptation of Aristotle's political ideas, in his *De Regimine Principum*; a quarter century later he combined these same ideas with the extreme canonist views of papal omnipotence in what appears to be the first comprehensive defence of the plenitudo potestatis of the Pope on a philosophic basis; and in the theory of dominium set forth in his *De Potestate Ecclesiastica* at that time he made a further combination of these two sets of ideas with a third, the feudal conception of tenure and its parcelling of proprietary rights among lords and vassals."

—McIlwain : *Growth of Political Thought in the West*, page 259

साम्राज्य की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की थी। उसकी महान् कृति 'डी मांनाकिया' (De Monarchia) में बड़े जोरदार शब्दों में दो वातों की व्यक्तिगति की गई है : (१) एक धर्मनिरपेक्ष विश्व साम्राज्य की पुनर्स्थापना जो कि चिर शांति की एक पहली भर्त है, तथा (२) पोप को समस्त लौकिक शक्ति से वचित कर देना। डर्निंग के कथनानुसार इस ग्रन्थ में "राज्यवादी दर्शन की सबसे अधिक पूर्ण प्रणाली पाई जाती है।"

यद्यपि साम्राज्य तथा पोपशाही के मध्य सघर्ष में दान्ते जॉन आँफ सेलिस्वरी तथा सन्त टॉमस एक्वीनास के विरुद्ध खड़ा हुआ, तथापि आधारभूत वातों में वह उनसे सहमत है। प्रथम, वह एक ऐसे सार्वभौमिक समाज में विश्वास करता था जिसके अन्तर्गत समस्त भानव प्रारंभी आते हैं और जिसके ऊपर ईश्वर द्वारा नियुक्त दो शक्तियों का शासन है, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर पोप का और लौकिक विषयों के ऊपर सम्राट् का। उस समय के प्रसग का सार्वभौमिक साम्राज्य के विचार से कोई सम्बन्ध नहीं था; उसका स्थान तो बहुत से स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया था जिनका उद्य यूरोप के विभिन्न भागों में बड़ी तीव्र गति से हो रहा था। इस प्रकार दान्ते भूत की ओर देखता था; वह यह महसूस कर सका कि उसके समय की वस्तुस्थित उसके विश्व साम्राज्य के ग्रादर्श की प्राप्ति के अनुकूल नहीं थी। यह उक्ति कि मध्य युग के ऊपर साम्राज्य का प्रेत लटका हुआ था दान्ते के विचार पर पूर्ण रूप से लागू होती है।

दूसरे यह कि दान्ते उनकी इस वात से सहमत था कि मनुष्य स्वभावतः द्वैत-मूलक है; वह शारीर और आत्मा है। इसीलिये एक ही सार्वभौमिक समाज में दोहरे शासन की मध्यकालीन परम्परा को वह स्वीकार करता था। वह यह भी मानता था कि दोनों शक्तियों के अधिकार क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं और एक को दूसरे के कार्य में हस्त-धेष नहीं करना चाहिये। इस प्रकार वह प्राचीन ऐलेशियन सिद्धान्त को पुनर्जीवित करना चाहता था जिसे कि पोप इन्नोसेन्ट चतुर्थ, पोप बोनीफेस अष्टम तथा एजिडियस कोनोना सरीखे व्यक्तियों ने अपनों व्यास्यायों द्वारा निरर्थक कर दिया था। जहाँ तक कि उसके विचार की सामान्य पुठुभूमि का सम्बन्ध है दान्ते जॉन-आँफ पेरिस, मार्सीलियो आँफ पेरुआ तथा विलियम आँफ ओकम सरीखे राज्य के समर्थकों से बहुत अधिक भिन्न है; वह १४वीं शताब्दी की अपेक्षा १३वीं शताब्दी का अधिक है। टॉमस एक्वीनास की भावित दान्ते पर भी अरस्तु के दर्शन का भारी प्रभाव पड़ा था। वह कुछ स्वयंसिद्ध अथवा सर्वस्वीकृत सिद्धान्तों को लेकर चलता है, जैसे कि अरस्तु की यह उक्ति कि प्रकृति किसी वस्तु को भी व्यर्थ उत्पन्न नहीं करती, और उनमें से परिणाम निकालता है। इस प्रकार वह यह भिन्न करने वाले चेष्टा करता था कि शान्ति समस्त विश्व के निए वाद्धनीय है और एक चक्रवर्ती सम्राट् के अधीन एक विश्वव्यापी साम्राज्य ने अन्तर्गत ही उसे प्राप्त किया जा सकता है।

उसके महान् ग्रन्थ 'डी मांनाकिया' का मूल विषय है विश्वव्यापी साम्राज्य जिसमें नमस्त धोटे-धोटे राज्य अद्व्यतन्य सदस्यों के रूप में उगठित हों। यह

तम न्याय और व्यक्ति की धर्मपालन करने की वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकेगी। “शांति का साम्राज्य होगा; और सभ्यता का विकास होते-होते मानव बुद्धि की पूर्ण सम्भावनाये प्रस्फुटित हो जायेगो।”

मानव जाति की शान्ति तथा कल्याण के लिये सार्व-भौमिक साम्राज्य की अपरिहार्य आवश्यकता का अनुभव करने के उपरान्त दान्ते का मस्तिष्क अपने सभ्य के सबसे प्रधान इस प्रश्न की ओर गया कि चक्रवर्ती सम्राट् तथा पोप में क्या सम्बन्ध होना चाहिए। इस प्रश्न का भी उसके पास इतना ही दृढ़ और सरल उत्तर था और वह यह कि पोप को धर्म-निरपेक्ष विषयों में हस्तक्षेप करने का और सम्राट् को उसके कामों में निर्देशन देने का कोई अधिकार नहीं है। उसने पोप की आध्यात्मिक शक्ति से तो इन्कार नहीं किया परन्तु धर्म-निरपेक्ष राजनीति में उसका कोई स्थान वह स्वीकार नहीं करता। इस धारणा का आधार मनुष्य का दोहरा लक्ष्य है जो इस बात की मांग करता है कि उसके जीवन के दोनों क्षेत्र, लौकिक तथा धार्मिक, पूर्णरूपेण अलग-अलग रहने चाहिये। ईश्वर ने मनुष्य के सामने दो लक्ष्य रखे हैं: एक है अपनी बुद्धि का पूर्ण विकास तथा सासारिक मुख का उपभोग करना और दूसरा है नित्य जीवन का आनन्द प्राप्त करना जोकि ईश्वर दर्शन से ही हो सकता है। ये दोनों लक्ष्य विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त होते हैं; दर्शन शिक्षा और चक्रवर्ती साम्राज्य द्वारा स्थापित शांति, सुरक्षा तथा न्याय से पहिले लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है: और चर्च की आध्यात्मिक शिक्षा, ईश्वरप्रदत्त ज्ञान तथा पोप का नेतृत्व दूसरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ये दोनों लक्ष्य पूर्णरूपेण भिन्न हैं और चर्च तथा माम्राज्य के कार्य एक दूसरे से विल्कुल भिन्न हैं, इसलिये आध्यात्मिक शक्ति का लौकिक विषयों में हस्तक्षेप करना एकदम अनावश्यक और अनुचित है। इस परिणाम पर पहुंचने में दान्ते को अपने इस विश्वास से और भी महावता मिली है कि नैतिकता धर्म से स्वतंत्र रहकर भी टिक सकती है और वह धर्मशास्त्र का प्रतिफल नहीं है। इसके विपरीत धर्मशास्त्रियों का विश्वास यह था कि नैतिकता को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए नैतिक प्रश्नों में चर्च को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इस प्रकार दान्ते ने पोपवादियों की जड़ पर ही आधात किया। “सासारिक शान्ति सभ्यता की प्रगति के लिए अनिवार्य होते हुए भी अस्थायी है। आध्यात्मिक शक्ति का सम्बन्ध स्थायी विषयों से है; अस्थायी स्थिति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका उचित स्थान दैविक स्वर्ग है। इस वसुन्धरा पर उसके लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर एकमात्र अधिकार चक्रवर्ती सम्राट् का है; उनका कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं होना चाहिये जिसका कि ध्वसात्मक प्रभाव हो। स्कोलिस्टीसिस्म को इस आधारभूत मान्यता से इन्कार करके कि जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, दान्ते ने धर्मशास्त्र में एक गहरी दराड खोल दी।” *

* “Earthly peace was a transitory condition though essential to the progress of civilization. The spiritual power dealt with eternal matters. It had nothing to do with a transitory condition. Let it be relegated to the Celestial

जॉन ओफ पेरिस (John of Paris) — घर्मनिरपेक्षवाद के समर्थक मध्यकालीन विचारकों की हमारी मूर्ची में अलग नाम जॉन ओफ पेरिस (१२६६—१३०६) का है जिसका कार्य न केवल अपने युग के लिये वल्कि भविष्य के लिये भी बड़ा महत्वपूर्ण था। अपने समकालीन दान्ते की अपेक्षा वह अपने युग का अधिक सच्चा प्रतिनिधि था और आगे आने वाले विचार पर उनका अधिक प्रभाव पड़ा। दान्ते ने जो सार्वभौमिक साम्राज्य का आदर्शीकरण किया उसका यथार्थ से कोई सम्बन्ध न था और न ही भविष्य के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ा। यद्यपि इटली का वह एक महान् देशभक्त था और पोपशाही के प्रति उसकी पृष्ठाएँ में उसके स्वदेश-प्रेम का काफी बड़ा हाथ था, तथापि दान्ते के राजनीतिक विचार में राष्ट्रवाद का कोई विशेष स्थान नहीं था। इसके विपरीत जॉन का साम्राज्य को मानव आवश्यकताओं के प्रतिकूल बता कर उसका खण्डन करना और कानूनी तथा ऐतिहासिक दोनों आधारों पर फास के राजतन्त्र का धोर समर्थन करना युग की विचारधारा के एकदम अनुकूल था और उसने भविष्य के विचार के लिये मार्ग प्रशस्त किया। जॉन के राजनीतिक विचार की अन्य महत्वपूर्ण विवेपताओं का उल्लेख करने से पहिले यह बताना बाध्नीय प्रतीत होता है कि उसने किस कारण चक्रवर्ती साम्राज्य का खण्डन किया और छोटे राज्यों को तरजीह दी।

जॉन कहता है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए आवश्यक है विश्वास जो हर कही एकसा है; समस्त ईसाई जगत में ईसाइयों के आध्यात्मिक हित एक से हैं। इसलिये एक सार्वभौमिक चर्च तथा चर्च द्वारा नियन्त्रण में एकता बाध्नीय और आवश्यक है। परन्तु मानव जाति के लौकिक हितों के विषय में यही बात नहीं कही जा सकती; ये हित देश-देश के भिन्न-भिन्न होते हैं। फास वालों की राजनीतिक आवश्यकताओं जर्मनी अथवा इटली वालों की आवश्यकताओं से भिन्न है, इसलिये समस्त ईसाइयों के लिए एक सार्वभौमिक चर्च की भाँति एक सार्वभौमिक साम्राज्य नहीं हो सकता; राजनीतिक क्षेत्र में स्वाभाविक इकाई राज्य है, साम्राज्य नहीं। राजनीतिक हितों की विविधताओं के अनुसार विभिन्न स्वतंत्र राज्य हो सकते हैं; सब के ऊपर एक ही राजनीतिक नियन्त्रण लादना न आवश्यक है और न बाध्नीय। इस परिणाम पर पहुचने में जॉन पर अरस्तु के दर्शन का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था। उनमें अरस्तु के स्वपर्याप्ति समाज के आदर्श तथा इस धारणा को अपनाया कि राज्य अथवा समाज मानव हितों और स्वाभाविक इच्छाओं की विविधताओं में से उत्पन्न होता है। जॉन के अनुसार स्वपर्याप्ति इकाई राज्य है।

राज्य को चर्च के किसी भी प्रकार के नियन्त्रण से स्वतन्त्र सिद्ध करने के लिए जॉन अरस्तुवाद का प्रयोग करता है। याद रहे कि राज्य के ऊपर चर्च के नियन्त्रण के पक्ष में एक मुख्य तर्क यह था कि राज्य का मूल मानव पाप होने के कारण उसे चर्च द्वारा पवित्र किया जाना आवश्यक है। जॉन इस तर्क का खण्डन अरस्तु की इस धारणा को अपनाकर करता है कि राज्य एक विशेषात्मक शुभ है, एक आवश्यक बुराई नहीं; और वह मनुष्य के सामाजिक स्वभाव का फल है, उसके पतन का परिणाम

नहीं। राज्य शुभ जीवन के लिए आवश्यक है और वह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक तथा व्यक्तिगत गुणों का विकास सम्भव है। इसलिये वह स्वयं प्रपना ग्रीचित्य है; उसे किसी के द्वारा पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जैन राज्य की स्वाभाविकता को उसकी चर्चे से स्वाधीनता का समर्थन करने के लिए प्रयोग करता है।

कुछ पोषवादी लेखकों ने अरस्तु के इस सिद्धान्त का लाभ उठाने की चेष्टा की थी कि उच्चतर हीनतर को नियन्त्रित करता है और हीनतर उच्चतर के अधीन होता है। जैन इस तर्क का भी खण्डन करता है। एक पादरी होने के नाते जैन इस बात को एकदम स्वीकार कर लेता है कि चर्चे की आध्यात्मिक शक्ति राजा की लौकिक शक्ति से कही अधिक गौरवशाली है; किन्तु वह कहता है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि चर्चे शक्ति राजशक्ति से प्रत्येक बात में ही श्रेष्ठ है अथवा राजशक्ति की देन है। यह आवश्यक नहीं है कि जिसका गौरव अधिक हो उसकी शक्ति भी अधिक हो; एक विद्यक या उपदेशक का गौरव निश्चित रूप से ही एक पुस्तिस के सिपाही से अधिक है किन्तु उनकी लौकिक शक्ति उससे कम है। लेकिन जैन की धारणा यह है कि लौकिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति की अपेक्षा कम गौरवपूर्ण होते हुये भी लौकिक विषयों में उससे श्रेष्ठ है। इनमें से कोई भी एक दूसरे की देन नहीं है; दोनों ही अपने ही सामान्य प्रभु ईश्वर से प्राप्त हुई हैं। इसलिये अरस्तु के इस सिद्धान्त का कि उच्चतर हीनतर को नियन्त्रित करता है पोषवादियों ने गलत प्रयोग किया है; इस सिद्धान्त का यह अभिप्राय कदाचि नहीं है कि आध्यात्मिक शक्ति का लौकिक शक्ति के ऊपर नियन्त्रण होना चाहिये।

यह है जैन द्वारा आध्यात्मिक तथा लौकिक शक्तियों के पारस्परिक सामान्य सम्बन्धों की विवेचना। इसके साथ ही यह बात भी उल्लेसनीय है कि पोषशाही तथा फोम के राजा के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में उसका यथा कहना है। उनकी धारणा थी कि पोषशाही तथा पवित्र रोमन साम्राज्य में भी कुछ सम्बन्ध वर्यां न रहा हो, किन्तु उसके आधार पर फास के राजा को पोष के अधीन नहीं किया जा सकता। उसने 'कास्टेट्टाइन के दान' (उस समय तक इस अभिलेख की सच्चाई अमरित्य थी; यह फर्जी था यह बात आगे चलकर सिद्ध की गई) के कानूनी ग्रीचित्य पर इस आधार के ऊपर आक्रमण किया कि सभ्राट को अपने साम्राज्य का कोई भाग किसी को दे देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाये कि उसे इस प्रकार का अधिकार था तो भी वह 'दान' फान के ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि फात के लोग कभी भी साम्राज्य के अधीन नहीं थे। यदि तर्क के लिए यह भी मान लिया जाये कि किसी समय फास साम्राज्य के अधीन था तो आगे चलकर उसने अपनी स्वतन्त्रता किर से प्राप्त कर ली। सारांश यह कि फामीनी जैन के लिए साम्राज्य का प्रस्तित्व ही समाप्त हो गया था। पाप अपने पिट्ठू मभ्राट के द्वारा फान के स्वतन्त्र राजा के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं रख सकता था। इस प्रस्तर में यह याद रखना

चाहिये कि उस समय साम्राज्य जोकित था, भले ही वह केवल नाममात्र के लिए हो, और उदीयमान राज्यों के स्वतन्त्रता के दावे से इन्कार करने के लिए साम्राज्य तथा पोपशाही में सन्धि हो गई थी। इस प्रकार जॉन की साम्राज्य विवेचना तथा दान्ते द्वारा साम्राज्य के आदर्शोंकरण में एक बहुत बड़ा वैषम्य था।

सम्पत्ति तथा चर्च में पोप की स्थिति के विषय में जॉन की धारणाएँ उसके राजनीतिक विचार का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, किन्तु उनकी विवेचना करने से पहले यह बतलाना आवश्यक प्रतीत होता है कि जॉन ने अरस्टु की व्याख्या किस प्रकार की। अरस्टु के दर्जन की जो व्याख्या टॉमस ने की वही उसकी एकमात्र व्याख्या नहीं है, शायद उसकी उससे अधिक स्वाभाविक और उत्तम व्याख्या भी सम्भव है। उसका प्रारम्भ जॉन आँफ पेरिस में मिलता है और उसकी चरम सीमा मार्सीलियो आँफ पेडुआ में पाई जाती है जो कि टॉमस से कुछ कम अरस्टुवादी नहीं था। अरस्टु के स्वप्नपूर्जि समाज के सिद्धान्त का व्यवहार जॉन आँफ पेरिस तथा मार्सीलियो ने टॉमस और दान्ते की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक रूप से किया है; इस सिद्धान्त का एक सार्वभौमिक समाज की कल्पना से ताल खाना बड़ा कठिन है जोकि सेलिस्वरी, टॉमस और दान्ते के चिन्तन की पृष्ठभूमि थी। अरस्टु के बुद्धिवाद की ताल मध्य काल के उस दर्जन से भी नहीं खा सकती जिसके लिये शरीर तथा आत्मा का विभेद इह-लोकिक जीवन के परे आत्मा के सद्व्यक्ति का विचार, और मानव जाति के आध्यात्मिक हितों को विनियमित तथा नियन्त्रित करने वाले एक सार्वभौमिक चर्च की धारणा धर्म के आधारभूत मूल थे। इन दो ऐसे तत्वों को, जिनमें सगति स्थापित करना मरल नहीं है, सन्त टॉमस एवं नीतास की प्रतिभा ने एक व्यापक प्रणाली की एकता में समन्वित कर दिया। टॉमस द्वारा किया हुआ यह सामन्जस्य अधिक दिन न टिक सका; उसकी मृत्यु के बाद वह भंग होने लगा। इस दिना में पहिला कदम जॉन आँफ पेरिस ने उठाया जबकि उसने यह दिखाया कि अरस्टु का प्रहृतिवाद तथा बुद्धिवाद लोकिक तथा आध्यात्मिकता को एक दूसरे से विलुप्त पृथक् करता है।

हमें याद होगा कि कास के राजा फिलिप द्वी फेयर तथा पोप बोनीफेस द्वितीय के मध्य विवाद; जिसमें कि जॉन ने एक धर्मसाम्बन्धी और पादरी होने के बावजूद भी राजा का नमवंन किया था, चर्च की युक्ति पर करारोपण के प्रश्न पर खड़ा हुआ था। एजिडियम कोलोना ने, जो कि पोपशाही का शायद गवर्नर थे वडा ममर्यु था, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था कि प्रथम तथा उच्चतर स्वामित्व का अधिकारी होने के नाते चर्च को प्रोट इमानिये पोप को, ममस्त सम्भाली और ममस्त लोकिन शमिन पर नियन्त्रण रखने का अधिकार है। इमानिये जॉन ने यमाति तथा उसके ऊपर चर्च के नियन्त्रण के प्रश्न का एक यानीनामन्त्र प्रस्तुत दिया। एजिडियम द्वारा प्रतिपादित 'स्वामित्व' (Dominium) के मिद्दान को यह एक दुरुसाता है और यह पोपशाह करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यानी यमाति के ऊपर स्वामित्व तथा प्रयोग का पूर्ण अधिकार है। यह अधिकार परिधि या क्षमा है जो कि यमाति

के प्राप्त करने में उठाना पड़ता है। पोप तो दरकिनार, स्वयं राजा को भी किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति के ऊपर स्वामित्व का, या प्रबन्ध करने तक का भी अधिकार नहीं है। हाँ, वह निजी सम्पत्ति के केवल प्रयोग को जनहित के लिये विनियमित कर सकता है और उसके ऊपर कर लगा सकता है। पोप चर्चे की सम्पत्ति का स्वामी नहीं है; वह उसका केवल सरक्षक अथवा प्रबन्धक है; उसका उसके ऊपर केवल जनहित के लिये प्रबन्ध करने का अधिकार है। साधारण जनता की सम्पत्ति के ऊपर उसका इतना भी अधिकार नहीं है, स्वामित्व अथवा नियन्त्रण के अधिकार की तो बात ही बया है।

इस विवेचना में महत्वपूर्ण बात वह विभेद है जोकि जॉन एक और सम्पत्ति के स्वामित्व तथा उसके प्रबन्ध करने के अधिकार और दूसरी और जनहित के लिये उसे प्रयोग करने के अधिकार में करता है। जन साधारण की सम्पत्ति के ऊपर राजा को पहिला अधिकार प्राप्त है, किन्तु दूसरा नहीं। जन साधारण की सम्पत्ति के ऊपर पोप को किसी भी प्रकृतर का अधिकार नहीं है। हाँ, सामाज्य धर्म की रक्षा की गम्भीर आवश्यकता इसका अपचाद है; उदाहरण के लिये विधर्मियों के आक्रमण से रक्षा करने के लिये वह अपने लिये फसल के दशाश की मांग कर सकता है। चर्चे की सम्पत्ति के ऊपर भी उसे स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं है, हा उसका प्रबन्ध करने का अधिकार है।

आगे चलकर जॉन उन विभिन्न कारणों की विवेचना करता है जोकि पोपवादियों ने लौकिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति की अधीनता में रखने के लिये दिये हैं; वह उनका एक-एक करके खण्डन करता है। वह आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप का विद्येषण करता है जोकि उसके पूर्ववर्ती राज्यवादियों में से किसी ने भी नहीं किया था और यह सिद्ध करता है कि उसे लौकिक शक्ति अथवा सम्पत्ति के ऊपर नियन्त्रण रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसका कायंक्षेत्र दिक्षा तथा उपदेश देने और धार्मिक संस्कार सम्पन्न करने तक परिमित है; नैतिक भ्रष्टाचार और पाप के प्रश्न भी उनके अन्तर्गत आते हैं। एक धोर पापी को धर्म-वहिष्ठित किया जा सकता है। परन्तु धर्म-वहिष्ठितरण के ऐसे गम्भीर परिणाम नहीं निकल सकते जैसे कि पोप च्रेगरी सप्तम ने बताये थे। एक धर्म-विमुख शासक का धर्म-वहिष्ठितरण पोप द्वारा एक विरोध प्रदर्शन है और निस्सन्देह यह एक जोरदार विरोध है; किन्तु है यह केवल विरोध ही, इसका अर्थ पदच्युति नहीं हो सकता। पदच्युत करने का अधिकार उस शक्ति को है जिसने राजा को चुना है; इसमें बल प्रयोग की शक्ति निहित है जोकि पादरीगण में नहीं है। जिस प्रकार कि पोप एक शासक के कुहृत्यों का विरोध कर सकता है; किन्तु उसे पदच्युत नहीं कर सकता। पोप को अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं; जैसे कि पादरियों का नियमन करना तथा चर्चे की सम्पत्ति का प्रबन्ध करना। किन्तु लौकिक शक्ति के ऊपर नियन्त्रण उनमें सन्तुष्टि है। इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति,

के स्वरूप का विश्लेषण करके जॉन उसे अत्यन्त सीमित कर देता है। संवाइन के शब्दों में 'एक पादरी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति का यह मुनिश्चित विश्लेषण और वास्तव में उसके ऊपर सीमा लगना बहुत ही चकित करने वाली है।'

जॉन ने चर्च में पोप को जो स्थान दिया है उसके विषय में भी दो शब्द कह देना अनावश्यक न होगा। उसकी धारणा थी कि जहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्ति का सम्बन्ध है, समस्त विश्वपरगण समान है; उनमें से कोई भी दूसरों के क्षमताएँ अधिकार नहीं रखता। पोप चर्च संगठन का प्रशासकीय प्रधान है, किन्तु वह सबोच्च पादरी नहीं है। इस प्रकार लक्षणा द्वारा उमने पोप की प्रभुता के सिद्धान्त का खण्डन किया। प्रभुता चर्च की सामान्य परिपद में है जोकि एक पोप को पदच्युत कर सकती है, यदि उसके आचरण को किसी भी प्रकार न सुधारा जा सके। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले पोप को अवज्ञा करना भी उचित समझता था जिस प्रकार कि पुराने लेखक एक अत्याचारी शासक की अवज्ञा करना उचित समझते थे। इससे यह सिद्ध है कि पोप की प्रभुता सभी पादरियों को मान्य न थी। राज्य के आन्तरिक संघटन के विषय में जॉन कुछ अधिक नहीं कहता। *

राजनीतिक विचार के इतिहास में जॉन थार्फ पेरिस का सच्चा महत्व प्रोफेसर संवाइन के निम्ननिखित शब्दों में सर्वथ्रेष्ठ ढंग से वर्णित है। "एक क्रमबद्ध राजनीतिक सिद्धान्त को प्रस्तुत किये विना ही जॉन थार्फ पेरिस का कार्य अपने सभय के लिए तथा भविष्य के लिए नितान्त भहत्वपूर्ण था। एक फासीसी और एक पादरी के रूप में उसने फ्रान्स के राजत्रय की स्वतंत्रता का कानूनी तथा ऐतिहासिक आधारों पर जोर-दार समर्थन किया। उसने सम्भाति के स्वामित्व, चाहे वह चर्च द्वारा हो, चाहे साधारण व्यक्तियों द्वारा, तथा राजा द्वारा उसके राजनीतिक नियन्वण अथवा पोप द्वारा चर्च के लिये उसके प्रबन्ध में एक स्टॉप विभेद किया। उसने आध्यात्मिक तथा लौकिक शक्तियों की स्वतंत्रता के तर्क को फिर से व्यक्त किया और आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप तथा उद्देश्यों के एक गहरे विश्लेषण में उसे अधिक पूर्ण बनाया। अन्ततोगत्वा उसके विश्लेषण से ऐसा निष्काय निकलता प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में कोई कानूनी शक्ति ही नहीं। उसे या तो वह प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं है, और यदि है तो उसको उसे राज्य में प्राप्त करना चाहिये। आध्यात्मिक शक्ति के नैतिक तथा धार्मिक चरित्र पर बहुत जोर दिया गया है। तत्त्वतः उम्मीद युक्ति धर्म से ऊपर कानून द्वारा भास्करण और पोप को मध्राट जैसी कानून शक्ति में विभूषित करने के विरुद्ध एक विरोध है। और यहन में वह यह मुझाव पैदा करता है कि पोप के निरकुशावाद की भाँति राजत्रय को भी प्रतिनिपित्व द्वारा नष्ट बनाना वाधतीय है। प्रत्येक दशा में इन युक्तियों ने भावी राजनीतिक वादविवाद में एक महत्वपूर्ण भाग निया। एजिडियम के माध्यम तुलना करने पर जॉन वी स्प्रिटि परस्तु द्वारा जाने द्वारा प्रभाव वा पर्म-निरपेक्षी दृष्टितृप्ति तथा विवेकीकरण करने का एक उद्देश्य उपलब्ध है, यथापि उसने यह कार्य उम विचार की सीमाओं के भीतर ही किया जा निस्पादित, सहिती था।"

मार्सीलियो आफ पेड़ुआ (Marsiglio of Padua)।—जॉन आफ पेरिस से जो कि बोनीफेस अप्टम के साथ उसके संघर्ष में फ्रास के फिलिप का सबसे अधिक प्रसिद्ध समर्थक था, अब हम मार्सीलियो पर आते हैं जिसने नुई आँफ वेवेरिया का उसके पोप जॉन २२वें तथा उसके उत्तराधिकारी के माथ संघर्ष में साथ दिया था। उसका जन्म १२७८ ई० के लगभग हुआ और मृत्यु १३४३ ई० के लगभग हुई। वह एक विलक्षण व्यक्ति था। एक समय में वह एक चिकित्सक, दूसरे समय में एक पादरी (उसे मिलान का आकंविशप नियुक्त किया गया था परन्तु उसने वह पद नहीं सम्भाला) फिर एक बकील, एक सिपाही तथा एक राजनीतिज्ञ रहा। मध्यकाल के विचारों तथा सिद्धान्तों से जितना वह अपने आपको मुक्त कर सका उतना कोई भी उसका सुप्रसिद्ध समकालीन नहीं कर सका। उसका ग्रन्थ 'डिफेन्सर पेसिम्स' (Defensor Pacis) सन् १३०० से सन् १५०० तक के प्रकाशित हुये दो युग निर्मायिक ग्रंथों में से एक है। प्रोफेसर मरे (Murray) ने उसे '१४वीं शताब्दी का सबसे अधिक मौलिक विचारक' बताया है। सेनाइन के अनुसार उसका राजनीतिक सिद्धान्त 'मध्यकालीन विचार की एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूष्टि है'। अरस्तु की एक पूर्ण रूप से प्रकृतिवादी व्याख्या के परिणामों को इसने विलकूल स्पष्ट कर दिया है।

यद्यपि जर्मनी के सम्माट ने पोप के विरुद्ध अपना पक्ष समर्थन करने के लिए उसे रखा हुआ था और उसने अपनी पुस्तक को समर्पित भी सम्माट को ही किया है तथापि उस पुस्तक के सिद्धान्त का कोई विशेष सम्बन्ध न तो जर्मनी से ही है और न साम्राज्य से। उसका उद्देश्य साम्राज्य की रक्षा करना नहीं था बल्कि उस सिद्धान्त का खण्डन करना था जिसके अनुसार पोप को सम्पूर्ण ईमाइ जगत में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वात के ऊपर प्रभुता प्राप्त थी और जिसके अनुसार पोप चर्च के अन्दर निरकुश अधिकारी था। यह सत्य है कि पोप बोनीफेस अप्टम के इस प्रकार के दावे को हैनरी ने सफलतापूर्वक चुनौती दी थी और पोप को करारी हार खानी पड़ी थी, परन्तु हैनरी ने जक्ति का आथ्रय लिया था, तर्क का नहीं। मार्सीलियो ने राज्य के एक ऐसे सिद्धान्त का निर्माण किया जो संदान्तिक रूप से राज्य को प्रभुता प्रदान करता है और समस्त सामाजिक विषयों में चर्च को राज्य का केवल एक विभाग बना देता है। इसीलिए 'डिफेन्सर पेसिम्स' को राजनीतिक विचार के इतिहास में एक युग-निर्मायिक ग्रन्थ समझा जाता है।

यह जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि मार्सीलियो साम्राज्य भक्त बने बिना ही पोप विरोधी कैसे बना। कहा जाता है कि वह एविमोन गया और पोप दरबार के सांसारिक विलास और वैभव को दैवकर उसको पूणा हो गई। अपने पूर्ववर्ती मैकियावेली की भाँति वह इटली को उस दुखद स्थिति से बहुत दुखी था जो कि विभिन्न नगर राज्यों के पारस्परिक कलह से उत्पन्न हो गई थी और जिसका कारण वह पोप का हस्तक्षेप समझना था। परन्तु पोपगाही के विरुद्ध उसके हृदय में विद्रोह की अग्नि भड़कने का सबसे बड़ा कारण शायद यह था कि पोप जॉन २२वें ने

शक्तिशाली 'फ्रासिसकन सप्रदाय' (Franciscan Order) के पादरियों द्वारा अस्तेय धर्म का पालन करने के सिद्धान्त की मिन्दा की। इस सिद्धान्त के अनुसार पादरियों को केवल उतनी ही सम्पत्ति रखनी चाहिये जो कि उनके अपने धार्मिक कृत्यों के सम्पन्न करने के लिए नितान्त आवश्यक हो : पोप जॉन २nd उसे विधमं समझता था, क्योंकि उसने देखा कि उसके अन्तर्गत पादरी लोग बावजूद अपनी अस्तेय की प्रतिज्ञा के धनाद्य हो गये। इसका परिणाम था चर्च में मिथ्याचार का बढ़ना। पोप की इस घोषणा के कारण उसका फ्रासिसवादियों तथा उनसे सहानुभूति रखने वालों से, जिसमें मार्सीलियों और विलियम ऑफ़ ओक्स भी सम्मिलित थे, एक कटु विवाद द्विढ़ गया। वह तथा उसका भित्र और साथी जॉन ऑफ़ जानडुन तथा विलियम पोप पर आक्रमण कर रहे थे; इसलिये फ्रास और इटली उनके लिए 'सुरक्षित' स्थान नहीं थे। अतः उन्होंने जर्मनी में आकर शरण ली जहाँ कि लुई ने उनका स्वागत किया और वही से उन्होंने पोपशाही के विरुद्ध अपनी लडाई जारी रखी।

'डिफेन्सर पेसिस' के, जो कि १३२४ ई० में प्रकाशित हुआ था, दो मुख्य भाग है ऐसा विश्वास किया जाता है कि पहिला भाग जॉन ऑफ़ जानडुन ने लिखा था और मार्सीलियो ने उसका पुनरावलोकन किया था; इस भाग में राज्य का सिद्धान्त पाया जाता है जिसका आधार अरस्तु का राजनीतिक दर्शन है। यहाँ हमें राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक शक्ति का स्वरूप, उसका लक्ष्य तथा उद्देश्य, कानून तथा कानून-निर्माता के कार्यों इत्यादि की विवेचना मिलती है। दूसरे भाग में, जो कि स्वयं मार्सीलियो का लिखा हुआ माना जाता है, पहिले भाग में प्रतिपादित सिद्धान्तों को चर्च के सघटन, पादरियों के कार्यों तथा राज्याधिकारियों से उनके सम्बन्धों पर लागू करने का प्रयास किया गया है। एक तीसरा भाग भी है जिसे पहिले दो भागों का निष्कर्ष कहा जा सकता है। इस ग्रंथ के रचयिताओं का उद्देश्य पोप के निरकृताता के सिद्धान्त का सड़न करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने यह सिद्ध करना चाहा कि 'पोपशाही की दैविक नियुक्ति, जिसके ऊपर उसकी दावों की समस्त शक्ति आधारित थी, एक कल्पना मात्र है और चर्च राज्य के ऊपर एक अनावश्यक भार है।' सक्षिप्तता के लिए निम्नोक्त विवरण में 'डिफेन्सर पेसिस' का लेखक हम केवल मार्सीलियो को ही कहेंगे।

अरस्तु का अनुकरण करते हुये मार्सीलियो की यह घारणा है कि राज्य का जन्म मनुष्य की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। राज्य स्वतः विकसित चीज़ है और इसका आधार सेवाओं का परस्पर आदान-प्रदान है। राज्य एक जैविक इकाई है और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें विभिन्न समूहों और वर्गों में परस्पर सहयोग होता है। वह एक पूर्ण और स्वपर्याप्त समाज है जिसका उद्देश्य शुभ जीवन की प्राप्ति है। विभिन्न समूह तथा वर्ग जिनमें कि समाज मध्यित होता है, जैसे कि कृपक, शिल्पकार, सिपाही, अधिकारी, ध्यापारी, पूजीवादी तथा पादरी, अपने-अपने विभिन्न कार्यों द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति में योग देते हैं। जब तक कि ग्रत्येक घण अपने-

कर्तव्य का पालन करता रहता है तब तक राज्य में पूर्ण शान्ति बनी रहती है। राज्य के विभिन्न अगों में पूर्ण सहयोग की स्थापना करके शान्ति बनाये रखना सरकार का एक प्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। मासीलियों विभिन्न वर्गों के कार्यों का भी विवरण देता है। जब वह पादरियों पर आता है तो वह एक बड़ी कठिनाई का अनुभव करता है। अन्य सभी वर्गों के कार्यों की आवश्यकता तो स्पष्ट ही है किंतु पादरियों के कार्यों की उपयोगिता उसे इतनी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती। तथापि, आखिर प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में किसी न किसी रूप में पादरी वर्ग रहा है, इसलिये उसकी कुछ न कुछ तो उपयोगिता होनी ही चाहिये। मासीलियों को यह उपयोगिता इस बात में दीखी कि पादरी लोग नरक का भय दिखाकर भ्रष्ट व अनुशासनहीन व्यक्तियों को पापमय जीवन से रोकें। “व्यवस्थापको ने एक ईश्वर की कल्पना की है जिससे कि कोई बात द्विधी नहीं है और जो कानून का पालन करने का आदेश देता है और उसे भग करने वालों को दण्ड देता है।” इसलिये पादरी का सच्चा कार्य नरक का भय दिखाकर पुलिस तथा न्यायाधीज के कार्य का पूरक है। इस भय से कि कहीं इस विचार से धार्मिक प्रकृति के लोग विकृद्ध न हो उठे मासीलियों ने यह भी कह दिया कि पादरी लोग परलोक सुधारने में भी हमारी सहायता करते हैं। उसका कहना था कि जिस शुभ जीवन की सिद्धि राज्य का उद्देश्य है उसका अर्थ केवल पृथ्वी पर ही शुभ जीवन नहीं है बल्कि उसमें परलोक का शुभ जीवन भी सम्मिलित है। लौकिक शुभ जीवन का स्वरूप हम दर्शन के अध्ययन तथा अपनी बुद्धि द्वारा जानते हैं और पांच-लौकिक शुभ जीवन के ज्ञान के लिए हमें ईश्वर प्रेरणा तथा पादरियों पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिये पादरियों का सच्चा कार्य भावी जीवन में मोक्ष प्राप्त करने में हमारी सहायता करना है। स्वयं मासीलियों के शब्दों से पादरियों का कार्य ‘उन बातों को जानना तथा उनका उपदेश करना है, जिनमें धर्मशास्त्रों के अनुसार, नित्य मोक्ष प्राप्त करने के लिये और यातना से बचने के लिये, विश्वास करना, जिन्हे करना या जिनसे बचना आवश्यक है।’ इसका अभिप्राय है कि पादरी-वर्ग का जीवन इहलौकिक मुक्ति की प्राप्ति में कोई भाग नहीं है; उसका कार्य केवल भावी जीवन तक ही परिमित है। पादरियों को लौकिक विषयों से कोई मन्वन्ध नहीं रखना चाहिये, उनका समुचित कार्य केवल हमें मोक्ष का मार्ग दिखाना और सस्कार सम्पन्न करना है। एक वर्ग के रूप में वे अन्य सामाजिक-वर्गों की अपेक्षा विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते; वे प्रकृति उन्हें भी राज्य के अधीन रहना चाहिये। “समस्त सांसारिक विषयों में पादरियों के ऊपर राज्य का नियन्त्रण ऐसा ही है जैसा कि कृषि अथवा व्यापार के ऊपर। मासीलियों के अनुसार, आधुनिक शब्दों में धर्म एक सामाजिक व्यवस्था है; है; यह भौतिक साधन प्रयोग करती है और सामाजिक परिणाम उत्पन्न करती है।”*

* “In all temporal concerns the control of the clergy by the state is in principle exactly like the control of agriculture or trade. Stated in modern terminology, according to Marsiglio, religion is a social phenomenon; it uses material agencies and produces social consequences.”

यह 'दो तलवारो' के परम्परागत सिद्धान्त पर एक करारा प्रहार है। यह धर्म के अतिक्रमणात्मक स्वरूप तथा चर्च के एक स्वतंत्र और प्रभुत्वपूर्ण आधिक शक्ति होने के दावे का निषेध है। इतना ही नहीं, इसका परिणाम तो यह निकलता है कि चर्च राज्य का एक विभाग मात्र ही है। मार्सीलियो से पहिले किसी मध्यकालीन लेखक ने इतने स्पष्ट शब्दों में चर्च के ऊपर राज्य के प्रभुत्व का समर्थन और पादरियों के लौकिक अधिकार आध्यात्मिक क्षेत्र में बल-प्रयोग करने के अधिकार से इन्हाँकार नहीं किया था। उसने चर्च को राज्य के अधीन इसलिये किया क्योंकि उसका विचार था कि दो समान शक्तियों का साथ-साथ रहना और उसमें से प्रत्येक का एक दूमरे से थेप्ल तथा उच्चतर होने का दावा करना इटली तथा यूरोप में कलह तथा सघर्ष का एक जबरदस्त कारण था। एकवीनास की भाँति थदा और विवेक में सामजस्य स्थापित करने की जगह मार्सीलियो ने उन दोनों को विल्कुल अलग-अलग कर दिया। उसका विश्वास था कि लौकिक समस्याओं के निर्णय में थदा (धर्म) को नहीं सीचना चाहिये। उनका निर्णय गुणों तथा बुद्धि के आधार पर होना चाहिये, ईश्वर प्रेरणा का उसमें कोई स्थान नहीं है। इसलिए यदि 'डिफेंसर पेसिस' पर चर्च ने मार्सीलियो को 'निकृप्तम विधर्मी' कह कर पुकारा, तो इसमें कोई आश्वर्य नहीं।

राज्य के स्वरूप और सघटन के उपरान्त मार्सीलियो सरकार के निर्माण की विवेचना करता है। उसकी विवेचना क। सर्वाधिक आधारभूत अश उसकी कानून तथा उसके निर्माण विषयक धारणा है। उसके कानून सम्बन्धी विचार एकवीनास के विचारों से एकदम विपरीत हैं। जैसा हम जानते हैं टॉमस ने कानून को चार भागों में विभाजित किया है—शाश्वत, नैसर्गिक, मानवीय और देविक। यद्यपि उसने इन सबको ब्रह्माण्ड की वास्तविकता (Cosmic realities) का, विभिन्न स्तरों पर एक ही सत्य का चार स्पों में प्रकटीकरण माना है और इस प्रकार से उसने इसके बीच निकटता का सम्बन्ध स्थापित किया है, उसके लिये मानवीय कानून नैसर्गिक कानून से ही निकला है। इन भी दोनों में मार्सीलियो मन्त्र एकवीनास में निम्न है। देविक कानून ईश्वर का आदेश है; उसे मनुष्य ने नहीं बनाया; वह यह निर्धारित करता है कि परलोक में सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य को क्या कार्य करने चाहिये और किन कार्यों में बचना चाहिए। इसके विपरीत मानवीय कानून समस्त नागरिक ममूः आध्यात्मिक प्रधान भाग का आदेश है जिसे प्रत्यक्ष रूप में वे लोग बनाते हैं जिन्हें कि कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है। मानवीय कानून यह निर्धारित करता है कि इसी लोक में लक्ष्य पर पहुँचने के लिये मनुष्य को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिए। दोनों प्रकार के कानूनों की उन परिभाषाओं में यह स्पष्ट है कि उन दोनों के खोल और धोर अलग-अलग हैं। एक को ईश्वर बनाना है, उसका गम्भीर पारलोकिक जीवन में होता है, उसे तोड़ने वा दण्ड ईश्वर देता है। दूसरे का खोल मानव इच्छा है और वह इयो ममार के लक्ष्य में मम्बन्ध रखता है; इसे तोड़ने वा दण्ड राज्य द्वारा दिया जाता है। इसनिए दोनों में सोई मामान्य आपार नहीं है; दोनों एक

दूसरे से विल्कुल अलग और स्वतन्त्र हैं। हाँ, दोनों में केवल साम्यता है कि दोनों को नोडने का परिणाम दण्ड भोगना होता है। मानवीय कानून का स्रोत दैविक कानून नहीं है। दूसरी बात यह कि जब कि एकवीनास कानून को मूल रूप से तक़ और बुद्धि का आदेश समझता था, मार्सीलियो के लिए वह मानव अथवा दैविक इच्छा की अभिव्यजना है। वह उसके बोद्धिक तत्व से इन्कार नहीं करता किन्तु इस बात के ऊपर पूरा जोर देता है कि कानूनी हटिकोण से उसकी भवसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसे एक सुनिश्चित शक्ति द्वारा बनाया या लागू किया जाता है। एकवीनास एक शक्ति द्वारा लागू किया जाना केवल मानवीय कानून की ही विशेषता समझता था, शाश्वत तथा नैतर्गिक कानून की नहीं। मार्सीलियो कानून के इस ब्रह्म रूप अर्थात् क्रियान्वीकरण को उसके तत्व से भी अधिक महत्वपूर्ण समझता है। तीसरी बात यह कि मार्सीलियो कानून के विवशकारी (Coercive) स्वरूप पर जोर देता है; उसे दण्ड के भय से लागू किया जाता है। जो भी नियम इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता मार्सीलियो उसे कानून की सज्जा देने के लिए तैयार नहीं। वयोंकि वह समाज की समस्त विवशकारी शक्ति पर केवल सरकार या राज्य का एकाधिपत्य मानता है, इसलिए उसके विचार से समस्त धर्म कानून का केवल वही अथ कानून हो सकता है जिसे कि राज्य स्वीकार करे। अन्तिम बात यह कि मानवीय कानून समाज-हित के लिए बनाए जाते हैं। मार्सीलियो की कानून विषयक धारणा का सर्वोत्तम निष्कर्ष प्रोफेसर एलन के निर्मांकित शब्दों में दिया जा सकता है “कानून तत्त्वतः इस बात का निर्णय है कि समाज के लिए न्यायपूर्ण और लाभदायक ज्ञाया है। यह मामात्य आवश्यकता की एक आदेशात्मक अभिव्यञ्जना है जिसकी रचना बुद्धि द्वारा होती है, मान्यता-प्राप्त शक्ति द्वारा जिसे क्रियान्वित किया जाता है और जिसके पीछे शक्ति की स्वीकृति है।”*

वयोंकि मानवीय कानून निर्मित होता है, इसलिए इसका निर्माण करने वाली तथा इसको लागू करने वाली कोई शक्ति होनी चाहिये। मार्सीलियो उस शक्ति को ‘समस्त जनता अथवा मध्यपूर्ण नागरिक समूह अथवा उसके प्रधान भाग’ में देखता है। उसे वह व्यवस्थापक (Legislator) कह कर पुकारता है। यह सिद्धान्त कि समस्त नागरिक समूह कानून का निर्माता है मार्सीलियो के राजनीतिक दर्शन का मूल है, इसलिए इसका अध्ययन हमें बहुत प्यानूरूप करना चाहिए। हमें यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिये कि जनता अथवा समस्त नागरिक समूह के प्रधान भाग को किस अर्थ में व्यवस्थापक माना जा सकता है। एक अर्थ इसका यह हो सकता है कि समस्त व्यवस्था पुरुष सम्बेद होकर कानून बनायें जैसा कि ऐंथेन्स तथा प्राचीन यूनान के दूसरे

* “Law is essentially a judgment as to what is just and advantageous to the community. It is an imperative expression of the common need, formulated by reason, promulgated by recognised authority, sanctioned by force.” —Hearnshaw : op. cit., page 181.

नगर-राज्यों में होता था। मार्मीलियों इस प्रकार ने कानून बनाने और लागू करने की सम्भावना को स्वीकार करता है। परन्तु इसके माथ-माथ वह इस सम्भावना का भी संकेत करता है कि समस्त नागरिक समूह अपनी व्यवस्थापन शक्ति को एक राजा यद्यपि एक आदोग को नीर दे जोँहि इसी कार्य के लिये नियुक्त किया जायें। इस प्रकार राजा यद्यपि आदोग द्वारा बनाये हुए कानून भी जनता द्वारा बनाये हुए ही गमने जायेंगे क्योंकि राजा यद्यपि आदोग जनता के नाम में तथा उसकी ओर से कार्य करेगा। मार्मीलियों कहता है कि उग निकाय के पीछे जिसे कि कानून बनाने की शक्तियाँ मिली हुई हैं, चाहे वह एक आदोग हो, चाहे एक राजा या अन्य कोइ यग, 'सदा समस्त जनता की शक्ति है जिसकी सामूहिक इच्छा में ही कानून का तत्त्व तथा जिसके सामूहिक जीवन में राज्य का तत्त्व निहित है।'

जब समस्त जनता एक साधारण भाग के स्वयं में समन्वेत होती है तो यह अवश्यक नहीं कि कानून सर्वगम्भीर से ही बनाना चाहिये; सर्वसम्मति निरान्त दुष्कर है। कानून जनता के 'प्रधान भाग' (Prevailing part) द्वारा बनाया जा सकता है। इस अर्थात् 'प्रधान भाग' का सही-सही अर्थ क्या है, इसके ऊपर काफी विवाद चला है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ बहुमत लगाया है, किन्तु मार्मीलियों का ऐसा विचार दिसाई नहीं पड़ता। 'प्रधान भाग' से उसका अभिप्राय उस भाग से है जिसकी बात में सख्ता तथा गुणों के वृष्टिकोण से नवमे अधिक प्रभाव होता है। मध्य काल में यह सिद्धान्त प्रचलित नहीं था कि धारा सभा में प्रत्येक एक गिना जाता है और कोई भी एक से अधिक नहीं गिना जाना; 'प्रमुख व्यक्तियों का भहत्वं जन-साधारण से अधिक होता था। मार्मीलियों के शब्दों में हमें जन-तन्त्री समानता के विचार खोजने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। परन्तु एक बात निश्चित है कि जनता की कानून बनाने की शक्ति निरपेक्ष और असीम है चाहे उसका प्रयोग वह किसी के द्वारा क्यों न करती हो।

व्यवस्थापक का एक मुख्य कार्य अपनी इच्छा का पालन करने के लिये कार्यपालिका को चुनना था। कार्यपालिका अपने कर्तव्य का पालन करने में व्यवस्थापक के नियन्त्रण में रहती है। इसका प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाये हुए कानूनों को क्रियान्वित करना और यह देखना है कि राज्य के 'प्रत्येक ग्राम अपना कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न करे। इसी बात को निश्चित बनाने के लिये दूसरे समस्त कार्य-पालिका अधिकारियों तथा न्यायपालिका निकायों को उसके अधीन रखा गया। इसे उच्चतम शक्ति बना दिया गया और राज्य के अन्य किसी समूह तथा भाग से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उसका मशहूर सेना के ऊपर अधिकार रखा गया।

कार्यपालिका को न दे --- तो उसकी शक्ति नहीं गति स्वरूप भी होता चाहिए। कार्य-पालिका की का सबसे बड़ा सरक्षण है। ... का प्रजातन्त्र के ऊपर राजतन्त्र को तरजीह देना स्वाभाविक ही था यद्यपि जनतन्त्र म

भी कार्य-पालिका की एकता स्थापित की जा सकती है। वास्तव में उसने सरकार के रूप के बारे में कुछ अधिक नहीं कहा। केवल एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है और वह यह कि वह वंशानुगत राजतन्त्र की अपेक्षा निर्वाचित राजतन्त्र को कही अच्छा समझता था। कार्य-पालिका की जिस एकता के ऊपर वह इतना अधिक जोर देता है उसका एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम भी निकलता है। इसका अर्थ यह है कि चर्च का कोई स्वतन्त्र अधिकारकोंव नहीं हो सकता और कुछ विशेष मामलों में अपने निजी व्यायालयों द्वारा अपने निजी कानून लागू करने का अधिकार नहीं हो सकता। जर्च के एक अलग अधिकार क्षेत्र को मानना जिसमें कि वह एक स्वतन्त्र अधिकार का प्रयोग करता है कार्यपालिका की एकता को नष्ट करना है।

कुछ समालोचक मार्सीलियो द्वारा किए गए व्यवस्थापिका तथा कार्य-पालिका के विभेद में शक्ति विभाजन का सिद्धान्त देखते हैं। कार्य-पालिका की व्यवस्थापिका के प्रति अधीनता में उसको उत्तरदायी शासन दिखाई पड़ता है तथा उसके इस कथन में कि कानून साधारण सभा के प्रधान भाग द्वारा बनाये जा सकते हैं वे बहुमत शासन के सिद्धांत की भलक पाते हैं। किन्तु जैसा कि मैकल्वेन तथा अन्य लेखकों का कहना है, मार्सीलियो में जनतन्त्र, बहुमत शासन तथा शक्ति विभाजन के सिद्धान्त जैसा कुछ नहीं है। वास्तव में उसका व्यवस्थापक आधुनिक व्यवस्थापिका तथा कार्यपालक आधुनिक राज्य के आधुनिक कार्य-पालिका के अनुरूप नहीं है। उसका व्यवस्थापक कानून की शक्ति का घोट है, स्वयं कानूनों का नहीं जिनको राजा या व्यवस्थापक के द्वारा नियुक्त कोई अन्य बनाता है। व्यवस्थापक का कार्यपालक के ऊपर ऐसा नियन्त्रण नहीं है जैसा कि आजकल ससद का मंत्रिमंडल के ऊपर होता है; इसका अर्थ तो केवल इतना है कि राजा जनता का सेवक है और अपनी शक्ति के लिए उस पर निर्भर करता है। उसकी जनता के ऊपर निर्भरता इस बात का सरक्षण थी कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह हम पहिले ही बता चुके हैं कि उसके सिद्धान्त का अर्थ बहुमत का शासन नहीं है क्योंकि केवल संख्या ही जनता के किसी भाग को प्रधान नहीं बनाती, उसके लिए गुण आवश्यक है। मार्सीलियो में इस प्रकार का कोई मूल नहीं पाया जाता कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक नहीं माना जायेगा। परन्तु जो चीज़ हमें उसमें भिलती है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह राजा को जनता का मेवक बताता है और जनता को उसके दुर्बंधवाहर के लिये राजा को दण्ड देने का अधिकार देता है और इस प्रकार वह एक सीमित राजतन्त्र (Limited Monarchy) का विचार हमारे सामने रखता है। 'डिफेन्सर पेसिस' के प्रथम भाग में उसके लेखकों ने पूर्ण तथा स्वपर्याप्त समाज की जो रूपरेखा दी है उसकी मुख्य विशेषताओं का नारायण सेवाइन ने इतने मुन्दर शब्दों में दिया है कि उसके पूर्ण अवतरण को उद्धरित किये दिना हम नहीं रह सकते। वह लिखता है : 'विभिन्न बर्गों का यह एक जैविक सम्पूर्ण है ; इसमें प्रत्येक वे भौतिक तथा नैतिक बातें सम्मिलित हैं जो कि उसके नागरिकों के लिए एक निरन्तर दुभ लौकिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। उसकी

व्यवस्थापन की शक्ति समूर्ख के कल्याण के लिये अपने अपने को नियमित करने का उसका अपरिहार्य अधिकार है। उसकी कार्यपालिक शक्ति राज्य की इच्छा को कार्यान्वित करने वाला समूर्ख का एक अभिकरण है और व्योकि राज्य एक ईकाई है, इसलिए उसमें अधिकार धेत्र के अन्तर तथा शक्ति विभाजन के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता। लौकिक हृष्टिकोण से समाज निरपेक्ष रूप से स्वपर्याप्ति है और निरपेक्ष रूप से सर्वशक्तिमान् है। यह स्वयं अपने जीवन तथा अपनी सम्यता का अभिभावक है।.....यदि उसके नागरिकों का कोई आध्यात्मिक हित है तो वह परलोक में है और राज्य के जीवन से परे है और वास्तव में इस जीवन को स्पर्श करने की शक्ति उसमें नहीं है।”*

‘डिफेन्सर पेसिस’ के प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप तथा उसके शासन संगठन के विषय में निकले हुये परिणामों को द्वितीय भाग में चर्च के सगठन, पादरियों के कार्यों, राज्याधिकारियों से उनके सम्बन्ध इत्यादि समस्याओं पर लागू किया गया है। मार्सिलियो का कहना है कि जिस प्रकार राज्य को केवल अधिकारी समूह के अनुरूप समझ लेना भूल होगी, वल्कि उसमें समस्त नागरिक जन सम्मिलित हैं, इसी प्रकार चर्च को भी केवल पादरियों तक ही सीमित रखना गलत होगा, उसमें समस्त ईसाई, पादरी तथा जन-साधारण सम्मिलित हैं, और राज्य की भाँति चर्च में भी अन्तिम शक्ति समूर्ख में निहित है, उसके किसी अवश में नहीं। व्योकि समस्त ईसाईयों के लिए एक स्थान पर समबेत होना और व्यवस्थापक के रूप में कार्य करना असम्भव है, इसलिये चर्च में अन्तिम शक्ति की अभिव्यजना करने वाला अग साधारण परिपद है। इसका चुनाव इस प्रकार होना चाहिये ताकि इसमें प्रत्येक प्रान्त तथा समाज को समूचित प्रतिनिधित्व मिल सके, और इसमें पादरियों तथा जन-साधारण, दोनों के प्रतिनिधि होने चाहिये। केवल साधारण परिपद को ही धर्म-ग्रंथों की अधिकारस्पूर्ण व्याख्या करने, धर्म-वहित्करण का आदेश देने, चर्च सघटन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने तथा ईसाई उपासना के कर्मकाण्ड को नियमित करने का अधिकार है। सारांश यह कि मार्सिलियो चर्च शासन के विषय में साधारण परिपद को वही दर्जा तथा शक्तियां

* “It is an organic whole composed of classes, including everything within itself both physical and ethical, that is needed for its continued existence and the good life, in a secular sense, of its citizens. Its power of legislation is the inevitable right of such a corporation to regulate its own parts for the well-being of the whole. Its executive power is the agent of the corporation to put into effect whatever the unity of the state requires, and because of this unity there is no room for differences of jurisdiction or dispersion of power. From a secular point of view the community is absolutely self-sufficient and absolutely omnipotent. It is the guardian of its own life and its own civilization. If its citizens have a ‘spiritual’ well-being, this belongs in another world and at other life, beyond the life of the state, indeed, but also powerless to touch that life.”

देता है जो कि समाज के नागरिक विषयों में समस्त नागरिक समूहिक को प्राप्त हैं। मार्सीलियो चर्च को एक ईसाई राज्य कहकर पुकारता है जिसमें राजतन्त्रीय शासन है और पोप जिसका राजा है। परन्तु वह चर्च को न कोई स्वतन्त्र अधिकार धोने देता है और न कोई विवशकारी शक्ति। राज्य की कार्यपालिका का एकीकृत स्वरूप, जिस पर वह इतना जोर देता है, चर्च के लिए लौकिक विषयों में किसी स्वतन्त्र भाग के लिए कोई स्थान ही नहीं छोटता। पादरियों का एकमात्र कार्य उपदेश देना और स्वकार सम्पन्न कराना है; उनके हाथ में आत्मा का उपचार है, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रभु ने पादरियों को जो Power of the keys प्रदान की थी उसका गर्व पोपवादियों ने लौकिक शक्ति (temporal authority) और उसको प्रयोग में लाना, लगाया है। मार्सीलियो ने इस शक्ति को निरायिक की शक्ति न मान कर डारपाल की शक्तिमात्र बतलाया है। वह पादरी की तुलना एक बैद्य से करता है जो यह तो घोषित कर सकता है कि अमुक व्यक्ति कोढ़ी है किन्तु उसका समाज से वहिष्कार नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक पादरी धर्म-वहिष्कार का निरंय तो दे सकता है, किन्तु उसे भनवा नहीं सकता। मार्सीलियो के सिद्धान्त का सार ही यह है कि वह पादरीगण को किसी भी प्रकार की विवशकारी शक्ति नहीं देता। जैसा कि हम पहिले ही कह चुके हैं उनका कार्य केवल ईश्वर वाव्य का प्रचार करना और संस्कार सम्पन्न कराना है; वे केवल आत्मा के सरक्षक हैं, इससे अधिक कुछ नहीं।

पोप की प्रभुता से तो वह एकदम इन्कार करता है। पोप चर्च का सर्वप्रभुत्व-पूर्ण प्रधान नहीं है बल्कि केवल उसका मुख्य प्रशासकीय अधिकारी है। पोपशाही की सह्या ईश्वरकृत नहीं, ऐतिहासिक शक्तियों की उपज है। पोटर में अन्य धर्मावतारों (Apostles) की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं थी और आदि चर्च में साधारण पादरी तथा विशेष में कोई भेद नहीं था। जहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्बन्ध है, समस्त पादरीगण, विशेषगण तथा पोप समान हैं; उनमें से कोई भी दूसरों से श्रेष्ठ हैं।

उनके पीछे कोई दैविक स्वीकृति नहीं है। पोप के चर्च के प्रभुत्वपूर्ण प्रधान होने तथा शासकों के ऊपर प्रभुता के प्रयोग करने के दावे को मार्सीलियो इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप भर में गर्व तथा अस्तोप का कारण समझता था।

मार्सीलियो सन्त फासिस के अस्तेय के आदर्श को समस्त पादरीगणों के लिए एक सच्चा आदर्श समझता है। भरण-पोषण के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक पादरियों को नहीं रखना चाहिये। इस प्रश्न का कि चर्च की सम्पत्ति का स्वामी कौन है मार्सीलियो एक ऐसा उत्तर देता है जो कठिनाइयों से खाली नहीं है। वह कहता है कि उसके स्वामी वे लोग हैं जिन्होंने कि उसे चर्च को अभित किया है। इस उत्तर की जटिलताओं में छुसना हमारे लिए यहाँ आवश्यक नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यह दिखाना है कि मार्सीलियो किस प्रकार इस परम्परागत सिद्धान्त को ढुकराता है कि

आध्यात्मिक विषय चर्चे के अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं और उसका अधिकार राज्य के अधिकार से उच्चतर है, और किस ढंग से वह पादरियों की किसी भी प्रकार की विवशकारी शक्ति का निपेद करता है तथा उसे एक जैविक सामाजिक ढाँचे का अग मात्र समझता है। जब तक कि राज्य की स्वतन्त्रता के समर्थक चर्चे के आध्यात्मिक अधिकार के ओचित्य को मानते थे तब तक वे नैतिक आधार या लौकिक विषयों में पोप के हस्तक्षेप को नहीं रोक सकते थे। पोप की प्रभुता के दावे को ठुकराने का एक-मात्र मार्ग यही था कि चर्चे को कोई भी विशेष अधिकार थोव न दिया जाये तथा उसको विवशकारी शक्ति से बचात कर दिया जाये। मध्यकालीन विचारकों में सबसे पहले ऐसा करने का श्रेय मार्सीलियों को है। कहा जा सकता है कि जनता को समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत और समस्त व्यवस्थापन का प्रधम तथा समुचित कारण बनाकर उसने जन राजसत्ता की धारणा का प्रतिपादन किया। उसकी यह घोषणा करना कि चर्चे के अन्दर व्याख्या तथा अन्य विवादयस्त प्रश्नों का निर्णय करने का अधिकार साधारण परिपद को है और पोप उसके अधीन है, 'कन्सीलियर' आन्दोलन की पूर्व सूचना देना धा जो कि १५वीं शताब्दी में विकसित हुआ। परन्तु मार्सीलियों ने साधारण परिपद के विचार को पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया। इसका पूर्ण विवरण देना एक अन्य महान् फ्रांसिसवादी विलियम ऑफ ओकम का कार्य था। उसी पर अब हम आते हैं।

विलियम ऑफ ओकम (William of Occam)—अन्त में हम विलियम ऑफ ओकम की विवेचना करेंगे जिसने कि मध्यकालीन पोपशाही के विरुद्ध राज्य की स्वतन्त्रता का समर्थन किया है। विलियम मार्सीलियो का समकालीन था; उसका जन्म १२६० और १३०० के बीच में हुआ और उसकी मृत्यु १३४६ के निकट हुई। वह एक अग्रेज था और डसलिये पोप जॉन २८वें के विरुद्ध संघर्ष में उसके जर्मन नग्नाट लुई का पक्ष ग्रहण करने का कोई स्वाभाविक कारण दिखाई नहीं देता। वह 'फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय' (Franciscan Order) का सदस्य था और मार्सीलियो की भाँति पोप ने उसको भी धर्म-बहिष्कृत कर दिया था ज्योंकि वह अस्तेय भिद्वान्त का हामी था और उनके ऐसे कार्यों की विन्दा करता था जिन्हें वह गैरकानूनी प्रौर अत्याचारपूर्ण भमभता था। मार्सीलियो के सदृश वह लुई के दखार में गया और लगभग आठ वर्षों तक वहाँ रहा।

किया जाना चाहिये जिसका कोई वौद्धिक आधार न हो या जो धर्म-शास्त्र की तर्क-संगत व्याख्या के अनुसार न हो ।

विलियम का प्रमुख उद्देश्य एक क्रमबद्ध राजनीतिक दर्शन की रचना करना नहीं था ; वह द्वन्द्वादी^{१०} (Dialectician) था, दाशंनिक नहीं। उसकी कृति में हमें राज्य सम्बन्धी कोई सिद्धान्त नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त उसके इस विश्वास ने भी कि अपने व्यक्तिगत विश्वास की घोषणा से सत्य अथवा ज्ञान का कोई हक न होगा उसे विभिन्न प्रश्नों पर सुनिश्चित रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करने से रोका। उसकी कृतिया वौद्धिक वाद-विवाद के रूप में है जिनमें कि पोप तथा साम्राज्य के मध्य संघर्ष में दोनों पक्षों के गुण-दोषों की पूर्ण रूप से विवेचना की गई है परन्तु किसी औपचारिक निर्णय पर नहीं पहुँचा गया। तथापि उसने कुछ ऐसे विचारों की उद्भावना को जिनका राजनीतिक विचार के इतिहास में बड़ा महत्व है। वे उस भीषण वाद-विवाद का केन्द्र हैं जो कि लगभग १०० वर्षों तक धार्मिक जगत में चलता रहा और विशुद्ध राजनीतिक प्रश्नों पर उनका प्रभाव बढ़ता ही रहा।

विलियम ऑफ थ्रोकम के विचार का आधार यह है कि नमस्त शक्ति उस उद्देश्य द्वारा सीमित है जिसके लिए कि वह दी जाती है और उसका प्रयोग केवल सामान्य हित के लिए तथा बुद्धि और स्वाभाविक न्याय के अनुसार होना चाहिये। पोप तथा साम्राट द्वारा किये गये दावों की समीक्षा उन दोनों के मध्य समूचित सम्बन्ध निर्धारित करने में वह इसी सिद्धान्त का पालन करता है। साधारणतया वह धर्मशक्ति तथा राज-शक्ति के परम्परागत विभेद को स्वीकार करता था और यह मानता था जॉन कि आध्यात्मिक तथा लौकिक क्षेत्रों का विभाजन सम्भव है। लौकिक विषयों में पोप जॉन २२वें के हस्तक्षेप को वह अन्नायपूर्ण समझता था और उसमें बहुत खिन्न तथा विक्षुद्ध था। उसने जोरदार शब्दों में यह घोषणा की कि पोप का अधिकार केवल आध्यात्मिक विषयों के ऊपर है; सासारिक मामलों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उसके अनुमार पोप को केवल वे ही शक्तिया प्राप्त हैं जो कि नैतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं। यह शक्ति प्रबन्धात्मक थी क्योंकि यह मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक थी; यह दासनात्मक नहीं थी क्योंकि मनुष्य अथवा किसी चीज के ऊरर नियंत्रण करने की यह कोई विभागारी शक्ति प्रदान नहीं करती थी। यह आध्यात्मिक ध्येय प्राप्ति की आवश्यकताओं का अतिक्रमण नहीं कर सकती थी। विलियम का तर्क यह था कि ईमा का प्रतिनिधि होने के नाते पोप की शक्तिया स्वयं इसा की शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती थी और भगवान् ईमा का अवतरण मनुष्य के अधिकारों

^{१०} यहाँ पर द्वन्द्वादी शब्द को उस अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया जिसमें कि हीगल तथा कालं मावर्म ने किया है। विलियम को द्वन्द्वादी कहने का अनिप्राप्य यह है कि सुकरात तथा धर्मनात्मन की भाँति वह प्रश्नोत्तर द्वारा अपने विषय का निष्पत्ति करता था।

और सम्पत्ति की पूर्ति के लिए हुआ था उनसे वचित करने के लिए नहीं। यदि पोप अपने उचित अधिकारों को सीमाओं का उल्लंघन करता है और लौकिक विषयों में हस्तक्षेप करता है तो उसकी अवज्ञा की जा सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पोप धर्मग्रन्थों की अवहेलना नहीं कर सकता। धर्मग्रन्थों की व्याख्या करने का अधिकार पोप को अथवा पादरियों को नहीं वल्कि सबसे अधिक प्रजाशील व्यक्ति को है जो सदाचार और चर्च सेवा के लिये मुख्यतः मोक्ष तथा धर्मनियमियों के संगठन के लिये चर्च के अन्दर पोप के राजतन्त्री अधिकार को स्वीकार करते हुए भी ओक्म ने उसकी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ी रोक और सीमाये लगाएं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसने आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों ही क्षेत्रों में पोप की प्रभुता के दावे को तुकरा दिया और सम्भाट की लौकिक स्वतन्त्रता का समर्थन किया।

ओक्म इस बात को तो मानता है कि राज्यशक्ति पोप के नियन्त्रण से स्वतंत्र रहनी चाहिए और वह जनता के स्वशासन के अधिकार पर आधारित है; किन्तु इसके साथ ही साथ वह सम्भाट की शक्तियों को भी सीमित करना चाहता है। सम्भाट का यह कर्तव्य है कि वह अपने शासन को न्यायशील तथा प्रजा के लिए उपयोगी बनाये, और परमात्मा की इच्छा, स्वाभाविक विवेक तथा न्याय के आदेश तथा राष्ट्रों के सामान्य कानूनों के अनुसार कार्य करे। सम्भाट की शक्ति यद्यपि पोप से स्वतन्त्र है, किन्तु उसका प्रयोग कानून के अन्दर होना चाहिए। सम्भाट की शक्ति के मनमाने प्रयोग का भी वह उतना ही विग्रेधी था जितना कि पोप की मनमानी का; किसी भी क्षेत्र में शक्ति का अपने उद्देश्य द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन उसे ग्रसह्य था। इसलिए वह पोषक्ति तथा राज्यशक्ति दोनों की नियन्त्रित और सीमित रखना चाहता था।

पोप की अनियन्त्रित तथा अनुत्तरदायी निरंकुशता का विरोधी होने के कारण विलियम ने चर्च की साधारण परिषद् के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया; इसे वह पोप की शक्ति के ऊपर सबसे अधिक उपयुक्त रोक यमनका था। मार्सिलियो तथा जॉन आंफ पेरिम की अपेक्षा विलियम ने इस भिद्धान्त का प्रतिपादन अधिक विस्तारपूर्वक और व्यापक रूप से किया। उसने कहा कि साधारण परिषद् का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। एक पेरिस (Parish) में रहने वाले समस्त ईसाइयों को डायोसीज (Diocese) के निर्वाचक मण्डल के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने चाहियें। इन निर्वाचक मण्डलों को साधारण परिषद् के तिए सदस्य चुनने चाहिये। इनमें पादरियों तथा जन-साधारण दोनों के ही प्रतिनिधि होने चाहिये; इनका दरवाज़ा स्त्रियों के लिए भी खुला होना चाहिए। यद्यपि पोप ने कभी भी इस प्रकार की परिषद् को नहीं बुलाया; किन्तु यदि इसे कभी बुलाया जाता तो यह समस्त ईसाइयों की सबसे अधिक प्रतिनिधि

सम्प्रस्था होती। धर्मग्रन्थों की व्याख्या करने, धर्म-वहिकरण का आदेश देने, विवादित प्रश्नों का निरांय करने तथा एक अत्याचारी अथवा धर्म-विमुख पोप को पदच्युत करने की शक्ति साधारण परिषद की है।

विलियम ओफ़ ओकम के साथ चर्च तथा राज्य का ऐतिहासिक विवाद समाप्त हो गया। इसकी जगह एक नवीन समस्या उत्पन्न हुई। वह समस्या यह थी कि चर्च के अन्दर सांविधानिक शासन हो या निरंकुश। कन्सीलियर आन्दोलन इसी समस्या को सुलझाने का एक प्रयास था। यही अगले अध्याय का अध्ययन विषय है।

मध्य काल का अन्त कन्सीलियर आन्दोलन

(The Conciliar Movement)

परिचयात्मक — १३२४ई० में 'डिफेन्सर पेसिस' का प्रकाशन मध्यकालीन राजनीतिक विचार के एक महत्वपूर्ण युग के अन्त की सूचना देता है; तदुपरान्त पोपशाही नथा साम्राज्य का विवाद, जिसमें कि ११वीं शताब्दी से आगे मध्यकालीन विचारको का भन उनमा हुआ था, एक निर्जीव प्रश्न बन गया। १४वीं शताब्दी के मध्य में पाठरियो, राजनीतिक विचारको नथा राजाओं में एक दूसरे प्रश्न पर बहस छिड़ी। वह प्रश्न था 'चर्च के शामन का समुचित रूप क्या हो ? यहाँ पर यह बताना असंगत न होगा कि विवाद के दोनों पक्षों की पुराने प्रश्न में रुचि वयो समाप्त हो गई और १५वीं शताब्दी में उनका स्थान एक नवीन प्रश्न ने वयों ले लिया और वयों यूरोप के एक छोर से दूसरे छोर तक उस पर बहस हुई।

बात यह है कि पोप बोनीफेस अष्टम को फिलिप दी फेयर आँफ फास के मुकाबले में तथा पोप जॉन २२वे को नुई दी वरेस्यन के सामने असफलता निलगे के कारण वार्मिक तथा लौकिक शक्तियों के द्वन्द्व में पोप की हार हो चुकी थी और राज्य की स्वतन्त्रता का मिदान्त स्थापित हो चुका था। एविमोन में वेबीलोनिश कैट्टीविटी (Babylonish Captivity at Avignon) के दुष्कृत्य तथा १३७७ में पोप प्रेगरी ११वे के रोम में लौटने के दो वर्ष पश्चात् पारस्परिक फूट के कुकृत्य ने पोपशाही को न केवल दुर्बल बना दिया बल्कि उसको मान-प्रतिष्ठा को भी समाप्त कर दिया। जिस पोपशाही का इतना गहरा पतन हो चुका हो उसके प्रभुतापूर्ण शक्ति के दावों का समर्थन करना पादरियों के लिए बड़ा कठिन हो गया। दूसरी ओर, मार्सीलियों के वाद राज्य की स्वतन्त्रता के समर्थकों को कहने के लिये कोई नई महत्वपूर्ण बात न रही। इसके अनिरिक्त इज्जन्वेड तथा फास जैसे राज्यों के शासक अधिक व्यवहारिक समस्याओं में व्यस्त हो गये, जैसे कि सामन्त भरदारों की कार्यवाहियों का दमन करना जोकि उनके केन्द्रीयकरण के प्रयत्नों के मार्ग में गम्भीर वादा थी, 'शतवर्षीय युद्ध' तथा 'गुलाब युद्ध' (Wars of Roses)। १३५० ई० में यूरोप के ऊपर 'ब्लैक डैथ' (Black Death) का जो बवण्डर आया, उसने भी मानव मस्तिष्क को विभिन्न धाराओं में मोड़ दिया; विचार रहस्यवाद की ओर प्रवाहित हो गया। कला तथा विद्या के पुनरुत्थान ने भी मनुष्य की रुचि को विवाद में हटाकर दूसरे विषयों की ओर प्रवृत्त कर दिया। इन प्रकार मध्यकालीन बोधिक प्रवृत्ति में एक क्रान्ति भी

आगई। मार्सीनियों की मृत्यु के उपरान्त डेढ़ सौ वर्ष का समय मध्य काल से आधुनिक काल तक एक सफलता युग है; वह मध्य काल के अन्त की मूर्चना देता है। इस युग में राष्ट्रीय राजाओं की शक्ति में बड़ी वृद्धि हुई और उसी अनुपात से सामन्त सरदारों की शक्ति का हास हुआ; वाणिज्य तथा नगरों का भी जबर्दस्त विकास हुआ। ये समस्त घटनायें एक दूसरे से सम्बन्धित थीं। परन्तु सब से अधिक महत्वपूर्ण घटनाएँ भी पोषणाही का हास तथा चर्चे परिपदों का उदय। उस युग के राजनीतिक विचार पर भवसे अधिक गहरा प्रभाव चर्चे शासन के परिपदीय सिद्धान्त के विकास का पड़ा जिसका विवरण यहाँ दिया जायेगा।

यद्यपि इस युग के प्रमुख व्यक्तियों ने लौकिक शक्ति के ऊपर धार्मिक अधिकारियों के प्रभुत्व के दावों की विवेचना अब छोड़ दी थी तो भी वे मध्य काल के थे। उनका आरम्भ विन्दु यह मान्यता थी कि ईसाई जगत एक इकाई है, इसलिए उनका शासन एक केन्द्रीय होना चाहिये। चर्चे के अन्दर निरंकुश शासन हो या मार्कियनिंदा, इस प्रश्न पर गरमागरम बहस करते हुये भी वे चर्चे की एकता पर जोर देंते थे। उसे प्रत्येक दशा में सुरक्षित रखना चाहते थे। एकता के इस पुराने विचार डॉ रामेन्द्र बाद के नवीन विचार ने चुनौती दी और अन्त में उसे परास्त कर दिया। नृहेंद्रेन्द्र समाज की धारणाएँ लोप तथा राष्ट्रीय चर्चे के विचार की विजय के द्वारा चर्चे का अन्त हो गया और आधुनिक युग का थीरगण्डा हुआ। इस परिवर्तन का अरम्भ पुनर्जन्म (Renaissance) तथा प्रारिस्टेंट मुदार आन्दोलन (Reformation) ने किया। मैकियावेली पुनर्जन्म का फल था; सूधर तथा डॉनेल्ड रुक्क रुक्क के पैगम्बर थे। इस अध्याय में हम परिपदीय सिद्धान्त के दर्शन डॉ रामेन्द्र बाद विवेचना करेंगे। मैकियावेली का राजनीतिक विचार अगले अध्याय बहुत छोटा रुक्क मुदार का बरण उससे आगे किया जायेगा।

कन्सीलियर आन्दोलन (The Conciliar Movement) — कन्सीलियर सिद्धान्त को दो अवस्थाओं में विभक्त करना सुविद्यावल्ल द्वारा कर्तव्य घटना थी तथा वह है जिसमें कि १४वीं शताब्दी में जॉन फ्रांस बैंड नॉले नॉले फ्रांस नॉले तथा विलियम ऑफ थ्रोकम सरीखे लेवकों ने डॉ रिचर्ड बैंड नॉले नॉले किया कि चर्चे की अन्तिम शक्ति का निवास-स्थान साधारण रूप से है जॉन फ्रांस बैंड बैंड है, जिसने इस विचार ने साकार रूप प्रदान किया थांस बैंड नॉले नॉले नॉले नॉले का निराकरण करने के लिये तीन परिपदे हुनर्टर्ड बैंड डॉ रिचर्ड बैंड के हिन्दू रूप के प्रमुख नेता गर्सन, पियरी डेग्रावी (Pierre Desgraves), डॉ रिचर्ड बैंड बैंड है। कन्सीलियर सिद्धान्त को १५वीं शताब्दी के बैंड बैंड बैंड के द्वारा कहा जा चुका है, इसके प्रतिरक्षण फ्रांस बैंड बैंड बैंड है। इस द्वारा कहा जाने वाले थ्रोकम के दम बैंड बैंड बैंड बैंड है, जॉन फ्रांस बैंड बैंड बैंड बैंड है। यहाँ जॉन फ्रांस पेरिम के दम बैंड बैंड बैंड बैंड है, जॉन फ्रांस बैंड बैंड बैंड है। पोप एसे विचारों का प्रतिराजन बैंड बैंड बैंड है, जॉन फ्रांस बैंड बैंड है। मही साते और वह वर्मनिंद्र बैंड बैंड बैंड बैंड है।

जाता है तो यह विषय साधारण परिपद के पास जा सकता है जोकि पोप को पदच्युत कर सकती है। यह सुभाव एकदम निष्फल रहा। मार्सिलियो तथा विलियम ने चर्च की साधारण परिपद के सम्बन्ध में अपने विचारों का प्रतिपादन किसी व्यवहारिक समस्त्या को सुलझाने के लिए नहीं बल्कि पोपशाही के सिद्धान्त का उत्तर देने के लिए किया था। एविमोन के पोपों की फ्रास के राजाओं के प्रति अधीनता ने उनकी पोप-विरोधी भावना को और भी तीव्र कर दिया। सारांश यह कि १४वीं शताब्दी में कन्सीलियर सिद्धान्त का प्रचार केवल कुछ योड़े से पोप विरोधियों ने किया था: यह एक सार्वजनिक आनंदोलन नहीं बन पाया था; वह पोप के लौकिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में निरकृश शक्ति के दावे के विरुद्ध एक विरोध प्रदर्शन था। चर्च का पारस्परिक कलह यदि न होता तो यह सार्वजनिक आनंदोलन न बनता, परन्तु कलह ने पोप के प्रभुता के दावे को अत्यन्त हास्यास्पद बना दिया। इसके सम्बन्ध में दो शब्द कहना आवश्यक है।

फूट (The Schism)— पाठकों को याद होगा कि चर्च सम्पत्ति पर करारें-परा के प्रश्न के ऊपर फ्रास के राजा फिलिप द्वी फेर तथा पोप बोनीफेस अप्टम भें कटु विवाद छिड़ गया था। उसमें यद्यपि फिलिप सफल हो गया था, किन्तु उसने इस प्रकार के सकटों की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने का दृढ़ संकल्प किया। इसलिये उसने एक फ्रासी धर्माधिकारी को पोप पद पर नियुक्त करा लिया और पोप का मुख्य स्थान रोम से हटाकर एविमोन में लिवा ले गया। १३०९ से १३७८ तक पोप एविमोन में फ्रास के राजाओं के प्रभाव में रहे जो खुल्लमखुल्ला उनकी नीतियों को नियन्त्रित करते थे। इसे पोपशाही की बेबीलोनिश कैस्टीविटी कहते हैं। इसने पोपों के सम्मान और शक्ति को भारी आघात पहुंचाया जिसकी कमी को पूर्ति कभी नहीं हो सकी। यूरोप के साधारण विषयों में उसे जो प्रतिष्ठित स्थान पहले प्राप्त था वह उसे फिर कभी न मिल सका। एविमोन में पोप के दरबार में हासविलाम, पक्षपात तथा धन का अपार अपव्यय होता था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि पादरियों तथा जन-साधारण में जो फ्रास की नीति के विरुद्ध थे, समान रूप से विक्षेपण की एक लहर दौड़ गई। बेबीलोनिश कैस्टीविटी के इस युग का अन्त तब हुआ जबकि पोप ग्रेगरी ११वा १३७८ ई० में रोम में वापिस आ गया।

ग्रेगरी ११वे की मृत्यु के पश्चात् एक नये पोप के निर्वाचन ने चर्च में फूट उत्पन्न करदी जो इतिहास में 'शिशम' (Schism) के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रास के धर्माधिकारियों ने जो कि एविमोन के निवासी जीवन के त्यागने के लिए तैयार न थे, एक इटली निवासी के पोप अर्बन 'पष्ठ के रूप में निर्वाचित हो जाने की जो ग्रेगरी ११वे का उत्तराधिकारी था घोर निन्दा की और अनुचित बताया। उन्होने एक फ्रास निवासी को पोप क्लीमेट सप्तम के रूप में निर्वाचित कर लिया और वे एविमोन को लौट गए। इस प्रकार एक की जगह दो पोप हो गए, एक रोम में और दूसरा एविमोन में। इन दोनों में से प्रत्येक ईमा का प्रतिनिधि होने और चर्च के प्रधान होने के नाते

उस प्रभुता का स्वामी होने का दावा करता था जिसको कि वास्तविक प्रयोग पोप ग्रेगरी सप्तम, इन्नोसेन्ट तृतीय तथा इन्नोसेन्ट चतुर्थ सरीखे पोपों ने किया था जबकि पोपशाही की शक्ति तथा प्रभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचे हुये थे। यह फूट जो १३७८ से १४१७ तक चंडी ईसाई जगत में एक गम्भीर घटना थी; इसने चर्च की एकता को भंग कर दिया और समस्त यूरोप को दो भागों में विभक्त कर दिया जिनमें से एक एविनोत के पोप का समर्थन करता था और दूसरा रोम के पोप का अनुयायी था। इससे प्रतिद्वन्द्वी पोपों के दावों के अधीनित्य पर वाद-विवाद होने लगा। इससे यह प्रश्न भी उठाया गया कि आया कि ऐसी कोई उच्चतर लौकिक शक्ति है जो चर्च के भगाडों को निपटा सके। विभिन्न परिपदों के वाद-विवाद में विभिन्न प्रकार के तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों की भीमासा की गई। इस फूट ने एक कोरे बीदिक वाद-विवाद को ही जन्म नहीं दिया बल्कि इसने प्रत्येक देश के नित्यप्रति के जीवन पर अत्यन्त गहरा प्रभाव डाला। “जब तक भी यह फूट जारी रही तभी तक अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक गुरु को चुनने का भार अनिवार्य रूप से प्रत्येक राजा के कन्धों पर पड़ता रहा। परिस्थितियों ने सरकार की पहिले ही से बढ़ती हुई शक्तियों में एक नई शक्ति को जोड़ दिया। यूरोपीय राजाओं को बड़ी द्रुतगति से आध्यात्मिक विषयों में स्वतन्त्र होने की आदत पड़ती जा रही थी जिससे पोप की शक्ति तथा चर्च की एकता को आघात लगा।” # इसलिए समस्त सच्चे ईसाइयों के लिए इस फूट को समाप्त करना और चर्च की खोई हुई एकता को फिर में स्थापित करना एक जबरंस्त महत्व और तुरन्त आवश्यकता का विषय बन गया। चर्च के राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा राजा सभी लोग इसी धाव को भरने के लिये समर्पित हो उठे। इसका परिणाम हुआ कन्सीलियर आन्दोलन। पेरिस विश्व-विद्यालय के गर्सन तथा पियरी डेली सरीखे व्यक्तियों ने, जिन्होंने मार्सीलियो तथा प्रारम्भिक चर्च फ़ाइसं का गहरा अध्ययन किया था, यह मुझाव पेश किया कि इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये चर्च की सामान्य परिपद बुलाई जानी चाहिये। पहिली परिपद १४०६ ई० में पीसा में बुलाई गई। उसने दोनों पोपों को पदच्युत करके और उसकी जगह एक नये पोप को चुनकर फूट को समाप्त करना चाहा। परन्तु पहिले दोनों पोपों में से स्वेच्छापूर्वक हटने के लिए एक भी तैयार न था, इसलिये परिपद के निर्णय का परिणाम यह हुआ कि पोप पद के लिए दावेदार दो की जगह तीन हो गये और स्थिति पहिले से भी विपर्य हो उठी। यह गड़वड़ द्रतनी अधिक बढ़ गई कि पोप जॉन २ ईवे को, जो कि अलेकजेण्डर का उत्तराधिकारी था, इस समस्या

* “So long as the schism lasted, so long would the burden of choosing the spiritual guide for his people be thrown inevitably upon the shoulders of each secular prince. Force of circumstances added a new power to the already extending authority of secular governmentsThe European princes were rapidly acquiring a habit of independence in spiritual matters to the detriment of papal authority and the unity of the church.”

चर्च के सुधार में उन्होंने उतनी हडता और तत्परता नहीं दिखाई और न ही वे मर्दनम्मति से किसी सुधार का प्रस्ताव कर सके। इसलिये इस दिशा में उन्हें कोई सफलता प्राप्त न हो सकी। हस तथा वाइकिलफ के विचारों को धर्म विमुख ठहराया गया। यहाँ तक कि हस को तो जीवित ही जला दिया गया यद्यपि उसे मुरक्का का आश्वासन दिलाकर परिपद में आमंत्रित किया गया था। जांग गमन, जो कि अपने शिक्षक पियरी डेली के उत्तराधिकारी के रूप में पेरिम विश्वविद्यालय का कुलपति बना, इस परिपद का प्रमुख निदानवेत्ता था और उसके सर्वमान्य नेतृत्व के कारण ही फूट समाप्त हो पाई थी।

फूट को समाप्त करने के लिये परिपद को पोपमाही के ऊपर अपनी प्रभुता मनवानी आवश्यक थी; इसलिये परिपदवादियों के समस्त प्रयत्नों का ध्येय वह मिठ्ठ करना हो गया कि धर्मदायित की प्रभुता का स्वामी पोप नहीं बल्कि साधारण परिपद थी। क्योंकि वह ही समस्त ईमाइयों की सच्ची प्रतिनिधि थी। इसके फलस्वरूप राजसत्ता के स्वरूप तथा राज्य में उसके निवास-स्थान और राजनीतिक सत्ता की सीमाओं तथा विस्तार के विषय में एक लम्बी बहस चिह्न गई। इस प्रकार कॉन्स्टैन्म की परिपद में राजनीतिक भिन्नान्त की बहुत सी समस्याओं पर बहस हुई। इस लम्बी बहस के फलस्वरूप १४१५ ई० का विष्यात प्रत्यादेश जारी किया गया जिसे डा० फिगिस ने "संसार के इतिहास में कदाचित सबसे अधिक कातिकारी अधिकृत अभिलेख्य" कह कर पुकारा है। इसमें यह सिद्धान्त अभिध्यवत है कि परिपद को पोप के ऊपर प्रभुता का प्रधिकार है। इस प्रत्यादेश का कहना है कि "साधारण परिपद को, जो कि कैथोलिक चर्च का निर्माण तथा प्रतिनिधित्व करती है, प्रत्यक्ष रूप से इसा से शब्दित प्राप्त हुई है जिसकी आज्ञा का पालन धर्म, कथित फूट तथा चर्च के सुधार के विषय में प्रत्येक व्यक्ति करने की वाद्य है; चाहे उसका दर्जा तथा सम्मान कुछ भी क्यों न हो, चाहे वह स्वयं पोप ही क्यों न हो।"^{१०} इस धारणा का, कि चर्च की प्रभुत्वपूर्ण शब्दित समस्त समाज अथवा उसके प्रतिनिधि भग में मानी जानी चाहिये, पोप में नहीं, मुख्य आधार मार्मालियों का यह सिद्धान्त था कि मौलिक, विधाननिर्माणी तथा विधिनिर्मायिक घंटित समस्त जनता में है। इसके इन शब्दों का कि 'जहाँ दो या तीन मेरे नाम में एकवित होते हैं, तो मैं भी उनके बीच में होता हूँ' यह अर्थ नमझा गया कि पोप की अपेक्षा परिपद महत्तर है। चर्च का एक कार्य-पालक प्रधान होने के नाते पोप समाज का एक अधिकृत अधिकृता भाग था, उसका प्रभुत्वपूर्ण स्वामी नहीं; तक कि यह दिया गया कि उसे परिपद के अनुशासन में रहना चाहिये क्योंकि समस्त ईसाई जगत की प्रतिनिधि होने के नाते परिपद पोप से थेष्टतर थी। इसके अतिरिक्त इस प्रत्यादेश में

* "A General Council constituting and representing the Catholic Church, has authority immediately from Christ which every one in existence of whatever status or dignity, even of papal, is bound to obey in those things which pertain to the faith, the extirpation of the said schism, and the reform of the church in head and in members"

को मुलभाने के लिए १४१४ई० में कॉन्स्टेन्स में परिपद् को बुलाना पड़ा। कॉन्स्टेन्स की परिपद् तथा उसकी सफलता एवं विफलता का विवरण देने से पूर्व कन्सीलियर आन्दोलन के उद्देश्यों के विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक प्रतीत होता है।

कन्सीलियर आन्दोलन के उद्देश्य—जिन लोगों ने चर्च की पारस्परिक पूट का अन्त करने के लिए इतना घोर परिधम किया था उन्होंने शोध्रं ही यह महसूस कर लिया कि जब तक चर्च के प्रधान तथा सदस्यों, दोनों का सुधार न किया जायेगा तब तक दो प्रतिद्वन्द्वी पोषों के स्थान में एक नया पोष नियुक्त करने से ही चर्च में कोई स्थायी एकता तथा सामजस्य स्थापित नहीं हो जायेगा। आवश्यकता इस बात की थी कि चर्च की वित्त सम्बन्धी स्थिति को ढड़ बनाया जाये और यह देखने के लिए कि चर्च का धन समुचित रूप से व्यय हो रहा है या नहीं हिसाब-किताब और नियन्त्रण की एक समुचित व्यवस्था की जाये तथा पोष के दरबार की विलासिता और अपव्यय को कम किया जाये। इसके अतिरिक्त पोष की निरकुशता का विरोध भी बढ़ा और उसे नियन्त्रित करने की मांग भी बहुत अधिक बढ़ गई। बोहीमिया में इस के तथा इंगलैंड में वाईकिनफ के जनप्रिय आन्दोलनों के फलस्वरूप पोष की निरकुशता का प्रश्न सार्व-जनिक बादबिवाद का विषय बन गया। उन्होंने राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रता की माँग की और कर्मकाण्ड तथा उच्चतर पादरियों द्वारा आध्यात्मिक शक्ति पर एकाधिकार का विरोध किया। इसके अतिरिक्त पादरियों के, जो कि पुनरुत्थान के आकर्षणों, पद तथा धन की कामना से विचलित हो उठे थे और जिनका नैतिक पतन भी हो गया था, नैतिक सुधार का प्रश्न भी था। पूट को समाप्त करने के अतिरिक्त चर्च का सुधार, और अधर्म का दमन भी कन्सीलियरवादियों का ध्येय बन गया। चर्च शक्ति को छिन्न-भिन्न होने से बचाने, उसके नैतिक ह्रास को रोकने तथा उसके पूर्व-कालीन गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने का एकमात्र मार्ग चर्च की एक नियमित शाखा के रूप में एक साधारण परिपद् की स्थापना करना तथा उसे निश्चित साविधानिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान करना था।

कॉन्स्टेन्स की परिपद् (The Council of Constance)--जैसा कि हम वहिले बता चुके हैं, पीसा की परिपद् पूट को समाप्त करने में विफल रही; उससे स्थिति वहिले से भी खराब हो गई। जांन गर्सन ने मुख्यतः जिसके लेखों के फलस्वरूप कन्सीलियर सिद्धान्त को यूरोप में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था, एक दूसरी तथा अधिक प्रतिनिधि परिपद् बुलाने पर जोर दिया। उसका फल हुआ कॉन्स्टेन्स की परिपद् जिसकी कार्यवाही १४१४ से लेकर १४१८ तक चलती रही। इसकी प्रवृत्ति और इसका निर्माण उसकी पूर्ववर्ती पीसा परिपद् से बहुत अधिक भिन्न था। इसमें लयभग समस्त यूरोपीय लौकिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व था। विद्वानों तथा उच्च कोटि के पादरियों के अतिरिक्त साधारण पादरियों के प्रतिनिधि इसमें भेजे। उसमें एकमित्र प्रतिनिधियों ने पूट को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय किया और अपने उद्देश्य में वे सफल भी हुए। किन्तु

चर्च के सुधार में उन्होंने उतनी हड़ता और तत्परता नहीं दिखाई और न ही वे मर्द-सम्मति से किसी सुधार का प्रस्ताव कर सके। इसलिये इस दिशा में उन्हें कोई सफलता प्राप्त न हो सकी। हस तथा वाइकिलफ के विचारों को धर्म विभास ठहराया गया। यहाँ तक कि हस को तो जीवित ही जला दिया गया यद्यपि उसे सुरक्षा का आश्वासन दिलाकर परिपद में आमत्रित किया गया था। जर्न गर्मन, जो कि अपने शिक्षक पियरी डेली के उत्तराधिकारी के रूप में पेरिस विश्वविद्यालय का कुलपति बना, इस परिपद का प्रमुख सिद्धान्तवेत्ता था और उसके सर्वमान्य नेतृत्व के कारण ही फूट समाप्त हो पाई थी।

फूट को समाप्त करने के लिये परिपद को पोपशाही के ऊपर अपनी प्रभुता मन्दवानी आवश्यक थी; इसलिये परिपदवादियों के समस्त प्रयत्नों का ध्येय यह सिद्ध करना हो गया कि धर्मशक्ति की प्रभुता का स्वामी पोप नहीं बल्कि साधारण परिपद थी। क्योंकि वह ही समस्त ईसाइयों की सच्ची प्रतिनिधि थी। इसके फलस्वरूप राज-सत्ता के स्वरूप तथा राज्य में उसके निवास-स्थान और राजनीतिक सत्ता की सीमाओं तथा विस्तार के विषय में एक लम्बी बहुस छिड़ गई। इस प्रकार कॉन्स्टैन्ट्स की परिपद में राजनीतिक सिद्धान्त की बहुत सी समस्याओं पर बहस हुई। इस लम्बी बहस के फलस्वरूप १४१५ ई० का विस्तार प्रत्यादेश जारी किया गया जिसे डा० फिगिस ने "संसार के इतिहास में कदाचित् सबसे अधिक क्रांतिकारी अधिकृत अभिलेख्य" कह कर पुकारा है। इसमें यह सिद्धान्त अभिध्यक्त है कि परिपद को पोप के ऊपर प्रभुता का अधिकार है। इस प्रत्यादेश का कहना है कि "साधारण परिपद को, जो कि कैथोलिक चर्च का निर्माण तथा प्रतिनिधित्व करती है, प्रत्यक्ष रूप से इसा से शक्ति प्राप्त हुई है जिसकी आज्ञा का पालन धर्म, कथित फूट तथा चर्च के मुधार के विषय में प्रत्येक व्यक्ति करने को आव्य हैं, चाहे उसका दर्जा तथा सम्मान कुछ भी क्यों न हो, चाहे वह स्वर्य पोप ही क्यों न हो।"^{१४} इस धारणा का, कि चर्च की प्रभुत्वपूर्ण शक्ति समस्त समाज अथवा उसके प्रतिनिधि अग में मानी जानी चाहिये, पोप में नहीं, मुख्य साधार मार्मांलियों का यह सिद्धान्त था कि मौलिक, विधाननिर्मात्री तथा विधिनिर्मायिक शक्ति समस्त जनता में है। इसके इन शब्दों का कि 'जहाँ दो या तीन मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, तो मैं भी उनके बीच में होता हूँ' यह अर्थ समझा गया कि पोप की अपेक्षा परिपद महत्तर है। चर्च का एक कार्य-पालक प्रधान होने के नाते पोप समाज का एक अधिकृत अभिकर्ता मात्र था, उसका प्रभुत्वपूर्ण स्वामी नहीं; तर्क यह दिया गया कि उसे परिपद के अनुशासन में रहना चाहिये क्योंकि समस्त ईमाई जगत की प्रतिनिधि होने के नाते परिपद पोप से थेप्टर थी। इसके अतिरिक्त इस प्रत्यादेश में

* "A General Council constituting and representing the Catholic Church, has authority immediately from Christ which every one in existence of whatever status or dignity, even of papal, is bound to obey in those things which pertain to the faith, the extirpation of the said schism, and the reform of the church in head and in members."

यह भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त है कि परिपद ने प्रपत्ती शक्ति प्रत्यक्ष रूप से इसा से प्राप्त की है, पोप मरीखी किसी शक्ति के माध्यम द्वारा नहीं। वह सिद्धान्त जिसके आधार पर परिपदवादियों ने प्रपत्ती विचारपाठ का विकास किया संबोधन के निम्नलिखित घटनाएँ में मुन्द्ररत्नम रूप में व्यक्त है : “एक पूर्णतया तथा स्वर्गान्वित समाज होने के नाते चर्च के पाम वे समस्त शक्तिया होनी चाहियें जो कि उसकी स्थिरता, उसके मुद्यवस्थित शामन तथा दोपां को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक शक्ति इसे मिली हुई है उसका स्वामी स्वयं चर्च है, समस्त धर्मावलम्बियों का एक मम्पुर्ण सामूहिक निकाय है और पादरीगण जिनमें पोप भी सम्मिलित हैं केवल वे अभिकर्ता तथा अंग हैं जिनके द्वारा समाज कार्य करता है।”^o

अक्तूबर १८१७ में कॉन्स्टेन्स परिपद ने एक दूसरा प्रत्यादेश जारी किया जिसका उद्देश्य यह था कि परिपद की वैठक नियमित रूप से प्रत्येक दसवें वर्ष होनी चाहिये और पोप को उसे स्थगित करने तथा उसका स्थान परिवर्तन करने का प्रधिकार नहीं होना चाहिये। इस प्रत्यादेश को यदि व्यवहारिक रूप दिया जा सकता तो पोप की नीति के ऊपर परिपद का एक नियमित नियन्त्रण निश्चित हो जाता और चर्च में एक साविधानिक शासन की स्थापना हो जाती ; परन्तु दुर्भाग्यवश कई कारणों से इसे कियान्वित न किया जा सका। उन दिनों किसी बड़े निकाय का बार-बार समवेत होना कठिन था क्योंकि संवाद-याहन के साधन बहुत योड़े और मन्दगति थे। इसके अतिरिक्त पोप विभिन्न हितों और गुटों को एक दूसरे से लड़ाकर कार्य की एकता तथा नीति की तारतम्यता को घररता से रोक सकते थे।

कन्सीलियर सिद्धान्त की एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी उल्लेखनीय है। यह बताया जा चुका है कि पहिले प्रभुत्वपूर्ण शक्ति का निवास-स्थान साधारण परिपद (General Council) समझा जाता था जिसमें पोप तथा समवेत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। आगे चलकर पोप जॉन २३वें के धर्म विमुख हो जाने पर परिपद ने यह घोषणा की कि प्रभुता पोप सहित सम्पूर्ण परिपद में नहीं वल्कि केवल उसके सदस्यों में है और आवश्यकता पड़ने पर पोप की प्रतीक्षा किये विना ही राजा उसे बुला सकता है। यदि परिपदवादी (Conciliarists) अपने उद्देश्य में सफल हो जाते और परिपद चर्च के शासन यन्त्र का एक नियमित और स्थायी भाग बन जाती तो पोप की निरंकुशता के स्थान पर एक सीमित तथा साविधानिक शासन स्थापित हो जाता और पोप की स्वेच्छाचारिता समाप्त हो जाती। परिपदवादियों की यह दृढ़ धारणा थी कि

* “The church, being a complete and self-sufficing society, must possess all the powers needed to ensure its continuance, its orderly government, and the removal of abuses as they occur. Consequently the spiritual power with which it is endowed is vested in the church itself, in the whole body of the faithful as a corporate body, and the clergy including the pope are merely the ministers or organs by which the society acts.”

पोप की शवित एक धरोहर थी, जिसके प्रयोग के लिये वह सम्पूर्ण निकाय के सामने उत्तरदायी था और वह अपनी और से नवीन सिद्धान्तों को निर्धारित नहीं कर सकता। परन्तु वास्तव में ऐसा कोई परिणाम नहीं निकला; पूट का अन्त होते ही कॉन्स्टेन्स की परिपद का भी अन्त हो गया। पूट समाप्त होने पर जब सदस्यों ने चर्च सुधार का कार्य उठाया तो उनमें जबर्दस्त भत्तेद उठ खड़े हुए और समरस्या का कोई मर्वमान्य निराकरण न निकल सका। समस्त ईसाई जगत् इस विषय में एकमत था कि पूट का अन्त होना चाहिये, इसलिये कॉन्स्टेन्स की परिपद चर्च में फिर से एकता स्थापित करने में सफल हुई। परन्तु चर्च शासन में आमूलचूल परिवर्तन करने तथा पोप की प्रभुता को समाप्त करने के ऊपर इस प्रकार का कोई सामान्य एकमत नहीं था। इसलिये परिपदवादियों का चर्च को सुधारने का प्रयत्न निप्पल रहा और वे चर्च में एक साधानिक शासन स्थापित करने की कोई व्यवहारणीय योजना तैयार न कर सके। अतः कॉन्स्टेन्स की परिपद बिना कोई सुधार किये हुए ही भग हो गई। पोप यथापूर्व चर्च का शासन चलाते रहे और पहिले दोप ज्यो के त्वां बने रहे।

बेसल पी परिपद तथा आन्दोलन द्वी विफलता—चर्च का सुधार करने में कॉन्स्टेन्स की परिपद की विफलता का अर्थ यह नहीं है कि कन्सीलियर आन्दोलन का ही अन्त हो गया। राजाओं तथा जनता वा दबाव पड़ने पर पोप एक और परिपद बुलाने को विवश हुआ। तीसरी और अन्तिम परिपद १४३१ में बेसल में समवेत हुई और गिरती पड़ती यह १४४८ तक चलती रही। यद्यपि कुछ समय के लिए तो ऐसा दिखाई पड़ता था कि मानो चर्च में वैधानिक शासन लाने में यह सफल होगी, किन्तु अन्त में यह विफल रही और इसकी विफलता कन्सीलियर आन्दोलन की मृत्यु मिल हुई। इस परिपद ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्च का प्रबन्ध करने की सामर्थ्य उसमें न थी। इसकी असमर्थता का कारण यह था कि यह राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा तथा द्वेष का शिकार हो गई। “वह परिपद जो स्वयं ही प्रत्येक प्रकार के राष्ट्रीय द्वेष का शिकार हो धर्माधिकारियों के जबर्दस्त हितों पर मफलतापूर्वक आक्रमण नहीं कर सकती थी।”* फासीसी सदस्य स्वयं अपनी स्थिति को हड़ बनाने के हेतु पोप की शवितां कम करना चाहते थे। इटली का गुट पोप के प्रभाव और शवितयों को मुरक्कित रखना चाहता था वयोंकि वे वास्तव में इटली वालों के विशेषाधिकार बन गये थे। इसलिये वे सुधार नीति अपनाने को अनिच्छुक थे क्योंकि सुधार का अर्थ उनके अपने ही अधिकारों का कम हो जाना था। इटली से वाहर के महान् पादरी पोप की शवितयों को कम कर स्वयं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, किन्तु वे अपने से छोटे पादरियों को शवित में भागीदार बनाने के लिए इच्छुक न थे। वे जन-माधारण में फैले हुए अमतोंय के साथ कोई रियायत करने को तैयार न थे। इस प्रकार प्रत्येक पक्ष सुधार तो चाहता

* “A council which itself was a prey to every form of national jealousy was ill-qualified to attack the stupendous mass of vested interests that made up ecclesiastical patronage.”

—Sabine : *Ibid*, page 325.

था, किन्तु स्वयं हानि उठाकर नहीं; प्रत्येक यही चाहता था कि मुघार का आरम्भ उन्हें छोड़ कही अन्यथा हो। ऐसी स्थिति में पोप 'फूट डालो और शासन करो' के प्राचीन रोमन निष्ठान्त का सफलता से प्रयोग कर सकता था और उससे लाभ उठा सकता था। वह मुगमता में एक गुट को दूसरे गुट से लड़ाकर कार्यं तथा नीति की एकता को असम्भव बना सकता था।

इस आन्दोलन की विफलता का दूसरा मुख्य कारण यह है कि उसके पास कोई ऐसा योग्य और शक्तिशाली नेता नहीं था जोकि परिपद् की धारणा में एक भावनात्मक प्रेरणा भर सकता और उसके सदस्यों को सामान्य लक्ष्य के सामने स्थानीय मतभेद को भूलने के लिये अनुप्रेरित कर सकता तथा वाह्य राजनीतिक हितों को हस्तक्षेप करने से रोक सकता। यह आन्दोलन प्रायः विश्व-विद्यालयों तक सीमित था और इसका नेतृत्व उन विद्वानों के हाथों में था जिनका जन-साधारण से कोई सम्बन्ध न था। जन-सहयोग इसे नहीं मिला। प्रोफेसर कुक का विश्वास है कि इसके नेताओं का फूंक-फूंक कर कदम रखना और नभ्रवादिता का भी इसकी विफलता में हाथ था। उनकी नभ्रवादिता ने उन्हें रुढ़िवादी बना दिया। यह कहना तो कठिन है कि एक अधिक उम्र और क्रातिकारी हृष्टिकोण अपनाने से इसे सफलता प्राप्त हो जाती; यह सच है कि इस आन्दोलन ने कोई काल्विन सरीखा नेता उत्पन्न नहीं किया जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं द्वारा उत्पन्न की हुई कठिनाइयों को पार करके एकता उत्पन्न कर सकता जिनके बिना सार्वभौमिक चर्च में परिपद् का शासन होना असम्भव था। इस परिपद् के भंग होने के उपरान्त उसका महान् नेता निकोलस पोप से मिल गया और फास को छोड़कर और राज्यों के शासकों ने पाप से सधि कर लेना ही श्रेयस्कर समझा जिसके द्वारा उन्हें कुछ रियायतें मिल गईं और उनके बदले में उन्होंने पोप की निरकुशता का विरोध करना छोड़ दिया। पोप की शक्ति की परम्परा इतनी गहरी और दृढ़ थी कि कन्सीलियर प्रयोग उसे न हिला सका। परिपदों के बल यदा-कदा ही समवेत हो सकती थीं; पोप मदैव मौजूद रहता था। परिपदों में कार्यं और नीति की कोई एकता न थी, वे मदा विभक्त रहती थीं; पोप एक या और परिपदों के बनाए हुए नियमों को क्रियान्वित करने में उनके हाथ में महान् विवेकात्मक शक्ति थी। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वह सरलतापूर्वक एक गुट को दूसरे गुट से भिड़ा सकता था और इसके द्वारा अपनी स्थिति को दृढ़ बना सकता था। इस प्रकार पोपों को कुछ ऐसे लाभ प्राप्त थे जिनके परिपदों के पास अभाव था और परिपदों में कुछ ऐसे दोष थे जिनके कारण वे शासन का धन्व नहीं बना सकती थीं। ऐसी स्थिति में यदि कन्सीलियर आन्दोलन चर्च में वैधानिक शासन स्थापित करने में विभक्त हो गया तो इसमें आश्चर्यं की कोई बात नहीं।

कन्सीलियर आन्दोलन का महत्व—यद्यपि कन्सीलियर आन्दोलन चर्च में पोप की निरकुशता के स्थान में एक वैधानिक शासन स्थापित करने और चर्चं शासन के द्वान्त को बदलने में विफल हो गया, तथापि वह पूर्णं रूप से निष्पत्त नहीं रहा,

उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम निकला। निरकुशवाद तथा संविधान के बीच यह सबसे पहिला महान् शास्त्रार्थ था; इसने ऐसे विचारों को जन्म दिया जिनका कि आगे चलकर निरकुश राजा तथा जनता के बीच होने वाले सघर्ष में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। ("चर्च के विवाद ने ही सबसे पहिले निरकुश तथा सांविधानिक सरकार के बीच निर्णय होने वाले प्रदेश की रूपरेखा निर्धारित की और इसने उस विचार दर्शन का प्रसार किया जोकि निरकुशवाद के विशद् प्रमुख शस्त्र बना। सर्वप्रभुत्वपूर्ण शवित के दैविक अधिकार तथा समाज की प्रभुत्वपूर्ण शवित दोनों का" ही लौकिक शासन के ध्वनि में प्रत्यावर्तन कर दिया गया।")⁴ कन्सीलियर आनंदोलन ने राज्य सम्बन्धी कई समस्याओं को अपने आधुनिक रूप में उठाया; उदाहरणार्थ यह कि कानून का तत्व रजामन्दी है; समस्त शवित एक घरोहर है; सरकार की शवित अपने उद्देश से सीमित है; तथा आवश्यकता परिवर्तन का सदैव एक उचित आधार है। जिस प्रकार जॉन गर्सन कॉन्स्टेन्स की परिपद का प्रमुख सिद्धान्तवेत्ता था उसी प्रकार बेसिल की परिपद का प्रधान तत्ववेत्ता निकोलस आंफ कूसा था। कन्सीलियर सिद्धान्त के इस सक्षिप्त विवरण के उपमहार-स्वरूप हम इन दोनों के आधारभूत विचारों का दिग्दर्शन करायेंगे।

जॉन गर्सन—साधारण परिपद को समर्वेत करके जो लोग फूट को दूर करना चाहते थे उनमें जॉन गर्सन सबसे अधिक विस्मात था। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, उसी के प्रचार द्वारा कन्सीलियर सिद्धान्त को यूरोप की आम हिमायत प्राप्त हो सकी थी। पीसा की परिपद में कलहकारी पोपों के स्थान में अलेकजेंडर पचम को पोप निर्वाचित कराने का प्रधान श्रेय उसी को है। जब दो कलहकारी पोपों ने नये पोप के पक्ष में अपने स्थानों का परित्याग नहीं किया और पीप अलेकजेंडर ऐसी नीतियाँ अपनाने लगा जोकि कन्सीलियिस्ट्स को पसन्द न थी तो गर्सन ने एक नवीन परिपद को समर्वेत करके तीनों पोपों को पदच्युत करने की मार्ग की। कॉन्स्टेन्स की परिपद का वह माना हुआ नेता और उसका प्रधान सिद्धान्तवेत्ता था।

गर्सन की चर्च तथा उसके शासन सम्बन्धी धारणाएँ एक बड़ी हद तक मार्सी-लियो के विचारों से प्रभावित थीं। किन्तु वह उसकी अपेक्षा कम नवीनताप्रिय और जनतन्त्रवादी तथा अधिक कुलीनतन्त्रवादी था। गर्सन का विचार था कि एक संस्था के रूप में चर्च पोप से उच्चतर है और यदि पोप धर्मविमुख हो जाता है अथवा अपने पद का दुरुपयोग करता है तो चर्च उसे पदच्युत कर सकता है। इस प्रकार उसने पीटर के सिद्धान्त और उसके ऊपर आधारित पोप की प्रभुता का सिद्धान्त का खण्डन

* "The controversy in the church first drew the lines upon which the issue between absolute and constitutional government was drawn, and it spread the type of philosophy which in the main absolutism was to be contested. Both the divine right of the sovereign and the sovereign power of the community were transferred to the field of secular government."

किंग परन्तु मार्सिलियो के सहश वह चर्चे में समस्त ईमाइयों को सम्मिलित नहीं करता था ; उसके लिए तो वह पादरीगण का गियरोन्मुखी मगठन था जिसका प्रशासकीय प्रधान था और जिसकी ग्रन्तिम शक्ति साधारण परिपद में थी । चर्चे का मुख्य प्रशासन अधिकारी होने के नाते पोप परिपद के अधीन था और परिपद के आदेशों का पालन करना उनका कर्तव्य था । इस प्रकार गर्सन ने सामने यह सिद्धान्त खेला कि चर्चे के लिए सर्वोच्चम शासन परिमित राजतन्त्र है । चर्चे में राजतन्त्रीय शासन को यह आवश्यक मानता था ; उसका यह भी विश्वास तथा कि पोप पद एक दैविक नस्यान है ; परन्तु इसके साथ ही साथ वह यह कहता था कि पोप की शक्तियाँ चर्चे के अन्य पदों के स्वतन्त्र अधिकार तथा साधारण परिपदों द्वारा बनाये गये कानूनों द्वारा सीमित हैं । ये कानून चर्चे की उस शक्ति के ऊपर आधारित हैं जिसका प्रतिनिधित्व परिपद करती है । इसलिये पोप को उनमें परिवर्तन करने, स्थगित करने तथा रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार उसने निश्चित रूप से पोप को परिपद की श्रेष्ठतर शक्ति के अधीन कर लिया किन्तु उसने न तो सर्वजनिक राजमत्ता के मिडान्त का प्रचार किया और न ही पोप पद के श्रीचित्य में इन्कार किया । उसने अपने सिद्धान्त का निर्माण इतने चातुर्यपूर्वक किया कि सर्वोच्च शक्ति चर्चे की साधारण परिपद को देते हुये भी उसने पोप की परम्परागत शक्ति को कम से कम आधात पहुंचाया । पोप यथापूर्व मुख्य प्रशासकीय अधिकारी बना रहा और महत्वपूर्ण विषयों में महान् विवेकात्मक शक्तियाँ उसके हाथों में रही । “वास्तव में गर्सन ने पोप की प्रभुता के विनाश पर पोपशाही की सुति तथा इस प्रावः व्यक्त धारणा का कि परिपद की सर्वोच्चता का श्रीचित्य फूट द्वारा भ्रष्टाचार तथा चर्चे के लिये भीयण खतरे में है, आवरण डाल दिया है । तथापि नवीन धारा की प्रवृत्ति स्पष्ट है और इस बात की साफ झलक मिलती है कि धर्म शक्ति को घ्वस करने वाले विचारों का श्रीगणेश हो गया है ।”*

जिस सीमित तथा साविधानिक राजतन्त्र को गर्सन चर्चे के लिए शासन का सर्वध्रेष्ठ रूप ममकता था, उसे एक मिथित यासन कहा जा सकता है और उसकी तुलना हम प्रस्तु द्वारा प्रतिपादित ‘पोलिटी’ से कर सकते हैं । पोप इसका जनतन्त्री अग है, परिपद कुलीनतन्त्री और समस्त पादरीगण इसका जनतन्त्री भाग हैं । परिपद पोप को निरक्षा तथा अत्याचारी होने से रोकता है और आपल्काल में वह उच्चतम होती

* “The substantial extinction of papal sovereignty is disguised, indeed, by Gerson through frequent recurrence to the familiar formulas of pontifical exaltation, and through the no less frequent suggestion that the assertion of conciliar supremacy is mainly to be justified by the scandals of the schism and the mortal peril of the church. Yet the trend of the system which is set forth is clearly manifest, and the consciousness that doctrines subversive of the ancient ecclesiastical order are in the air is unmistakable.”

है। पोप की अवज्ञा केवल तभी होनी चाहिये जबकि समूर्हां चर्च के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो; साधारणतया उसकी शक्ति का सम्मान ही होना चाहिए।

यह एक दिननस्प वात है कि चर्च के विषय में अपनी कुलीनतन्त्री धारणा के द्वावजूद गर्नन के सिद्धान्त में एक क्रातिकारी तत्त्व वर्तमान था। उसकी धारणा थी कि परिपद् को समवेत करने का अधिकार पोप का था; किन्तु आवश्यकता पड़ने पर पोप को पदच्युत करने के लिए लोकिक शक्ति का प्रधान होने के नाते राजा भी उसे बुला सकता था। इसका अभिप्राय यह है कि गर्सन के अनुसार पोप के धर्मविमुख हो जाने अथवा अपने कर्तव्य का पालन न करने की स्थिति में राजा को भी परिपद् को समवेत करने का अधिकार था। उसका यह भी विश्वास था कि पाप नैसर्गिक कानून (वह कानून जिसे ईश्वर ने अपनी मानव सृष्टि के पद-प्रदर्शन के लिए बनाया है) के अधीन है। इस कानून के अनुसार समस्त मनुष्य समान है। इसलिये उसका आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि वह अपने आपको ईसा के तुच्छ से तुच्छ अनुयायी से भी ऊँचा नहीं समझता। गर्सन के वे समस्त विचार, अर्थात् चर्च में साविधानिक अथवा मिथित शासन, पोप की परिपद्, प्राकृतिक कानून तथा समानता सिद्धान्त के प्रति अधीनता, कॉन्स्टेन्ट की परिपद् में प्रतिविम्बित हो उठे और अपने समय के बुद्धि वैभव का एक भाग बन गए। उसके लेखों ने भविष्य के वैधानिक मुद्धारों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।

निकोलस थ्रॉफ कूसा (Nicholas of Cusa)— कन्सीलियर विचारधारा का पूर्ण एवं विस्तृत विवरण निकोलस थ्रॉफ कूसा (?४००-१४६४) में मिलता है जिसकी पुस्तक 'डी कॉन्कोर्डांटिया कैथोलिका' (De Concordantia Catholica) के विषय में डा० जे० एन० फिगिस ने यह कहा है कि वह 'लगभग अन्तिम पुस्तक है जो कि समस्त ईसाई जगत को एक ही जैविक प्रणाली समझती है और जिसमें राजनीतिक सिद्धान्त का सागोपात विवरण दिया हुआ है।' यह एक दार्शनिक अभिव्यजना उस सविधानवाद की "जिसे प्राप्त करने में चर्च विफल हो रहा था, और जिसकी सिद्धि का इन्हॉलैड में लकास्ट्रियन प्रयोग, फास के प्रतिनिधि मण्डल तथा जर्मनी के निवाचिक-गण विफल प्रयास कर रहे थे। उसने इन विशिष्ट तथ्यों से सामान्य धारणाये बनाई; उन मुख्य सिद्धान्तों को अपनाया जो कि वैधानिक शासन के किसी भी सिद्धान्त का आधार होते हैं; और उन्हे एक सार्वभौमिकता प्रदान की जिसने उनके महत्त्व को बढ़ा दिया।'"* इस प्रकार हम देखते हैं कि यह उस युग की गहनतम धाराओं को

* "...which the church was failing to achieve, which the Lancastrian experiment in England, the estates in France and the electors in Germany were trying unsuccessfully to accomplish. He generalised from these particulars: embodied the main principles which underlie any theory of constitutional government; and endowed them with a universality that increased their significance."

शासक की प्राकृतिक शक्ति भी समान है) दूसरों की रजामन्दी द्वारा ही स्थापित हो सकती है, जिस प्रकार कि कानून भी रजामन्दी द्वारा ही निर्मित होता है।”* मंदेश्वर मेर इसका प्रथम यह है कि क्योंकि प्राकृतिक रूप से समस्त मनुष्य समान हैं, इसलिये शासन का आधार केवल शक्ति की रजामन्दी हो सकती है। और क्योंकि प्रकृति ने समस्त मनुष्यों को समान शक्ति प्रदान की है, इसलिये एक व्यक्ति का उच्चतर पद केवल दूसरों की रजामन्दी के ऊपर ही निर्भर कर सकता है। कानून का स्रोत भी जनता की रजामन्दी में ही पाया जाता है। इस प्रकार रजामन्दी के ऊपर आधारित सामर्जस्य समाज में राजनीतिक संघटन का आधारभूत सिद्धान्त है, यह वात चर्च तथा लौकिक राज्य दोनों पर ही लागू होती है। दैविक अधिकार द्वारा न राजा शासन करता है न पोप ; समस्त विवेशकारी शक्ति का स्रोत शासित की रजामन्दी है।

यह सिद्धान्त कि शासन का आधार जनता की इच्छा है बहुत ही आधुनिक दिखलाई पड़ता है ; यह तो हमें लॉक तथा हसो का स्मरण दिलाता है, मध्यकालीन राजनीतिक दार्शनिकों का नहीं, जो कि मार्सिलियो को ढोड़कर भभी चर्च तथा राज्य की शक्ति का भीत ईश्वर को समझते थे ; वे इन संस्थाओं को दैविक रचना समझते थे। परन्तु मध्यपि हम इस वात से इन्कार नहीं कर सकते कि निकोलस के विचार में एक साहस्रपूर्ण स्वच्छन्दता है और अठारहवीं शताब्दी के क्रातिकारी विचारों का वह पूर्वज है, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उस पर मध्यकालवाद की छाप पड़ी हुई है। शासित की इच्छा से निकोलस का तात्पर्य मध्यकालवादियों की भाँति समाज की सामूहिक इच्छा से था, आधुनिकों के सहश व्यक्तियों की व्यवितरण इच्छा से नहीं। उसके लिए शक्ति का स्रोत व्यक्ति का अन्तःकरण नहीं था, वरन् अपने स्वाभाविक नेताओं तथा स्वतं निर्मित परम्पराओं के द्वारा आकरण करते वाला समाज था। निकोलस प्रतिनिधित्व-विषयक मध्यकालीन धाराओं से ऊपर नहीं उठा जिसके अनुसार नामक तथा नेता एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता था।

कन्सीलियर सिद्धान्त का आधार यह मूलभूत विश्वास था कि चर्च में कानून तथा शासन की शक्ति का स्रोत पोप नहीं बल्कि समस्त ईसाई जगत है, जिनका प्रतिनिधित्व साधारण परिपद में होता है। पोप अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है, ईश्वर से नहीं, इसलिये उसके प्रत्यादेश जनता की रजामन्दी तथा स्वीकृति के लिए उसके सामने रखे जाने चाहिये ; उनके ऊपर चर्च के अन्य अंगों की फ़कावट और

* “Since by nature all men are free, any authority by which subjects are prevented from doing evil and their freedom is restrained to do good through fear of penalties, comes solely from harmony and from the consent of the subjects, whether the authority resides in written law or in the living law which is the ruler. For if by nature men are equally strong and equally free, the true and settled power of one over the others, the ruler having equal natural power, could be set up only by choice and consent of the others, just as law also is set up by consent.”

प्रकार की कोई कठिनाई सामने आने की निकोलस को कोई आशका न थी ; उसका विचार था कि एक मध्यात्मक उच्चतम साधारण परिपद के अधीन रहने के कारण उनमें स्वाभाविक मामजस्य तथा मिश्रता स्थापित हो जायेगी । यह साधारण परिपदों द्वारा चुने हुए स्थायी प्रतिनिधियों से मिलकर बनती । उपरोक्त विवेचना से हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि निकोलस चर्च तथा राज्य दोनों के लिए एक ऐसी शामन-प्रणाली को सर्वोत्तम समझता था जिसका स्पष्ट सधारणक हो और जिसमें कार्यपालिका की शक्तियों की वैधानिक सीमायें हों । एक यह बात भी उल्लेखनीय है कि अपने इस विश्वास के कारण कि समस्त मानव प्राणी ईश्वर के प्रति प्रेम तथा शक्ति के मूल में वये हुए हैं निकोलस ने शासक तथा शासित में और विभिन्न राष्ट्रीय परिपदों में मामजस्य और तालमेल स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट यन्त्र की आवश्यकता पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

निकोलस की विचारधारा की एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी ध्यान देने योग्य है । यद्यपि वह प्रतिनिधि परिपद को चर्च तथा राज्य दोनों में एक केन्द्रीय अङ्ग, समझता था और पोप तथा सभ्राट को निश्चित रूप से उसके अधीन मानता था, तथापि उन वह एक पमुत्वपूर्ण शक्ति नहीं समझता था । आखिरकार वह चर्च संघटन का एक भाग मान थी, सम्पूर्ण चर्च नहीं । उसका सामजस्य सिद्धान्त परिपद को राजसत्ता से विभूषित करने के मार्ग में बाधक था । जैसा कि सेवाइन ने कहा है De Concordantia Catholica की आधारभूत तान थी सामजस्य, शक्ति नहीं । परिपद की शक्ति इस बात में थी कि वह सम्पूर्ण चर्च की इच्छाएं एवं नहमति का प्रतिनिधित्व पोप अथवा अन्य किसी भी ग्रन्थ की अपेक्षा अधिक समुचित रूप से करती थी ।

चर्च तथा राज्य के परस्पर सम्बन्ध के ऊपर निकोलस के विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक होगा । उसने उस मध्यकालीन परम्परा का परित्याग कर दिया जिसके मनुसार सम्पूर्ण ईसाई जगत् एक ही समाज है, जो चर्च और मान्यता दोनों है, उसने इन दोनों में पृथक्करण कर दिया । उनकी धारणा थी कि लोकिक कार्यों को करने के लिए राज्य उतना ही आवश्यक है जितना कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए चर्च । राज्य के कार्य चर्च के कार्यों से भिन्न और स्वतन्त्र हैं इसलिए उसका एक ग्रन्थ और निजी संघटन होना चाहिये जो चर्च से स्वतन्त्र हो । राज्य का अपनी शक्तियों के ऊपर समान अधिकार है, इसलिए उसके ऊपर चर्च का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये । इस प्रकार चर्च भी राज्य से स्वाधीन रहना चाहिये । यद्यपि निकोलस का यह विश्वास अवश्य था कि साधारण परिपद की वैठकों में सभ्राट की उपस्थिति अनुशासन स्थापित रखने में सहायक होगी और उनके निर्णयों को उससे सम्बल मिलेगा, और वह यह भी चाहता था कि संभ्राट को धर्म-विमुखता के विरुद्ध धर्म की रक्षा करनी चाहिये, तथापि चर्च के आत्मरक्षक मामलों जैसे कि विशेषण की नियुक्ति तथा धार्मिक विषयों के निर्णय में सभ्राट को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । निस्सदैन यह एक आदर्श-जनक बात है कि एक पादरी ने राज्य तथा चर्च में ऐसा पृथक्करण किया ।

प्राचीन तथा मध्यकालीन राजनीतिक विचार—१

निष्कर्ष यह है कि निकोलस के अनुसार राजमत्ता न तो पोप में है और न साधारण परिपद में, बल्कि यह धर्मनियायियों के सम्मूह समाज में है। साधारण परिपद समूह चर्च की प्रतिसूति है इसलिये उसका अधिकार पोप के अधिकार में उच्चतर है। राष्ट्रीय परिपदों को स्थानीय चर्चों का प्रबन्ध करना चाहिये और उनमें सुधार करने चाहिये। साधारण परिपद के लिए स्थायी प्रतिनिधि चुनने का भी उन्हें अधिकार दिया गया। साधारण परिपद को समवेत करने का अधिकार पोप को था; किन्तु यदि वह ऐसा करने से इनकार करे तो सचाई भी उसे बुला सकता था। परन्तु एक बार समवेत हो जाने पर परिपद अपनी ओर से कार्य कर सकती थी और चर्च की भवाई के लिए कोई भी कदम उठा सकती थी। साधारण परिपद अपने में पोप के अनुग्रह हो जाने की अवहेलना कर सकती थी यदोकि वह अपना अधिकार ईच्छर होने की सभावना थी। यद्यपि वह पदच्युत होने का दावा नहीं कर सकती थी, तथापि एक व्यक्ति, पोप, के निर्णय की अपेक्षा उनके निर्णयों में कम भूल और अधिक भृत्य होने की सभावना थी। इसलिए धर्म के विषयों में वह उच्चतम थी। निकोलस मार्गिधानिक समाजीयों के नाय वरकार के नपालक स्वरूप को चर्च की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था के लिए एक केन्द्रीय संघटन का नमन्वय हो सकता था। उसे प्राप्त थी कि प्रतिनिधित्व की पड़ति हर प्रकार के समाज में केंद्र जारी। परन्तु सामजिक और समन्वय के आधार पर एक राजनीतिक समाज को संगठित करने के उसके स्वरूप को विभिन्न को परिपद ने भग कर दिया। ज्योही चर्च के सुधार करने का प्रसन्न उठा त्यां ही राष्ट्रीय विरोप और दैर्य की अग्नि भटक उठी और परिपद के नदस्य उसे बुझा न नके। सरगम परिपदवादी जिन सुधारों के लिए उन्मुक्त थे वे न किए जा गए। कल्पनियर प्रान्तोत्तर विकल्प हो गया, और इनसी विकल्पों ने यह मिठ कर दिया कि जनसाधारण धर्मी नेत्याओं द्वारा स्वयं नियन्त्रण नहीं कर नको। इनसे पोप के प्रभुत्वसमूह अधिकार को भी पुछ छर दिया। उस प्रकार जनसम्बन्ध तथा विद्यालयादेश स्वास्थ हो गया और विलुप्तवादी विद्या दूर हो गई। वह निकोलस, जिसके हृदय में पहिने वर्दी-वर्दी आमाये थी, निराश हो गया, उनकी आवेदन तुल गई; कल्पनियर प्रान्तोत्तर का परिवर्तन करने के बहु पोप के दृढ़ में जा मिला। उसके ऐसा रूपने में प्रान्तोत्तर का धन्त पोर भी निरुद्ध था गया। रोप को निर्गुणता द्वा रमयन इसने दो बड़े इच्छनिए विवरण दूषा रखोकि उसके विवाह ने शोभाही दैनांद जगत की प्रकार को जायम गया गरजों थी। परन्तु बोधन के प्रारम्भ में वह जानि तथा नामवर्त्ते निए वोसमाझी रो वस्ति देने रो नियार था; परन्तु ने पाकर इन्हाँ के द्रष्टव्य के स्वरूप में उनसे उन्हीं नेत्यां दी हिनाक्त की।

इन प्रश्नों द्वारा उपनिषद उत्तर सरने में प्राप्त हुए वर्तमान नव्यकालीन विचारों द्वारा गंगायाओं द्वारा प्रदित्त विद्यिर् तथा क्रमवृद्धि

वाद्धनीय प्रतीत होता है, यद्यपि गत अध्यायो में यथास्थान उनका उल्लेख किया जा चुका है। उनमें प्रमुख है राजतन्त्र, कानून, प्रतिनिधित्व तथा नैसर्गिक कानून।

राजतन्त्र (Kingship) को मध्यकालीन धारणा— सम्पूर्ण मध्य काल में राजनीतिक संघटन का साधारण रूप एक ने एक रूप में राजतन्त्र था। यही नहीं, बल्कि बहुत से देशों में तो १६१४ के प्रथम विश्व-युद्ध तक यह पाया जाता था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पराभव के बाद जो वर्वर राज्य उत्पन्न हुए उन सब के कानून राजाओं का था, अर्थात् वे राजतन्त्र थे; रोमन चर्च के संघटन का भी वही आधार था जिसके ऊपर पोप का सर्वप्रभुत्व अधिकार था। यह कोई आद्यत्यं की बात नहीं थी क्योंकि मध्यकालीन विचार के अनुसार समस्त विश्व एक ही राज्य है जिसका राजा ईश्वर है। समस्त पार्थिव शासन का स्रोत दैविक शासन समझा जाता था और इसलिये उसकी प्रतिमूर्ति माना जाता था। अन्यथा शासक की शक्तियों को ईश्वर-प्रदत्त नहीं माना जा सकता था। इस मानसिक प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि राजतन्त्र को शासन का एक सामान्य तथा देवग्रदत्त रूप मान लिया गया और उसके श्रीचित्य पर आपत्ति करने या उसका शक्ति की सीमाये निर्धारित करने की कोई प्रवृत्ति ही उत्पन्न नहीं हुई। चर्च शासन को सुधारने में कन्सीलियर आन्दोलन इसलिये विफल हुआ क्योंकि इसाई जगत की सामान्य भावना निरकुदा की जगह वैधानिक शासन स्थापित करने के पक्ष में न थी।

दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि सारे मध्य युग में, किन्तु उसके उत्तरार्द्ध में विशेष रूप से, यह महमूम किया जाता था कि प्रजाजन की राजभक्ति का आधार राजा का पद है, उसका व्यक्तित्व नहीं। इस प्रकार मध्यकालीन विचार के राजपद तथा उसके रवानी में विभेद है। पद की आज्ञा का पालन होना चाहिये, व्यक्ति का नहीं; क्योंकि सत पाल ने आज्ञापालन के प्रसंग में 'जो भी शक्तियाँ हों' शब्दों का प्रयोग किया है। यदि उसका इरादा राजपद को बहन करने वाले व्यक्ति की आज्ञा-पालन के कर्तव्य की प्रेरणा करना होता तो वह 'जो भी शासक हों' शब्दों का प्रयोग करता। एक अत्याचारी शासन के विरोध का जो श्रीचित्य मध्य काल में दिया जाता था उसमें भी यही विभेद निहित है। यदि राजा न्यायपूर्वक शासन करता है और केवल ईश्वर-प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसके अधिकार की अवज्ञा का प्रश्न नहीं उठता; उसकी अवज्ञा करना तब ही कानून-विहित है जब कि राजा दुराचरण करे। समझने की बात यह है कि न्याय ही राजपद को श्रीचित्य प्रदान करता है; एक अन्यायी राजा को अपनी आज्ञा पालन कराने का कोई उचित अधिकार नहीं। आधुनिक शासनों की भाँति राजाओं को कोई अपनी अर्द्धव्यक्तिक (Impersonal) शासन व्यवस्था नहीं थी, इसलिये राजतन्त्र ने वैयक्तिक ट्रस्ट (Personal Trust) का रूप धारण कर लिया। जब तक राजा अपने अधिकारों का दुरप्रयोग नहीं करता था, उस नमय तक उसके अधिकार वैयक्तिक ही माने जाते थे।

राजनव के मध्यकालीन मिद्वान की तीमरी मुख्य पिशेषता यह है कि इसने दो ऐसे विचारों, कानून के प्रति अधीनता तथा निरपेक्ष शक्ति और अनुसरदायित्व, का सम्मिश्रण किया जिनमें कोई समति दिखाई नहीं पड़ती। एक और तो मध्यकालीन राजा निरपेक्ष और अनुसरदायी था। वह निरपेक्ष था क्योंकि उसके हाथ में सम्पूर्ण शक्तियाँ थीं, क्योंकि कोई भी शक्ति उसके ऊपर या उसके बराबर ऐसी न थी जो उसकी शक्तियों को सीमित कर सकती। वह अनुसरदायी था क्योंकि वह निरपेक्ष था; राज्य के मामलों का प्रबन्ध वह किस प्रकार करता है, इसका कोई हिसाब उसे किमी कां नहीं देना पड़ता था। परन्तु निरपेक्ष होते हुए भी वह निरकुश न था; वह मनमानी नहीं कर सकता था; वहाँ ऐसी शक्तियाँ वर्तमान थीं जो कि उसको अपनी शक्ति का दुरुयोग करने तथा अन्याय और अत्याचार करने से रोकती थीं। जैसा ब्रेक्टन (Bracton) नामक तेरहवीं शताब्दी के एक अंग्रेज वकील ने कहा है कि “राजा किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि वह ईश्वर और कानून के अधीन है।” प्रथम तो यह कि यद्यपि वह कानून बनाता था, वह कानून के ऊपर नहीं था। राजतिलक के समय उसे यह धार्य लेनी पड़ती थी कि वह जनता के कानूनों का पालन करेगा। परम्पराओं को भग करने का उसे कोई अधिकार या शक्ति न थी। उसके अतिरिक्त वह ईश्वर के कानून तथा नैसर्गिक कानून से बधा हुआ था। उसकी शक्ति के ऊपर ये सीमायें केवल नैतिक धरवा राजा की स्वेच्छापूर्वक लगाई हुई न थीं; एक तरह से वे कानूनी तथा व्यावहारिक थीं। यदि राजा उनकी अवहेलना करता या उन्हें भग करता तो जनता उसकी शक्ति की अवश्या तथा उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती थी। दूसरी बात यह कि राजा के बनाये हुये कानून जनता के कानून तब तक नहीं बनते थे जब तक कि जनता उन्हें स्वीकार न कर लेती थी। परन्तु मध्यकालीन राजपद को निरकुश बनने से रोकने तथा उस पर रोक लगाने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह धारणा थी कि राजपद मुख्य रूप से एक कर्तव्य है, एक सार्वजनिक पद है और जनता की एक सेवा है। राजपद सम्बन्धी धारणा का आधार शक्ति या अधिकार न था। वहाँ यह विश्वास था कि राजा जनता के लिए बनाये गए हैं, जनता राजाओं के लिये नहीं। जनहित, धार्य तथा ध्याय के लिए कार्य करना राजा का परम कर्तव्य था। आधुनिक काल में यह विचार लुप्त हो गया है कि राजपद एक भारपूर उद्यम है, एक जनसेवा है; इसका स्थान राजा की शक्तियों के ऊपर वैधानिक रोकों और सीमाओं ने ले लिया है। आधुनिक राजा की स्थिति के विपरीत मध्यकालीन राजा की अपनी राजकीय शक्ति के प्रयोग में उसका कोई समकक्ष न था, उससे ऊँचा होना तो दरकिनार; इसीलिए वह निरपेक्ष था। परन्तु निरपेक्ष होते हुए भी वह मनमाने ढग से और निरकुशतापूर्वक आचरण नहीं कर सकता था। उसे अपने आपको नैतिक व्यवस्था के अनुकूल ही ढालना पड़ता था। वह नैतिक एवं दैविक कानून द्वारा सीमित था, सविधान द्वारा नहीं। नैतिक एवं नैसर्गिक कानूनों ने राजाओं पर ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जिनकी अवहेलना अथवा अनादर वे नहीं कर सकते थे। जिस राजा ने इनकी

उपेक्षा की वह निरंकुश शासक था, वैधानिक राजा नहीं। इसी ट्रिप्टिकोण से उसे सीमित कहा जा सकता है। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि मध्यकालीन राज-पद सीमित एक भिन्न अर्थ में था।

अन्तिम उल्लेखनीय बात यह है कि मध्यकालीन राजाओं के शासन अधिकार के तीन स्रोत थे, एक नहीं। उन्हे सिंहासन उत्तराधिकार में मिलता था, वे जनता द्वारा चुने जाते थे, और शासन वे ईश्वर की अनुकम्पा से करते थे। शायद हमें ऐसा लगे कि ये तीनों अधिकार एक दूसरे का विकल्प होंगे, परन्तु बात ऐसी नहीं है वे तीनों एक ही चीज़ के तीन पहलुओं को अभिव्यक्त करते थे।

कानून विषयक मध्यकालीन धारणा (Medieval Idea of Law) — राज-तन्त्र की धारणा की भाँति ही मध्यकालीन कानून सम्बन्धी धारणा भी ट्रिप्टोनिक तथा रोमन धारणाओं के सम्मिश्रण की उपज है और वह आधुनिक धारणा से बहुत भिन्न है। याद रहे कि रोमवासियों के लिये कानून का चरित्र प्रादेशिक था अर्थात् एक देश के कानून वहाँ के प्रत्येक निवासी पर लागू होते थे, ट्रिप्टोनों के लिए कानून का स्वरूप मूलतः जातीय (Tribal) था। उनके अनुमार कानून एक कबीले विशेष के लिये होता था; वह “एक समूह को एकवच्छ करने वाला सामान्य सूत्र था।” इसलिए कानून प्रत्येक व्यक्ति की एक व्यक्तिगत चीज़ बन गया जिसको कि वह जहाँ भी जाता था अपने साथ ले जाता था। वह इस बात की मांग करता था कि रोमन कानून के अधिकार क्षेत्र में रहते हुये भी मुझ पर मेरा जातीय कानून ही लागू होता चाहिये। कालान्तर में इस ट्रिप्टोनिक धारणा के स्थान में रोमन धारणा ही प्रतिष्ठित हो गई जो कि इसकी अपेक्षा अधिक बुद्धि-संगत तथा लाभप्रद थी। परन्तु ट्रिप्टोनिक धारणा का पूर्णतः लोप नहीं हुआ, यह चलती रही और इसने इस आधुनिक सिद्धान्त के लिए आधार प्रदान किया कि कानून जन-इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मबुकुद्द किस प्रकार हुआ; उस सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण यहाँ देना आवश्यक नहीं है। हम कानून विषयक मध्यकालीन धारणा के कुछ आधारभूत पहलुओं पर ही प्रकाश डालेंगे।

पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि यह धारणा कि कानून जनता का है, सारे मध्यकाल में जलती रही। इसका अर्थ यह नहीं था कि कानून जनता द्वारा बनाया जाता है या वह उसमें परिवर्तन कर सकती है। कानून तो एक स्थायी चीज़, एक ऐसी चीज़ समझा जाता था जो सदैव सही रहती है और जो कुछ अग्रों में पवित्र है। तथापि कानून के निर्माण में मानव-इच्छा के भाग की पूर्णसंपूर्ण अवहेलना भी नहीं की जाती थी। कानून की खोज करना और उसे घोषित करना एक आवश्यक कार्य था। राजा अथवा कोई अन्य समुचित अधिकारी सम्पूर्ण जनता के नाम से यह घोषणा करता था कि कानून क्या है। इससे सिद्ध होता है कि कानून के औचित्य में जन-इच्छा का एक महत्वपूर्ण भाग है। परन्तु मध्यकालीन सिद्धान्त का यह कोई आधारभूत तत्त्व नहीं था। इसमें कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यकालीन

विचार में जिस कानून की मुख्य रूप से विवेचना की गई है उसका सार तथा निर्माण मानव इच्छा से स्वतन्त्र था। “जबकि आधुनिक जनतन्त्रवादी कानून का सम्मान केवल उसी भीमा तक करने को तैयार है जहाँ तक कि वह अपने आपको उसका निर्माता समझ सकता है, मध्यकालीन आज्ञाकारिता का आधार इससे विपरीत भावना थी, वह यह कि कानून इसलिये मान्य है क्योंकि उनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया।”* ईवार्ट ने कानून की मध्यकालीन तथा आधुनिक धारणाओं में एक अन्य आधारभूत अन्तर का उल्लेख किया है। वह कहता है कि जबकि आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार कानून सरकार की अभियजना होने के नाते उसके अधीन है, मध्यकालीन हृष्टिकोण से सरकार कानून की अनुचर थी। गत परिच्छेद में हम यह बता चुके हैं कि कानून द्वारा राजकीय शक्ति का भीमित होना राजतन्त्र के मध्यकालीन सिद्धान्त की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।

प्रतिनिधित्व की मध्यकालीन धारणा (Medieval Idea of Representation)—प्रतिनिधित्व के विषय में मध्यकालीन धारणा तद्विप्रयक आधुनिक धारणा ने बहुत भिन्न है। जबकि आधुनिक प्रतिनिधि माधारणातया उन लोगों द्वारा चुना जाता है जिनका कि वह प्रतिनिधित्व करता है और उसे उनके विचारों तथा हितों का अभिवक्ता समझा जाता है, मध्यकालीन प्रतिनिधि लोगों की इच्छा का एक अभिकर्ता होने की अपेक्षा एक ट्रस्टी अधिक था जिसका कार्य उनके हितों का पोषण करना था। इस हृष्टिकोण से राजा तथा वैरनगण अपनी प्रजा के प्रतिनिधि होते थे। मध्यकालीन सिद्धान्त राजा को एक प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करता था। प्रजा का प्रतिनिधित्व वह इस हृष्टिकोण से करता था कि वह उनकी ओर से कार्य करता था। प्रजाजन का राजा के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं था। इसमें स्पष्ट है कि मध्यकालीन सिद्धान्त के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिनिधि के ऊपर उन लोगों का नियन्त्रण हो जिनका कि वह प्रतिनिधित्व करता हो। मध्य युग में सार्वजनिक निर्वाचन तथा सार्वजनिक नियन्त्रण की कोई पद्धति न थी। इसीलिये प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मध्यकालीन तथा आधुनिक विचारों में इतना अन्तर पाया जाता है।


आधुनिक धारणा से मवसे अधिक मिलता-जुलता हृष्टिकोण मार्सिलियो की प्रतिनिधि चर्चे परिपद की योजना में पाया जाता है जिसमें प्रत्येक प्रान्त का प्रतिनिधित्व अपने निवासियों की सह्या तथा गुण के अनुसार होता है। विलियम ऑफ ओकम द्वारा चिह्नित प्रतिनिधि परिपद की अधिक सागोपाग योजना भी आधुनिक धारणा के निकट है। परन्तु आधुनिक सिद्धान्त से मव कुछ बहुत पीछे था।

* “Whereas the modern democrat is prepared to respect law in so far as he can regard himself as its author, medieval obedience was founded on the opposite sentiment, that laws were respectable in so far as they were not made by man.” —John Dickinson, quoted by Ewart Lewis : *Medieval Political Ideas*, page 2.

प्रतिनिधित्व तथा जनतन्त्रीय सरकार और कुछ हद तक मामांजिक अनुबन्ध सम्बन्धी धारणायें, जिनको कि आगे चलकर आधुनिक युग के राजनीतिक चित्तन में इतना ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ, १५वीं शताब्दी में कन्सीलियर आन्दोलन में अभियवत हुई।

नैसर्गिक नियम (Natural Law)—हम महत्वपूर्ण मध्ययुगीन विचारों और संस्थाओं की उपरोक्त संक्षिप्त समीक्षा और प्रस्तुत खण्ड (पुस्तक) दोनों की इतिही नैसर्गिक नियम के विचार (Concept) की कुछ अधिक विस्तृत विवेचना के साथ करेंगे। नैसर्गिक नियम के विषय में कहा जा सकता है कि इसे विचार ने मध्य युग के पूरे काल में मानव के इतिहास पर गौरवपूर्ण शासन किया है, तथापि इसको सामन्तवाद की भाँति विशुद्धतः एक केवल मध्ययुगीन विचार मानना महान् भूल होगी। मध्य युग को यह धारणा स्टोइक विचारधारा से प्राप्त हुई और उस काल में इस धारणा का व्यापक विस्तार हुआ। यह विचार स्टोइक चिन्तन से भी अधिक प्राचीन है, उसका उद्गम प्लेटो और अरस्तु के विचारों में तथा उनके भी पूर्ववर्ती यूनानी दार्शनिकों के चिन्तन में मिलता है जो परिवर्तनशील हृष्य-जगत के पीछे एक स्थाई और चिरन्तन व्यवस्था की कल्पना करते थे। प्राचीन यूनान में इस धारणा के जन्म और विकास का बरंग दूसरे लिए अनावश्यक होगा, हमारा सम्बन्ध यहाँ केवल उस व्याख्या से है जो मध्ययुगीन विचारकों ने उसे प्रदान की है।

स्टोइक पहले विचारक थे जिन्होंने सबसे पहले इस धारणा का मुनिश्चित विवेचन और प्रतिपादन किया, यह धारणा! उनके चिन्तन का केन्द्रीय तत्त्व थी। उनका आदर्श प्रकृति के अनुसार जीवन विताना था। प्रकृति से उनका अभिप्राय भौतिक घटनाओं अथवा पदार्थ जगत की एक ऐसी मिथित इकाई में नहीं था जिसका अध्ययन पदार्थ-विज्ञान और रसायन-शास्त्र करते हैं। उन्होंने प्रकृति की एक भिन्न परिभाषा प्रस्तुत की। उनकी मान्यता है कि जगत अथवा समर्पि (ब्रह्माण्ड) की अपनी एक आत्मा अथवा जीवन-शक्ति है जो समस्त पदार्थ-जगत में प्रवाहित होती है तथा उसकी प्रत्येक घटना और प्रक्रिया का निरूपण एवं निर्माण ठीक वैसे ही करती है जैसे मनुष्य की आत्मा उसके शरीर के प्रत्येक अंग को जीवन प्रदान करती है तथा उमकी समस्त क्रियाओं का निर्धारण करती है। उन्होंने इस जीवनी-शक्ति अथवा आत्मा को ही प्रकृति कहा। सधेप में कहा जा सकता है कि 'नैसर्गिक नियम' का अभिप्राय एक ऐसी विधायक सत्ता अथवा शक्ति में है जिसकी तुलना 'सजनात्मक विकास' (Creative Evolution) नामक ग्रन्थ में वर्णमां द्वारा प्रतिपादित 'जीवनी-शक्ति' से की जा सकती है। प्लेटो और अरस्तु की धारणा भी कुछ इसी प्रकार की थी, परन्तु स्टोइक विचारकों ने इम धारणा को अधिक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। इसकी व्याख्या ब्रह्माण्ड में समाई हुई एक दैवी मत्ता के रूप में की है। प्रकृति की प्रज्ञा (Reason) के साथ समरूपता स्थापित करके उन्होंने कल्पना की है कि समस्त मनुष्य एक समिलित तथा निरपेक्ष ज्ञान में भागीदार होने के कारण परस्पर समान



शर्म है। मनुष्य द्वारा बनाई यह विधियाँ लंबे उम्मेद के मनुकूल होनी चाहिए। ऐसी शोई जो निवि विहित और व्याप-संगत नहीं मानी जा सकती जो नैतिक नियमों के विरुद्ध हो और ऐसी विधि नागरिकों पर वास्तवारी नहीं हो सकती। इस प्रकार नैसर्गिक नियम ने प्रत्येक मानवीय सत्ता पर प्रतिबन्ध घथया निपन्नरण करा दिया। नैतिक नियम के शास्त्र एवं मनुस्त्वंधनीय सिद्धान्तों के विपरीत कोई भी नियम नहीं माना जाय और वह किसी पर भी वास्तवारी नहीं माना गया।

लाडे ब्राइस ने मध्ययुग में प्राकृतिक विधि की धारणा की महत्वपूर्ण स्थिति शब्दान्तर इस प्रकार किया है—‘यह एक ऐसा सबत दाया है जो नैतिकता के शास्त्र नियमों की सर्वोपरिता की स्थापना करता है। राजामों पर उन सिद्धान्तों के प्रभुकृत शावरण करने का कर्तव्य लादता है तथा नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि आवश्यकता हो तो विद्रोह और अत्याचारी शासक की हत्या करके, भी उन सिद्धान्तों की रक्षा करें। यह धोषणा करता है कि आध्यात्मिक और सांतारिक दोनों नैतियों परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं तथा मानवमात्र को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिनको धीरा नहीं जा सकता। यह समस्त विधियों का आधार मान कर मानवीय विधियों (Positive Laws) की शक्ति पर अंकुश लगाता है तथा उन विधियों की विहितता की मर्यादायें भी निर्धारित करता है।’

नैसर्गिक नियम की धारणा हमें हॉब्स और लॉक सरीसे आधुनिक विचारकों के चिन्तन में भी मिलती है, परन्तु उन्होंने उसकी व्याख्या भिन्न प्रकार से की है। उसके चिन्तन में यह ‘प्राकृतिक दशा’ (State of Nature) की कल्पना के साथ जुड़ा हुआ है तथा धर्म से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। वह विकेन्टिठ तो रहता है परन्तु वह लौकिक रूप यथए कर लेता है। यह विचार हमें रुसो के चिन्तन में भी योड़े भिन्न रूप से मिलता है तथा यह फास के ‘मानवीय अधिकारों के धोषणा-पत्र’ का आधार बन गया है। आगे चलकर यह एक ध्वसात्मक राजनीतिक शक्ति का स्वापारण कर लेता है। परन्तु यह आधुनिक राजनीतिक विचार का विषय है; यहाँ हम उसके मध्ययुगीन स्वरूप का चिन्तन कर रहे हैं। हमने आधुनिक लेसकों की व्याख्या का उल्लेख केवल यह सिद्ध करने के लिए किया है कि यह धारणा मध्य युग की परिस्थिति के पश्चात् भी राजनीतिक चिन्तन को प्रभावित करती रही है, यह धारणा स्टोइक विचारकों से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक विभिन्न व्याख्यामों के स्पष्ट में जीवित रही है।

Bibliography



- BARKER : *Plato and His Predecessors.*
- BOWLE : *Western Political Thought.*
- COOK : *A History of Political Thought.*
- DOYLE : *A History of Political Thought.*
- DUNNING : *History of Political Theories.*
- FOSTER : *Masters of Political Thought.*
- GETTELL : *History of Political Thought.*
- HEARNSHAW : *Social and Political Ideas of the Middle Ages.*
- MAXEY : *Political Philosophies.*
- McILWAIN : *Development of Political Thought in the West.*
- SABINE : *A History of Political Theory.*



त्रिलोचन :

जन्म : 20 अगस्त 1917, विरानीपट्टी, कटपरापट्टी, सुल्तानपुर, उ० प्र०।

शिक्षा : मी० ए० तथा एम० ए० (पूर्वीं) प्रयोगी साहित्य में।

आज, जनवार्ता, समाज, प्रवीप, चित्ररेता, हंस और कहानी आदि

पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को सह-सम्पादन कर रहे हैं।

1952-53 में गणेशराय नेशनल इंस्ट्र कालेज जॉनपुर में प्रयोगी के

प्रबक्ता।

1970-72 के दोनों द्वितीय छात्रों को हिन्दी, संस्कृत और उड्डू' की

शिक्षा।

कुछ बर्ष उड्डू' विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय की द्विभाषिक कोश (उड्डू'-हिन्दी) परियोजना में कार्य।

सम्प्रति : अध्यक्ष, मुक्तिक्रोध पीठ, सागर विश्वविद्यालय, सागर (म० प्र०)।

प्रकाशित कृतियाँ : परती (कविता संग्रह : 1945, दूसरा संस्करण : 1977)

गुलाब और बुलबुल (गजते भोर रुबाइयाँ : 1956)

दिग्नान (संगिट : 1957)

ताप के ताए हुए दिन (कविता मग्रह : 1980)

शब्द (कविता संग्रह : 1980)

उस जनपद का कवि हूँ (कविता संग्रह : 1981)

भरप्यान (कविता संग्रह : 1984)

पता : सी.५०, गोरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर—४७०००३